

FAX : 28134075
PHONE : 28134076
E-mail : investors@indianbank.co.in

Corporate Office
Investor Services Cell
254-260, Avvai Shanmugam Salai
Royapettah
Chennai 600 014

Ref : ISC / 143 / 2020-21

17.07.2020

<p>The Vice President National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza", Bandra Kurla Complex, Bandra East Mumbai - 400 051. NSE Symbol : INDIANB</p>	<p>The Manager B S E Limited Phiroze Jeejibhai Towers Dalal Street Mumbai - 400 001. BSE Scrip Code: 532814</p>
---	---

Sub : Annual Report of the Bank for the year 2019-20

In compliance to Regulation 34 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we submit the Annual Report of the Bank for the year 2019-20.

We request you to take on record the above.

Yours faithfully,


(Arun Kumar Bansal)
General Manager (Accounts) / CFO

Encl: a/a

Growth...
Twice As Good
Wise As Ever



इंडियन बैंक



Indian Bank

इलाहाबाद

ALLAHABAD



वार्षिक | Annual
रिपोर्ट | Report
2019-20



Indian Bank was conferred with "FE Best PSU Bank award 2017-18". Hon'ble Union Finance Minister Ms. Nirmala Sitharaman presented the award to Ms. Padmaja Chunduru, MD & CEO during a function held in Mumbai on 30.09.2019.



State Level Mega SHG Credit Campaign was organised by Tamil Nadu Grama Bank at Salem on 22nd July 2019. Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu Edappadi K Palaniswami distributed loans to the tune of Rs. 112 crore sanctioned by Tamil Nadu Grama Bank to 31406 beneficiaries comprising farmers, SHG members, rural artisans, small businessmen and traders. Ms. Padmaja Chunduru, MD & CEO highlighted the contribution of Tamil Nadu Grama Bank in the rural development of the State, particularly through SHG Credit-linkage.



Indian Bank being the anchor bank jointly organised Town Hall Meetings across the country along with Allahabad Bank. Ms. Padmaja Chunduru, MD & CEO, Indian Bank addressed the gathering during 5th Town Hall meeting held at Lucknow. The meeting was attended by a large number of customers of Indian Bank and Allahabad Bank along with the employees of both the Banks. Ms. Padmaja Chunduru highlighted that the pan-India merged entity will possess better synergies, which shall, with new improved products, process outreach and customer aligned services, be better equipped to position itself among larger banks of the emerging banking landscape. The gathering was also addressed by Shri. K. Ramachandran, Executive Director.

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS



पद्मजा चुन्दूरु
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
PADMAJA CHUNDURU
MANAGING DIRECTOR & CEO



एम. के. भट्टाचार्य
कार्यपालक निदेशक
M K BHATTACHARYA
EXECUTIVE DIRECTOR



शेणॉय विश्वनाथ वी
कार्यपालक निदेशक
SHENOY VISHWANATH V
EXECUTIVE DIRECTOR



संजीव कौशिक
SANJEEV KAUSHIK



एस.के.पाणिग्राही
S K PANIGRAHY



सलील कुमार झा
SALIL KUMAR JHA



पद्मनाभन विट्टल दास
PADMANABAN VITTAL DAS



विनोद कुमार नागर
VINOD KUMAR NAGAR



भरत कृष्ण शंकर
BHARATH KRISHNA SANKAR

मुख्य सतर्कता अधिकारी / CHIEF VIGILANCE OFFICER



श्री सुधाकर आर अय्यर / Sudhakar R Iyer

महाप्रबंधकगण / GENERAL MANAGERS



उदय भास्कर रेड्डी के
Udaya Bhaskara Reddy K



नागराजन एम
Nagarajan M



चेज़ियन एस
Chezhan S



वेंकटेशा पेरुमाल पी
Venkatesa Perumal P



कार्तिकेयन एम
Karthikeyan M



चंद्रा रेड्डी के
Chandra Reddy K



रेंगराजन एस
Rengarajan S



देवराज डी
Devaraj D



कृष्णन पी ए
Krishnan P A



संदीप कुमार गुप्ता
Sandeep Kumar Gupta



परेश चंद्र दाश
Paresh Chandra Dash



वी एस नारायण
Narayanan V S



ज़फिया फरीद
Zaphia Fareed



बत्तुला नागार्जुना
Bathula Nagarjuna



महेन्द्रा जी
Mahendra G



सुधाकर राव के एस
Sudhakar Rao K S



भारती सी
Bharathi C



महेश कुमार बजाज
Mahesh Kumar Bajaj



V. Krishnaswamy Iyer
Founder of Indian Bank

बैंक के निगमन से अब तक का संक्षिप्त इतिहास A BRIEF HISTORY OF THE BANK SINCE ITS INCORPORATION

1907

- 5 मार्च, 1907 को 20 लाख रुपए की प्राधिकृत पूंजी के साथ बैंक का निगमन किया गया तथा बैंक ने 15 अगस्त 1907 को अपना कारोबार शुरू किया।
- वर्ष 1907 में, इंडियन बैंक लिमिटेड के प्रतीक-चिन्ह के एक हिस्से में 'बरगद' वृक्ष की तस्वीर थी जोकि चहुँओर प्रगति, विकास (सुदूर व व्यापक) एवं लगातार बढ़ती समृद्धि का प्रतीक थी।
- **Bank was incorporated on March 5, 1907 with an Authorized Capital of ₹20 lakhs and commenced its business on August 15, 1907.**
- In the year 1907, the Indian Bank Ltd. had the tree 'Banyan' as a part of its emblem denoting an all around progress, growth (far and wide) and an ever increasing prosperity.

1921

- बैंक की पूंजी 20 लाख रुपए से बढ़कर 60 लाख रुपए हो गई।
- **Bank's capital was raised to ₹60 lakhs from ₹20 lakhs.**

1932

- बैंक ने अपनी रजत जयंती मनाई।
- बैंक ने विदेश में अपना प्रथम परिचालन कोलंबो में शुरू किया।
- **Bank celebrated its Silver Jubilee**
- Bank opened its first overseas operations in Colombo

1941

- सिंगापुर शाखा का उद्घाटन
- Singapore branch was opened

1952

- वर्ष 1952 के अंत में बैंक ने जमाओं में 20 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया
- **Bank's deposits crossed ₹20 crore at the end of 1952.**

1957

- बैंक ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई।
- Bank celebrated its Golden Jubilee

1967

- बैंक ने अपनी हीरक जयंती मनाई।
- **Bank celebrated its Diamond Jubilee**

1970

- बैंक का प्रधान कार्यालय जोकि एक किराए की इमारत में चल रहा था, वह नई इमारत में स्थानांतरित हुआ।
- Bank's Head Office housed in a rental building, moved into the new building.

1978

- जुलाई 1978 में इंडियन बैंक के लोगो को स्वीकृति मिली जिसमें तीन सर्किल करने वाले तीर एक केंद्र बिन्दु को घेरे हुए थे।
- Indian Bank's logo was approved in July 1978 comprising of three circling arrows arranged around a central point.

1980

- बैंक ने जमाओं में 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया।
- **Bank's deposit crossed ₹1000 crore.**

1982

- बैंक ने अपनी प्लैटिनम जयंती मनाई।
- **Bank celebrated its Platinum Jubilee.**

1983

- बैंक ने ऋण में 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया।
- **Bank crossed its ₹1000 crore mark in credit.**

1985

- वैश्विक जमाओं ने 3000 करोड़ का आंकड़ा पार किया।
- **Global Deposit crossed the ₹ 3000 crore mark.**

1986

- वैश्विक ऋण रु. 2000 करोड़ को पार कर गया।
- **Global credit crossed ₹ 2000 crore.**

1989

- हेड ऑफिस में मेनफ्रेम की स्थापना के साथ प्रौद्योगिकी का युग शुरु हुआ।
- The era of technology initiated with the installation of Mainframe at the Head Office.
- इंडियन बैंक एटीएम स्थापित करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक था।
- Indian Bank was the first Public Sector Bank to install ATM.

1990

- बैंक ऑफ थंजावुर लिमिटेड (बीओटी) की 157 शाखाओं को बैंक में समामेलित किया गया।
- Bank of Thanjavur Ltd. (BoT) with 157 branches was amalgamated with the Bank.

1993

- पहली पूर्ण कम्प्यूटरीकरण परियोजना का उद्घाटन किया गया।
- The first total branch computerization project was inaugurated.

1999

- बैंक की घरेलू जमाओं ने वर्ष के दौरान रु.15000 करोड़ का आंकड़ा पार किया।
- **Bank's domestic deposits crossed the ₹15000 crore mark during the year.**
- मार्च 1999 के दौरान भारत सरकार ने 100 करोड़ की राशि को अतिरिक्त पूंजी के रूप में दिया।
- Government of India infused a sum of ₹100 crore during March 1999 as additional capital.

2002

- बैंक ने 6 साल के अंतराल के बाद वर्ष के दौरान 33.22 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया।
- Bank turned around by earning a net profit of ₹33.22 crore during the year after a gap of 6 years.
- बैंक ने लगभग 399% की वृद्धि के साथ 307.15 करोड़ रुपए का परिचालन लाभ दर्शाया।
- Bank posted an operating profit of ₹307.15 crore, with an increase of nearly 399%.

2006

- बैंक के शताब्दी समारोह का उद्घाटन 4 सितंबर को भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री ए पी जे अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था।
- The centenary year celebration of the Bank was inaugurated by His Excellency the President of India Shri. AP J Abdul Kalam on 4th September.

2007

- फरवरी, 2007 में बैंक ने आरंभिक सार्वजनिक ऑफर किया।
- Bank went in for Initial Public Offer in February, 2007.

2008

- मार्च 2008 में बैंक का व्यवसाय रु. 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर गया।
- बैंक ने 100 प्रतिशत कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस (सीबीएस) की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य हासिल किया।
- Bank's business crossed the ₹1 lakh crore mark in March 2008.
- Achieved 100 per cent Core Banking Solutions (CBS) compliant

2011

- 21 जनवरी, 2011 को जाफना शाखा खोली गई।
- Jaffna branch was opened on January 21, 2011.

2012

- रायपेट्टा में नए हाई-टेक कॉर्पोरेट कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इसे चेन्नै का लैंडमार्क माना जाता है।
- बैंक का कारोबार रुपये 2 लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया।
- Inauguration of new Hi-Tech Corporate Office, at Royapettah which is considered a landmark in Chennai.
- Bank crossed the ₹ 2 lakh crore mark in business.

2013

- बैंक के शाखा नेटवर्क ने 2000 का आंकड़ा पार किया।
- भारत के सार्वजनिक बैंकों के बीच आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला कॉर्पोरेट कार्यालय भवन।
- Bank crossed the 2000 mark in branch network.
- First Corporate Office building among PSBs in India to get the ISO 9001:2008 Certification

2015

- जून 2015 में बैंक के कारोबार ने रुपए 3 लाख करोड़ के माइलस्टोन को पार कर लिया।
- Bank's business crossed milestone of ₹3 lakh crore in June 2015.

2018

- बैंक एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक था जिसे भारत सरकार से पूंजी प्राप्त नहीं हुई थी।
- Bank was the only PSB which had not received capital from Govt of India.

2019

- दिसंबर 2019 में बैंक का कारोबार रु. 4.5 लाख करोड़ को पार कर गया।
- बैंक के पल्लवन ग्रामा बैंक में, इण्डियन ओवरसीज बैंक के पांडयन बैंक के सफल समामेलन के बाद 'तमिलनाडु ग्रामा बैंक' ने 1 अप्रैल 2019 को परिचालन आरंभ किया।
- भारत सरकार ने 155 वर्षों की विरासत वाले इलाहाबाद बैंक के इंडियन बैंक में समामेलन की घोषणा की।
- वैश्विक महामारी कोविड - 19 : आपदा के समय में कोविड इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट प्रारंभ करने वाली प्रथम बैंक।
- Bank's business crossed ₹4.5 lakh crore in December 2019.
- Tamil Nadu Grama Bank' commenced operations on 1st April 2019 after a successful amalgamation of Pandyan Grama Bank of Indian Overseas Bank with Bank's Pallavan Grama Bank.
- Government of India announced Amalgamation of Allahabad Bank – a bank with 155 years legacy into Indian Bank.
- Covid -19 pandemic: 1st Bank to launch Covid Emergency line of credit to support the Economy in times of distress.

कॉर्पोरेट कार्यालय : 254-260, अद्वै षण्मुगम सालै
चेन्नै - 600 014

वार्षिक रिपोर्ट

विषयवस्तु

	पृष्ठ सं.
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश	1
निदेशकों की रिपोर्ट	9
प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण	11
कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट	56
कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	79
वित्तीय विवरण – इंडियन बैंक	
● तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियाँ	81
● मुख्य लेखाकरण नीतियां	93
● लेखों पर टिप्पणियां	98
● लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	128
समेकित वित्तीय विवरण	
● तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियाँ	132
● मुख्य लेखाकरण नीतियां	140
● लेखों पर टिप्पणियां	147
● लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	161
अतिरिक्त प्रकटीकरण	164

इंडियन बैंक
निवेशक सेवाएं कक्ष
संख्या. 254-260, अद्वै षण्मुगम सालै
रायपेट्टा
चेन्नै – 600 014
दूरभाष सं 044 28134076; Fax No.044 28134075
ई-मेल : investors@indianbank.co.in

शेयर अंतरण एजेंट
केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड
यूनिट : इंडियन बैंक
सुब्रमणियन बिल्डिंग, 1, क्लब हाउस रोड
चेन्नै – 600 002
दूरभाष सं. 044 28460718; फ़ैक्स सं. 044 28460129
ई-मेल : investor@cameoindia.com

**Corporate Office : 254-260, Avvai Shanmugam Salai
Chennai - 600 014**

Annual Report 2019-20

CONTENTS

Page No.	
	MD & CEO's Message 1
	Directors' Report 201
	Management Discussion and Analysis 203
	Report on Corporate Governance 248
	Auditors' Certificate on Corporate Governance 270
	Financial Statements – Indian Bank
	● Balance Sheet, Profit and Loss Account and Schedules 271
	● Significant Accounting Policies 283
	● Notes on Accounts 288
	● Auditors' Report 318
	Consolidated Financial Statements
	● Balance Sheet, Profit and Loss Account and Schedules 321
	● Significant Accounting Policies 330
	● Notes on Accounts 337
	● Auditors' Report 351
	Additional Disclosures 354

Indian Bank

Investor Services Cell

No.254-260, Avvai Shanmugam Salai

Royapettah

Chennai - 600 014

Tel No. 044 28134076; Fax No. 044 28134075

E – Mail : investors@indianbank.co.in

Share Transfer Agent

Cameo Corporate Services Limited

Unit : Indian Bank

Subramanian Building, 1, Club House Road

Chennai - 600 002

Tel No. 044 28460718; Fax No. 044 28460129

E – Mail : investor@cameoindia.com

कॉर्पोरेट कार्यालय : 254 - 260 अन्वै शण्मुगम सालै
Corporate Office : 254-260, Avvai Shanmugam Salai
 चेन्नै Chennai - 600 014

वार्षिक रिपोर्ट **Annual Report 2019-20**
 निष्पादन की प्रमुख बातें **PERFORMANCE HIGHLIGHTS**

(₹ करोड़ों में) (₹ in crore)

विवरण Particulars	31-03-16	31-03-17	31-03-18	31-03-19	31-03-20
कुल व्यापार Total Business	310918	314654	371020	429972	466116
जमाएं (ग्लोबल) Deposits (Global)	178286	182509	208294	242076	260226
अग्रिम (ग्लोबल) Advances (Global)	132632	132145	162726	187896	205890
निवेश (सकल) Investments (Gross)	53418	67956	71232	66117	82622
ब्याज आय Interest Income	16244	16040	17113	19185	21405
गैर ब्याज आय Non Interest Income	1781	2211	2406	1883	3312
कुल आय Total Income	18025	18251	19519	21068	24717
ब्याज व्यय Interest Expenses	11798	10894	10850	12167	13798
परिचालनगत व्यय Operating Expenses	3195	3356	3668	4020	4421
कुल व्यय Total Expenditure	14993	14250	14518	16187	18219
परिचालनगत लाभ Operating Profit	3032	4001	5001	4881	6498
निवल लाभ Net Profit	711	1406	1259	322	753
जमाओं की लागत (%) Cost of Deposits (%)	6.76	6.03	5.40	5.28	5.34
अग्रिमों पर प्रतिफल (%) Yield on Advances (%)	9.63	9.17	8.50	8.45	8.46
निवल ब्याज मार्जिन (%) Net Interest Margin (%)	2.33	2.59	2.90	2.96	2.87
आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Assets (%)	0.36	0.67	0.53	0.12	0.26
ईक्विटी शेयर पूंजी Equity Share Capital	480	480	480	480	609
रिज़र्व एवं अधिशेष (पुनर्मूल्यन रिज़र्व को छोड़कर) Reserves & Surplus (excluding Revaluation Reserve)	12998	13981	15347	15813	18493
निवल संपत्ति Net Worth	13478	14461	15827	15785	18357
सकल एनपीए (%) Gross NPA (%)	6.66	7.47	7.37	7.11	6.87
निवल एनपीए (%) Net NPA (%)	4.20	4.39	3.81	3.75	3.13
पूंजी पर्याप्तता अनुपात Capital Adequacy Ratio					
- बेसल II - Basel II	13.67				
- बेसल III - Basel III	13.20	13.64	12.55	13.21	14.12
प्रति शेयर अर्जन (₹) Earnings Per Share (₹)	14.81	29.27	26.21	6.70	14.33
प्रति शेयर बही मूल्य (₹) Book Value per Share (₹)	280.63	301.10	329.53	328.64	301.53
प्रति ईक्विटी शेयर लाभांश (₹) Dividend per Equity Share (₹)	1.50	6.00	---	--	--
शाखाओं की संख्या (नंबर) No. of branches (Nos.)	2565	2682	2823	2875	2890
कर्मचारियों की संख्या (नंबर) No. of employees (Nos.)	20140	20924	19843	19604	18758
प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ लाखों में) Business per employee (₹ in lacs)	1531	1488	1856	2174	2462



एमडी एवं सीईओ का संदेश *MD & CEO's Message*

पद्मजा चुन्दूरु
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

PADMAJA CHUNDURU
MANAGING DIRECTOR & CEO

प्रिय शेयरधारको,

मुझे व्यक्तिगत रूप से एवं बैंक के निदेशक मंडल एवं कर्मचारियों की ओर से वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक के निष्पादन पर प्रकाश डालते हुए एवं आप सबका स्वागत करते हुए, अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, वार्षिक रिपोर्ट में आपके बैंक की उपलब्धियों और पहलों का विवरण दिया गया है। इस अवसर पर, मैं आपके निरंतर समर्थन और निष्ठा के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ।

इससे पहले कि मैं आपके बैंक के निष्पादन पर प्रकाश डालूँ, मैं संक्षेप में बृहत-आर्थिक परिदृश्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी।

आर्थिक विवरण

विश्व अर्थव्यवस्था:

- वर्ष 2018 में 3.6% की तुलना में 2019 में वैश्विक आर्थिक विकास 2.9% के निम्न स्तर पर रहा। भू-राजनीतिक तनावों ने विकसित अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया, जिससे वैश्विक व्यापार और बाहरी मांग में मंदी रही। हालांकि, वैश्विक व्यापार और आपूर्ति माध्यमों की अनिश्चितता से विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अधिक प्रभावित हुईं। अमेरिका और चीन के व्यापार युद्ध और राष्ट्रवाद की ओर बढ़ने से अस्पष्ट नीतिगत परिवर्तन के कारण, धन और निर्यात के लिए विदेशी निवेशों पर निर्भर रहने वाले उभरते हुए बाजार प्रभावित हुए हैं। चीन, जो विश्व विकास का इंजन बन गया है वर्ष 2019 में 6.1% की तुलना में 2020 की पहली तिमाही में अपनी वृद्धि को 1.5% तक कम होते हुए देख रहा है।
- वैश्विक महामारी, कोविड-19 ने, वर्ष 2020 में वैश्विक आर्थिक गतिविधियों को बुरी तरह प्रभावित किया है। वसूली की अनिश्चितता बहुत अधिक बढ़ गई है, क्योंकि दुनियाभर में अर्थव्यवस्थाओं को लगातार लॉकडाउन और सामाजिक दूरी बनाए रखने का सामना करना पड़ रहा है, जिसने आपूर्ति की क्षमता और उत्पादकता को प्रभावित किया है। हालांकि, विकास की कुछ उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्थाएं धीरे-धीरे फिर से खुल रही हैं। वैश्विक स्तर पर, राजकोषीय और वित्तीय क्षेत्र के नीतिगत उपायों ने आर्थिक क्षति को सीमित कर दिया है। दुनिया भर में, केंद्रीय बैंकों ने तरलता प्रदान करने और

Dear Shareholders,

It gives me immense pleasure, in welcoming you on my personal behalf and on behalf of Board of Directors and employees of the Bank, to place the highlights of your Bank's performance during FY 2019-20. The Annual Report for the Financial Year ended 31st March 2020 details the progress made and initiatives taken by your Bank. On this occasion, I would like to thank each one of you for your continued support and loyalty.

Before I proceed to present the performance highlights of your Bank, let me briefly dwell upon the macro-economic scenario.

ECONOMIC OVERVIEW

Global Economy:

- Global economic growth remained muted at 2.9% in 2019 compared to 3.6% in 2018. While slowing global trade and external demand combined with geopolitical tensions affected developed economies, the developing economies were more hit by the uncertainty over global trade and supply chains. The US-China trade wars and ambiguity around policy changes veering towards nationalism, hit emerging markets dependent on Foreign Investments and exports for growth. China which has been the engine of world growth, is seeing its growth sliding to 1.5% in the first quarter of 2020 compared to 6.1% in 2019.
- The COVID-19 pandemic has severely impacted the global economic activity in 2020. There is a high degree of uncertainty on the recovery as economies world over face persistent lockdown and social distancing which has affected the supply potential and productivity. However, bright spots are visible as economies have gradually reopened. Globally, fiscal and financial sector policy measures taken have limited the economic

निवेशकों का विश्वास बनाए रखने के लिए नीतिगत दरों में कटौती की है और अन्य दूरगामी कदम उठाए हैं। हालांकि, वित्तीय वर्ष 21 में, विकास के मोर्चे पर मंदी की संभावना के मद्देनजर विश्व अर्थव्यवस्था के विकास का पूर्वानुमान बहुत ही अस्पष्ट है।

भारतीय अर्थव्यवस्था:

- वित्तीय वर्ष 2020 में भारत की विकास दर में 4.2% तक की गिरावट आयी जो कि तीसरी तिमाही के दौरान दिखाई दे रही थी और चतुर्थ तिमाही में भी वैश्विक महामारी के कारण तेजी से गिर रही है। वर्ष 2020 की शुरुआत में, पश्चिमी जगत में घोषित किए गए लॉकडाउन ने व्यापार सौदों और निवेश निर्णयों को स्थगित / रद्द करवा दिया।
- भारत सरकार ने 25 मार्च 2020 से देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की, जो जून के अंत तक बढ़ाई गई और कई प्रमुख शहरों में यह अभी भी विभिन्न स्तरों पर जारी है। विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक क्षेत्र में चले गए हैं। वित्तीय वर्ष 20 की चतुर्थ तिमाही में भी निजी उपभोग और निवेश में तेज गिरावट देखी गई है। केवल सरकारी खर्चों में समग्र आर्थिक उत्पादन का प्रसार देखा गया है।
- तरलता का समावेश करने, अस्थिरता बनाए रखने एवं दरों में कटौती कर कारोबार में कीमतों को नीचे लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए तत्कालीन उपायों के वांछित प्रभाव पड़े।
- भारत सरकार ने भी विविध मददगार उपायों की घोषणा की है जोकि विशेष तौर पर अत्याधिक जरूरतमन्द क्षेत्रों अर्थात एमएसएमई, एनबीएफसी, कृषि, प्रवासी मजदूरों, अकुशल, बेरोजगार आदि के लिए हैं।
- तेल की कीमतों में कमी हमारे लिए आशा की किरण बनी जिसने भारत को देश के बाहर संतुलन बनाने में मदद की है।
- भारत में, बिजली की खपत में लगातार वृद्धि, उर्वरक की बिक्री में वृद्धि, निर्यात में मामूली सुधार, उच्च खरीफ फसल की पैदावार एवं उत्पादन में तेजी तथा दोपहिया वाहनों की मांग आदि प्रगति के कुछ संकेत हैं। देश के श्रम बाजार का तेजी से उबरना भी इस बात की पुष्टि करता है कि भारत सुधार की राह पर है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, एक्सटेंडेड लॉकडाउन के मद्देनजर वित्तीय वर्ष 2021 की प्रथम तिमाही में कृषि के अलावा अन्य आर्थिक गतिविधियों में गिरावट की संभावना है। लॉकडाउन में ढील देने के बाद भी, वित्तीय वर्ष 2021 की द्वितीय तिमाही में सामाजिक दूरी के उपायों और श्रम की अस्थायी कमी के कारण आर्थिक गतिविधि कम रहेगी। वित्तीय वर्ष 2021 की तृतीय तिमाही में आर्थिक गतिविधि में सुधार शुरू होने की उम्मीद है और वित्तीय वर्ष 2021 की चतुर्थ तिमाही में गति प्राप्त कर सकती हैं।

damage. Across the globe, Central banks have cut policy rates and taken other far-reaching steps to provide liquidity and to maintain investor confidence. On the growth front, the prognosis for global growth remains very bleak with world economy expected to go into a recession in FY21.

Indian Economy:

- India's GDP growth declined to 4.2% in FY 2020 with the growth momentum that was visible during Q3 and early Q4 dissipating quickly under the shadow of the global pandemic. The lockdowns announced in the Western world in early 2020 led to deferment / cancellation of trade deals and investment decisions.
- Government of India announced a countrywide lockdown from 25th March 2020 which extended up to June end and in many major cities it still continues with different degrees of severity. Manufacturing and construction sectors went into negative territory. Private consumption and investments also saw a sharp decline in Q4 FY 20. Only Government expenditure was seen propelling overall economic output.
- The immediate measures taken by RBI to infuse liquidity, contain volatility and bring down costs for businesses through rate cuts had the desired effect.
- Government of India has also announced various supportive measures especially for the most needy sectors viz., MSMEs, NBFCs, Agriculture, Migrant labours, unskilled, unemployed etc.
- The silver lining is the low oil prices which has helped India manage its external balance.
- In India, steady rise in electricity consumption, an increase in fertilizer sales, a slight recovery in exports, higher kharif crop acreage and a pick-up in the production of and demand for two-wheelers are some encouraging signs. Sharp uptick in the country's labour market also substantiates that India is on the path of recovery.
- According to RBI, economic activity other than agriculture is likely to remain depressed in Q1FY21 in view of the extended lockdown. Even after easing of the lockdown, economic activity in Q2FY21 may remain subdued due to social distancing measures and the temporary shortage of labour. Recovery in economic activity is expected to begin in Q3FY21 and may gain momentum in Q4FY21.

- वर्तमान में भी निरन्तर जारी देशव्यापी महामारी की पृष्ठभूमि के होते हुए भी हमें यह आशा है कि इस महामारी के साथ जीवन जीने के अभ्यस्त होते हुए एवं इसे कुशलता से व्यवस्थित करते हुए सभी देश एक साथ इसके लिए टीका व इलाज की खोज कर इस अप्रत्याशित आर्थिक व मानवीय आपदा से उबर सकते हैं।

बैंकिंग सेक्टर 2019-20

वर्ष 2019-20 के दौरान, आर्थिक मंदी एवं वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में कोविड-19 महामारी ने बैंकिंग क्षेत्र को प्रभावित किया। पिछली कुछ तिमाहियों के दौरान एससीबी ने जमा दरों में लगातार गिरावट होने के बावजूद भी जमाओं में लगातार वृद्धि देखी गई। सिस्टम में पर्याप्त तरलता और उधार दर में गिरावट के बावजूद निवेश उद्देश्यों के लिए धन की मांग अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंची, परिणामस्वरूप बैंक के ऋण वर्धन में मंदी आई। मार्च 2020 में एससीबी जमा वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष 9.5 प्रतिशत पर थी जोकि पिछले वर्ष की समान अवधि में 6.4 प्रतिशत की ऋण वृद्धि से अधिक थी।

वित्तीय वर्ष 2020 की चौथी तिमाही के अंत में समग्र बचत जमा में वृद्धि के चलते एससीबी का कासा अनुपात 42.1 प्रतिशत रहा। कुल जमा राशि में बचत जमा राशि का 32.9 प्रतिशत है, जबकि चालू जमा का 9.2 प्रतिशत है।

इंडियन बैंक: 2019-20 के दौरान प्रमुख कार्यक्रम

आरआरबी का समामेलन

'तमिलनाडु ग्रामा बैंक' तमिलनाडु राज्य का एक अनन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जिसका गठन हमारे बैंक के 'पल्लवन ग्रामा बैंक' के साथ इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा प्रायोजित 'पांड्यन ग्रामा बैंक' के समामेलन के साथ हुआ एवं जिसका परिचालन 1 अप्रैल, 2019 से प्रारम्भ हुआ। यह परिवर्तन सफल रहा तथा तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 22 जुलाई, 2019 को सेलम में एक विशेष राज्य स्तरीय ऋण अभियान का उद्घाटन किया गया। 1 अप्रैल 2019 के अनुसार समामेलित संस्था की 630 शाखाएँ एवं रूपए 22,500 करोड़ से अधिक का कारोबार है जोकि 31.03.2020 को बढ़कर रूपए 24749 करोड़ हो गया।

कोविड-19 की चुनौतियाँ

- विश्व भर में फैले कोविड-19 के प्रकोप के बीच एक जिम्मेदार नियोक्ता के तौर पर आपके बैंक ने बैंक के स्टाफ की सुरक्षा तथा सुरक्षात्मक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई एवं साफ सफाई संबंधी सभी आवश्यक प्रोटोकॉल लागू किए गए। कारोबार प्रतिनिधि बैंक के अतिरिक्त सहायक हस्त हैं, इन्हें भी विशेष भत्ता, बीमा व पीपीई उपलब्ध कराए गए। बैंक ने यह सुनिश्चित किया की इस दौरान 90 प्रतिशत शाखाएँ एवं 92 प्रतिशत एटीएम कार्यशील रहें। इस आपातकालीन स्थिति के दौरान आपके बैंक ने शाखाओं एवं एटीएम की निर्बाध कार्यशीलता जारी रखते हुए कारोबार निरंतरता योजना(बीसीपी) एवं घर से काम किए जाने (डबल्यूएफएच) को भी सुनिश्चित किया।

- Given the backdrop of a still unabated pandemic, the hope is that of a vaccine and a cure being found, together with countries learning to live with and manage the pandemic as efficiently as they can to tide through this unprecedented economic and human crisis.

Banking sector 2019-20

During the FY 2019-20, the economic slowdown and the COVID-19 pandemic in Q4 FY20 impacted the banking sector. SCBs witnessed a consistent growth in deposits over the last few quarters even in a declining deposit rate scenario. Despite sufficient liquidity in the system and falling lending rate scenario, the demand for funds for investment purposes did not pick up to the expected level leading to slowdown in bank credit growth. SCBs deposit growth stood at 9.5% Y-o-Y in Mar'20 which was higher than the credit growth of 6.4% in the same period.

The CASA ratio for SCBs stood at 42.1% on account of growth in the overall savings deposit, at the end of Q4FY20. The savings deposit accounts for 32.9% share in the total deposits while current deposits accounts for 9.2%.

Indian Bank: Major events during 2019-20

Amalgamation of RRBs

'TamilNadu Grama Bank' an exclusive Regional Rural Bank for the State of Tamilnadu, formed with the amalgamation of 'Pandya Grama Bank' sponsored by Indian Overseas Bank with Bank's 'Pallava Grama Bank' commenced operations from 1st April 2019. The transition was successful. On 22nd July 2019, the Hon'ble Chief Minister of Tamilnadu inaugurated a special state level mega credit campaign in Salem, organised by Tamilnadu Grama Bank. Merged entity has 630 branches and business of ₹24749 Cr as on 31.03.2020.

COVID-19 challenge

- As the Covid 19 pandemic panned out, your Bank as a responsible employer took all safeguards to ensure staff security and provided with all protective equipment and necessary sanitisation protocols are put in place across the Bank. The Business Correspondents who form an extended arm of the Bank have also been taken care of through special allowance, insurance and provision of PPEs. The Bank ensured that 90% of branches and 92% of ATMs remained functioning through the period. Elaborate Business Continuity Plan (BCP) and Work From Home (WFH) were ensured by your Bank during this pandemic situation enabling smooth functioning of Branches and ATMs.

- आपका बैंक सभी ग्राहकों को, चाहे वह कॉर्पोरेट्स, एमएसएमई, कृषक, एसएचजी, पेंशनर आदि हों, हेतु कोविड आपातकालीन ऋण लॉन्च करने वाला पहला बैंक था। जिसके लिए बैंक को सराहा गया। इन योजनाओं के तहत समग्र संवितरण रु.1374 करोड़ की गई है। आपका बैंक एमएसएमई, एनबीएफसी इत्यादि सभी सरकारी उपायों में भी सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।
- भारतीय रिजर्व के मानदंडों के अनुसार बैंक के सभी उधारकर्ताओं को अधिस्थगन अधि की पेशकश की गई है तथा यह देखा गया है कि एमएसएमई क्षेत्र और खुदरा गृह ऋण उधारकर्ताओं के बीच स्व-नियोजित वर्ग द्वारा इसका लाभ लिया गया है। टेस्टिंग टाइम के दौरान उन उधारकर्ताओं के साथ आउटरीच और संपर्क से यह सुनिश्चित किया है कि जिनके पास भुगतान करने के साधन हैं जिससे वे चुकौती अधि का पालन कर रहे हैं।

इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का समामेलन

वर्ष 2019-20 इंडियन बैंक के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इस वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समामेलन में बैंक की पहचान एक एंकर बैंक के रूप में हुई। सरकार ने 30 अगस्त 2019 को इंडियन बैंक में 155 साल की विरासत वाला एक बैंक, इलाहाबाद बैंक की समामेलन की घोषणा की। दोनों बैंकों के ग्राहकों को अब "ट्वाइस एज गुड" बैंकिंग का अनुभव होगा। समामेलन के बाद, इंडियन बैंक को बड़ा तुलन पत्र, अनुकूलित पूंजी उपयोग और व्यापक भौगोलिक पहुंच का लाभ मिला है जिससे गहरी पैठ बनती है। बैंक के पास बड़े टैलेंट पूल, बेहतर उत्पाद और इसे क्रॉस विक्रय/उपविक्रय करने के अवसर हैं।

बैंक के पास बड़े टैलेंट पूल, बेहतर उत्पाद और इसे क्रॉस विक्रय/उपविक्रय करने के अवसर हैं। इससे बढ़ी हुई परिचालन और प्रक्रिया क्षमता का भी लाभ मिलेगा।

कस्टमर टच पॉइंट्स की भी बढ़ोतरी हुई है, जिसमें शाखाएँ 2890 से बढ़कर 6062 और कारोबार प्रतिनिधियों की संख्या 3022 से बढ़कर 9112 हो गई है।

वर्ष के दौरान, दो अलग-अलग संस्कृतियों को आत्मसात करने और विभिन्न उत्पादों / नीतियों और प्रक्रियाओं के सामंजस्य पर ध्यान देने के साथ समामेलन की प्रक्रिया शुरू की गई। सांस्कृतिक एकीकरण पर अधिक जोर दिया गया क्योंकि किसी भी संगठन के निर्माण एवं विकास के लिए मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण खंड है। इसलिए, क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए व्यापक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए। टाउन हॉल बैठकें आयोजित की गईं और कर्मचारियों तथा ग्राहकों से नियमित संचार किया गया। दोनों बैंकों के कर्मचारियों को अपने सुझाव/प्रतिक्रिया देने के लिए एक स्टाफ पोर्टल बनाया गया। इसी प्रकार, ग्राहकों को अपने सुझाव देने के लिए एक पोर्टल बनाया गया। दोनों बैंकों के अधिकारियों के लिए एक साथ नेतृत्व और कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए गए। अब बैंक समामेलन के पश्चात समंजस्य स्थापित करने की ओर अग्रसर है।

बैंक का निष्पादन – मार्च 2020 को समाप्त वर्ष

इस पृष्ठभूमि में प्रमुख मानकों पर बैंक के निष्पादन का स्नैपशॉट प्रस्तुत करना चाहेंगी:

- Your Bank was among the first to launch Covid Emergency loans for all customers - Corporates, MSMEs, Agriculturists, SHGs, Pensioners etc. These were well communicated and very well appreciated by them. The overall disbursement under these schemes is ₹1374 Cr. Your Bank is also actively participating in all Government measures to MSMEs, NBFCs etc.
- While moratorium has been offered to all borrowers as per RBI norms, it is observed that this has been used more by the MSME sector and self-employed retail housing loan borrowers. The outreach and communication with borrowers through the testing times has ensured that the borrowers having the means to pay have been adhering to the repayment schedule.

Amalgamation of Allahabad Bank into Indian Bank

The year 2019-20 was eventful for Indian Bank as the Bank was identified as the Anchor Bank in consolidation of PSBs. The Government on 30th August 2019 announced Amalgamation of Allahabad Bank- a bank with 155 years legacy into Indian Bank. Customers of both the banks will now have a banking experience that is "Twice as Good". Post amalgamation, Indian Bank enjoys the benefits of doubled balance sheet size, optimized capital utilization and wider geographic reach leading to deeper penetration.

The Bank has access to larger talent pool, better products and opportunities to cross sell / upsell. It would also leverage upon the increased operational and process efficiencies.

The customer Touch points made a quantum leap with Branches increasing from 2890 to 6062 and Business Correspondents increasing from 3022 to 9112.

During the year, the process of Amalgamation started with the focus on assimilation of the two different cultures and harmonization of various products/policies and processes. Cultural Integration *per se* was given added thrust as human resources are the critical building block of any organisation. Towards this, extensive outreach programs were organized for the field functionaries. Town hall meetings were conducted and regular communication to staff and customers were made. A Staff Portal was created for the employees of both the banks to put forth their suggestion / feedback. Similarly, a portal for suggestions from customers' was created. Leadership and Skill Development Programs were conducted for the executives of both the banks together. Now the Bank is poised to reap the synergies from the amalgamation.

बैंक का फुट प्रिंट :

आपके बैंक का नेटवर्क अखिल भारतीय स्तर पर 9968 टच पॉइंट्स के साथ विस्तारित है जिसमें 2887 वास्तविक शाखाएं एवं 4059 एटीएम / बीएनए तथा 3022 व्यवसाय प्रतिनिधि शामिल हैं, इनमें 407 शाखाएँ उन जिलों में स्थित हैं जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बहुत ही कम बैंकिंग सुविधा वाले जिलों के रूप में पहचाना गया है।

बैंक की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति सिंगापुर, श्रीलंका के कोलंबो एवं जाफना में है। ये दोनों केंद्र लाभ अर्जित करने वाले केंद्र हैं।

व्यापार :

बैंक का कारोबार 8% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ रु. 466116 करोड़ तक पहुंच कर रु. 4.5 ट्रिलियन को पार कर गया। जमाएं 7.5% की वृद्धि के साथ बढ़कर रु. 260226 करोड़ और अग्रिम 10% की वृद्धि के साथ बढ़कर रु. 205890 करोड़ हो गया। ऋण वृद्धि ने एएससीबी की वृद्धि दर 6.4% को पार कर लिया।

कासा में निरंतर वृद्धि :

35% की कुल जमा में कम लागत वाले चालू खाते और बचत खाते (कासा- देशी) जमाओं की हिस्सेदारी ने बैंक को 7% (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि दर्ज करने में सक्षम बनाया।

विविध ऋण बही :

रैम एवं कॉर्पोरेट :

ऋण बही में रैम सेक्टर के 61% (रु. 119533 करोड़) एवं कॉर्पोरेट सेक्टर की 39% (रु. 77948 करोड़) की हिस्सेदारी के साथ काफी विविधता रही। खुदरा (16%), कृषि (14%) और एमएसएमई (13%) में वृद्धि द्वारा संचालित सभी क्षेत्रों के विकास में वृद्धि व्यापक थी।

आय एवं लाभप्रदता :

- वित्त वर्ष 2020 के लिए, बैंक का ब्याज पर निवल आय में वर्ष दर वर्ष 8.38% की वृद्धि दर्ज की गयी जो रु. 7018 करोड़ से बढ़कर रु. 7606 करोड़ रहा।
- वित्त वर्ष 20 के लिए, परिचालन लाभ में 33% की वृद्धि दर्ज हुई, जो वित्त वर्ष 20 के लिए रु. 6498 करोड़ रहा।
- वित्त वर्ष 20 के लिए निवल लाभ वित्त वर्ष 19 की तुलना में वर्ष दर वर्ष की 134% अधिक वृद्धि के साथ रु. 753 करोड़ रहा।
- बैंक का देशी निवल ब्याज मार्जिन मार्च 20 के अनुसार 2.92% था।
- आपका बैंक आस्तियों पर 0.26% के प्रतिलाभ (आरओए) के साथ वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान लाभ दर्ज करने वाले कुछ एक पीएसबी में से एक है।
- उच्च आय वृद्धि और लागत पर नियंत्रण के साथ आय का अनुपात 468 बीपीएस के सुधार के साथ 45.17% (वित्त वर्ष 19) से घटकर 40.49% हो गया।

Bank's performance - YE March 2020

Against this backdrop, I would like to present a snapshot of the Bank's performance in key parameters

Bank's foot print:

Your bank has pan-India network with 9968 touch points including 2887 Brick and Mortar branches and 4059 ATMs / BNAs and 3022 Business Correspondents. 407 branches are in underbanked districts identified by the Reserve Bank of India.

Bank has international presence in Singapore and Colombo and **Jaffna** in Sri Lanka. Both these centres are Profit making.

Business:

Bank's business crossed ₹4.5 trillion to reach ₹466116 Cr with a Y-o-Y growth of 8%. Deposits grew by 7.5% to ₹260226 Cr and Advances by 10% to ₹205890 Cr. The credit growth surpassed the ASCB growth of 6.4%.

Sustained CASA:

The share of low-cost Current Account and Savings Account (CASA-Domestic) deposits in total deposits was maintained at 35% enabling the Bank to record a growth of 7% (Y-o-Y)

Diversified loan Book

RAM and Corporate:

Loan Book was well diversified with RAM Sector constituting 61% (₹119533 Cr) and Corporate sector 39% (₹77948 Cr). Growth in advances was broad based across all the sectors driven by growth in Retail (16%), Agriculture (14%) and MSME (13%).

Earnings and Profitability:

- Net Interest Income of the Bank for FY 20 recorded a Y-o-Y growth of 8.38% to ₹7606 Cr from ₹7018 Cr.
- Operating Profit registered a growth of 33%, touching ₹6498 Cr for FY 20.
- Net Profit for FY 20 was at ₹753 Cr with a Y-o-Y growth of 134% over FY 19.
- Domestic Net Interest Margin of the Bank was at 2.92% as on Mar. '20.
- Your Bank is one of the very few profit making PSBs during FY 2019-20 with Return on Assets (ROA) of 0.26%.

मजबूत पूंजी संरचना :

- बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात 10.875% की नियामक आवश्यकता की तुलना में 14.12% (वित्तीय वर्ष 19 : 13.21%) रहा ।
- टियर – 1 पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.08% (वित्तीय वर्ष 19: 11.29%) रहा ।
- जोखिम भारित आस्तियाँ रुपये 166684 करोड़ पर और ऋण जोखिम डेनसिटी 68 प्रतिशत पर बनाए रखा गया ।
- आवश्यकता पड़ने पर सभी प्रकार की पूंजी जुटाने के लिए हेडरूम भी उपलब्ध है ।

उन्नत परिसंपत्ति गुणवत्ता:

- रिकवरी हेतु गहन प्रयासों और सक्रिय ऋण निगरानी द्वारा वर्ष के दौरान सभी परिणामों में सकल एनपीए और नेट एनपीए दोनों में कमी आई है । 31 मार्च 2019 को सकल एनपीए और नेट एनपीए क्रमशः 7.11% एवं 3.75% से घटकर 6.87% एवं 3.13% हो गये । तनावग्रस्त संपत्ति अनुपात भी 31.03.2019 की तुलना में 8.50% से घटकर 31.03.2020 को 8.25% हो गया ।
- विगत वर्ष में प्रावधान कवरेज अनुपात 65.72% था, से बढ़कर 73.05% हो गया ।

प्राथमिक क्षेत्र :

प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम (रु. 72248 करोड़) प्रतिशत के रूप में समायोजित नेट बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) 40 प्रतिशत के विनियामक लक्ष्य के मुकाबले 46.57 प्रतिशत और कृषि उधार (रु. 31358 करोड़) 18 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले 20.38 प्रतिशत था ।

स्वयं सहायता समूहों को ऋण देने में अग्रणी:

बैंक ने केवल एक स्टॉप शॉप के रूप में स्वयं सहायता समूह की सेवा करने के लिए 39 विशेष माइक्रोसेट शाखाएं स्थापित की हैं। वित्त वर्ष 2020 के दौरान रु. 1149 करोड़ की राशि को माइक्रोसेट शाखाओं के माध्यम से 25348 स्वयं सहायता समूह तक बढ़ाया गया था। वित्तीय वर्ष के दौरान रु. 5195 करोड़ तक पहुंचने के लिए स्वयं सहायता क्रेडिट रु. 462 करोड़ से बढ़ाया गया ।

बैंक तमिलनाडु सरकार की ओर से लगातार 11 वर्षों से 'स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज प्रोग्राम में सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार' प्राप्त कर रहा है ।

वित्तीय समावेशन पहल:

इस वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय समावेशन के तहत बैंक का प्रदर्शन अनुकरणीय था जो निम्नलिखित उपलब्धियों में द्रष्टव्य है:

- योजना की शुरुआत के बाद से 40.13 लाख बीएसबीडी खाते खोले गए ।

- Cost to Income ratio reduced to 40.49% from 45.17% (FY 19) an improvement of 468 bps on the back of higher income growth and control over costs..

Robust capital structure:

- **Capital Adequacy Ratio** as per Basel III guidelines was at 14.12% (FY 19: 13.21%) as against regulatory requirement of 10.875%.
- **Tier-I CAR** was at 12.08% (FY 19: 11.29%).
- Risk weighted Assets were at **₹166684 Cr.** Credit risk density was maintained at **68%**.
- There is also headroom available for raising all forms of capital in case of need.

Improved Asset Quality:

- Intensive recovery efforts and proactive credit monitoring yielded results with both Gross NPA and Net NPA reducing during the year. Gross NPAs and Net NPAs reduced to 6.87% and 3.13% respectively from 7.11% and 3.75% respectively as on 31st March 2019. Stressed Assets Ratio too reduced from 8.50% as on 31.03.2019 to 8.25% as on 31.03.2020.
- The provision coverage ratio improved to 73.05% from 65.72% in the previous year.

Priority Sector:

- Priority Sector Advances (₹72248 Cr) as a percentage Adjusted Net Bank Credit (ANBC) was 46.57% as against regulatory target of 40% with Agriculture lending (₹31358.Cr) at 20.38% as against the target of 18%.

Forerunner in lending to SHGs;

The Bank has established 39 specialized Microsate branches to exclusively serve the SHGs as a one stop shop. During FY 20 credit amounting to ₹1149 Cr was extended to 25348 SHGs through the Microsate branches. SHG credit outstanding increased by ₹462 Cr during the financial year to reach ₹5195 Cr.

Bank has been bagging the Best Bank award for 11 consecutive years in "SHG Bank linkage Programme" from Govt of Tamil Nadu.

Financial Inclusion initiatives:

Bank's performance under financial inclusion during this financial year also was exemplary which is visible from the following achievements:

- प्रत्येक व्यवसाय संवाददाता (बीसी) के अनुसार किया गया औसत मासिक लेनदेन 1096 से अधिक है – लेन-देन की संख्या के मामले में यह इंडस्ट्री के सर्वश्रेष्ठ निष्पादनों में से एक है।
- योजना के शुभारंभ के बाद से पीएमजेबीवाई के तहत 10 लाख ग्राहक और पीएमएसबीवाई के तहत 24 लाख ग्राहक शामिल हैं।
- 2015 में योजना के शुरू होने के बाद से 8.12 लाख से अधिक एपीवाई उपभोक्ता है। एपीवाई के तहत दृढ़ता अनुपात 66 प्रतिशत है, जो उद्योग के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक है।

कोविड-19 में सीएसआर :

- इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक के कर्मचारियों ने मिलकर पीएम केयर फंड में रु. 8.10 करोड़ का योगदान दिया। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री राहत कोष में रु. 7.24 करोड़ का योगदान दिया गया ताकि कोविड से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने हेतु उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सहायता की जा सके।
- देश भर में, शाखाएं सक्रिय रूप से पुलिस/स्वस्थ कर्मियों/अस्पतालों आदि के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट और अन्य सुरक्षा सामग्रियों को दान करके सक्रिय रूप से उनके समर्थन में शामिल रहीं।

तकनीकी लीवरेजिंग

- डिजिटल चैनलों के जरिए लेन-देन में 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई गई। यह वृद्धि वित्तीय वर्ष 2019 के 29 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2020 में 45 प्रतिशत हुआ।
- बैंक ने अपने सभी एटीएम को 100 प्रतिशत अतिरिक्त सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इवीएम कार्ड के लिए सक्षम किया तथा होनेवाले कार्ड स्किमिंग की मात्रा को कम किया। संपूर्ण डेबिट कार्डों को इवीएम चिप कार्ड के लिए समर्थक बनाया।
- सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कारेक्कल जिला जो पॉडिचेरी केंद्रशासित प्रदेश के अधीन आता है, को 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण प्राप्त करने के लिए पायलेट जिले के रूप में चुना गया है।
- यूपीआई मोड के माध्यम से व्यापारियों को शुल्क एवं अन्य प्रभार कलेक्ट करने के लिए संबंधित संस्था/संस्थान के मोबाइल/वेब एप पर आधारित “यूपीआई कलेक्ट” नामक यूपीआई मोड बनाया गया है।

भविष्य की ओर

- इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक के समामेलन ने आपके बैंक को रु. 8.50 लाख करोड़ से अधिक के व्यापार, 43000 की मजबूत श्रमशक्ति तथा मजबूत कासा वाले 6000 से अधिक शाखा नेट-वर्क के साथ 7वें सबसे बड़े बैंक के रूप में स्थापित किया है। बैंक के लिए आगे की रणनीति लाभप्रदता पर ध्यान केंद्रित करने के साथ व्यापार के समेकन पर होगी।
- इस वर्ष में कासा को बढ़ाने, लागत घटाने, ब्याज से इतर राजस्व अर्जित करने, क्षतिग्रस्त आस्तियों के संबंध में वसूली में तेजी लाने और गैर-निष्पादक आस्तियों के स्तर को नियंत्रित करना हमारा मुख्य लक्ष्य होगा। इस नई

- 40.13 lakh BSBD accounts opened since inception of the scheme.
- Average monthly transaction done per each Business Correspondent (BCs) is more than 1096—One of the best in the Industry in terms of number of transactions.
- Enrolled 10 lakh customers under PMJJBY and 24 lakh customers under PMSBY customers since the launch of the scheme.
- Sourced more than 8.12 lakh APY subscribers since the launch of the scheme in 2015. Persistency ratio in APY is 66%, one of the best in the industry.

CSR for COVID-19:

- Employees of Indian Bank and Allahabad Bank joined together to contribute ₹8.10 Cr to PM CARES Fund. Further, ₹7.24 Cr was contributed to CM Relief fund of various States to aid their efforts in meeting the challenges arising out of Covid.
- Across the country, branches were actively involved in extending support, in the form of Personal Protective Equipment (PPE) kits and other safety accessories to Police/ Healthcare Workers, Hospitals, etc.

Leveraging Technology

- Transaction through Digital channels increased by 16% from 29% (FY 19) to 45% (FY 20)
- Bank enabled 100% of ATM's to accept EMV cards for additional security and reduced card skimming. 100% debit cards were migrated to EMV chip cards.
- As per Government guidelines, Karaikal District in UT of Puducherry has been identified as Pilot District for achieving 100% Digital enablement.
- A solution for the merchants for collection of payment for fees and other charges through UPI mode “UPI Collect” was integrated with the institution/ organization's mobile/web-based app.

Way forward

- The amalgamation of Allahabad Bank into Indian Bank has placed your Bank as the 7th largest Bank with more than ₹8.50 lakh Cr business, 43,000 strong workforce and over 6000 branch net-work with a strong CASA base. The future road map for the Bank will be on consolidation of business with focus on profitability.
- The prime focus this year would be on increasing CASA, curtailing cost, increasing revenue with focus

व्यवस्था में कोलकाता एवं चेन्नै से दो टीमों के साथ ऋण की निगरानी और वसूली के कामकाज से संबंधित नियंत्रण कार्यों को और भी अधिक सुदृढ़ बनाया गया है।

- कोविड 19 महामारी ने संपर्क रहित बैंकिंग के एक नए आयाम का निर्माण किया है। आपका बैंक कई नए उत्पादों के साथ डिजिटल बैंकिंग में अग्रणी रहा है। निम्नलिखित को आगे ले जाने पर जोर दिया जाएगा :
 - ❖ डिजिटल बैंकिंग की प्रक्रिया के साथ व्यापक सुदृढ़ सुरक्षा।
 - ❖ आपके बैंक के नेटवर्क के सभी भौगोलिक क्षेत्रों के लिए डिजिटल आउटरीच को मजबूत बनाया जाएगा।
 - ❖ डिजिटल बैंकिंग प्लेटफार्मों के अधिक से अधिक उपयोग के लिए सभी वर्गों के ग्राहकों को शिक्षित करना।
 - ❖ उपरोक्त भविष्य के परिप्रेक्ष्य में / दृष्टिकोण के साथ पूरे कार्यबल को फिर से दक्षता से संपन्न करना।
- आगे कहना चाहूंगी कि, चूंकि हमने संभावित समय में समामेलन को पूरा किया है, हमें विश्वास है कि हमारे ग्राहक / हितधारकों के समर्थन से आपका बैंक आने वाले वर्षों में मजबूत निष्पादन दर्ज करता रहेगा।

आमारोक्तियाँ

मैं, इस अवसर पर बोर्ड के सभी सदस्यों को वर्ष के दौरान दिए गए बहुमूल्य समर्थन, मार्गदर्शन तथा निविष्टियों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं इस अवसर पर हमारे विश्वस्त ग्राहकों द्वारा दिए गए पूर्ण समर्थन के लिए अपनी कृतज्ञता अर्पित करती हूँ तथा बैंक के समर्पित और निष्ठावान कार्मिकों को विक्षुब्ध बैंकिंग परिदृश्य में उनके अथक प्रयासों के लिए बधाई देना चाहती हूँ जिन्होंने सराहनीय कार्य किया है।

मैं उन सभी बहुमूल्य शेयरधारकों और स्टैक धारकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने बैंक के सभी प्रयासों में हमारा साथ दिया है।

हम आगे भी आप सबके समर्थन, सद्भाव तथा संरक्षण की आशा करते हैं।

शुभकामनाओं के साथ,

भवदीय

पद्मजा चुन्दूरु
एमडी एवं सीईओ

on fee income, accelerating recovery from impaired assets and containing the level of NPA. In the new setup the control functions have been strengthened with two set of teams for Credit Monitoring and Recovery functioning from Kolkata and Chennai.

- The COVID 19 pandemic has shaped a new normal of contactless banking. Your bank has been the forerunner in digital banking with many innovative products. Taking this forward added thrust will be on
 - ❖ Increasing the digital banking process with strongest security.
 - ❖ Digital outreach to be strengthened for all geographical areas of your Bank's network.
 - ❖ Educating all sections of customers for higher use of digital banking platforms.
 - ❖ Reskilling the entire workforce with the above future perspective/outlook.
- Going forward as we complete amalgamation in the quickest possible time, we are confident that with the support of our customer / stakeholders your bank will continue to record robust performance in the years to come.

Acknowledgement:

I would like to thank all members of the Board for their valuable support, guidance and inputs to the Management during the course of this year's journey. I would also like to acknowledge the unstinted support of our loyal customers and express my sincere appreciation for the untiring efforts of the dedicated and devoted work force of the Bank who performed exceedingly well in a turbulent banking environment.

I also wish to sincerely thank each one of our valuable shareholders and other stakeholders for their continued confidence and support to the bank in all its endeavors.

We would continue to look forward to your support, goodwill and patronage.

With best wishes,

Yours sincerely,

Padmaja Chunduru
MD & CEO

निदेशकों की रिपोर्ट 2019-20

सेवा में

सदस्यों को....

आपके निदेशकों को आपके बैंक के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षित लेखों का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अत्यधिक हर्ष हो रहा है।

वित्तीय मुख्य बातें

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आपके बैंक के निष्पादन की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं

ए) संसाधन जुटाना और अग्रिम

रु. करोड़ में

विवरण	31.03.20	31.03.19	वृद्धि %
देशी जमाएं	252792	235237	7.5
जिसमें से चालू	13059	12778	2.2
बचत	76525	70681	8.3
कासा	89584	83459	7.3
कासा मिश्रण	35.4	35.4	
विदेशी जमाएं	7434	6839	8.7
वैश्विक जमाएं	260226	242076	7.5
देशी अग्रिम(निवल)	189696	173820	9.1
विदेशी अग्रिम(निवल)	8191	7442	10.1
कुल अग्रिम(निवल)	197887	181262	9.2
कुल कारोबार	458113	423338	8.2
कुल आस्तियां	310052	281190	10.3

- देशी कासा में 7.3 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई और 35.4 प्रतिशत का कासा अनुपात बनाए रखा गया। कासा पोर्टफोलियो में वृद्धि के लिए बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में 21,56,586 नए कासा खाते खोले। वर्ष के दौरान ग्राहकों को ऑनलाइन बचत खाता खोलने की सुविधा प्रदान की गई और 31 मार्च 2020 तक 16,666 खाते खोले गए।
- मीयादी कोर जमाओं में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 13.1% की तुलना में इस वर्ष 22.9% की वृद्धि देखी गई। बड़ी जमाओं(पीडी एवं सीडी) पर निर्भरता विशेष रूप से कम हुई है और कुल जमाओं में उनका भाग पिछले वर्ष 11.7% की तुलना में इस वर्ष 4.3% रहा।
- 31.03.2020 तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिम की राशि रु.72,248 करोड़ रुपए थी। त्रैमासिक औसत समायोजित शुद्ध बैंक ऋण(एएनबीसी) के प्रतिशत के रूप में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र 40.00% के अनिवार्य लक्ष्य की तुलना में 43.42% रहे।
- कृषि ऋण (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र) रु.31,358 करोड़ रहे और त्रैमासिक औसत समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) के प्रतिशत के रूप में 18.00% के अनिवार्य लक्ष्य की तुलना में 18.84% रहे।
- पूँजी पर्याप्तता अनुपात(बेसल III) 31 मार्च 2019 को 13.21% की तुलना में, 31 मार्च 2020 को 14.12% था।

- सकल एनपीए 31 मार्च 2019 को 7.11% की तुलना में 31 मार्च 2020 को 6.87% रहा जबकि निवल एनपीए 31 मार्च 2020 को 3.75% की तुलना में 31 मार्च 2020 को 3.13% रहा।
- पिछले वर्ष 1,808 करोड़ रुपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 1,494 करोड़ रुपए की राशि की कुल वसूली की गई।
- भारत में बैंक का कुल देशी शाखा नेटवर्क 31.03.2019 को 2872 से बढ़कर 31.03.2020 को 2887 हो गया। इसके अलावा बैंक की 3 ओवरसीज शाखाएं हैं, जो बैंक के कुल शाखा नेटवर्क को 2890 तक पहुंचाया है।
- 31.03.2019 में एटीएम एवं बीएनए की संख्या से 3892 बढ़कर 31.03.2020 को यह संख्या 4149 हो गई, जिसमें 695 ऑफसाइट एटीएम बीएनए व 6 मोबाइल एटीएम शामिल हैं।
- 31.03.2019 तक 716 स्थानों पर पासबुक कियोस्क स्थापित किए गए।

विवरण	31.03.20	31.03.19	वृद्धि %
अर्जित ब्याज	21405	19185	11.6
व्यय की गई ब्याज	13799	12167	13.4
निवल ब्याज आय (एनआईआई)	7606	7018	8.4
अन्य आय	3313	1883	75.9
जिसमें से - शुल्क आय	1357	1185	14.5
निवेश के विक्रय पर लाभ	880	175	402.9
डूबंत कर्ज की वसूली	261	158	65.2
परिचालन राजस्व (एनआईआई + अन्य आय)	10919	8901	22.7
परिचालन व्यय	4421	4020	10
जिसमें से कर्मचारी व्यय	2473	2223	11.2
अन्य परिचालनगत व्यय	1948	1797	8.4
परिचालनगत लाभ	6498	4881	33.1
प्रावधान	5745	4559	26
जिसमें से एनपीए के लिए प्रावधान	4336	3658	18.5
मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान	143	-6	xxx
कर के लिए प्रावधान	619	-38	xxx
निवल लाभ	753	322	133.9

आय एवं व्यय

- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, रु.21,405 करोड़ की ब्याज आय एवं रु.3,313 करोड़ की अन्य आय सहित बैंक की कुल आय 17.3% से बढ़कर रु.24,718 करोड़ हो गई।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, बैंक के कुल व्यय 12.6% बढ़कर रु.16,187 करोड़ रुपए से रु.18,219 करोड़ रुपए हो गया है।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 को कुल संचालन व्यय रु.4,020 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए यह रु.4,421 करोड़ रहे।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु.4,881 करोड़ से बढ़कर निवल परिचालन साथ रु.6,498 करोड़ हो गया।
- निवल लाभ वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु.322 करोड़ रुपए की तुलना में रु.753 करोड़ रुपए रहा।

2019-20 के लिए महत्वपूर्ण अनुपात निम्नानुसार हैं:-

(प्रतिशत में)

मापदंड	2019-20	2018-19
अग्रिमों पर प्रतिलाभ	8.46	8.45
जमाओं की लागत	5.34	5.28
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.26	0.12
लागत-आय अनुपात	40.49	45.17
प्रति कर्मचारी औसत कारोबार (₹लाखों में)	2286.76	1917.96
प्रति कर्मचारी लाभ (₹लाखों में)	4.02	1.64

निवल मालियत एवं सीआरएआर

बैंक की निवल मालियत 31.03.2019 को ₹.15754 करोड़ की अपेक्षा 31.03.2020 को ₹.18357 रही

बेसल III मानकों के अनुसार, मार्च 2019 को जोखिम भारित संपत्ति अनुपात(सीआरएआर) पूंजी मार्च 2019 में 13.21% और 10.875%की आवश्यकता की तुलना में मार्च 2020 में यह 14.12 % रहा। मार्च 2019 के सीईटी-1 10.96% और 7.375% की न्यूनतम आवश्यकता की तुलना में मार्च 2020 में यह 11.78% रहा। मार्च 2019 को 11.29% टीयर-1 पूंजी सीआरएआर की तुलना में मार्च 2020 में यह 12.08% रही।

(प्रतिशत में)

बेसल III	निम्न तारीख को	
	मार्च 2020	मार्च 2019
सीईटी - I	11.78	10.96
टियर I - पूंजी	12.08	11.29
टियर II - पूंजी	2.04	1.92
कुल	14.12	13.21

भर्ती / प्रशिक्षण

- सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सीधी भर्ती और आंतरिक पदोन्नति की प्रक्रिया के दौरान, अजा /अजजा कर्मचारियों को भर्ती पूर्व और पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

वर्ष के दौरान बोर्ड में परिवर्तन :

शेयर धारक निदेशकों के अलावा सभी निदेशकों के नियुक्ति / नामांकन भारत सरकार (जीओ 01) द्वारा होती है।

- दिनांक 25.04.2019 तक श्री जे के दास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक रहे। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना एफ सं. 6/3/2011-बीओ.1 दिनांक 26.04.2019 के द्वारा श्री जे के दास के स्थान पर श्री एस के पाणिग्रही को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामिती निदेशक के रूप में चयन किया गया।
- बैंक के निदेशक के रूप में, श्री विजय कुमार गोयल सनदी लेखकार संवर्ग के अंतर्गत दिनांक 25.07.2019 तक अल्पकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में रहे।

- श्री अमित अग्रवाल दिनांक 24.01.2020 तक बैंक के सरकारी नामिती निदेशक रहे। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली, की अधिसूचना एफ. सं.6/3/2012 बीओ.1(खंड II) दिनांक 24.01.2020 के द्वारा श्री अमित अग्रवाल के स्थान पर श्री संजीव कौशिक को सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नामित किया गया है।
- श्री पद्मनाभन विट्टल दास का बैंक के अल्पकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में 3 वर्षों का कार्यकाल दिनांक 24.04.2019 को समाप्त हो गया। भारत सरकार की अधिसूचना एफ सं.6/1/2018/बीओ.1(खंड III), दिनांक 21.10.2019 के द्वारा, उन्हें पुनः एक वर्ष या बैंक के समामेलन अर्थात् 31.03.2020 या अग्रिम आदेश तक जो भी पहले हो, के लिए अल्पकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में नामांकित किया गया। उनका कार्यकाल दिनांक 31.03.2020 को समाप्त हो गया।
- भारत सरकार की अधिसूचना एफ सं.4/5/2016/बीओ.1 दिनांक 18.02.2020 द्वारा श्री एम के भट्टाचार्य, कार्यपालक निदेशक की कार्यवधि को 17.02.2020 से सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात् 30.11.2020 तक या अग्रिम आदेश तक जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाया गया।
- महत्वपूर्ण विचलन, यदि हों, के संबंध में उचित स्पष्टीकरण सहित प्रयोज्य लेखा मानकों का पालन किया गया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार गठित लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया।
- वित्तीय वर्ष के अंत तक बैंक के कार्यकलाप व स्थिति पर सही एवं न्यायोचित दृष्टि तथा 31 मार्च, 2020 तक बैंक के लाभ का सही चित्र देने के लिए उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन किए गए।
- भारत में बैंकों को अधिशासित करनेवाले प्रयोज्य कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों को बनाए रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई; और
- लेखों को लाभकारी कारोबार वाली संस्था के आधार पर तैयार किया गया है।

आभारोक्ति

निदेशकगण यह पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष वार्षिक लेखा तैयार करने में:

बोर्ड, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति व विनियम बोर्ड का उनके मूल्यवान मार्गदर्शन और सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है। बोर्ड वित्तीय संस्थानों और संपर्की बैंकों को भी उनके सहयोग व समर्थन के लिए धन्यवाद देता है। बोर्ड अपने ग्राहकों व शेयरधारकों से मिले अनवरत समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड श्री जे के दास, श्री अमित अग्रवाल, श्री विजय कुमार गोयल, श्री पद्मनाभन विट्टल दास जिन्होंने इस वर्ष सदस्यता छोड़ी द्वारा दिये गये मूल्यवान योगदान के लिए अपनी सराहना व्यक्त करता है।

बैंक के समग्र निष्पादन के लिए स्टाफ सदस्यों द्वारा प्रदत्त निष्ठावान सेवाएं तथा योगदान के प्रति बैंक अपनी सराहना व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए व उनकी ओर से

पद्मजा चुन्दूरु
 प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

1. वैश्विक अर्थव्यवस्था

- विश्व बैंक के अनुसार, कोविड-19 महामारी तथा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और दुनिया के अन्य हिस्सों में आर्थिक लॉकडाउन होने से अरबों जीवन अस्त-व्यस्त हो गए हैं। यह दशकों की विकास प्रगति को खतरे में डाल रहा है। एक विशाल मानव संख्या की हानि के अलावा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद देश सबसे गहरी वैश्विक मंदी की ओर अग्रसर हैं।
- ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट जून 2020 के संस्करण में विश्व बैंक ने भविष्यवाणी की है कि 2020 में वैश्विक जीडीपी में 5.2 प्रतिशत की कमी हो सकती है, जबकि उन्नत अर्थव्यवस्था एवं उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में समान अवधि के दौरान क्रमशः 7 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत तक की कमी हो सकता है।
- कई देशों ने विशाल राजकोषीय और मौद्रिक नीति समर्थन उपायों के माध्यम से स्वयं को प्रतिकूल परिणामों से बचाया है। इन उपायों के बावजूद, सभी ईएमडीई क्षेत्रों में वर्ष 2020 के दौरान प्रति व्यक्ति आय के संकुचित होने की संभावना है जिससे दरिद्रता छा सकती है।

2. भारतीय अर्थव्यवस्था

- इस महामारी का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि पिछले 11 वर्ष में सर्वाधिक निम्न होकर मार्च 2020 की तिमाही में 3.1 प्रतिशत पर आ गई।
- सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीसीएफ), जो कि अर्थव्यवस्था में निवेश की मांग को दर्शाता है, में 6.5 प्रतिशत की कमी आई जिसके कारण जीडीपी 28.8 प्रतिशत हो गई, जोकि मार्च 2009 से अब तक का निम्नतम है।
- सरकार का अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) अर्थव्यवस्था का ऐसा अकेला घटक है जिसमें मार्च 2020 के दौरान 13.6 प्रतिशत का सुधार हुआ है।
- मई 2020 में भारत के माल निर्यात में 36.5 प्रतिशत की गिरावट आने से यह 19.1 बिलियन अमरीकी डॉलर पर रुका जबकि आयात बिल में वर्ष-दर-वर्ष 51.1 प्रतिशत की गिरावट आने से यह 22.2 बिलियन अमरीकी डॉलर पर रुका। भारत के कच्चे तेल के आयात में 72 प्रतिशत गिरावट आई जबकि गैर-तेल आयात 43.1 प्रतिशत घट गया।
- आयात और निर्यात में आई गिरावट के कारण व्यापार घाटा जोकि वर्ष भर पहले, 15.4 बिलियन अमरीकी डॉलर था, की तुलना में मई 2020 में घटकर 3.2 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।
- श्रमिकों के पलायन के साथ ही आपूर्ति शृंखला में व्यवधान ने अर्थव्यवस्था के धीरे-धीरे खुलने में भी बाधाएं पैदा की हैं।
- चूंकि कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से घरेलू आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण गिरावट आई है जिसने आयात पर अंकुश लगाया है। हम उम्मीद करते हैं कि वित्त वर्ष 2021 की अगली कुछ तिमाहियों में देश का चालू खाता शेष अधिशेष में रह सकता है।

आरबीआई की मौद्रिक नीती

- कोविड-19 के देशव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी को बढ़ाने के प्रयासों में आरबीआई ने 22 मई 2020 को आयोजित अपनी अंतिम बैठक में रेपो दर को 40 बेसिस पॉइंट तक घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया।
- आरबीआई का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2021 की द्वितीय अर्धवार्षिकी में (+/- 2 प्रतिशत विचलन के साथ 4 प्रतिशत) हेडलाइन मुद्रास्फीती नरम पड़ना शुरू करेगी और अपने मध्यम अवधि के लक्ष्य से नीची जाएगी।
- यद्यपि आरबीआई ने विकास का कोई भी आंकड़ा नहीं दिया है, किन्तु ऐसा विश्वास है कि धीरे धीरे आपूर्ति शृंखला के सामान्य स्थिति में आने और मांग पुनर्जीवित होने से वित्तीय वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही में आर्थिक गतिविधि में सुधार होना शुरू होगा एवं वित्तीय वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में यह गति पकड़ेगी।

वित्तीय वर्ष 2021 का केंद्रीय बजट

- लक्षित राजस्व घाटा जीडीपी का 2.7 प्रतिशत पर है जो वित्त वर्ष 2020 में 2.4 प्रतिशत के संशोधित आकलन से अधिक है। लक्षित राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.5 प्रतिशत है जो वित्त वर्ष 2020 में संशोधित आकलन 3.8 प्रतिशत से कम है।

भारत सरकार द्वारा नवीन पहल और विकास

- केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का चार बैंकों में विलय किए जाने की घोषणा की थी।
- केंद्र शासित प्रदेशों में विद्युत वितरण कंपनियों का टैरिफ नीति के अनुरूप निजीकरण किया जाएगा जिसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी।
- दिवालिया होने की कार्यवाही किए जाने की न्यूनतम सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की गई।
- मामूली तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक से जुड़े उल्लंघन को कंपनीज अधिनियम के तहत गैर-आपराधिक श्रेणी में डाल दिया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2021 में सुधार के संबंध में राज्य की राजकोषीय घाटे की सीमा को जीएसडीपी का 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत तक किया गया है। इससे राज्यों को रु. 4.28 लाख करोड़ के अतिरिक्त संसाधन मिलेंगे।

प्रमुख आर्थिक और मौद्रिक विकास

- नकदी प्रवाह पर दबाव बनाती आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आरबीआई 1 लाख करोड़ रुपए तक की कुल राशि के तीन वर्ष की अवधि वाले उपयुक्त आकार के लक्षित सावधि रेपो की, रेपो दर नीती के अनुसार अस्थिर दर से, नीलामी करेगा।

- कोविड-19 के कारण होने वाले व्यवधान पर बैंकों की मदद करने के लिए एकबारगी उपाय के रूप में, सभी बैंकों के नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को 100 बेसिस पॉइंट से घटाकर शुद्ध मांग और समय देनदारियों का 3.0 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है (एनडीटीएल) जो दिनांक 28 मार्च 2020 को शुरू हो रहे रिपोर्टिंग पखवाड़े से प्रभावी होगा।
- मौद्रिक संचारण को अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से मध्यम उद्यमों के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के मूल्य निर्धारण को भी बाहरी बेंचमार्क से जोड़ने का निर्णय लिया गया है जोकि 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी होगा।
- जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई के मानक खातों, जो 1 जनवरी 2020 को डिफॉल्ट थे, में परिसंपत्ति वर्गीकरण डाउनग्रेड के बिना एकबारगी पुनर्गठन के लाभ का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। योजना के तहत पुनर्गठन को 31 दिसंबर 2020 तक लागू किया जाना है।
- भुगतान के डिजिटलीकरण की व्यापकता को प्रभावी ढंग से जानने के लिए आरबीआई एक समग्र "डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स" (डीपीआई) का निर्माण कर आवधिक तौर पर इसका प्रकाशन करेगा।
- चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस), जो वर्तमान में देश के प्रमुख समाशोधन गृहों में चालू है, भली प्रकार से स्थिर है और हमने दक्षता हासिल की है। इसे देखते हुए एक पैन इंडिया सीटीएस को सितंबर 2020 तक चालू कर दिया जाएगा।
- रिजर्व बैंक ने नेफ्ट प्रणाली को दिसंबर 2019 से 24x7 आधार पर उपलब्ध कराया है। इससे देश के खुदरा भुगतान प्रणाली में क्रांति आने की उम्मीद है।

बैंक ऋण की वृद्धि पर प्रभाव के साथ प्रमुख घोषणाएँ

सावधि ऋणों पर अधिस्थगन और कार्यशील पूंजी सुविधाओं पर ब्याज का ह्रास

- आरबीआई ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को 01.03.2020 से 31.08.2020 तक सावधि ऋण पर अधिस्थगन और कार्यशील पूंजी सुविधाओं पर ब्याज के स्थगन को मंजूरी दे दी है। इससे बैंकों को राहत बनी रह सकती है क्योंकि उनके एनपीए के स्तर में वृद्धि नहीं होगी और वे लॉकडाउन दौरान उधारकर्ताओं से पुनर्भुगतान एकत्र करने में कुछ चुनौतियों का भी सामना कर रहे थे। आरबीआई ने सभी उधार देने वाली संस्थाओं को अधिस्थगन अवधि (01.03.2020 से 31.08.2020 तक) के दौरान कार्यशील पूंजी सुविधाओं पर संचित ब्याज को निधिक ब्याज मीयादी ऋण (एफआईटीएल) में परिवर्तित करने की अनुमति दी है। इस ऋण को 31 मार्च 2021 तक चुकाया जाना होगा। यह उन उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करेगा जो अधिस्थगन अवधि के बाद संचित ब्याज का पुनर्भुगतान करने में कठिनाई का सामना करेंगे।

एमएसएमई को राहत उपाय

- एमएसएमई की परिभाषा को बदल दिया गया है एवं इसका आकार बढ़ाने और लाभ प्राप्ति में सहायक बनने के लिए वार्षिक बिक्री कारोबार नामक एक अतिरिक्त मानदंड पेश किया गया है। 25 करोड़ रुपए तक बकाया और 100 करोड़ रुपए वार्षिक कारोबार के एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपये के संपार्श्विक मुक्त ऋण स्वतः प्रदान किए जाएंगे। यह 4 साल के कार्यकाल के लिए है और 100 प्रतिशत गारंटीकृत है। ये ऋण 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त

किए जा सकते हैं। यह उन्हें परिचालनगत देयताओं के निर्माण की आवश्यकता को पूरा करने, कच्चा माल खरीदने और व्यापार को फिर से शुरू करने में सहायक होगा। यह बदले में उद्योगों को पुनर्जीवित करेगा और नौकरियों को सुरक्षित करेगा। सरकार ने भारतीय एमएसएमई की सुविधा के लिए यह भी निर्णय लिया है कि 200 करोड़ रुपए तक की सभी निविदाएँ वैश्विक निविदाएँ नहीं होनी चाहिए। यह एमएसएमई को इन बड़ी परियोजनाओं के लिए आपूर्ति करने का एक अवसर देगा। फिनटेक का उपयोग ई-मार्केट द्वारा उत्पन्न डेटा का उपयोग करके लेन-देन-आधारित उधार को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, सरकार और सीपीएसई (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम) से एमएसएमई की सभी प्राप्तियाँ 45 दिनों के भीतर पास हो जाएंगी। इससे एमएसएमई को अपने उत्पादों को व्यापक बाजार में बेचने और उनकी तरलता की स्थिति में सुधार लाने में मदद मिलेगी।

3. 2019-20 में बैंकिंग क्षेत्र

- मार्च 2020 में एससीबी जमा वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष 9.5 प्रतिशत रही जोकि इसी अवधि में 6.4 प्रतिशत की ऋण वृद्धि से अधिक थी।
- वित्तीय वर्ष 2020 की चौथी तिमाही के अंत में समग्र बचत जमा में विकास के चलते एससीबी का कासा अनुपात 42.1 प्रतिशत था। कुल जमा राशि में बचत जमा राशि का हिस्सा 32.9 प्रतिशत है, जबकि चालू जमा का 9.2 प्रतिशत है।

भविष्य की राह

- मार्च 2020 से शुरू हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से आर्थिक गतिविधियों में गतिरोध आया है। जीडीपी की धीमी गति के साथ, सभी क्षेत्रों में उपभोक्ता खर्च प्रभावित हुआ है। निकट समय में सरकार के लिए मांग का पुनरुद्धार किया जाना एक मुख्य चुनौती होगी। इसने कई व्यवसायों को भी प्रभावित किया है जिनका अब बने रह पाना मुश्किल हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप बैंकों में वसूली प्रभावित होगी। जब तक आर्थिक विकास नहीं होता है तब तक बैंकों के लिए अपना बकाया वसूला जाना मुश्किल होगा। जब तक जीडीपी वृद्धि में पिक-अप या वसूली में सुधार नहीं होता है तब तक वित्त वर्ष 2021 में आय में कमी बने रहने की संभावना है।
- बैंक डिजिटल और संपर्क रहित तकनीकों की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

4. विस्तृत कारोबार समीक्षा

संसाधन जुटाना और ऋण परिनियोजन

- वैश्विक कारोबार 8.41 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 466116 करोड़ रुपए (मार्च 2019 में 429972 करोड़ रुपए) हो गया। घरेलू व्यापार 450273 करोड़ रुपए था।
- 7.50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वैश्विक जमाएं 260226 करोड़ रुपए (31 मार्च 2019 को 242076 करोड़ रुपए) पर पहुँच गईं। देशी जमाएं 252792 करोड़ रुपए पर पहुँच गईं।
- 7.34 प्रतिशत की वृद्धि के साथ देशी कासा जमाएं 89584 करोड़ रुपए (31 मार्च 2019 को 83459 करोड़) पर पहुँच गईं।
- सकल अग्रिम 205890 करोड़ रुपए (31 मार्च 2019 को 187896 करोड़ रुपए) रहे। देशी ऋण 197481 करोड़ रुपए पर पहुँच गए।

- देशी गैर खाद्य ऋण बढ़कर 196397 करोड़ रुपए (31 मार्च 2019 को 179505 करोड़ रुपए) हो गए।

- वैश्विक ऋण—जमा अनुपात 79.12 प्रतिशत (31 मार्च 2019 को 77.62 प्रतिशत) रहा।

5. शाखा नेटवर्क एवं विस्तार

- बैंक ने वित्त वर्ष 2020 के दौरान अपने वितरण नेटवर्क में 31 शाखाओं एवं 8 प्रशासनिक कार्यालयों जोड़ते हुए विस्तार किया है। इस वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान 16 शाखाओं को समामेलित / बंद कर दिया गया है।

- 31.03.2020 तक 740 ग्रामीण, 833 अर्धशहरी, 637 शहरी और 677 महानगरीय शाखाओं सहित बैंक का शाखा नेटवर्क 2887 है। इसके अतिरिक्त सिंगापुर, कोलंबो और जाफना में बैंक की 3 विदेशी शाखाएँ हैं और गिपट सिटी गांधीनगर, अहमदाबाद में एक आईएफएससी बैंकिंग इकाई (आईबीयू) है।

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहचाने गए कम बैंकिंग सुविधा प्राप्त 356 जिलों में बैंक की 407 शाखाएँ हैं। अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में बैंक की 450 शाखाएँ हैं तथा बैंक-रहित केन्द्रों में बैंक की 244 शाखाएँ हैं।

6. बैंक के भविष्य की योजनाएं

- इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक के समामेलन ने बैंक को 7 वें सबसे बड़ा सावर्जनिक क्षेत्रक बैंक के रूप स्थापित किया है। समामेलित बैंक 8 लाख करोड़ से अधिक कारोबार, 43,000 मजबूत श्रमशक्ति और सुदृढ़ कासा के आधार के साथ 6000 से अधिक शाखा नेट-वर्क के साथ 01 अप्रैल 2020 से विलय की गई संस्था के रूप में परिचालन शुरू किया है।

- भारत सरकार ने अनुक्रियाशील और जिम्मेदार बैंकिंग के प्रति पुनर्पूजीकरण योजना और **संवर्धित पहुंच और सेवा उत्कृष्टता (ईएसई)** की शुरुआत सहित कई सुधार उपायों और संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत की है।

- इस वर्ष मुख्यतः ध्यान कासा बढ़ाने, लागत घटाने, ब्याज के अलावा राजस्व बढ़ाने, द्वासित आस्तियों के संबंध में वसूली में तेजी लाने और एनपीए के स्तर को स्थिर रखने पर केंद्रित पर होगा। कारोबार में वृद्धि, निचले स्तर में सुधार करने से होगी।

- कुशल और उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए कर्मचारियों—ग्राहकों के बेहतर संबंध और ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग चैनलों के उपयोग पर शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे उन्हें आसानी हो।

- आगे विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए पहचाने जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में – अधिक लाभ देने वाले अग्रिमों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ आरएएम सेक्टर के तहत ऋण वृद्धि, अच्छे रिटर्न की पेशकश करते हुए उच्च रेटेड कॉर्पोरेट खातों को जुटाना, पूंजी का संरक्षण, सर्वोत्तम जोखिम प्रबंधन कार्य प्रणाली का पालन करना, गैर-ब्याज आय में बड़े परिवर्तन, परिचालन लागत को कम करना, नवीन प्रौद्योगिकी के ऑफर के साथ वैकल्पिक चैनलों का उपयोग बढ़ाना भी शामिल है।

7. महत्वपूर्ण पहलें

संगठनात्मक पुनर्गठन:

- नियंत्रण क्षमता में सुधार के लिए महाप्रबंधकों की अगुवाई में कॉर्पोरेट कार्यालय के कार्यक्षेत्र का पुनर्गठन।
- अतिरिक्त क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालयों और अंचल कार्यालयों के निर्माण से बैंक के कारोबार को और अधिक प्रभावी ढंग से बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- कॉर्पोरेट और मिड कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी कॉर्पोरेट शाखाओं (एलसीबी) और मध्यम कॉर्पोरेट शाखाओं (एमसीबी) की स्थापना करना।
- आरएएम पर ध्यान केंद्रित करना – एमएसएमई और आरएएम के लिए केंद्रीकृत प्रसंस्करण इकाइयाँ।
- कोलकाता और चेन्नै में केंद्रों की स्थापना करके ऋण निगरानी विभाग और रिकवरी विभाग को सशक्त बनाना।
- नियंत्रण कार्य को सशक्त बनाना – अनुपालन, जोखिम एवं निवारक सतर्कता पर ध्यान केंद्रित करना

विविधताओं वाली ऋण बही:

- अच्छी रेटिंगवाले लार्ज और मिड कॉर्पोरेट में जोखिम लेने की स्थिति।

दक्षता में सुधार करना:

- अलाभकारी और धीमे विकास वाली शाखाओं को युक्तिसंगत बनाना।
- बैंक की अनुषंगियों जैसे इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड और इंड बैंक हाउसिंग लि. में मूल्य अनलॉकिंग।
- मानव संसाधन / कॉर्पोरेट क्रेडिट / रिकवरी वर्टिकल और विदेशी मुद्रा व्यापार प्रसंस्करण इकाई का केंद्रीकरण।

अन्य:

- एनबीएफसी के सहयोग से ऋणों का समन्वय।
- जीवन और गैर जीवन बैंकअश्युरेन्स उत्पादों की बिक्री के लिए बीमा कंपनियों के साथ टाई अप के माध्यम से क्रॉस सेल विकल्प की खोज करना।
- TReDS प्लेटफॉर्म के माध्यम से एमएसएमई को उधार देना
- बिल्डर्स / वाहन डीलरों और ट्रैक्टर निर्माताओं के साथ टाई अप

8. जमाएं

मीयादी जमा

- अप्रैल 2019 और मार्च 2020 के बीच ब्याज दरों को 7 बार संशोधित किया गया है।
- पीडी / सीडी पर कम निर्भरता रखने और इसे खुदरा जमा के साथ बदलने की रणनीति में बदलाव।
- 2019-20 के दौरान 40251.74 करोड़ रुपए का नवीन प्रवाह

कासा

- कासा के लिए कुल 2156586 नए ग्राहक जोड़े गए हैं और 4076 करोड़ रुपए का कारोबार शुरू किया गया है

चलाए गए अभियानों का विवरण

अवधि	दिनों की संख्या	चालू खाता		बचत बैंक	
		खोले गए खाते (लाख में)	जुटाई गई राशि (करोड़ में)	खोले गए खाते	जुटाई गई राशि (करोड़ में)
2019-20 I अक्षय 26.08.19 से 30.09.19 तक	26	0.06	135.88	2.30	316.60
2019-20 II आई बी वृद्धि 02.12.19 से 31.12.19	36	0.06	75.30	2.54	336.31

9. कृषि

- कृषि ऋण के तहत कुल बकाया 944369 करोड़ रुपए था और यह मार्च 2019 के 5364 करोड़ रुपए के स्तर से बढ़कर मार्च 2020 तक 39005 करोड़ हो गया है।

कृषि संवितरण:

- ग्राउंड लेवल क्रेडिट फ्लो फॉर एग्रीकल्चर (जीएलएफ) के अंतर्गत, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 22000 करोड़ रुपए के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले 40511 करोड़ रुपए के कृषि ऋणों का संवितरण किया।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, बैंक ने 26.25 लाख लघु / सीमांत किसानों को 19678 करोड़ रुपए वितरित किए।

खंड- वार निष्पादन

- 31.03.2020 को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम 72248.16 करोड़ रुपए थे। वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए तिमाही औसत समायोजित नेट बैंक ऋण (एएनबीसी) का प्रतिशत 40 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले 46.57 प्रतिशत था।
- 31.03.2020 को कृषि ऋण 31357.56 करोड़ रुपए था और 2019-20 के लिए त्रैमासिक औसत एएनबीसी का प्रतिशत 18 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले 20.38 प्रतिशत था।
- 31.03.2020 को एसएफ / एमएफ को ऋण 914631.29 करोड़ रुपए रहा और वर्ष 2019-20 के लिए तिमाही औसत आधार पर समायोजित औसत बैंक ऋण (एएनबीसी) अनिवार्य लक्ष्य 8 प्रतिशत के मुकाबले 9.30 प्रतिशत था।
- 31.03.2020 को कमजोर वर्गों को उधार 16899 करोड़ था और 2019-20 के लिए तिमाही औसत आधार पर समायोजित नेट बैंक ऋण (एएनबीसी) 10 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले के 11.94 प्रतिशत रहा।
- 31.03.2020 को एमएसई - माइक्रो उद्यमों को उधार 14880.48 करोड़ रुपए था और वर्ष 2019-20 के लिए तिमाही औसत आधार पर समायोजित नेट

बैंक ऋण(एएनबीसी) 7-50 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले 9.22 प्रतिशत रहा।

- 31.03.2020 को गैर-कॉरपोरेट किसानों को ऋण रु. 31846.17 करोड़ था और वर्ष 2019-20 के लिए तिमाही औसत आधार पर समायोजित नेट बैंक ऋण (एएनबीसी) 12.11 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले 20.81 प्रतिशत था।

गहन कृषि ऋण अभियान:

- कृषि के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने और किसानों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए, बैंक हर वर्ष खरीफ और रबी सीजन के दौरान "गहन कृषि ऋण अभियान" चला रहा है, जिससे किसानों को समय पर और पर्याप्त ऋण दिया जा सके।
- हमारी शाखाओं ने 15.11.2019 से 13.01.2020 तक "गहन कृषि ऋण रबी अभियान" चलाया एवं कुल 5217 करोड़ की राशि का वितरण किया।

जेवर ऋण:

मार्च 2019 में 2384 शाखाओं के मुकाबले मार्च 2020 तक 2424 शाखाओं में जेवर ऋण लागू किया गया है। कृषि के तहत जेवर ऋण में बकाया राशि, मार्च 2019 के 27301 करोड़ रुपए के स्तर के मुकाबले 3056 करोड़ की वृद्धि के साथ 30357 करोड़ रुपए है।

स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रवाह:

स्व-सहायता समूह (एसएचजी) गरीब लोगों का एक छोटा स्वैच्छिक संघ है, जो समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं। वे स्व-सहायता और पारस्परिक सहायता के माध्यम से अपनी सामान्य समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से एक साथ आते हैं। एसएचजी अवधारणा बैंडकों, तालमेल और ऋण निर्णयों के संचालन पर निर्णय लेने का अवसर प्रदान करती है।

एसएचजी को बकाया ऋण मार्च 2019 के 1.58 लाख एसएचजी को 4733 करोड़ रुपए के स्तर के मुकाबले मार्च 2020 तक 1.70 लाख एसएचजी को कवर करते हुए 469 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ 5195 करोड़ रुपए था। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने 1.05 लाख स्व-सहायता समूहों को 4081 करोड़ रुपए का वितरण किया।

माइक्रोसेट शाखाएँ:

- महानगरीय और शहरी केंद्रों में झोपड़ियों, मलिन बस्तियों में बड़ी मात्रा में रहने वाले शहरी गरीबों को एसएचजी अवधारणा का लाभ उपलब्ध कराने के लिए, विशेष संस्थाएं "वन स्टॉप शॉप" स्थापित की गई हैं, जिन्हें माइक्रोसेट शाखाएं कहा जाता है, ये गरीब तबके की वित्तीय जरूरतें पूरी करने के लिए काम कर सकते हैं।
- बैंक ने विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों की सेवा के लिए 39 माइक्रोसेट शाखाएँ स्थापित की हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, माइक्रोसेट शाखाओं के माध्यम से 1149 करोड़ रुपए की ऋण राशि को 25348 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है। 38068 स्वयं सहायता समूहों को कवर करते हुए, मार्च 2020 तक, इन माइक्रोसेट शाखाओं की कुल बकाया अग्रिम राशि 1232 करोड़ रुपए रही।
- बैंक किसानों की उस श्रेणी को जिनके पास उचित भूमि रिकॉर्ड नहीं है / भूमि नहीं है, ऋण सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से वित्तपोषण को प्रोत्साहित कर रहा है। संयुक्त 11022 संयुक्त देयता समूहों को कवर करते हुए, 31.03.2020 को संयुक्त देयता समूहों को बकाया ऋण 186.25 करोड़ रुपए था।



25.07.2019 को कृष्णागिरि अंचल द्वारा मेगा एसएचजी ऋण मेला आयोजित किया गया। जिलाधिकारी, कृष्णागिरि, हमारे कार्यपालक निदेशक और एफजीएम, कोयम्बतूर ने मेले में भाग लिया और एसएचजी ऋण वितरित किए।



29 जुलाई 2019 को कोयम्बतूर अंचल में मेगा एसएचजी लोन मेला आयोजित किया गया।

कमजोर वर्गों के लिए अग्रिम

बैंक कमजोर वर्गों के लिए अनिवार्य अग्रिम लक्ष्य को पार कर रहा है जिसमें लघु और सीमांत किसान, कारीगर, ग्राम और कुटीर उद्योग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, स्वयं सहायता समूह आदि शामिल हैं।

- मार्च 2020 की समाप्ति पर कमजोर वर्गों के लिए बकाया राशि 16899 करोड़ रुपए थी, जोकि तिमाही औसत एएनबीसी के लिए निर्धारित 10% मानदंडों के मुकाबले 11.94% है।

- 31.03.2020 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को बकाया ऋण 2315 करोड़ रुपए था।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक क्रेडिट अभियानों का अवलोकन

- अल्पसंख्यक, अजा/अजजा को ऋण देने के लिए विशेष अभियान चलाए गए। मार्च 2020 तक अल्पसंख्यकों के लिए अग्रिम 8511.49 करोड़ रुपए थे, जो मार्च 2020 तक बैंक के कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम का 11.78 प्रतिशत है।

- दिनांक 01.12.2019 से 31.12.2019 तक, अल्पसंख्यकों और अजा/अजजा को ऋण देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान के दौरान, 32476 लाभार्थियों को 1927 करोड़ रुपए वितरित किए गए।

क्षमता निर्माण की पहल:

- बैंक ने 12 केन्द्रों, चित्तूर, कडलूर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, कृष्णागिरि, नामक्कल, पुदुच्चेरी, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लूर, वेल्लूर और विलुपुरम में "इंडियन बैंक स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान" (इंडसेटी) नामक "रुडसेटी मॉडल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं। 67626 व्यक्तियों को लाभ पहुंचाते हुए इंडसेटी द्वारा मार्च 2020 तक कुल 2442 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

- वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, इंडसेटी ने 324 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और 8714 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया है।

- ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) और नेशनल सेंटर फॉर एक्सलेन्स ऑफ आरएसईटीआई (एनएसीआईआर / बेंगलुरु) इंडसेटी (आरसेटी) निदेशकों का वार्षिक कॉन्क्लेव, 15 नवंबर 2019 को इमेज, चेन्नै में आयोजित किया गया। कार्यपालक निदेशक, महाप्रबंधक (आरबीडी/एफआई), श्रीमती चंपकावल्ली, आरसेटी के राष्ट्रीय निदेशक, एनएसीआईआर / बेंगलुरु, परियोजना निदेशक, एनआईआरडीपीआर/ हैदराबाद, श्री पिट्चैया, निदेशक/राष्ट्रीय अकादमी रुडसेटी / बेंगलुरु और श्री वासुदेव कालकुंड्री, निर्देशक / एनएसीआईआर / बेंगलुरु ने कॉन्क्लेव में भाग लिया।

- क्षमता निर्माण की दिशा में उपर्युक्त विशेष पहलों के अलावा, बैंक ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्र कारैक्कुडी, तमिलनाडु (नाबार्ड और आईओबी के साथ संयुक्त रूप से) और आंध्र प्रदेश बैंकर्स ग्रामीण एवं उद्यमिता विकास संस्थान – एपीबीआईआरईडी, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश सरकार, नाबार्ड और पांच अन्य बैंकों के साथ संयुक्त रूप से) में पहले से ही भाग ले रहा है। ये दोनों संस्थान ग्रामवासियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए व्यापक कौशल उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करते हैं। आरटीसी, कारैक्कुडी द्वारा (2020 तक 14760 सदस्यों को लाभ पहुंचाते हुए) कुल 510 प्रशिक्षण कार्यक्रम और एपीबीआईआरईडी, हैदराबाद द्वारा (मार्च 2019 तक 14537 सदस्यों को लाभ पहुंचाते हुए) कुल 559 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान:

- स्वर्ण भारत ट्रस्ट, जो विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में एक सेवा उन्मुख गैर-सरकारी संस्था (एनजीओ) है तथा कोनेरु लक्ष्मैया विश्वविद्यालय (केएलयू) जो एक स्वायत्त विश्वविद्यालय है, के साथ मिलकर बैंक ने लोगों के प्रशिक्षण एवं विकास के लिए तथा गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करके कुशल श्रम शक्ति की स्थिति में सुधार लाने के लिए डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान के नाम से अटकूर गांव, जिला- कृष्णा, आंध्र प्रदेश में "कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान" की स्थापना की है।
- इस संस्थान ने मार्च 2020 तक 72 कार्यक्रमों का आयोजन किया और 1620 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया है।



दिनांक 25.07.2019 को आयोजित मेले में इंडसेटी कृष्णागिरी के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी

पुरस्कार एवं प्रशस्तियां

नाबार्ड द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान तमिलनाडु में स्व-सहायता समूह- बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मध्य उत्कृष्ट निष्पादन में के लिए इंडियन बैंक को "प्रथम पुरस्कार" प्रदान किया गया



प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सुश्री पद्मजा चुन्डूरु ने दिनांक 13.07.2019 को माननीय मंत्री श्री डी. जयकुमार से यह पुरस्कार ग्रहण किया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक:

बैंक के तीन प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तमिलनाडु ग्रामा बैंक जिसका मुख्यालय सेलम(तमिलनाडु) में, सप्तगिरि ग्रामीण बैंक का मुख्यालय चित्तूर(आंध्र प्रदेश) में और पुदुवै भारतियार ग्रामीण बैंक का मुख्यालय पुदुचेरी (केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी) में स्थित है।

तीन आरआरबी के संबंध में, शाखा नेटवर्क 893 (मार्च 2019) से 5 बढ़कर 898 शाखाएँ (मार्च 2020) हो गया है।

मार्च 2020 तक तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल कारोबार मार्च 2019 के 36005.19 करोड़ रुपये की तुलना में 38917.37 करोड़ रुपये था। तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लाभ अर्जित करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं।

₹ करोड़ में

31.03.2020 को विवरण	शाखाओं की संख्या	जमाएँ	अग्रिम	कारोबार
तमिलनाडु ग्रामा बैंक	632	12463.38	12285.30	24748.68
सप्तगिरि ग्रामीण बैंक	223	6523.46	6158.25	12681.71
पुदुवै भारतियार ग्रामा बैंक	43	804.14	682.84	1486.98
कुल	898	19790.98	19126.39	38917.37

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत सरकार के पीएमजेडीवाई, पीएमजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पीएमजेडीवाई के तहत 1105 एसएसए गांवों को कवर कर रहे हैं और इस योजना के तहत 8.64 लाख खाते खोले गए हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वर्ष 2019-20 के दौरान पीएमएसबीवाई के तहत 5.77 लाख लाभार्थियों, पीएमजेबीवाई के तहत 2.50 लाख लाभार्थियों और एपीवाई के तहत 0.50 लाख लाभार्थियों को कवर किया है।

10. प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) :

यह योजना नई दिल्ली में 28.08.2014 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा बहिष्कृत वर्गों को वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता तथा समय पर एवं पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी।

एसएलबीसी द्वारा उप-सेवा क्षेत्र (एसएसए) का आबंटन तथा पीएमजेडीवाई के तहत बैंक द्वारा कवरेज:

मार्च 2016 तक, विभिन्न एसएलबीसी ने पीएमजेडीवाई के तहत बैंक में 2975 एसएसए तथा 2023 शहरी वार्ड आबंटित किए हैं। सभी 2975 एसएसए को बैंक द्वारा बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। इनमें से 2517 एसएसए को बैंक मित्र (कारोबार प्रतिनिधि) के माध्यम से बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं तथा 458 एसएसए वास्तविक शाखाओं के माध्यम से पहले से ही काम कर रहे हैं।

पीएमजेडीवाई के तहत बैंक के निष्पादन की प्रमुख विशेषताएँ:

- डीएफएस के सलाहानुसार शाखाएँ दिनांक 16.08.2014 से पीएमजेडीवाई के तहत बेसिक बचत बैंक खाते (बीएसबीडी) खोलती आ रही हैं। दिनांक 31 मार्च 2020 तक बैंक ने 40.13 लाख बीएसबीडी खाते खोले हैं। पीएमजेडीवाई के तहत 39.72 लाख बीएसबीडी खाता धारकों को रुपये कार्ड जारी किए गए हैं। इन खातों में जुटाई गई जमा राशि रु. 748.40 करोड़ है।
- ओवरड्राफ्टों की मंजूरी :** पीएमजेडीवाई के तहत बैंक ने 2,53,815 पात्र खाता धारकों को 59.86 करोड़ तक के ओवरड्राफ्ट प्रदान किए थे। जिसमें से 90121 बीएसबीडीए खाता धारकों ने 17.95 करोड़ राशि की लिमिट का लाभ उठाया है। छह महीने के संतोषजनक परिचालन / क्रेडिट हिस्ट्री के बाद ही हर बीएसबीडीए खाता धारक को ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा। बैंक ने ओवरड्राफ्ट सुविधा को स्वचालित बनाया गया है और इसे पात्र पीएमजेडीवाई खाता धारकों के लिए अपने बैंक के एटीएम के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है।
- पीएमजेडीवाई के शुरुआत अर्थात 16.08.2014 से बैंक ने 40.13 लाख बेसिक बचत बैंक जमा खाते खोले गए।
- 39.72 लाख बीएसबीडी खाता धारकों को रुपये कार्ड जारी किए गए।
- बैंक को आबंटित किए गए सभी एसएसए को या तो वास्तविक शाखा या बैंक मित्र द्वारा कवर किया जाता है।
- आईबीए मानक (1.5.1) का पालन करते हुए सभी बैंक मित्रों को अंतर-संचालित माइक्रो एटीएम उपकरण प्रदान किए जाते हैं।
- वित्तीय वर्ष 20 के दौरान महीने में प्रति बैंक मित्र द्वारा किए गए लेनदेन की औसत संख्या 1096 थी, जोकि इंडस्ट्री में श्रेष्ठतम में से एक है।
- आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (ईपीएस) परस्पर कार्यक्षमता सुविधाओं को बैंक के एसएसए में लगाए गए सभी पीओएस मशीन में सक्षम बनाया गया है। सभी बैंक मित्र ईपीएस लेन-देन कर रहे हैं तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक मित्रों द्वारा 5573.12 करोड़ की राशि के लिए 3.11 करोड़ ईपीएस लेन-देन (दोनों वित्तीय और गैर वित्तीय) किए गए हैं। किसी भी बैंक के ग्राहक, इंडियन बैंक के बैंक मित्र के साथ लेनदेन कर सकते हैं।

जन सुरक्षा योजना के तहत निष्पादन:

- पीएमजेडीवाई के दूसरे चरण में, माननीय प्रधानमंत्री ने समाज के वंचित वर्गों के लिए तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजीबीवाई)— एक जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) — एक दुर्घटना बीमा योजना, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) — पेंशन योजना का शुभारंभ मई, 2015 में किया। एपीवाई के तहत, हमारे बैंक का अनुपात 66 प्रतिशत है, जो उद्योग में सर्वश्रेष्ठ है और श्रेणी-ए बैंक के अंतर्गत है। 31.03.2020 तक योजनाओं के तहत बैंक का निष्पादन नीचे प्रस्तुत है:

योजना का नाम	कवर किए गए ग्राहकों की संख्या
एपीवाई	812664
पीएमजेजीबीवाई	1089946
पीएमएसबीवाई	2438404
कुल	4341014

- हमारे बैंक में पीएमजेजीबीवाई के तहत 106.6 करोड़ की राशि के 5330 दावों का बीमाधारक के नामितियों को निपटान किया गया तथा पीएमएसबीवाई के तहत 24.80 करोड़ के 1288 दावों का निपटान बीमाधारक के नामितियों को किया गया है।

रुपे बीमा दावों के तहत निष्पादन

- 15.08.2014 और 26.01.2015 के बीच के खाते खोलने वाले ग्राहकों के लिए 1 लाख के दुर्घटना बीमा कवर और 30,000/-के जीवन बीमा कवर के साथ निर्मित रुपये डेबिट कार्ड पीएमजेडीवाई खाताधारकों को जारी किए जा रहे हैं। रुपये दुर्घटना बीमा दावा के तहत, बीमाकर्ता के नामितियों के 183 दावों का निपटान किया गया था। इसी प्रकार रुपये लाइफ इंश्योरेंस के तहत, बीमाकर्ता के नामितियों के 121 दावों का निपटान किया गया था।

तमिलनाडु में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन का भुगतान :

- जुलाई 2012 के बाद से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित स्मार्ट कार्ड सक्षम व्यापार संपर्की (बीसी) मॉडल का उपयोग करते हुए बैंक खातों के माध्यम से तमिलनाडु राज्य में, सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत, वित्तीय समावेश के तहत कवर गांवों में, वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान लाभार्थियों को किया जा रहा है। तमिलनाडु में बैंक मित्रों के माध्यम से प्रति माह 6.08 लाख लाभार्थियों को पेंशन संवितरित की जाती है।

पीएफआरडीए पुरस्कार

- मेकर्स ऑफ एक्सिलेंस (एमई) 3.0** (21 अक्टूबर – 21 नवंबर 2019) विशेष रूप से बैंकों के कार्यपालक निदेशकों के लिए आयोजित किया गया : हमारे बैंक ने 20,000 एपीवाई खातों के लक्ष्य के मुकाबले 361 प्रतिशत की उपलब्धि के साथ 76,251 एपीवाई खातें खोले हैं और सभी बैंकों के मध्य नंबर 1 के रूप में उभरा है।
- लीडरशिप कैपिटल 2.0** (6 जनवरी – 6 फरवरी 2020) विशेष रूप से बैंकों के एमडी और सीईओ के लिए आयोजित किया गया : हमारे बैंक ने 20,000

एपीवाई खातों के लक्ष्य के खिलाफ 182 प्रतिशत की उपलब्धि के साथ 36,498 एपीवाई खातों को प्राप्त किया है और सभी बैंकों में प्रथम स्थान पर है।

- तीसरी तिमाही के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बैंक के नोडल कार्यालय (महाप्रबन्धक – आरबीडी एवं एफआईडी) के लिए “आउटपरफॉर्मर” पुरस्कार।

11. सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में नकदी प्रवाह :

- विशेष ध्यान देने के लिए पृथक एमएसएमई विभाग है जोकि सम्पूर्ण एमएसएमई पोर्टफोलियो की देखरेख करता है। बैंक के पास 14 एमएसएमई सीपीयू हैं, जिसने 12 इंड एमएसएमई शाखाओं के साथ टीएटी और मूल्यांकन प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद की है, 76 विशेष एमएसएमई शाखाएँ हैं जिनके 60% से अधिक ऋण एमएसएमई होते हैं एवं बैंक के एमएसएमई कारोबार को समृद्ध करने के लिए 500 एमएसएमई केन्द्रित शाखाएँ हैं।
- 2019-20 के दौरान, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों में बैंक का एक्सपोजर रु. 33046 करोड़ से 12.59% बढ़कर रु. 37208 करोड़ हो गया।
- वित्तीय वर्ष 20 के दौरान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए बैंक का एक्सपोजर क्रमशः 8.87% एवं 8.70% बढ़ा।
- बैंक सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने के उप लक्ष्य को पार कर लिया है।
- सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋणों की संख्या में 124210 की वृद्धि हुई यानी वित्तीय वर्ष के दौरान 16.70% की वृद्धि हुई।
- तीन वर्षों की अवधि में स्टैंडअप इंडिया योजना के अंतर्गत हमारे बैंक से रु. 923 करोड़ से 4207 एमएसएमई लाभार्थियों को लाभ मिला। – स्टैंडअप इंडिया योजना अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला उद्यमियों के मध्य उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए है।
- बैंक ने सिडबी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की चार बैंकों के साथ फिनटेक कंपनी तथा विकसित किए गए कांटैक्टलेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म – PSBLOANSIN59MINUTES.com में निवेश किया है। यह किसी भी मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना एमएसएमई ऋण आवेदनों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने तथा 59 मिनट में अनुमोदन पाने में समर्थ बनाता है। बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 277 खातों का ऑन-लाइन अनुमोदन तथा रु.102 करोड़ की राशि वाले 115 लाभार्थियों को नियमित संवितरण किया है।
- बैंक डॉक्टर्स, कांट्रैक्टर्स, व्यापारियों सहित एमएसएमई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संरचित ऋण उत्पादों की रूपरेखा बनाने में अतिसक्रिय है। वर्ष 2019-20 के दौरान, ऐसे सात उत्पाद पेश किए गए जैसे
 - ❖ आईबी प्योर जल धारा – सूक्ष्म और लघु उद्यमियों / उद्यमों द्वारा आरओ जल कियोस्क की स्थापना हेतु
 - ❖ इंड एसएमई ई-वाहन – एमएसएमई द्वारा अपने व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने हेतु।
 - ❖ इंड एसएमई ईजी – एमएसएमई के लिए कार्यशील पूंजी ऋण, जहां मूल्यांकन जीएसटी रिटर्न में रिपोर्ट किए गए टर्नओवर पर आधारित है

- ❖ इंड सूर्य शक्ति – उत्पादन के उद्देश्य के लिए एमएसएमई द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु
- ❖ आईबी स्टैंडबाय डबल्यूसी सुविधा – विलंबित प्राप्त राशियों के कारण एमएसएमई द्वारा सामना की गई तरलता संकट को पूरा करने के लिए ऋण सुविधा
- ❖ मध्यम उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट ऋण – एनडबल्यूसी में सुधार करने के लिए और / या कारोबार विकास के उद्देश्य से किसी भी बैंकयोग्य से।
- ❖ एमएसएमई को कोविड आपातकालीन ऋण – एमएसएमई को मदद देने के लिए कोविड –19 महामारी के मद्देनजर, बैंक ने वेतन, बिजली शुल्क आदि जैसे उपरिप्रभार के लिए नकदी प्रवाह की कमी को दूर करने के लिए कोविड आपातकालीन ऋणों की शुरुआत की है।
- बैंक सक्रिय रूप से सभी तीन ट्रेड्स प्लेटफॉर्म (आरएक्सआईएल, इन्वाइस मार्ट एवं मिक्सचेंज) में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। 31.03.2020 तक, बैंक द्वारा बिलों में छूट के लिए विश्व के 86 कॉर्पोरेट खरीदारों को मंजूरी दे दी गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से रु. 547 करोड़ के लिए 3910 बिलों में छूट दी गई थी।
- एनबीएफसी को ऋण प्रवाह
 - ❖ 2019-20 के दौरान, एनबीएफसी से प्रत्यक्ष असाइनमेंट (एमएसएमई समूहित आस्तियों) के तहत आस्तित प्राप्त करने के लिए रु.6880 करोड़ की राशि मंजूर की गई है।
 - ❖ एमएसएमई को उधार देने के लिए 5 एनबीएफसी/ एमएफआई को रु.960 करोड़ की राशि मंजूर की गई है।
- एमएसएमई क्लस्टर : बैंक के पास विभिन्न अंचलों में फैली 27 क्लस्टर विशिष्ट योजनाएँ हैं, जो रु.1672 करोड़ की स्वीकृत सीमा के साथ, हमारे एमएसएमई पोर्टफोलियो में योगदान करती हैं। क्लस्टर विशेष योजनाओं के कुछ नाम हैं:
 - ❖ टेक्सटाइल क्लस्टर, इचलकरंजी
 - ❖ सेरेमिक क्लस्टर मोरवी, अहमदाबाद
 - ❖ एमएसएमई क्लस्टर पाड़ी, चेन्नै
 - ❖ टेक्सटाइल मेन्यूफैक्चरिंग एंड होलसेल ट्रेडिंग क्लस्टर, सूरत
 - ❖ ऑटोमोबाइल क्लस्टर, होसूर
 - ❖ होजरी क्लस्टर, लुधियाना
 - ❖ साइकल पाटर्स एंड ऑटो पाटर्स क्लस्टर, लुधियाना
 - ❖ लाइट इंजीनियरिंग गुड्स/ रेडीमेड गार्मेंट्स क्लस्टर, करनाल इत्यादि।

मुद्रा योजना

- मुद्रा योजना के तहत आवंटित 3400 करोड़ रुपए (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) के लक्ष्य के अनुसार, बैंक ने 3459 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जिससे 101.73 प्रतिशत की उपलब्धि दर्ज की गई।

- मुद्रा योजना के तहत बैंक ने विविध विनिर्माणोंय बुनाई,यातायात,खुदरा व्यापार,छोटे कारोबारों सहित सेवा गतिविधियों एवं कृषि अनुषंगी सेवाओं अर्थात मतस्यपालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गीपालन, मवेशियों, शीयरिंग, डेयरी, मछली पकड़ना, कृषि क्लिनिक, कृषि कारोबार केंद्र, खाद्य व कृषि प्रसंस्करण इत्यादि को 10 लाख तक की लिमिट के ऋण स्वीकृत किए
- भारत सरकार द्वारा एमएसएमई में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए घोषित की गई ब्याज अनुदान योजना का कार्यान्वयन किया गया है।
- आंतरिक एवं बाह्य कारणों से ब्याज/किश्त देने में एमएसएमई उधारकर्ताओं को होने वाले परेशानियों को कम करने के लिए एमएसएमई हेतु उदार संरचना नीति का कार्यान्वयन किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 01.01.2019 और 17.02.2020 की अधिसूचना के अनुसार, रु. 2065 करोड़ की राशि की 54167 एमएसएमई खातों को पुनर्नियत किया गया है।
- 01.10.2019 के प्रभाव से, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए दिया गया ऋण रेपो दर से लिंकड हैं। 31.03.2020 तक, रु.1854 करोड़ राशि के लिए 12233 खातों को रेपो लिंकड ब्याज दर के साथ स्वीकृत किया गया था।



वर्ष 2019 के लिए एसोचैम द्वारा आयोजित 7 वें एमएसएमई राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार और शिखर सम्मेलन – 2019 में बैंक को "माइक्रो लेंडिंग में गोल्ड ट्रॉफी" से सम्मानित किया गया है। माननीय केंद्रीय मंत्री, श्री नितिन गडकरी से ट्रॉफी प्राप्त करते हुए श्री एम कार्तिकेयन, एफजीएम, दिल्ली



सुश्री पद्मजा चुंडूरु, एमडी और सीईओ की उपस्थिति में श्री नितिन गडकरी,माननीय केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग एवं एमएसएमई द्वारा "आईबी – शुद्ध जलधारा" एमएसएमई उत्पाद का शुभारंभ

12. कॉर्पोरेट ऋण

बैंक का कॉर्पोरेट ऋण 779458 करोड़ रुपए रहा जिसमें 39 प्रतिशत भाग बैंक के समग्र ऋणों का था। वर्ष के दौरान, बैंक के साथ कई नए ग्राहक जैसे एफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, छत्तीसगढ़ सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, एम्बेस्सी इंडस्ट्रियल पार्क्स, केरेला फाइनेंशियल कार्पोरेशन, शोभा लिमिटेड, शपोरजी पल्लाज्जी फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड एवं उफलेक्स लिमिटेड जुड़े।



मेसर्स लक्ष्मी मशीन वर्क्स लिमिटेड, कोयम्बतूर : बैंक, भारत के अग्रणी टेक्सटाइल मशीनरी विनिर्माता का अभिमानी साझेदार है तथा कोयम्बतूर दक्षिण भारत के मानचेस्टर में विश्व भर के तीन संपूर्ण स्पिनिंग मशीनरी के विनिर्माताओं में एक प्रमुख विनिर्माता है।

13. खुदरा आस्तियां

खुदरा आस्तियों के तहत उत्पादों का समन्वय :

- खुदरा ऋण उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी, बाजार के अनुकूल बनाने के लिए, आस्ति की गुणवत्ता से समझौता किए बिना बदलते बाजार की गतिशीलता के अनुरूप करने के लिए, बैंक ने इंडियन बैंक और पूर्ववर्ती-इलाहाबाद दोनों के खुदरा ऋण उत्पादों के तहत शामिल मूल्य निर्धारण पैटर्न और विभिन्न शुल्कों का विश्लेषण किया है और 01.04.2020 के प्रभाव से सामांलित संस्था के लिए खुदरा उत्पादों के तहत सामान्य मूल्य और शुल्क की निर्धारण की हैं।

मौजूदा ग्राहक और नए ग्राहक के लिए कोविड वेतन ऋण और कोविड पेंशन ऋण की शुरुआत :

- कोविड-19 महामारी ने देश में आर्थिक अनिश्चितता को जन्म दिया है। इसका प्रकोप भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। इसलिए ग्राहकों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए, बैंक ने खुदरा आस्ति सेगमेंट के तहत दो नए उत्पादों का प्रस्ताव किया है :

❖ आईबी कोविड –19 आपातकालीन वेतन ऋण (आईबीसीईएसएल)

❖ आईबी कोविड –19 आपातकालीन पेंशन ऋण (आईबीसीईपीएल)

ऋण ओरजिनेटिंग सिस्टम – एलओएस

- एक समान मूल्यांकन करने के लिए, हमारे टीएटी को बेहतर बनाने के लिए और हमारे बैंक द्वारा जारी किए गए मौजूदा दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए मेसर्स साईसार्कइन्फोर्मेटिक्स लिमिटेड के सहयोग से एंड-टु- एंड ऑटोमेशन-लोन ओरिजिनेशन सिस्टम का विकास और परीक्षण किया जा रहा है।

कारोबार इनेबलर्स

- खुदरा पोर्टफोलियो 31.03.2020 तक रु. 38143.90 करोड़ रहा।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, 319210 खातों में रु.18388.70 करोड़ की राशि मंजूर किया गया।
- 01.10.2019 के प्रभाव से, तरल प्रतिभूतियों और शिक्षा ऋण के विरुद्ध आभूषण/ ऋण को छोड़कर सभी खुदरा उत्पादों की ब्याज दर को विदेशी बेंचमार्क दर (रेपो रेट) से लिंक किया गया है।
- 31.03.2020 तक रेपो रेट के तहत, 44573 नए खातों को रु.4358.95 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान पीएमएवाई के तहत 5684 खातों को रु.1074.02 करोड़ की मंजूरी दी गई और 4163 खातों के लिए और रु. 88.54 करोड़ की सब्सिडी राशि प्राप्त हुई।

अवधि के दौरान चलाये गए अभियान और उसका प्रभाव : बैंक ने फेस्टिवल सीजन ऑफर्स (एमसीएलआर दरों तक) से जुड़े "गृह ऋण कैम्पेन" का अवलोकन किया, जिसमें अंचलों को विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने की सलाह दी गई जैसे:

- बिल्डरों से उनकी साइट / कार्यालय में मिलना।
- अधिक प्रोजेक्ट अनुमोदन प्रक्रिया को गति देना।
- मौजूदा / नई प्रोजेक्ट से अधिक प्रस्ताव प्राप्त करने पर ध्यान देना।
- प्रोजेक्ट साइट और शाखाओं में प्रचार करना।

डीएसए/ एचएलसी निष्पादन

- बैंक ने प्रत्यक्ष बिक्री एजेंटों (डीएसए) और होम लोन काउंसलर्स (एचएलसी) को लीड प्रदान करने के लिए नामित किया है। इन डीएसए / एचएलसी द्वारा उत्पन्न लीड के माध्यम से 01.04.2019 से 31.03.2020 तक रु. 1332.40 करोड़ के 5217 गृह ऋण स्वीकृत किए गए।

खुदरा सेक्टर के तहत निष्पादन

रु. करोड़ में

विवरण	31.03.2018 तक	31.03.2019 तक	31.03.2020 तक	मार्च -19 की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत
गृह ऋण	14253.43	18192.81	22493.47	23.64%
जिनमें से गृह ऋण खुदरा	13971.42	17379.81	20212.05	
गृह ऋण समूहित आस्तियां	282.01	813.00	2281.42	
बंधक ऋण	2644.68	3158.01	3702.15	17.23%
वाहन ऋण	1466.32	1752.43	1807.78	3.16%
वेतन ऋण	1504.68	2047.91	2095.45	2.32%
पेंशन ऋण	470.11	523.45	575.93	10.03%
शैक्षिक ऋण	3722.13	3480.93	3503.91	0.66%
आभूषण ऋण (गैर प्राथमिकता)		665.95	1134.48	70.36%
जमा पर ऋण	2738.51	1951.90	2436.98	24.85%
एनएससी/अन्य		937.92	393.75	-58.02%
कुल	26799.86	32711.31	38143.90	16.61%

कुल खुदरा आस्तियों का 58.97 प्रतिशत गृह ऋण है। जिनमें से समूहित आस्तियों का योगदान 10.14 प्रतिशत है।

सॉवरेन गोल्ड बांड्स

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 10 साप्ताहिक ट्रांचों में रुपए 38-97 करोड़ की वसूली की गई, वह निम्नप्रकार है :

शृंखला	जारी करने की अवधि	राशि
1	जून 03-07 2019	5.60
2	जुलाई 08-12 2019	3.43
3	अगस्त 05-09 2019	5.58
4	सितंबर 09-13 2019	3.27
5	अक्टूबर 07-11 2019	2.14
6	अक्टूबर 22-25 2019	3.78
7	दिसंबर 02-06 2019	5.39
8	जनवरी 13-17 2020	2.70
9	फरवरी 03-07 2020	1.80
10	मार्च 02-06 2020	5.28
	कुल	38.97

सुकन्या समृद्धि : वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 3669 नये खाते खोले गए, अब उसकी कुल संख्या 12639 है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान संचित राशि रुपए 30-01 करोड़ थी तथा कुल संचित राशि रुपए 95-27 करोड़ थी।

लोक भविष्य निधि : वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान पीपीएफ के अधीन संचित राशि में रुपए 202-21 करोड़ की वृद्धि हुई तथा 43393 खातों से पीपीएफ खाते में शेष रुपए 1716-79 करोड़ रही।

बैंकएश्युरेंस एवं म्यूचुअल फंड व्यापार

बैंक ने युनाइटेड इंडिया इन्श्युरेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (यूआईआईसी) एवं चोला एमएस जनरल इन्श्युरेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ गैर-जीवन बीमा/ सामान्य बीमा तथा मैक्स बुपा हेल्थ इन्श्युरेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा एवं भारतीय जीवन बीमा निगम, आदित्य बिड़ला सनलाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एबीएसएलआई), एसबीआई लाइफ इश्योरेंस कंपनी के साथ जीवन बीमा व्यापार के लिए कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता (सीएए) किया है। म्यूचुअल फंड वितरण के लिए बैंक द्वारा यूटीआई आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड, रिलायंस निपॉन आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड, एसबीआई म्यूचुअल फंड प्राइवेट लिमिटेड, टाटा आस्ति प्रबंधन लिमिटेड और डीएसपी म्यूचुअल फंड प्राइवेट लिमिटेड के साथ टाई-अप व्यवस्था की गई है।

निम्नलिखित कंपनियों के साथ समझौता होने पर बैंक अपने ग्राहकों के लिए वैकल्पिक आधार पर विभिन्न समूह बीमा उत्पाद प्रदान करता है:

- भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु को कवर करनेवाली "आईबी जीवन कल्याण और जीवन वरिष्ठ"
- यूआईआईसी के माध्यम से दुर्घटना से होनेवाली मृत्यु को कवर करनेवाली "आईबी छत्र"
- यूआईआईसी के माध्यम से हमारे खाता धारकों के लिए गुप मेडीकलेम इन्श्युरेंस देनेवाली "आरोग्य रक्षा"

- यूआईआईसी के माध्यम से हवाई जहाज के अलावा अन्य माध्यमों से अंतर्देशीय यात्रा के लिए ग्रुप यात्रा बीमा योजना को कवर करनेवाली "आईबी यात्रा सुरक्षा"
- भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से "आईबी गृह जीवन" तथा कोटक लाइफ के माध्यम से "आईबी होम सुरक्षा" द्वारा गृह ऋण उधारकर्ताओं को कवर करने हेतु
- भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से "आईबी जीवन विद्या" तथा पीएनबी मेटलाइफ के माध्यम से "आईबी विद्यार्थी सुरक्षा" द्वारा शैक्षिक ऋण छात्र उधारकर्ताओं को कवर किया जाता है।

14. ऋण निगरानी कक्ष

आस्ति गुणवत्ता में सुधार के लिए की गई पहल

आस्ति की गुणवत्ता बनाए रखना लाभप्रदता की कुंजी है। बैंक ने आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित निगरानी उपकरण लागू किए हैं। उन्हें मुख्य रूप मंजूरी की संवीक्षा, खातों की सावधिक समीक्षा, ईडब्ल्यूएस (अर्ली वार्निंग सिग्नल) सॉफ्टवेयर से दैनिक सिग्नल के माध्यम से निगरानी, मासिक सीआरएम (क्रेडिट रिलेशनशिप मैनेजर) रिपोर्ट, एसएमए का अनुवर्तन (विशेष उल्लेखित खाता) में वर्गीकृत किया जा सकता है।

मंजूरीयों की जांच

- उच्च मूल्य वाले मंजूरीयों की जांच की प्रणाली। किसी भी त्रुटि या चूक को ऋण के प्रारंभिक चरण में ठीक किया जा सकता है। इसी प्रकार अन्य ऋणों की मंजूरी की जाँच अंचल / क्षे.म.प्र. कार्यालयों में की जाती है और उन पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।
- प्रारंभिक अवस्था में ही परिसंपत्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सहायता करता है।

नियमित अंतराल पर खातों की समीक्षा

- ऋण समीक्षा प्रणाली के जरिए समीक्षा की जाती है।
- वित्तीय अनुपात के अलावा, खाते के संचालन, उद्योग स्तर पर बराबरी की तुलना, प्रबंधन में बदलाव, रेटिंग का संचार, शेयर की कीमत में उतार-चढ़ाव, बाजार की जानकारी आदि जैसे मापदंडों की भी समीक्षा की जाती है।
- ऐसे ऋण जो ऋण के दोषों को विकसित करते हैं, उनकी पहचान करने के लिए और आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुझाए जाते हैं।

ईडब्ल्यूएस सॉफ्टवेयर से प्राप्त दैनिक संकेतों के माध्यम से निगरानी

- एक मजबूत दैनिक निगरानी तंत्र
- उत्पन्न सभी अलर्ट का विश्लेषण बिना किसी विलंब के किया जाता है।
- सुधार / पुनर्प्राप्ति / बाहर निकलने के विकल्पों के तत्काल उपाय सुझाए गए हैं।

- जो गंभीर प्रकृति के अलर्ट हैं उनका विश्लेषण रेड फ्लैगिंग और धोखाधड़ी परीक्षा के लिए किया जाता है।

सीआरएम रेपोर्ट

- सीआरएम रिपोर्ट ईडब्ल्यूएस अलर्ट के लिए संकेतों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
- तनाव का जल्द पता लगाने में मदद करता है।
- मासिक सीआरएम रिपोर्ट का उपयोग मंजूरी की शर्तों के अनुपालन, वित्तीय मापदंडों का अध्ययन करने और परिसंपत्ति की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए एक प्रभावी निगरानी उपकरण के रूप में किया जाता है।

एसएमए खातों का फॉलो-अप

नए एनपीए की गिरावट को कम करने के लिए निम्नलिखित निगरानी उपायों को लागू किया गया है।

- शाखाओं द्वारा निगरानी का निर्धारण (पहले 10 दिन, अगले 10 दिन, महीने के अंतिम 10 दिन)
- शाखा स्तर पर एसएमए 0 खातों के फॉलो-अप के लिए नोडल अधिकारी।
- कॉ.का./ क्षे.म.प्र. का. / अं.का में फॉलो-अप के लिए अभिभावक अधिकारी।
- सीआईएफ आधारित खातों और समूह खातों का फॉलो-अप करें।
- क्षेत्र स्तर के अधिकारियों को तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा एनबलर प्रदान करना।
- एसएमए की वसूली के लिए प्रभावी ढंग से बीसी/एसएचजी/एनजीओ/स्थानीय नेताओं/सरकारी अधिकारियों आदि की सेवाओं का उपयोग करना।
- क्लस्टर स्तर पर एसएमए खातों के लिए विशेष वसूली शिविर आयोजित करना।
- संभावित एनपीए गिरावट के प्रतिशत की समय-समय पर समीक्षा (2% से कम वार्षिक कटौती करने के लिए)।
- उधारकर्ताओं के एबीसी विश्लेषण और विशिष्ट रणनीतियों को लागू करने से तिमाही / वर्ष के अंत से पहले ताजा एनपीए को अपग्रेड करने पर ध्यान दें।

15. आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन

- बैंक ने जून 2011 से एनपीए (गैर निष्पादक आस्ति) की सिस्टम द्वारा पहचान प्रणाली के सफलतापूर्वक अनुवर्तन के साथ आस्ति गुणवत्ता पर निरंतर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रभावी तरीके से कई विवेकी ऋण निगरानी टूलों का इस्तेमाल किया है। फरवरी 2016 से गैर निष्पादक आस्तियों की मासिक फ्लैगिंग की शुरुआत की गई थी।

- नए एनपीए खातों की वसूली / उन्नयन के लिए समय पर कार्रवाई की जाती है और विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) का पता लगाकर उन्हें मॉनिटर करने के जरिए दबावग्रस्त खातों का नियमित अनुवर्तन किया जाता है ताकि गिरावट को न्यूनतम स्तर पर बनाए रखा जा सके।
- बैंक ने नए एनपीए की वसूली और नए एनपीए को कम करने में वर्ष 2019-20 के दौरान अच्छा निष्पादन दर्ज किया है। विभिन्न वसूली व्यवस्थाओं जैसे लोक अदालत, एकबारगी निपटान (ओटीएस) के जरिए बातचीत द्वारा समझौते तथा डीआरटी/सरफेसी अधिनियम आदि के जरिए वसूली के उपायों से नए एनपीए में घटौती संभव हुई है। अंचल / शाखाएँ स्वैच्छिक चूककर्ता/असहयोगी उधारकर्ता की पहचान कर उनपर व्यक्तिगत गारंटी लागू करना, समापन याचिका दायर करना, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) से पहले दिवालियापन और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत याचिका दाखिल करने, बंधक शेरों के हस्तांतरण आदि समस्त वसूली मापदण्डों का सक्रियता से कार्यान्वयन कर रही हैं।
- सरफासी अधिनियम के तहत, वर्ष के दौरान, रु. 2307-45 करोड़ की आरक्षित मूल्य पर 1613 संपत्तियों को विक्रय के लिए लाया गया तथा 191 संपत्तियों को रु. 105-44 करोड़ के विक्रय मूल्य पर बेचा गया। निजी संधि प्रणाली के माध्यम से 15 संपत्तियों को रु. 23-20 करोड़ के विक्रय मूल्य पर बेचा गया।
- बैंक ने नालसा द्वारा आयोजित सभी राष्ट्रीय लोक अदालतों में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा मंडल स्तर पर विभिन्न लोक अदालतों का आयोजन किया गया। रु. 1130-04 करोड़ की राशि के कुल 37225 प्री लिटिगेशन खातों को लोक अदालत में पेश किया गया था। रु. 35.34 करोड़ के 2936 खातों का निपटान किया गया। रु. 6.30 करोड़ की स्पोर्ट वसूली की गई।
- 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के दौरान घर-घर जाकर अभियान को शामिल करते हुए आवधिक रूप से शाखाओं द्वारा पूरे भारत में क्लस्टर आधार पर व्यापक वसूली शिविर आयोजित किए गए रु. 395.67 करोड़ की नकद वसूली की गई।
- बड़े खातों एवं अशोध्य ऋणों (तकनीकी रूप से लिखा हुआ) के संबंध में, वर्ष के दौरान रु. 227.33 करोड़ की वसूली की गई।
- बदलते आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप, बैंक की वसूली पॉलिसी को बेहतर बनाया गया है तथा वसूली निष्पादन में सुधार हेतु फ्रंटलाइन अधिकारियों को संवेदीकृत किया गया है। संपूर्ण ड्रैकिंग का पता लगाने तथा ओटीएस प्रक्रिया को सरलीकृत बनाने की दृष्टि से, रु.1 करोड़ तक के प्रस्तावों को निपटाने के लिए आनलाइन ओटीएस साफ्टवेयर ऐप्लीकेशन का प्रवर्तन किया गया। इसके अलावा, वसूली विभाग से अंचलों को दौरा करते समय अधिकारियों द्वारा वसूली में बढ़ोत्तरी लाने की दृष्टि से प्रावधान पर घटौती लाने के लिए जोर दिया जाता है तथा नये एनपीए/संदिग्ध खातों में उन्नयन लाने के लिए जोर दिया जाता है।

16. जोखिम प्रबंधन :

बैंक का जोखिम प्रबंधन तंत्र विभिन्न जोखिमों की स्पष्ट समझ, अनुशासित जोखिम मूल्यांकन एवं मापन प्रक्रियाओं तथा सतत जाँच पर आधारित है। संपूर्ण उद्यम में

प्रभावोत्पादक जोखिम प्रबंधन के लिए एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है एवं यह पूरे बैंक के, मूल्यांकन, मॉनिटरिंग तथा जोखिम निवेश की रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित तीन शीर्ष स्तरीय समितियों के जरिए बैंक की सभी जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है :

- **आस्ति एवं देयता प्रबंधन समिति (अल्को)**
- **जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)**
- **परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)**

यह समितियाँ बोर्ड और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित नीतियों और समग्र दिशानिर्देशों के अंतर्गत काम करती हैं।

जोखिमों के प्रबंधन के लिए बैंक ने विभिन्न नीतियाँ निर्धारित की हैं। उद्यम-स्तर जोखिम का विश्लेषण करने तथा सभी जोखिमों को एकीकृत करने की दृष्टि से, एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति बनायी गयी है। एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति (प्रकटीकरण नीति, प्रतिष्ठा जोखिम प्रबंधन नीति और रणनीतिक जोखिम प्रबंधन नीति सहित) भी बनायी गयी है। महत्वपूर्ण जोखिम नीतियों में ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, चलनिधि प्रबंधन नीति, ऋण नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति (तनाव परीक्षण नीति सहित), संपार्श्विक प्रबंधन नीति शामिल हैं।

जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)/बोर्ड द्वारा सभी नीतियाँ वार्षिक आधार पर पुनरीक्षित की जाती हैं। जोखिम प्रबंधन संकल्पनाओं की जानकारी देने और क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं को इनके प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से सभी संबंधित नीतियाँ शाखाओं के बीच परिचालित की गई हैं तथा इसके अलावा बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों में इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

ऋण जोखिम, चलनिधि जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम प्रोफाइलों को संकलित करके तथा प्रत्येक जोखिम के लिए निर्धारित पैरामीटर की दिशा और मात्रा में भिन्नता का आकलन करके त्रैमासिक आधार पर नियमित रूप से जोखिम का प्रबंधन किया जाता है।

ऋण जोखिम :

जोखिम प्रबंधन प्रणाली प्रारंभिक चरण में जोखिमों की पहचान करने और उनका विश्लेषण करने के लिए होती है और ऋण जोखिम प्रबंधन ढाँचे के माध्यम से बदलते जोखिम वाले वातावरण का सामना करने के लिए अन्य सुधारात्मक उपाय करने के अलावा विवेकपूर्ण सीमाओं का निर्धारण एवं निगरानी करके उन्हें प्रबंधित करती है, जिससे ऋण जोखिम को एक ही समय पर ट्रैक, प्रबंधित और कुशल तरीके से देखरेख किया जा सकता है।

आस्ति देयता प्रबंधन :

आस्ति देयता प्रबंधन बैंक को जोखिम एक्सपोजर, जोकि चलनिधि जोखिम और ब्याज दर जोखिम से बैंक के तुलन पत्र पर उभर सकते हैं, को मापने व जाँचने हेतु सहायता करता है। यह बैंक को आस्ति देयता प्रबंधन हेतु उपयुक्त रणनीतियाँ उपलब्ध कराने में मदद करता है।

बाजार जोखिम प्रबंधन :

बाजार में होने वाले विविध परिवर्तनों के परिणामस्वरूप संभावित नुकसान, बाजार जोखिम है। अंतर्राष्ट्रीय निपटान हेतु बैंक (बीआईएस) ने बाजार जोखिम की परिभाषा इस रूप में दी है कि बाजार जोखिम 'ऑन' अथवा 'ऑफ' तुलन पत्र की स्थिति का मूल्य इक्विटी एवं बाजार के ब्याज दर, मुद्रा विनिमय दर तथा क्रेडिट की कीमतों में उतार-चढ़ाव से प्रतिकूल रूप में प्रभावित होगी। इस प्रकार, बाजार जोखिम ब्याज दरों या प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा और शेयर की कीमतों के बाजार के स्तर में परिवर्तन, साथ ही उन परिवर्तनों की अस्थिरता के कारण बैंक की आय और पूंजी के लिए खतरा है। बाजार जोखिम प्रबंधन का लक्ष्य है, बाजार जोखिम एक्सपोजर से संबन्धित वैश्लेषिकी संचालित आदानों, पोर्टफोलियो निष्पादन की तुलना में जोखिम एक्सपोजर और तुलनात्मक मापदण्डों को उपलब्ध कराकर जोखिम समायोजित प्रतिलाभ दर को अधिकतम बढ़ाने में व्यापार इकाइयों की सहायता करना।

परिचालन जोखिम :

वर्तमान में परिचालन जोखिम उद्योग प्रतिभागियों, विनियामकों एवं अन्य स्टेकधारकों के बीच गहन रुचि का विषय बन गया है। प्रभावी संचालन, जोखिम पर पकड़ और परिचालन जोखिम के एक्सपोजर के मूल्यांकन व मात्रा निर्धारण को सुनिश्चित करने हेतु बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क (ओआरएमएफ) व परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली (ओआरएमएस) विद्यमान है। दैनिक प्रबंधन प्रक्रियाओं में गुणात्मक व मात्रात्मक उपायों के प्रयोग व आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापन के द्वारा तथा विविध जोखिम न्यूनीकरण रणनीति को अंगीकार कर परिचालन जोखिम का सुप्रबंधन किया जाता है। विविध उत्पादों/प्रक्रियाओं में जोखिम बोध का आलोचनात्मक विश्लेषण एवं सुधारात्मक कदम, यदि आवश्यक हों तो, उठाए जाते हैं।

परिचालन जोखिम की भी क्रेडिट स्पर्ट के विश्लेषण और परिचालन हानि की आवृत्ति और गंभीरता के विश्लेषण के माध्यम से निगरानी की जाती है।

बैंक ने जोखिम नियंत्रण और स्व मूल्यांकन (आरसीएस) तथा मुख्य जोखिम सूचकांक (के आर आई) के लिए वांछित फ्रेमवर्क तैयार किया है। जोखिम एवं नियंत्रण स्वमूल्यांकन को मुख्य परिचालनात्मक जोखिमों का पता लगाने और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावत्मकता की तीव्रता का मूल्यांकन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। बैंक आरसीएस तथा के आरआई को सुदृढ़ करने के लिए परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन हेतु कवरेज क्षेत्र की समीक्षा और सुधार के जरिए कदम उठा रहा है।

बेसल III पूंजी विनियमन :

बैंक का सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी स्तर काफी अच्छा है और बैंक आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की पूंजी बढ़ाने की पर्याप्त क्षमता भी रखता है। बैंक ने 01 अप्रैल, 2013 से प्रस्तावित बेसल III पूंजी विनियमन को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों को अपनाया है। सम्पूर्ण बेसल III की ओर निर्बाध पारगमन सुनिश्चित करने हेतु सितंबर 30, 2020 तक पूर्ण कार्यान्वयन के लिए उचित पारगमन प्रबंध की तैयारी कर ली गई है।

बेसल III पूंजी नियमों को पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के घटकों पर प्रकटीकरणों के वर्धित सेट की आवश्यकता भी है जिन्हें त्रैमासिक आधार पर बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। बैंक लीवरेज अनुपात एवं चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) भी दर्शा रहा है।

मानव संसाधन प्रबंधन (मा.सं.प्र.)

श्रमशक्ति की स्थिति

31.03.2020 को बैंक की श्रमशक्ति स्थिति निम्नानुसार है :

संवर्ग	कुल	अन्य पिछड़ा वर्ग	अजा	अज जा	पुरुष	महिला
अधिकारी	10407	3090	2184	822	7290	3117
लिपिक	7196	2455	1436	287	4067	3129
सब स्टाफ	977	274	345	54	809	168
पूर्णकालिक सफाई कर्मचारी	21	3	17	0	11	10
कुल*	18601	5822	3982	1163	12177	6424

(* अंशकालिक सफाई कर्मचारी को छोड़कर घरेलू)

भर्ती अभियान

वर्ष के दौरान, बैंक में भर्ती इस प्रकार है :

वेतनमान	संख्या
अधिकारी विशेषज्ञ वेतनमान 4	2
अधिकारी विशेषज्ञ वेतनमान 3	14
अधिकारी विशेषज्ञ वेतनमान 2	24
अधिकारी विशेषज्ञ वेतनमान 1	4
लिपिक	256
अधीनस्थ कर्मचारी	10

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्गों / शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपाय :

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) और शारीरिक रूप से विकलांग (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों को आरक्षण प्रदान किए जाते हैं। सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति (अजा)/अनुसूचित जनजाति (अजजा)/शारीरिक रूप से विकलांग (पीडब्ल्यूडी) को पदोन्नतियों में आरक्षण दिए जाते हैं।

कॉका/मासंप्र में अ.जा/अ.ज.जा कल्याण कक्ष/आरक्षण कक्ष, अ.जा/अ.ज.जा कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों/अभ्यावेदनों (अगर कुछ हों तो) उसके तुरन्त निपटान को सुनिश्चित करता है। अ.जा/अ.ज.जा वर्ग के कर्मचारियों के हितों की देखभाल हेतु एक महाप्रबन्धक, मुख्य समन्वय अधिकारी (सीएलओ) के रूप में तथा दूसरे महाप्रबन्धक अ.पि.व कर्मचारियों के हितार्थ सीएलओ के रूप में कार्यरत हैं।

कौशल का उन्नयन

बैंक के प्रशिक्षण मूलभूत संरचना में, विकास एवं उत्कर्ष हेतु इंडियन बैंक प्रबन्धन अकादमी (इमेज) का नवोन्मेषी प्रशिक्षण महाविद्यालय शामिल है तथा देश भर में स्थित नौ स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र स्टाफ और अधिकारियों को अपने कौशल का उन्नयन करने में सहायक सिद्ध हैं।

वर्ष के दौरान, आंतरिक प्रशिक्षण प्रणाली के जरिए 10987 अधिकारियों, 5678 लिपिकों एवं 294 सब-स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा, 382 अधिकारीगण और कार्यपालकों ने भी बाह्य संस्थानों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

औद्योगिक संबंध:

बैंक का उच्च प्रबन्धन, कर्मचारी संघ, अधिकारी संघ के नेताओं के साथ विचारविमर्श करता है तथा उनकी प्रतिक्रिया, व्यापार में वांछित वृद्धि और सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने में सकारात्मक रहा है।

कर्मचारियों के लाभार्थ निम्नांकित नीतियों (पॉलिसियों) / योजनाओं की समीक्षा / सूत्रबद्ध की गई।

- समामेलित इकाई के लिए मानव संसाधन नीतियों के भाग के रूप में 7 नीतियों को मंजूरी।
- समामेलित इकाई के लिए 6 स्टाफ ऋण नीतियों को मंजूरी।
- समामेलित इकाई के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए नीति को मंजूरी।
- समामेलित इकाई के लिए 19 कर्मचारी लाभ योजनाओं को मंजूरी।
- सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप संशोधन पदोन्नति नीति
- समामेलित इकाई के लिए समूह जीवन बीमा योजना की शुरुआत।

एसएपी (सैप)

एसएपी (सैप) एच आर सॉफ्टवेयर का प्रयोग एचआर संबंधी गतिविधियों हेतु किया जा रहा है। अब सभी एचआर संबंधी गतिविधियों को केन्द्रीकृत करने पर ध्यान केन्द्रित है। केन्द्रीकृत बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू है। संपूर्ण श्रमशक्ति में तकनीकी प्रगति को बढ़ाने एवं मानव संसाधन से संबंधित मुद्दों को कागज-रहित प्रसंस्करण को प्राप्त करने के उद्देश्य से, इंटरनेट के माध्यम से मानव संसाधन प्रबंधन के लिए एक समेकित वेब साइट होस्ट की गई है। कार्यरत तथा सेवानिवृत्त स्टाफ से संबंधित एचआर मामलों के शीघ्र निपटान हेतु कई उपाय किए गए हैं।

स्टाफ कल्याण उपाय

बैंक की केन्द्रीय कल्याण समिति कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कल्याण योजनाओं की समीक्षा निरंतर करती रहती है और उसकी सिफारिशों के आधार पर उनमें सुधार किए जाते हैं। वर्तमान में, बैंक स्टाफ कल्याण बजट के लिए 20 करोड़ रुपये अंशदान प्रदान कर रहा है।

18- ग्राहक सेवा

ग्राहक सेवा किसी भी सेवा उद्योग का आधार है, खासकर बैंकिंग क्षेत्र में। छोटे भुगतान बैंकों और विभिन्न स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश के कारण बैंकिंग उद्योग में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक बढ़ गई है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर अपने बाजार हिस्सेदारी को बनाए रखने एवं बाजार हिस्सेदारी में सुधार के लिए काफी दबाव है। केवल ग्राहक सेवा के स्तर में सुधार करके और प्रौद्योगिकी उत्पादों का नवोन्मेष करके ही बैंक इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और व्यावसाय को बनाए रख सकते हैं।

शिकायत निवारण का माध्यम

- समस्त शाखाओं में शिकायत रजिस्टर रखा जाता है।
- सभी शाखाओं के बैंकिंग हॉल में शिकायत सह सुझाव बॉक्स रखा गया है।
- टोल फ्री नंबर 18004250000 के साथ 24x7 एकीकृत कॉल सेंटर उपलब्ध किया गया है।
- ग्राहक अपनी शिकायत नीचे दिये गए किसी भी ई-मेल के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं - nodalofficer@indianbank.co.in; customercomplaints@indianbank.co.in;
- समस्त माध्यमों से शाखाओं/अंचलों/कॉर्पोरेट कार्यालय को प्राप्त सभी शिकायतों का समाधान यदि 24 घंटे के भीतर नहीं किया जाता तो यह मानक सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) में पंजीकृत हो जाता है, यह कई अद्वितीय सुविधाओं के साथ विकसित एक इन-हाउस सॉफ्टवेयर है।

आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति

- भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, 17.02.2016 से आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने एवं ग्राहक के विश्वास को सशक्त करने के क्रम में यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके शिकायतों का निपटान किया जा रहा है, एक आंतरिक लोकपाल को नियुक्त किया गया है।
- सभी शिकायत जहाँ समाधान नगण्य है या आंशिक है, उसे योजना के अनुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु बैंक के आंतरिक लोकपाल तक आंतरिक रूप से पेश किया जाएगा।

ग्राहक सेवा में सुधार हेतु की गई पहलें

- पासबुक कियोस्क / बीएनए के अलावा शाखाओं में लेन-देन के समय / फुट फॉल को कम करने के लिए विभिन्न केंद्रों पर ई लाउंज खोला गया जहां लेनदेन की मात्रा बहुत अधिक है।
- जहां पेंशनरों की संख्या अधिक है, उन शाखाओं को वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष काउंटर खोलने की सलाह दी गई है।
- शाखाओं में आए बिना लेनदेन करने के लिए कई नए प्रौद्योगिकी उत्पादों की शुरुआत की गयी और ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए चयनित केंद्रों पर प्रौद्योगिकी जागरूकता अभियान चलाये गए।
- ग्राहकों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान हेतु सभी शाखाओं में व्यापक नोटिस बोर्ड प्रदर्शित किया जाता है।
- ग्राहकों से प्राप्त सभी प्रकार के शिकायतों को दूर करने के लिए हर महीने स्टाफ बैठकें एवं संयुक्त ग्राहक सेवा समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- सभी शिकायतों को शाखाओं/अंचल /परियोजना कार्यालय, को उसके निवारण हेतु भेजा जाता है। लगभग एक तिहाई शिकायतों का निवारण 24

घंटों (ओपन एंड क्लोज श्रेणी) के भीतर कर लिया जाता है और अन्य शिकायतों को एसपीजीआरएस के अनुसार 21 दिनों की अधिकतम टीएटी के मुकाबले लगभग 5 दिनों के औसत टर्न-अराउंड टाइम (टीएटी) के भीतर ही हल कर दिया जाता है।

- ग्राहक सेवा में सुधार और ग्राहकों की शिकायतों के निपटान के लिए हमारे प्रशिक्षण केंद्रों में सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों / कार्यशालाओं में एक समर्पित विशेष सत्र संचालित।
- शाखाओं का गुप्त दौरा, आरबीआई, बीसीएसबीआई आदि जैसे नियामक निकायों द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक, का उपयोग ग्राहक सेवा के स्तर, विभिन्न अनिवार्य सूचनाओं का प्रदर्शन, कर्मचारियों का रवैया, ग्राहक मित्रता, समय मानदंड और समग्र ग्राहक संतुष्टि इत्यादि का पालन करने के लिए किया जाता है।

ग्राहक दिवस :

- ग्राहकों के साथ बातचीत करने एवं ग्राहकों की अपेक्षाओं/प्रतिक्रियाओं को अद्यतन करने के लिए दिनांक 21.08.2019 को विश्व भर में स्थित सभी शाखाओं में ग्राहक दिवस मनाया गया। ग्राहकों से प्राप्त प्रतिक्रियाएँ/सुझावों को इसकी व्यवहार्यता और मानदंडों आधार पर कार्यान्वित करने हेतु शाखाओं/अंचलों/उपयोगकर्ता विभागों को साझा किया गया।



अहमदाबाद में शाखा में ग्राहक दिवस



विशाखापत्तनम अंचल में ग्राहक दिवस समारोह

विनियामक बैठकें / नोट्स

- ग्राहक सेवा से संबंधित विनियामक/अनिवार्य बैठकों का समय-सारणी के अनुसार आयोजन किया गया।
- कैलेंडर समीक्षा के अनुसार बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति की समीक्षाओं को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

विनियामक प्राधिकारियों की टिप्पणियाँ

- कुछ दिशानिर्देश जारी करने के अलावा बैंकिंग लोकपाल द्वारा कोई अधिनिर्णय पारित नहीं किया गया है।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005

- सूचना अधिकार अधिनियम के तहत बैंक द्वारा प्राप्त आवेदनों/प्रथम अपीलों/द्वितीय अपीलों पर ग्राहक सेवा कक्ष में एक स्वतंत्र डेस्क कार्य करता है। सूचना अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन पर संसदीय समिति द्वारा दी गई सलाह के अनुसार बैंक ने शुरु से ही एकल खिड़की दृष्टिकोण अपनाया है। आरटीआई आवेदन दायर करने के लिए ऑन-लाइन सुविधा भी उपलब्ध है (सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों में इस सुविधा का प्रवर्तन करनेवाला प्रथम बैंक इंडियन बैंक रहा।)
- सभी आवेदन निर्धारित समयावधि के भीतर निपटाए जाते हैं।
- वर्ष 2019-20 में बैंक के खिलाफ कोई अधिनिर्णय पारित नहीं किया गया।

विदेशी मुद्रा कारोबार :

- वर्ष के दौरान बैंक ने रु. 30155.80 करोड़ के विदेशी मुद्रा व्यापार का संचालन किया है। इसमें निर्यात और अन्य आंतरिक विप्रेषण रु.11103.74 करोड़ के थे तथा आयात और अन्य बाहरी विप्रेषण रु.19052-06 करोड़ के थे।
- वर्ष के दौरान बैंक का कुल अंतर बैंक फोरेक्स बाजार टर्नओवर रु. 505604.15 करोड़ रहा।
- बैंक की 81 शाखाओं को विदेशी मुद्रा कारोबार का संचालन करने के लिए प्राधिकृत हैं। बैंक को दुनिया भर में संपर्की व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं।
- एफसीएनआर/एनआरआई जमाएँ : अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जमाओं में पिछले वित्त वर्ष में रु. 9646.33 करोड़ की तुलना में वर्ष 2019-20 के लिए रु. 10229.54 करोड़ तक की वृद्धि के साथ 6.05 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

विप्रेषण

- सिंगापुर से बैंक की उद्यम विप्रेषण योजना के तहत सिंगापुर में निधि की प्राप्ति के बाद मिनटों में विदेशी प्रेषणों के बराबर रूप भारत में ग्राहक के खातों में क्रेडिट किए जाते हैं और क्रेडिट की सूचना देते हुए सिंगापुर में प्रेषणकर्ता को एक एसएमएस संदेश अग्रेषित किया जाता है। यह सुविधा सप्ताह के सभी दिन उपलब्ध है।
- स्विफ्ट आधारित सामान्य धन अंतरण के अलावा बैंक द्वारा एनआरआई को दी जानेवाली अन्य प्रेषण सुविधाओं में "एक्सप्रेस मनी", "मनीग्राम", "वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रान्सफर", "रिया मनी ट्रान्सफर" सुविधाएँ हैं।

- एक्सचेंज गृह, यथा मेसर्स यूआई एक्सचेंज सेंटर एलएलसी – अबू धाबी, यूआई एक्सचेंज सेंटर डब्ल्यूएलएल – कुवैत, अल जमन एक्सचेंज डब्ल्यूएलएल – कतर, जीसीसी एक्सचेंज – दुबई, बेलहासा ग्लोबल एक्सचेंज – दुबई, अल दार फॉर एक्सचेंज – कतर के साथ इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण व्यवस्था प्रवर्तित की गई है। मेसर्स अल रजही बैंक, साउदी अरेबिया के साथ प्रेषण व्यवस्था पहले से ही प्रवर्तित की जा चुकी है।

अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

- विदेश में बैंक की तीन शाखाएं सिंगापुर, कोलंबो एवं जाफना में स्थित हैं। दिसंबर, 2019 में, बैंक ने गुजरात के गांधी नगर में आईएफएससी बैंकिंग यूनिट (आईबीयू) में अपना परिचालन शुरू किया था। 31 मार्च 2020 तक विदेशी शाखाओं का कुल जमा और अग्रिम (आईबीयू सहित) क्रमशः रु. 7433.64 करोड़ एवं रु. 8448.95 करोड़ था।
- वर्ष 1941 में स्थापित की गई सिंगापुर शाखा ने अद्यतन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए विविध बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके पहचान बनाई है और अपनी साख्य बढ़ाकर ग्राहक विश्वास प्राप्त किया है। शाखा अब अपना कारोबार दो लेखा इकाइयों – सिंगापुर डॉलर कारोबार के लिए डोमेस्टिक बैंकिंग यूनिट (डीबीयू) और सिंगापुर डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं में कारोबार हेतु ऐशियन करेन्सी यूनिट (एसीयू) में कर रही है।
- कोलंबो शाखा, जो वर्ष 1932 में स्थापित की गई, व्यापार वित्त प्रदान करने में सक्रिय रूप से भागीदार है। विदेशी मुद्रा बैंकिंग इकाई (एफसीबीयू) कोलंबो, ऑफशोर बैंकिंग परिचालन में लगी है।
- जाफना शाखा, जिसे वर्ष 2011 में पुनर्स्थापित किया गया, जाफना क्षेत्र के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- गिफ्ट सिटी, गांधी नगर, गुजरात में स्थित आईएफएससी बैंकिंग यूनिट (आईबीयू) ने दिसंबर 2019 में अपना परिचालन शुरू किया।

प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल पहलें :

डिजिटल वितरण चैनलों को मजबूत करने और ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए बैंक ने कई उत्पादों की शुरुआत की है। इसने बैंक को डिजिटल चैनलों के माध्यम से लेनदेन में सुधार करने में सक्षम बनाया है, जिसमें 16 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कुल लेनदेन 45 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त किया है।

ग्राहक केन्द्रित डिजिटल उत्पाद

1. अतिरिक्त सुरक्षा और कार्ड रिक्मिंग को कम करने के लिए बैंक के 100 प्रतिशत एटीएम को ईएमवी कार्ड स्वीकार करने के लिए सक्रिय किया गया।
2. **एनसीएमसी कार्ड (नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड):** बैंक द्वारा भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड तकनीकी और दोहरे इंटरफेस कार्ड के तहत एक राष्ट्र एक कार्ड की पेशकश की गई है, इन्हें सभी एटीएम, पीओएस और ई-कॉम लेनदेन और मेट्रो स्टेशनों, पार्किंग, टोल, खुदरा आदि जैसे ऑफलाइन वॉलेट के लिए सभी टैप और गो भुगतान हेतु सामान्य डेबिट कार्ड के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
3. **रुपे सेलेक्ट कार्ड:** कार्ड धारकों के लिए संबंधित सेवाओं पर ऑफर और छूट की इनबिल्ट सुविधा के साथ प्रीमियम डेबिट कार्ड।
4. **रुपे वीमेन डेबिट कार्ड** – आईबी सुरभि खातों के लिए रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं।

5. **एनसीएमसी रुपे कॉन्टैक्टलेस कार्ड** – कॉन्टैक्टलेस इंटरफेस सहित टैप एवं बिना पिन के 2000 रुपये तक की भुगतान सुविधा वाला रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड।
6. **आईबी डिजिटल डेबिट कार्ड** – आईबी – डिजिटल खातों के लिए जारी रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड ऑनलाइन के माध्यम से खोले गए।
7. **मास्टर कार्ड शॉप, कैश बैंक प्रोग्राम** – मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड पर किए गए लेन-देन पर कैश बैंक कमाने की सुविधा

8. इंटरनेट बैंकिंग :

- **नेट ईज:** एकल नेट बैंकिंग पोर्टल के तहत ग्राहक परिचालन में आसानी।
- **ऑनलाइन नामांकन सुविधा :** ग्राहक अब बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करके अपनी जमा राशि के लिए नामांकन कर सकते हैं।
- **पीपीएफ खाता खोलना :** ग्राहक बिना शाखा में आए इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पीपीएफ खाता खोल सकता है।
- **यूपीआई 2-0 :** ग्राहक ओवरड्राफ्ट अकाउंट को यूपीआई, अधिदेश जारी और शेरों के लिए आवेदन से लिंक कर सकते हैं।
- **एनईएफटी 24x7 :** एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) के माध्यम से ऑनलाइन धन हस्तांतरण 24x7 होता है।
- **इंड पे में लेन-देन की सीमा :** मोबाइल बैंकिंग (इंड पे) में फंड ट्रांसफर सीमा रु.50000 से बढ़ाकर रु.200000 की गई है।
- **एनपीएस योगदान :** ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एनपीएस में योगदान कर सकते हैं।
- **ईमेल आईडी अपडेट :** ग्राहक के लिए इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन ईमेल आईडी को अपडेट / बदलने की सुविधा

9. इंड पे मोबाइल एप्लिकेशन :

- **ईमेल के माध्यम से खाता विवरण :** ग्राहक इंडपे एप्लिकेशन में ईमेल के माध्यम से खाता विवरण प्राप्त करने के लिए सदस्यता ले सकते हैं।
- मोबाइल एप में ग्राहकों के उपभोक्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए मराठी, गुजराती एवं मलयालम भाषाओं की पेशकश की गई है।

10. इंड एडवांटेज

- प्रत्येक ग्राहक के लिए एक मूल्य वर्धित सेवा
- डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से किए गए लेन-देन पर इंड एडवांटेज पॉइंट अर्जित करें।
- आकर्षक ऑफर वाले उत्पादों और सेवाओं जैसे – एयरलाइन टिकट, मूवी टिकट, होटल बुकिंग, मोबाइल / डीटीएच रिचार्ज, मर्चेंडाइज़, पर आकर्षक ऑफर के लिए लाभ उठाया जा सकता है।

क्रेडिट कार्ड

- **पूर्व अनुमोदित क्रेडिट कार्ड:** प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड मानक होम लोन लेने वालों को 1 लाख रुपये की निर्धारित सीमा के साथ जारी किया जाता है। स्वीकृत होम लोन की सीमा के 10 प्रतिशत तक कार्ड की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।
- **क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन :** नए क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने के प्रावधान इंडियन बैंक के ग्राहकों के लिए बैंक की वेबसाइट में सक्रिय किया जाएगा। ग्राहक इंडियन बैंक खाता संख्या का उल्लेख करके क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे।

मर्चेंट अधिग्रहण :

- **भीम आधार पे :** डिजिटल मर्चेंट अधिग्रहण को बढ़ावा देने के लिए और ग्राहकों के बीच मर्चेंट पेमेंट मोड को लोकप्रिय बनाने के लिए भीम आधार पे के लिए बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट स्कैनर डिवाइस की आपूर्ति शून्य मूल्य पर की गई है।
- **आईबी कलेक्ट प्लस :** भुगतान गेटवे के माध्यम से अपनी राशि को प्राप्त करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करने में ग्राहकों को सक्षम करने के लिए एक उत्पाद। यह बिना सॉफ्टवेयर समर्थन के व्यापारियों को भुगतान प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। इससे पहले आईबी कलेक्ट केवल व्यापारियों के लिए सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ प्रदान किया जाता है। इस सुविधा को विभिन्न सरकारी विभागों, शैक्षिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों में दिया गया है जैसे:
 - ❖ चेन्नै महानगरीय विकास एजेंसी
 - ❖ आईआईटी मद्रास फीस संग्रह
 - ❖ अण्णा विश्वविद्यालय फीस संग्रह
 - ❖ राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, दिल्ली
 - ❖ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी
 - ❖ वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
 - ❖ एसआरएम विश्वविद्यालय
 - ❖ मद्रास विश्वविद्यालय
- **आईबी कलेक्ट प्लस :** भुगतान गेटवे के माध्यम से अपनी राशि को प्राप्त करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करने में ग्राहकों को सक्षम करने के लिए एक उत्पाद। यह बिना सॉफ्टवेयर समर्थन के व्यापारियों को भुगतान प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। इससे पहले आईबी कलेक्ट केवल व्यापारियों के लिए सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ प्रदान किया जाता है। हमारे कुछ ग्राहक जहां वे वी कलेक्ट प्लस का उपयोग कर रहे हैं, वे प्रकार हैं :
 - ❖ तमिलनाडू सिमेंट्स (टीएनसीईएम)
 - ❖ कर्णाटक परीक्षा प्राधिकार (केईए)
 - ❖ तमिलनाडु रियल स्टेट विनियमन प्राधिकरण (टीएनआरईआर)
 - ❖ मेटल स्कूप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (एमएसटीसी), कोलकाता
 - ❖ मद्रास उच्च न्यायालय के छोटे मामलों के भुगतान का रजिस्ट्रार न्यायालय
 - ❖ गीतम विश्वविद्यालय
 - ❖ बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडू

- **केंद्रीकृत भुगतान प्रबंधन प्रणाली (सीपीएमएस):** गैर-पीएफएमएस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एकमुश्त भुगतान, जैसे वेतन, आदि को सक्षम करने के लिए केंद्रीकृत भुगतान मंच।
- **फास्ट टैग :** जैसा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, एनपीसीआई के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) ने टोल प्लाजा पर वाहन के चलती हुई अवस्था में ही आरएफआईडी आधारित प्रौद्योगिकी मानक के जरिये इलेक्ट्रॉनिक रूप से टोल संग्रह को सक्षम किया है। बैंक ने हमारे ग्राहकों द्वारा इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए बैंक की वेबसाइट (ऑनलाइन मोड) पर फास्ट टैग की सुविधा मुहैया की है।

डिजिटल जिला का कार्यान्वयन – कारैकल :

- सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश में कारैकल जिले की पहचान 100 प्रतिशत डिजिटल सक्षमता प्राप्त करने वाले पायलट जिले के रूप में की गई है।
- इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हमारे बैंक ने सभी ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और भीम यूपीआई जैसे डिजिटल भुगतान और सभी व्यापारियों के लिए क्यूआर कोड / भीम आधार भुगतान जैसे भुगतान एवं प्राप्त चैनलों की सुविधा मुहैया कराई है।

डिजिटल चैनलों में स्टाफ नामांकन के लिए डिजिटल अभियान :

- स्टाफ सदस्यों के बीच डिजिटल उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, पीओएस / ई-कॉम में डेबिट कार्ड का उपयोग जैसे डिजिटल उत्पादों पर हमारे कर्मचारियों के लिए एक विशेष डिजिटल अभियान 1 जुलाई 2019 से 15 जुलाई 2019 तक चलाया गया था।

मैनडेट कलेक्ट

- यूटिलिटी भुगतान के लिए ईसीएस अधिदेश
- उपयोगकर्ता संस्थानों द्वारा हमारे बैंक में खाता रखने वाले ग्राहक हमारे बैंक या अन्य बैंकों में खाता रखने वाले ग्राहकों से बिल / शुल्क एकत्र करना।

यूपी आई कलेक्ट

- यूपीआई मोड के माध्यम से फीस और अन्य शुल्कों के भुगतान के लिए व्यापारियों के लिए एक समाधान संस्था / संगठन के मोबाइल / वेब-आधारित ऐप के साथ एकीकृत है।
- बैंक किसी भी व्यापारियों के लिए एक सामान्य एपीआई विकसित करेगा और बैंक के यूपीआई प्रणाली के साथ संस्थान के शुल्क / बिलिंग संग्रह प्रणाली (एफसीएस) के साथ एकीकरण के लिए एपीआई प्रदान करेगा।



वसंत एंड कंपनी, टी.नगर में कैश / पीओएस का शुभारंभ



डिजिटल चैनल्स पर ऑन-बोर्डिंग व्यापारियों के लिए ट्रेडर्स यूनियन के साथ बैठक



वी कलेक्ट प्लस का शुभारंभ



कारैकल जिला में डिजिटल अभियान

प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) :

पावर बीआई का उपयोग करते हुए कारोबार डैशबोर्ड

- इंडियन बैंक के उपयोगकर्ताओं के लिए स्वयं की रिपोर्ट और डैशबोर्ड बनाने के लिए सरल इंटरफेस के साथ व्यापार इंटेलिजेंस क्षमताओं को प्रदान करने के लिए, एमआईएस ने पावर बीआई का उपयोग करके कारोबार डैशबोर्ड विकसित किया है। विकसित किए गए डैशबोर्ड और रिपोर्ट वेब ब्राउज़र के माध्यम से या ऐपल ऐप स्टोर / गूगल प्ले स्टोर से पावर बीआई एप्लिकेशन डाउनलोड करके प्राप्त किए जा सकते हैं।

डाटा विश्लेषण

- हमारे बैंक की आवश्यकताओं के आधार पर व्यवहार संबंधी डेटा और पैटर्न की पहचान और विश्लेषण करने के लिए, उत्पादकता और व्यावसायिक लाभ बढ़ाने के लिए डाटा विश्लेषण तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

वित्त वर्ष 19-20 के लिए पुरस्कार एवं प्रशस्तियाँ (डिजिटल से संबंधित) :

- किसी भी बैंक के माध्यम से किसी भी शाखा काउंटर या नेफ्ट/आरटीजीएस के माध्यम से केश/चेक के संग्रहण को सक्षम करने वाले उत्पाद "वी कलेक्ट प्लस" के लिए इंडियन एक्सप्रेस समूह से प्रौद्योगिकी सीनेट पुरस्कार।
- उच्चतम डिजिटल लेन-देन के लिए मिड साइज बैंक श्रेणी के तहत डिजिटल भुगतान के लिए मैटि अवार्ड।



21. सूचना प्रणाली सुरक्षा

- बैंक की सूचना प्रणाली व सुरक्षा प्रक्रियाओं को आईएसओ 27001:2013 मानक से प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाणीकरण बैंक की विश्वसनीयता, सूचना सुरक्षा प्रणाली की मजबूती हेतु प्रशंसा पत्र को सम्मिलित करता है तथा ग्राहकों को आश्वस्त करता है कि बैंक की सूचना सुरक्षा उच्च कोटी की है। मानक सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईआसएमएस) के निष्पादन को मापने व मूल्यांकन पर भी जोर डालता है। प्रमाणित सुरक्षा मानक के पास कूट-लेखन, सुरक्षित विकास, सुरक्षा परीक्षण, आपूर्तिकर्ता संबंध इत्यादि में अतिरिक्त नियंत्रण है। प्रमाणित सुरक्षा मानक के पास कूट-लेखन, सुरक्षित विकास, सुरक्षा परीक्षण, आपूर्तिकर्ता संबंध इत्यादि में अतिरिक्त नियंत्रण है। सूचना सुरक्षा पॉलीसियां आईएसओ 27001-2013 के अनुसार तैयार की गईं तथा हमारे बैंक की सूचना प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए लागू किया गया।
- आईएसओ 27001 प्रमाणन के लिए पुनर्मूल्यांकन लेखा परीक्षा फरवरी 2018 के दौरान सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इसमें प्रमाणित सुरक्षा संबंधी परिस्थितियों की जांच की गई एवं इसे फरवरी 2021 तक के लिए पुनर्प्रमाणीकृत किया गया। इसके अलावा, आईएसओ 27001 मानकों के साथ बैंक के आईएसएमएस के निरंतर अनुपालन का पता लगाने के लिए वर्ष 2020 तक निगरानी ऑडिट भी पूरा कर लिया गया है।

बैंकों में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश

- बैंक ने बैंकों में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांकित 2 जून 2016 के संबंध में बोर्ड द्वारा विधिवत रणनीति को अपनाया है, इसमें व्यापार के सूक्ष्म स्तर तथा जोखिम के स्वीकृत स्तर को साइबर खतरे का सामना करने के लिए उचित पद्धति बनाई गई है। इस नीति को बनाने के पहले आंतरिक रूप से गैप विश्लेषण को आयोजित किया गया जिसमें व्यापार उद्देश्यों को बढ़ावा देने हेतु बैंक की सूचना सुरक्षा रणनीति की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन तथा लक्ष्यांकित मेचुरिटी स्तर को प्राप्त करने के लिए आवश्यकताओं का विश्लेषण किया जा सके। इस नीति का मुख्य उद्देश्य यह है कि साइबर जोखिमों का सामना करने के लिए वर्तमान सुरक्षा उपायों में सुधार लाकर बैंक के लचीलापन को बढ़ाया जाए एवं नियमित आधार पर साइबर सुरक्षा में होनेवाले जोखिमों से मुकाबला करने हेतु इसकी तैयारी सुनिश्चित की जाए। इस दिशा में बैंक को साइबर खतरे को सामना करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है क्योंकि बैंक को व्यापार के सूक्ष्म स्तर और जोखिम के स्वीकार्य स्तर के संदर्भ में स्टाफ, विक्रेताओं, ठेकेदारों और अन्य पण्यधारकों को जागरूक करना और उन्हें सूचना आस्तियों को संरक्षित करने की जिम्मेदारी निभाना है, जिसे उन्हें सौंपा गया है। एक **साइबर आपात प्रबन्धन योजना (सीसीएमपी)** का भी गठन किया गया है और इसे मुख्य रूप से साइबर घटनाओं को प्रोसेस करने के लिए बनाया गया है।

ग्राहक सूचना को सुरक्षित रखने के लिए नई सूचना सुरक्षा समाधान

- बैंक पहले ही एक साइबर सुरक्षा ऑपरेशन सेंटर (सी-एसओसी) स्थापित कर चुका है जिसमें विभिन्न प्रमुख सुरक्षा समाधान शामिल हैं। बैंक के पास सुरक्षा कार्यों की निगरानी के लिए मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीएसओसी) के तहत एक समर्पित टीम है।
- विभिन्न साइबर सुरक्षा समाधानों के कार्यान्वयन से संबंधित मामले की निगरानी के लिए सूचना प्रबंधन विभाग के तहत एक समर्पित आईटी इंफ्रा सिक्वोरिटी टीम भी बनाई गई है। समाधान एक सक्रिय तरीके से डेटा, नेटवर्क और सर्वर की सुरक्षा के लिए डिजाइन किए गए हैं।
- बैंक की साइबर सुरक्षा लचीलापन और स्थान को मजबूत करने के लिए सुरक्षा की अतिरिक्त परतों को जोड़ने के लिए मौजूदा एसओसी को साइबर एसओसी में बदलने के लिए मौजूदा एसओसी को अत्याधुनिक तकनीकों को तैनात कर अतिरिक्त सुरक्षा समाधानों के साथ सुदृढ़ किया गया है।
- बैंक ने कर्मचारियों और ग्राहकों को साइबर खतरों और प्रत्युपायों से अवगत कराने के लिए और कदम उठाए हैं। सोशल इंजीनियरिंग और फिशिंग हमलों का मुकाबला करने के लिए उन्हें शिक्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
- बैंक ने कोविड-19 महामारी के दौरान एक व्यवसाय निरंतरता योजना विकसित की है। योजना के भाग के रूप में, बैंक ने अपने कर्मचारियों / विक्रेताओं को अपने घर से काम करने में सक्षम करने के लिए एक सुरक्षित दूरस्थ संयोजकता (कनेक्टिविटी) प्रदान की है।

22. परिसर

- हरित पहल के अंतर्गत विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं आदि सभी प्रकार के भुगतान इलेक्ट्रॉनिक चैनलों, जैसे डाइरेक्ट क्रेडिट/एनईएफटी/

आरटीजीएस (केवल विशेष परिस्थितियों में ही चेक के जरिए भुगतान किया जाता है), के माध्यम से किए जाते हैं।

- बैंक के परिसर में सौर ऊर्जा और एलईडी लाइट का प्रयोग
- बैंक के भारत में 149 और सिंगापुर में 2 संपत्तियां हैं।
- बैंक ने परिसर, व्यय, खरीद, अनुबंध, प्रिंटिंग और स्टेशनरी, एयर कंडीशनिंग, ऑटोमोबाइल, टेलीफोन/सेलफोन के लिए समान नीतियां बनाई हैं एवं सभी शाखाओं/अंचलों में इसी नीति को अपनाया गया है।

हरित पहल :

सौर ऊर्जा और एलईडी लाइटिंग :

- ऊर्जा के वैकल्पित स्रोत को अपनाते हुए बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक के रूप में अन्य सत्ता के साथ हरित भारत के निर्माण में सहयोग हेतु आगे है। कॉर्पोरेट कार्यालय में सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है, जोकि पहले से ही ग्रीन बिल्डिंग (गोल्ड रेटिंग) स्टेटस में है।
- बैंक के अपने निजी मकानों में सौर ऊर्जा प्लांट संस्थापन नेटवर्क को बढ़ाते हुए जहां कहीं तकनीक रूप से व्यवहार्य हो, वहाँ सम्पूर्ण वार्षिक व्यय में ऊर्जा खपत में 4-5 प्रतिशत तक कम करने की अपेक्षा है।
- चेन्नै के आसपास, 14 इमारतों में, छत के ऊपर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था।
- एलईडी लैम्प का प्रयोग करते हुए लाइटिंग प्रणाली में नई प्रद्योगिकी उत्पादों को अपनाया गया है।
- नई शाखाओं को एलईडी लाइटिंग से सजाया गया है।
- विद्यमान शाखाओं में लाइटिंग चरण-बद्ध तरीके से परिवर्तन किए जा रहे हैं। वर्तमान में 1317 शाखाओं एवं कार्यालयों में एलईडी लाइटिंग उपलब्ध की गई है।

अन्य हरित पहल :

- शाखाओं और कार्यालयों के लिए ऊर्जा लेखा परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है।
- शाखाओं और कार्यालयों में एयर-कंडीशनर्स के ऑटो-कट-ऑफ के लिए टैमर्स का प्रावधान किया गया है, हार्मोनिक फिल्टर्स के संस्थापन तथा स्टार रेट किए गए इलेक्ट्रिकल उपकरणों के प्रयोग से काफी हद तक बिजली की खपत में कमी आई है।

23. इंड एसएस कार्यान्वयन की स्थिति:

- इंड एसएस के सुचारु कार्यान्वयन के लिए बैंक ने सलाहकार के रूप में मैसर्स डेलाइट हास्किंस एंड सेल एलएलपी नियुक्त किया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, दिनांक 11.02.2016 के पत्र डीबीआर.बीपी.76 / 21.07.001 / 2015-16 के जरिए, बैंक 1 अप्रैल 2018 से

शुरु होनेवाली लेखा अवधि के लिए स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण के लिए 31 मार्च 2018 को समाप्त होनेवाली पूर्ववर्ती अवधि के तुलनात्मक आंकड़े के साथ इंड एस का अनुपालन करेगा।

- पूर्व में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30.09.2016 को समाप्त अर्ध वर्ष के लिए इंड एस के अनुसार वित्तीय विवरणियों का प्रोफार्मा, 01.04.2016 को परिवर्तन तारीख हेतु तैयार करने के लिए सूचित किया है तथा उसे तैयार कर भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार 30.06.2017 को समाप्त तिमाही के लिए इंड एस के वित्तीय विवरण का प्रोफार्मा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया गया।
- जैसा कि आरबीआई द्वारा सलाह दी गई है, बैंक ने 30 जून 2018 को समाप्त तिमाही से शुरु होने वाले प्रत्येक तिमाही के लिए प्रोफार्मा इंड एस वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया है। बैंक उपरोक्त का अनुपालन कर रहा है।
- दिनांक 22.03.2019 को भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर.बीपी. बीसी सं.29 / 21.07.001 / 2018-19 के जरिये जारी किए गए नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, इंड एस कार्यान्वयन को आगामी सूचना तक टाल दिया गया है। हालांकि, इंड एस के वित्तीय विवरण का प्रोफार्मा प्रोफार्मा तिमाही प्रस्तुति जारी रखा जा रहा है।

24. आंतरिक नियंत्रण – निरीक्षण

- वर्ष के दौरान 2024 शाखाओं में जोखिम आधारित लेखापरीक्षा (आरबीआईए) की गई है।
- संगामी/आंतरिक लेखापरीक्षा के अधीन 600 शाखाओं को कवर करते हुए 31-03-2020 तक कुल देशी जमाओं के 51.15 प्रतिशत और देशी अग्रियों के 71.10 प्रतिशत को कवर किया गया। कुल मिलाकर, संगामी लेखा परीक्षा के अंतर्गत 62.13 प्रतिशत देशी व्यापार को कवर किया गया।
- जोखिम आधारित संगामी लेखा परीक्षा 01.04.2013 से जारी है।
- आरबीआईए व संगामी लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, आय रिसन को पहचानने के लिए ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक के व्यापार एक्सपोजरवाली 2803 शाखाओं को कवर करनेवाली राजस्व लेखापरीक्षा की गई।
- समीक्षा वर्ष के दौरान 50 अंचलों की प्रबंधन लेखापरीक्षा की गई और अनुपालन हेतु कार्रवाई आरम्भ की गई।
- समीक्षा की अवधि में सूचना एवं संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) में आधारभूत संरचना की सूचना प्रणाली (आईएस) –सीबीएस अप्लिकेशन सूट, डेटासेंटर व सीबीएस परियोजना कार्यालय की लेखापरीक्षा भी बाहरी फर्म द्वारा की गई। ग्राहकों के सम्मुख अनुप्रयोगों के नियंत्रण प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए स्विफ्ट परिचालनों की सुरक्षा लेखापरीक्षा तथा एटीएम स्विच की विशेष लेखापरीक्षा भी बाह्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई।
- दैनिक आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई हेतु शाखाओं को सुग्राही बनाने के लिए बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय एवं अंचल कार्यालयों में द्विस्तरीय रूप से ऑफसाइट निगरानी कार्यक्रम चलाए गए।
- निरीक्षकों को आधुनिकतम गतिविधियों से अवगत कराने और उनके रिपोर्टिंग कौशल को निखारने हेतु अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए।

- सुव्यवस्थित संशोधनों के लिए धोखाधड़ी, समाविष्ट पहचान, वर्गीकरण, रिपोर्टिंग, जांच, मानीटरिंग तथा अनुवर्ती कार्रवाई, संवरण, धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए निगरानी, नकली डेटा का एकत्रीकरण तथा डेटा विश्लेषण से संबंधित सभी गतिविधियों को समन्वित करने की प्रमुख जिम्मेदारी के साथ निरीक्षण विभाग के अंतर्गत धोखाधड़ी विरोधी कक्ष कार्यरत है।

25. अनुपालन

बैंक की अनुपालन नीति बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में उप महाप्रबंधक के नेतृत्व में एक स्वतंत्र अनुपालन विभाग स्थापित किया गया है। यह विभाग बैंक के कार्यों को अधिशासित करनेवाले विभिन्न सांविधिक एवं विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करता है, यथा:

- (ए) विधानों जैसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, धन-शोधन निवारण अधिनियम आदि।
- (बी) भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, बीमा विनियामक एवं विकास एजेंसी आदि द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देश।
- (सी) भारतीय बैंक संघ, भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डीलर्स एसोसिएशन आदि जैसी उद्योग संघों द्वारा निर्धारित स्वैच्छिक मानक एवं कोड और,
- (डी) परिपत्रों, मैनुअलों के जरिए जारी बैंक की आंतरिक नीतियां, आचरण कोड, दिशानिर्देश आदि।

26. सतर्कता

बैंक के सतर्कता प्रशासन हेतु सतर्कता विभाग उतरदायी है। सतर्कता प्रशासन पर, विभाग केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी)/डीएफएस एवं आरबीआई द्वारा निर्देशित किया जाता है। यह सीवीसी के साथ परामर्श करने के लिए संपर्क के एकल स्थान की भूमिका निभाता है। विभाग के प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं जिन्हें इस पद हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। धोखाधड़ी और सतर्कता से संबंधित मामलों के संबंध में आरबीआई/सीबीआई/सीवीसी/सरकार के साथ संबंध स्थापित करने के लिए सीवीओ नोडल अधिकारी है।

अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले में सहायक महाप्रबंधक (एजीएम) और इससे ऊपर के सभी अधिकारी सीवीसी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सभी अर्वाइ – स्टाफ कर्मचारिया तथा सहायक महाप्रबंधकों के पद से नीचे के अधिकारियों को शामिल कर सतर्कता अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में सीवीओ सलाह प्रस्तुत करता है। सीवीसी स्केल ट एवं उसके ऊपर के अधिकारियों के तथा ऐसे समग्र मामलों में चरण बद्ध सलाह (सतर्कता मामलों) देता है। सीवीओ सतर्कता मामलों के संबंध में आयोग के दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करता है।

विभाग केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी सतर्कता अनुशासनात्मक मामलों को निपटाने, बैंक के भीतर निवारक सतर्कता पहलों पर ध्यान देने के साथ सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। सतर्कता शिकायतों और धोखाधड़ी की जांच बैंक के विभिन्न अंचल कार्यालयों में स्थित सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से की जाती है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

वर्ष के दौरान उपस्थित अधिकारियों / पूछताछ अधिकारियों, सतर्कता अधिकारियों और अनुशासनात्मक अधिकारियों / उप-अंचल अधिकारियों के लिए तीन विशेष इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और सतर्कता के सभी पहलुओं तथा निवारक सतर्कता के महत्व को भी कवर किया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 :

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 28/10/2019 से 02/11/2019 तक मनाया गया। कार्यक्रम का विषय था "ईमानदारी— एक जीवन शैली"। प्रत्येक ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखा ने भ्रष्टाचार को मिटाने और नए भारत के निर्माण की आवश्यकता पर आम जनता को जागरूक करने के लिए "जागरूकता ग्राम सभा" का आयोजन किया। ऐसी सभाओं में जनता के लिए उपलब्ध शिकायत निवारण विकल्पों को समझाया गया। आयोग द्वारा नागरिकों / संगठनों को निर्धारित सत्यनिष्ठा शपथ दिलाई गई। सत्यनिष्ठा की शपथ ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने वाले लोगों को भी दिलाई गई।

केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह के अनुसार, देश भर के कई महानगरीय / शहरी और अर्ध-शहरी केंद्रों में आउटरीच गतिविधियों का आयोजन किया गया था। चेन्नै, कोयंबटूर, गुंटूर, मदुरै, पुदुचेरी, सलेम, तिरुचिरापल्ली और तिरुनेलवेली (8 केंद्र) में स्थित चुनिंदा कॉलेजों और स्कूलों (कक्षा नौवीं और उससे ऊपर के छात्रों के लिए) में अतिथि व्याख्यान, चर्चा, पैनल चर्चा, योग और निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह के विषय को बड़े पैमाने पर फैलाने के लिए आयोग द्वारा बैंक को आबंटित किया गया था।

भ्रष्टाचार और इसके दुष्प्रभाव, नैतिकता और मूल्यों का महत्व, ईमानदारी और अखंडता, नैतिकता, शासन में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार का उन्मूलन और एक नए भारत के निर्माण से संबंधित विभिन्न विषयों को इन आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से प्रसारित किया गया था।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडबल्यू) के दौरान गांवों सहित कई अन्य ग्रामीण / अर्ध शहरी केंद्र पैन-इंडिया में विभिन्न लोक कला कार्यक्रमों के अलावा बैंक, चेन्नै, कुंभकोणम, कोयंबटूर और तिरुचिरापल्ली में मानव श्रृंखला, वॉकथॉन, साइकिल रैलियां आयोजित की गईं।

अध्यक्ष, बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए सलाहकार बोर्ड (एबीबी एवं एफएफ) ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 के भाग के रूप में कॉर्पोरेट कार्यालय में "वित्तीय क्षेत्र में सतर्कता प्रशासन" पर एक विशेष व्याख्यान दिया था। सीवीओ, महाप्रबंधकों और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों के अतिथियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। हमारे बैंक की चेन्नै शहर की शाखाओं के अधिकारियों और शाखा प्रबंधकों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया था।

27. सुरक्षा

सुरक्षा प्रबंधन का उद्देश्य कर्मचारियों और ग्राहकों को एक समान रूप से सुरक्षा एवं कार्य करने हेतु सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है तथा संगठन की संपत्ति को अन्य बाह्य आक्रमण से सुरक्षित रखना है। उन्नत सुरक्षा नेटवर्क सुनिश्चित करने के लिए इस उद्देश्य को मानव विश्लेषिकी के साथ प्रौद्योगिकी के एकीकरण द्वारा संवर्धित किया गया है। भौतिक सुरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति का समावेश सुरक्षा के पारंपरिक साधनों की तुलना में अधिक विश्वसनीय, कुशल और कम लागत का साबित हुआ है।

- नकदी समृद्ध उद्योग होने के नाते बैंकिंग हमेशा उन हमलावरों के लिए एक आकर्षक लक्ष्य रहा है जो अपने घातक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नई और जटिल तकनीकों को अपनाते हैं। उनकी हरकतें मध्यरात्रि में किए गए प्रयासों से भिन्न और भी अधिक प्रबल होती हैं जैसे ट्रेन डकैती, दिन के उजाले में की गई सशस्त्र डकैती आदि। यह निष्क्रिय सुरक्षा उपायों के बदले एक गतिशील सक्रिय सुरक्षा समाधान की मांग करता है।

- हमारी आस्तियों को सुरक्षित रखने जैसा महत्वपूर्ण कार्य सभी हितधारकों की एक सामूहिक जिम्मेदारी है। इसी दिशा में, शाखाओं में अब स्टेट ऑफ द आर्ट बर्गलर एंड फायर अलार्म सिस्टम, एचडी डीवीआर / एनवीआर आधारित सीसीटीवी संसाधनों के साथ त्वरित प्रतिक्रिया के लिए नामित अधिकारियों से आपातकालीन संचार लिंकेज की व्यवस्था उपलब्ध है।

- आग शाखा / कार्यालयों के लिए एक प्रमुख खतरे के रूप में जाना जाता है, आग के खतरों को रोकने / कम करने के लिए सर्वर जैसे महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन को स्वचालित (मॉड्यूलर) क्लीन एजेंट आधारित अग्नि रोधक के साथ उपलब्ध कराया जाता है। बैंक के स्वामित्व वाली सभी ऊंची इमारतों में तथा आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी मुद्रा तिजोरियों में दो साल में एक बार फायर और मॉक निकासी ड्रिल 1/2 Fire and Mock evacuation drill का आयोजन किया जा रहा है।

- यात्रा के दौरान नकदी को सबसे कमजोर पहलू के रूप में जाना जाता है। इसलिए, भौतिक सुरक्षा के अलावा, हमारे सभी कैश वैन में जीपीएस आधारित ट्रैकिंग उपकरण लगाए गए हैं। कैश वैन की आवाजाही को संबन्धित मुद्रा तिजोरी, शाखा तथा अंचल कार्यालय से कई स्तरों पर वास्तविक समय में ट्रैक किया जाता है।

- एटीएम केंद्रों की भिन्नता को ध्यान में रखते हुए, देश भर में हमारे बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम में 24x7 इलेक्ट्रॉनिक निगरानी (ई-निगरानी) की व्यवस्था की गयी है।

- यद्यपि इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा विश्वसनीय और प्रभावी है, फिर भी यह आवश्यक है कि इसकी समय-समय पर समीक्षा की जाए ताकि इसकी सेवाक्षमता और कार्यक्षमता सुनिश्चित की जा सके। अनावश्यक घटनाओं को बढ़ावा देने वाले सुरक्षा उपकरणों के अतिरेक एवं अप्रचलन को दूर करने के लिए समय-समय पर कॉर्पोरेट ऑफिस में मुख्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में विभाग द्वारा मौजूदा सुरक्षा प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की जाती है। बाजार में उपलब्ध नवीनतम सुरक्षा प्रणालियों, उपकरणों और तंत्रों का बड़े पैमाने पर अध्ययन किया जाता है, निष्पादन के लिए मूल्यांकन किया जाता है तथा शीर्ष प्रबंधन की मंजूरी से व्यवहार्यता के अनुसार उन्नत / प्रतिस्थापित / स्थापित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बैंकों / एटीएम / मुद्रा तिजोरियों में सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जब कभी भी आईबीए और आरबीआई द्वारा सिफारिशें एवं दिशानिर्देश निर्धारित किए जाते हैं, इन्हें लागू किया जा रहा है।

- सुरक्षा प्रबंधन, परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन का एक हिस्सा है। 'वित्तीय जोखिमों' के विपरीत, बैंक की आस्तियों के भौतिक जोखिम को प्रभावी सुरक्षा प्रणालियों द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। सुरक्षा प्रबंधन को लागू करने के लिए गतिशील होना आवश्यक है और उभरती हुई चुनौतियों के साथ

विकसित होना चाहिए। जोखिम मूल्यांकन की आवश्यकता है और इसका संशोधन असंभावी है। इसलिए, खतरे की अवधारणा और प्रचलित सुरक्षा परिदृश्य के आधार पर, तीन वर्षों में एक बार व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के आधार पर अपनाए गए सुरक्षा जोखिम और अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के आधार शाखाओं को वर्गीकृत किया गया है।

- संबंधित अंचलों में क्षेत्र स्तर पर कार्यरत सुरक्षा अधिकारियों (पूर्व सैनिकों) द्वारा विभाग को विधिवत समर्थन दिया जाता है, जो यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण हैं कि बैंक के दिशानिर्देशों / निर्देशों / नीतियों को शाखाओं, एटीएम एवं मुद्रा तिजोरियों में कार्यान्वित किए जाते हैं। अप्रत्याशित घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से निरीक्षण के दौरान पायी गई कमियों / खामियों की जांच शाखा / एटीएम के सुरक्षा पहलुओं को मजबूत करने एवं सुधार करने के लिए की जाती है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुरक्षा व्यवस्था ठीक है तथा कर्मचारी, सुरक्षा सावधानियों के बारे में जानते हैं, अंचल कार्यालय में कार्यरत सुरक्षा अधिकारी वर्ष में एक बार सभी शाखाओं / एटीएम का सुरक्षा निरीक्षण करते हैं और रिपोर्ट को ऑनलाइन – इन हाउस मॉड्यूल में विभिन्न स्तरों – शाखा, अंचल कार्यालय और कॉर्पोरेट कार्यालय पर अपलोड कराते हैं। मुद्रा तिजोरी एक उच्च जोखिम वाली इकाई है, इसका निरीक्षण तिमाही आधार पर किया जाता है और समय-समय पर किए गए निरीक्षण में पाई गयी कमियों में सुधार को सुनिश्चित किया जाता है।
- सभी शाखाओं / प्रशासनिक कार्यालयों की विद्युत लेखापरीक्षा वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है और रिपोर्ट में टिप्पणियों को संबंधित अंचल कार्यालयों की सहमति के साथ शाखा स्तर पर सुधारा जाता है। इन हाउस मॉड्यूल डिजाइन किया गया है जिसेसे अनुपालन के स्तर को समझने के लिए सभी स्तरों से संपर्क किया जा सकता है।
- सुरक्षा अधिकारियों को नवीनतम तकनीकी की प्रगति से अवगत कराने के उद्देश्य से, सुरक्षा संबंधी जनकारियों एवं पूर्ववर्ती अवधि के दौरान निष्पादन की समीक्षा करने के लिए, सुरक्षा अधिकारियों को वर्ष में एक बार वार्षिक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान कराये गए सर्वोत्तम अभ्यासों से संबंधित अंचलों में कार्यान्वयन में सहायता मिलती है। प्रति वर्ष सशस्त्र गार्ड के लिए लाइव फायरिंग अभ्यास आयोजित किया जाता है।
- राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय सुरक्षा समिति एवं स्थायी सुरक्षा समिति के बैठकों के दौरान मुख्य रूप से चर्चा किए गए सुरक्षा पहलुओं को संबन्धित अंचल कार्यालयों को उपलब्ध कराए जाते हैं।
- एहतियात एवं रोकथाम – वह पहलू है जिसके चारों ओर हमारा सुरक्षा विभाग स्थापित है। बैंक ने परिसंपत्ति संरक्षण के उपायों का पालन किया है और बैंक की संपत्ति की सुरक्षा के लिए नकद प्रेषण के दौरान प्रक्रियात्मक सुरक्षा सावधानियों का पालन किया गया है। हमारे प्रिय बैंक के सुरक्षा अधिकारी जो पहले भारतीय सशस्त्र सेवा में कार्यरत थे, बैंक के हितों की रक्षा कर रहे हैं।

28. इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का सामामेलन

वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारत सरकार (जीओआई) ने उनके पत्र एफ. सं. 7/93/2019-बीओए.1 दिनांक 30 अगस्त 2019,

द्वारा सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परामर्श के बाद वैकल्पिक तंत्र(एएम) ने निर्णय लिया कि इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक के सामामेलन पर विचार करेंगे।

भारत सरकार की अधिसूचना:

भारत के राजपत्र, असाधारण की अधिसूचना जी.एस.आर. 156 (ई) दिनांक 04.03.2020 द्वारा इलाहाबाद बैंक (अंतरणकर्ता बैंक) को इंडियन बैंक (अंतरिती बैंक) में सामामेलित करने की मंजूरी दे दी गई। इसके अनुसार, 1 अप्रैल 2020 से सामामेलित बैंक अस्तित्व में आया।

सामामेलन का औचित्य

भारतीय अर्थव्यवस्था में विगत छह वर्षों में आकार में दोगुनी वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2019 में \$ 2.8 ट्रिलियन की वृद्धि के कारण बैंकिंग जगत में कारोबार के साथ-साथ बैंकों की संख्या में व्यापक विस्तार हुआ है। बदलते परिवेश में अधिक कुशल होने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बढ़ती अर्थव्यवस्था की ऋण जरूरतों को पूरा करने एवं जोखिम सहने के लिए बड़ा होना चाहिए और सरकार पर बिना आश्रित रहे, बाजार से संसाधन जुटाने की क्षमता होनी चाहिए।

इसके अलावा, सरकार की परिकल्पित \$ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक मजबूत और लचीली बैंकिंग प्रणाली अनिवार्य है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो 70% से अधिक की बाजार हिस्सेदारी रखते हैं, उन्हें बढ़ती अर्थव्यवस्था की ऋण मांगों को पूरा करने के लिए मजबूत किया जाना चाहिए।

इंडियन बैंक का अच्छा पूंजी आधार और लगातार लाभ दर्ज कर रहा है। इलाहाबाद बैंक को जनवरी 2018 में अपनी ऋण देने की क्षमताओं को सीमित कर शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई के तहत रखा गया था। फरवरी 2019 में बैंक पीसीए से बाहर आया।

सामामेलन का औचित्य, 5 व्यापक विषयों पर आधारित है:

- ए) बैलेंस शीट का बड़ा आकार और अनुकूलित पूंजी उपयोग।
- बी) गहरी पैठ के लिए विस्तृत भौगोलिक उपस्थिति।
- सी) बड़े टैलेंट पूल तक पहुंच।
- डी) उत्पाद क्षमताओं का साझाकरण व अनुमाप और सभी सेगमेंट के उत्पाद बेचने की क्षमता वाला प्लेटफॉर्म।
- ई) लाभ में वृद्धि और दोहराव के उन्मूलन के माध्यम से परिचालन और प्रक्रिया क्षमता में वृद्धि।

यह सामामेलन, प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्षमता और महत्वपूर्ण वृद्धि वाले बैंक का निर्माण करेगा। इंडियन बैंक की अखिल भारतीय उपस्थिति कुल शाखा नेटवर्क के 60.8% के साथ भारत के दक्षिणी भाग में अधिक है, जबकि इलाहाबाद बैंक का 70.3% शाखा नेटवर्क मध्य और पूर्वी क्षेत्र में है। इस सामामेलन के बाद, गुजरात और महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में सुधार की गुंजाइश के साथ इस संयुक्त संस्था की 6101 शाखाएं हैं।

इसके अलावा, संयुक्त संस्था को माइक्रो लेवल टच पॉइंट्स अर्थात् 9128 बैंक मित्रों का सहयोग प्राप्त होता है। इससे बैंक को ग्रामीण एवं अर्ध शहरी {1} में वित्तीय समावेशन में अबाध योगदान करने में मदद मिलेगी।

इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक का संक्षिप्त इतिहास:

इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में समागम 2 बैंकों की सम्पन्न एवं ऐतिहासिक वंशावलियों एवं संस्कृति का एकीकरण है। जहां इलाहाबाद बैंक सर्वाधिक पुराना (155 वर्ष) सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है जिसकी शुरुआत वर्ष 1865 में एक यूरोपीयन समूह द्वारा एक संयुक्त स्टॉक कंपनी के रूप में हुई थी, वहीं इंडियन बैंक का जन्म वर्ष 1907 में (113 वर्ष) स्वदेशी आंदोलन के चलते हुआ था।

इंडियन बैंक

- चेन्नै में स्थित बैंक मुख्यालय ने वर्ष 2007 में अपना प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया
- सन् 2002 से एक लाभदायक बैंक
- सिंगापुर, कोलंबो एवं जाफना इन 3 विदेशी केन्द्रों में शाखाएँ हैं
- 31.03.2020 को 14.12 प्रतिशत की उच्च सीआरएआर के साथ मजबूत पूंजी आधार

इलाहाबाद बैंक

- वर्ष 1923, में कारोबार निमित्त के चलते बैंक का प्रधान कार्यालय कोलकाता में स्थानांतरित किया गया
- अक्टूबर 2002 में सरकार की शेरधारिता को 71.16 प्रतिशत तक कम करते हुए प्रति शेयर 10/- रुपए के अंकित मूल्य के साथ 10 करोड़ रुपए के शेयर का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) प्रस्तुत किया।
- अप्रैल 2005 में प्रति शेयर 10/- रुपए के अंकित मूल्य व 72 रुपए के प्रीमियम के साथ 10 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर का अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।
- बैंक द्वारा अपनी परियोजना "प्रोजेक्ट नवोदय" से रूपान्तरण की प्रक्रिया आरंभ की गई।

समागम प्रक्रिया

विभिन्न चरित्र वाली पवित्र नदियों के संगम से दर्शित निर्बाध एकीकरण से सूत्र बांधते हुए इस समागम को दिया गया नाम "प्रोजेक्ट संगम" बिलकुल सटीक है।



"प्रोजेक्ट संगम हम सभी के उज्ज्वल भविष्य, बैंक के भीतर नए सहकर्मियों के साथ तालमेल बैठाने एवं नए ग्राहकों से संबन्धित है।" सुश्री पद्मजा चुंड्रू, प्रबंध निदेशक एवं मुख्यकार्यपालक अधिकारी, इंडियन बैंक

"प्रोजेक्ट संगम दो बैंकों की सम्पन्न परंपरा, अद्वितीय शक्तियों एवं हमारे राष्ट्र विकास में गहन योगदान का एकीकरण है।" श्री के रामचंद्रन, कार्यपालक निदेशक, इलाहाबाद बैंक



परियोजना की पहलें

"प्रथम दिवस" यथा 01.04.2020 को 20 से अधिक एकीकरण समितियों का गठन किया गया था एवं निर्बाध एकीकरण हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।

इस परियोजना के लिए एकीकरण प्रबंधन कंसल्टेंट, आईटी कंपनियों एवं तकनीकी परामर्शदाताओं को कार्यबद्ध किया गया है।

ग्राहकों / कर्मचारियों के साथ संपर्क

- प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इंडियन बैंक ने इलाहाबाद बैंक प्रधान कार्यालय का दौरा किया।
- दोनों बैंकों के कार्यपालकों और अधिकारियों ने एक-दूसरे के कॉर्पोरेट / प्रधान कार्यालयों का दौरा किया ताकि सामंजस्य बनाने / सर्वोत्तम कार्यप्रणाली को अपनाने के बारे में बेहतर समझ हो।
- प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और अन्य शीर्ष सरकारी अधिकारियों से भी मुलाकात की।



कार्यपालक निदेशक, इलाहाबाद बैंक के साथ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की और यूपी में दोनों बैंकों द्वारा किए गए योगदान से अवगत कराया और समागम प्रक्रिया में हुए विकास से भी अवगत कराया।

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ इलाहाबाद बैंक के कार्यपालक निदेशक ने इलाहाबाद बैंक की ऐतिहासिक शाखा - इलाहाबाद शाखा का दौरा किया



टाउन हॉल मीटिंग

चेन्नै, विजयवाड़ा, कोलकाता, हैदराबाद, इलाहाबाद और लखनऊ में टाउन हॉल बैठकें आयोजित की गईं।

सुश्री पद्मजा चुंड्रू, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने समागम संस्था के सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए कर्मचारियों के भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया। यह भी आश्वासन दिया गया कि दोनों संस्थाओं के लिए ग्राहक केंद्र बिंदु होंगे और निरंतर उनका सहयोग लिया जाएगा।

टाउन हॉल मीटिंग की झलकियां



टीम बिल्डिंग

- दोनों बैंकों के कार्यपालकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच टीम भावना विकसित करने के लिए सामान्य कार्यशाला डिज़ाइन की गई है।
- दोनों बैंकों के अंचल प्रबन्धकों के लिए कोलकाता, लखनऊ और चेन्नै में तीन कार्यशालाएं आयोजित की गईं।



- दोनों बैंकों के संकाय सदस्यों और उप-अंचल प्रमुखों को सामंजस्यपूर्ण उत्पादों, प्रक्रियाओं, नीतियों, आईटी, आदि पर प्रशिक्षित किया गया है और उन्हें एपेक्स / अंचल स्तर पर चेंज एजेंट के रूप में नामित किया गया है।
- उन्होंने शाखाओं में नामित अधिकारियों (एकीकरण चैंपियंस) को प्रशिक्षित किया।

चेंज एजेंट / एकीकरण चैंपियंस

- चेंज एजेंट्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 'ट्रेन द ट्रेनर' 16 और 17 मार्च, 2020 को वीसी के माध्यम से आयोजित किया गया था।

- ये चेंज एजेंट्स और ऑपरेशनल एक्सपर्ट्स, समामेलित संस्था के सभी अंचल और कॉर्पोरेट कार्यालय में भी अंचल कंट्रोल रूम का भाग हैं। वे ग्राहकों की सुचारू और निर्बाध सेवा के लिए शाखाओं और फ्रंटलाइन कर्मचारियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं।
- एजेंट्स को बदलने के अलावा, आईटी अधिकारियों की एक टीम आईटी एकीकरण के लिए एकीकरण चैंपियंस के रूप में अनुपूरक की तरह है और वे संबन्धित क्षेत्र में काम कर रहे अधिकारियों का समर्थन कर रहे हैं।

अधिकारियों हेतु "आई-एबी परिवार" पोर्टल

- आई-एबी परिवार – दोनों बैंकों के कर्मचारियों के चिंताओं / शंकाओं के समाधान करने के लिए एक स्टाफ पोर्टल बनाया गया था।
- प्रश्नों का उत्तर यथासंभव समय पर दिया गया।
- सर्वश्रेष्ठ सुझावों को योग्यता प्रमाण पत्र के साथ पुरस्कृत किया गया – आईबी-एबी संगम पुरास्कर

आई-एबी के ग्राहकों के लिए पोर्टल

- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ ऑनलाइन 'ग्राहक पोर्टल' को दोनों बैंकों की वेबसाइटों पर लॉन्च किया गया था।
- विभागों द्वारा समय पर प्रतिक्रिया दी जा रही है।

संस्कृति सर्वेक्षण

- दोनों बैंकों के कर्मचारियों के लिए संस्कृति सर्वेक्षण किया गया था।
- 15000 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया।
- सर्वेक्षण दोनों बैंकों के सांस्कृतिक लक्षणों का विश्लेषण करने और समामेलित इकाई की भविष्य की सांस्कृतिक ताकत को परिभाषित करने के लिए किया गया था।
- निष्कर्षों के सकारात्मक पहलुओं को एक एकीकृत टीम-आधारित संस्कृति बनाकर बड़े उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ठीक से निर्देशित किया गया है।

प्रबंधन परिवर्तन सर्वेक्षण

- फील्ड स्तर के अधिकारियों, नए उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी, नीतियों और परिपत्रों में परिवर्तन के बारे में जागरूकता, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों, ग्राहकों को संभालने और दोनों बैंकों के लेन-देन आदि के बारे में जानकारी साझा करने के लिए फीडबैक सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। सर्वेक्षण मैसर्स डेलॉइट द्वारा आईएमओ के परामर्श से तैयार किया गया था और यह दोनों बैंकों के शाखा प्रबंधकों और क्षेत्रीय प्रबंधकों के लिए आयोजित किया गया था।

- सर्वेक्षण की प्रतिक्रिया दर्ज कर लिया गया है और मैसर्स डेलॉइट द्वारा यदि कोई कमियां, हो तो उसकी पहचान करने के लिए प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण कर रहा है।

इंड गुरु

कोविड -19 लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए तथा ज्ञान / कौशल स्तर में सुधार के लिए बैंक के सभी कर्मचारियों के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस), 'इंड गुरु', ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म दिनांक 24.04.2020 को लॉन्च किया गया और 22.05.2020 को सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया। बैंक में मानव संसाधन की क्षमता निर्माण के उद्देश्य से बनाया गया तकनीकी मंच, मांग पर, कभी भी, कहीं भी सीखने (वी पोर्टल के साथ-साथ मोबाइल ऐप के माध्यम से), स्वतः शिक्षण, क्रॉस-फंक्शनल लर्निंग और कौशल विकास सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग खंडों में सामग्री प्रदान करता है।

नई संगठनात्मक संरचना

- वर्टिकल और मैनपावर की दक्षता और बेहतर प्रबंधन को बढ़ाने के लिए संगठनात्मक पुनर्गठन किया गया है:
- नए विभागों को जोड़ने के साथ जोखिम और नियंत्रण कार्य मजबूत हुए।
- अखिल भारतीय स्तर पर फैले शाखाओं के कारोबार को चलाने के लिए 14 क्षेत्र महाप्रबंधक और 78 अंचलों का गठन किया गया।
- कॉर्पोरेट एवं मिड कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए लार्ज कॉर्पोरेट शाखाएँ (एलएसबी) एवं मिड कॉर्पोरेट शाखाएँ (एमसीबी)।
- पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक में मौजूदा प्रसंस्करण केंद्रों की अवधारणा जैसे ग्राहक अधिग्रहण प्रसंस्करण केंद्र (सीएपीसी), आरएमपीएस एवं किसान प्रगति केंद्र (केपीके) को समामेलित इकाई में अपनाया जाएगा।
- क्षेत्र महाप्रबंधकों के कार्यालयों, अंचल कार्यालयों, निरीक्षण केन्द्रों, सेवा शाखाओं, एसएम शाखाओं और कॉर्पोरेट शाखाओं जैसे प्रशासनिक कार्यालयों के सुव्यवस्थीकरण के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार किया गया।

29. प्रत्यक्ष विपणन:

सोशल मीडिया पर ब्रांड प्रबंधन

- इंडियन बैंक के आधिकारिक फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंकडइन हैंडल पर उत्पाद का प्रचार/सूचना प्रसार किया गया।
- फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंकडइन से संबंधित शिकायतों/प्रश्नों को समय पर निपटाया गया।
- क्षेत्र स्तर की गतिविधियों, बैंक के स्मारक दिवसों, अवसरों और उपलब्धियों से संबंधित विशिष्ट गतिविधियों को हमारे सामाजिक मीडिया चैनलों पर प्रसारित किया गया।
- इंस्टाग्राम/फेसबुक स्टोरी पोस्ट और त्योहारों के अवसर पर बधाइयाँ देने के लिए संवादात्मक जीआईएफ (Gif) और वीडियो पोस्ट तैयार किए गए।
- वित्त वर्ष 20 के दौरान बैंक के आधिकारिक फेसबुक पेज, जिसका नाम '@MyIndianBank' है, पर 1545 से अधिक पोस्ट किए गए तथा 549122 से अधिक लाइक्स प्राप्त हुए।

- बैंक के आधिकारिक ट्विटर चैनल '@MyIndianBank' पर वित्त वर्ष 20 के दौरान 632 से अधिक ट्वीट किए गए।
- बैंक का आधिकारिक यूट्यूब चैनल 'इंडियन बैंक' पर इस वर्ष 17 वीडियो अपलोड किए गए। इसके कुल 7932 ग्राहक हैं और 20.14 लाख बार देखे गए हैं।
- बैंक के आधिकारिक इंस्टाग्राम चैनल '@MyIndianBank' पर 1625 पोस्ट अपलोड किए गए तथा लगभग 33665 उपयोगकर्ता हमारे बैंक का अनुसरण करते हैं।
- बैंक के आधिकारिक लिंकडइन चैनल "इंडियन बैंक" पर 338 पोस्ट अपलोड किए गए एवं 7501 उपयोगकर्ता इसका अनुसरण करते हैं।

फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेजों पर एंगेजमेंट प्रतियोगिताएं

- इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य इंडियन बैंक के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना एवं इसका प्रसार करना तथा हमारे सोशल मीडिया पेजों पर अधिक लोगों को शामिल करना है। बड़े पैमाने पर फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज इस्तेमाल किए गए थे। विश्व पुस्तक दिवस, मातृ दिवस, दीवाली और क्रिसमस तथा इंड एडवांटेज को लॉच करने के दौरान 9 अभियान / प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं। इन प्रचारों के दौरान 18 लाख से अधिक इंप्रेसन देखे गए।

इंडियन बैंक के आधिकारिक न्यूज़लेटर की शुरुआत- "इंड नव्या"

- 'इंड नव्या' एक मासिक ई-समाचार पत्र है जो हमारे मौजूदा और भावी ग्राहकों को बैंक के ग्राहक-केंद्रित पहलों और नए उत्पादों और सेवाओं, सुविधाओं, प्रचार प्रस्तावों, अभियानों की शुरुआत, उपलब्धियों, नेटवर्क विस्तार, घटनाओं, सरकार के निर्देश, आदि जैसे घटनाक्रमों की जानकारी प्रदान करता है। यह ग्राहकों को ई-मेल के माध्यम से भेजा जाता है और बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इस वर्ष के दौरान 12 संस्करण जारी किए गए तथा 1.8 करोड़ ईमेल भेजे गए।

वेबसाइट प्रबंधन

- वेबसाइट के टेम्पलेट में आवश्यक बदलाव करते हुए इसे और अधिक सुलभ और व्यापक बनाने के लिए हमारी वेबसाइट पर 60 से अधिक छवियां अपलोड की गईं।

कॉल सेंटर पर आईवीआर सुविधा की शुरुआत :

- हमारे टोल-फ्री नंबर 1800 425 00000 पर आईवीआर सुविधा के साथ शेष राशि की जांच, पिछला 5 लेन-देन तथा चेक रोकने की सुविधा पेश की गई थी।

बैंक का लोयल्टी कार्यक्रम :

- इंड एडवांटेज - बैंक का पहला लोयल्टी कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर 13.09.19 को लॉन्च किया गया था। इस नए कार्यक्रम के तहत, हमारे ग्राहक अब 3 चैनलों जैसे कि डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग पर लेन-देन के लिए रिवार्ड पॉइंट अर्जित कर सकते हैं। इस प्रकार अर्जित

पॉइंट को वाउचर या एक रिवाइड वेबसाइट (www.indadvantage.com) या मोबाइल ऐप द्वारा या चुनिंदा व्यापारी प्रतिष्ठानों में बिलों के बदले वास्तविक समय में भुनाया जा सकता है। वर्ष के दौरान, 12 करोड़ से अधिक लेन-देन के लिए 100 करोड़ से अधिक रिवाइड पॉइंट प्रदान किए गए। पिछली तिमाही के दौरान खर्चों में 31% की वृद्धि दर्ज की गई थी।

प्रतिष्ठा, प्रचार और दृश्यता में सुधार

- शाखाओं, अंचल कार्यालयों और अन्य कार्यालयों में कार्यरत क्षेत्र स्तर के पदाधिकारियों के लिए डैग्लर, बैनर, पोस्टर आदि की सॉफ्ट कॉपी तैयार की गयी और अपलोड की गयी।
- रेडियो और टीवी पर विज्ञापन
- बाह्य विज्ञापन – ट्राई-विसन वाले होर्डिंग्स, डिजिटल साइनेज पैनल और बस छावनियों में विज्ञापनों का उपयोग करके हमारे उत्पादों को प्रदर्शित किया गया।
- मुद्रित विज्ञापन – 'ओपन' पत्रिका में, जन जागरण वार्षिक पुस्तक 2020 में, इंडिया टुडे, मलयालम में आदि।

विपणन अभियानों का विवरण :

- क्रिकबज पर आईबी डीजी के लिए लीड जेनरेशन अभियान
- आईबी डेबिट कार्ड पर नकद इनाम अभियान
- बुक माय शो पर आईबी डेबिट कार्ड पर कैशबैक अभियान
- डेलीहंट ऐप पर गृह ऋण और वाहन ऋण के लिए लीड जेनरेशन

30. कॉर्पोरेट सम्प्रेषण पहलें

बाह्य सम्प्रेषण

- वर्ष 2019-20 के दौरान, बैंक ने ग्राहक केंद्रित उत्पादों के जरिए ग्राहकों तक पहुंच बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया, आम जनता को सरकार की विभिन्न योजनाओं, उपलब्धियों और कल्याण के प्रति जागरूक किया।
- बैंक ने अपना 113 वां स्थापना दिवस इमेज, चेन्नै में मनाया जिसमें स्टाफ सदस्यों और ग्राहकों ने भाग लिया।
- बैंक ने विभिन्न कार्यक्रम जैसे- प्रेस कॉन्फ्रेंस / बैठकें, विभिन्न अवसरों पर विशेष साक्षात्कार, जिसमें नई प्रौद्योगिकी उत्पादों का प्रक्षेपण, मेला, वित्तीय परिणाम और महत्वपूर्ण कार्यक्रम जैसे सतर्कता जागरूकता सप्ताह, स्वच्छ भारत अभियान आदि का आयोजन किया गया। बैंक के 80 से अधिक विभिन्न कार्यक्रमों को मीडिया / प्रेस द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर कवर किया गया।
- बैंक ईटी नाउ, बीटीवीआई, सीएनबीसी टीवी 18 ग्रुप, तंटी टीवी, सन टीवी, पुतियतलमुरै टीवी, न्यूज 7, न्यूज 18, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस लाइन, द इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, द्वारा व्यापक रूप से कवर किया गया था। फाइनेंशियल एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक तंटी, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दिनमणी, आदि विभिन्न अवसरों के दौरान जैसे कि वित्तीय परिणाम घोषित करने के

लिए प्रेस बैठक, तकनीकी उत्पाद की शुरुआत करना, लोन मेला, स्वच्छ भारत पखवाड़ा, अखिल भारतीय स्तर पर रक्त दान / अंग दान शिविर, 113वां स्थापना दिवस समारोह आदि।

- चेन्नै / मदुरै / पुणे / तिरुपति रेलवे स्टेशनों पर विज्ञापनों के माध्यम से बाह्य अभियानों पर जोर दिया गया तथा चेन्नै / उपनगरों में 26 रेलवे स्टेशनों पर, बस टर्मिनस और चेन्नै में बस छावनियों पर मोबाइल चार्जिंग इकाइयों द्वारा विज्ञापन दिया गया है।
- दिल्ली के प्रमुख 10 मेट्रो स्टेशनों पर बाह्य विज्ञापन अभियान चलाया गया। चेन्नै एयरपोर्ट / रेलवे स्टेशनों और मदुरै रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रॉली ब्रांडिंग / होर्डिंग्स लगाए गए।
- स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, दिवाली और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों के दौरान विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापनों को प्रकाशित कराया गया।
- राष्ट्र के प्रति सेवारत बैंक के 113 वर्ष पूरा होने पर एक नया स्मारक चिन्ह डिजाइन किया गया।

आंतरिक सम्प्रेषण

- बैंक के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे जन्मदिन समारोह, सीएसआर कार्यक्रम, संसदीय समिति के दौर, महिला दिवस, आदि की जानकारी कर्मचारियों को हेल्पडेस्क के माध्यम से दी गई। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिवसों जैसे विश्व पर्यावरण दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, रक्तदाता दिवस, मई दिवस, मातृ दिवस आदि के बारे में जागरूक करने के लिए बैनरों को भी प्रदर्शित किया गया।

31. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व :

- बैंक के कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) की पहलें, बैंकिंग से भी आगे बढ़कर रहीं और इससे वह नैतिक मूल्यों का आदर करता है तथा लोगों, समुदायों और प्राकृतिक पर्यावरण का पोषण करता है।
- एक सशक्त कॉर्पोरेट के रूप में, बैंक भारत के लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता के साथ समाज के लाभ के लिए विभिन्न पहल कर रहा है। अपनी मानवीय सेवाओं पर गर्व करते हुए, बैंक ने हाल के दिनों में कई लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देने एवं सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कई प्रशस्तियां प्राप्त की हैं।
- एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में बैंक ने विभिन्न योगदान करते हुए जरूरतमंद एवं सुविधाओं से वंचित लोगों वर्गों को सहायता प्रदान किया है :
 - **महिला सशक्तिकरण** : कायद-ए-मिलात विमेंस कॉलेज, एगमोर, चेन्नै को सैनितरी नैपकिन वेंडिंग मशीन एवं इन्सिनेरेटर प्रदान किया गया।
 - **समवेशी विकास** : सेलम में स्थित ताय मडी ट्रस्ट जो कि एक वृद्धाश्रम है, के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए (रु. 14.5 लाख) प्रायोजन।
 - **हरित पहल** : भारत सरकार द्वारा किए जा रहे जल संरक्षण कार्यों के अंतर्गत विल्लुपुरम जिले में डीआरडीए द्वारा आयोजित जल शक्ति अभियान कार्यक्रम के लिए (रु.7 लाख) प्रायोजन।
 - **वित्तीय साक्षरता और व्यावसायिक कौशल विकास** : वेल्लूर में इंडसेटी भवन के निर्माण में (रु. 10 लाख) योगदान।

सीएसआर की मुख्य बातें :

स्वच्छता ही सेवा

स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सिंगलयूस प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए बैंक ने हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ की है। इस अभियान का उद्घाटन सुश्री पद्मजा चुंडुरु, एमडी एवं सीईओ द्वारा की गई।



बैंक ने 'सिंगल यूज प्लास्टिक' उपयोग न किए जाने से संबंधित जागरूकता लाने के लिए एक वाकथॉन का आयोजन किया।



बैंक ने सिंगलयूज प्लास्टिक के बहिष्कार के प्रति विभिन्न कॉलेजों में अभियान चलाया।



21 जून 2019 को गवर्मेन्ट आर्ट्स कॉलेज (पुरुष) नंदनम में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया।

योग दिवस का आयोजन (संपूर्ण भारत में)



कन्नगी नगर सरकारी स्कूल



तिरुवारूर Tiruvarur



बालिकाओं के लिए केल्लिस में स्थित जuvनील होम (किशोर गृह)



लुधियाना Ludhiana



मुंबई Mumbai



कोयम्बतूर Coimbatore



स्नेनली मेडिकल कॉलेज एवं रायपेट्टा सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्त देने के लिए उपयोग किए जाने वाले पलंग (कोट) दान किए गए।



वर्ल्ड ब्लड डोनर दिवस के अवसर पर 14 जून 2019 को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 115 कर्मचारियों ने स्टेनली सरकारी मेडिकल कॉलेज तथा रायपेट्टा सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक को स्वैच्छिक तौर पर रक्त प्रदान किया।



Sree Saastha Engineering College, Chennai



वीआईटी यूनिवर्सिटी, चेन्नै



आनंद इंस्टीट्यूट आफ हायर टेक्नॉलजी,



स्वच्छ एवं हरित पर्यावरण के लिए वाईएमसीए फिजिकल एजुकेशन कॉलेज, नंदनम में वृक्षारोपण ड्राइव का आयोजन किया गया।



इंडियन बैंक ने महात्मा गांधी की 150 वीं जयन्ती समारोह के दौरान थक्कर बापा नर्सरी एवं प्राइमरी स्कूल चेन्नै को आउटडोर में खेलने की सामग्रियाँ प्रदान की गईं।



कोविड-19 जागरूकता से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम के रूप में कन्नगी नगर एवं अरफन्धती नगर में क्या करें/क्या न करें बोर्ड प्रदर्शित किए गए। वहाँ रहने वाले प्रवासियों को मास्क एवं सैनिटाइजर वितरित किए गए।



कारगिल विजय दिवस के अवसर पर निम्मी वार विडोज ओल्ड एज होम चेन्नै को कुर्सियाँ वितरित की गईं।



निरालंब बच्चों के लिए नंदनम, चेन्नै में कार्यरत एक पब्लिक चैरिटीबल ट्रस्ट "उदवुम उल्लंगल" को आनन्द दीपावली मनाने के लिए चन्दा दिया गया।



कॉलेजों, स्कूलों एवं नॉन प्राफिट संस्थाओं के मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए वेल्लूर जिला कलेक्टर के सीएसआर निधि को चंदा दिया गया।



सरकारी लॉ कॉलेज सेलम को अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के लिए नए फर्नीचर खरीदने के लिए सहायता प्रदान की गई।



तिरुवन्नामलै में मुलसीपल प्रशासन को 125 वैयक्तिक घरेलू शौचालय योजना के तहत शौचालय बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।



कडलूर में स्थित जिला खनिज एवं खान फाऊंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफ) को अवैध खनन से होने वाले बुरे प्रभावों को दर्शाने वाले 12 बोर्ड लगाने के लिए सहायता प्रदान की गई।



अवशिष्ट प्रबंधन के लिए मैनुअल हाइड्रॉलिक लिफ्टिंग सुविधा के साथ 10 ई-रिक्शा खरीदने के लिए तिरुनेलवेली जिला कलेक्ट्रेट की सहायता की गयी।



श्री तनमय दे सरकार, अंचल प्रबंधक गुवाहाटी द्वारा टीम इंडियन बैंक गुवाहाटी द्वारा बाद राहत के लिए इकट्ठा की गई राशि असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री सरबानन्दा सोनोवाल को प्रदान की गई।



अमरावती अंचल ने, सरकारी उच्चतर विद्यालय, चौतरा के गरीब विद्यार्थियों को पुस्तकें वितरित की।

मुख्यमंत्री कोविड-19 राहत कोष में योगदान



सुश्री पद्मजा चुन्डूरु, एमडी एवं सीईओ, इंडियन बैंक द्वारा तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव को चेक सौंपा गया।



श्री शशि भूषण दाश, उप महाप्रबंधक, शाखा प्रबंधक एवं झारपाडा शाखा के कर्मचारियों द्वारा लक्ष्मी नगर हाई स्कूल में वृक्षारोपण की शुरुआत की गई।



एफजीएम, (पूर्ववर्ती-इलाहाबाद बैंक) बैंक तथा अंचल प्रबंधक, लखनऊ, इंडियन बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश, के माननीय मुख्यमंत्री को चेक सौंपा गया।



क्षेत्र महाप्रबंधक(पूर्ववर्ती-इलाहाबाद बैंक) तथा अंचल प्रबंधक, रांची, इंडियन बैंक एवं पूर्ववर्ती-इलाहाबाद बैंक, द्वारा झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री को चेक सौंपा गया।



इंडियन बैंक, अंचल प्रबंधक, चंडीगढ़ द्वारा हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री को चेक सौंपते हुए।



इंडियन बैंक एवं पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक के भुवनेश्वर अंचल के, अंचल प्रबंधकों द्वारा ओडिशा के मुख्य सचिव को एक सौंपा गया।



अंचल प्रबंधक, भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को चेक सौंपा गया।



इंडियन बैंक एवं पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक के बंगलुरु अंचल के अंचल प्रबंधकों द्वारा कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव को डिमांड ड्राफ्ट सौंपा गया।



अंचल प्रबंधक, अमरावती द्वारा आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को डिमांड ड्राफ्ट सौंपा गया।



इंडियन बैंक और पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक के पटना अंचल के अंचल प्रबंधकों, द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार को चेक सौंपा गया।

32. खेल –कूद



इंडियन बैंक खेल समिति ने 10 से 24 मई 2019 तक छोटे बच्चों के लिए क्रिकेट और वॉलीबॉल हेतु ग्रीष्मकालीन कोचिंग शिविर का सफल आयोजन किया। जिससे लगभग 250 लड़के एवं लड़कियां लाभान्वित हुए।



चेन्नै में स्थित दो स्कूलों के 40 छात्रों (लड़कों एवं लड़कियों) को हमारे बैंक ने चुना है तथा उन्हें हमारे इंडियन बैंक के खिलाड़ियों द्वारा उनके स्कूल के मैदान में कोचिंग दी जा रही है।



हमारे बैंक ने 21 और 22 दिसंबर 2019 को इमेज में नेत्रहीन खिलाड़ियों के लिए एक राज्य स्तरीय शतरंज टूर्नामेंट 'इंडियन बैंक ट्रॉफी' का आयोजन किया।



इंडियन बैंक क्रिकेट टीम ने (30 साल बाद) फाइनल में डीएसएस क्लब को हराकर एसआईसीजीआईएल ट्रॉफी जीती। (फाइनल में पहुँचने के लिए इंडियन बैंक ने क्वार्टर फाइनल में एजी ऑफिस को और सेमी फाइनल में आईसीएफ को हराया)।

इंडियन बैंक क्रिकेट टीम को टीएनसीए द्वारा आयोजित सेकंड डिवीजन तमिलनाडु क्रिकेट लीग चैंपियनशिप के लिए पदोन्नत किया गया।



इंडियन बैंक बास्केटबॉल टीम चेन्नै की सबसे आकर्षक टीमों में से एक है। इसने कई ट्रॉफियाँ जीती हैं। इंडियन बैंक बास्केटबॉल टीम, पुरुषों के लिए आयोजित तमिलनाडु सीनियर स्टेट बास्केटबॉल चैंपियनशिप में विजयी हुई और फेडरेशन कप बास्केटबॉल टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया।

हमारे दो बास्केटबॉल खिलाड़ियों को वरिष्ठ भारतीय टीम में जगह मिली है जिन्होंने नेपाल के काठमांडू में आयोजित 13वें दक्षिण एशियाई महासंघ खेलों में स्वर्ण पदक जीता था।

हमारे बैंक के बास्केटबॉल खिलाड़ी श्री मुईन बेक, श्री आर.हरिराम, श्री बालाधनेश्वर, श्री जेनीब बेनी और श्री ए.सूर्या ने तमिलनाडु के सीनियर स्टेट बास्केटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व किया और लुधियाना, पंजाब में 21 से 28 दिसंबर 2019 तक आयोजित 70वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में रजत पदक जीता।



इंडियन बैंक वॉलीबॉल टीम, हमारे देश की सबसे लोकप्रिय टीम है जिसने कई राज्य स्तर और अखिल भारतीय स्तर के टूर्नामेंट जीते हैं।

हमारे दो वॉलीबॉल खिलाड़ियों को नेपाल के काठमांडू में आयोजित 13वें दक्षिण एशियाई महासंघ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली वरिष्ठ भारतीय टीम में जगह मिली।

इंडियन बैंक वॉलीबॉल खिलाड़ी श्री एल.एम. मनोज, के. सूर्य प्रकाश, मोहन कुमार और मिथुन कुमार ने तमिलनाडु सीनियर स्टेट टीम का प्रतिनिधित्व किया और 27 सितंबर से 3 अक्टूबर 2019 तक पंजाब के अमृतसर में आयोजित वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 32वें फेडरेशन कप वॉलीबॉल चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया।

33. बैंक में राजभाषा का कार्यान्वयन

- बैंक, राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 के आधार पर भारत सरकार की राजभाषा नीति का सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयन कर रहा है। बैंक द्वारा प्रतिवर्ष भारत सरकार, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के आधार पर राजभाषा के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यक्रम तैयार किया जाता है तथा अंचल कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाता है। इस संबंध में हर वर्ष एक मास्टर परिपत्र भी जारी किया जाता है।
- बैंक ने स्वच्छ भारत अभियान की आवश्यकता और उपयोगिता को समझते हुए, स्वच्छता पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से नव वर्ष 2020 के अवसर पर, स्वच्छता पर महात्मा गांधी के विचारों को समाहित करते हुए एक सचित्र डेस्क कलेंडर हिन्दी में तैयार किया है।
- बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा त्रै-मासिक हिन्दी पत्रिका 'इंड-छवि' का प्रकाशन किया जा रहा है। अंचल कार्यालयों से भी त्रै-मासिक/छमाही हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा रहा है, जिनमें अन्य आवश्यक विषयों के साथ बैंकिंग विषयों पर विशेष जोर दिया जाता है।
- हिन्दी माह समारोह 2019 के अवसर पर हमारे कॉर्पोरेट कार्यालय में दिनांक 19 08 2019 से 13 09 2019 तक स्टाफ सदस्यों के लिए 10 हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन और स्टाफ सदस्यों के बच्चों के लिए दिनांक 01 09 2019 को 3 हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। अंचल कार्यालयों द्वारा भी हिन्दी दिवस, हिन्दी सप्ताह इत्यादि का आयोजन किया गया।

- हिन्दी माह 2019 के समापन समारोह के अवसर पर हमारी एमडी एवं सीईओ महोदया द्वारा दिनांक 23 09 2019 को हमारे बैंक की वेबसाइट पर एक विशेष हिन्दी वेब पेज का अनावरण किया गया। इस अवसर पर हमारे बैंक के उच्च कार्यपालकगण भी उपस्थित रहे।



एमडी एवं सीईओ, सुश्री पद्मजा चुन्डूरु हिन्दी वेबपेज का अनावरण करते हुए

- हिन्दी माह 2019 के समापन समारोह के दौरान दिनांक 23.09.2019 को 'बैंकर ग्राहक संवाद' नामक पुस्तिका का विमोचन किया गया।
- बैंक की वेबसाइट पूर्णतः द्विभाषी है। बैंक की मोबाइल एप इंड-पे 6 भाषाओं (हिन्दी, अंग्रेजी, तमिल, मराठी, मलयालम और गुजराती) में है। सभी आवश्यक प्रपत्र व प्रारूप द्विभाषी/त्रिभाषी रूप में उपलब्ध हैं। बैनर, पोस्टर एवं पैम्फलेट इत्यादि द्विभाषी/त्रिभाषी बनाए जाते हैं।
- नवंबर-दिसंबर 2019 के दौरान बैंक द्वारा "भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकों के समामेलन का महत्त्व" विषय पर एक अखिल भारतीय अंतर-बैंक हिन्दी निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- बैंक ने 27 दिसंबर 2019 को "भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकों के समामेलन का महत्त्व" विषय पर कोलकाता में अखिल भारतीय हिन्दी सेमिनार का आयोजन किया। प्राप्त निबंधों में से श्रेष्ठे 24 निबंधों का चयन कर एक पुस्तक के रूप में उनके संकलन का इस सेमिनार के दौरान विमोचन किया गया।



सुश्री अनुराधा मित्रा, सचिव राजभाषा विभाग, भारत सरकार सभा को संबोधित करते हुए

- हिंदी सीखने के लिए हेल्पडेस्क पर हिंदी शब्द प्रदर्शित किए जा रहे हैं।
- हिन्दी शिक्षण योजना, भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ परीक्षाओं में वर्ष 2019 के दौरान 33 स्टाफ सदस्य उत्तीर्ण हुए हैं।
- स्टाफ सदस्यों को हिन्दी कार्यशालाओं के जरिए प्रशिक्षण देने पर विशेष जोर दिया जाता है। इमेज, स्टाफ प्रशिक्षण केंद्रों तथा विभिन्न अंचल कार्यालयों में हिन्दी कार्यशालाओं का नियमित आयोजन किया जा रहा है, जिनमें व्यावहारिक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वर्ष के दौरान कुल 48 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिनमें 315 अधिकारियों तथा 220 लिपिकों सहित कुल 535 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया।
- “हिन्दी में छोटे-छोटे टिप्पण” एवं “बोलचाल की हिन्दी” विषयों पर दिनांक 07.11.2019 को इमेज में कार्यपालकों हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कॉर्पोरेट कार्यालय, अंचल कार्यालयों एवं शाखाओं से कुल 19 कार्यपालकों द्वारा प्रतिभागिता की गई।
- शाखाओं के राजभाषा विषयक निरीक्षण नियमित रूप से किए जा रहे हैं और राजभाषा कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्टाफ सदस्यों को डेस्क प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।
- बैंक में कॉर्पोरेट कार्यालय एवं अंचल कार्यालयों में नियमित रूप से राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का आयोजन किया जा रहा है।
- बैंक के कुछ चुनिंदा कार्यालयों को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के संचालन का दायित्व भारत सरकार द्वारा सौंपा गया है, जिसको पूर्ण निष्ठा के साथ निभाया जा रहा है:
- **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), चेन्नै (बैंक व वि.सं.)** को क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण-पश्चिम) द्वारा राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार के अंतर्गत **तृतीय पुरस्कार** प्रदान किया गया।
- इसके अतिरिक्त राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए मद्रुरै, पुदुच्चेरी, हुबली, मुंबई, कोलकाता, एवं चेन्नै उत्तर अंचल कार्यालयों को विभिन्न नराकासों द्वारा पुरस्कृत किया गया है।
- चेन्नै नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति(बैंक/वि.सं) एवं इंडियन बैंक के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 10.01.2020 विश्व हिन्दी दिवस के अवसर पर ‘राजभाषा जागरूकता कार्यक्रम’ एवं ‘हिन्दी संगीत संध्या’ का आयोजन किया।
- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), चेन्नै (बैंक/वि.सं) के तत्वावधान में भारतीय रिजर्व बैंक, चेन्नै द्वारा “बैंकिंग के विविध आयाम” विषय पर दिनांक 29.05.2019 को एक सेमिनार आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता हमारी प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सुश्री पद्मजा चुन्डूरु द्वारा की गई।
- चेन्नै नराकास (बैंक/वि.सं) द्वारा ‘चेन्नै भारती’ पत्रिका का विमोचन किया गया।
- चेन्नै नराकास (बैंक/वि.सं) की बैठकें नियोजित समय पर आयोजित की जा रही हैं।

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट – 2019–20

खण्ड ए: कंपनी का सामान्य परिचय

1. कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	लागू नहीं
2. कंपनी का नाम	इंडियन बैंक
3. पंजीकृत पता	66, राजाजी सालै, चेन्नै - 600 001
4. वेबसाइट	www.indianbank.in
5. ई-मेल	indmail@indianbank.co.in
6. रिपोर्ट का वित्तीय वर्ष	2019-20
7. कंपनी के व्यावसायिक क्षेत्र (औद्योगिक गतिविधि कोड-वार)	बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं
8. 3 मुख्य उत्पाद/सेवाएँ जो निर्माता देता है (तुलन पत्र के अनुसार)	जमा उत्पाद, ऋण उत्पाद एवं प्रेषण आदि
9. स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यापार गतिविधियां की जाती है। स्थानों की कुल संख्या I. राष्ट्रीय II. अंतर्राष्ट्रीय	31.03.2020 तक 2887 शाखाएँ 3 (सिंगापुर, कोलंबो एवं जाफना)
10. कंपनी द्वारा जिन बाजारों में सेवा प्रदान की जाती है – स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय	29 राज्यों एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों में बैंक की शाखाएं हैं और सिंगापुर एवं श्रीलंका में बैंक की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति है।

खंड बी: कंपनी के वित्तीय व्यौरे

1) प्रदत्त पूंजी (भारतीय रुपये)	₹ 608.80 करोड़	
2) कुल कारोबार (भारतीय रुपये)/राजस्व	₹ 4,66,116.00 करोड़ (कुल कारोबार)	
3) कर चुकौती के बाद कुल लाभ (भारतीय रुपये)	₹ 753.00 करोड़	
4) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कर चुकाने के बाद लाभ के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सीएसआर पर व्यय अनिवार्य नहीं है। तथापि बैंक ने रुपए 1,62,89,000/- खर्च किया है।	
5) गतिविधियों की सूची जिसमें उक्त (4) पर व्यय हुआ है।	क्रम सं	सीएसआर गतिविधियाँ
	1.	समावेशी प्रगति
	2.	हरित पहल और पर्यावरण धारणीयता
	3.	लिंग समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण
	4.	व्यावसायिक कौशल और वित्तीय कौशल बढ़ाना
	कुल	1,62,89,000/-

खंड सी : अन्य विवरण

1. क्या कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी/कंपनियां है ?	हाँ ए. इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड। बी. इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड।
2. क्या अनुषंगियां: मूल कंपनी की बीआर पहल को कार्यान्वित करती है, यदि हाँ, तो ऐसी अनुषंगियों की संख्या प्रस्तुत करें।	मेसर्स इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड बैंक के बीआर पहल में भाग नहीं लेता है और स्वतंत्ररूप से बीआर पहल कर रहा है।
3. क्या कोई अन्य संस्था/संस्थाएं जिनके साथ कंपनी व्यापार करती है, (जैसे प्रदायक, वितरक आदि) कंपनी की बीआर पहलों में भागीदारी निभाती हैं ? यदि हाँ, तो यह दर्शाएँ कि ऐसी संस्थाओं का प्रतिशत कितना है (30 प्रतिशत से कम, 30 से 60 प्रतिशत, 60 प्रतिशत से अधिक)	नहीं

खंड डी: बीआर जानकारी

1. बीआर के प्रति उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों के विवरण

I. बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के विवरण

डीआईएन संख्या	07561455
नाम	श्री वी वी शोणॉय
पदनाम	कार्यपालक निदेशक

II. बीआर प्रमुख का विवरण निम्न प्रकार है

क्रम सं	विवरण	ब्यौरा
1	डीआईएन सं (अगर लागू हो तो)	लागू नहीं
2	नाम	श्री सुधाकर राव के एस
3	पदनाम	महाप्रबंधक
4	टेलीफोन संख्या	044 – 28134566
5	ईमेल आईडी	sudhakar.rao@indianbank.co.in

2. सिद्धांत-वार (एनबीजी के अनुसार) बीआर नीति / नीतियाँ (हाँ/नहीं में जवाब दे)

क्रम सं	प्रश्न	कारोबारी आचार	उत्पाद जिम्मेदारी	कर्मचारियों का कल्याण	स्टेक धारक की वचनबद्धता	मानव अधिकार	पर्यावरण	जन नीति	समावेशी विकास	ग्राहक संबंध
1	क्या आपके पास इनके लिए नीति / नीतियाँ हैं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2	क्या यह नीति संबन्धित स्टेकधारकों से परामर्श के बाद बनाई गई हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3	क्या यह नीति किसी भी राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप है ? यदि हाँ ,तो (50 शब्दों में) बताएं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4	क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है ? यदि हाँ, तो क्या वह सक्षम प्रनि / स्वामी / मुकाअ / उपयुक्त बोर्ड के निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है ।	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5	क्या कंपनी की नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बोर्ड / निदेशक / अधिकारी की एक निर्दिष्ट समिति है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
6	नीति को ऑनलाइन देखे जाने के लिए लिंक दें ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
7	क्या नीति के बारे में औपचारिक रूप से सभी प्रासंगिक आंतरिक और बाहरी स्टेक धारकों को सूचित किया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
8	क्या कंपनी की नीति / नीतियों को लागू करने के लिए आंतरिक संरचना है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
9	क्या कंपनी की नीति / नीतियों से संबंधित, "शिकायत निवारण प्रणाली" हितधारकों की शिकायतों को सुलझाने के लिए उपलब्ध है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
10	क्या आंतरिक या बाहरी एजेंसियों द्वारा कंपनी की इस नीति की कार्यप्रणाली की स्वतंत्र लेखा परीक्षा / मूल्यांकन किया गया है?	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

2ए. यदि क्र.सं. 1 से किसी भी सिद्धांत के आगे जवाब 'नहीं' है, तो ऐसा क्यों है कृपया समझाएं (2 विकल्पों पर टिक लगाएँ)

क्रम सं.	प्रश्न	पृ1	पृ2	पृ3	पृ4	पृ5	पृ6	पृ7	पृ8	पृ9
1	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है।									
2	कंपनी ऐसी स्थितियों में निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां तैयार करने और लागू करने की स्थिति में नहीं है।									
3	कंपनी के पास कार्य के लिए वित्तीय या मानव शक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।									
4	इसे अगले 6 महीनों के भीतर किए जाने की योजना बनाई गई है।									
5	इसे अगले 1 साल के भीतर किए जाने की योजना बनाई गई है।									
6	कोई अन्य कारण (कृपया बताएं)									

3. बीआर से संबंधित अभिशासन

<ul style="list-style-type: none"> उस बारंबारता को दर्शाएं, जिसके साथ निदेशक मण्डल, मण्डल की समिति या सीईओ, कंपनी के बीआर निष्पादन का मूल्यांकन करते हैं। 	<ul style="list-style-type: none"> चूँकि कारोबार का दायित्व सम्पूर्ण बैंकिंग को शामिल करता है, अतः विभाग की संबंधित नीतियां पृथक रूप से तैयार/नवीकृत की जाती हैं और बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।
<ul style="list-style-type: none"> क्या कंपनी एक बीआर या एक धारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए कौनसी हायपरलिंक है? कितनी बारंबारता से इसे प्रकाशित किया गया है। 	<ul style="list-style-type: none"> यथासमय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

खंड ई : सिद्धांत-वार निष्पादन

सिद्धांत 1: कारोबार को आचार नीति, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ अपना व्यवहार एवं संचालन करना चाहिए।

<p>1. क्या आचार नीति, रिश्ततखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है? क्या यह समूह/ संयुक्त उद्यम/ संपूर्तिकर्ता/ ठेकेदारों/ एनजीओ/ अन्य को भी कवर करती है?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ग्राहकों को बैंक के साथ किए जाने वाले अपने लेनदेनों में संतोषजनक सेवा की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2006 में भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) को एक स्वतंत्र स्वायत्त पर्यवेक्षक के रूप में स्थापना की। बीसीएसबीआई ने "ग्राहकों के प्रति बैंक प्रतिबद्धता संहिता – जनवरी 2018" में तथा "सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता-अगस्त 2015" में प्रकाशित किया है, जो बैंकों के लिए ग्राहक सेवा में अनुकरण हेतु बैंकिंग कार्य-प्रणाली और बेंचमार्क के न्यूनतम मानकों को निर्दिष्ट करते हैं। बैंक बीसीएसबीआई का सदस्य है और इसलिए इसने उपर्युक्त संहिताओं को अपने ग्राहकों के साथ लेनदेन करने में न्यायोचित व्यवहार कोड के रूप में स्वेच्छा से अपनाया है। बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति के समक्ष ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता को अभिग्रहीत करने हेतु रखा गया है। संहिता की पूर्ण प्रति www.indianbank.in पर उपलब्ध है।
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> “इंडियन बैंक का सिटिजन्स चार्टर” बैंक की शाखाओं में ग्राहकों हेतु उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं/सेवाओं पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। सिटिजन्स चार्टर के साथ संहिता, बैंक में ग्राहकों के साथ किए जाने वाले लेन-देनों में उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी और पारदर्शिता के उच्च मानकों को सुनिश्चित करेगा।
<p>2. पिछले वित्तीय वर्ष में स्टैक होल्डरों से कितनी शिकायतें प्राप्त की गईं और कितने प्रतिशत शिकायतों का प्रबंधन द्वारा संतोषजनक समाधान किया गया?</p> <p>यदि ऐसा हुआ है तो लगभग 50 शब्दों में उनका विवरण उपलब्ध कराएं।</p>	<ul style="list-style-type: none"> कॉका : ग्राहक सेवा केंद्र, ग्राहक शिकायत निवारण से संबद्ध मामले की देख-रेख करता है। बैंक ने मानकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) की शुरुआत की है। सभी माध्यमों से प्राप्त शिकायतें एवं 24 घंटे से अधिक समय तक लंबित अनसुलझे मामलों एसपीजीआरएस के पास आ जाते हैं। ग्राहक भी एसपीजीआरएस द्वारा ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ग्राहक शिकायत निवारण एवं सेवाओं में कमी के लिए ग्राहकों को दिए जानेवाले मुआवजों पर बने नीति के अनुसार, बैंक ने ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए 21 दिनों की अधिकतम समय सीमा रखी है। हालांकि, अधिकांश शिकायतों को 5-7 दिनों के औसत समय के भीतर ही निपटा लिया जाता है।
वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या	5493
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	429068
वर्ष के दौरान निपटायी गई शिकायतों की संख्या	418385
वर्ष के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या	16176
निपटायी गई शिकायतों का प्रतिशत	96.27%

सिद्धांत-2 : कारोबार को ऐसी वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने पूर्ण जीवन-काल तक धारणीयता बनाए रखने में योगदान दें।

<p>1. अपने तीन उत्पाद या सेवाओं को मात्र सूचीबद्ध करें जिसकी रूपरेखा ने सामाजिक या पर्यावरण संबंधी व्यवसाय, जोखिम और/या सुअवसर को शामिल किया है।</p>	<p>बैंक निम्नलिखित वित्तीय सेवाएँ प्रस्तुत करता है जो सामाजिक कारोबारों और सुअवसरों को सम्मिलित करती है।</p> <ul style="list-style-type: none"> स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) इंडियन बैंक स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (इंडसेटी) <p>वर्ष 2019-20 के दौरान, हमारे ऋण विभाग ने पवन / सौर / बायोमास सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹39.8 करोड़ की मंजूरी दी है।</p> <ol style="list-style-type: none"> उर्जा कुशल एलईडी फिक्चर्स का प्रावधान बैंक के अपने निजी भवन के छत पर सौर पैनलों का प्रावधान कॉर्पोरेट कार्यालय में गंदा पानी प्रक्रिया संयंत्र
--	---

<p>2. प्रत्येक ऐसे उत्पाद के संबंध में प्रति इकाई (वैकल्पिक) संसाधन (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) के प्रयोग के संबंध में ब्यौरे दें।</p> <p>i) क्या पिछले वर्ष के प्रारम्भ से अंत तक मूल्य श्रृंखला के दरमियान स्रोत/ उत्पाद/ वितरण में कटौती प्राप्त की गई है?</p> <p>ii) क्या पिछले वर्ष से उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग में (ऊर्जा, जल) कटौती हुई है?</p>	<p>i. एलईडी फिक्स्चर की शुरुआत के साथ, जहां भी स्थापित हो, लाइटिंग पर होनेवाली बिजली की खपत लगभग 40 प्रतिशत तक कम हो गई।</p> <p>ii. कॉर्पोरेट कार्यालय और प्रधान कार्यालय के अलावा चेन्ने के 7 शाखाओं में छत के ऊपर सौर पैनलों के स्थापन के साथ, दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष में कुल 5.25 लाख यूनिट बिजली के उत्पादन से बिजली बिल में लगभग रुपये 41.00 लाख की बचत हुई।</p> <p>iii. एसटीपी के माध्यम से, गंदे पानी को सर्कुलेट किया गया तथा प्रतिदिन लगभग 17,000 लीटर पानी का पुनर्चक्रण किया जाता है, इस प्रकार पानी पर होने वाले खर्च से रु. 5.60 लाख की बचत हुई।</p>
<p>3. क्या कंपनी धारणीय सोर्सिंग (परिवहन को मिलाकर) के लिए कोई प्रक्रिया विधि अपना रही है?</p> <p>i) यदि हाँ, तो आपके इनपुट स्रोत का क्या प्रतिशत धारणीय रूप से प्राप्त किया गया था?</p> <p>लगभग 50 शब्दों में इसका ब्यौरा प्रस्तुत करें।</p>	<p>लागू नहीं</p> <p>लागू नहीं</p> <p>सभी वित्तीय उत्पाद हैं और पूरे परिचालन क्षेत्र को इन्हें सिखाने का लक्ष्य रहा है।</p>
<p>4. क्या कंपनी ने अपने कार्य स्थल के आसपास के समाज सहित सूक्ष्म एवं लघु उत्पादकों से वस्तुएँ और सेवाएँ प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाया है?</p> <p>यदि हाँ, तो स्थानीय और लघु विक्रेताओं की क्षमता और योग्यता को उन्नत करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं?</p>	<p>हाँ</p> <ul style="list-style-type: none"> परिवहन कीमत और समय अंतराल को कम करने के उद्देश्य से वस्तुएं नजदीकी विक्रेताओं से अधिमाम्य रूप से प्राप्त की जाती हैं।
<p>5. क्या कंपनी के पास उत्पादों और बेकार वस्तुओं का पुनर्चक्रण करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो उत्पादों और बेकार वस्तुओं के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है? (पृथक रूप से, जैसे 5% से कम, 5% से 10% आदि)। लगभग 50 शब्दों में इसका ब्यौरा प्रस्तुत करें।</p>	<p>हाँ, कॉर्पोरेट कार्यालय रायपेड़ा में</p> <p>5% से कम</p> <ul style="list-style-type: none"> गन्दे पानी के शुद्धिकरण हेतु संयंत्र 17,000 लीटर प्रतिदिन के आउटपुट के साथ कॉर्पोरेट कार्यालय रायपेड़ा में उपलब्ध कराई गई है।

सिद्धांत-3 : कारोबार सभी कर्मचारियों की सुख समृद्धि का बढावा करें।

<p>1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या दें</p>	<p>18796 (18691*)</p>
<p>2. कृपया अस्थायी संविदात्मक/अनौपचारिक आधार पर काम पर लगाये गए कर्मचारियों की पूर्ण संख्या दें :</p>	<p>20 (संविदा के आधार पर)</p>
<p>3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या दर्शाएँ</p>	<p>6509 (6442*)</p>
<p>4. कृपया स्थायी विकलांगता वाले स्थायी कर्मचारियों की संख्या दर्शाएँ:</p>	<p>372</p>
<p>5. क्या आपका कोई कर्मचारी संगठन है जो प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है ?</p>	<p>हाँ</p>
<p>6. आपके कर्मचारियों में से इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन के सदस्यों का क्या प्रतिशत है?</p>	<p>अधिकारी : - 87.38%</p> <p>अवार्ड स्टाफ: - 74.08%</p>

7. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में और वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, अनिच्छा मजदूरी, यौन उत्पीडन से संबंधित शिकायतों की संख्या दर्शाएँ।	शिकायतें	बाल मजदूर	बंधुआ मजदूर	अनिच्छा मजदूर	यौन उत्पीडन
	प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	1
	लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	0

8. अधोलिखित आपके कर्मचारियों को पिछले वर्ष में दी गई सुरक्षा और कुशलता उन्नयन प्रशिक्षण का प्रतिशत क्या है ?	अधिकारी	85%
	लिपिक	77%
	अधीनस्थ कर्मचारी	30%

*- अत्यकालिक घरेलू सफाई कर्मियों से भिन्न

सिद्धांत 4 : कारोबारों को सभी स्टैकधारकों, खासकर वंचित, पिछड़े हुए, मामूली स्टैकधारकों के हितों का सम्मान और रक्षा करनी चाहिए।

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक एवं बाह्य स्टैकधारकों का वर्गीकरण किया है ? हाँ / नहीं	हाँ <ul style="list-style-type: none"> शेयरधारकों को विविध वर्गों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात: सरकारी, विदेशी संस्थागत निवेशक, वित्तीय संस्थाएँ, बीमा कंपनियाँ, म्यूचुअल फंड्स, बैंक और वैयक्तिक।
2. उपरोक्त में से, क्या कंपनी ने वंचित, पिछड़े हुए और मामूली स्टैकधारकों की पहचान की है?	हाँ <ul style="list-style-type: none"> इंडियन बैंक ने वंचित, पिछड़े और मामूली स्टैकधारकों की पहचान की है, जिनमें छोटे और मामूली किसान, किरायेदार व पट्टेदार किसान, भूमिरहित मजदूर एवं ग्रामीण महिलाओं को शामिल किया गया है। उनको किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि जेवर ऋण, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, मुद्रा ऋण आदि विशेष ऋण सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।
3. क्या कंपनी द्वारा वंचित, पिछड़े हुए और मामूली स्टैकधारकों के हित में विशेष पहल की गई है? यदि ऐसा है तो उसका विवरण 50 शब्दों में दें।	<ul style="list-style-type: none"> बैंक ने पीएमजेडीवाई के तहत वित्तीय सहायता से वंचित लोगों को बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं। बैंक ने मार्च 2020 तक और शुरुआत से 5.12 लाख व्यक्तियों को 19 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) के माध्यम से वित्तीय परामर्श प्रदान किया है। बैंक ने इंडियन बैंक स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (इंडसेटी) के नाम पर 12 केन्द्रों में आरसेटी की स्थापना की है और शुरुआत से मार्च 2020 तक 2442 बैंचों के माध्यम से 67626 व्यक्तियों को स्व-रोजगार प्रशिक्षण प्रदान किया है।

सिद्धांत 5 : कारोबारों को मानव अधिकार का सम्मान और बढ़ावा देना चाहिए।

1. क्या मानव अधिकार पर कंपनी की नीति सिर्फ कंपनी को कवर करती है या समूह/ संयुक्त उपक्रम/ आपूर्तिकर्ता/ संविदाकार/ एनजीओ/ अन्य तक भी विस्तारित है ?	हाँ <ul style="list-style-type: none"> बैंक के पास कोई अलग मानव अधिकार नीति नहीं है। तथापि ये पहलू बैंक की मानव संसाधन नीति और व्यवहार के तहत कवर किए गए हैं।
2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने स्टैकधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक हल किया गया था?	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या – शून्य वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या – 27 वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या – 27 वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या – शून्य निपटायी गयी शिकायतों का प्रतिशत – 100%

सिद्धांत 6 : कारोबार को पर्यावरण का सम्मान, सुरक्षा और पुनः स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए

<p>1. क्या सिद्धांत 6 सिर्फ कंपनी को कवर करती है या समूह / संयुक्त उपक्रम / आपूर्तिकर्ता / संविदाकार / एनजीओ / अन्य तक भी विस्तारित है।</p>	<p>हाँ</p>
<p>2. क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरण मुद्दों जैसे मौसम परिवर्तन, वैश्विक ताप इत्यादि के विषय में नीतियाँ/पहल हैं? हाँ/नहीं। यदि हाँ तो वेबपेज के लिए हायपरलिंक दें।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● बगीचे/ ग्रीन स्पोट्स प्रमुख क्षेत्रों पर अनुरक्षित की जाती हैं। ● बैंक ने हरियाली और ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखकर पूरे भारत में पौधा रोपण किया है।
<p>3. क्या कंपनी संभाव्य पर्यावरणीय जोखिम की पहचान और आकलन करती है? हाँ / नहीं</p>	<p>हाँ</p>
<p>4. क्या कंपनी के पास कोई स्वच्छ विकास प्रणाली से संबंधित परियोजना है? यदि हाँ तो इसका ब्यौसा लगभग 50 शब्दों में दें। यदि हाँ तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन दर्ज किया गया है?</p>	<p>अपने व्यवसाय के स्वरूप के कारण बैंक के पास कोई स्वच्छ विकास प्रणाली नहीं है।</p>
<p>5. क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीकी, उर्जा दक्षता, नवीकरणीय उर्जा इत्यादि पर कोई अन्य कदम उठाया है, हाँ / नहीं, यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज के लिए हायपरलिंक दें।</p>	<p>हाँ</p> <p>परिसर</p> <ul style="list-style-type: none"> ● हरित पहल के रूप में, विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं आदि के सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से किए जाते हैं जैसे कि प्रत्यक्ष क्रेडिट/एनईएफटी/आरटीजीएस (केवल असाधारण परिस्थितियों में चेक के माध्यम से भुगतान किया जाता है) ● बैंक के अपने निजी परिसर में सौर ऊर्जा और एलईडी लाइटों का उपयोग ● बैंक, भारत में 149 संपत्तियों और सिंगापुर में 2 संपत्तियों का मालिक है। ● बैंक ने परिसर के व्यय, खरीद अनुबंध, मुद्रण एवं स्टेशनरी, वाहन, दूरभाष/सेल फोन के लिए समान नीतियों को अपनाया है और सभी शाखाओं/अंचलों में भी इसे अपनाया गया है। <p>हरित पहल :</p> <p>ए. सौर ऊर्जा और एलईडी लाइटिंग</p> <ul style="list-style-type: none"> ● कार्पोरेट कार्यालय में सौर ऊर्जा का उपयोग, यह पहले से ही ग्रीन बिल्डिंग (स्वर्ण रेटिंग स्तर) के तहत उपलब्ध है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होने के नाते ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाकर, बैंक ने ग्रीन इंडिया बनाने के लिए अन्य उपक्रमों के साथ मिलकर सहयोग दिया है। ● ऊर्जा की खपत में, वार्षिक समग्र व्यय को लगभग 4 से 5 प्रतिशत कम करने हेतु बैंक के अपने निजी भवनों में, जहाँ भी तकनीकी रूप से संभव हो, वहाँ सौर ऊर्जा का विस्तार किया जा रहा है। ● आंतरिक लाइटिंग प्रणालियों में एलईडी लैंप का उपयोग करके लाइटिंग प्रणालियों में नए तकनीकी उत्पादों को अपनाना ● नई शाखाओं में केवल एलईडी लाइट का प्रयोग किया जाता है। ● मौजूदा शाखाओं में रोशनी व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। वर्तमान में 1050 शाखाएँ/कार्यालयों में एलईडी लाइटिंग व्यवस्था प्रदान किए गए हैं। <p>अन्य हरित पहल</p> <ul style="list-style-type: none"> ● शाखाओं और कार्यालयों में समय-समय पर ऊर्जा लेखापरीक्षा करना ● शाखाओं एवं कार्यालयों में स्थापित एयर कंडीशनर के ऑटो कट-ऑफ के लिए टाइमर का प्रावधान, हार्मोनिक फिल्टरों को लगाने और स्टार रेटेड को विद्युत उपकरणों के उपयोग से बिजली की खपत में काफी कम आयी है।
<p>6. वित्तीय वर्ष हेतु सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा अनुमत की गई सीमा के अंतर्गत कंपनी ने जितना भी उत्सर्जन / कचरा उत्पादित किया है, क्या उनकी रिपोर्ट की जा रही है?</p>	<p>लागू नहीं</p>
<p>7. वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी / एसपीसीबी से प्राप्त (जैसे संतुष्टि होने तक हल नहीं की गई) कारण बताओ/विधिक नोटिसें जो लंबित हैं, की संख्या कितनी है?</p>	<p>शून्य</p>

सिद्धांत 7 : ऐसे कारोबार, जो जनता और नियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हुए हैं, उसे जिम्मेदार तरीके से करें।

<p>1. क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड और चैंबर या संघ का सदस्य है? यदि हाँ, तो उनमें से प्रमुख के नाम बताए जिनके साथ आपका व्यापार होता है।</p>	<p>हाँ आईबीए, एनआईबीएम, आईआईबीएफ, आईबीपीएस</p>
<p>2. क्या आपने जनहित की प्रगति या सुधार हेतु उपरोक्त संघों द्वारा तीव्र रूप से कार्य कराया है? हाँ/ नहीं : यदि हाँ तो व्यापक क्षेत्र का विवरण दें। (ड्रॉप बाक्स: शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीति, ऊर्जा सुरक्षा, पानी, खाद्य सुरक्षा संधारणीय व्यवसाय सिद्धांत अन्य)</p>	<p>बैंक ने समय-समय पर बैंकिंग उद्योग के सतत विकास हेतु नीति निर्माताओं और नीति निर्धारण संघों की नीतियों का समर्थन किया है।</p>

सिद्धांत 8 : कारोबारों को समावेशी विकास और न्यायोचित विकास का समर्थन करना चाहिए

<p>1. क्या कंपनी ने सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में कार्यक्रम / पहल / परियोजनाएं निर्दिष्ट की हैं? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा दीजिए</p>	<p>इंडियन बैंक ने चित्तूर, मछलिपट्टनम (आंध्र प्रदेश), कडलूर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, कृष्णागिरि, नामक्कल, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लूर, वेलूर और विल्लुपुरम (तमिलनाडु), कोल्लम चडयमंगलम तथा पारस्साला (केरल में) और पुदुच्चेरी (पुदुच्चेरी संघ शासित क्षेत्र में) में वित्तीय साक्षरता केन्द्रों के माध्यम से क्षमता वर्धक पहल की है। चेन्नै, दिल्ली और मुंबई में बैंक की वित्तीय समावेशन पहलों की दिशा में प्रवासी श्रमिकों तथा झोंपडपट्टियों के निवासियों के हित के लिए शहरी वित्तीय साक्षरता केन्द्र स्थापित किए गए हैं। अब तक इन 19 एफएलसी के माध्यम से कुल मिलाकर 5.12 लाख व्यक्तियों को वित्तीय परामर्श दिए गए हैं।</p> <p>इंडियन बैंक ने "इंडियन बैंक स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान" (आईएनडीएसईटीआई) के नाम पर 12 केन्द्रों में आरएसईटीआई की स्थापना की है जैसे चित्तूर, कडलूर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, कृष्णागिरि, नामक्कल, पुदुच्चेरी, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लूर, वेलूर और विल्लुपुरम। अब तक, इन इंडसेटियों द्वारा 2442 सत्रों में 67626 अभ्यर्थियों को स्वनियोजन प्रशिक्षण दिया गया। 2019-20 के दौरान, 324 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 8714 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।</p> <p>बैंक देशभर में समाज की बैंकिंग सुविधाओं से वंचित वर्गों के लिए बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के दृष्टिकोण के साथ वित्तीय समावेशन योजना को कार्यान्वित कर रहा है। अब तक बैंक ने विभिन्न सुपुर्दगी चैनलों के माध्यम से पूरे भारत में 2975 एसएसए में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया है। वित्तीय समावेशन के तहत गांवों में 40.13 लाख ग्राहकों को कवर किया गया तथा खाता धारकों को रुपये 17.95 करोड़ तक की ओवरड्राफ्ट सुविधाएं भी विस्तारित की गईं।</p>
<p>2. क्या इन-हाउस टीम/स्वयं के संस्थान / बाह्य एनजीओ सरकारी सरचनाओं/अन्य संगठनों द्वारा कार्यक्रम/परियोजनाएं ली गई हैं ?</p>	<p>बैंक ने गरीब एवं दलित लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए 'ग्रामीण विकास हेतु इंडियन बैंक ट्रस्ट' (आईबीटीआरडी) के नाम से एक ट्रस्ट स्थापित किया एवं इनके द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।</p>
<p>3. क्या आपने अपनी पहल के प्रभाव का कोई निर्धारण किया है ?</p>	<p>इंडसेटियों का असर तथा प्रभावशीलता को मानिटर करने हेतु आरसेटियों के लिए मानिटरिंग सेल द्वारा वार्षिक ग्रेडिंग के आधार पर मानिटर किया जाता है ताकि उचित प्रतिक्रिया मिलें और आगे इंडसेटियों को सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठाये जा सकें।</p> <p>वर्ष 2018-19 के दौरान, बारह संस्थानों में से ग्यारह ने एए ग्रेड तथा 1 ने बीबी ग्रेड प्राप्त किया है। 2019-20 के लिए अभी ग्रेडिंग की जानी बाकी है।</p>
<p>4. आपके कंपनी का समुदाय विकास परियोजना में प्रत्यक्ष रूप से क्या योगदान है। आईएनआर में राशि और चलाई जा रही परियोजना के विवरण दें।</p>	<p>वर्ष 2019-20 के दौरान ट्रस्ट (आईबीटीआरडी) ने इंडसेटियों और एफएलसी के माध्यम से क्षमता निर्माण गतिविधियों के जरिए समुदाय विकास के लिए कुल 4.51 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है।</p>
<p>5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं कि समुदायों द्वारा आपके प्रयासों को सफलतापूर्वक अपनाया गया है? अगर ऐसा है तो कृपया 50 शब्दों में बताएं।</p>	<p>प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को स्व-रोजगार गतिविधियाँ अपनाने की सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक की इंडसेटियों द्वारा व्यवस्थित फॉलो-अप एवं काउन्सेलिंग सेवाएं चलाई जा रही हैं। अभ्यर्थियों को अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम बनाने के लिए पास की बैंक शाखाओं के साथ प्रशिक्षुओं की ऋण सहबद्धता हेतु विशिष्ट प्रयास किए जाते हैं।</p>

अनुषंगियाँ

- बैंक की दो अनुषंगियाँ हैं। इनके नाम इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज़ लि. और इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

- बैंक ने तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, यथा सप्तगिरि ग्रामीण बैंक जिसका मुख्यालय चित्तूर (आंध्र प्रदेश) में है, तमिलनाडु ग्रामा बैंक जिसका मुख्यालय सेलम (तमिलनाडु) में है और पुदुचै भारतियार ग्राम बैंक जिसका मुख्यालय पुदुच्चेरी (पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र) में है, को प्रायोजित किया है।
- वर्ष के दौरान 344 शाखाओं के खोले जाने से मार्च 2019 की 542 शाखाओं से बढ़कर मार्च 2020 को तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का शाखा तंत्र 898 रहा। भारत सरकार द्वारा 07.06.2018 को घोषित समामेलन के रोड मैप के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में समामेलित संस्था के लिए इंडियन बैंक को प्रायोजक बैंक के रूप में जिम्मेदारी दी गई थी। तदनुसार, पांडियन ग्रामा बैंक (इण्डियन ओवरसीज बैंक द्वारा प्रायोजित) और पल्लवन ग्राम बैंक (इंडियन बैंक द्वारा प्रायोजित) को (भारत सरकार गजट अधिसूचना दिनांक 28.01.2019) एकल संस्था (पूर्ववर्ती पांडियन ग्रामा बैंक 339 शाखाओं और पूर्ववर्ती पल्लवन ग्रामा बैंक की 291 शाखाओं को) में समामेलित किया गया था। 01.04.2019 से इंडियन बैंक, तमिलनाडु ग्रामा बैंक की प्रयोजक बैंक है।
- मार्च 2019 को ₹23161.35 करोड़ की तुलना में मार्च 2020 को तीनों क्षेत्राबैंकों का कुल कारोबार ₹38943.27 करोड़ रहा।

- 223 शाखाओं के साथ सप्तगिरि ग्रामीण बैंक का कुल कारोबार ₹12682.22 करोड़ रहा। (जमाएँ ₹.6523.46 करोड़ और अग्रिम ₹.6158.76 करोड़)।
- 632 शाखाओं के साथ तमिलनाडु ग्रामा बैंक का कुल कारोबार ₹24774.08 करोड़ रहा। (जमाएँ ₹.12463.38 करोड़ और अग्रिम ₹.12310.70 करोड़)।
- 43 शाखाओं के साथ पुदुचै भारतियार ग्रामा बैंक का कुल कारोबार ₹1486.97 करोड़ रहा। (जमाएँ ₹.804.13 करोड़ और अग्रिम ₹.682.84 करोड़)।
- तमिलनाडु ग्रामा बैंक के पास 14.36 सीआरएआर, सप्तगिरि ग्रामीण बैंक के पास 14.07 सीआरएआर और पुदुचै भारतियार ग्राम बैंक के पास 12.10 सीआरएआर है।
- तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लाभ कमा रहे हैं।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सक्रिय रूप से भारत सरकार के पीएमजेडीवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पीएमजेडीवाई के अंतर्गत 1210 एसएसए गाँवों को कवर कर रहे हैं और उन्होंने इस योजना के अंतर्गत 14.33 लाख खाते खोले हैं। तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने पीएमएसबीवाई के अंतर्गत 1.50 लाख हिताधिकारियों को, पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत 0.77 लाख हिताधिकारियों को और एपीवाई के अंतर्गत 40594 हिताधिकारियों को कवर किया है।

सिद्धांत 9 : व्यापारिक संगठनों द्वारा अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को उत्तरदायी तरीके से मूल्यवर्धन के साथ सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए।

1. वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें/ ग्राहक मामले का प्रतिशत कितना है?	3.73%
2. क्या कंपनी के द्वारा स्थानीय कानून के तहत उत्पाद के लेबल पर उत्पाद की जानकारी लिखी होती है? हाँ / नहीं / लागू नहीं / टिप्पणी (अतिरिक्त जानकारी)	लागू नहीं
3. गत पांच वर्षों में एवं वित्तीय वर्ष के अंत में, अनुचित व्यापार पद्धतियों के प्रयोग, गैर जिम्मेदार विज्ञापनों और/या गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहार के लिए, क्या किसी स्टैक धारक ने कंपनी के विरुद्ध कोई वाद दायर किया है? यदि हाँ, तो उसके विवरण दें।	कोई भी शेरधारक वर्ष के दौरान बैंक के खिलाफ कोई भी मुकदमा दायर नहीं किया है।
4. क्या आपकी कंपनी द्वारा ग्राहक सर्वेक्षण/ग्राहक संतुष्टि रुझान कार्यक्रम चलाए जाते हैं ?	हाँ

कार्पोरेट अभिशासन 2019-20 पर रिपोर्ट

कार्पोरेट अभिशासन पर बैंक का दृष्टिकोण

कार्पोरेट अभिशासन अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए उपक्रमों को नियंत्रित एवं मार्गदर्शित किया जाता है ताकि नैतिक ढंग से उनकी धन-सृजन की क्षमता को बढ़ाया जा सके। यह प्रबंधन, उसके बोर्ड, शेयरधारक और अन्य स्टेकधारकों के बीच उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है ताकि संगठन के निर्धारित उद्देश्य हासिल किए जा सकें और साथ ही निष्पादन पर निगरानी रखने के अलावा शेयरधारकों के धन को धारणीय तरीके से अधिकाधिक बनाने के अंतिम लक्ष्य के साथ उस क्षेत्र के कानूनों का अनुपालन करते हुए अपने दैनंदिन के कारोबार को अत्यंत सक्षम, पारदर्शी एवं नैतिक रूप से संचालित किया जा सके। यह एक ऐसी प्रक्रिया का प्रवर्तन है जिससे मूल्य, सिद्धान्त, नीतियां और प्रक्रियाएँ अत्यधिक प्रभावकारी ढंग से सिस्टम में अंतर्निहित एवं प्रकट कराए जाते हैं।

श्रेष्ठता हासिल करने के लिए बैंक, कार्पोरेट अभिशासन के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने के लिए प्रयासरत है और अपने उत्तरदायित्व, जो सभी स्टेकधारकों के लिए मूल्य को आपसी संवाद, आदर, स्पष्ट लक्ष्य और निर्णयात्मक नेतृत्व के जरिए बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते समय नैतिक व्यवहार के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है, हासिल करने के लिए प्रयासरत है। बैंक स्वयं को सभी स्टेकधारकों का न्यासी मानता है और सुदृढ़ कार्पोरेट रणनीतियों, सक्रिय कारोबार योजनाओं एवं नीतिपरक एवं विधिक जिम्मेदारियों की पूर्ति के लिए नीतियों एवं कार्यप्रणालियों के माध्यम से प्राप्त की गई उनके धन के सृजन एवं रक्षण के प्रति अपने उत्तरदायित्व को अभिस्वीकृत करता है। अभिशासन मानकों के अनुपालन के लिए उच्चस्तरीय प्रकटीकरण नीति के साथ बैंक के कार्पोरेट अभिशासन सिद्धांत लाभकर संवृद्धि हेतु सुदृढ़ रूप से कटिबद्ध हैं।

2. निदेशक मंडल की संरचना

निदेशक मंडल में तीन पूर्णकालिक निदेशक और छः गैर कार्यपालक / स्वतंत्र निदेशक हैं।

मार्च 31, 2020 को निदेशक मंडल के विवरण निम्नवत् हैं:

क्रमांक	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशक पद का स्वरूप	इंडियन बैंक के अलावा सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पदों का विवरण	नियुक्ति की तारीख
1.	सुश्री पद्मजा चुन्डूरु	प्रनि एवं मु का अ	कार्यपालक		19.09.2018
2.	श्री एम के भट्टाचार्य	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक		16.02.2017
3.	श्री वी वी शेणॉय	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	1. इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लि. एवं 2. इंडबैंक हाउसिंग लि. के नामित निदेशक	20.09.2018
4.	श्री संजीव कौशिक	सरकारी नामिती निदेशक	गैर-कार्यपालक		24.01.2020
5.	श्री एस के पाणिग्रही	भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक	गैर-कार्यपालक		26.04.2019
6.	श्री सलिल कुमार झा	अंश कालिक गैर-सरकारी निदेशक	गैर-कार्यपालक		27.12.2017
7.	श्री पद्मनाभन विट्टल दास	अंश कालिक गैर-सरकारी निदेशक	गैर-कार्यपालक		21.10.2019
8.	श्री विनोद कुमार नागर	शेयरधारक निदेशक	गैर-कार्यपालक	रीको ऑटो इंडस्ट्रीज लि में गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक एवं लेखापरीक्षा समिति में सदस्य	01.07.2017
9.	डॉ. भरत कृष्ण शंकर	शेयरधारक निदेशक	गैर-कार्यपालक		21.12.2017

शेयरधारक निदेशकों को छोड़कर सभी निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त / नामित किये गए हैं।

श्री जे के दाश दिनांक 25.04.2019 तक भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती थे। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग नई दिल्ली की अधिसूचना एफ सं. 6/3/2011 – बीओ.आई दिनांकित 26.04.2019 से श्री जे के दाश के स्थान पर श्री एस के पाणिग्रही को भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक के रूप में नामित किया गया था।

श्री विजय कुमार गोयल, सनदी लेखाकर वर्ग के अंतर्गत दिनांक 25.07.2019 तक बैंक के अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक रहे।

श्री अमित अग्रवाल दिनांक 24.01.2020 तक बैंक के सरकारी नामिती निदेशक रहे। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग नई दिल्ली की अधिसूचना एफ सं. 6/3/2012 – बीओ.आई (वॉल्यूम II) दिनांकित 24.01.2020 से श्री अमित अग्रवाल के स्थान पर श्री संजीव कौशिक को सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नामित किया गया था।

श्री पद्मनाभन विट्टल दास, बैंक के अंश कालिक गैर-सरकारी निदेशक, के 3 वर्ष का कार्यकाल 24.04.2019 को समाप्त हो गया। इन्हें भारत सरकार की अधिसूचना एफ सं. 6/1/2018 – बीओ.आई (वॉल्यूम III) दिनांकित 21.10.2019 से अगले एक वर्ष की अवधि के लिए या बैंक के समामेलन होने तक यानि दिनांक 31.03.2020 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, अंश कालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में पुनः नामित किया गया था। उनका कार्यकाल 31.03.2020 को समाप्त हो गया।

श्री एम के भट्टाचार्य, कार्यपालक निदेशक, का कार्यकाल भारत सरकार की अधिसूचना एफ सं. 4/5/2016 – बीओ.आई दिनांकित 18.02.2020 से दिनांक 17.02.2020 के बाद की अवधि के लिए उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख अर्थात दिनांक 30.11.2020 या अगले आदेशों तक बढ़ा दिया गया था।

बोर्ड द्वारा पहचानी गई मूल कौशल / अनुभव / दक्षताओं की सूची

बैंक के निदेशकों के पास बैंक के लिए प्रभावी रूप से कार्य करने हेतु निम्नलिखित मूल कौशल / अनुभव / दक्षताएं हैं

लेखाशास्त्र एवं लेखापरीक्षा	बैंकिंग	वित्त
जोखिम प्रबंधन	मानव संसाधन	ट्रेजरी एवं विदेशी परिचालन
ऋण प्रबंधन	सूचना प्रौद्योगिकी	अर्थ शास्त्र

स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में पुष्टि:

भारत सरकार द्वारा नामित निदेशकों एवं शेरधारक निदेशकों ने इसकी पुष्टि की है कि वे सूचीकरण नियमों के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं और वे प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

बोर्ड इस बात की भी पुष्टि करता है कि बैंक के स्वतंत्र निदेशक सूचीकरण नियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं।

कंपनी सचिव का व्यवसाय करनेवाले वी सुरेश (एफसीएस सं. : 2969 व सीपी सं. 6032) से एक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है कि कंपनी के निदेशक मंडल में से कोई भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे कोई सांविधिक प्राधिकारी, द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रहने से विवर्जित या अनर्ह नहीं किए गए हैं।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा त्यागपत्र :

वर्ष 2019-20 के दौरान, किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले त्यागपत्र नहीं दिया है।

निदेशकों का प्रोफाइल :

सुश्री पद्मजा चुन्डूरु, उम्र 58 वर्ष ने सितम्बर 21, 2018 को इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वे भारतीय स्टेट बैंक, कॉर्पोरेट केंद्र, मुंबई में उप प्रबंध निदेशक (वैश्विक बाजार) के पद पर कार्यरत थीं। उन्होंने आंध्रा विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर और सीएआईआईबी की उपाधि प्राप्त की हैं। उन्होंने 1984 में भारतीय स्टेट बैंक में एक परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में सेवा आरंभ की। अपने 3 दशकों से अधिक के कार्यकाल के दौरान भारत एवं यूएसए की तैनाती में, उन्होंने कॉर्पोरेट उधार और ऋण प्रबंधन, खुदरा संचालन और डिजिटल बैंकिंग, ट्रेजरी और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन में व्यापक अनुभव प्राप्त किया। उप प्रबंध निदेशक के रूप में, सुश्री पद्मजा ने भारतीय स्टेट बैंक में ग्लोबल मार्केट्स और डिजिटल बैंकिंग वर्टिकल का नेतृत्व किया। वे सितंबर 2014 और अगस्त 2017 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में बैंक की देश प्रमुख थी। इस कार्यकाल के दौरान, उन्होंने न्यूयॉर्क, चिकागो और लॉस एंजेलिस में भारतीय स्टेट बैंक के अमेरिकी कार्यालयों में रणनीतिक योजना की देख-रेख एवं डिजाइनिंग, व्यापार गतिविधि, जोखिम प्रबंधन और अनुपालन की जिम्मेदारियों को संभाला। वे अमेरिकी निगमों को सिंडिकेटेड और द्विपक्षीय ऋण दोनों के माध्यम से स्थानीय अमेरिकी व्यापार परिचालनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थीं। उन्होंने एफआरबी, एफडीआईसी और राज्य नियामकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखा। सुश्री पद्मजा चुन्डूरु भारतीय स्टेट बैंक के एक यूएस आधारित सहायक बैंक में निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष और भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया) के ईसी की अध्यक्ष भी थी। उन्होंने डोड फ्रैंक अधिनियम के तहत गठित संयुक्त यूएस ओपीएस जोखिम समिति की अध्यक्षता की। वे यूएसआईबीसी की बैंकिंग समिति और इंटरनेशनल बैंकर एसोसिएशन न्यूयॉर्क, एशिया सोसाइटी न्यूयॉर्क और पॅसिफिक रिम बैंकर समूह, सैन फ्रांसिस्को के ट्रस्टी बोर्ड की सदस्या थीं। इससे पूर्व, सुश्री पद्मजा चुन्डूरु भारतीय स्टेट बैंक में अक्टूबर 2012 और अगस्त 2014 के बीच कॉर्पोरेट लेखा समूह की महाप्रबंधक थी, जब उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक के सीएजी-बीकेसी कार्यालय की स्थापना की। उन्होंने भारत के बृहत कंपनियों के साथ संबंध स्थापित करने और प्रबंधन में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने नए ऋण की

हामीदारी, आस्ति गुणवत्ता के रख-रखाव और नियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन करने में अपनी भूमिका निभायी। इससे पहले, वे अक्टूबर 2008 से सितंबर 2012 तक मध्य-कॉर्पोरेट समूह की उप महाप्रबंधक थीं और मुंबई में डायमंड शाखा और बाद में वाणिज्यिक शाखा की प्रमुख थीं। अपने पहले विदेशी कार्यकाल में, सुश्री पद्मजा संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय स्टेट बैंक लॉस-एंजेलिस एजेंसी में सितंबर 2001 में उपाध्यक्ष (क्रेडिट एवं परिचालन) के रूप में कार्यभार संभाला और इसके बाद सीईओ के पद पर फरवरी 2006 में अपना कार्यकाल पूरा किया। इस कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कैलिफोर्निया में संघीय विनियमित एजेंसी के व्यापार विकास, प्रबंधन और संचालन का नेतृत्व किया। वे बैंक के शेरधारक नहीं हैं।

श्री एम के भट्टाचार्य, आयु 59 वर्ष, फरवरी 16, 2017 को 3 वर्ष की अवधि के लिए इंडियन बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। कार्यपालक निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल को भारत सरकार द्वारा दिनांक 30.11.2020 तक बढ़ाया गया। उनको वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि तथा सीएआईआईबी उपाधि प्राप्त है। वे इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउंटेंट्स (एआईसीडब्ल्यूए) के एसोसियेटेड सदस्य हैं।

इन्होंने 1985 में स्टेट बैंक ग्रूप में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में चयन के बाद स्टेट बैंक आफ मैसूर में तैनात हुए तथा सहायक महा प्रबंधक के स्तर तक विभिन्न पदों पर काम किया। 2010 में उप महा प्रबंधक के रूप में पदोन्नति पर ये स्टेट बैंक आफ हैदराबाद में गए। 2013 में महा प्रबंधक के रूप में पदोन्नत होने पर स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर (एसबीटी) में तैनात हुए तथा यहां कई कार्यभार संभालने के बाद 2016 में इनको मुख्य महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया। स्टेट बैंक ग्रूप में कार्यरत रहते समय, इन्होंने विभिन्न स्तरों में शाखा प्रधान रहे तथा इनको भारत भर में शाखा प्रबंधक के रूप में (22 वर्ष), क्षेत्र प्रमुख के रूप में (1 वर्ष) और माड्यूल प्रधान के रूप में (3 वर्ष) का प्रचुर अनुभव प्राप्त है। एसबीटी में कार्यरत रहते समय इन्होंने बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी की भूमिका भी निभायी और महाप्रबंधक-व्यापार

रणनीति, खुदरा बैंकिंग, एनआरआई बैंकिंग, बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों का नियंत्रण आदि अन्य कार्यभार भी संभाला।

श्री शेर्पाय वी वी आयु 58 वर्ष, 01.12.2018 को इंडियन बैंक के कार्यपालक अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। वे मुंबई विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक हैं। वे 17 जनवरी, 1985 को यूनिनियन बैंक ऑफ इंडिया में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में भर्ती हुए। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के एक एसोसिएट सदस्य भी हैं और यूनिनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आंतरिक रूप से आयोजित एक वर्ष के प्रबंधन शिक्षा कार्यक्रम में सफलतापूर्वक भाग लिया है। उनके पास 35 वर्षों का बैंकिंग अनुभव है। उन्होंने ग्रामीण, अर्ध-शहरी, शहरी और मेट्रो केंद्रों के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यालयों के विभिन्न क्षेत्रों जैसे शाखाओं, सरल, क्षेत्रीय और वर्टिकल प्रमुख के रूप में कार्य किया। उन्होंने ऋण, सतर्कता, बैंकिंग लेन-देन, ऋण नीति और एमएसएमई, बृहत कॉर्पोरेट के साथ-साथ अध्यक्ष के सचिवालय जैसे विभिन्न वर्टिकल में काम किया। वे वर्टिकलाइजेशन और ऋण कार्यों के केंद्रीकरण में एक कोर सदस्य थे। वे भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व केंद्रीय रजिस्ट्री के बोर्ड में एक नामिती निदेशक भी हैं।

श्री संजीव कुमार कौशिक आयु 51 वर्ष, को दिनांक 24.01.2020 से इंडियन बैंक के सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने लंदन बिजनेस स्कूल से एमबीए एवं बिट्स पिलानी से मेकेनिकल इंजीनियरिंग की है। वर्तमान में यह वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली में अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्त हैं। इससे पहले, वह केरल राज्य वित्त में मुख्य सचिव थे जहां साथ ही वह वहाँ के पूर्णकालिक चेयरमैन एवं केरल फाइनेंस कार्पोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं वर्ष 2018 में केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट फंड के उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी रहे थे। वित्तीय क्षेत्र, भारतीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और साथ ही वैश्विक पूंजी बाजारों, में कुल 27 वर्ष से अधिक अनुभव के कारण उन्हें सेबी का पूर्णकालिक सदस्य भी नियुक्त किया गया था। हाल ही में इनके नेतृत्व ने केरल को एलएसई एवं एसजीएक्स में सूचितबद्ध मसाला बॉन्ड को जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना दिया है। वर्ष 2015 से 2018 तक वह इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, नई दिल्ली के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं इंडस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहे थे, उन्होंने वर्ष 2011 से 2015 के दौरान अर्थिक मामलों के विभाग में पूंजी बाजार के निदेशक के रूप में कार्य करते हुए वित्त मंत्रालय में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद इन संस्थानों में नियुक्त हुए। एचएसबीसी में ईक्विटीज के प्रबंध निदेशक एवं मुंबई में लेहमन ब्रदर्स के प्रबंध निदेशक के तौर पर उनको वैश्विक निवेश बैंकिंग में 12 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। इससे पहले, उन्होंने वर्ष 1999 में एमबीए करने के बाद लंदन में बैंक ऑफ अमेरिका सिक्युरिटीज में पूंजी बाजार में कार्य किया है। वह स्टॉकहोल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी ऑफ इंडिया यूके लिमिटेड, लंदन के अध्यक्ष रहे एवं गुडगांव में एमडीआई बोर्ड के गवर्नर रहे तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेट मैनेजमेंट को. लिमिटेड के अध्यक्ष रहे। केरल राज्य उनके द्वारा संभाले गए विभिन्न बोर्ड पदों से पूर्व उन्होंने विविध ओहदों पर अपनी सेवाएँ प्रदान की जैसे कि पतनों के सचिव एवं विषिजम इंडस्ट्रियल पोर्ट के मुख्य कार्यपालक निदेशक के रूप में जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बन्दरगाह का निर्माण किए जाने की जिम्मेदारी संभाली। वह पालकाड में जिला कलेक्टर भी रहे तथा अंतरराष्ट्रीय बिजनस स्कूल, आईआईएम कोषिकोड के संस्थापक निदेशक भी थे।

श्री एस के पाणिग्रही, आयु 56 वर्ष, को बैंक के भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक के रूप में 26.04.2019 से नामित किया गया। उन्होंने जनवरी 1989 में भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यभार संभाला तथा कोलकाता, कानपुर और मुंबई (केंद्रीय कार्यालय) में 30 वर्ष से अधिक समय तक कार्य किया है। उन्होंने विदेशी प्रतिनियुक्ति पर सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान (मस्कट में, ओमान की सल्तनत में) में 2006 से 2010 तक वरिष्ठ पद में काम किया है, जहां वे बैंकिंग नीति और पर्यवेक्षण विभाग

संभालते थे। उन्होंने भौतिकी में मास्टर डिग्री और प्रबंधन (वित्त) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया है। वह भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (सीएआईआईबी) के प्रमाणित सहयोगी भी हैं। अपने आरबीआई कैरियर में, श्री एस के पाणिग्रही को बैंकिंग और एनबीएफसी पर्यवेक्षण क्षेत्रों में दीर्घकालिक अनुभव है खास तौर पर इनकी रुचि डाटा अनलिटिकल और जोखिम प्रबंधन पर रही और इनकी तैनाती प्रमुखतः केन्द्रीय कार्यालय में बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग पर रही। वर्तमान में, श्री एस के पाणिग्रही आरबीआई, अहमदाबाद में गुजरात राज्य के क्षेत्रीय निदेशक और दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

श्री सलिल कुमार झा, आयु 66 वर्ष को 27 दिसंबर 2017 के प्रभाव से गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे एनआईटी जमशेदपुर से मेकेनिकल इंजीनियर (टॉपर और स्वर्ण पदक विजेता) हैं और एफएमएस दिल्ली से एमबीए की शिक्षा प्राप्त की है। वे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, एक नवरत्न पीएसयू और भारत की सबसे बड़ी रक्षा कंपनी के भूतपूर्व प्रबंध निदेशक हैं। वे एचएएल के फाइव जाइन्ट वेन्चर्स के अंशकालिक अध्यक्ष / निदेशक थे। एचएएल में पद ग्रहण करने के पहले उन्होंने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी में भी काम किया है। केरल के कासरगोड राज्य में सामरिक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टरी स्थापित करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारत में नवीनतम अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को लाने के लिए वैश्विक रक्षात्मक प्लेयर्स के साथ रणनीतिक संबंध बनाए। उनके द्वारा आर एवं डी केन्द्रों में कई नई प्रणाली विकसित की गई और रिकॉर्ड संख्या में पेटेंट दर्ज की गई। इनके कार्यकाल के दौरान नए बाजारों का भी पता लगाया गया। उनकी नीतियों में इन- हाउस विनिर्माण से आउटसोर्सिंग की ओर पलायन करना और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण से जोखिम शेयरिंग पार्टनरशिप संगठन की ओर अग्रसर होना शामिल हैं। इससे संगठन की सामान्य उत्पादकता तथा लाभप्रदता में बढ़ोत्तरी हुई। रक्षा मंत्रालय के अधीन सभी सार्वजनिक उपक्रमों और आयुध कारखानों में सर्वश्रेष्ठ निष्पादन के लिए उनके नेतृत्व में प्रभागों को दो बार रक्षा मंत्री का पुरस्कार मिला। ये बैंक के ईक्विटी शेयरधारक नहीं हैं।

श्री पद्मनाभन विठ्ठल दास, आयु 70 वर्ष, को भारत सरकार की दिनांक 21.10.2019 की अधिसूचना के द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए या बैंक के समामेलन होने तक यानि दिनांक 31.03.2020 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया। वे दिनांक 25.04.2016 से 24.04.2019 तक बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक भी रहे थे। तमिलनाडु के कुंभकोणम में 2 मई, 1950 को जन्मे, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कुंभकोणम और तिरुविडैमरुदूर में प्राप्त की और सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुच्ची (मद्रास विश्वविद्यालय) में अर्थशास्त्र स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) में कार्यरत रहते समय, उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से एलएलबी किया। वे 1974 में आईआरएस (सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) में सहायक कलेक्टर के रूप में शामिल हुए। वे 22 जुलाई, 1974 और 31 मई 2010 के बीच भारत सरकार की सेवा में थे। 2010 में सेवानिवृत्ति के समय, वे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग और कस्टम्स बोर्ड (कार्मिक और सतर्कता) में एक सदस्य और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के विशेष सचिव थे। सेवाकाल में उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ-साथ मुख्यालय के कार्यालयों में भी कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, विभिन्न क्षेत्रों जैसे एटिस्मग्लिंग इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एडमिनिस्ट्रेशन और सतर्कता में काम किया। उन्हें 1991 के गणतंत्र दिवस समारोह पर विशेष रूप से प्रतिष्ठित रिकॉर्ड के लिए "भारत का राष्ट्रपति पुरस्कार" प्राप्त हुआ। उन्होंने तस्करी विरोध जोखिम प्रबंधन आदि पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विदेशों में विभिन्न सीमा शुल्क संरचनाओं का दौरा किया है। वर्ष 2011 से 2016 के दौरान वह यूपीएससी में प्रशासनिक सेवाओं तथा कर्मचारी चयन आयोग के लिए जाने वाले साक्षात्कारों के साक्षात्कार पैनल के सदस्य रहे। वे तमिलनाडु एवं पुदुच्चेरी की बार काउंसिल के एडवोकेट भी हैं। वर्तमान में वह चेन्नई पेट्रोलियम एवं भारतीय विशिष्ट पहचान

प्राधिकरण (UIDAI) के लिए स्वायत्त बाह्य अनुवीक्षक के तौर पर कार्य कर रहे हैं।

श्री विनोद कुमार नागर, 68 वर्ष, को बैंक के शेयरधारक-निदेशक के रूप में जुलाई 01, 2017 से 3 वर्षों की अवधि के लिए फिर से निर्वाचित किया गया। वे सिंडिकेट बैंक के सेवानिवृत्त कार्यपालक निदेशक हैं। वे बी.टेकस्ट, विपणन एवं बिक्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारक और एमबीए हैं। उनके पास 25 वर्ष से अधिक अवधि के बैंकिंग करियर का अनुभव है। सिंडिकेट बैंक में कार्यभार ग्रहण करने के पहले इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में काम किया। कई वर्षों के लिए इन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष और अंचल प्रबंधक के रूप में अग्रणी पदों पर काम किया। वे पंजाब नेशनल बैंक में ऋण समिति, निवेश समिति, मानव संसाधन प्रबंधन समिति, सीबीएस कार्यान्वयन के लिए स्टीयरिंग समिति और उच्चतम स्तरीय समझौता समिति जैसी सभी मुख्य समितियों के सदस्य रहे और इनके पर्यवेक्षण में विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकन हुआ। वे आईबीए में वित्तीय समावेशन उप-समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य पर थोरट समिति, पंजाब राज्य के लिए एसएमई पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सशक्त समिति, गैर-नागरिक मंत्रालयों / विभागों में संशोधित प्रक्रिया की क्षमता की पुनरीक्षा के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति, सिविल मंत्रालयों / विभागों आदि से मान्यता प्राप्त बैंकों द्वारा किये जानेवाले सरकारी लेनदेन की समीक्षा हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा सृजित स्थायी समिति आदि प्रमुख समितियों के सदस्य थे। इनका कार्यकाल दिनांक 30.06.2020 को समाप्त हुआ।

डॉ. भरत कृष्ण शंकर, आयु 55 वर्ष, को 21 दिसम्बर, 2017 से 3 वर्षों के लिए बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया। वे वाणिज्य में स्नातकोत्तर, चार्टर्ड अकाउंटेंटसी में एक राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता (इंटर और

फाइनल दोनों में टॉपर) और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एक सहयोगी हैं। उनका डॉक्टरेट की थीसिस "उद्यमशीलता के निर्धारक और मदुरै जिले में एमएसएमई क्षेत्र में स्थिरता पर इसका प्रभाव" था। उन्हें व्यवसाय प्रबंधन वित्त और मानव संसाधन और प्रशिक्षण में समृद्ध अनुभव है।

श्री के रामचंद्रन, आयु 58 वर्ष, ने इलाहाबाद बैंक के इंडियन बैंक में समामेलन के बाद, इंडियन बैंक के कार्यपालक निदेशक का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने 26 दिसंबर 2018 से इलाहाबाद बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। वे विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं और उन्हें कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्राप्त है। वे मई 1985 में कॉर्पोरेशन बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में भर्ती हुए तथा शाखाओं, कॉर्पोरेट कार्यालय और अन्य नियंत्रण कार्यालयों में कार्य किया।

वे कॉर्पोरेशन बैंक के सम्पूर्ण शाखा ऑटोमेशन, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन के डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन से संबद्ध कोर टीम में शामिल थे। प्राथमिकता क्षेत्र के सहायक महाप्रबंधक के रूप में, उन्होंने कारोबार प्रतिनिधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वॉयस इनेबल्ड पॉइंट ऑफ ट्रांजक्शन, हैंड हेल्ड टर्मिनल्स को लागू किया था। श्री रामचंद्रन ने वैकल्पिक चोनल, क्रेडिट मॉनिटरिंग वर्टिकल का स्वतंत्र प्रभार संभाला था। उन्होंने कॉर्पोरेशन बैंक के ठाणे अंचल का नेतृत्व किया था। महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत होने पर, वे अप्रैल 2016 से कॉर्पोरेशन बैंक के चेन्नै अंचल का नेतृत्व कर रहे थे।

बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	सुश्री पद्मजा चुन्द्रू - अध्यक्ष	01.04.2019 - 31.03.2020	17	16
2.	श्री एम के भट्टाचार्य	01.04.2019 - 31.03.2020	17	16
3.	श्री वी वी शेणॉय	01.04.2019 - 31.03.2020	17	17
4.	श्री अमित अग्रवाल	01.04.2019 - 24.01.2020	10	3
5.	श्री संजीव कौशिक	24.01.2020 - 31.03.2020	7	4
6.	श्री जे के दाश	01.04.2019 - 25.04.2019	शून्य	शून्य
7.	श्री एस के पाणिग्रही	26.04.2019 - 31.03.2020	17	14
8.	श्री विजय कुमार गोयल	01.04.2019 - 25.07.2019	2	2
9.	श्री पद्मनाभन विट्ठल दास	01.04.2019 - 24.04.2019 21.10.2019 - 31.03.2020	शून्य 11	शून्य 11
10.	श्री सलिल कुमार झा	01.04.2019 - 31.03.2020	17	15
11.	श्री विनोद कुमार नागर	01.04.2019 - 31.03.2020	17	17
12.	डॉ भरत कृष्ण शंकर	01.04.2019 - 31.03.2020	17	16

बैंक के निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।

स्वतंत्र निदेशकों को दिये गये परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा बैंक की वेबसाइट <https://www.indian-bank.com/wp-content/uploads/2018/04/Merged-Familiarisation-programs.pdf> में दिया गया है।

बोर्ड की बैठकें : राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के अंतर्गत वर्ष में की जानेवाली न्यूनतम छः (6) बैठकों की सांविधिक प्रावधान की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक की सत्रह (17) बोर्ड बैठकें आयोजित की गई थीं जिनके विवरण निम्नानुसार हैं :

14/05/2019	28/06/2019	05/08/2019	30/08/2019	30/08/2019*	18/09/2019
23/10/2019	27/11/2019	23/12/2019	24/01/2020	14/02/2020*	14/02/2020
28/02/2020	05/03/2020	12/03/2020	17/03/2020	27/03/2020	

*ग्राहक सेवा पर अनन्य बोर्ड बैठक

3. बोर्ड की समितियाँ

बोर्ड ने निम्नलिखित समितियाँ गठित की हैं, जो महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों में निर्दिष्ट एवं केन्द्रित नियंत्रण प्रदान करती हैं और बैंक के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करती हैं।

क्र सं.	समिति का नाम
1.	प्रबंधन समिति
2.	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
3.	जोखिम प्रबंधन समिति
4.	आईटी रणनीति समिति
5.	ग्राहक सेवा समिति
6.	निदेशकों की समिति (सतर्कता)
7.	विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु)
8.	शेयर अंतरण समिति
9.	स्टेकधारक संपर्क समिति
10.	एच आर समिति
11.	वसूली को मॉनीटर करने के लिए समिति
12.	अनुशासनिक मामलों के लिए बोर्ड स्तरीय अपील समिति
13.	इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति
14.	गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति
15.	ऋण अनुमोदन समिति
16.	व्यय अनुमोदन समिति
17.	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
18.	निष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति

1) प्रबंधन समिति :

प्रबंधन समिति का गठन सितंबर 08, 1990 को किया गया और यह भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के साथ बोर्ड द्वारा इसे प्रदान किए गए अधिकारों का प्रयोग करती है। प्रबंधन समिति निम्नलिखित विषयों पर बोर्ड में निहित सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकती है :

- ऋण प्रस्तावों की मंजूरी (निधिप्रदत्त और गैर निधिप्रदत्त)
- ऋण समझौता / बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव ;
- पूंजी और राजस्व व्यय के प्रस्तावों हेतु अनुमोदन ;
- परिसरों के अधिग्रहण और किराये पर लेने हेतु मानदंडों से विचलन सहित परिसरों के अधिग्रहण और किराये पर लेने से संबंधित प्रस्ताव ;
- मुकदमा / अपील आदि दायर करना और उनके बचाव की प्रक्रिया आदि ;
- सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयरों और हामीदारी सहित कंपनियों के डिबेंचरों में निवेश
- दान ; और
- बोर्ड द्वारा प्रबंधन समिति को संदर्भित किए गए कोई अन्य मामले।

प्रबंध समिति निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	सुश्री पद्मजा चुन्डूरु— अध्यक्ष	01-04-2019 – 31-03-2020	17	16
2.	श्री एम के भट्टाचार्य	01-04-2019 – 31-03-2020	17	15
3.	श्री वी वी शेणॉय	01-04-2019 – 31-03-2020	17	17
4.	श्री जे के दाश	01-04-2019 – 25-04-2019	0	0
5.	श्री एस के पाणिग्रही	26-04-2019 – 31-03-2020	17	15
6.	श्री पद्मनाभन विट्ठल दास	01-04-2019 – 24-04-2019 01-11-2019 – 31-03-2020	0 9	0 9
7.	श्री विनोद कुमार नागर	01-04-2019 – 07-07-2019	2	2
8.	श्री सलिल कुमार झा	08-07-2019 – 31-03-2020	15	13

2) लेखापरीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति 13 अक्टूबर 1995 को गठित की गयी और इसके कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं :

- बैंक के समग्र लेखा – परीक्षा कार्य, जोकि संस्थान तथा उसके परिचालन पर प्रभाव डालता है, को मार्गदर्शन प्रदान करना एवं उसका पर्यवेक्षण करना, जिससे बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण को व्यवस्थित, परिचालित करना एवं गुणवत्ता नियंत्रण करना अभिप्रेत है तथा बैंक की सांविधिक / बाहरी लेखा परीक्षा एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षणों का अनुवर्तन करना।
- अंतर-शाखा समायोजन खाते, अंतर बैंक खातों में बहुत दिनों से लंबित समाधान न की गई प्रविष्टियाँ और नास्ट्रो खातों, विभिन्न शाखाओं में बहियों के संतुलन में शेष काम, धोखाधडियाँ एवं अनुरक्षण पर विशिष्ट ध्यान देते हुए बैंक के आंतरिक निरीक्षण / लेखापरीक्षा कार्य की पुनरीक्षा करना।
- बैंकों में नियुक्त अनुपालन अधिकारियों से प्राप्त तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा और
- लांग फार्म लेखा परीक्षा रिपोर्टों में उठाए गए सभी मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना और वार्षिक/अर्ध वार्षिक वित्तीय लेखा और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पूर्व बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ संपर्क करना।
- लेखा, लेखा-नीतियों, प्रकटीकरण की नियमित पुनरीक्षा ;
- प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने पर आधारित मुख्य लेखा प्रविष्टियों की पुनरीक्षा और लेखा परीक्षा से प्राप्त महत्वपूर्ण समायोजन की पुनरीक्षा;
- ड्राफ्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट की शर्तें ;
- लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों को शामिल करते हुए स्वतंत्र लेखा परीक्षा के विस्तार का निर्धारण एवं पुनरीक्षण करना तथा बोर्ड को प्रस्तुत करने के पहले तिमाही, छमाही एवं वार्षिक वित्तीय विवरणों का पुनरीक्षण करना
- किसी भी प्रकार के चिंताजनक क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षकों के साथ लेखा परीक्षा के बाद चर्चा;
- आंतरिक लेखा परीक्षा का स्वरूप और समय अंतराल स्थापित करना, आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्ष की पुनरीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता सुनिश्चित करना;
- बैंक के लेखा मानकों और लेखा नीतियों का अनुपालन
- वित्तीय विवरणियों पर लागू सीमा तक स्टॉक एक्सचेंज की अपेक्षाओं का अनुपालन;
- संबंधित पार्टियों के लेनदेन का पर्यवेक्षण, यथा, प्रवर्तकों अथवा प्रबंधन, उनकी अनुषंगियों अथवा संबंधियों इत्यादि के साथ भौतिक रूप के लेनदेन, जिनसे व्यापक रूप में बैंक के हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकता है; और
- ऐसे अन्य मामले जो कि समय-समय पर किसी भी सांविधिक, संविदात्मक अथवा अन्य विनियामक आवश्यकताओं हेतु अपेक्षित हों।

लेखा परीक्षा समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	डॉ भरत कृष्ण शंकर – अध्यक्ष	01.04.2019 – 31.03.2020	13	13
2.	श्री वी वी शेणॉय	01.04.2019 – 31.03.2020	13	13
3.	श्री एम के भट्टाचार्य (आमंत्रित)	01.04.2019 – 31.03.2020	13	11
4.	श्री अमित अग्रवाल	01.04.2019 – 24.01.2020	9	1
5.	श्री संजीव कौशिक	24.01.2020 – 31.03.2020	4	3
6.	श्री जे के दाश	01.04.2019 – 25.04.2019	0	0
7.	श्री एस के पाणिग्रही	26.04.2019 – 31.03.2020	13	10
8.	श्री सलिल कुमार झा	01.04.2019 – 07.07.2019	2	2
9.	श्री विनोद कुमार नागर	08.07.2019 – 31.03.2020	11	10

3) जोखिम प्रबंधन समिति :

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन 18 जनवरी, 2003 को किया गया था। समिति के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- एकीकृत जोखिम प्रबंधन, जिसमें ऋण जोखिम सहित बैंक के विभिन्न एक्सपोजर से संबंधित जोखिम शामिल हैं, के लिए नीति और रणनीति तैयार करना
- बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलएमसी) और परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) और अन्य जोखिम समितियों के बीच समन्वय स्थापित करना।
- समिति के दायित्वों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :
 - बाज़ार जोखिम मापने, उसके प्रबंधन और रिपोर्टिंग हेतु नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करना
 - यह सुनिश्चित करना कि बाजार जोखिम प्रक्रियाएँ (जनता, प्रणालियों, परिचालनों, सीमाओं और नियंत्रणों सहित) बैंक की नीति की संतुष्टि प्रदान करती हैं।
 - ट्रिगर अथवा व्यापार और प्रोद्भूत पोर्टफोलियो हेतु हानि रोकने सहित बाज़ार जोखिम सीमाओं की पुनरीक्षा और अनुमोदन।
 - अर्ह और सक्षम स्टाफ की नियुक्ति, अर्ह और सक्षम स्टाफ और स्वतंत्र बाज़ार जोखिम प्रबंधक / कों आदि की तैनाती सुनिश्चित करना।

जोखिम प्रबंधन समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	सुश्री पद्मजा चुन्दूरु – अध्यक्ष	01.04.2019 - 31.03.2020	8	7
2.	श्री एम के भट्टाचार्य	01.04.2019 - 31.03.2020	8	8
3.	श्री वी वी शेणॉय	01.04.2019 - 31.03.2020	8	7
4.	श्री विजय कुमार गोयल	01.04.2019 - 25.07.2019	1	1
5.	श्री विनोद कुमार नागर	01.04.2019 - 31.03.2020	8	8
6.	श्री पद्मनाभन विट्ठल दास	01.11.2019 - 31.03.2020	6	6

4) आईटी रणनीति समिति :

- प्रौद्योगिकी समिति का गठन बैंक की प्रौद्योगिकी उन्नयन आवश्यकताओं पर विचार करने और स्पष्ट परिभाषित माइलस्टोन के साथ रणनीतिक योजना की अनुशंसा करने के लिए किया गया है।

आईटी रणनीति समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	सुश्री पद्मजा चुन्दूरु – अध्यक्ष	01.04.2019 - 31.03.2020	6	5
2.	श्री एम के भट्टाचार्य	01.04.2019 - 31.03.2020	6	6
3.	श्री वी वी शेणॉय	01.04.2019 - 31.03.2020	6	6
4.	श्री अमित अग्रवाल	01.04.2019 - 24.01.2020	4	0
5.	श्री संजीव कौशिक	24.01.2020 - 31.03.2020	2	2
6.	डॉ भरत कृष्ण शंकर	01.04.2019 - 31.03.2020	6	5
7.	श्री सलिल कुमार झा – बैठक के अध्यक्ष	01.04.2019 - 31.03.2020	6	5

5) ग्राहक सेवा समिति

ग्राहक सेवा समिति अगस्त 24, 2004 को गठित की गई थी। ग्राहक सेवा समिति के कार्य में निम्नलिखित भी शामिल हैं –

- आम व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रक्रियाविधियों व पद्धतियों के सरलीकरण पर ध्यान देना
- ग्राहकों को सेवा प्रदान करने हेतु पद्धतियों की समीक्षा और
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित उन विनियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा, जोकि बैंक की ग्राहक सेवा का अतिक्रमण करती हैं।

ग्राहक सेवा समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	सुश्री पद्मजा चुन्दूरु – अध्यक्ष	01.04.2019 - 31.03.2020	4	3
2.	श्री एम के भट्टाचार्य	01.04.2019 - 31.03.2020	4	4
3.	श्री वी वी शेणॉय	01.04.2019 - 31.03.2020	4	3
4.	श्री विजय कुमार गोयल	01.04.2019 - 25.07.2019	1	1
5.	श्री विनोद कुमार नागर	01.04.2019 - 31.03.2020	4	4
6.	श्री सलिल कुमार झा	01.04.2019 - 31.03.2020	4	4
7.	श्री पद्मनाभन विट्ठल दास	01.11.2019 - 31.03.2020	2	2

6) निदेशकों की समिति (सतर्कता)

सतर्कता समिति जनवरी 12, 1991 को गठित की गई है।

लंबित अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांच की पुनरीक्षा करने के लिए सतर्कता समिति की बैठक तिमाही में एक बार की जाती है।

सतर्कता समिति में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	सुश्री पद्मजा चुन्दूरु : अध्यक्ष	01.04.2019 – 31.03.2020	4	4
2.	श्री एम के भट्टाचार्य	01.04.2019 – 31.03.2020	4	4
3.	श्री वी वी शेणॉय	01.04.2019 – 31.03.2020	4	4
4.	श्री अमित अग्रवाल	01.04.2019 – 24.01.2020	3	0
5.	श्री संजीव कौशिक	24.01.2020 – 31.03.2020	1	0
6.	श्री जे के दाश	01.04.2019 – 25.04.2019	0	0
7.	श्री एस के पाणिग्रही	26.04.2019 – 31.03.2020	4	4

7) विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों की मॉनिटरिंग)

₹1 करोड़ और उससे अधिक की धोखाधड़ियों को मॉनिटर करने हेतु इस समिति का गठन 31 जनवरी 2004 को किया गया था।

विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों की मॉनिटरिंग) में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान बैठकें आयोजित	बैठकों में उपस्थिति
1.	सुश्री पद्मजा चुन्दूरु : अध्यक्ष	01.04.2019 – 31.03.2020	3	3
2.	श्री एम के भट्टाचार्य	01.04.2019 – 31.03.2020	3	3
3.	श्री वी वी शेणॉय	01.04.2019 – 31.03.2020	3	3
4.	श्री विजय कुमार गोयल	01.04.2019 – 25.07.2019	1	1
5.	श्री सलिल कुमार झा	01.04.2019 – 31.03.2020	3	2
6.	श्री विनोद कुमार नागर	08.07.2019 – 31.03.2020	2	2
7.	श्री पद्मनाभन विट्ठल दास	01.11.2019 – 31.03.2020	1	1

8) शेर अंतरण समिति :

इंडियन बैंक (शेर और बैठक) विनियमन, 1999 के विनियम 2ए के अनुसार, 13 मार्च 2007 को बैंक की शेर अंतरण समिति गठित की गई।

शेर अंतरण समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री वी वी शेणॉय : अध्यक्ष	01.04.2019 – 31.03.2020	1	1
2.	श्री एम के भट्टाचार्य	01.04.2019 – 31.03.2020	1	1
3.	श्री विनोद कुमार नागर	01.04.2019 – 31.03.2020	1	1
4.	डॉ भरत कृष्ण शंकर	01.04.2019 – 31.03.2020	1	1

9) स्टैकधारक संपर्क समिति :

सेबी (एलओडीआर) विनियमन के अनुसार शेयरधारकों तथा निवेशकों की शिकायतों के निवारण का कार्य संभालने हेतु 23 नवंबर, 2006 के प्रभाव से यह समिति गठित की गई और इस समिति का कार्य सिर्फ शेयरों के अंतरण, लाभांश, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने और किसी प्रकार की शिकायतों तक सीमित नहीं है, बल्कि बैंक के विरुद्ध किसी शेयर धारक या निवेशक की शिकायतों के निवारण का कार्य भी शामिल है।

स्टैकधारक संपर्क समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री विनोद कुमार नागर – अध्यक्ष	01.04.2019 – 31.03.2020	3	3
2	श्री एम के भट्टाचार्य	01.04.2019 – 31.03.2020	3	3
3	श्री वी वी शेर्णॉय	01.04.2019 – 31.03.2020	3	3
4	श्री विजय कुमार गोयल	01.04.2019 – 25.07.2019	0	0
5	श्री पद्मनाभन विट्ठल दास	01.11.2019 – 31.03.2020	2	2

10) एचआर समिति

बोर्ड की मानव संसाधन समिति का गठन 29 जून, 2012 को एचआर की महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रत्येक तिमाही में चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए किया गया था।

एच आर समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	सुश्री पद्मजा चुन्दूरु – अध्यक्ष	01.04.2019 – 31.03.2020	6	6
2.	श्री एम के भट्टाचार्य	01.04.2019 – 31.03.2020	6	6
3.	श्री वी वी शेर्णॉय	01.04.2019 – 31.03.2020	6	6
4.	श्री अमित अग्रवाल	01.04.2019 – 24.01.2020	5	0
5.	श्री संजीव कौशिक	24.01.2019 – 31.03.2020	1	0
6.	श्री पद्मनाभन विट्ठल दास	01.04.2019 – 24.04.2019	0	0
7.	डॉ भरत कृष्ण शंकर	01.04.2019 – 31.03.2020	6	6
8.	श्री सलिल कुमार झा	01.04.2019 – 31.03.2020	6	4

11) वसूली पर निगरानी समिति

दिसंबर 18, 2012 को वसूली को मॉनीटर करने के लिए वसूली पर निगरानी समिति गठित की गई तथा इसका उद्देश्य है मासिक आधार पर बैंक में की गई वसूली की प्रगति को मॉनीटर करना एवं विभिन्न समितियों, जैसे समझौता परामर्शदात्री समिति, आस्तियों की बिक्री समिति और बैंक के अन्य क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं के कार्य की पुनरीक्षा करना।

वसूली को मॉनीटर करनेवाली समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	सुश्री पद्मजा चुन्दूरु : अध्यक्ष	01.04.2019 – 31.03.2020	4	3
2.	श्री एम के भट्टाचार्य	01.04.2019 – 31.03.2020	4	4
3.	श्री वी वी शेर्णॉय	01.04.2019 – 31.03.2020	4	4
4.	श्री अमित अग्रवाल	01.04.2019 – 24.01.2020	3	0
5.	श्री संजीव कौशिक	24.01.2020 – 31.03.2020	1	1
6.	श्री पद्मनाभन विट्ठल दास	01.04.2019 – 24.04.2019 01.11.2019 – 31.03.2020	0 2	0 2
7.	श्री विजय कुमार गोयल	01.04.2019 – 25.07.2019	1	1
8.	श्री सलिल कुमार झा	01.04.2019 – 31.03.2020	4	4

12) अनुशासनिक मामलों के लिए बोर्ड स्तरीय अपीलीय समिति :

अनुशासनिक मामलों में बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ के निर्णयों के खिलाफ की जाने वाली अपीलों के लिए उनसे एक स्तर ऊपर की बोर्ड स्तरीय अपीलीय समिति का गठन 15.12.2014 को किया गया है। समिति के सदस्य हैं:

1. श्री विनोद कुमार नागर
2. डॉ. भरत कृष्ण शंकर
3. श्री सलिल कुमार झा

वर्ष 2019-20 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई है।

13) इरादतन चूककर्ताओं के लिए समीक्षा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इरादतन चूककर्ताओं के संबंध में दिनांक 23 जनवरी 2015 को इरादतन चूककर्ताओं की समीक्षा के लिए समिति गठित की गई। यह समिति, उधारकर्ताओं को इरादतन चूककर्ता के रूप में पहचानने वाली स्क्रीनिंग समिति के आदेशों की पुनरीक्षा करती है।

इरादतन चूककर्ताओं हेतु आयोजित समीक्षा समिति के निदेशकों की उपस्थिति का विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	पद्मजा चुन्दरू : अध्यक्ष	01.04.2019 – 31.03.2020	1	1
2.	श्री विजय कुमार गोयल	01.04.2019 – 25.07.2019	शून्य	शून्य
3.	श्री विनोद कुमार नागर	18.09.2019 – 31.03.2020	1	1
4.	श्री सलिल कुमार झा	18.09.2019 – 31.03.2020	1	1

14) सहयोग नहीं देने वाले उधारकर्ताओं की समीक्षा हेतु समिति

जनवरी 23, 2015 को सहयोग नहीं देने वाले उधारकर्ताओं की समीक्षा हेतु समिति का गठन, ऐसे उधारकर्ताओं के संबंध में स्क्रीनिंग समिति के आदेशों की पुनरीक्षा / पुष्टिकरण के लिए किया गया, जिसमें भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उधारकर्ताओं को असहयोगी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया था। समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :

सहयोग नहीं देने वाले उधारकर्ताओं हेतु आयोजित बैठकों में समीक्षा समिति के निदेशकों की उपस्थिति का विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	पद्मजा चुन्दरू : अध्यक्ष	01.04.2019 – 31.03.2020	1	1
2.	श्री विजय कुमार गोयल	01.04.2019 – 25.07.2019	शून्य	शून्य
3.	श्री विनोद कुमार नागर	01.04.2019 – 31.03.2020	1	1
4.	श्री सलिल कुमार झा	18.09.2019 – 31.03.2020	1	1

15) बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति

भारत सरकार की अधिसूचना एसओ 2736 (ई) दिनांक दिसंबर 05, 2011 के अनुसार ऋण अनुमोदन समिति अप्रैल 04, 2012 को गठित की गई तथा यह बोर्ड की प्रबंधन समिति के अधीन मंजूरी निकाय होगी, ये सदस्य ऋण प्रस्ताव / समझौता प्रस्ताव / बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव आदि पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित ढांचे के अनुरूप उनको प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रयोग करेंगे।

समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

1. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2. कार्यपालक निदेशकगण
3. महाप्रबंधक या विभाग प्रमुख, ऋण के प्रभारी*
4. महाप्रबंधक या विभाग प्रमुख, जो ट्रेजरी एवं निवेश के प्रभारी हैं
5. महाप्रबंधक या विभाग प्रमुख, वित्त / लेखा के प्रभारी, जो भी मामला हो
6. सीआरओ और सीसीओ की सहभागिता

*चूँकि विभिन्न महाप्रबंधक / विभाग प्रमुख ऋण प्रस्तावों को डील कर रहे हैं इसलिए संबंधित महाप्रबंधक / विभाग प्रमुख संबंधित प्रस्ताव के लिए समिति के सदस्य होंगे।

वर्ष 2019-20 के दौरान ऋण अनुमोदन समिति की 15 बैठकें आयोजित की गईं।

16) व्यय अनुमोदन समिति

व्यय अनुमोदन समिति का गठन समिति अवधारणा को लाभ पहुंचाने हेतु निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया गया :

- 1) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
- 2) कार्यपालक निदेशकगण
- 3) ट्रेजरी / व्यय / मासंप्र / टीएमडी के प्रभारी महाप्रबन्धक
- 4) महाप्रबन्धक / विभाग प्रमुख (जिनके द्वारा व्यय प्रस्तावित है)
- 5) मुख्य अनुपालन अधिकारी

वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय अनुमोदन समिति की बैठक 13 बार हुई । इस समिति को दिनांक 07.04.2020 के अनुमोदन द्वारा ऋण अनुमोदन समिति में सममिलित कर दिया गया ।

17) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

बोर्ड के शेयर धारक निदेशक के रूप में चयन किए जाने वाले व्यक्तियों की 'उचित एवं उपयुक्त' स्थिति निर्धारित करने के लिए दिनांक 27.11.2019 को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है ।

इस समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं

अ)श्री सलिल कुमार झा – समिति के अध्यक्ष

आ)श्री पद्मनाभन विठ्ठल दास

इ)डॉ. भरतकृष्ण शंकर

वर्ष 2019-20 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई ।

18) निष्पादन मूल्यांकन के लिए समिति

महाप्रबन्धकों एवं कार्यपालक निदेशकों के केआरए अनुमोदित करने एवं बोर्ड की संस्तुति हेतु प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का केआरए बनाने के लिए दिनांक 27.11.2019 को इस समिति का गठन किया गया है ।

निष्पादन मूल्यांकन हेतु आयोजित बैठकों में समीक्षा समिति के निदेशकों की उपस्थिति का विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	डॉ. भरतकृष्ण शंकर – अध्यक्ष	27.11.2019 – 31.03.2020	1	1
2	श्री अमित अग्रवाल	01.04.2019- 24.01.2020	1	1
3	श्री संजीव कौशिक	24.01.2020-31.03.2020	शून्य	शून्य
4	श्री विनोद कुमार नागर	27.11.2019-31.03.2020	1	1

4. सामान्य बैठकें

बैंक के शेयरधारकों की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) के विवरण निम्न प्रकार हैं ;

वार्षिक आम बैठक	दिन एवं दिनांक	समय	जगह
ग्यारहवीं	सोमवार जून 12, 2017	पूर्वाह्न 10.30 बजे	इमेज, एमआरसी नगर राजा अण्णामलैपुरम चेन्नै – 600 028
बारहवीं	गुरुवार जून 28, 2018	पूर्वाह्न 10.30 बजे	इमेज, एमआरसी नगर राजा अण्णामलैपुरम चेन्नै – 600 028
तेरहवीं	गुरुवार जून 27, 2019	पूर्वाह्न 10.30 बजे	इमेज, एमआरसी नगर राजा अण्णामलैपुरम चेन्नै – 600 028

बारहवीं व तेरहवीं वार्षिक आम बैठकों के दौरान कोई भी विशेष संकल्प पास नहीं किया गया । ग्यारहवीं आम बैठक में निम्नलिखित विशेष संकल्प पास किए गए तथा वर्ष 2017-18 के दौरान असाधारण आम बैठक आयोजित की गई :

- ए) 12 जून, 2017 को आयोजित ग्यारहवीं वार्षिक आम बैठक में, फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर / राइट्स इश्यू / क्यूआईपी / अधिमानी इश्यू के माध्यम से 10/- रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 4.75 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करने हेतु अनुमोदन के साथ एक संकल्प तथा / अथवा बैंक द्वारा तय किए जाने वाले प्रायवेट प्लेसमेंट को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित किया गया था ।

बी) वर्ष 2017 – 18 के दौरान, 31 जनवरी, 2018 को एक असाधारण आम बैठक इमेज एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै – 600028 में सुबह 10.30 बजे आयोजित की गई, जिसमें वर्तमान या बाद के वित्तीय वर्षों में आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक श्रृंखलाओं में आगामी पब्लिक ऑफर / प्रायवेट प्लेसमेंट / राइट्स इश्यू / क्यूआईपी / अधिमान्य इश्यू / इन्स्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कार्यक्रम के माध्यम से 7000 करोड़ रुपये (प्रीमियम सहित) तक इक्विटी पूंजी जुटाने को मंजूरी देते हुए बैंक द्वारा तय किए जाने वाले विशेष प्रस्ताव के रूप में एक संकल्प पारित किया गया था।

सी) वर्तमान या बाद के वित्तीय वर्षों में आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक श्रृंखलाओं में आगामी पब्लिक ऑफर / प्रायवेट प्लेसमेंट / क्यूआईपी / राइट्स इश्यू / अधिमान्य इश्यू / कर्मचारी शेयर खरीद योजना के माध्यम से 7000 करोड़ रुपये (प्रीमियम सहित) तक इक्विटी पूंजी जुटाने को मंजूरी देते हुए डाक मतपत्र द्वारा 27 मार्च, 2019 को एक विशेष संकल्प पारित किया गया था।

डी) बैंक के प्रवर्तक, भारत सरकार से पोस्टल बैलेट के माध्यम से 2534 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर जुटाने के लिए अधिमान्य आबंटन को अनुमोदित करने के लिए 13 नवंबर 2019 को विशेष संकल्प पारित किया गया है।

इसके लिए कार्यरत, मैसर्स एस एन अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी सचिव द्वारा पोस्टल बैलेट की संवीक्षा की गई।

5. प्रकटीकरण

ए) बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अनुबद्ध "संबंधित पार्टी लेन-देनों" की आवश्यकताओं का अनुपालन करता रहा है। बैंकिंग कारोबार के सामान्य व्यवहार में आनेवाली मदों के अलावा बैंक ने अपने प्रवर्तकों / निदेशकों, प्रबंधन, उनकी अनुषंगियों, अथवा रिश्तेदारों आदि के साथ किसी भी प्रकार के भौतिक प्रमुख लेनदेनों में भाग नहीं लिया है जिससे बैंक के हितों के साथ संभाव्यतः टकराव हो। बैंक ने आरपीटी के महत्व पर एवं आरपीटीयों से निपटान हेतु एक नीति निर्मित की है, जिसे बैंक की वेबसाइट की लिंक <https://www.indian-bank.com/departments/investors-service/> पर पोर्ट किया गया है।

बी) बैंक ने 'भौतिक अनुषंगी के निर्धारण हेतु नीति' बनाई है एवं उसे बैंक की वेबसाइट – <https://www.indian-bank.com/departments/investors-service/> पर प्रकट किया गया है। बैंक में दो सूचीबद्ध अनुषंगी कंपनियाँ हैं अर्थात् मेसर्स इंडबैंक मर्वेन्ट बैंकिंग सर्विसेस लिमिटेड एवं मेसर्स इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड और दोनों "भौतिक अनुषंगी कंपनियाँ" नहीं हैं।

सी) प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ और कार्यपालक निदेशकों को इस संबंध में भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार उनके यात्रा एवं विराम भत्ते के व्यय की प्रतिपूर्ति और पारिश्रमिक अदा किया जाता है और उनको प्रदत्त पारिश्रमिक के विवरण, बैंक के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 में प्रकट किए गए हैं। एसोसिएशन/संघ के साथ किए गए द्विपक्षीय समझौते के अनुसार अधिकारी-कर्मचारी निदेशक और कामगार कर्मचारी निदेशक को पारिश्रमिक और उनके द्वारा की गई यात्रा के लिए यात्रा एवं विराम भत्ते अदा किये जाते हैं। गैर कार्यपालकों / अंशकालिक, गैर-अधिकारी निदेशकों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क रु. 40,000/- एवं रु. 20,000/- प्रति बोर्ड की बैठक एवं समिति बैठक (अतिरिक्त रु.10,000/- बोर्ड बैठक संचालन के लिए और अतिरिक्त रु.5,000/- समिति बैठक संचालन के लिए), के अलावा कोई अन्य पारिश्रमिक अदा नहीं किया जाता है और केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णीत रूप से समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श के साथ राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के खण्ड 17 के अनुसार यात्रा एवं विराम व्यय सहित, उनको पारिश्रमिक अदा किया जाता है।

डी) वर्ष 2019-20 के दौरान किसी प्रकार की पण्य मूल्य जोखिम एवं पण्य प्रतिरक्षा गतिविधियाँ नहीं हुईं।

ई) वर्ष 2019-20 के दौरान, बैंक ने भारतीय बैंक कर्मचारी शेयर खरीद योजना (ईएसपीएस) के तहत 295.48 करोड़ रुपये की राशि जुटाई। भारत सरकार ने सेबी (पूँजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के मुद्दे) विनियम, 2018 के अनुसार इक्विटी शेयरों के अधिमाती आबंटन के माध्यम से बैंक में 2534 करोड़ रु. की पूंजी लगाई। बैंक ने अपनी विकास योजनाओं और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपरोक्त पूंजीगत धन जुटाया। इस तरह से जुटाई गई धनराशि का उपयोग पोस्टल बैलेट नोटिस दिए गए उद्देश्य के लिए किया गया है।

एफ) वर्ष 2019-20 के दौरान, बोर्ड ने बोर्ड की किसी भी समिति की अनिवार्य रूप से आवश्यक किसी भी सिफारिश को अस्वीकार नहीं किया है।

जी) बैंक के बोर्ड, लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों का गठन तथा निदेशकों का पारिश्रमिक, बोर्ड / समिति प्रक्रियाओं / संबंधित पार्टी लेनदेन आदि बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के तहत नियंत्रित किए जाते हैं। बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, भारतीय बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 1999, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित और दिशानिर्देश जारी किए गए और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 15 से 27 के कुछ प्रावधान संगत / लागू नहीं हैं।

एच) कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एक भाग के रूप में और अधिक पारदर्शिता प्राप्त करने के लिए, 'व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी' तैयार की गई है और बैंक द्वारा लागू की गई है, जिसके संदर्भ में स्टाफ सदस्यों को अनैतिक व्यवहार वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या बैंक की आचार संहिता या आचार नीति के उल्लंघन के बारे में प्रबंधन की चिंताओं को रिपोर्ट करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया है और इस संबंध में किसी भी कार्मिक को ऑडिट कमेटी तक पहुँचने से वंचित नहीं किया गया है।

आई) अनिवार्य एवं विवेकाधीन आवश्यकताएं :

बैंक ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 तथा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंटों के अनुसार सभी प्रयोज्य आवश्यकताओं का पालन किया है। विवेकाधीन आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की सीमा नीचे प्रस्तुत है।

आवश्यकता	अनुपालन
ए. बोर्ड : गैर कार्यपालक अध्यक्ष को अधिकार होना चाहिए कि वे सूचीबद्ध कंपनियों के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यालय बनाए रखें और उन्हें अपने कार्यभार के निर्वहन में किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति भी की जानी चाहिए।	लागू नहीं
बी. शेयरधारक के अधिकार : पिछले छः महीने में प्राप्त वित्तीय उपलब्धियों की छमाही घोषणा सहित महत्वपूर्ण घटनाओं का संक्षिप्त विवरण शेयरधारकों के घर-घर तक भेजा जाए।	अर्द्धवार्षिक परिणाम समाचार पत्रों में, बैंक की वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों पर अपलोड किए गए।
सी. लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर आशोधित अभिमत: सूचीबद्ध इकाई अशोधित लेखा परीक्षा अभिमत के साथ वित्तीय विवरण की व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ सकता है।	2019-20 के लिए बैंक के वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में असंबद्ध राय है
डी. अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए अलग-अलग पद : सूचीबद्ध इकाई अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त करें।	सरकार द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति होनी अभी बाकी है।
ई. आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग : आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करें।	बैंक द्वारा संगामी लेखा परीक्षकों/शाखाओं के निरीक्षकों की रिपोर्ट को समेकित करके आवधिक रूप से लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत किया जाता है।

6. संचार के माध्यम

बैंक से संबंधित जानकारी प्रमुखतः वार्षिक रिपोर्ट द्वारा जारी की जाएगी जिसमें निदेशक की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, नकदी प्रवाह विवरण, समेकित लेखा परीक्षित लेखे आदि शामिल हैं। शेयरधारकों को वर्तमान निवेशक, समाचार पत्रों में प्रकाशन, स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना (एनएसई एवं बीएसई) प्रेस विज्ञापितियां, जहाँ भी संभव हो – ईमेल, जोकि बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे, के द्वारा त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक निष्पादन की जानकारी दी जाएगी। बैंक ब्याज दरों में संशोधन, नए उत्पादों के प्रवर्तन, नई शाखाओं का खोला जाना जैसे विभिन्न परिचालन मामलों पर प्रेस विज्ञापितियाँ जारी करता है जोकि बैंक की वेबसाइट (www.indianbank.in) पर भी उपलब्ध हैं।

बैंक ने अन्य समाचार पत्रों के अतिरिक्त अपने तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों को एक राष्ट्रीय (अंग्रेजी) और एक स्थानीय भाषा (तमिल) के समाचार पत्र में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 47 में निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रकाशित किया है। वर्ष 2019-20 के दौरान किए गए ऐसे प्रकाशनों का विवरण निम्नानुसार है।

..... को समाप्त तिमाही/छमाही/वर्ष	समाचार पत्र	प्रकाशन की तिथि
31.03.2019	बिज़नेस स्टैंडर्ड – अंग्रेजी एवं हिन्दी फाइनेंशियल एक्सप्रेस – अंग्रेजी जनसत्ता – हिन्दी दिनमणि – तमिल	15.05.2019
30.06.2019	बिज़नेस स्टैंडर्ड – अंग्रेजी एवं हिन्दी दिनमणि – तमिल	06.08.2019
30.09.2019	बिज़नेस स्टैंडर्ड – अंग्रेजी एवं हिन्दी फाइनेंशियल एक्सप्रेस – अंग्रेजी जनसत्ता – हिन्दी दिनमणि – तमिल	24.10.2019
31.12.2019	फाइनेंशियल एक्सप्रेस – अंग्रेजी जनसत्ता – हिन्दी दिनमणि – तमिल	25.01.2020

परिणाम बैंक की वेबसाइट पर लिंक - <https://www.indian-bank.com/departments/financial-results/> पर भी उपलब्ध हैं। बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न मूल्य से संबंधित संवेदनशील जानकारी की सूचना स्टॉक एक्सचेंज(एनएसई और बीएसई) को दी है।

7. सामान्य शेयरधारकों की जानकारी

इंडियन बैंक के लेखों पर विचार करने व लाभांश की घोषणा के लिए बोर्ड की बैठक	जून 23, 2020
वार्षिक सामान्य बैठक का दिनांक, समय और सीन	अगस्त 07, 2020, पूर्वाह्न 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस / अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यमों से संभावित स्थान : इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै – 600 014
वित्तीय वर्ष	2019-20
बही समापन तारीख	अगस्त 04, 2020 से अगस्त 07, 2020
2019-20 के लिए लाभांश	शून्य*
प्राक्सी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख	लागू नहीं
लाभांशों के भुगतान की तारीख	लागू नहीं

*दिनांक 17.04.2020 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के जरिए अनुसार सलाह दी है कि सभी वाणिज्यिक बैंक अगले निर्देश तक कोई और लाभांश भुगतान न करें।

ए. स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टिंग

बैंक के इक्विटी शेयर 01 मार्च, 2007 के प्रभाव से भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एक्सचेंज प्लाज़ा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, सी-1, ब्लॉक "जी", बांद्रा (पूर्वी मुंबई) – 400051 व बीएसई लिमिटेड (पी जे टवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई – 400001) के पास सूचीबद्ध है। एक्सचेंज के स्क्रिप कोड निम्नानुसार हैं।

क्रमांक	स्टॉक एक्सचेंज	स्टॉक	स्क्रिप कोड
1.	एन एस ई	इक्विटी	INDIANB
2.	बी एस ई	इक्विटी	INDIANB / 532814

बैंक ने वर्ष 2019-20 के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया है।

बी. अनुपालन अधिकारी

श्री पी ए कृष्णन, महाप्रबंधक को सेबी और अन्य सांविधिक प्राधिकरणों के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए 28 जून, 2016 से अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। श्री बिमल शाह, कंपनी सचिव को स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए एसईबीआई (एलओडीआर) विनियमन और लिस्टिंग एग्रीमेंटों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालनार्थ 01.07.2017 से अनुपालन अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।

सी. शेयर अंतरण और निवेशकों की शिकायतों का निवारण :

बैंक ने शेयरों के अंतरण/प्रेषण के लिए शेयरधारकों के अनुरोधों को रिकॉर्ड करने, निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने तथा शेयरों के जारीकरण से संबंधित अन्य कार्यकलापों को संभालने के लिए मेसर्स केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लि., चेन्नै को शेयर अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है। निवेशकों की सुविधा के लिए, उनकी शिकायतों चेन्नै स्थित बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में भी स्वीकार की जाती हैं।

निवेशक, अपने अनुरोध / शिकायतों को या तो शेयर अंतरण एजेंट के पास या बैंक के पास निम्नलिखित पते पर दे सकते हैं :

केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लि. यूनिट : इंडियन बैंक सुब्रमणियन बिल्डिंग 1, क्लब हाउस रोड चेन्नै 600 002 टेलीफोन : (91 44) 28460718 फ़ैक्स : (91 44) 28460129 ई-मेल : investor@cameoindia.com	कंपनी सचिव इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय इन्वेस्टर सर्विसेज़ सेल 254-260, अब्दुल ग़फ़्फ़ार सालै रायपेट्टा, चेन्नै 600 014 टेलीफोन : (91 44) 28134076 फ़ैक्स : (91 44) 28134075 ई-मेल : investors@indianbank.co.in
--	--

प्राप्त, निवारण की गई एवं लंबित शिकायतों की संख्या :

2019-20 के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई तथा 31.03.2020 को लंबित शिकायतों की संख्या निम्नवत् है :

01.04.2019 को लंबित	01.04.2019 से 31.03.2020 तक प्राप्त	निवारण की गई शिकायतों की संख्या	31.03.2020 को लंबित
0	27	27	0

डी. 31.03.2020 को शेरधारिता पैटर्न :

31.03.2020 को 1 प्रतिशत तथा उससे अधिक शेयर धारण करनेवाले शेरधारकों की सूची :

सं.	शेयर धारकों का नाम	धारित शेयरों की संख्या	कुल धारिता के तहत प्रतिशत
1.	भारत सरकार	50,80,80,023	83.46%
2.	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	2,15,70,299	3.54%
3.	भारतीय जीवन बीमा निगम	90,80,184	1.49

31.03.2020 तक कुल विदेशी धारिता:


सं.	शेयर धारकों का संवर्ग	धारित शेयरों की संख्या	कुल धारिता के तहत प्रतिशत
1.	विदेशी संस्थागत निवेशक	24,44,029	0.40%
2.	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	1,42,73,159	2.34%
3.	एनआरआई	8,93,361	0.15%
	कुल	1,76,10,549	2.89%

31.03.2020 तक शेयरधारिता का वितरण:

संवर्गवार :

सं.	संवर्ग	धारित शेयरों की संख्या	राशि (रु.)	शेयरधारिता का प्रतिशत
1.	भारत सरकार	50,80,80,023	508,08,00,230	83.46%
2.	बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ (केन्द्रीय / राज्य संस्थाएँ)	96,44,583	9,64,45,830	1.59%
3.	म्यूचुअल फण्ड और यूटीआई	2,86,26,587	28,62,65,870	4.70%
4.	कॉर्पोरेट निकाय	3708667	37086670	0.61%
5.	एफआईआई / एफपीआई	1,76,10,549	17,61,05,490	2.89%
6.	निवासी होल्डिंग्स इत्यादि	4,11,30,171	41,13,01,710	6.75%
	कुल	60,88,00,580	608,80,05,800	100.00%

31.03.2020 तक शेयरधारिता का वितरण :




मूल्यवार :

अधिकृत मूल्य के शेयरों की शेयरधारिता	शेयर धारक		शेयर	
	संख्या	प्रतिशत	₹	प्रतिशत
5000 तक	96184	85.16	122916170	2.02
5001 से 10000	9059	8.02	73644110	1.21
10001 से 20000	4778	4.23	71313930	1.17
20001 से 30000	1224	1.08	31096340	0.51
30001 से 40000	516	0.46	18590390	0.31
40001 से 50000	400	0.35	19098900	0.31
50001 से 100000	443	0.39	31347630	0.51
100001 और उससे अधिक	348	0.31	5719998330	93.96
कुल	112952	100.00	6088005800	100.00

मासिक उच्च एवं निम्न कोटेशन एवं शेयरों की मात्रा :

माह	एनएसई			बीएसई			कुल प्रमात्रा (संख्याएँ लाख में)
	उच्च (₹)	निम्न (₹)	प्रमात्रा (संख्याएँ लाख में)	उच्च (₹)	निम्न (₹)	प्रमात्रा (संख्याएँ लाख में)	
अप्रैल 2019	288.00	243.00	328.45	287.95	243.40	17.22	345.67
मई 2019	285.10	224.35	428.43	289.00	224.60	28.24	456.67
जून 2019	292.70	249.55	369.94	292.35	249.80	21.79	391.73
जुलाई 2019	264.50	179.30	146.79	264.30	170.10	23.20	169.99
अगस्त 2019	207.50	155.05	237.41	207.60	160.20	15.13	252.54
सितंबर 2019	192.00	124.25	251.32	194.80	124.30	17.54	268.86
अक्टूबर 2019	148.70	108.00	371.98	148.50	105.10	20.40	392.38
नवंबर 2019	139.65	112.55	397.95	139.60	112.75	21.99	419.94
दिसंबर 2019	130.35	100.50	314.62	130.00	100.60	19.00	333.62
जनवरी 2020	109.70	97.25	418.95	110.25	86.00	24.47	443.42
फरवरी 2020	104.95	71.05	232.22	104.95	71.25	15.44	247.66
मार्च 2020	76.30	41.55	335.32	77.10	41.70	21.26	356.58

वर्ष 2019-20 के दौरान एनएसई निफ्टी 50 की तुलना में इक्विटी का निष्पादन


ई) शेरों का अमूर्तकरण (कागज़ रहित करना)

बैंक के शेयर में लेनदेन, अनिवार्यतः कागज़ – रहित रूप में किए जाते हैं तथा बैंक ने नेशनल सेक्यूरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है तथा आईएसआईएन, आईएनई562A01011 है। दिनांक 31.03.2020 को कागज़-रहित रूप में और कागज़ के रूप में धारित शेरों के विवरण निम्नवत् हैं :

संख्या	फॉर्म	शेरों की संख्या	
1.	भौतिक रूप में (कागज़ के रूप में)		1058
2.	डी-मेट – एनएसडीएल के साथ सीडीएसएल के साथ	87856867 520942655	608799522
	कुल		608800580

मार्च 2020 को कोई भी ग्लोबल डिपोजिटरी रसीद या अमरीकी डिपोजिटरी रसीद या वारंट या कोई संपरिवर्तनीय बकाया नहीं थे।

एफ) बैंक ने समय-समय पर अपरिवर्तनीय बॉन्डों को जारी किया है और ऐसे बॉन्डों का विवरण दिनांक 31 मार्च, 2020 तक निम्नानुसार है।

शृंखला	आबंटन की तारीख	मात्रा (₹ करोड़ में)	अवधि (महीनों में)	कूपन (%)	मोचन की तारीख	क्रिसिल रेटिंग	केयर रेटिंग	आईसीआरए रेटिंग
टियर II	28.06.2010	500.00	120	8.53	28.06.2020	AAA		AA+
टियर II	16.07.2010	500.00	180	8.67	16.07.2025*	AAA		
अतिरिक्त टियर I बेसल III का अनुपालन	30.03.2016	500.00	लगातार #	11.15	-	AA+	AA+	
टियर II	28.07.2016	600.00	120	8.10	28.07.2026\$	AAA	AAA	
टियर II	30.10.2018	290.00	120	8.90	30.10.2028@	AAA	AAA	
टियर II	06.11.2018	110.00	120	8.85	06.11.2028**	AAA	AAA	
टियर II	22.01.2019	600.00	120	8.53	22.01.2029##	AAA	AAA	

* दिनांक 16.07.2020 तक कॉल ऑप्शन उपलब्ध है। # प्रथम कॉल ऑप्शन 30.03.2021 को उपलब्ध तथा इसके पश्चात प्रत्येक कूपन की तारीख को उपलब्ध।

\$ कॉल ऑप्शन 28.07.2021 को उपलब्ध। @ दिनांक 30.10.2023 तक कॉल ऑप्शन उपलब्ध है।

** दिनांक 06.11.2023 तक कॉल ऑप्शन उपलब्ध है। ## दिनांक 22.01.2024 तक कॉल ऑप्शन उपलब्ध है।

वर्ष 2019-20 के दौरान रेटिंग में कोई संशोधन नहीं किया गया था। दृष्टिकोण को "स्टेबल" के स्थान मूल्यांकन निहितार्थ के साथ "रेटिंग वाच" पर मूल्यांकन में परिवर्तित किया गया है। टियर II बॉन्ड के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का उपयोग बैंकों की वृद्धि और इसकी नियमित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया गया है।

निर्गम के लिए बॉन्ड ट्रस्टी

- बैंक ने दिनांक जून 28, 2010 तथा जुलाई 16, 2010 को जारी किए गए टियर II बॉन्ड के लिए बॉन्ड ट्रस्टी के रूप में आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, मुंबई को बॉन्डों के निवेशकों के हित को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने हेतु नियुक्त किया है। निर्गम के ट्रस्टियों का पता – भूतल, एशियन बिल्डिंग, सं.17 आर, कामनी रोड, बलार्ड एस्टेट, फोर्ट, मुंबई – 400 001
- बैंक ने दिनांक मार्च 30, 2016 को जारी किए गए अतिरिक्त टियर I बॉन्ड तथा जुलाई 28, 2016, 30.10.2018, 06.11.2018 और 22.01.2019 को जारी टियर II बॉन्डों के लिए बॉन्ड ट्रस्टी के रूप में एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड मुंबई को बॉन्डों के निवेशकों के हित को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने हेतु नियुक्त किया है। निर्गम के ट्रस्टियों का पता – भू तल, एक्सिस हाउस, बॉम्बे डाइंग मिल्स कॉम्पाउण्ड, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वरली, मुंबई 400 025

डिपॉजिट सर्टिफिकेट की रेटिंग – इंड ए1 + इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है।

1) सस्पेन्स (उचंचत) खाते में शोयर

सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं, 2015) में अनुबद्ध किए गए विनियम 39 की आवश्यकता के अनुपालन में इनिशियल पब्लिक ऑफर में जारी किये गये, परंतु बैंक तथा रजिस्ट्रार के प्रयासों के बावजूद भी अदावी रहनेवाले शोयरो को बैंक इस प्रयोजनार्थ खोले गये सस्पेन्स (उचंचत) खाते में रखता है। सस्पेन्स, (उचंचत) खाते में रखे गए ऐसे शोयरो के विवरण निम्नवत् हैं :

विवरण	शोयरधारकों की संख्या	बकाया पड़ा हुआ शोयर
वर्ष के आरंभ में बकाया	21	3584
अंतरण हेतु संपर्क करनेवाले शोयरधारकों की संख्या	0	0
शोयरधारकों की संख्या जिन्हें अंतरित किये गये	0	0
वर्षांत में बकाया	21	3584

एच) दावा नहीं किए गए लाभांश

अक्टूबर 16, 2006 को लागू बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) और वित्तीय संस्थाएँ नियम (संशोधन) अधिनियम 2006 ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 में एक नयी धारा 10(बी) लगाया है जिसमें निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:

- घोषणा की तारीख के 30 दिनों के बाद वाली 7 दिनों की अवधि के अंदर यदि किसी शोयरधारक ने लाभांश को नहीं भुनाया है / दावा नहीं किया है तो बैंक के चालू खाते में रहनेवाली ऐसी राशियाँ, "वर्ष के लिए इंडियन बैंक का अदत्त लाभांश" नामक पृथक खाते में अंतरित किया जाए।
- अदत्त लाभांश खाते में अंतरित कोई भी राशि यदि ऐसे अंतरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि के लिए अदत्त रहती या उसके लिए दावा नहीं की जाती तो उसका अंतरण कंपनी अधिनियम, 1956 की उपधारा 205 सी के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को किया जाए।

तदनुसार, पिछले वर्षों के लिए अदत्त लाभांश को इंडियन बैंक के अदत्त लाभांश खाते में अंतरित किया गया है और इसके बाद ऐसे अंतरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि के लिए अदत्त या अदावी रहनेवाली राशियों को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाएगा। तदनुसार, वर्ष 2011-12 से संबंधित 12.01 लाख रुपए की अदावी लाभांश राशि को वर्ष 2019-20 के दौरान निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को अंतरित किया गया।

2012-13 से 2016-17 तक पिछले वर्षों के लिए अदत्त लाभांश खातों के विवरण तथा आईईपीएफ में उनके अंतरण के लिए नियत तारीख निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	अदत्त लाभांश के विवरण	31.03.2020 को शेष (₹)	आईईपीएफ को अंतरण के लिए नियत तारीख
1.	लाभांश 2012-13	13,84,132	अगस्त 2020
2.	अंतरिम लाभांश 2013-14	9,52,668	फरवरी 2021
3.	अंतरिम लाभांश 2013-14	5,44,589	अगस्त 2021
4.	लाभांश 2014-15	9,45,609	अगस्त 2022
5.	लाभांश 2015-16	5,17,428	अगस्त 2023
6.	लाभांश 2016-17	21,56,970	अगस्त 2024

ऐसे शोयर धारक / निवेशक जिन्होंने अपना लाभांश वारंट / धन वापसी आदेशों की भुनाई नहीं की है, से अनुरोध है कि वे बैंक के चैनल स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय के निवेशक सेवा कक्ष या बैंक के शोयर अंतरण ऐजेंट के पास अंतरण के लिए नियत तारीख के पहले अपने अद्यतन बनाई गई ग्राहक मास्टर सूची / बैंक अधिदेश के साथ संपर्क करें ताकि लाभांश / धन वापसी की राशि को उनके खाते में जमा की जा सकें।

3) सेबी (आंतरिक व्यक्ति द्वारा ट्रेडिंग पर रोक) विनियमन 2015 का अनुपालन:

उपर्युक्त विनियमनों के अनुपालन में बैंक ने अपनी प्रतिभूतियों में डीलिंग करनेवाले नामोद्दिष्ट कर्मचारियों और निदेशकों के लिए आंतरिक व्यक्ति द्वारा ट्रेडिंग पर रोकथाम के लिए आचार संहिता बनाई है। इन विनियमनों की शर्तों की अपेक्षानुसार बैंक के नामोद्दिष्ट कर्मचारियों और निदेशकों से आवधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न फार्म बनाए गए हैं। आगे, वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित विवरणों के अनुसार बैंक के शेयरों में डीलिंग करने के लिए नामोद्दिष्ट कर्मचारियों और निदेशकों के लिए ट्रेडिंग विंडो बंद कर दिया गया था :

ट्रेडिंग विंडो बंद करने की तारीख	बंद करने का उद्देश्य
04.04.2019 से 16.05.2019 तक	मार्च 31, 2019 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा
01.07.2019 से 07.08.2019 तक	जून 30, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा
30.09.2019 से 25.10.2019 तक	सितम्बर 30, 2019 को समाप्त तिमाही / छमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा
31.12.2019 से 26.01.2020 तक	दिसम्बर 31, 2019 को समाप्त तिमाही / नौ महीनों के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा

जे) आचार संहिता :

बैंक ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों पर लागू आचार संहिता बनायी है तथा निदेशक मंडल ने दिनांक 29 मार्च, 2007 को आयोजित अपनी बैठक में इसे अपना लिया है तथा बाद में इसमें संशोधन किया गया है और निदेशक मण्डल ने 23 दिसम्बर 2008 को उसे अनुमोदित किया है और इसे बैंक की वेबसाइट <https://www.indianbank.com/wp-content/uploads/2018/03/codeofconduct-2pdf> में भी उपलब्ध कराया गया है।

घोषणा

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते इंडियन बैंक

पद्मजा चुन्दूरु
 प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ

स्थान : चेन्नै

दिनांक : जून 29, 2020

फॉर्म सं. एमआर-3
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए

सेवा में,

सदस्यगण,
इंडियन बैंक

हमने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन तथा इंडियन बैंक द्वारा अच्छे कॉर्पोरेट आचरण के अनुपालन (इसके पश्चात बैंक कहा गया है) की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा एक व्यवस्थित तरीके से आयोजित किया गया था, जिसने हमें कॉर्पोरेट आचरण / वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और इसके बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

इंडियन बैंक की बही खातों, कागजात, कार्यवृत्त की बही, फॉर्म और दर्ज की गयी विवरणियों तथा बैंक द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों एवं बैंक, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी, सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान हमें दिए गए व्याख्या और स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय एवं भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड अधिनियम द्वारा कोविड -19 (COVID -19) महामारी के फैलाव के कारण दी गई छूटों पर विचार करके, हमारे सत्यापन के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करते हुए लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी है कि बैंक के पास उचित व्यवस्थित बोर्ड प्रक्रियाएँ और अनुपालन-तंत्र हैं, जो कि इसके बाद की गई रिपोर्टिंग की प्रणाली और विषय के अनुसार हैं:

हमने 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए इंडियन बैंक ("बैंक") द्वारा अनुरक्षित बही खातों, पत्रों, कार्यवृत्त की बही, प्रपत्रों और दर्ज की गयी विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जांच निम्न के अनुसार की है :

- कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम; - आईईपीएफ संबंधित प्रावधान लागू हैं।
- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके तहत बनाए गए नियम;
- निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और इसके तहत निर्मित विनियमों और उपनियमों;
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक विस्तारित नियम और विनियमन; (लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)
- भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित हैं :-

- भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;
- भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड (भेदिया व्यापार निषेध) विनियमन, 2015;
- भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड (पूँजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2009 2018 में संशोधित;
- भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999 एवं भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014 ;
- भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीकरण) विनियमन, 2008; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)
- कंपनी अधिविनियमन और ग्राहक के साथ लेन देन से संबंधित भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंट का रजिस्ट्रार) विनियमन, 1993; (लागू नहीं)
- भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड (इक्विटी शेयरों को सूची से हटाना) विनियमन, 2009; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)
- भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड (शेयरों की वापसी) विनियमन, 1998 ; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)

अन्य विधियां जो बैंक पर विशेष रूप से लागू है, वह निम्नानुसार है :

- बैंककारी कंपनी अधिनियम (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970
- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949

हमने निम्नलिखित के लागू खंड के अनुपालन की भी जांच की है:

- भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक. (लागू नहीं)
- भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015.

भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 15(2) के अनुसार अन्य संविधियों के

तहत विनियमनों की शर्तों के अधीन के अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए, जो कंपनियां नहीं हैं, लेकिन कॉरपोरेट निकाय है, कॉर्पोरेट प्रशासन के प्रावधान में दिए गए विनियमन 17 से 27 और 46 (2) (बी) से (आई) और अनुसूची V के अनुच्छेद सी, डी एवं ई इस हद तक लागू होगा कि यह संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी संबंधित संविधियों और दिशानिर्देशों या निर्देशों का उल्लंघन नहीं करता है।

बैंक, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अधीन गठित है और कंपनी अधिविनियमन, 1953/2013 के अधीन पंजीकृत नहीं किया गया है।

बैंक बोर्ड, लेखापरीक्षा समिति व अन्य समितियों के गठन व निदेशकों को किये जाने वाले भुगतान, बोर्ड/ समिति प्रक्रियाओं/सम्बंधित पार्टी लेनदेन इत्यादि बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, भारतीय बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 1999 यथा संशोधित के प्रावधानों एवं समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक व भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत नियंत्रित होते हैं तथा विनियम 15 से 27 के प्रावधान कुछ हद तक अनुपालनीय/लागू नहीं हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, सूचीबद्ध संस्था ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित अवलोकन के अधीन है।

स्थान : चेन्ने
दिनांक : 18.06.2020

बोर्ड की संरचना के संबंध में, बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3) (ई) (एफ) और (जी) के तहत रिक्तियां मौजूद हैं।

बोर्ड की बैठकों को नियत किये जाने हेतु सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है और कार्यसूची एवं कार्यसूची पर विस्तृत नोट को पहले ही भेजा जा चुका है तथा बैठक में अर्थपूर्ण सहभागिता हेतु बैठक होने से पूर्व ही एजेंडा की मदों पर सूचना व स्पष्टता मांगे जाने की प्रणाली अस्तित्व में है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि बैंक द्वारा उचित कानूनों, नियमों, नियामकों व दिशानिर्देशों के अनुसार निरीक्षण व अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक के आकार व परिचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियाँ व प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट के दौरान

- दिनांक 03.12.2019 को, बैंक ने भारत सरकार को अधिमाम्य आधार पर 10/- रुपये प्रति शेयर पर 11,72,65,954 इक्विटी शेयर जारी किया है।
- बैंक ने कर्मचारी शेयर खरीद योजना लागू की है और दिनांक 22.05.2019 को 262.82 रुपये प्रति शेयर के न्यूनतम कीमत पर 25 प्रतिशत की छूट पर रुपये 10/- के अंकित मूल्य वाले 1,12,42,975 नए इक्विटी शेयर आवंटित किए।

कृते वी सुरेश एसोसिएट्स
व्यावसायिक कंपनी सचिव

वी सुरेश
वरिष्ठ सहयोगी
एफसीएस नं. 2969
सी.पी. नं. 6032
समकक्ष समीक्षा प्रमाण पत्र सं 667/2020
यूडीआईएन: एफ002969बी000428086

सेवा में,

निदेशक मंडल
इंडियन बैंक

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग करार तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं विनियमन 2015) के विनियम 17(8) के अनुसार सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

- (ए) हमने वर्ष 2019-20 के लिए इंडियन बैंक के वित्तीय विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरणों का पुनरीक्षण किया है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार
- (i) इन विवरणों में तात्त्विक रूप से कोई अवास्तविक कथन नहीं हैं या महत्वपूर्ण तथ्य हटाए नहीं गये हैं या भ्रमजनक विवरण नहीं हैं।
- (ii) ये विवरण एकत्रित रूप से बैंक के कार्यकलापों का सच्चा एवं निष्पक्ष रूप दिखाते हैं और ये विद्यमान लेखाकरण मानक, प्रयोज्य कानून एवं विनियमन के अनुरूप हैं।
- (बी) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार इस वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसे कोई लेनदेन नहीं किए हैं जो कपटपूर्ण, गैर-कानूनी हो या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।
- (सी) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं अनुरक्षित करने का दायित्व लेते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में बैंक के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति

को आंतरिक नियंत्रण के रूप या परिचालन में कमियाँ, यदि हों, जिन्हें हम जानते हैं तथा इन कमियों को सुधारने के लिए किए गए कदम या प्रस्तावित कदम की रिपोर्ट हमने लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति को दे दी है।

(डी) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को निम्नलिखित बातों की जानकारी दी है:

- (i) वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन।
- (ii) वर्ष के दौरान लेखाकरण नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और इनका प्रकटीकरण, वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों में किया गया है, और
- (iii) धोखाधड़ी की महत्वपूर्ण घटनाओं के मामले, जो हमें ज्ञात हुए हैं और उसमें वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारी या प्रबंधन का शामिल होना, यदि हो, की जानकारी।

(पी ए कृष्णन)
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

पद्मजा चुन्डूरु
प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 23 जून, 2020

कार्पोरेट अभिशासन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

इंडियन बैंक के सदस्य

हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ कथित बैंक के लिस्टिंग करार के उपरान्त भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के अध्याय IV में अनुबद्ध कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन, प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनायी गयी प्रक्रियाविधियों और उनके कार्यान्वयन तक ही हमारी जांच सीमित थी। यह लेखापरीक्षा भी नहीं है और न ही यह बैंक के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत का प्रकटीकरण है।

हमारी राय में और हमारी उत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लिस्टिंग करार के उपरान्त भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अध्याय IV में निहित प्रावधान के अनुसार कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया गया है, जो किसी भी निदेशकों की नियुक्ति में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रम का अंतरण) अधिनियम, 1970 में यथा संशोधित का उल्लंघन नहीं करते।

हम घोषणा करते हैं, कि ऐसा अनुपालन, न ही बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही बैंक के कार्यों के संचालन में प्रबंधन की दक्षता या प्रभावोत्पादकता है।

कृते एम थामस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 004408S

कृते पी एस सुब्रमणिय अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 004104S

कृते के सी मेहता एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 106237W

ए. रोजारिओ
साझेदार
(एम.सं. 021230)

एस सुन्दर रामन
साझेदार
(एम.सं. 022137)

चिराग बक्शी
साझेदार
(एम.सं. 047164)

कृते श्रीराममूर्ति एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं.003032S

कृते रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर सं: 009073N/N500320

जे ललिता
साझेदार
(एम.सं. 0201855)

जयन्त ए
साझेदार
(एम.सं. 231549)

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 23 जून, 2020

इस पृष्ठ को जानबूझकर रिक्त रखा गया है।

तुलन पत्र,
लाभ और हानि लेखा और अनुसूचियां

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(₹ हजारों में)

विवरण	अनुसूची सं.	31.03.2020 को	31.03.2019 को
पूँजी व देयताएं			
पूँजी	1	608 80 06	480 29 17
आरक्षितियां और अधिशेष	2	21480 46 80	18908 40 00
जमाएं	3	260225 89 70	242075 94 68
उधार	4	20830 30 96	12137 54 29
अन्य देयताएं और प्रावधान	5	6322 69 92	6463 09 23
कुल		309468 17 44	280065 27 37
आस्तियां			
भारतीय रिजर्व बैंक में नकद और अधिशेष	6	5736 12 43	11701 86 43
बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	7	8188 55 97	8318 51 54
निवेश	8	81241 68 80	64992 17 42
अग्रिम	9	197887 01 15	181261 91 24
अचल आस्तियां	10	3895 74 42	3961 40 48
अन्य आस्तियां	11	12519 04 67	9829 40 26
कुल		309468 17 44	280065 27 37
आकस्मिक देयताएं	12	42576 86 28	36194 10 92
वसूली के लिए बिल	-	5994 96 94	5394 56 36

पद्मजा चुन्डूरु
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

एम. के. भट्टाचार्य
कार्यपालक निदेशक

शेणॉय विश्वनाथ वी.
कार्यपालक निदेशक

के. रामचंद्रन
कार्यपालक निदेशक

निदेशकगण

संजीव कौशिक
सरकारी नामित निदेशक

सलिल कुमार झा
गैर-सरकारी निदेशक

भरत कृष्ण शंकर
शेयरधारक निदेशक

एस. के. पाणिग्राही
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मनोनीत निदेशक

विनोद कुमार नागर
शेयरधारक निदेशक

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक

कृते एम. थॉमस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 004408S

ए. रोजारिओ
साझेदार
(एम सं. 021230)

कृते पी.एस. सुब्रमणिया अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 004104S

एस. सुंदर रमन
साझेदार
(एम सं. 022137)

कृते के.सी. मेहता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 106237W

चिराग बक्शी
साझेदार
(एम सं. 047164)

कृते रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 009073N / N500320

जयंत ए.
साझेदार
(एम सं. 231549)

कृते श्रीराममूर्ति एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 003032S

जे. ललिता
साझेदार
(एम सं. 0201855)

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 23.06.2020

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा

(₹ हज़ारों में)

विवरण	अनुसूची सं.	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
I. आय :			
अर्जित ब्याज	13	21404 96 92	19184 81 28
अन्य आय	14	3312 46 43	1882 88 96
कुल		24717 43 35	21067 70 24
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	13798 55 31	12166 71 97
परिचालनगत व्यय	16	4420 83 92	4020 36 66
प्रावधान एवं आकस्मिकतायें	-	5744 68 30	4558 66 40
कुल		23964 07 53	20745 75 03
III. लाभ / हानि			
तिमाही के लिए निवल लाभ / हानि (-)		753 35 82	321 95 21
अग्रानीत लाभ / हानि (-)		99 15 45	98 15 24
कुल		852 51 27	420 10 45
IV. विनियोजन			
निम्नलिखित को अंतरित :			
सांविधिक प्रारक्षित निधि		188 34 00	80 50 00
पूँजी रिज़र्व		152 15 00	40 79 00
धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व			12 00 00
राजस्व रिज़र्व			1 00 00
स्टाफ कल्याण निधि		15 00 00	9 66 00
निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व		389 99 00	177 00 00
निवेश रिज़र्व		7 87 00	
ईक्विटी लाभांश			
लाभांश वितरण कर			
शेष जो तुलन पत्र को अग्रानीत किया गया है		99 16 27	99 15 45
कुल		852 51 27	420 10 45
प्रतिशेयर अर्जन ₹ में (आधारभूत और कम किया गया) (वार्षिक तौर पर)		14.33	6.70

पद्मजा चुन्दूरु
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

एम. के. भट्टाचार्य
कार्यपालक निदेशक

शोणॉय विश्वनाथ वी.
कार्यपालक निदेशक

के. रामचंद्रन
कार्यपालक निदेशक

संजीव कौशिक
सरकारी नामित निदेशक

निदेशकगण

एस. के. पाणिग्राही
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मनोनीत निदेशक

सलिल कुमार झा
गैर-सरकारी निदेशक

भरत कृष्ण शंकर
शेयरधारक निदेशक

विनोद कुमार नागर
शेयरधारक निदेशक

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक

कृते एम. थॉमस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 004408S

कृते पी.एस. सुब्रमणिया अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 004104S

कृते के.सी. मेहता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 106237W

ए. रोजारिओ
साझेदार
(एम सं. 021230)

एस. सुंदर रमन
साझेदार
(एम सं. 022137)

चिराग बक्शी
साझेदार
(एम सं. 047164)

कृते रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 009073N / N500320

कृते श्रीराममूर्ति एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 003032S

जयंत ए.
साझेदार
(एम सं. 231549)

जे. ललिता
साझेदार
(एम सं. 0201855)

अनुसूची 1 – पूंजी

(₹ हजारों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
I. प्राधिकृत पूंजी		
प्रत्येक ₹ 10/- के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर	3000 00 00	3000 00 00
II. जारी, अभिदत्त और अदा की गई पूंजी		
इक्विटी शेयर		
ए. भारत सरकार द्वारा रखे गए प्रत्येक रुपये 10/- के 50,80,80,023 इक्विटी शेयर (गत वर्ष – प्रत्येक रुपये 10/- के 39,13,69,637 इक्विटी शेयर)	508 08 00	391 36 97
बी. जनता द्वारा रखे गए प्रत्येक ₹10/- के 10,07,20,557 इक्विटी शेयर (गत वर्ष – प्रत्येक रुपये 10/- के 8,89,22,014 इक्विटी शेयर)	100 72 06	88 92 20
कुल	608 80 06	480 29 17

अनुसूची 2 – आरक्षितियां और अधिशेष

(₹ हजारों में)

	विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
I.	सांविधिक आरक्षितियां		
	ए) अधिशेष	4505 85 81	4425 35 81
	बी) वर्ष के दौरान जोड़	188 34 00	80 50 00
	कुल I	4694 19 81	4505 85 81
II.	पूँजीगत आरक्षितियां		
ए)	पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व		
	ए) अधिशेष	3095 03 91	2621 44 09
	बी) वर्ष के दौरान जोड़		555 14 76
	सी) वर्ष के दौरान कटौतियां	107 19 49	81 54 94
	कुल (ए)	2987 84 42	3095 03 91
बी)	अन्य		
	ए) अधिशेष	236 40 24	195 61 24
	बी) वर्ष के दौरान जोड़	152 15 00	40 79 00
	कुल (बी)	388 55 24	236 40 24
	कुल II (ए + बी)	3376 39 66	3331 44 15
III.	शेयर प्रीमियम		
	ए) अधिशेष	1325 67 33	1325 67 33
	बी) वर्ष के दौरान जोड़	2700 97 90	0
	कुल III	4026 65 23	1325 67 33
IV.	राजस्व और अन्य आरक्षितियां		
	ए) राजस्व आरक्षितियां		
	अधिशेष	8265 03 80	8182 48 86
	लाभ एवं हानि लेखे से अंतरित		13 00 00
	पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व से अंतरित	107 19 49	81 54 94
	वर्ष के दौरान कटौतियां	923 94 00	120000
	कुल (ए)	7448 29 29	8265 03 80
	(बी) आईटी अधिनियम की धारा के 36(1)(Viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व		
	अधिशेष	725 52 00	713 52 00
	वर्ष के दौरान जोड़		12 00 00
	कुल (बी)	725 52 00	725 52 00
	(सी) आईटी अधिनियम की धारा के 36(1)(Viii ए) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व		
	अधिशेष	58 20 00	58 20 00
	डी) निवेश / उतार-चढ़ाव आरक्षितियां		
	अधिशेष	216 92 22	39 92 22
	वर्ष के दौरान जोड़	397 86 01	177 00 00
	कुल (डी)	614 78 23	216 92 22
	ई) विदेशी मुद्रा लेनदेन रिज़र्व		
	अधिशेष	380 59 24	307 75 87
	वर्ष के दौरान जोड़	56 67 07	72 83 37
	वर्ष के दौरान कटौतियां	0	0
	कुल (ई)	437 26 31	380 59 24
	कुल IV (ए + बी + सी + डी + ई)	9284 05 83	9646 27 26
V.	लाभ एवं हानि खाता		
	अधिशेष	99 15 45	98 15 24
	वर्ष के दौरान जोड़	82	1 00 21
	कुल	99 16 27	99 15 45
	कुल (I + II + III + IV + V)	21480 46 80	18908 40 00

अनुसूची 3 – जमाएँ

(₹ हजारों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
(ए) I. मांग जमाराशियां		
i. बैंकों से	211 10 71	63 76 92
ii. अन्यो से	13337 91 83	13191 9558
कुल	13549 02 54	13255 72 50
II. बचत बैंक जमाराशियां	76609 10 59	70766 06 31
III. सावधि जमाराशियां		
i. बैंकों से	4111 94 38	3665 43 86
ii. अन्यो से	165955 82 19	154388 72 01
कुल	170067 76 57	158054 15 87
कुल (I+II+III)	260225 89 70	242075 94 68
(बी) I. भारत में स्थित शाखाओं की जमाएं	252792 25 88	235236 97 55
II. भारत के बाहर शाखाओं की जमाएं	7433 63 82	6838 97 13
कुल	260225 89 70	242075 94 68

अनुसूची 4 – उधार

(₹ हजारों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
I. भारत में उधार		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	11529 90 30	6395 31 77
ii) अन्य बैंक	10 88	4 91
iii) अन्य संस्थाएं और अभिकरण *	6418 86 00	3791 56 42
कुल	17948 87 18	10186 93 10
II. भारत के बाहर उधार **	2881 43 78	1950 61 19
कुल (I+II)	20830 30 96	12137 54 29
ऊपर के मदों में प्रतिभूत उधार को शामिल किया गया है।	11529 90 00	6395 31 77

* टियर II पूँजी – गौण ऋण ₹ 2600 00 00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2600 00 00) को शामिल करते हुए तथा टियर I पूँजी में स्थायी ऋण लिखत ₹ 5000000 (पिछले वर्ष ₹ 5000000) शामिल किया गया है।

** नास्ट्रो मिरर शेषों की असमायोजित मदें एवं मार्गस्थ मदों को शामिल करते हुए

अनुसूची 5 – अन्य देयताएँ और प्रावधान

(₹ हजारों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
i. संदेय बिल	494 00 20	598 15 01
ii. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)		546 05 08
iii. उपचित व्याज	845 32 77	698 75 96
iv. अन्य (प्रावधान सहित)*	4983 36 95	4620 13 18
कुल	6322 69 92	6463 09 23
* ₹ 9610829 (पिछले वर्ष ₹ 816 72 59) की मानक आस्तियों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान		

अनुसूची 6 भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष

(₹ हजारों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी मुद्रा नोट सम्मिलित हैं)	1006 08 85	1030 75 47
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष	4730 03 58	10671 10 96
कुल (I + II)	5736 12 43	11701 86 43

अनुसूची 7 – बैंकों में शेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर राशि

(₹ हज़ारों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
I. भारत में		
I) बैंकों में अतिशेष		
ए. चालू खाते में	5 35 06	2 80 27
बी. अन्य जमा खातों में	713 36 57	711 45 75
कुल (I)	718 71 63	714 26 02
ii) माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धनराशि (बैंकों के साथ)	2100 00 01	2200 00 00
कुल (ii)	2100 00 01	2200 00 00
कुल (i + ii)	2818 71 64	2914 26 02
II. भारत के बाहर		
I) चालू खातों में	530 92 57	203 65 53
ii) अन्य जमा खातों में	4830 26 44	5168 47 18
iii) माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धनराशि	8 65 32	32 12 81
कुल (i + ii + iii)	5369 84 33	5404 25 52
कुल योग (I +II)	8188 55 97	8318 51 54

अनुसूची 8 – निवेश

(₹ हज़ारों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
I. भारत में निवेश		
सकल निवेश	80353 56 34	64153 14 96
घटाएँ : मूल्यहास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान	1282 86 31	1035 06 38
निवल निवेश	79070 70 03	63118 08 58
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	67537 87 44	51918 69 34
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	2 98 83	5 23 16
iii. शेयर	351 87 70	505 23 38
iv. डिबेंचर और बॉन्ड	6715 54 67	7400 95 19
v. अनुषंगियाँ और / या संयुक्त उद्यम (सहयोगियों के साथ)	101 15 25	87 01 37
vi. अन्य	4361 26 14	3200 96 14
कुल	79070 70 03	63118 08 58
II. भारत के बाहर निवेश		
सकल निवेश	2268 26 80	1963 62 97
घटाएँ : मूल्यहास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान	97 28 03	89 54 13
निवल निवेश	2170 98 77	1874 08 84
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारी सहित)	2149 36 57	1853 17 45
ii. अन्य निवेश		
ए शेयर	43 53	52 13
बी ऋण प्रतिभूतियाँ	21 18 67	20 39 26
कुल	2170 98 77	1874 08 84
निवल कुल योग (ए) + (बी)	81241 68 80	64992 17 42

अनुसूची 9 – अग्रिम

(₹ हज़ारों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
I) क्रय किए गए और भुनाये गए बिल	1453 59 19	1659 79 76
ii) नकद उधार, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय उधार	99136 74 77	95636 68 55
iii. सावधि उधार	97296 67 19	83965 42 93
कुल	197887 01 15	181261 91 24
I) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं)	161337 53 81	151802 66 57
ii) बैंक / सरकारी प्रतिभूतियां द्वारा संरक्षित	4056 48 84	4831 37 08
iii) अप्रतिभूत	32492 98 50	24627 87 59
कुल	197887 01 15	181261 91 24
I भारत में अग्रिम		
I. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	90415 78 93	65506 83 93
ii. सरकारी क्षेत्र	17991 68 34	21587 22 91
iii. बैंक	772 90 59	0
iv. अन्य	80515 67 81	86725 50 68
कुल	189696 05 67	173819 57 52
II. भारत के बाहर अग्रिम		
I) बैंकों से प्राप्य राशियाँ	2254 59 78	1721 43 74
ii) अन्यो से प्राप्य राशियाँ		
क) क्रय किये गए और भुनाये गए बिल	970 27 17	1255 90 78
ख) सामूहिक ऋण	3355 58 88	3066 33 78
ग) अन्य	1610 49 65	1398 65 42
कुल	8190 95 48	7442 33 72
कुल योग (I+II)	197887 01 15	181261 91 24

अनुसूची 10 – अचल आस्तियां

(₹ हज़ारों में)

	विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
I.	परिसर (पुनर्मूल्यांकित परिसरों को शामिल कर)		
	पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन-पत्र के अनुसार लागत / पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर	3762 94 58	3240 58 48
	वर्ष के दौरान जोड़ / समायोजन	3 63 15	526 71 71
	उप कुल	3766 57 73	3767 30 19
	वर्ष के दौरान कटौतियां	0	6 34
	उप कुल	3766 57 73	3767 23 85
	अद्यतन मूल्य ह्रास	832 07 90	719 53 04
	कुल	2934 49 83	3047 70 81
II.	पट्टे पर दी गई आस्तियां		
	पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन-पत्र के अनुसार लागत / पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर	244 97 37	209 99 14
	वर्ष के दौरान जोड़ / समायोजन		30 68 96
	उप कुल	244 97 37	240 68 10
	वर्ष के दौरान कटौतियां	0	0
	उप कुल	244 97 37	240 68 10
	अद्यतन मूल्य ह्रास	4 52 05	4 31 21
	कुल	240 45 32	236 36 89
III.	निर्माणाधीन भवन	78 25	76 44
IV.	अन्य अचल आस्तियां (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं)		
	पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन-पत्र के अनुसार लागत पर	2056 01 96	1880 96 95
	वर्ष के दौरान जोड़ / समायोजन	255 42 34	253 93 14
	उप कुल	2311 44 30	2134 90 09
	वर्ष के दौरान कटौतियां	51 56 44	78 88 13
	उप कुल	2259 87 86	2056 01 96
	अब तक मूल्य ह्रास	1539 86 84	1379 45 62
	कुल	720 01 02	676 56 34
	कुल (I+II+III)	3895 74 42	3961 40 48

अनुसूची 11 – अन्य आस्तियाँ

(₹ हजारों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
I अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	2044 28 71	0
II उपचित ब्याज	1283 47 23	1171 28 62
III प्रदत्त अग्रिम कर / स्रोत पर काटा गया कर (निवल)	4356 23 89	4086 06 21
IV लेखन सामग्री और स्टाम्प	17 56 30	15 61 75
V दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गयी गैर-बैंककारी आस्तियाँ	20 26 11	20 26 11
VI अन्य *	4797 22 43	4536 17 57
कुल	12519 04 67	9829 40 26
* जिसमें एचटीएम वर्गिकरण के तहत रखे गए आरआईडीएफ/एसआईडीबीआई/आरएचडीएफ/एनएचबी जमाएं शामिल हैं।	284 72 93	339 41 29

अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएँ

(₹ हजारों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
I बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है*	651 26 63	527 15 12
II अंशतः संदत्त निवेशों के लिए देयता	400 32 98	3 63 76
III बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	20382 57 13	12986 41 52
IV संघटकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियाँ *		
क. भारत में	8930 01 79	8415 28 89
ख. भारत के बाहर	382 63 47	371 45 82
V स्वीकृतियों, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं*	6401 33 66	7249 18 12
VI अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	5428 70 62	6640 97 69
कुल	42576 86 28	36194 10 92

*आकस्मिक देयताएं मार्जिन घटाने के बाद समान माना गया है

अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज

(₹ हजारों में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
I अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा राशि	15933 04 15	13983 87 20
II निवेशों पर आय	5278 82 36	5043 42 20
III भारतीय रिजर्व बैंक के साथ शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	177 42 66	139 52 40
IV अन्य	15 67 75	17 99 48
कुल	21404 96 92	19184 81 28

अनुसूची 14 – अन्य आय

(₹ हजारों में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	338 66 77	325 26 20
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ	934 93 94	235 66 56
घटाएँ : निवेशों की बिक्री पर हानि	55 20 58	60 18 45
निवल	879 73 36	175 48 11
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	0	0
घटाएँ : निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	0	0
निवल	0	0
IV भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ (निवल) *	3 13 61	1 91 35
घटाएँ : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि (निवल) *	2 40 22	3 42 45
निवल	73 39	-1 51 10
V विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल)	202 05 96	173 40 70
VI विदेश / भारत में स्थापित अनुषंगियों / कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	12 69 28	12 44 69
VII. विविध आय	1878 57 67	1197 80 36
कुल	3312 46 43	1882 88 96

* यह राशि सेफ, फॉर्नीचर, वाहन और मशीनरी से संबंधित है

अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज

(₹ हजारों में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
I जमाओं पर ब्याज	12996 10 31	11230 34 56
II भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	757 94 57	841 31 93
III. अन्य	44 50 43	95 05 48
कुल	13798 55 31	12166 71 97

अनुसूची 16 परिचालन व्यय

(₹ हजारों में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	2472 96 30	2222 87 25
II. किराया, कर और बिजली व्यवस्था	317 91 89	298 40 91
III. मुद्रण और लेखन सामग्री	30 54 18	30 61 11
IV. विज्ञापन और प्रचार	8 83 46	9 03 98
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	313 63 06	258 96 55
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	89 93	1 11 94
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों को शामिल करते हुए)	34 18 00	41 59 53
VIII .विधि प्रभार	8 58 34	5 39 84
IX. डाक, तार और टेलीफोन	51 66 96	64 01 15
X. मरम्मत और अनुरक्षण	93 72 73	95 03 41
XI. बीमा	286 90 24	256 33 87
XII. अन्य व्यय	800 98 83	736 97 13
कुल	4420 83 92	4020 36 67

अनुसूची 17 – मुख्य लेखांकन नीतियाँ

1. लेखांकन प्रथा :

वित्तीय विवरणों को अन्यथा न बताये जाने पर ऐतिहासिक लागत प्रथा पर क्रियाशील संस्था संकल्पना का अनुपालन करते हुए तैयार किया जाता है। यह भारत में प्रचलित सांविधिक सिद्धांतों के अनुरूप है जिसमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों/मार्गदर्शन नोट्स और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी शाखाओं के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप है।

2. प्राक्कलन का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए, रिपोर्टिंग अवधि हेतु वित्तीय विवरणियों की तारीख पर दर्ज आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा आय एवं व्यय पर विचार करने हेतु प्रबंधन को प्राक्कलन तैयार करने और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन, यह विश्वास रखता है कि वित्तीय विवरणियों की तैयारी में इस्तेमाल किये गये प्राक्कलन विवेकी और उचित हैं।

3. विदेशी विनिमय से संबंधित लेनदेन

भारतीय परिचालनों और गैर समाकलित विदेशी परिचालन के विदेशी मुद्रा लेनदेनों का लेखांकन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानक – 11 (एएस – 11) के अनुसार किया जाता है।

3.1 भारतीय परिचालनों के मामले में परिवर्तन

- विदेशी मुद्रा डीलर असोसिएशन आफ इंडिया (फेडाय) द्वारा अधिसूचित साप्ताहिक औसत दर (डबल्यूएआर) पर विदेशी विनिमय लेनदेन दर्ज किए जाते हैं।
- विदेशी मुद्रा में आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन, वर्षांत पर फेडाय द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर किया जाता है।
- विदेशी मुद्रा में स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं और गारंटियों को वर्षांत पर फेडाय द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर रखा जाता है।
- वित्तीय वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा में रखी गयी आस्तियों एवं देयताओं के निपटान एवं परिवर्तन से उठनेवाले विनिमय अंतर को, उस वर्ष में ही आय या व्यय के रूप में पहचाना जाता है।
- बकाया वायदा विनिमय दरों का प्रकटीकरण संविदागत दरों से किया जाता है तथा फेडाय की समापन दरों पर उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है एवं उसके परिणाम की पहचान, लाभ व हानि लेखे के ज़रिए की जाती है।

3.2 गैर-समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में परिवर्तन

विदेशी शाखाओं का वर्गीकरण, गैर समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और वित्तीय विवरणों का परिवर्तन निम्नप्रकार किया जाता है :

- आकस्मिक देयताएं सहित आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन फेडाय द्वारा वर्षांत में अधिसूचित दरों पर किया जाता है।
- आय एवं व्यय का परिवर्तन फेडाय द्वारा संबंधित तिमाही के अंत पर अधिसूचित तिमाही औसत समापन दर पर किया जाता है।

- निवल निवेशों के निपटान तक उठनेवाले सभी विनिमय अंतर को “विनिमय उतार-चढ़ाव निधि” (एफसीटीआर) नामक पृथक निधि में उपचित रखा जाता है।

4. निवेश

- 4.1. बैंक के निवेश संविभाग को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है :

- परिपक्वता तक रखे गए (एचटीएम)
- बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस)
- व्यापार के लिए रखे गए (एचएफटी)

परिपक्वता तक रोक रखने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को “एचटीएम” प्रवर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अल्पावधि के मूल्य/ब्याज दर में उतार-चढ़ाव से लाभ उठाकर व्यापार करने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को “एचएफटी” प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी प्रतिभूतियाँ जो उपर्युक्त दोनों प्रवर्गों में नहीं आती हैं, उन्हें, “एएफएस” प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

एक निवेश को उसकी खरीद / अर्जन के समय पर ही, परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध अथवा व्यापार के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तदनन्तर नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप उनका अंतरण किया जाता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग को शेरों का अंतरण, यदि कोई है, अंतरण की तारीख पर अर्जन लागत / बही मूल्य / बाजार मूल्य में से न्यूनतम मूल्य पर किया जाता है, और ऐसे अंतरण के लिए मूल्यहास हेतु पूर्ण प्रावधान किया जाता है।

अनुषंगियों और एसोसियेट्स में निवेश को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- 4.2. एचटीएम प्रवर्ग में रखी गयी प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त लाभ को पहले लाभ व हानि लेखे में लिया जाता है और बाद में पूंजी प्रारक्षिती लेखे (कर चुकाने के बाद की राशि तथा सांविधिक रिजर्व को अंतरित की जानेवाली वांछित राशि) में विनियोजित किया जाता है तथा हानि, यदि हो, को लाभ व हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है:

- 4.3 भारत में निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के समरूप निम्नानुसार किया जाता है :

ए) “एचटीएम” प्रवर्ग में प्रतिभूति का मूल्यांकन अर्जन की लागत पर किया जाता है सिवाय उन मामलों में जहां अंकित मूल्य से अर्जन लागत अधिक होती हो, वैसे मामलों में, अंकित मूल्य पर अर्जन लागत की ऐसी अधिकता को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है। अनुषंगियों तथा संयुक्त उद्यमों/सहभागियों में, जिन्हें एचटीएम प्रवर्ग में शामिल किया गया है, निवेशों के मूल्य में, अस्थाई प्रकृति के अलावा किसी अन्य हास की पहचान की गई है और प्रावधान किया गया है। ऐसे हास का निर्धारण और इसके लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश हेतु अलग से किया जाता है। दिनांक 23.08.2006 के बाद जोखिम पूंजी निधियों के यूनितों (वीसीएफ) / वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में किये गये निवेश, प्रारंभिक 3 वर्ष की अवधि के लिए एचटीएम वर्ग के अधीन वर्गीकृत किये जाते हैं तथा उनका मूल्यांकन, लागत पर किया जाता है।

बी) अनुषंगी संस्थाओं, संयुक्त उपक्रमों और सहयोगी संस्थाओं में निवेश का मूल्यांकन, परंपरागत लागत पर किया जाता है। प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश का मूल्यांकन, वहन लागत (अर्थात् बही मूल्य) पर किया जाता है।

सी) “एएफएस” प्रवर्ग में निवेशों का मूल्यांकन, बाजार मूल्य पर, तिमाही अंतराल पर स्क्रिप्टवार तथा वर्गीकरणवार किया जाता है। यदि कोई निवल मूल्यहास हो, तो उसे लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है, जबकि किसी निवल मूल्यवृद्धि होने पर उसकी उपेक्षा कर दी जाती है। इस प्रवर्ग में बाजार को अंकित करने के बाद वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।

डी) “एचएफटी” प्रवर्ग में रखी गई वैयक्तिक प्रतिभूतियों को दैनिक अंतराल पर बाजार को अंकित किया जाता है। निवल मूल्यहास, यदि कोई हो, तो लाभ व हानि लेखे में उसका प्रावधान किया जाता है जबकि निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रवर्ग में वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

ई) “एएफएस” एवं “एचएफटी” प्रवर्गों में प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नवत् किया गया है :

- प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (पीडीआई) और फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट और डिराइवेटिव्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) / फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित किए गए अनुसार केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, मूल्य पर / वाईटीएम दरों पर किया जाता है।
- राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, वाईटीएम पद्धति को लागू करते हुए और पीडीआई / एफआईएमएमडीए / एफबीआईएल द्वारा रखी गई समतुल्य परिपक्वता की केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल से 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाते हुए आवधिक रूप से किया जाता है।
- कोट होने पर इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है। कोट न होनेवाले इक्विटी शेयरों को उनके ब्रेक-अप मूल्य पर (पून्मूल्यन आरक्षित निधियां, यदि हो, उस पर ध्यान दिए बिना), कंपनी के नवीनतम तुलनपत्र (मूल्यन की तारीख से एक वर्ष के पहले का न हो), के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। अन्यथा शेयरों का मूल्यांकन प्रति कंपनी एक रुपया के अनुसार किया जाता है।
- कोट होने पर अधिमान्य शेयरों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा समुचित वाईटीएम दरों अथवा पुनः शोधन मूल्य के आधार पर निर्धारित मूल्य, दोनों में से जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है।
- अग्रिमों के रूप में रहे डिबेंचरों तथा बांडों के अलावा, सभी डिबेंचरों तथा बांडों का मूल्यांकन वाईटीएम आधार पर किया जाता है।
- राजकोष बिलों, जमा प्रमाण पत्रों तथा वाणिज्यिक कागजातों का मूल्यांकन उनकी रखाव लागत पर किया जाता है।
- कोट होने पर म्यूचुअल फंडों की यूनिटों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा पुनः खरीद मूल्य अथवा निवल आस्ति मूल्य

(एनएवी) दोनों में जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है। यदि निधियां लॉक-इन अवधि में हैं, जहां पुनः खरीदी मूल्य / बाजार कोट उपलब्ध नहीं हो तो, यूनिटों का मूल्यांकन एनएवी पर अथवा लॉक-इन अवधि की समाप्ति तक की लागत पर किया जाता है।

- 23.08.2006 के बाद किये गये जोखिम पूंजी निधियों (वीसीएफ) / वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) के यूनिटों में निवेश, 3 सालों की प्रारंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत होते हैं एवं इनका लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। संवितरण की तारीख से 3 सालों के समय के बाद, यह एएफएस में परिवर्तित किया जाएगा और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार के लिए अंकित किया जाएगा।

- विदेशी शाखाओं के निवेश के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश या मेजबानी देश के दिशानिर्देश, जो भी ज्यादा कठोर हैं, का पालन किया जाएगा। ऐसे देशों में स्थित शाखाओं के मामले में, जहाँ कोई दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

4.4. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार अनर्जक निवेश (एनपीआई) की पहचान निम्नलिखित रूप में किया गया है :

- प्रतिभूतियाँ / असंचयी अधिमानी शेयर जिनमें ब्याज / नियत लाभांश / किस्त (परिपक्वता राशि को मिलाकर) देय है तथा 90 दिन की अवधि से अधिक समय तक उसका भुगतान नहीं किया गया है।
- अगर बैंक से जारीकर्ता द्वारा प्राप्त कोई ऋण सुविधा को गैर-निष्पादित अग्रिम माना गया है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी की गई किसी भी प्रतिभूति जिसमें अधिमानी शेयर शामिल है, में निवेश को एनपीआई के रूप में माना जाएगा और इसके विपरीत। हालांकि, अगर केवल अधिमानी शेयरों को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी की गई अन्य निष्पादित प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और उस उधारकर्ता को दी गई किसी भी निष्पादित ऋण सुविधाओं को एनपीआई के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
- केन्द्रीय सरकार की गारंटी प्राप्त निवेशों के अतिदेय होने पर भी उन्हें तभी एनपीआई माना जाएगा जब गारंटी लागू की जाने पर सरकार उसका निराकरण करती है।
- यदि ब्याज / मूल किस्त (परिपक्वता संप्राप्तियों को शामिल करते हुए) अथवा बैंक को देय अन्य कोई राशि, 90 दिनों से अधिक के लिए अदत्त बनी रहती हो, तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत प्रतिभूतियों में निवेश को, जोकि “माने गए अग्रिमों” के रूप में हैं, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के अधीन रखा जाता है।
- इक्विटी निवेश, एनपीआई के रूप में वर्गीकृत, शेयरों को बाजार मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। अगर उद्धृत किया गया है और यदि इसे उद्धृत नहीं किया गया है के मामले में, तो शेयरों का मूल्य प्रति कंपनी रु 1/- होता है।

4.5 प्रतिभूतियों की लागत में से दलाली / कमीशन / अंशदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन को घटा दिया जाता है। प्रतिभूतियों के अर्जन के संबंध में अदा की गयी दलाली / कमीशन / स्टॉप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है।

4.6 व्यापार के लिए ब्याज दर स्वैप लेनदेनों को तिमाही आधार पर बाजार को अंकित किए जाते हैं। कुल अदला-बदलियों के उचित मूल्य का आकलन, तुलन-पत्र की तारीख पर अदला-बदली करारों को समाप्त किए जाने पर प्राप्त/प्राप्य या प्रदत्त/प्रदेय राशि के आधार पर किया जाएगा। इससे होनेवाली हानियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है, जबकि लाभ यदि हो, पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

4.7 एक्सचेंज कारोबार विदेशी विनिमय डेरिवेटिव यानी मुद्रा वायदे का मूल्यांकन एक्सचेंज द्वारा निर्धारित मूल्यों पर किया जाता है और परिणामी लाभ और हानि की पहचान लाभ और हानि लेखे में की जाती है।

4.8 एफसीएनआर (बी) डॉलर जमाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के विनिमय स्वैप की सुविधा की शुरुआत में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम / ब्याज, स्वैप अनुबंध की अवधि के दौरान खर्च के रूप में परिशोधित किया जाता है।

4.9 निवेश की कीमत के निर्धारण प्रत्येक वर्ग में भारित औसत कीमत पद्धति के आधार पर किया जाता है। एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत कीमत पद्धति के तहत प्राप्त अधिग्रहण कीमत के आधार पर ले लिया गया है तथा भारित औसत कीमत के अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में प्रीमियम को केवल शेष परिपक्वता अवधि हेतु परिशोधित कर दिया जाता है।

- रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों के लिए लेखाकरण :

भारिबैंक के दिशानिर्देशानुसार तरलता समायोजन सुविधाएं (एलएएफ), परिवर्तनीय दर अवधि परिचालन तथा एमएसएफ एवं मार्केट रेपो लेन-देनों को शामिल करते हुए भारिबैंक के साथ सभी प्रकार के रेपो / रिवर्स रेपो लेनदेनों का हिसाब रखा जाता है।

- रेपो / रिवर्स रेपो के तहत बेची गई और खरीदी गई प्रतिभूतियों को त्रिपक्षीय रेपो के रूप में लिया जाता है जिसमें, प्रतिभूतियों को सामान्य एकमुश्त बिक्री / खरीद लेनदेनों के मामले में अंतरित किए जाते हैं और इस प्रकार के प्रतिभूति के उतार-चढ़ाव, रेपो/रिवर्स रेपो खातों और प्रति-प्रविष्टियों के प्रयोग से परिलक्षित होता है। उपरोक्त प्रविष्टियाँ परिपक्वता की तारीख पर प्रतिवर्तित हो जाती है। मामले के आधार पर लागत एवं राजस्व को ब्याज व्यय/आय के रूप में लिया जाएगा। रेपो खाते में शेष, अनुसूची 4(उधार) के तहत वर्गीकृत है और रिवर्स रेपो खाते में शेष, अनुसूची 7 (बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि) के तहत वर्गीकृत है।

5. पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) को बेची गई वित्तीय आस्तियाँ :

5.1 प्रतिभूतिकरण कंपनियों / पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा, उन्हें बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में जारी की गई प्रतिभूति रसीदों को उनके प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय आस्तियों के निवल बही मूल्य, से कम स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रतिभूतिकरण रसीद को निम्न पर मूल्यांकित किया जाता है:

(ए) दिनांक 01.04.2017 से पहले एसआर/आरसी जारी किए गए प्रतिभूति रसीद को परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा तुलन पत्र के दिनांक पर घोषित निवल परिसंपत्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और मूल्यह्रास होने पर उसके लिए प्रावधान किया जाता है तथा मूल्यवृद्धि होने पर उसपर ध्यान नहीं दिया जाता।

(बी) 01 अप्रैल 2017 के प्रभाव से आरबीआई द्वारा जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार एसआर पर प्रावधान की आवश्यकता निम्न बिन्दुओं से अधिक होगी।

- एससी / आरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य के संदर्भ में प्रावधान दर

- अंतर्निहित ऋण पर लागू होने वाली प्रावधान दर, यह मानते हुए कि ऋण बैंक की बही में निरंतर जारी रहा है

5.2 आरसी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में उनका मूल्यांकन और आय की पहचान, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। अगर बिक्री मूल्य, निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम है (यथा, बही मूल्य से रखे गये प्रावधान घटाने के बाद का मूल्य) तो भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार उससे होनेवाली कमी को लाभ व हानि खाते में नामे डाला जाएगा या रखी गयी अस्थायी प्रावधान का प्रयोग करते हुए इसका समंजन किया जाएगा।

यदि प्राप्त नकदी (आरंभिक प्रतिफल और / या प्रतिभूति रसीदों के मोचन के जरिए) आरसी को बेची गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निवल बही मूल्य से अधिक होती है तो अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते में प्रत्यावर्तित किया जाता है। लाभ एवं हानि खाते में प्रत्यावर्तित किए गए अतिरिक्त प्रावधान की प्रमात्रा उस सीमा तक सीमित है जिस सीमा तक प्राप्त नकदी बेची गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निवल बही मूल्य से अधिक होती है।

6. अग्रिम

6.1. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार भारत में अग्रिमों को उधारकर्ता-वार मानक, अव-मानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

6.2. अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान नियामक आवश्यकताओं के अनुसार इस प्रकार किए गए हैं :

ए) अवमानक :

- कुल बकाया पर 15 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान
- प्रकटीकरण हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रावधान जो प्रारम्भ से ही अरक्षित हैं। (अर्थात, जहां प्रतिभूतियों का वास्तविक मूल्य प्रारम्भ से ही 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है)

बी) संदिग्ध संवर्ग – 1 :

- सुरक्षित भाग के लिए 25 प्रतिशत
- अरक्षित भाग के लिए 100 प्रतिशत

सी) संदिग्ध संवर्ग – 2 :

- सुरक्षित भाग के लिए 40 प्रतिशत
- अरक्षित भाग के लिए 100 प्रतिशत

डी) संदिग्ध वर्ग- 3 एवं हानि अग्रिम – 100 प्रतिशत

- पुनर्गठित / पुनर्संरचित मानक अग्रिम सहित मानक अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है।

- विदेशी शाखाओं के मामले में ऋण हानियों के लिए आय-निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान, स्थानीय आवश्यकताओं अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों में से जो भी अधिक सख्त हो, के अनुसार किया जाता है।

आगे, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये विनियमों के संबंध में अगर कोई आस्ति को बैंक के समुद्रपार बही में किसी भी समय गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना है तो बैंक द्वारा ऋणकर्ता को प्रदान की गई सभी सुविधाओं तथा ऋणकर्ता द्वारा जारी की गयी सभी प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीए / एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

तथापि मेजबान विनियामकों द्वारा खातों को वसूली से अन्य कारणवश गैर निष्पादित / बाधित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो भारत में वित्तीय विवरणियों के समेकन करते समय, उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार प्रावधान किया जाएगा, जबकि उसी प्रतिपक्षकारों को अन्य क्षेत्राधिकार में (भारत को सम्मिलित कर) प्रदत्त अन्य ऋण एक्सपोजर के संबंध में आस्ति वर्गीकरण, संबंधित क्षेत्राधिकार में विद्यमान दिशानिर्देशों से अधिशासित होगा।

- प्रकट किये गए अग्रिम, गैर-निष्पादित आस्तियों, डीआईसीजीसी / ईसीजीसी / सीजीटीएमएसई से प्राप्त तथा समायोजन हेतु लंबित रखे गए दावों, विविध खाते में प्राप्त और रखी गई चुकौतियों, सहभागिता प्रमाण-पत्रों एवं पुनः भुनाये गये मियादी बिलों के लिए किए गए प्रावधानों और मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुनर्गठित खातों के उचित मूल्य में अधित्याग के बदले प्रावधान के बाद निवल हैं।

7. अचल आस्तियाँ / मूल्यहास

- 7.1 परिसर एवं अन्य अचल आस्तियों को परंपरागत लागत पर माना गया है तथा पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामले में पुनर्मूल्यांकित राशि पर माना गया है।
- 7.2 भारत में, इमारतों (जमीन की कीमत सहित जहां कहीं अवियोज्य/पृथक नहीं है) एवं अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यहास, मूल्यहास की सीधी पद्धति से उसी दर पर जिस पर उन्हें प्रभारित किया गया था, निम्नानुसार किया जाता है :

क्रम संख्या	आस्ति की प्रकृति	मूल्यहास की दर (एसएलएम)
I	इमारतें	1.63%
II	अन्य अचल आस्तियाँ	
	• सामान्य संयंत्र व मशीनें	4.75%
	• फर्निचर एवं फिक्सचर	6.33%
	• विद्युत चालित मशीनरी और फिटिंग	7.07%
	• साइकिलें	7.07%
	• स्कूटर, मोटर साइकल, जीप	9.50%
	• वैन	11.31%
	• सिक्के वेंडिंग मशीन	16.66%
	• मोटर कार	20.00%
	• डाटा प्रसंस्करण मशीनें कम्प्यूटर एवं यूपीएस सहित	33.33%
	• सेलफोन एवं 5000 रुपए तक की छोटी कीमत की वस्तुएँ	100.00%

- 7.3 पुनर्मूल्यांकित घटक से संबंधित मूल्यहास, राजस्व व्यय के तहत प्रभारित किया जाएगा और एक समतुल्य राशि तुरंत पुनर्मूल्यांकन रिजर्व के विरुद्ध

प्रभारित किया जाएगा तथा आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित एएस 10 के अनुसार राजस्व रिजर्व में जमा किया जाएगा।

30 सितंबर से पहले अधिगृहीत अचल आस्तियों पर निर्धारित दरों का 100 प्रतिशत और अधिगृहीत अचल आस्तियों के लिए निर्धारित दरों का 50 प्रतिशत मूल्यहास प्रभारित किया जाता है और उसके बाद प्रयोग में लाया जाता है। बिक्री / निपटान के वर्ष में अचल आस्तियों पर मूल्यहास का कोई प्रावधान नहीं किया जाता। उन आस्तियों के मामले में जहां सरकार से सब्सिडी प्राप्त होता है, उसको तत्संबंधित आस्ति खाता में जमा किया जाता है और तदनुसार मूल्यहास प्रभारित किया जाता है।

- 7.4 पट्टेवाली भूमि पर प्रीमियम, अधिग्रहण के वर्ष में पूंजीकृत किया जाता है और पट्टे की अवधि पर परिशोधित किया जाता है।
- 7.5 विदेशी शाखाओं की अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यहास की व्यवस्था उन देशों में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार की जाती है।
- 7.6 गैर-बैंकिंग आस्तियों (एनपीए) के संबंध में कोई मूल्यहास प्रभारित नहीं किया जाता है।

8. राजस्व पहचान

- 8.1 आय और व्यय को, जब तक अन्यथा नहीं कहा जाए, सामान्यतः संचयी आधार पर हिसाब में लिया जाता है।
- 8.2 गैर-निष्पादक आस्तियों, सरकार द्वारा गारंटीकृत आस्तियों (जो 90 दिनों से ज्यादा अतिदेय हैं) लाभांश आय, बीमा दावे, जारी किये गये साख-पत्रों / गारंटियों पर कमीशन (परियोजना वित्त से इतर), बैंक एश्यूरेन्स उत्पादों पर आय, धन प्रबंधन पर आय, खरीदे गए बिलों पर अतिरिक्त ब्याज / अतिदेय प्रभार, क्रेडिट कार्डों पर वित्तीय प्रभार, पुनः क्षतिपूरित करने के बैंक के अधिकार पर व्यय, डेबिट कार्डों पर एएमसी प्रभार आदि को उनकी वसूली होने पर हिसाब में लिया गया है और प्राप्त किए गए लॉकर किराया उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है।
- 8.3 अतिदेय विदेशी बिलों के मामले में, ब्याज और अन्य प्रभारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार किस्ट्रलीकरण की तारीख तक माना गया है।

9. क्रेडिट कार्ड पुरस्कार प्वाइंट

कार्ड सुविधा के उपयोग पर कार्ड सदस्यों द्वारा अर्जित पुरस्कार प्वाइंटों को इस प्रकार के उपयोग के कारण व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

10. निवल लाभ / हानि

निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात्, लाभ व हानि लेखे में दर्शाया गया परिणाम :

- गैर निष्पादक अग्रिमों और / अथवा निवेशों के लिए प्रावधान
- मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान
- पुनः संरचित अग्रिमों हेतु प्रावधान
- अचल आस्तियों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान
- निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान
- आकस्मिकता निधि को / से अंतरण
- प्रत्यक्ष करों के लिए प्रावधान
- अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए प्रावधान
- सामान्य अथवा / और अन्य आवश्यक प्रावधान

11 स्टाफ सेवानिवृत्ति लाभ

i) भविष्य निधि

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुननेवालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

ii) उपदान

इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि नियमों एवं विनियमनों के अनुसार उपदान देयता एक वैधानिक दायित्व है और वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इसके लिए प्रावधान किया जाता है। बैंक द्वारा उपदान देयता का निधीयन किया जाता है और इसका प्रबंध इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

iii) पेंशन

- इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन 1995 के तहत पेंशन देयता एक परिभाषित लाभकारी दायित्व है तथा 31.03.2010 तक बैंक में भर्ती हुए और पेंशन का विकल्प देनेवाले कर्मचारियों को यह बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है।
- नई पेंशन योजना (एनपीएस) जो उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी भर्ती बैंक में 01.04.2010 के बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

iv) क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ

संचित क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ, जैसे विशेषाधिकार अवकाश और चिकित्सा अवकाश, के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

v) अन्य कर्मचारी सुविधाएँ

अन्य कर्मचारी सुविधाएँ जैसे छुट्टी यात्रा रियायत और सेवानिवृत्ति पर अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। समुद्रपारीय शाखाओं एवं कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति के अलावा कार्यरत कर्मचारियों से संबंधित लाभ तत्संबंधी कार्याधिकार क्षेत्रों के कानून के तहत मूल्यांकित एवं लेखाबद्ध किए जाते हैं।

12 पट्टे हेतु लेखांकन

परिचालनगत पट्टों पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टा भुगतानों को कीमत वृद्धि सहित पट्टा अवधि या आस्तिकी अवधि, भी जो कम हो, के दौरान लाभ व हानि खाते में अभिज्ञात किये जाते हैं।

13 आकस्मिक देयताएं और प्रावधान :

- 13.1 आकस्मिक देयता : पहले किए गए क्रियाकलापों को जिनसे वर्तमान में संभाव्य बाध्यताएं हो सकती हैं, निम्न दशाओं में आकस्मिक देयता के रूप में पहचाने जाते हैं, जहां :

ए) ऐसी बाध्यताओं का अस्तित्व पुष्टिकृत नहीं किया गया है।

बी) ऐसी बाध्यताओं के निपटारे के लिए संसाधनों का बाहरी प्रवाह अपेक्षित नहीं है।

सी) बाध्यताओं की राशि का एक विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता है।

डी) ऐसी राशियाँ भौतिक नहीं हैं।

- 13.2 ए) वर्तमान बाध्यताओं के मामले में, जहाँ विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है और/या जहाँ बहुत छोटे दावों को छोड़कर बाध्यताओं का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों का त्याग करते हुए संसाधनों का बाहरी प्रवाह होने की संभावना है, प्रावधान की पहचान की जाती है।

बी) बाजार जोखिमों, देश-विशेष की जोखिम आदि के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।

सी) बैंक प्रबंधन द्वारा अभिपहचानित रूप से प्लोटिंग प्रावधान की व्यवस्था की जाती है।

भारिबैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार अस्थायी प्रावधान का उपयोग निम्न मदों के लिए किया जा सकता है।

i) गैर-निष्पादित आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान रखना

ii) गैर-निष्पादित आस्तियों में बिक्री में होनेवाली कमी की पूर्ति करना

14. आस्तियों का अनर्जक होना :

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) के संबंध में आस्तियों की हानि यदि कोई हो, लेखा मानक 28 "आस्तियों का अनर्जक होना" के अनुरूप पहचानी जाती है और उन्हें लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। तथापि, पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर अनर्जक हानि को उस आस्तिकी के लिए रखी गयी पुनर्मूल्यांकित अधिशेष राशि के तहत अभिज्ञानित किया जाता है जबतक उसी आस्तिकी के लिए पुनर्मूल्यांकित अधिशेष राशि में रखी गयी राशि अनर्जक आस्तिकी से अधिक न हो।

15. आय पर कर

15.1 वर्तमान कर एवं आस्थगित कर दोनों के लिए कर हेतु प्रावधान किया जाता है।

15.2. वर्तमान कर का मापन, कर प्राधिकारियों को अदा की जानेवाली प्रत्याशित राशि के अनुसार लागू कर दरों, कर कानूनों एवं अनुकूल न्यायिक फैसलों / विधिक राय का प्रयोग करते हुए किया जाता है।

15.3 समय में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियां एवं देयताएं, जोकि आनेवाली अवधियों में रिवर्सल की क्षमता रखती हो, की पहचान, तुलन-पत्र की तिथि तक लागू कर दर या बाद में लागू किए गए कर दरों का प्रयोग करते हुए की जाती है। आस्थगित कर आस्तियों की पहचान शेष असंगत मूल्यहास तथा कर घाटे पर की जाती है, यदि केवल "वर्चुअल निश्चितता" है तथा अन्यों के संबंध में, यदि पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिससे ऐसी आस्थगित कर आस्तियां उगाही जाएंगी।

अनुसूची 18 – लेखों पर टिप्पणियाँ

1. पूँजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
I) सामान्य इक्विटी टियर I पूँजी अनुपात (%)	11.78	10.96
ii) टियर I पूँजी अनुपात (%)	12.08	11.29
iii) टियर II पूँजी अनुपात (%)	2.04	1.92
iv) कुल पूँजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	14.12	13.21
v) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारत सरकार की शेरधारिता का प्रतिशत	83.46	81.49
vi) संग्रह की गई इक्विटी पूँजी की राशि	0.00	0.00
vii) संग्रह की गई अतिरिक्त टियर 1 पूँजी की राशि, जिसमें से शाश्वत गैर-संचयी अधिमान्य शेयर (पीएनसीपीएस) शाश्वत ऋण की लिखतें (पीडीआई)	शून्य	शून्य
viii) संग्रह की गई टियर 2 पूँजी की राशि, जिसमें से ऋण पूँजी लिखत	शून्य	1000.00
अधिमान्य शेयर पूँजी लिखत [शाश्वत संचयी अधिमान्य शेयर (पीसीपीएस) / प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान्य शेयर (आरएनसीपीएस) / प्रतिदेय संचयी अधिमान्य शेयर (आरसीपीएस)]	शून्य	शून्य
	शून्य	शून्य
	शून्य	शून्य
	शून्य	शून्य

2. निवेश

2.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के देशी निवेश संविभाग को तीन संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 31.03.2020 तक के आंकड़े नीचे प्रस्तुत किये गये हैं :

(₹ करोड़ में)

वर्गीकरण	31.03.2020		31.03.2019	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
परिपक्वता तक रखे गए – एच टी एम *	46772.80	58.21	38498.87	60.01
बिक्री के लिए उपलब्ध – एएफएस	33580.78	41.79	25532.13	39.80
व्यापार के लिए रखे गए – एचएफटी	0.00	0.00	122.15	0.19
कुल योग	80353.56	100%	64153.15	100.00

* निवल मांग और सावधि देयताओं के प्रतिशत के रूप में देशी एचटीएम संवर्ग की देशी एसएलआर प्रतिभूतियां 19.50 प्रतिशत के अधिकतम विनिर्दिष्ट स्तर के विरुद्ध 17.08 प्रतिशत है। (पिछले वर्ष के लिए 19.50 प्रतिशत के अधिकतम विनिर्दिष्ट स्तर के विरुद्ध यह 15.43 प्रतिशत रहा।)

(₹ करोड़ में)

2.2. निवेश

विवरण	2019-20	2018-19
(1) निवेशों का मूल्य		
(I) निवेशों का सकल मूल्य		
(ए) भारत में	80353.56	64153.15
(बी) भारत के बाहर	2268.27	1963.63
(ii) मूल्यहास व एनपीआई के लिए प्रावधान		
(ए) भारत में	1282.86	1035.06
(बी) भारत के बाहर	97.28	89.54

(iii) निवेशों का निवल मूल्य		
(ए) भारत में	79070.70	63118.09
(बी) भारत के बाहर	2170.99	1874.09
(2) निवेशों व एनपीआई पर मूल्यहास के लिए बनाए गए प्रावधानों में वृद्धि/कमी		
(i) प्रारंभिक शेष	1035.06	509.78
(ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	821.55	1128.59
(iii) घटाएँ : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन/बट्टे खाते में डालना	573.75	603.31
(iv) अंतिम शेष	1282.86#	1035.06#

चूंकि बैंक ने एफआईटीएल के एवज में जारी शेयरों पर कोई प्रावधान नहीं किया है इसलिए इस पर कोई आय बुक नहीं की है और समतुल्य राशि पर प्रत्यक्ष होल्ड रखता है।

2.2.1 रेपो लेनदेन (अंकित मूल्यों में)

(₹ करोड़ में)

प्रकार	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2020 को बकाया
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां				
I. सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00	8478.21	2157.96	8426.32
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
I. सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00	4800.00	515.19	2100.00
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2.2 गैर एसएलआर निवेश संविभाग (देशी)

i) गैर-एसएलआर निवेशों पर जारीकर्ता संरचना

(₹ करोड़ में)

सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी आबंटन की सीमा	निवेश स्तर से निम्न वर्ग की प्रतिभूतियों की मात्रा	'दर निर्धारण नहीं' की गई प्रतिभूतियों की मात्रा	'सूचीबद्ध नहीं' की गई प्रतिभूतियों की मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम	5976.76	4917.49	0.00	175.00	0.00
2	वित्तीय संस्थाएं	3616.74	1675.83	204.61	0.00	12.42
3	बैंक	3505.46	963.72	0.00		0.00
4	निजी कॉर्पोरेट	2132.54	2095.67	243.69	0.00	34.29
5	अनुबंधी / संयुक्त उद्यम	106.50	106.50	0.00	0.00	27.63
6	अन्य	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00
7	मूल्यहास तथा एनपीआई के लिए धारित प्रावधान	-1279.76	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	14063.84	9764.81	448.30	175.00	74.34

ii) गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
प्रारंभिक शेष	412.77	337.15
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान जोड़	363.40	75.72
उक्त अवधि के दौरान घटौती	4.86	0.10
अंतिम शेष	771.32	412.77
धारित कुल प्रावधान	425.08	63.26

2.2.3 एचटीएम संवर्ग में/से विक्रय एवं हस्तांतरण

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, एचटीएम वर्ग में/से विक्रय एवं हस्तांतरण, वर्ष की शुरुआत में एचटीएम संवर्ग में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं थे।

- एचटीएम श्रेणी से रुपए 271.10 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष रुपए 83.60 करोड़), जोकि एचटीएम संवर्ग की प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ था, को लाभ और हानि लेखे में लिया गया है और उसके बाद रुपए 152.15 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष रुपए 41.00 करोड़) की राशि को आरक्षित पूंजी खाता में हस्तांतरित कर दिया गया था। (करों का निवल और सांविधिक आरक्षित निधियां में हस्तांतरित करने के लिए अपेक्षित राशि)।
- प्रतिभूतियों का हस्तांतरण

(i) वर्ष की शुरुआत में बैंक ने निम्नलिखित का हस्तांतरण किया :

एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में रुपए 4678.48 करोड़ के बही मूल्य की एसएलआर प्रतिभूतियाँ और रुपए 3.48 करोड़ के बही मूल्य की गैर-एसएलआर वीसीएफ प्रतिभूतियाँ, जिनपर मूल्यहास का प्रावधान 0.38 करोड़ रुपए था।

एएफएस संवर्ग से एचटीएम संवर्ग में रुपए 7396.21 करोड़ के बही मूल्य की एसएलआर प्रतिभूतियाँ, जिसके परिणामस्वरूप बही मूल्य को बाज़ार मूल्य तक कम करने के लिए मूल्यहास के विरुद्ध धारित प्रावधान को 143.63 करोड़ रुपए के लिए समायोजित करना पडा।

- (ii) एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत प्रतिभूतियाँ, यदि अधिग्रहण मूल्य अंकित मूल्य से अधिक हो तो प्रीमियम शेष परिपक्वता अवधि तक परिशोधित हो जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कुल रु. 90.58 करोड़ (गतवर्ष रु. 97.18 करोड़) परिशोधित किया गया है तथा यही 'निवेश पर आय' में कटौती के रूप में दर्शाया गया है।

3. व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)
3.1 वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप्स

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, बैंक ने तुलन पत्र आस्तियों की बचाव के लिए वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप्स (आईआरएस) के स्वरूप की कोई व्युत्पन्न संविदा नहीं की।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
i) अदला-बदली करार का अनुमानित मूलधन	0.00	0.00
ii) करार के अंतर्गत अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में यदि विपक्षी पक्षकार चूक करें तो वहन की जानेवाली हानियाँ	शून्य	शून्य
iii) स्वैप्स करार करने पर बैंक को आवश्यक संपार्श्विक प्रतिभूति	शून्य	शून्य
iv) स्वैप्स करार करने पर उत्पन्न जोखिमों का संकेन्द्रण	0.00	0.00
v) स्वैप बही का उचित मूल्य	0.00	0.00

3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पाद :

वर्तमान वर्ष और विगत वर्ष के दौरान बैंक ने विनिमय व्यापार किए गए ब्याज दर व्युत्पन्न के लिए कोई करार नहीं किया है।

क्रम सं.	विवरण	2019-20	2018-19
i)	वर्ष के दौरान किये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का अनुमानित मूलधन (लिखत वार) ए) बी)	225	शून्य
ii)	31 मार्च 2019 को विनिमय व्यापार किये गये ब्याज दर व्युत्पन्न के अनुमानित मूलधन का बकाया (लिखत वार) ए) बी)	शून्य	शून्य
iii)	विनिमय व्यापार किये गये ब्याज दर व्युत्पन्न के अनुमानित मूलधन का बकाया तथा अधिक प्रभावात्मक न रहनेवाले (लिखत वार) ए) बी)	शून्य	शून्य
iv)	विनिमय व्यापार किये गये ब्याज दर व्युत्पन्न के बाजार मूल्य को बही में अंकित राशि का बकाया (लिखत वार) ए) बी)	शून्य	शून्य

3.3 व्युत्पन्नो में ऋण जोखिम पर प्रकटीकरण :

3.3.1 गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंक की नीति आईआरएस का उपयोग करते हुए आस्तियों के साथ-साथ देयताओं की प्रतिरक्षा की अनुमति देती है। हेजिंग लेन-देनों को उपचय आधार पर लेखांकित किया जाना चाहिए। ऐसे स्वैप जो ब्याज कमानेवाली आस्ति / देयता की प्रतिरक्षा करते हैं, हेज की गई आस्ति या देयता के रूप में लेखांकित किये जाते हैं। बकाया स्वैप संविदाएँ बाजार मूल्य पर अंकित होता है।

अंतर्राष्ट्रीय स्वैप डीलर संघ के दिशानिर्देशों के आधार पर सभी स्वैप लेनदेन किए गए हैं। लेनदेनों को समाप्त करने के पहले बैंक के पास पर्याप्त आंतरिक अनुमोदन और नियंत्रण प्रणालियाँ उपलब्ध हैं। (i) व्यापार (डीलिंग) (ii) बैंक-ऑफिस (समझौता, निगरानी और नियंत्रण) तथा (iii) लेखाकरण क्षेत्रों के बीच एक स्पष्ट कार्यकारी पृथक्करण उपलब्ध है।

व्युत्पन्न उत्पाद खंड के अंतर्गत बैंक, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) में स्वामित्व लेनदेन कर रहा है। इस खंड में बैंक की गतिविधियाँ बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्युत्पन्न उत्पाद संबंधी नीति के अधीन की जाती हैं।

ओआईएस लेनदेनों से होनेवाले लाभ व हानि, लेनदेन की परिपक्वता या समाप्ति, जो भी पूर्व हो, पर लाभ व हानि खाते में दर्शायी जाती है। बकाया ओआईएस लेनदेन के मूल्यांकन को निश्चित करने के लिए, संपूर्ण अदला-बदली का सही मूल्य, तुलन पत्र के दिनांक पर अदला-बदली की समाप्ति से प्राप्य या देय राशि, के आधार पर किया जाता है। इससे प्राप्त हानि के लिए संपूर्ण प्राक्धान किया जाता है और अगर लाभ हो तो, नजर अंदाज किया जाता है।

विनिमय बाजार में लेनदेन किए जानेवाले विदेशी विनिमय व्युत्पन्न उत्पाद अर्थात् मुद्रा वायदे सौदे, विनिमय बाजार निर्धारित मूल्यों पर मूल्यांकित किए जाते हैं और परिणामस्वरूप होनेवाला लाभ व हानि, बैंक के लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है।

3.3.2. मात्रात्मक प्रकटीकरण

व्युत्पन्न बाजार में बैंक के निम्नलिखित उत्पाद हैं :

- ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप्स (ओआईएस)
- मुद्रा फ्यूचर्स

31 मार्च, 2020 को बकाया ओआईएस ₹ शून्य करोड़ रहा (पिछले वर्ष – ₹ 25.00 करोड़ रहा)

31.03.2020 को मुद्रा फ्यूचर्स की बकाया स्थिति ₹ शून्य करोड़ है और पिछले वर्ष ₹ शून्य करोड़ थी।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2019-20		2018-19	
		मुद्रा व्युत्पाद	ब्याज दर व्युत्पाद	मुद्रा व्युत्पाद	ब्याज दर व्युत्पाद
1	व्युत्पन्न (नाममात्र मूल रकम)	0.00	0.00	0.00	25.00
	क) प्रतिरक्षा के लिए				
	ख) व्यापार के लिए	0.00	0.00	0.00	25.00
2	बाजार की स्थितियों पर अंकित				
	क) आस्ति (+)	0.00	0.00	0.00	0.09
	ख) देयता (-)	0.00	0.00	0.00	-0.31
3	ऋण जोखिम	0.00	0.00	0.00	0.25
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत बदलाव का संभाव्य प्रभाव (100 * पीवी 01)				
	क) प्रतिरक्षा व्युत्पन्न पर	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख) व्यापार व्युत्पन्न पर	0.00	0.00	0.00	0.01
5	वर्ष के दौरान पाए गए 100 पीवी* 01 का अधिकतम और न्यूनतम				
	क) प्रतिरक्षा पर				
	अधिकतम	0.00	0.00	0.00	0.00
	न्यूनतम	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख) व्यापार पर				
	अधिकतम	0.00	2.47	0.00	0.013
	न्यूनतम	0.00	1.23	0.00	0.012

4. आस्ति गुणवत्ता
4.1.1 गैर-निष्पादक आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
(i) निवल अग्रिमों और निवल एनपीए का अनुपात (%)	3.13	3.75
(ii) एनपीए (सकल) में उतार चढ़ाव		
(ए) प्रारंभिक शेष	13353.45	11990.14
(बी) वर्ष के दौरान जोड़	5320.50	6444.96
(सी) वर्ष के दौरान कटौती	4523.11	5081.65
(डी) अंत शेष	14150.84	13353.45
(iii) निवल एनपीए में उतार चढ़ाव		
(ए) प्रारंभिक शेष	6793.11	5959.56
(बी) वर्ष के दौरान जोड़	3778.48	4419.80
(सी) वर्ष के दौरान कटौती	4387.35	3586.25
(डी) अंत शेष	6184.24	6793.11
(iv) एनपीए के लिए प्रावधानों में उतार चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधानों और चल प्रावधानों को छोड़कर)		
(ए) प्रारंभिक शेष	6131.86	5498.23
(बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	4254.77	3594.47
(सी) अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना/प्रतिलेखन करना	2871.16	2960.84
(डी) अंत शेष	7515.47	6131.86

4.1.2 आस्ति वर्गीकरण और एनपीए हेतु प्रावधान में विचलन पर प्रकटीकरण (भारिबैंक परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.63/21.04.018/2016:17 दिनांक 18.04.2017)

क्रम सं.	विवरण	₹ हज़ारों में
1	बैंक द्वारा सूचित रूप से 31 मार्च, 2019 को सकल एनपीए*	133534519
2	भारिबैंक द्वारा मूल्यांकित रूप से 31 मार्च, 2019 को सकल एनपीए	135374519
3	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	1840000
4	बैंक द्वारा सूचित रूप से 31 मार्च, 2019 को सकल एनपीए	67931144
5	भारिबैंक द्वारा मूल्यांकित किये गये रूप से 31 मार्च, 2019 को निवल एनपीए	59731144
6	निवल एनपीए में विचलन (5-4)	-8200000
7	बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई रूप से मार्च, 2019 को एनपीए हेतु प्रावधान	61318592
8	भारिबैंक द्वारा मूल्यांकित रूप से 31 मार्च, 2019 को एनपीए हेतु प्रावधान	71358592
9	प्रावधानीकरण में विचलन (8-7)	10040000
10	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु रिपोर्टित कर के पश्चात निवल लाभ (पीएएटी)	3219521#
11	विचलन प्रावधान को हिसाब में लेने के पश्चात 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु समायोजित (आनुमानिक) कर के पश्चात निवल लाभ (पीएएटी)	-3332101#
	* विचलनों के आकलन के लिए संदर्भित अवधि का समापन मार्च 31, 2019 को है।	

डीटीए के प्रभाव को मद्देनजर रखते हुए
4.1.3 भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 7 जून 2019 के परिपत्र संख्या डीबीआर सं बीपी. बीसी. 45/21.04.048/2018-19 के संदर्भ में वर्ष 2019-20 के दौरान लागू किए गए संकल्प योजनाओं का विवरण : शून्य

आरबीआई परिपत्र सं डीओआर.सं. डीपी. बीसी. 62/21.04.48/2019-20 दिनांकित 17.04.2020 के पैरा सं 3 एवं 4 में बताए गए किन्हीं भी खातों में संकल्पाधीन अवधि को बढ़ाया गया है

4.2.1 दि 31.3.2020 को पुनः संरचित खातों का प्रकटीकरण

क्रम संख्या	पुनर्संरचना का प्रकार	सीडीआर पद्धति के अंतर्गत						एस्पआई ऋण पुनर्रचना के अंतर्गत						अन्य						कुल						
		मानक	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय वर्ष 2019 के 1 अप्रैल को पुनर्संचित खाते (प्रारम्भिक आंकड़ा) *	1	0	5	0	6	24339	253	349	6	24947	5897	1059	1525	22	8503	30237	1312	1879	28	33456	2608.97	313.63	2397.95	107.00	5427.55
2	अप्रैल से मार्च 2020 के दौरान की गई नई पुनर्रचना	0.00	0.00	447.33	0	447.33	995.30	37.67	66.76	0.36	1100.09	17.99	6.37	18.68	0.00	43.05	18.78	6.44	19.86	0.02	45.10	25913	1389	102	12	27416
3	अप्रैल-मार्च 2020 के दौरान पुनर्संचित मानक वर्ग में अपग्रेडेशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	-3.23	-9.77	0.00	0.00	5.17	-2.93	-2.24	0.00	0.00	18.17	-6.16	-12.01	0.00	0.00	0.06	-0.01	-0.05	0.00	
4	पुनर्संचित मानक अग्रिम जिनके लिए वित्तीय वर्ष के अंत में उच्च प्रावधानीकरण और/या अतिरिक्त जोखिम भार की आवश्यकता नहीं है एवं अंतः अगले वित्तीय वर्ष के उत्तरार्द्ध में उन्हें पुनर्संचित मानक अग्रिमों के रूप में प्रदर्शित किए जाने की जरूरत नहीं है।	0	0	0	0	0	-52				-52	-175				-175	-227									-227
5	अप्रैल-मार्च 2020 के दौरान अवनत किए गए पुनर्संचित खाते	0	0	-1	1	0.00	-5053	4626	414	2	-11	-593	-238	827	15	11	-5646	4388	1240	18	0	117.35	406.30	117.79	0.00	
6	अप्रैल-मार्च 2020 के दौरान बड़े खाते में जाले गए पुनर्संचित खाते	0.00	0.00	-32.27	2.63	-34.90	-109.11	-13.45	-17.78	-0.15	-140.49	-49.37	-134.67	-582.33	-0.83	-767.19	-158.48	-148.12	-632.38	-3.61	-942.59	-2875	-281	-278	-9	-3443
7	वित्तीय वर्ष मार्च 31 2020 को पुनर्संचित खाते (अंतिम आंकड़े) *	0.00	0.00	0.85	0.00	0.85	0.99	2.80	0.16	0.00	3.95	1.84	0.01	12.15	0.00	14.00	2.83	2.81	13.16	0.00	18.80	47512	6726	2915	49	57202

* मानक पुनः संरचित अग्रिम के आंकड़ों में जिन्हें उच्च प्रावधानीकरण या जोखिम भारिता की आवश्यकता नहीं है (अगर लागू हो)

क्रम सं.2 में नई पुनर्संचित राशि रुपए 1385.34 करोड़ तथा दि.31.3.2020 को वर्तमान पुन संरचित खाते में आगे नामे / संवितरण की राशि रुपए 25275 करोड़ शामिल है।
 क्रम सं.6 में बट्टे खाते में डाली गई राशि रुपए 308.01 करोड़ तथा एआरसी को बिकी रुपए 448.94 करोड़ शेप में कम्पी - रुपए 185.64 करोड़

4.2.2 एमएसएमई प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 01 जनवरी 2019 के परिपत्र सं. डीबीआर सं. बीपी. बीसी 18/21.04.048/2018-19 एवं दिनांक 11.02.2020 के बीपी.बीसी. 34/21.04.048/2019-20 के आधार पर बैंक ने एमएसएमई खातों को पुनर्रचित किया है जिनका विवरण निम्नलिखित हैरू

पुनर्रचित खातों की संख्या	इन खातों में 31.03.2020 को बकाया धनराशि (रु. करोड़ में)
54167	2065.00
जिनमें से एनपीए बन गए हैं	
6456	212.00

भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र के अनुसार इन खातों के लिए आवश्यक मानक आस्ति प्रावधान 0.25 प्रतिशत + 5 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रावधान = 5.25 प्रतिशत है यानी 1853.00 * 5.25 प्रतिशत = रुपये 97.00 करोड़

4.3 आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के विवरण

4.3.1 विक्री का विवरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
(i) खातों की संख्या	शून्य	28482
(ii) एससी/आरसी को बेचे गए खातों का सकल मूल्य (प्रावधानों से निवल)	शून्य	130.02
(iii) सकल प्रतिफल	शून्य	256.62
(iv) पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	--
(v) निवल बही मूल्य से अधिक होनवाला सकल लाभ/हानि	शून्य	126.60

4.3.2 प्रतिभूति रसीद का बही मूल्य (अलग रखे गये प्रावधान को घटाने के पहले)

(रु. करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
(i) अंतर्निहित रूप से बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित	2336.73	2427.60
(ii) अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर्निहित रूप से बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित	शून्य	शून्य
कुल	2336.73	2427.60

(रु. करोड़ में)

विवरण	विगत 5 वर्षों के अंदर जारी एसआर	5 वर्षों के पहले परन्तु विगत 8 वर्षों के अन्दर जारी एसआर	8 वर्षों के पहले जारी एसआर
(i) अंतर्निहित रूप से बैंक द्वारा बेचे गए एसआर, जो एनपीए द्वारा समर्थित हैं।	2106.98	228.57	1.17
ऊपर (i) के विरुद्ध धारित प्रावधान	421.79	8.10	0.00
(ii) अंतर्निहित रूप से अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थानों / गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों द्वारा बेचे गए एसआर, जो एनपीए द्वारा समर्थित हैं, का बही मूल्य	0.00	0.00	0.00
ऊपर (ii) के विरुद्ध धारित प्रावधान	0.00	0.00	0.00
कुल (i)+(ii)	2106.98	228.57	1.17

4.3.3 खरीदी / बेची गयी गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण
ए. खरीदी गयी गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
1. (ए) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(बी) बकाया कुल शेष	शून्य	शून्य
2. (ए) इनमें से वर्ष के दौरान पुनः संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(बी) बकाया कुल शेष	शून्य	शून्य

बी. बेची गयी गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
1. बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	28482
2. बकाया कुल शेष	शून्य	726.51
3. प्राप्त कुल प्रतिफल	शून्य	256.62

4.3.4. मानक आस्तियों के लिए प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	961.08	821.97

4.3.5 दुनिया भर में कोविड-19 के प्रसार से आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई है और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ी है। इस स्थिति में, हालांकि चुनौतियां सामने आ रही हैं, लेकिन बैंक सभी मोर्चों पर इनका सामना कर रहा है। स्थिति अनिश्चित बनी हुई है और बैंक निरंतर स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है। कोविड-19 वैश्विक महामारी बैंक के परिणामों को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भविष्य के विकास पर निर्भर करेगा, जो अत्यधिक अनिश्चित हैं। बैंक के लिए प्रमुख चुनौतियां विस्तारित कार्यशील पूंजी चक्र और कम नकदी प्रवाह होगी। बैंक की पूंजी और तरलता की स्थिति मजबूत है और इस अवधि के दौरान यह बैंक के लिए केंद्र बिन्दु बना रहेगा।

4.3.6 आरबीआई ने दिनांक 27.03.2020 एवं 17.04.2020 की अधिसूचना के जरिए, कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न ऋण चुकौतियों से संबंधित अवरोधों से उबरने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं ताकि कारोबार को लाभप्रद बनाया जा सके। इन उपायों में, भुगतानों का पुनर्निर्धारण दृ मीयादी ऋण और कार्यशील पूंजी सुविधाएं, कार्यशील पूंजी वित्तपोषण को आसान बनाना, विशेष उल्लेखित खाते(एसएमए) के रूप में वर्गीकरण और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति(एनपीए) इत्यादि शामिल हैं। तदनुसार बैंक ने निम्नलिखित प्रावधान किए हैं :

- जिन खातों में 725.99 बकाया था कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान उनके लिए 108.90 करोड़ रुपये के प्रावधान किया गया जोकि कुल बकाया का 15% था। ऐसे, खाते 29.02.2020 को स्टैंडर्ड खाते थे। ये सारे खाते 31.03.2020 को अनर्जक आस्तियां बन जाते अगर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त तिथि में डैट सर्विसिंग रिलीफ की घोषणा नहीं करता।
- उपरोक्त खातों के संबंध में, ब्याज आय कुल मिलाकर 39.46 करोड़ रु. को परिचालन लाभ में शामिल किया गया है और एक समान राशि उन आस्तियों के मुकाबले अतिरिक्त प्रावधान के रूप में रखी गई है।

4.3.7 कोविड-19 के आस्थगन मामलों के लिए सामान्य प्रावधान :

दिनांक 27 मार्च, 2020 और 17 अप्रैल, 2020 को जारी किए गए कोविड-19 विनियामक पैकेज से संबंधित आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार तथा भारतीय बैंक संघ के माध्यम से 6 मई, 2020 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, बैंक किरातों के भुगतान और / या ब्याज पर अधिस्थगन प्रदान कर रहा है, जैसा लागू हो, 1 मार्च, 2020 और 31 मई, 2020 (स्थगन अवधि) के मध्य देय के लिए, पात्र उधारकर्ताओं को स्टैंडर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है, भले ही 29 फरवरी, 2020 तक अतिदेय हो। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक द्वारा अधिस्थगन अवधि, जहां भी दी गई है, को आरबीआई के आय मान्यता और परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों के तहत परिसंपत्ति वर्गीकरण के उद्देश्य से पिछले देय दिवसों की संख्या से बाहर रखा गया है। बैंक किसी निश्चित समय तक उपलब्ध सूचना के आधार पर कोविड-19 के संभावित प्रभाव के लिए 31 मार्च 2020 तक प्रावधान रखता है। बैंक द्वारा किए गए प्रावधान आरबीआई द्वारा निर्धारित मानदंडों से अधिक हैं। बैंक द्वारा किए गए ऐसे खातों और प्रावधानों का विवरण निम्नलिखित हैं :

विवरण	31 मार्च, 2020 को
एसएमए/ अतिदेय श्रेणियों में बकाया अग्रिम, जहां कोविड-19 विनियामक पैकेज के अनुसार स्थगन / स्थगन को बढ़ाया गया था	53623.38
अग्रिम बकाया जहां संपत्ति वर्गीकरण लाभ 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाए जाते हैं	725.99
31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कोविड-19 नियामक पैकेज के पैरा 5 के अनुसार किए गए प्रावधान	148.36
31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान समायोजित किए गए प्रावधान	शून्य

5. व्यापार अनुपात

विवरण	2019-20	2018-19
(i) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	7.26	7.32
(ii) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	1.12	0.72
(iii) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	2.20	1.86
(iv) आस्तियों पर प्रतिलाभ (%)	0.26	0.12
(v) कारोबार (जमाएँ एवं अग्रिम) प्रति कर्मचारी (रु. करोड़ में)	24.62	21.74
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (रु. करोड़ में)	0.04	0.02

6. आस्ति देयता प्रबंधन

(₹ करोड़ में)

	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-30 दिन	31 दिन से 2 महीनों तक	2 महीनों से अधिक तथा 3 महीनों तक	3 महीनों से अधिक तथा 6 महीनों तक	6 महीनों से अधिक तथा 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्षों तक	3 वर्षों से अधिक तथा 5 वर्षों तक	5 वर्षों से अधिक	कुल
जमाएँ	1272.33	8088.41	6221.92	10289.06	11987.31	11884.20	33480.14	48837.36	59251.50	18645.53	50268.15	260225.90
उधार	379.11	3328.10	99.16	7.57	825.55	1189.35	1319.58	2556.40	10125.49	1000.00	0.00	20830.31
निवेश*	15820.19	776.96	958.53	2157.93	1228.33	2097.23	10280.93	9722.51	12237.95	3786.26	21958.68	81025.50
अग्रिम	1596.72	2441.39	7187.06	6749.09	10468.55	9907.60	20067.06	29873.73	61467.1	23404.26	24724.47	197887.01
*₹ 216.18 करोड़ रुपए के सूचीबद्ध ईक्विटी के 50 प्रतिशत को छोड़ते हुए जिसमें												
विदेशी मुद्रा देयताएं	587.33	636.29	101.62	1083.23	1344.65	1239.50	1777.33	1571.02	2795.07	903.77	636.54	12676.35
विदेशी मुद्रा आस्तियां	836.91	528.82	613.66	1521.78	824.22	1114.93	1531.32	1702.67	1135.29	1082.69	187.58	11079.87

7. एक्सपोजर
7.1 रियल एस्टेट क्षेत्र को ऋण

(₹ करोड़ में)

वर्ग	31.03.2020	31.03.2019
ए) प्रत्यक्ष ऋण		
(i) आवासिक बंधक	21438.09	18913.15
जिसमें से वैयक्तिक गृह ऋण जो प्राथमिकता क्षेत्र के तहत शामिल किए जाने योग्य है	9051.73	7105.15
(ii) वाणिज्यिक रियल एस्टेट	3822.07	5853.39
(iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत ऋण में निवेश	शून्य	शून्य
ए) आवासिय	शून्य	शून्य
बी) वाणिज्यिक रियल एस्टेट	शून्य	शून्य
बी) अप्रत्यक्ष ऋण		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त निगम कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित तथा गैर-निधिक ऋण	11842.40	9164.02
रियल एस्टेट क्षेत्र को कुल ऋण	37102.56	33931.64

7.2 पूंजी बाजार में एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

मर्दे	31.03.2020	31.03.2019
(I) प्रत्यक्ष निवेश		
ए) ईक्विटी शेयर में	448.41	546.74
बी) बांड्स/परिवर्तनीय डिबेंचरों में	68.71	68.71
सी) ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनितों में जिसका आधारभूत निधि मात्र कार्पोरेट ऋण में निविष्ट नहीं है।	शून्य	शून्य
(ii) वैयक्तिकों को ईक्विटी शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बांडों एवं डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनितों में निवेश के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की या निशर्त रूप में जमानत पर अग्रिम या बेजमानती ऋण	शून्य	शून्य
(iii) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनितों को प्राथमिक जमानत के रूप में लिया जाता है।	18.03	18.17
(iv) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जोकि शेयरों अथवा उस सीमा तक परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनितों द्वारा प्रत्याभूत हैं अर्थात जहां शेयरों/ परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनितों के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती।	शून्य	369.95
(v) स्टॉक ब्रोकरों को प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत अग्रिम एवं स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां।	20.25	30.75
(vi) स्रोतों को उपलब्ध कराने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी के लिए प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध अथवा बेजमानती आधार पर कार्पोरेटों को मंजूर ऋण	शून्य	शून्य
(vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाहों/निर्गमों के विरुद्ध कंपनियों को पूरक ऋण	शून्य	शून्य
(viii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनितों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा दी गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं।	शून्य	शून्य
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तीयन	शून्य	शून्य
(x) उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के सभी एक्सपोजर।	20.05	22.51
पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर	575.45	1056.83

7.3 जोखिम संवर्गवार देश-विशेष संबंधी ऋण

(₹ करोड़ में)

जोखिम संवर्गवार**	31 मार्च 2020 तक एक्सपोजर (निवल)	31 मार्च 2020 तक धारित प्रावधान	31 मार्च 2019 तक एक्सपोजर (निवल)	31 मार्च 2019 तक धारित प्रावधान
नगण्य	5333.55	3.18	8085.75	4.32
न्यून	4290.33		3545.75	
मध्यम	117.79		135.98	
उच्च	0.11		0.00	
सर्वोच्च	0.00		0.00	
प्रतिबंधित	0.00		0.00	
ऑफ क्रेडिट	0.00		0.00	
कुल	9741.78	3.18	11767.48	4.32

**दिनांक 31-03-2020 तक ईसीजीसी द्वारा अद्यतन देश विशेष को प्रदत्त ऋण का जोखिम वर्गीकरण के अनुसार

देश विशेष प्रबंधन :

बैंक ने 31.03.2020 को विभिन्न देशों को प्रदत्त निवल निधि एक्सपोजर का विश्लेषण किया है और सिंगापुर को छोड़ कर अन्य देशों के प्रति यह एक्सपोजर बैंक की कुल आस्तियों के 1 प्रतिशत की सीमा के भीतर है। सिंगापुर, जिसे ईसीजीसी लिमिटेड ने "गैर महत्वपूर्ण" जोखिम संवर्ग के अधीन वर्गीकृत किया है, के लिए ₹ 3.18 करोड़ (गत वर्ष - ₹ 4.32 करोड़ "गैर महत्वपूर्ण" जोखिम संवर्ग हेतु) का प्रावधान उपलब्ध है।

7.4 बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधार सीमा (जीबीएल) के अतिक्रमण के विवरण

(₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का नाम	अतिरिक्त एक्सपोजर	कुल उच्चतम एक्सपोजर	अतिरिक्त एक्सपोजर का प्रतिशत	कुल एक्सपोजर का प्रतिशत
-----	-----	शून्य	-----	-----

7.5 बेजमानती अग्रिम

कुल बेजमानती अग्रिमों में से, अधिकार, लाइसेन्स, अथारिटी आदि अगोचर प्रतिभूतियों से रक्षित अग्रिम जहाँ परियोजनाओं के संबंध में इन्हें बैंक के पक्ष में संपार्श्विक के रूप में प्रभारित किया गया है, शून्य है। ऐसे संपार्श्विक अगोचर प्रतिभूतियों का अनुमानित कुल मूल्य 'शून्य' है।

7.6 वर्ष के दौरान आय कर के लिए प्रावधान :

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2018-19
कराधान के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित आय कर)	619.37	-37.74

31.03.2020 को अदा की गई विवादित आयकर मांग ₹ 4129.14 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 4348.52 करोड़) थी। 31.03.2020 तक आकस्मिक देयाताओं की राशि ₹ 4396.00 करोड़ में भी विवादित आयकर मामलों से संबंधित उक्त राशि को शामिल किया गया है (विगत वर्ष में ₹ 5704.41 करोड़)। न्यायिक उद्घोषणाओं तथा बैंकों के स्वयं के मामले में अनुकूल निर्णयों के कारण कथित विवादित मांगों पर कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया।

8 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दण्डों का प्रकटीकरण :

- ए) वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने नोटों की कमियों, गंदे नोटों के प्रेषण में जालसाजी तथा मुद्रा कोष परिचालन द्वारा आईसीसीओएमएस में विलंबित / गलत रिपोर्टिंग / भारिबैंक के दिशा-निर्देशों का अननुपालन के लिए ₹ 16.82 लाख (155 प्रविष्टियाँ) (पिछले 2018-19 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 9.07 लाख 114 प्रविष्टियाँ) की राशि का दंड लगाया गया।
- बी) धोखाधड़ी पर भारतीय रिजर्व बैंक मास्टर निदेशों के उल्लंघन के लिए रुपये 50.00 लाख का दंड - पता लगने की तारीख से 21 दिनों के भीतर रिपोर्टिंग। बैंक के प्रस्तुतिकरण में विभिन्न स्रोतों से अभिलेखों को प्राप्त करने, सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामलों के जांच/विश्लेषण के लिए आवश्यक समय पर विचार नहीं किया गया है।
- सी) समाज (सृजन) बचत बैंक खाते खोलते समय भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए रुपये 25.00 लाख का दंड लगाया गया।
- डी) केवाईसी / एएमएल मानदंडों के गैर पालन के लिए रुपये 50.00 लाख का दंड लगाया गया। जहां न तो जोखिम वर्गीकरण किया गया और न ही आवधिक समीक्षा की गई;
- ई) तुलन पत्र के आंकड़ों में स्फीति से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के उल्लंघन के लिए 50.00 लाख रुपये का दंड - तुलन पत्र 2018 की विंडो ड्रेसिंग - ऋण के असंवितरित हिस्से को उधारकर्ताओं के जमा खातों में अंतरण एवं उसे संदर्भ तिथि (मार्च 2018) के तुरंत बाद प्रतिवर्तित किए जाना - जिसमें 898 खातों में रुपये 508.28 करोड़ की राशि शामिल है।

भारत सरकार द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, सीबीआईसी ने 01.01.2018 से 30.06.2019 की अवधि के लिए जीएसटी वसूली के प्रेषण में देरी के लिए दिनांक 25.09.2019 के पत्र द्वारा रुपये 8,63,280 /- का विलंबित दंड ब्याज लगाया गया जिसका भुगतान वेतन एवं लेखा अधिकारी, सीबीआईसी, नई दिल्ली के नाम पर डीडी द्वारा 04.12.2019 को किया गया।

उसी प्रकार 2014-15 से 2016-17 की अवधि के लिए सीमा शुल्क के ऑनलाइन वसूली के विलंबित प्रेषण पर रुपये 9,97,034 /- दंडात्मक ब्याज लगाया गया। दंडात्मक ब्याज की माफी के लिए सीबीआईसी विभाग को विभिन्न अभ्यावेदन दिये गए थे और अंत में दिनांक 04.09.2019 के डिमांड नोटिस के अनुसार, दिनांक 11.10.2019 को वेतन एवं लेखा अधिकारी, सीबीआईसी, नई दिल्ली के नाम पर डीडी द्वारा रुपये 9,97,034 /- का भुगतान किया गया।

भारत सरकार द्वारा 2015 में अप्रैल 1997 से मार्च 2010 की अवधि के लिए पीपीएफ खातों के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा का आयोजन किया गया था। लेखा परीक्षा रिपोर्ट में विलंबित प्रेषण पाये गए और विलंबित दंडात्मक ब्याज रुपये 10,09,856 /- लगाया गया। दंडात्मक ब्याज की माफी के लिए मुख्य लेखा नियंत्रक को विभिन्न अभ्यावेदन किए गए थे, जिन पर विचार नहीं किया गया। दिनांक 10.01.2020 को डिमांड नोटिस प्राप्त होने पर, अंततः भुगतान दिनांक 28.01.2020 को पीएओ(सचिवालय), वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली को किया गया।

8.1 अचल आस्तियाँ

8.1.1 बैंक के परिसर में भूमि शामिल है और इसे पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया गया है। वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने अपने परिसर का पुनर्मूल्यांकन अनुमोदित बाह्य मूल्यांककों द्वारा निर्धारित उचित बाजार मूल्य पर किया। परिसर के पुनर्मूल्यांकन की राशि में ₹ 555.14 करोड़ की वृद्धि हुई है, जिसे पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि खाते में जमा किया गया है। वर्ष 2019-20 के लिए ₹ 110.49 करोड़ का मूल्यहास (विगत वर्ष में ₹ 85.33 करोड़) व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रभारित किया गया और 'पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि खाते' में पुनर्मूल्यांकित अंश पर मूल्यहास ₹ 107.20 करोड़ (विगत वर्ष में ₹81.55 करोड़) का समायोजन 'पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि' खाते से किया गया है। एएस 10 मानक के अनुसार, वर्ष 2019-20 के लिए व्यय के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर मूल्यहास के लिए ₹ 107.20 करोड़ की राशि प्रभारित की गई। इसका समायोजन पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियों के साथ राजस्व आरक्षित निधि खाते में जमा किया गया।

8.1.2 परिसर में ₹ 3.59 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 3.59 करोड़ मूल्य की 4 संपत्तियाँ) मूल्य की 4 संपत्तियाँ हैं जिनका बही मूल्य, मूल्यहास को घटाने के बाद ₹ 48.04 करोड़ (विगत वर्ष ₹49.22 करोड़) है, जिसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया लंबित है।

9. लेखा मानकों (एएस) के अनुसार प्रकटीकरण :
9.1 नकदी प्रवाह विवरण (एएस 3)

मार्च 31, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण		
	31-03-2020 को समाप्त वर्ष	31-03-2019 को समाप्त वर्ष
	(₹ 000 में)	(₹ 000 में)
लाभ व हानि खाते के अनुसार निवल लाभ	7533582	3219521
निम्नलिखित हेतु समायोजन :		
प्रावधान व आकस्मिकताएं	57446829	45586640
मूल्यहास	3136306	2589655
जमीन और इमारतों की बिक्री पर हानि / (लाभ)	(7339)	15110
भुगतान किए गए आय कर	(7900000)	(6990000)
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों के पूर्व परिचालनगत लाभ	60209379	44420925
परिचालनगत आस्तियों में वृद्धि / कमी		
निवेशों में वृद्धि / (कमी)	(162495137)	64055923
अग्रिमों में वृद्धि / (कमी)	(166250991)	246929839
अन्य आस्तियों में वृद्धि / (कमी)	(18996441)	7274087
	(347742569)	(190148003)
परिचालनगत देयताओं में वृद्धि / कमी		
जमाओं में वृद्धि	181499502	337817251
उधार में वृद्धि / (कमी) (पूँजीगत लिखत के अलावा)	86927667	(86226278)
अन्य देयताओं में वृद्धि / (कमी)	(68240159)	(43182435)
	200187010	208408538
परिचालन (ए) से सृजित निवल नकदी	(87346180)	62681460
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों की खरीद	(2590730)	(2563497)
अचल आस्तियों की बिक्री	118368	79616
निवेश गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (बी)	(2472362)	(2483881)
वित्तपोषण गतिविधियों से कुल नकदी प्रवाह		
लाभांश का भुगतान	0	0
वितरण कर का भुगतान	0	0
उधार में वृद्धि / (कमी) (पूँजीगत लिखत)	0	10000000
शेयर द्वारा प्राप्त पूंजी	28294878	0
वित्तपोषण गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (सी)	28294878	10000000
लेनदेन रिज़र्व पर विदेशी मुद्रा के उतार चढ़ाव का प्रभाव (डी)	566707	728337
नकदी और नकदी समकरणों में निवल वृद्धि / (कमी) (ए) + (बी) + (सी) + (डी)	(60956957)	70925916
वर्ष के प्रारंभ में नकदी व नकदी तुल्य		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित)	10307547	4996962
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष	106711096	100019040
बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	28027	150145
(बी) अन्य जमा खातों में	7114575	6352354
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	22000000	0
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	2036553	1663853
(बी) अन्य जमा खातों में	51684718	16090078
मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	321281	5449
	200203797	129277881

	31-03-2020 को समाप्त वर्ष (₹ 000 में)	31-03-2019 को समाप्त वर्ष (₹ 000 में)
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी तुल्य		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित)	10060885	10307547
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष बैंकों में शेष	47300358	106711096
(ए) चालू खातों में	53506	28027
(बी) अन्य जमा खातों में	7133657	7114575
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	21000001	22000000
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	5309257	2036553
(बी) अन्य जमा खातों में	48302644	51684718
मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	86532	321281
	139246840	200203797

9.2 परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर (एएस – 10)

लेखाकरण मानक (एएस-10) में हुए परिवर्तन के अनुपालन में वर्ष के दौरान अचल आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित अंश पर मूल्यहास को लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया गया है जबकि विगत वित्तीय वर्षों के दौरान इन्हें पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि के विरुद्ध किया गया था। इसके परिणामस्वरूप व्यय में रूपए 107.20 करोड़ की वृद्धि हुई और निवल लाभ में रूपए 107.20 करोड़ की घटौती हुई।

9.3 स्टाफ को लाभ (एएस 15)

9.3.1 परिभाषित अंशदान योजनाएँ :

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुननेवालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ने ₹ 0.56 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.70 करोड़) का अंशदान दिया है।

नई पेंशन योजना (एनपीएस) उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी बैंक में भर्ती 01.04.2010 के बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व-निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, बैंक ने ₹ 58.41 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 49.71 करोड़) का अंशदान दिया है।

9.3.2 परिभाषित लाभ योजनाएं:

लेखा मानक-15 (संशोधित) के अनुसरण में अपेक्षित लाभ एवं हानि लेखा और तुलन पत्र में मान्यता दिए गए नियोजनोत्तर लाभ और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की संक्षेप में स्थिति निम्नानुसार है :-

निम्न तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार परिभाषित लाभ पेंशन योजना और उपदान योजना का आधार निर्धारित करता है।

I. मूल बीमांकक अनुमान (भारित औसतों के रूप में व्यक्त)	31.03.2020	31.03.2019
बट्टे की दर-जी सेक रेट	पेंशन के लिए 6.89% - 15 वर्ष जी-सेक पेपर उपदान के लिए 6.82% - 10 वर्ष जी-सेक पेपर	पेंशन के लिए 7.79%-15 वर्ष जी-सेक पेपर उपदान के लिए 7.47%-10 वर्ष जी-सेक पेपर
वेतन बढ़ोत्तरी की दर	6.00% (वेतन संशोधन हेतु 0.50% सहित)	6.00% (वेतन संशोधन हेतु 0.50% सहित)
पदत्याग की दर	पेंशन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%	पेंशन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर*	8.05% पेंशन के लिए और 7.74% उपदान के लिए	8.26% पेंशन के लिए और 8.23% उपदान के लिए
प्रयुक्त तरीका	परियोजना इकाई जमा (पीयूसी) बीमांकिक तरीका	

* योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर, छुट्टी भुनाई पर लागू नहीं होगी।

भविष्य में होनेवाली वेतन बढ़ोत्तरी का आकलन, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और नियोजन बाज़ार में आपूर्ति और मांग जैसे संगत तत्वों को हिसाब में लेते हुए और आईबीए द्वारा संसूचित अधिवर्षिता योजनाओं के निधीयन के दिशानिर्देश के अनुरूप किया जाता है। इस तरह के अनुमान बहुत दीर्घकालिक हैं और सीमित अतीत के अनुभव / तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबे समय में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है।

छुट्टी भुनाई की देयताएँ गैर-निधिक होते हैं।

(₹ करोड़ में)

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन – प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	6520.32	6245.89	923.85	964.99	188.20	179.51
ब्याज लागत	425.49	462.66	62.84	66.44	13.93	13.20
वर्तमान सेवा लागत	96.47	89.58	46.30	41.29	20.03	22.40
विगत सेवा लागत – पहचानी गई / निहित लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – न पहचानी गई / अनिहित लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	-689.59	-613.46	-165.24	-150.98	-17.77	-19.32
बाध्यता पर बीमाकिक हानि / (लाभ) (संतुलन आंकड़ा)	449.26	335.65	61.23	2.11	5.90	-7.58
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	6801.95	6520.32	928.98	923.85	210.29	188.21

(₹ करोड़ में)

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	6418.93	6146.80	910.66	932.55	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	508.32	496.59	64.46	71.94	0.00	0.00
अंशदान	446.42	397.58	69.64	57.53	17.77	19.32
प्रदत्त लाभ	-689.59	-613.46	-165.24	-150.98	-17.77	-19.32
योजना आस्तियों पर बीमाकिक लाभ / (हानि)(संतुलन आंकड़ा)	13.33	-8.58	16.88	-0.38	0.00	0.00
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	6697.41	6418.93	896.40	910.66	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	508.32	496.59	64.46	71.94	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर बीमाकिक लाभ/(हानि)	13.33	-8.58	16.88	-0.38	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	521.65	488.01	81.34	71.56	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

V. पहचाना गया बीमाकिक लाभ/हानि	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
वर्ष के लिए बीमाकिक लाभ/(हानि) – बाध्यता	-449.25	-335.65	-24.74	-2.11	5.90	7.58
वर्ष के लिए बीमाकिक लाभ/(हानि) – डीबीओ में वित्तीय धारणा में बदलाव के कारण	0.00	0.00	-36.48	0.00	0.00	0.00
वर्ष के लिए बीमाकिक लाभ/(हानि)—योजना आस्तियां	13.32	-8.58	16.88	-0.38	0.00	0.00
वर्ष के लिए कुल (लाभ) / हानि	-435.93	-344.23	-44.34	-2.49	5.90	7.58
वर्ष के दौरान पहचाने गए बीमाकिक (लाभ)/हानि	-435.93	-344.23	-44.34	-2.49	5.90	7.58
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमाकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40

(₹ करोड़ में)

VI. तुलन पत्र में पहचानी गयी राशियां और संबंधित विश्लेषण	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	6801.96	6520.32	928.98	923.85	210.29	188.21
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	6697.41	6418.93	896.40	910.66	0.00	0.00
अन्तर – निवल (देयता)/तुलन पत्र में पहचानी गई आस्ति	-104.55	-101.39	-32.58	-13.19	-210.29	-188.21
पहचान न की गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पहचान न की गयी विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तुलन पत्र में पहचानी गयी देयता	-104.55	-101.39	-32.58	-13.19	-210.29	-188.21

(₹ करोड़ में)

VII. लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
वर्तमान सेवा लागत	96.47	89.58	46.31	41.29	20.03	22.40
ब्याज लागत	425.49	462.66	62.84	66.44	13.93	13.20
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	-508.32	-496.58	-65.44	-71.94	0.00	0.00
निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि जो इस वर्ष में पहचानी गयी है	435.93	344.23	58.51	2.49	5.90	-7.58
इस वर्ष में पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचानी गई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	449.57	399.89	102.22	38.28	39.86	28.02

(₹ करोड़ में)

VIII. तुलन पत्र में पहचानी गयी देयताओं में परिवर्तन	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
निवल देयता का आरंभिक शेष	-101.39	-99.08	-13.19	-32.43	-188.21	-179.51
उपर्युक्तानुसार व्यय	-449.58	-399.89	-89.02	-38.28	-39.86	-28.02
प्रदत्त अंशदान	446.42	397.58	69.64	57.53	17.77	19.32
निवल देयता का अंत शेष	-104.55	-101.39	-32.58	-13.19	-210.30	-188.21

(₹ करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों/देयताओं पर अनुभव समायोजन (i) पिछले वर्ष 2015-20 – पेंशनको समाप्त वर्ष					
	31-03-2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	5306.22	5608.14	5925.15	6245.89	6520.32	6801.96
योजना आस्तियां	5215.05	5508.95	5841.36	6146.80	6418.93	6697.41
अधिशेष (घाटा)	-91.17	-99.19	-83.79	-99.09	-101.39	-104.55
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि/लाभ)	-305.93	-384.40	-626.82	-704.39	-335.65	449.25
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि/लाभ)	13.13	-7.61	27.73	10.93	-8.58	13.32

(₹ करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों / देयताओं पर अनुभव समायोजन (ii) पिछले वर्ष 2015-20 – उपदानको समाप्त वर्ष					
	31-03-2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	844.78	831.94	900.90	964.99	923.85	928.98
योजना आस्तियां	835.47	829.38	876.81	932.55	910.66	896.40
अधिशेष (घाटा)	-9.31	-2.56	-24.09	-32.44	-13.19	-32.58
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि/लाभ)	21.09	-24.20	-87.34	-36.20	-2.11	61.22
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि/लाभ)	10.61	-1.66	-1.36	22.12	-0.38	3.69

(₹ करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों / देयताओं पर अनुभव समायोजन (iii) पिछले वर्ष 2015-20 – छुट्टी मुनाईको समाप्त वर्ष					
	31-03-2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	154.58	161.63	171.21	179.51	188.21	210.29
योजना आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अधिशेष (घाटा)	-154.58	-161.63	-171.21	-179.51	-188.21	-210.29
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि/लाभ)	-8.15	-100.37	-3.01	10.18	7.58	17.71
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि/लाभ)	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

X. योजना आस्तियों के मुख्य संवर्ग (कुल योजना आस्तियों के प्रतिशत में)	2019-2020		2018-2019	
	पेंशन निधि	उपदान निधि	पेंशन निधि	उपदान निधि
भारत सरकार प्रतिभूतियाँ और राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	55.00%	0.00%	63.00%	0.00%
उच्च गुणवत्तावाले कार्पोरेट बांड / पीएसयु बांड	40.00%	0.00%		
विशेष जमा योजना	1.00%	-	-	-
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ	4.00%	100.00%	37.00%	100.00%
निजी क्षेत्र के बॉण्ड	-	-	-	-
मनी मार्केट	-	-	-	-
कुल	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

(₹ करोड़ में)

XI. अगले वर्ष के दौरान अंशदान **	पेंशन निधि	उपदान राशि	अर्जित छुट्टी
अगले वर्ष के दौरान अंशदान पर उद्यम का सर्वोच्च अनुमान	1000	400	200

**इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक के विलय के कारण अनुमान में वृद्धि हुई है।

9.3.3 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों के लिए ₹3.71 करोड़ की राशि (गत वर्ष ₹ 2.19 करोड़) का प्रावधान किया गया है तथा इसे लाभ एवं हानि लेखे में "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" शीर्ष के तहत शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों हेतु बनाए गए प्रावधान / (अवलिखित) अतिरिक्त प्रावधानों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ	31.03.2020	31.03.2019
1	बीमारी छुट्टी	1.44	1.81
2	आकस्मिक छुट्टी	0.12	0.02
3	छुट्टी यात्रा रियायत	2.15	0.36
	कुल	3.71	2.19

सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ	01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	2019-20 का व्यय	2019-20 में वृद्धि	31.03.2020 को अंतिम शेष
1	बीमारी छुट्टी	5.94	0	1.44	7.38
2	आकस्मिक छुट्टी	0.59	0	0.12	0.71
3	छुट्टी यात्रा रियायत	4.63	13.59	15.74	6.78
	कुल	11.16	13.59	17.30	14.87

नोट:

शामिल प्रकटीकरण, बीमांकक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की सीमा तक सीमित है।

9.4 खंड परिणाम (एस 17)

(₹ करोड़ में)

भाग ए व्यापार खण्ड	ट्रेशरी		कार्पोरेट/थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
राजस्व	6360.25	5439.37	8257.78	7334.63	9532.64	8087.58	271.11	202.27	24 421.78	21 063.70
परिणाम	2092.05	1552.29	1824.77	1552.19	2072.26	1627.37	216.16	144.91	6205.24	4876.78
अनाबंटित व्यय									5128.16	4596.40
परिचालनगत लाभ									1372.73	284.21
अल्प संख्यक के हित									0.00	0.00
अन्य गैर आबंटनीय आय									295.65	3.84
आयकर									(619.37)	37.74
अपवाद स्वरूप मदें									0.00	0.00
निवल लाभ									753.36	321.95
अन्य जानकारी										
खण्डीय आस्तियां	91370.17	76752.91	104502.35	95302.07	117426.74	109944.91	0.00	0.00	313299.26	281999.89
अनाबंटित आस्तियां									(3831.09)	(1934.62)
कुल आस्तियां									309468.17	280065.27
खण्डीय देयताएं	82590.87	68165.37	91493.87	88084.96	103057.81	101796.48	0.00	0.00	277142.55	258046.81
अनाबंटित देयताएं									10236.35	2629.77
पूंजी, आरक्षितियाँ और अधिशेष									22089.27	19388.69
कुल देयताएं									309468.17	280065.27

भाग बी – भौगोलिक खण्ड						
	देशी		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
राजस्व	24269.13	20640.51	448.30	427.19	24717.43	21067.70
आस्तियां	299875.18	269464.45	9592.99	10600.82	309468.17	280065.27

जहां प्रत्यक्ष आबंटन संभव नहीं है, खण्डीय राजस्व एवं व्ययों को खण्डीय आस्तियों के आधार पर प्रभाजित किया गया है। जहाँ आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनर्समूहित किया गया।

9.5 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (ए एस 18)

संबद्ध पक्षों के नाम तथा बैंक के साथ उनके संबंध

ए) अनुषंगियां:

- i. इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड
- ii. इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

बी) सहयोगी: (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)

- i. तमिलनाडू ग्राम बैंक
- ii. सप्तगिरि ग्रामीण बैंक
- iii. पुदुचे भारतियार ग्राम बैंक

सी) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

सुश्री पद्मजा चुन्दूरु	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (21.09.2018 के प्रभाव से)
श्री एम के भट्टाचार्य	कार्यपालक निदेशक (18.02.2017 के प्रभाव से)
श्री शेणॉय विश्वनाथ वी	कार्यपालक निदेशक (01.12.2018 के प्रभाव से)

डी. गैर कार्यपालक निदेशकों की शेर धारिता :

क्रमांक	गैर कार्यपालक निदेशक का नाम	धारित ईक्विटी शेयरों की संख्या
1.	श्री विनोद कुमार नागर	107
2.	श्री भरत कृष्ण शंकर	200
	कुल	307

संबंधित पार्टी लेनदेन निम्नलिखित है :

ए. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को वर्ष के दौरान 98.16 लाख रुपये पारिश्रमिक का भुगतान किया गया (गत वर्ष 81.99 लाख रुपए)

	2019-20	2018-19
श्री सुब्रमणिय कुमार प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक	₹2.00 लाख	₹11.45 लाख
सुश्री पद्मजा चुन्दूरु प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2019 से 31.03.2020)	₹31.70 लाख	₹17.11 लाख
श्री ए एस राजीव, का नि प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2018 से 30.11.2018)	₹2.66 लाख	₹18.54 लाख
श्री एम के भट्टाचार्य, का नि प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2019 से 31.03.2020)	₹28.52 लाख	₹26.32 लाख
श्री शेणॉय विश्वनाथ वी, का नि प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2019 से 31.03.2020)	₹27.28 लाख	₹8.57 लाख
श्री महेश कुमार जैन, प्रनि एवं मुकाअ प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2017 से 03.04.2017)	₹6.00 लाख	₹ शून्य

पार्टियां, जिनके साथ वर्ष के दौरान लेनदेन दर्ज किए गए थे

संबंधित पक्षों के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है, जो लेखांकन मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार "राज्य-नियंत्रित उद्यम" हैं। इसके अलावा, एएस 18 के अनुच्छेद 5 के संदर्भ में, लेन-देन बैंकर-ग्राहक संबंध प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के रिश्तेदारों के साथ शामिल नहीं किए गए हैं।

9.6 पट्टे (एएस 19)

ए. पट्टे / किराए आधार पर ली गई परिसंपत्तियों के संबंध में, बैंक के विकल्प के अनुसार उन्हें नवीकृत / रद्द किया जा सकता है।

बी. बैंक द्वारा किए गए पट्टे करार, आपस में सहमत अवधि के लिए हैं जिसमें लिखित रूप से सहमत कैलण्डर महीनों की नोटिस देने के जरिए पट्टे की अवधि के दौरान भी उसे समाप्त किया जा सकता है।

सी. परिचालनगत पट्टों के लिए प्रदत्त पट्टा किराए को, जिस वर्ष से संबंधित है, उसी वर्ष में लाभ एवं हानि लेखे में व्यय के रूप में पहचाना जाता है। वर्तमान वर्ष के दौरान पहचाना गया पट्टा किराया 225.85 करोड़ रुपए हैं। (विगत वर्ष – 214.63 करोड़ रुपए)।

डी. वित्त पट्टा

वित्त पट्टे पर प्राप्त आस्ति में भूमि और भवन शामिल हैं। पट्टों की एक प्राथमिक अवधि होती है, जो निश्चित और गैर-रद्द होती है। बैंक के पास द्वितीयक अवधि के लिए पट्टे को नवीनीकृत करने का विकल्प है।

वित्त पट्टा के तहत आवश्यक आस्तियों के संबंध में न्यूनतम पट्टे के किराये और न्यूनतम पट्टे के भुगतान का वर्तमान मूल्य निम्नानुसार हैं

विवरण	न्यूनतम पट्टा किराया		न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	
	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
1 वर्ष पूर्व देय	0	0	0	0
1 वर्ष के बाद और 5 वर्ष पूर्व देय	0	0	0	0
5 वर्ष बाद देय	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0
कम : भविष्य वित्त प्रभार				
न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	0	0	0	0

9.7 प्रति शेयर अर्जन (एस 20)

विवरण	2019-20	2018-19
ईक्विटी शेयर धारकों हेतु उपलब्ध कर के पश्चात निवल लाभ (रुपए करोड़ में)	753.36	321.95
ईक्विटी शेयरों की संख्या	608800580	480291651
ईक्विटी शेयरों की भारत संख्या	608800580	480291651
प्रति शेयर मूल अर्जन	₹ 14.33	₹ 6.70
कम की गई आय प्रति शेयर आय	₹ 14.33	₹ 6.70
प्रति ईक्विटी शेयर अंकित मूल्य	₹ 10.00	₹ 10.00

नोट : वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक के बोर्ड ने 31.03.2021 तक कई खाइयों में अधिकतम 25% की छूट के साथ कर्मचारियों को 4 करोड़ इक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए अनुमोदन दिया है। इस निर्गम के लिए सेबी / स्टॉक एक्सचेंजों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

9.8 आय पर करों के लिए लेखाकरण (एस 22)

डीटीए (अस्थगित कर आस्तियाँ) / डीटीएल (अस्थगित कर देयताएँ) के मुख्य संघटक निम्न प्रकार हैं :

(₹ करोड़ में)

संघटक	31.03.2020	31.03.2019
आस्थगित कर आस्तियाँ		
1. भुगतान/क्रिस्टलाइजेशन पर अनुमेय देयताओं का प्रावधान	67.70	81.05
2. एफसीटीआर (विदेशी मुद्रा लेनदेन रिजर्व)	109.15	131.75
3. अप्रयुक्त अवकाश के लिए प्रावधान	0	0
4. उपदान के लिए प्रावधान	0.12	0.21
5. अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	1006.58	938.55
6. पुनर्संचित आस्तियाँ, एक्युआर, एस4ए, दबावग्रस्त आस्तियों के लिए प्रावधान	70.66	102.88
7. स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	73.87	65.02
8. प्रधान कार्यालय व्यय के लिए प्रावधान	0.18	0.00
कुल-डीटीए	1328.26	1319.46
आस्थगित कर देयताएँ		
1. स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	38.51	52.87
2. बट्टे खाते लिखे गये खातों हेतु प्रावधान	363.15	504.21
3. स्टाफ कल्याण प्रतिपूर्ति	4.11	5.71
4. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(i)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षण	178.29	247.54
कुल - डीटीएल	584.07	810.33
निवल डीटीए / (डीटीएल)	744.20	509.13

10.1 प्रावधान और आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

	लाभ एवं हानि लेखे में व्यय शीर्ष के तहत दिखाए गए "प्रावधान और आकस्मिकताओं" का ब्रेकअप	2019-20	2018-19
i)	निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	391.30	1035.18
ii)	एनपीए के लिए प्रावधान	4335.84	3615.90
iii)	आयकर के लिए प्रावधान	619.37	-37.74
iv)	अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्यय विवरण सहित	398.17	-54.68
	विवरण	2018-19	2017-18
	1. मानक अग्रिम	142.94	-5.93
	2. पुनः संरचित अग्रिम	-47.75	-46.59
	3. अन्य	302.98	-2.16
	कुल	5744.68	4558.66

10.2 चल प्रावधान :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
ए. चल प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	46.76	46.76
बी. लेखांकन वर्ष के दौरान किये गये चल प्रावधान	0.00	0.00
सी. लेखांकन वर्ष के दौरान इसमें की गयी कमी	0.00	0.00
डी. चल प्रावधान खाते में अंतिम शेष	46.76	46.76

10.3 आरक्षितियों में की गयी कमी :

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	आरक्षितियां	आहरित राशि		उद्देश्य
1	पुनर्मूल्यन रिजर्व	2019-20	2018-19	
		107.20	81.55	परिसर में पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यह्रास *

* वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एएस-10 मानकों के प्रावधानों के अनुसार राशि को राजस्व रिजर्व खाते में जमा किया गया।

10.4 ग्राहक शिकायतें
ए. ग्राहक शिकायतें

		2019-20	2018-19
ए.	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की सं.	87	275
बी.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	17496	39802
सी.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	17388	39990
डी.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	195	87

बी. क्रेडिट कार्ड

		2019-20	2018-19
ए.	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की सं.	07	23
बी.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	949	1295
सी.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	953	1311
डी.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	03	07

सी. एटीएम शिकायतें

		कुल	जिसमें से अक्वायरर	कुल	जिसमें से अक्वायरर
		2019-20		2018-19	
ए.	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की सं.	4540	639	2647	609
बी.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	311951	26876	275907	56255
सी.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	314150	27176	274014	56225
डी.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	2341	339	4540	639

डी. ई-बैंकिंग शिकायतें**

	चालू वर्ष 2019-20	पिछले वर्ष 2018-19
ए. तिमाही की शुरुआत में लंबित शिकायतों की सं.	859	0
बी. तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	99032	27681
सी. तिमाही के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	86254	26822
डी. तिमाही के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	13637	859

** यह पोर्टल विशेष रूप से डिजिटल चैनल की शिकायतों के लिए खोला गया है, जो कि 01.07.2018 से प्रभावी है।

10.4.1 बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित और बैंक के द्वारा कार्यान्वित किए गए अधिनिर्णय निम्नानुसार हैं :

	2019-20	2018-19
ए. वर्ष की शुरुआत में अकार्यान्वित अधिनिर्णय	शून्य	शून्य
बी. वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अधिनिर्णय	शून्य	शून्य
सी. वर्ष के दौरान कार्यान्वित किए गए अधिनिर्णय	शून्य	शून्य
डी. वर्ष के अंत में अकार्यान्वित अधिनिर्णय	शून्य	शून्य

10.4.2 पूर्व तिमाहियों की तुलना में, 31.03.2020 को समाप्त तिमाही में प्राप्त ग्राहक शिकायतों का वर्गीकरण

क्र.सं	वर्गीकरण	को समाप्त तिमाही में प्राप्त शिकायतें									
		31.03.2019		30.06.2019		30.09.2019		31.12.2019		31.03.2020	
		सं	%	सं	%	सं	%	सं	%	सं	%
1	अग्रिम	187	1.7	141	2.6	237	4.8	173	5.6	205	5.2
2	एटीएम	1955	17.8	1277	22.9	1249	25.3	656	21.4	1061	26.8
3	क्रेडिट कार्ड	31	0.3	11	0.2	20	0.4	24	0.8	51	1.3
4	ग्राहक सेवा	368	3.3	182	3.3	199	4.0	169	5.5	256	6.5
5	डीमैट	0	0.00	1	0.1	2	0.1	7	0.2	18	0.4
6	जमा	395	3.6	283	5.2	363	7.4	328	10.7	390	9.8
7	सामान्य बैंकिंग	344	3.1	266	4.7	238	4.8	163	5.3	201	5.2
8	सरकारी योजनाएं	29	0.2	18	0.3	29	0.6	14	0.5	53	1.3
9	विविध	787	7.2	522	9.4	501	10.2	248	8.1	341	8.6
10	एनआरआई सेवाएं	1	0.1	4	0.1	3	0.1	2	0.1	9	0.2
11	प्रेषण	296	2.7	163	2.9	175	3.6	111	3.6	189	4.9
12	प्रौद्योगिकी	6579	60.0	2685	48.3	1907	38.7	1174	38.2	1177	29.8
	कुल	10972	100	5553	100	4923	100	3069	100	3951	100

10.5 बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र :

31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, भारत में स्थित शाखाओं ने आयात के वित्तपोषण के लिए कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है। 31.03.2020 को बकाया शून्य है। अतः बकाया एलओसी / एलओयू पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

31.03.2020 को समाप्त वर्ष के दौरान, हमारी विदेशी शाखाओं (सिंगापुर और कोलंबो) द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र शून्य है तथा 31.03.2020 को बकाया शून्य है।

बैंक द्वारा सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकारी को दिये गये उत्तरदायित्व पत्र को ध्यान में रखते हुए बैंक अपनी सिंगापुर शाखा के साथ यूएसडी 43.00 एमआईओ (आईएनआर 325.36 करोड़ के समतुल्य राशि) की जमाएँ अनुरक्षित करना जारी रखा है ताकि शाखा की न्यूनतम निवल समायोजित पूँजी निधि आवश्यकताओं का भुगतान किया जा सके।

हमने सीबीएसएल की अनिवार्य आवश्यकता के अनुसार श्रीलंका स्थित शाखाओं के लिए श्रीलंका के केंद्रीय बैंक (सीबीएसएल) के पक्ष में एलओयू जारी किया है। हमें एलओयू जारी होने के कारण निकट भविष्य में किसी भी वित्तीय प्रभाव का अनुमान नहीं है।

10.6 प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)

गैर निष्पादक ऋण प्रावधान कवरेज अनुपात 73.05% (पिछले वर्ष 65.72%) रहा।

10.7 बैंक एश्यूरेन्स कारोबार

वर्तमान वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न बैंक एश्यूरेन्स उत्पादों की बिक्री / विपणन से रुपए 20.44 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है (पिछले वर्ष रुपए 16.92 करोड़)

(₹ करोड़ में)			
क्रम सं.	आय का स्वरूप	2019-20	2018-19
1	जीवन बीमा पालिसी की बिक्री के लिए	8.88	5.79
2	गैर जीवन बीमा पालिसी की बिक्री के लिए	11.43	10.78
3	अन्य – म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री के लिए	0.15	0.35
	कुल	20.44	16.92

10.8 ग्रामीण विकास हेतु इंडियन बैंक ट्रस्ट

22.09.2008 को बैंक द्वारा ग्रामीण विकास हेतु इंडियन बैंक ट्रस्ट स्थापित किया गया है जो ग्रामीण विकास पर अनन्य रूप से केन्द्रित ध्यान देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में समुदाय की सहायता करने में लगी हुई अन्य विभिन्न संस्थाओं / अभिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करेगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, इस न्यास के अधीन इंडियन बैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (इंडसेटी) की स्थापना, बारह केंद्रों में की गयी है (आंध्रप्रदेश में) चित्तूर, पुदुच्चेरी (पुदुच्चेरी संघशासित क्षेत्र में), कडलूर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, कृष्णागिरि, नामक्कल, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लूर, वेल्लूर और विळुप्पुरम (तमिलनाडु में) जो ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को कौशल उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा जिससे वे स्वरोजगार बन सकें / रोजगार पाने में सक्षम होंगे। ट्रस्ट के तहत 19 स्थानों यथा चित्तूर, मचलीपटनम (आंध्र प्रदेश में), कोल्लम, चदयमंगलम, पारस्साला (केरल में), पुदुच्चेरी (पुदुच्चेरी संघशासित क्षेत्र में), कडलूर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, कृष्णागिरि, नामक्कल, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लूर, वेल्लूर, विल्लुपुरम (तमिलनाडु) में भी वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफएलसी) स्थापित किए गए हैं एवं बैंक को वित्तीय समावेशन परियोजना में आम जनता को सहायता दिलाने के उद्देश्य से उन्हें वित्तीय साक्षरता व काउंसिलिंग सेवाएँ प्रदान करने हेतु चेन्नै, दिल्ली और मुंबई में शहरी एफएलसी की स्थापना की गई है।

ट्रस्ट की खाता बहियों की लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से करने हेतु ट्रस्ट द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार द्वारा की जाती है।

वर्ष 2019-20* के लिए आईबीटीआरडी का अंतिम आय व व्यय

प्राप्तियों के विवरण	राशि ₹ में
बैंक से प्राप्त अंशदान	26500000.00
बैंक से प्राप्त बिलिडिंग निधि	2000000.00
अर्जित बैंक ब्याज	5070188.00
विभिन्न अभिकरणों से प्राप्त प्रशिक्षण लागत की प्रतिपूर्ति	18137982.00
मार्च 2019 में अग्रिम भुगतान के लिए इंडसेटी द्वारा लिए गए राशि का अव्ययित राशि को इंडसेटी द्वारा 30.04.2019 एवं 10.04.2019 पुनः जमा किया गया	969412.00
कुल आय	52677582.00
व्यय के विवरण	
वर्ष के दौरान व्यय	48737054.00
भुगतान की तुलना में प्राप्तियों की अधिकता	3940528.00
अंतिम शेष	
31.03.2020 को बैंक शेष (31.03.2020 को बैंक से प्राप्त बिलिडिंग निधि रुपये 20 लाख सहित)	9864134.00
मियादी जमाएँ	112000000.00
मूल निधि	86000000.00
बिलिडिंग निधि	26000000.00

* ट्रस्ट की अंतिम लेखापरीक्षा के बाद आंकड़े बदल सकते हैं

10.9 जमाएँ अग्रिम, ऋण तथा एनपीए का संकेन्द्रण (बैंक द्वारा यथा समकित)
10.9.1 जमाओं का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएँ (सिर्फ देशी)	21720.38	25544.24
बैंक की कुल विवरण की तुलना में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत	8.60 %	10.86%

10.9.2 अग्रिमों का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम	27031.80	22841.02
बैंक की कुल अग्रिमों की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	13.13%	11.00%

10.9.3 एक्सपोजरों का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों का कुल एक्सपोजर	34923.40	31501.36
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों का एक्सपोजर का प्रतिशत	11.96%	12.09%

10.9.4 एनपीए का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2018-19
सबसे बड़े चार एनपीए खातों का कुल एक्सपोजर	2869.17	2273.25

10.10 सेक्टर वार अग्रिम

(₹ करोड़ में)

क्र. संख्या	सेक्टर	2019-20			2018-19		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	सेक्टर में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	सेक्टर में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत
ए	प्राथमिकता क्षेत्र						
1.	कृषि व सहबद्ध कार्यकलाप	44869.06	1083.67	2.42	40050.12	885.99	2.21
2.	उद्योग क्षेत्र के अग्रिम जोकि प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण श्रेणी के पात्र हैं	11805.40	1368.11	11.59	10903.39	1055.31	9.68
3.	सेवाएँ	25570.39	1186.75	4.64	19098.41	830.51	4.35
4.	वैयक्तिक ऋण	13203.29	691.22	5.24	10017.28	657.15	6.56
	पूर्ण योग(ए)	95448.14	4329.75	4.54	80069.20	3428.96	4.28
बी	गैर-प्राथमिक क्षेत्र						
1.	कृषि व सहबद्ध कार्यकलाप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	उद्योग क्षेत्र	97945.82	9597.84	9.80	96848.11	9738.26	10.06
3.	सेवाएँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	वैयक्तिक ऋण	12495.77	223.25	1.79	10978.75	186.23	1.70
	पूर्ण योग(बी)	110441.59	9821.09	8.89	107826.86	9924.49	9.21
	कुल(ए+बी)	205889.73	14150.84	6.87	187896.06	13353.45	7.11

10.11 एनपीए में परिवर्तन / तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालना
10.11.1 एनपीए में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
01 अप्रैल 2019 को सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)	13353.45	11990.14
वर्ष के दौरान जोड़ (नए एनपीए)	5320.50	6444.96
उप-कुल (ए)	18673.95	18435.10
घटाएँ :		
(I) उन्नयन	308.82	441.19
(ii) एआरसी को आंबटित राशि	0.00	359.20
(iii) वसूलियाँ (उन्नयन किए गए खातों से वसूली गयी राशियों को छोड़कर)	1182.68	1407.43
(iv) तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते डाले गए खाते	2572.71	2352.74
(iv) उपर्युक्त के अलावा बट्टा खाते में डाले गए	458.90	521.09
उप-कुल (बी)	4523.11	5081.65
31 मार्च 2020 को सकल एनपीए (अंशेष ए-बी)	14150.84	13353.45

10.11.2 तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते डालना

विवरण	2019-20	2018-19
अप्रैल 01, 2019 से तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाले गये खातों का प्रारंभिक शेष	6463.84	4687.32
जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाले गये खाते	2572.71	2352.74
उप-कुल (ए)	9036.35	7040.06
घटाएँ : वर्ष के दौरान पिछले वर्षों में तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाले गये खातों से की गई वसूली (बी)	238.77	576.22
31 मार्च, 2020 को अंत शेष (ए - बी)	8797.58	6463.84

10.11.3 भारिबैंक द्वारा की गयी आस्ति गुणवत्ता की समीक्षा (एक्यूआर) के अनुरूप, बैंक ने वर्ष के दौरान भारिबैंक द्वारा सूचित कुछ खातों पर अतिरिक्त प्रावधान उपलब्ध कराया है : शून्य

10.11.4 ओवरसीज़ आस्तियाँ, एनपीए और राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
कुल आस्तियाँ	9592.99	10600.82
कुल एनपीए	1039.99	616.50
सकल एनपीए	586.41	197.35
निवल एनपीए	352.57	88.47
कुल राजस्व	131.14	159.93

10.12 तुलनपत्र के बाहर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखाकरण मानदण्डों के अनुसार समेकित किया है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशी	ओवरसीज़
शून्य	शून्य

10.13 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण : शून्य
10.14 ऋण डिफॉल्ट स्वेप : शून्य
10.15 इक्विटी

लेखा परीक्षक के विगत वर्ष के अवलोकनानुसार, राजकोष शाखा ने रु. 10/- प्रति शेयर के अंकित मूल्य के साथ मेसर्स इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड के 26,31,591 शेयरों को प्राप्त किया है और वित्तीय वर्ष 2019-20 में इसे दिखाया गया है।

10.16 इंट्रा समूह प्रकटीकरण :

	2019-20	2018-19
इंट्रा समूह ऋणों की कुल राशि	985.25	586.38
सर्वोच्च 20 इंट्रा समूह ऋणों की कुल राशि	985.25	586.38
उधारकर्ताओं / ग्राहकों को बैंक द्वारा प्रदत्त कुल ऋणों में से इंट्रा समूह ऋणों का प्रतिशत	0.34%	0.22%
इंट्रा समूह ऋणों में उच्चतम सीमा के अतिक्रमण और उसपर विनियामक कार्रवाई, यदि हो।	शून्य	शून्य

10.17 आकस्मिक देयताओं में एक खाता – मेसर्स निम्बस कम्यूनिकेशन्स लि. शामिल है। सहभागिता संघ के बैंकों द्वारा बीसीसीआई के पक्ष में गारंटियाँ जारी की गई थीं। बीसीसीआई ने सहभागिता संघ के बैंकों के विरुद्ध गारंटी देयता का दावा करते हुए वाद दायर किया तथा वाद में 400 करोड़ रुपए अदा करने पर प्रतिरक्षा करने की सशर्त हेतु अनुमति दी गई थी तथा इसमें बैंक का हिस्सा 100 करोड़ रुपए हैं। हमारे बैंक का रुपए 100 करोड़ का हिस्सा प्रोथोनोटी और बंबई के माननीय उच्च न्यायालय के सीनियर मास्टर के साथ विप्रेषित किया गया। सम्मरी वाद, बंबई के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है।

बैंक के विरुद्ध बीसीसीआई द्वारा इस दावे के लिए बैंक ने 31.03.2020 को प्रतिभूति के रूप में धारित रुपए 72.31 करोड़ की मार्जिन राशि को लिहाज में लेने के बाद “अन्य आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान” शीर्ष के अंतर्गत 32.44 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

10.18 जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि (डीईएफ) को अंतरण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
01.04.2019 को डीईएफ को अंतरित राशियों का प्रारंभिक शेष	762.84	684.27
जोड़ें : वर्ष 2019-20 के दौरान डीईएफ को अंतरित राशियाँ	130.46	95.98
घटाएं : वर्ष 2019-20 के दौरान डीईएफ द्वारा दावों के लिए प्रतिपूरित राशियाँ	9.15	17.41
31.03.2020 तक डीईएफ को अंतरित राशियों का अंत शेष (1+2+3)	884.15	762.84

10.19 विदेशी मुद्रा ऋण

अपने उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा ऋणों में जोखिम की व्यवस्था के लिए बैंक ने एक नीति निर्धारित की है। जहाँ स्वाभाविक रक्षा (हेज) नहीं है, आयात / निर्यात लेनदेनों के लिए ग्राहकों को वायदा कवर लेने की सलाह दी जाती है। यह वायदा कवर, विनिमय जोखिम के लिए जोखिम शमन के कारक की भूमिका निभायेगा। सुविधाओं को मंजूर करते समय, बैंक यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी मुद्रा में प्रदत्त सभी ऋणों (निधि आधारित और गैर निधि आधारित, जिसमें कम्फर्ट पत्र और वचनबद्धता पत्र शामिल हैं) को वायदा कवर के जरिए कवर किया जाता है। वायदा कवर से छूट प्रदान करने के अनुरोधों पर सिर्फ कॉर्पोरेट कार्यालय के स्तर पर विचार किया जाता है। उधार खातों का पुनरीक्षण करते समय, रक्षित एवं अरक्षित ऋणों को कैप्चर किया जाता है और ऋण प्रस्तावों में इनके प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक ने जनवरी 15, 2014 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र की शर्तों के अनुसार अपने संघटकों को प्रदत्त अरक्षित विदेशी मुद्रा के ऋण के लिए 8.82 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और रुपए 41.07 करोड़ की पूंजी की व्यवस्था की है।

10.20 वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधडियाँ :

बैंक ने वर्ष 2019-20 के दौरान धोखाधडी के 226 मामले, जिनकी राशि 2252.10 करोड़ रुपए है, की रिपोर्ट की है, जो निम्नप्रकार हैं।

धोखाधडी के प्रकार	मामलों की संख्या	राशि करोड़ में
अग्रिम संबंधित	58	2213.39
गैर-अग्रिम संबंधित	168	38.71
कुल	226	2252.10

बैंक ने वर्ष 2019-20 के दौरान गैर-अग्रिम संबंधित धोखाधडी की राशि 38.71 करोड़ रुपये के 168 मामले दर्ज किए हैं।

31.03.2020 तक गैर-अग्रिम से संबंधित 916 धोखाधडी के मामले (समेकित) लंबित हैं, जिनकी राशि रुपए 170.13 करोड़ है तथा इनमें की गयी वसूलियों के बाद बैंक ने इनके विरुद्ध 45.51 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

11. तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर गुणात्मक नोट :

(₹ करोड़ में)	जून तिमाही-1*	2019-20		सितंबर तिमाही-2*	2019-20		दिसंबर तिमाही-3*	2019-20		मार्च तिमाही-4**	2019-20		मार्च तिमाही-4*	2018-19	
		कुल अमांशित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)		कुल अमांशित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)		कुल अमांशित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)		कुल अमांशित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)		कुल अमांशित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ															
1. कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ (एचव्यूएलए)	0.00	45821.10	52479.74	0.00	52479.74	0.00	59351.44	0.00	61929.24	0.00	61929.24	0.00	44051.84		
नकद का बहिर्प्रवाह															
2. खुदरा जमाएं और लघु व्यापार ग्राहकों से प्राप्त जमाएं, जिसमें से :	103721.54	10056.35	10278.02	105855.88	10278.02	109002.99	10572.64	109093.05	10449.53	102063.09	10449.53	102063.09	9916.11		
(i) स्थायी जमाएं	6316.04	315.80	307.57	6151.38	307.57	6553.24	327.66	9195.57	459.78	5804.08	459.78	5804.08	290.20		
(ii) कम स्थायी जमाएं	97405.50	9740.55	9970.45	99704.50	9970.45	102449.75	10244.98	99897.48	9989.75	96259.02	9989.75	96259.02	9625.90		
3 आरक्षित शोक निधीयन जिसमें से	75079.48	34721.81	35773.21	77664.31	35773.21	85015.93	38374.12	83760.87	37031.83	71407.61	37031.83	71407.61	32032.99		
(i) परिचालनगत जमाएं (सभी काउंटर पार्टी)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
(ii) बैंक-परिचालनगत जमाएं (सभी काउंटर पार्टी)	74697.88	34340.22	35466.95	77358.06	35466.95	84926.00	38284.19	83488.30	36759.26	71147.28	36759.26	71147.28	31772.67		
(iii) अरक्षित ऋण	381.60	381.60	306.26	306.26	306.26	89.93	89.93	272.57	272.57	260.33	272.57	260.33	260.33		
4 जमानती शोक निधीयन		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
5 अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से	31242.85	3540.44	3572.73	31338.89	3572.73	33152.92	3187.33	33306.51	3302.79	30801.33	3302.79	30801.33	4058.62		
(i) व्युत्पन्न ऋण और अन्य संपार्श्विक अपेक्षाओं से संबंधित बहिर्प्रवाह	37.82	37.82	79.00	79.00	79.00	43.27	43.27	42.82	42.82	110.06	42.82	110.06	110.06		
(ii) ऋण उत्पादों पर निधीयन में हानियों से संबंधित बहिर्प्रवाह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
(iii) ऋण और तरलता सुविधाएं	31205.03	3502.63	3493.73	31259.89	3493.73	33109.66	3144.06	33263.69	3259.98	30691.27	3259.98	30691.27	3948.56		
6 अन्य संविदागत निधीयन बाधताएं	1173.26	1173.26	1544.16	1544.16	1544.16	1733.70	1733.70	1803.98	1803.98	1971.22	1803.98	1971.22	1971.22		
7 अन्य आकस्मिक निधीयन बाधताएं	19120.92	573.63	563.99	18799.66	563.99	19416.02	582.48	19916.59	597.50	20650.53	597.50	20650.53	619.52		
8 कुल नकदी बहिर्प्रवाह		50065.49	51732.11		51732.11		54450.27		53185.64		53185.64		48598.46		
नकदी आवक प्रवाह															
9 जमानती ऋण (उदा. रिजर्स स्के)	214.93	0.00	0.00	416.59	0.00	507.43	0.00	804.36	0.00	935.44	0.00	935.44	0.00		
10 पूर्णतः निष्पादक ऋणों से आवक नकदी प्रवाह	11344.93	6150.32	5359.66	10106.45	5359.66	10663.50	5835.10	11395.30	6208.36	12892.90	6208.36	12892.90	7134.24		
11 अन्य आवक नकदी प्रवाह	7406.98	7406.98	5512.46	5512.46	5512.46	5543.04	5543.04	5043.28	5043.28	4669.10	5043.28	4669.10	4669.10		
12 कुल आवक नकदी प्रवाह	18966.84	13557.30	10872.11	16035.49	10872.11	16713.96	11378.14	17242.94	11251.64	18497.45	11251.64	18497.45	11803.34		
21 कुल एचव्यूएलए		45821.10	52479.74		52479.74		59351.44		61929.24		61929.24		44051.84		
22 कुल निवल नकदी बहिर्प्रवाह		36508.19	40860.00		40860.00		43072.13		41934.00		41934.00		36795.12		
23 तरलता कवरेज अनुपात (प्रतिशत)		125.51%	128.44%		128.44%		137.80%		147.68%		147.68%		119.72%		

* एलसीआर दैनिक आधार पर आधारित है

तरलता कवरेज अनुपात

11.2 एलसीआर इस प्रकार रचित किया गया है ताकि वह बैंक की तरलता जोखिम प्रोफाइल की अल्पावधि समुत्थान शक्ति को सुदृढ़ बनाये तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि 30 दिन तक रह सकनेवाली तीव्र तनाव की स्थिति से बैंक उभर सके। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 को एलसीआर की न्यूनतम अपेक्षा 100 प्रतिशत है। एलसीआर के आकलन की प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर है।

30 दिन के तनावग्रस्त कैलण्डर अवधि के दौरान अनुमानित निवल बहिर्प्रवाह से उच्च गुणवत्ता वाली भारमुक्त आस्तियों की राशि का भाजन करते हुए एलसीआर का परिकलन किया जाता है। विभिन्न संवर्गों की देयताओं (जमाएं, अरक्षित एवं रक्षित थोक उधार) पर और अनाहरित वचनबद्धताओं और व्युत्पन्न से संबंधित ऋणों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बहिर्प्रवाह के तथ्यों को लगाते हुए और 30 दिनों के अंतर्गत परिपक्व होनेवाली आस्तियों से प्राप्त होनेवाली अंतर्प्रवाहों को आंशिक रूप से समायोजित करने के बाद निवल नकदी बहिर्प्रवाह का परिकलन किया जाता है।

मार्च 31, 2020 को समाप्त तिमाही के दौरान बैंक ने 61929.24 करोड़ रुपए का औसत एचक्युएलए (हेयरकट के बाद) अनुरक्षित किया जबकि 100 प्रतिशत की न्यूनतम एलसीआर की अपेक्षा के लिए औसत तरलता अपेक्षा का स्तर 41934.00 करोड़ रुपए है। प्राथमिक रूप से एचक्युएलए में न्यूनतम सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) से अधिक होनेवाली सरकारी प्रतिभूतियां, मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत अनुमत सीमा और एलसीआर हेतु तरलता का लाभ उठाने की सुविधा (एफएएलएलसीआर) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त भारिबैंक और ओवरसीज़ केन्द्रीय बैंकों के साथ अनुरक्षित नकद प्रारक्षितियों की आवश्यकता से अधिक पडनेवाले नकदी और शेषराशियां, भाग 1 एचक्युएलए का अंश बनेंगी। मार्च 31, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए इंडियन बैंक का दैनिक औसत एलसीआर 147.68 प्रतिशत रहा।

बैंक के एलसीआर के मुख्य आधार, पर्याप्त उच्च गुणवत्तावाली तरल आस्तियां (एचक्युएलए) हैं जिससे सभी समयों में बैंक की तरलता की आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। भारत नकदी बहिर्प्रवाह मुख्य रूप से अरक्षित थोक निधीयन पर आधारित हैं, जिसने कुल भारत नकदी बहिर्प्रवाह का 69.63 प्रतिशत अंश था। लघु व्यापारिक ग्राहकों से प्राप्त जमाएं सहित खुदरा जमाएं, कुल भारत नकदी बहिर्प्रवाह के 19.65 प्रतिशत रहे। अन्य आकस्मिक निधीयन बाध्यताओं में प्राथमिक रूप से बैंक के ग्राहकों की ओर से जारी बैंक गारंटियां (बीजी) और साख पत्र शामिल हैं।

31.03.2020 तक की जमाओं में बैंक की एक प्रमुख काउंटर पार्टि हैं। सबसे बड़े जमाकर्ता ने कुल जमाओं का 1.18 प्रतिशत का अंशदान किया। सर्वोच्च 20 बड़े देशी जमाकर्ताओं का कुल अंशदान, 31.03.2020 को कुल जमाओं का 8.35 प्रतिशत रहा। प्रमुख उत्पाद / लिखतों में बचत जमाएं, चालू जमाएं और सावधि जमाएं शामिल हैं, जो क्रमशः बैंक की कुल देयता का 24.68 प्रतिशत, 4.21 प्रतिशत और 52.64 प्रतिशत बनती हैं। इनसे प्राप्त किये जानेवाला निधीयन व्यापक रूप से फैला है और बैंक को इससे संकेन्द्रण का जोखिम नहीं होगा।

बैंक की तरलता का प्रबंधन आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) द्वारा किया जाता है और तिमाही तनाव जांच के परिणामों के आधार पर आकस्मिकता निधीयन योजना निर्धारित की गयी है।

12 विविध

12.1 लेखा समाधान एवं समायोजन

12.1.1 अंतर शाखा लेखों का लेखा समाधान 31.03.2020 तक पूरा किया जा चुका है। आईबीजीए में बकाया पुरानी प्रविष्टियों के निपटान के लिए विभिन्न कारगर उपायों के द्वारा बैंक ने उसमें पर्याप्त कमी लायी है। तत्पश्चात् शेष बकाया प्रविष्टियों के समायोजन का कार्य प्रगति पर है। प्रबंधन के अनुसार, 01.03.2009 से पहले की अवधि से संबंधित 4.86 करोड़ रुपए की कुल मूल्य की 5747 आईबीजीए क्रेडिट प्रविष्टियां बकाया हैं।

12.1.2 दिनांक 31.03.2020 को अंतर शाखा खाता बकाया में 6 महीने से अधिक अवधि के लिए लेखा समाधान नहीं की गई प्रविष्टियों के संबंध में निवल जमा स्थिति को देखते हुए किसी प्रावधान की जरूरत नहीं है।

12.1.3 देय ड्राफ्टों, समाशोधन समायोजन, विविध प्राप्य राशियों, विविध जमा खातों आदि में तथा भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य बैंकों से संबंधित बैंक लेखा समाधानों में पुरानी बकाया प्रविष्टियों के समुचित समायोजन के लिए नियमित समीक्षा की जा रही है।

12.1.4 कुछ शाखाओं में अनुबंधी बहियों / रजिस्ट्रों का तुलन और सामान्य बहियों के साथ लेखा समाधान का कार्य जारी है। प्रबंधन के मतानुसार, खातों पर उपर्युक्त विषयों का परिणामी प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होगा।

12.1.5 बैंक के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बैंक द्वारा पहचानी गई एमएसएमई इकाइयों को बैंक द्वारा देय ऐसी बकाया राशियां नहीं हैं जो एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में निर्धारित समय सीमा से अधिक अवधि के लिए लंबित है और ऐसी पार्टियों के संबंध में मूल राशि और / या उस पर ब्याज के विलंब से किए गए भुगतानों के लिए मानी गयी देयता के संबंध में रिपोर्ट किये गये कोई मामला नहीं है।

13. जहां भी आवश्यक हो, चालू वर्ष के आंकड़े के अनुरूप बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

इंडियन बैंक के सदस्य

स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

- हमने इंडियन बैंक ('बैंक') के स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिनमें 31 मार्च, 2020 का तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा का विवरण और समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश सहित वित्तीय विवरणों को नोट और अन्य स्पष्टीकरण सूचनाएँ शामिल हैं। इन वित्तीय परिणामों में हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित 20 शाखाएँ तथा 01 राजकोष शाखा और सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षित 1328 शाखाओं की विवरणियाँ शामिल की गई हैं। हमारे द्वारा और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा जिन शाखाओं की लेखा परीक्षा की गई, उनका चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार किया है। ऐसी 1537 शाखाओं की विवरणियाँ भी शामिल की गई हैं जो लेखा परीक्षा के अधीन नहीं थीं और तुलन-पत्र एवं लाभ व हानि खाते में विवरण और नकदी प्रवाह विवरण, इन्हें भी दर्ज किया गया है। वे शाखाएँ जिनका लेखा-परीक्षण नहीं हुआ उनके पास बैंक के 10.83 प्रतिशत अग्रिम हिस्सा, 5.87 प्रतिशत एक्सपोजर, 26.52 प्रतिशत जमाएँ, 34.76 प्रतिशत ब्याज आय एवं 31.90 प्रतिशत ब्याज व्यय हिस्सा है।
- हमारी राय में, हमारी श्रेष्ठतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन नीतियों के अनुपालन में जो बैंक के लिए आवश्यक है।
 - टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र पूर्ण और सही तुलन-पत्र है जिसमें समस्त आवश्यक जानकारी शामिल है तथा उसे इस प्रकार उचित रूप से तैयार किया गया है कि उसमें बैंक के 31 मार्च, 2020 के कामकाज का सही एवं वास्तविक चित्र प्रदर्शित होता है; और
 - नोट के साथ पठित लाभ एवं हानि लेखा, लेखे द्वारा लाभ/ हानि (जैसा लागू हो) के सटीक अधिशेष को दर्शाता है; और
 - नकदी प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाहों का असली और उचित विवरण दर्शाता है।

राय के लिए आधार

- हमने अपना लेखा परीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी ऑडिटिंग पर मानकों (एसएएस) के अनुसार के अनुसार किया। हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार साथ में नैतिक आवश्यकताएं अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं जो वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं और हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले का महत्व

- हम संलग्न नोट सं 4.3.5 से 4.3.7 पर ध्यान आकर्षित करते हैं जो भविष्य के व्यापार और वित्तीय परिणामों तथा मौजूदा स्थिति में उसके प्रबंधन के मूल्यांकन पर कोविड-19 (COVID-19) की वजह से उत्पन्न अनिश्चितताओं के प्रभावस्वरूप स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण का हिस्सा है। प्रबंधन मौजूदा

अनिश्चितताओं से उत्पन्न चुनौतियों के संदर्भ में इन अनिश्चितताओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है।

प्रमुख लेखापरीक्षित मामले

5. शाखाओं का लेखापरीक्षा

कोविड-19 (COVID-19) महामारी को ध्यान में रखते हुए राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा लागू किए गए लॉक डाउन एवं यात्रा पर प्रतिबंधों की वजह से बैंक की शाखा का लेखापरीक्षा एक कठिन कार्य साबित हुआ, जिसमें आवश्यक आश्वासन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य पर बहुत ध्यान देने और योजना बनाने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आईसीएआई ने लेखापरीक्षा पर कोविड-19 (COVID-19) के प्रभाव के बारे में अपनी सलाह में स्पष्ट रूप से कहा है कि हालांकि लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली बदल सकती है, लेकिन इससे प्राप्त आश्वासन के संबंध में राय प्रकट करने में पर्याप्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

यात्रा प्रतिबंधों से बचाव के लिए, हमने विभिन्न शाखाओं के लिए 'रिमोट' लेखापरीक्षा तकनीक को अपनाया, जिसके द्वारा एक शाखा का लेखापरीक्षा किसी अन्य शाखा से लेखा परीक्षक द्वारा दूर से किया जा सकता है, इसके माध्यम से लेखा परीक्षक उस शाखा के खातों, दस्तावेजों आदि को देख सकता है जिस शाखा का लेखापरीक्षा किया जाना है। लेखा परीक्षक रिमोट शाखा से इन दस्तावेजों और साक्ष्यों को देखने में सक्षम थे और उन्होंने लेखापरीक्षा के विषय पर अपनी राय देने हेतु पर्याप्त लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त किए।

6. लेखा परीक्षित शाखाओं की संख्या में कमी :

कोविड-19 (COVID-19) महामारी को ध्यान में रखते हुए राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा लागू किए गए सख्त लॉक डाउन एवं यात्रा पर प्रतिबंधों की वजह से, भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएसयू बैंकों की शाखाओं के लेखापरीक्षा के लिए तय मानदंडों को पुनर्निर्धारित किया और 27 अप्रैल, 2020 को एक परिपत्र जारी किया जिसमें रुपये 20 करोड़ से अधिक की अग्रिम पोर्टफोलियो वाले सभी शाखाओं के अनिवार्य लेखापरीक्षा के मानदंडों को हटा दिया गया, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाता है कि लेखा परीक्षित शाखाएं बैंक के सभी वित्त पोषित और गैर-वित्तपोषित जोखिमों का कम से कम 90% कवर करती हैं। बैंक ने चालू वर्ष के लिए शाखाओं के सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए नए दिशानिर्देशों को अपनाया, जिसके परिणाम स्वरूप एससीएस द्वारा लेखा परीक्षित शीर्ष 20 शाखाओं के अलावा 1324 शाखाओं का लेखापरीक्षा एसबीए द्वारा किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 के लिए 419 लेखा परीक्षित शाखाओं की संख्या में कमी आयी। पिछले वर्ष की तुलना में लेखा-परीक्षित शाखाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
शाखाओं की कुल संख्या	2886	2872
लेखा परीक्षित शाखाओं की संख्या	1349	1768
अलेखा परीक्षित शाखाओं की संख्या	1537	1107
कवर की गयी कुल अग्रिम	₹. 183963.79 करोड़	₹. 171486.91 करोड़

इसे कम करने के लिए, जोनल कंसॉलिडेशन के समय एससीए ने ऐसी शाखाओं पर विशेष ध्यान दिया, जो लेखा परीक्षित होंगे, लेकिन जैसा की ऊपर वर्णित है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र के लिए, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आश्वासन संबंधी राय देने के लिए लेखापरीक्षा के साक्ष्य प्राप्त करने में कोई कमी न हो।

7. कोविड रियायतों पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक..... :

परिपत्र (संख्या 1. डीओआर-सं.-बीपी-बीसी-47/21.04.048/2019-20 दिनांक - 27.03.2020; 2. डीओआर-सं.-बीपी-बीसी-62/21.04.048/2019-20 दिनांक -17.04.2020; 3. डीओआर-सं.-बीपी-बीसी- 63/21.04.048/2019-20 दिनांक - 17.04.2020) मार्च और अप्रैल 2020 के अंत में जारी किए गए थे, बैंक अपनी सीबीएस प्रणाली में इसे प्रभावी न बना सके। एसबीए द्वारा पात्र खातों की पहचान कर मैन्युअल रूप से एमओसी जारी करने तथा और अनुगामी सत्यापन और अद्यतन की आवश्यकता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण हेतु प्रबंधन तथा अभिशासकों के उत्तरदायित्व

बैंक के निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयार करने के संबंध में जिम्मेदार हैं जो आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक, और समय-समय पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 और भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा जारी किए गए परिपत्र और दिशानिर्देश के साथ लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और बैंक के नकदी प्रवाह के बारे में सत्य और निष्पक्ष विचार प्रदान करते हैं। इस उत्तरदायित्व में, समूह की आस्तियों को सुरक्षित रखने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं रोकने, उचित लेखापरीक्षा नीतियों को लागू करने, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय एवं आंकलन के लिए निर्मित तथा उपस्थित वित्तीय विवरण जो सत्य एवं निष्पक्ष विचार प्रदान करता है और भौतिक मिथ्या कथन से मुक्त है चाहे यह धोखाधड़ी के कारण हो या किसी त्रुटि के जो समेकित वित्तीय विवरण को उपस्थित करने के उद्देश्य से बैंक के निदेशक मंडल द्वारा प्रयोग में लाया गया हो, जैसा कि पूर्वकथित है, के समुचित लेखापरीक्षा रिकॉर्ड को बनाए रखने और संरचना, कार्यान्वयन तथा लेखापरीक्षा रिकॉर्ड की पर्याप्तता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप में संचालित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी भी शामिल है।

वित्तीय विवरण निर्मित करने में प्रबंधन बैंक की क्षमता के आंकलन के लिए जिम्मेदार हैं तथा कार्यशील संस्था के संबंध में जानकारी प्रदान करने, जैसा लागू हो, संबंधी मामले और लेखा के आधार पर कार्यशील संस्था का प्रयोग तब तक किया जाएगा जब प्रबंधन बैंक को अलग करना या संचालन को रोकना न चाहता हो या कोई वास्तविक विकल्प न हो किन्तु ऐसा करने को बाध्य हो।

लेखापरीक्षा के वित्तीय विवरण के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

8. हमारा लक्ष्य उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण भौतिक त्रुटियों से पूर्णतः मुक्त हो चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही हों तथा हमारी राय सहित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रदान करना है। उचित आश्वासन उच्चकोटि का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुपालन में की गई लेखापरीक्षा त्रुटि उत्पन्न होने पर इन्हें पहचान सकेगा। धोखाधड़ी या गलतियों से त्रुटियाँ आ सकती हैं तथा एकल या सकल रूप में उपयोगकर्ताओं द्वारा इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं।

एसए के अनुपालन में हम पेशेगत निर्णय देते हैं तथा लेखापरीक्षा करते समय पेशेगत संशयात्मकता बनाए रखते हैं। हम यह भी :

- वित्तीय विवरण की भौतिक त्रुटियों चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या किसी गलतीवश, जोखिम का आंकलन तथा पहचान करना और संरचना एवं इन जोखिमों के उत्तरदायित्व के लिए लेखापरीक्षण करना तथा हमारी राय प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित लेखासाक्ष्य प्राप्त करना। भौतिक त्रुटियों में धोखाधड़ी के कारण न पकड़ा गई

गलती, भूलवश हुई त्रुटि से बड़ा जोखिम है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, साभिप्राय चूक, मिथ्या निरूपण या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकता है।

- लेखा अनुमानों एवं प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता तथा प्रयुक्त लेखा योजनाओं के औचित्य का मूल्यांकन करना।
- लेखा एवं प्राप्त लेखा साक्ष्यों के आधार पर प्रबंधन के कार्यशील संस्था के उपयोग के औचित्य पर निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या स्थितियों में भौतिक अनिश्चितता है जो समूह तथा इसके सहयोगियों को कार्यशील संस्था बने रहने में संदेह उत्पन्न करती हैं। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अनिश्चितता है, तो यह हमारे लिए आवश्यक है कि समेकित वित्तीय विवरण में प्रकटीकरण के संबंध में अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करें अथवा यदि प्रकटीकरण अपर्याप्त हो तो अपनी राय में परिवर्तन करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा साक्ष्यों के आधार पर होते हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएँ एवं स्थितियाँ समूह एवं इसके सहयोगियों को कार्यशील संस्था बने रहने से रोक सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय रिपोर्ट की संरचना एवं सामग्री तथा सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना और इसका भी जायजा लेना कि क्या वित्तीय रिपोर्ट अंतर्निहित लेनदेन एवं घटनाएँ जो उचित प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करती है।

हम हमने अभिशासकों को ऐसा विवरण प्रदान किया है जो अन्य मामलों के मध्य, योजनाबद्ध ढांचा एवं लेखापरीक्षा का समय एवं आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमी, जो हम लेखापरीक्षा के दौरान चिन्हित करते हैं।

हमने अभिशासकों को ऐसा विवरण भी प्रदान किया है कि हमने स्वतंत्रता संबंधी नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है तथा हम उन्हें ऐसे संबंध एवं अन्य मामले भी सूचित करते हैं, जो हमारी स्वतंत्रता से संबंधित होते हैं और सुरक्षा के संबंध में लागू होते हैं।

अभिशासकों द्वारा सूचित मामलों से हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो चालू समय के वित्तीय विवरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं और इसीलिए मुख्य लेखापरीक्षण मायने रखता है। हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में विधि अथवा नियामकों द्वारा जनता के समक्ष प्रकटीकरण से रोके जाने तक हम इन मामलों की विवेचना करते हैं अथवा कभी जब चरम परिस्थितियाँ होती हैं, हम यह निर्धारित करते हैं कि मामले का जिम्मा हमारी रिपोर्ट में नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा करना जन हित में नहीं होगा, इसके विपरीत परिणाम होंगे।

अन्य मामले

9. बैंक में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 17.03.2020 को जारी अपनी अधिसूचना संख्या डीओएस: एआरजी: सं. 6270 / 08.91.001 / 2019-20 के माध्यम से सलाह दी थी कि एससीए को वर्ष 2019-20 के लिए अपनी स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बैंक में वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रणाली तथा इसके परिचालन की प्रभावशीलता के बारे में आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता का रिपोर्ट करना चाहिए। हमें बैंक द्वारा उनके पत्र कॉ.का / लेखा: लेखापरीक्षा / 144 / 20-21 दिनांकित 12 जून 2020 के माध्यम से सूचना दी गई है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2019-20 के लिए बैंक के

लिए इसे वैकल्पिक बना दिया है और बैंक ने वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय नियंत्रण एवं इसके रिपोर्ट को लागू नहीं करने का विकल्प चुना है। इसलिए हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और इसके संचालन की प्रभावशीलता पर रिपोर्ट शामिल नहीं है।

10. हमने बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 1541 शाखाओं के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों / सूचनाओं का लेखा परीक्षा नहीं किया है जिनकी वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2020 तक कुल रु.12290.92 करोड़ की आस्तियां और समाप्त वर्ष के लिए कुल 3216.96 करोड़ रुपये का राजस्व दर्शाती है, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में माना गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं का लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा किया जाता है जिसकी रिपोर्ट हमें दी गई है और हमारी राय में जहां तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में को परिवर्तन नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

11. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि लेखा बनाए गए हैं।
12. उपर्युक्त 5 से 7 तक के पैराग्राफों में संकेतित लेखापरीक्षा सीमाओं के अध्यक्षीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 / 1980 की अपेक्षानुसार और उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्यक्षीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(ए) हमने सभी जानकारी व स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जोकि हमारी श्रेष्ठतम जानकारी व विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया।

(बी) बैंक के लेन-देन जोकि हमारे समक्ष आए हैं बैंक के अधिकारों के भीतर ही हैं

(सी) कार्यालयों एवं शाखाओं तथा बैंक के कार्यालयों से प्राप्त विवरण हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाए गए हैं।

13. हम आगे रिपोर्ट करना चाहते हैं कि,

(ए) हमारी राय में, विधि द्वारा अपेक्षित खाते की उचित बही बैंक द्वारा रखी गई हैं जहां तक यह उन बाहियों की हमारी जांच से प्रकट होता है और हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त विवरणियाँ हमारे द्वारा दौरा न कि गई शाखाओं से प्राप्त किया गया है

(बी) इस रिपोर्ट में प्रदर्शित तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखे बही खातों और शाखाओं द्वारा प्राप्त विवरणियों जहां हमने दौरा नहीं किया है, के अनुसार हैं।

(सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अधीन शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट जो लेखा परीक्षित किये हैं, को हमें भेजे दिए गए हैं और हमने इस रिपोर्ट को तैयार करते समय इसे उचित रूप से जाँच की है; और

(डी) हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण प्रयोज्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन इस हद तक करते हैं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

कृते एम थामस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 004408S

ए. रोजारिओ
साझेदार
(एम.सं. 021230)

कृते पी एस सुब्रमणिय अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 004104S

एस सुन्दर रामन
साझेदार
(एम.सं. 022137)

कृते के सी मेहता एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 106237W

चिराग बक्शी
साझेदार
(एम.सं. 047164)

कृते श्रीराममूर्ति एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं.003032S

जे ललिता
साझेदार
(एम.सं. 0201855)

कृते रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर सं: 009073N/N500320

जयन्त ए
साझेदार
(एम.सं. 231549)

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 23 जून, 2020

समेकित तुलन पत्र
लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियाँ

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित तुलन पत्र

(₹ करोड़ों में)

विवरण	अनुसूची सं.	31.03.2020 को	31.03.2019 को
पूँजी व देयताएं			
पूँजी	1	608.80	480.29
आरक्षितियां और अधिशेष	2	22158.78	19235.17
अल्पसंख्यक हित	2A	21.17	20.46
जमाएं	3	260184.39	242040.80
उधार	4	20830.31	12137.54
अन्य देयताएं और प्रावधान	5	6337.50	6474.02
कुल		310140.96	280388.28
आस्तियां			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ शेष	6	5736.12	11701.87
बैंकों के साथ शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशियाँ	7	8200.35	8325.74
निवेश	8	81871.16	65271.55
अग्रिम	9	197887.01	181261.91
अचल आस्तियां	10	3899.08	3964.99
अन्य आस्तियां	11	12547.24	9862.22
कुल		310140.96	280388.28
आकस्मिक देयताएं	12	42601.71	36219.00
वसूली के लिए बिल	-	5994.97	5394.56

पद्मजा चुन्डूरु
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

एम. के. भट्टाचार्य
कार्यपालक निदेशक

शेणॉय विश्वनाथ वी.
कार्यपालक निदेशक

के. रामचंद्रन
कार्यपालक निदेशक

निदेशकगण

संजीव कौशिक
सरकारी नामित निदेशक

सलिल कुमार झा
गैर-सरकारी निदेशक

भरत कृष्ण शंकर
शेयरधारक निदेशक

एस. के. पाणिग्राही
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मनोनीत निदेशक

विनोद कुमार नागर
शेयरधारक निदेशक

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक

कृते एम. थॉमस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 004408S

ए. रोजारिओ
साझेदार
(एम सं. 021230)

कृते पी.एस. सुब्रमणिया अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 004104S

एस. सुंदर रमन
साझेदार
(एम सं. 022137)

कृते के.सी. मेहता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 106237W

चिराग बक्शी
साझेदार
(एम सं. 047164)

कृते रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 009073N / N500320

जयंत ए.
साझेदार
(एम सं. 231549)

कृते श्रीराममूर्ति एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 003032S

जे. ललिता
साझेदार
(एम सं. 0201855)

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 23.06.2020

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि लेखा

(₹ करोड़ों में)

विवरण	अनुसूची सं.	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
I. आय :			
अर्जित ब्याज	13	21401.28	19182.06
अन्य आय	14	3325.50	1891.44
कुल		24726.78	21073.50
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	13797.51	12166.75
परिचालनगत व्यय	16	4432.70	4028.34
प्रावधान एवं आकस्मिकतायें	-	5738.49	4557.48
कुल		23968.70	20752.57
III. वर्ष के लिए समूह से संबंधित समेकित लाभ / (हानि)			
सहयोगियों में कमाई की हिस्सेदारी		758.08	320.93
घटाएँ : अल्प संख्यक हित		103.95	59.79
		0.69	0.59
		861.34	380.13
आगे लाया गया लाभ / (हानि)		448.73	389.55
कुल निवल लाभ		1310.07	769.68
IV. विनियोजन			
निम्नलिखित को अंतरित :			
सांविधिक प्रारक्षित निधि		188.34	80.50
पूँजी रिज़र्व - अन्य		152.16	40.79
आईटी अधिनियम की धारा 36(1)(अपपप) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व		0.00	12.00
निवेश रिज़र्व		389.99	177.00
राजस्व रिज़र्व		0.00	1.00
स्टाफ कल्याण निधि		15.00	9.66
निवेश रिज़र्व		7.87	0.00
प्रस्तावित ईक्विटी लाभांश		0.00	0.00
प्रस्तावित अधिमान्य लाभांश		0.00	0.00
लाभांश वितरण कर		0.00	0.00
समेकित तुलन पत्र को ले जाया गया अधिशेष		556.71	448.73
कुल विनियोजन		1310.07	769.68
प्रति शेयर अर्जन (मूल एवं कम किया गया)	18	16.38	7.91

पद्मजा चुन्डू
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

एम. के. भट्टाचार्य
कार्यपालक निदेशक

शेणॉय विश्वनाथ वी.
कार्यपालक निदेशक

के. रामचंद्रन
कार्यपालक निदेशक

संजीव कौशिक
सरकारी नामित निदेशक

निदेशकगण

सलिल कुमार झा
गैर-सरकारी निदेशक

भरत कृष्ण शंकर
शेयरधारक निदेशक

एस. के. पाणिग्रही
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मनोनीत निदेशक

विनोद कुमार नागर
शेयरधारक निदेशक

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक

कृते एम. थॉमस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 004408S

कृते पी.एस. सुब्रमणिया अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 004104S

कृते के.सी. मेहता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 106237W

ए. रोजारिओ
साझेदार
(एम सं. 021230)

एस. सुंदर रमन
साझेदार
(एम सं. 022137)

चिराग बक्शी
साझेदार
(एम सं. 047164)

कृते रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 009073N / N500320

कृते श्रीराममूर्ति एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 003032S

जयंत ए.
साझेदार
(एम सं. 231549)

जे. ललिता
साझेदार
(एम सं. 0201855)

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 23.06.2020

अनुसूची 1 – पूंजी

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
I. प्राधिकृत पूंजी		
प्रत्येक ₹ 10/- के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर	3000.00	3000.00
II. जारी, अभिदत्त और अदा की गई पूंजी		
ए. भारत सरकार द्वारा रखे गए प्रत्येक रुपए 10/- के 50,80,80,023 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष – रुपए 10/- प्रत्येक के 39,13,69,637 ईक्विटी शेयर शामिल हैं)	508.08	391.37
बी. जनता द्वारा रखे गए प्रत्येक रुपए 10/- के 10,07,20,557 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष – रुपए 10/- प्रत्येक के 8,89,22,014 ईक्विटी शेयर शामिल हैं)	100.72	88.92
कुल	608.80	480.29

अनुसूची 2 – प्रारक्षित निधि व अधिशेष

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
सांविधिक आरक्षितियां	4694.20	4505.86
पूंजीगत आरक्षितियां – पुनर्मूल्यांकन	2987.84	3095.05
पूंजीगत आरक्षितियां – अन्य	388.55	236.40
शेयर प्रीमियम	4026.65	1325.67
निवेश रिजर्व	614.79	216.92
राजस्व और अन्य प्रारक्षित निधियाँ	7669.06	8242.23
आयकर अधिनियम 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व	725.52	725.52
आयकर अधिनियम 36(1) (viii ए) के अंतर्गत विशेष रिजर्व	58.20	58.20
विदेशी मुद्रा लेनदेन रिजर्व	437.26	380.59
लाम एवं हानि खाता	556.71	448.73
कुल	22158.78	19235.17

अनुसूची 2ए – अल्पसंख्यक हित

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
मूल उद्यम – अनुषंगी का संबंध उद्भव होने की तारीख पर अल्प संख्यक हित	3.27	3.27
परवर्ती वृद्धि / घटाव	17.90	17.19
तुलन पत्र की तारीख पर अल्प संख्यक हित	21.17	20.46

अनुसूची 3 – जमाएँ

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
(ए) I. मांग जमाराशियां		
(i) बैंकों से	211.11	63.77
(ii) अन्यो से	13334.92	13191.62
II. बचत बैंक जमाराशियाँ	76609.11	70766.06
III. सावधि जमाराशियाँ		
(i) बैंकों से	4111.94	3665.44
(ii) अन्यो से	165917.32	154353.91
कुल (I, II और III)	260184.39	242040.80
(बी) (i) भारत में शाखाओं की जमाएं	252750.76	235201.82
(ii) भारत के बाहर शाखाओं की जमाएं	7433.64	6838.98
कुल बी (i और ii)	260184.39	242040.80

अनुसूची 4 – उधार

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
I. भारत में उधार		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक	11529.90	6395.32
(ii) अन्य बैंक	0.11	0.05
(iii) अन्य संस्थाएं और अभिकरण	6418.86	3791.56
II. भारत के बाहर उधार	2881.44	1950.61
कुल (I और II)	20830.31	12137.54
ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार	5500.00	6395.32

अनुसूची 5 – अन्य देयताएँ और प्रावधान

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
I. देय बिल	494.00	598.15
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	0.00	546.05
III. उपचित ब्याज	845.33	698.76
IV. अन्य (प्रावधानों सहित)	4998.17	4631.06
कुल	6337.50	6474.02

अनुसूची 6 भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकदी और शेष

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1006.09	1030.76
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष –		
(i) चालू खाते में	4730.04	10671.11
(ii) अन्य खाते में	0.00	0.00
कुल (I और II)	5736.12	11701.87

अनुसूची 7 – बैंकों में शेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर राशि

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
I. भारत में		
(I) बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	8.86	4.34
(बी) अन्य जमा खातों में	721.65	717.14
(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
(ए) बैंकों में	2100.00	2200.00
(बी) अन्य संस्थाओं के साथ	0.00	0.00
कुल I (i और ii)	2830.51	2921.48
II. भारत के बाहर		
(I) चालू खाते में	530.93	203.66
(ii) अन्य जमा खातों में	4830.26	5168.47
(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	8.65	32.13
कुल II	5369.84	5404.26
कुल योग (I और II)	8200.35	8325.74

अनुसूची 8 – निवेश

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
I. भारत में निवेश		
सकल निवेश	80991.01	64444.16
घटाएँ : मूल्यह्रास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान	1290.84	1046.70
	79700.16	63397.46
I. सरकारी प्रतिभूतियाँ	67537.87	51918.69
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	2.99	5.23
iii. शेयर	352.07	505.70
iv. डिबेंचर और बॉण्ड	6715.55	7400.95
v. सहयोगी संस्थाओं में निवेश	730.43	365.92
vi. अन्य	4361.26	3200.97
कुल :	79700.17	63397.46
II. भारत के बाहर निवेश		
सकल निवेश	2268.27	1963.63
घटाएँ : मूल्यह्रास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान	97.28	89.54
	2170.99	1874.09
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)	2149.37	1853.18
ii) सहयोगी संस्थाओं में निवेश	0.00	0.00
iii) अन्य निवेश (विनिर्दिष्ट करना है)	0.00	0.00
(ए) शेयर	0.44	0.52
(बी) ऋण प्रतिभूतियाँ	21.19	20.39
कुल	2170.99	1874.09
कुल योग (I व II)	81871.16	65271.55

अनुसूची 9 – अग्रिम

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
ए. i) क्रय किए गए एवं बट्टाकृत बिल	1453.59	1659.80
(ii) नकद उधार, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय उधार	99136.75	95636.69
(iii) सावधि उधार	97296.67	83965.43
(iv) अन्य	0.00	0.00
कुल (ए)	197887.01	181261.92
बी. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं)	161337.54	151588.47
(ii) बैंक/सरकार गारंटियों द्वारा संरक्षित	4056.49	4831.37
(iii) अप्रतिभूत	32492.99	24842.07
कुल (बी)	197887.01	181261.91
सी. I भारत में अग्रिम		
(i) प्राथमिकता क्षेत्र	90415.79	65506.84
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	17991.68	21587.23
(iii) बैंक	772.91	0.00
(iv) अन्य	80515.68	86725.51
कुल (सी-I)	189696.06	173819.58
सी (II) भारत के बाहर अग्रिम		
(i) बैंकों से देय	2254.60	1721.44
(ii) अन्यो से देय	0.00	0.00
(क) क्रय किए गए और भुनाये गए बिल	970.27	1255.91
(ख) सामूहिक ऋण	3355.59	3066.34
(ग) अन्य	1610.50	1398.64
कुल (सी - II)	8190.95	7442.33
कुल योग (सी I + सी II)	197887.01	181261.91

अनुसूची 10 – स्थाई आस्तियाँ

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
I. परिसर		
पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन-पत्रानुसार लागत/पुनर्मूल्यांकन पर	3767.79	3455.42
वर्ष के दौरान जोड़/समायोजन	3.63	57.41
वर्ष के दौरान घटाव	0.00	0.06
उक्त तारीख तक मूल्यहास	834.04	725.73
निवल मूल्य	2937.38	3287.04
I ए. निर्माणाधीन परिसर	0.78	0.76
II. अन्य अचल आस्तियाँ (फर्निचर/फिक्सचर सहित)		
पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	2060.62	1885.69
वर्ष के दौरान जोड़	255.51	254.02
वर्ष के दौरान घटाव	51.77	79.08
उक्त तारीख तक मूल्यहास	1543.89	1383.44
निवल मूल्य	720.46	677.19
II(ए) पट्टाकृत आस्तियाँ		
पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	262.37	17.39
वर्ष के दौरान जोड़	0.00	0.00
प्रावधान को सम्मिलित करते हुए वर्ष के दौरान घटाव	0.00	0.00
उक्त तारीख तक मूल्यहास	21.91	17.39
निवल मूल्य	240.45	0.00
कुल : (I, I(ए), II व II(ए))	3899.08	3964.99

अनुसूची 11 – अन्य आस्तियाँ

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	2044.29	0.00
II. उपचित ब्याज	1284.83	1173.36
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर	4374.34	4103.63
IV. लेखन सामग्री एवं स्टांप	17.62	15.67
V. दावों की संतुष्टि से प्राप्त की गयी गैर बैंककारी आस्तियाँ	20.26	20.26
VI. आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल)	748.07	1323.66
VI.अन्य	4057.84	3225.64
कुल	12547.24	9862.22

अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएँ

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (निवल)	651.27	527.15
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए दायित्व	400.33	3.64
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत दायित्व	20382.57	12986.42
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां		
(ए) भारत में	8930.02	8415.29
(बी) भारत के बाहर	382.63	371.46
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	6401.34	7249.18
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	5453.55	6665.86
कुल	42601.71	36219.00

अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	15933.12	13982.41
II. निवेशों पर आय	5275.06	5042.13
III. भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों के पास अतिशेष पर ब्याज	177.43	139.52
IV. अन्य	15.68	18.00
कुल	21401.28	19182.06

अनुसूची 14 – अन्य आय

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	338.67	325.26
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल)	879.73	175.48
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ (निवल)	0.00	0.00
IV. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ (निवल)	0.73	-1.51
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल)	202.06	173.41
VI.ए) पट्टा-वित्त / किराया खरीद से आय	0.07	0.08
बी) विदेश / भारत में अनुषंगियों / कंपनियों तथा / या सह उद्यमों से लाभांश आदि के जरिए अर्जित आय	12.69	12.45
VII. विविध आय	1891.54	1206.27
कुल	3325.50	1891.44

अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
I. जमाओं पर ब्याज	12993.56	11230.35
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	757.95	841.32
III. अन्य	46.00	95.08
कुल	13797.51	12166.75

अनुसूची 16 – परिचालनगत व्यय

(₹ in Crore)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	2478.34	2227.54
II. किराया, कर और रोशनी	318.12	298.60
III. मुद्रण और लेखन सामग्री	30.62	30.69
IV. विज्ञापन और प्रचार	8.88	9.09
V. ए) पट्टाकृत आस्तियों से अन्य बैंक की संपत्तियों पर मूल्यहास	313.94	259.21
बी) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यहास	0.07	0.08
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	0.94	1.17
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय सहित)	34.29	41.71
VIII. विधि प्रभार	8.62	5.43
IX. डाक, तार और टेलीफोन आदि	51.78	64.18
X. मरम्मत और अनुरक्षण	93.96	95.21
XI. बीमा	286.91	256.35
XII. अन्य व्यय	806.24	739.08
कुल	4432.70	4028.34

अनुसूची 17

मुख्य लेखांकन नीतियाँ (समेकित लेखे 2019-20)

1 लेखांकन प्रथा :

वित्तीय विवरणों को अन्यथा न बताये जाने पर ऐतिहासिक लागत प्रथा पर क्रियाशील संस्था संकल्पना का अनुपालन करते हुए तैयार किया जाता है। यह भारत में प्रचलित सांविधिक सिद्धांतों के अनुरूप है जिसमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों/मार्गदर्शन नोट्स और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी शाखाओं के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप है।

2 प्राक्कलन का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए, रिपोर्टिंग अवधि हेतु वित्तीय विवरणियों की तारीख पर दर्ज आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा आय एवं व्यय पर विचार करने हेतु प्रबंधन को प्राक्कलन तैयार करने और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन, यह विश्वास रखता है कि वित्तीय विवरणियों की तैयारी में इस्तेमाल किये गये प्राक्कलन विवेकी और उचित हैं।

3 समेकन की प्रक्रिया :

ए. बैंक के (मूल संस्था एवं उसकी अनुषंगियां) समेकित वित्तीय विवरण, इंडियन बैंक (मूल संस्था) और उसकी अनुषंगियां, यथा (1) इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड (2) इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड, के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर, अंतर समूह लेनदेनों को एवं प्राप्त न किए गए लाभ/हानियों को छोड़ने के बाद यथावश्यक समायोजन करके तैयार किये गये हैं। मूल संस्था की रिपोर्टिंग तारीख तक अनुषंगियों के वित्तीय विवरण भी बनाए गए हैं।

बी. अनुषंगियां और सहयोगी संस्थाएं, संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित एवं सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार लेखाकरण नीतियों का अनुपालन करती हैं। अनुपालनार्थ अपेक्षित ऐसी विभिन्न लेखाकरण नीतियों के मद्देनजर, अधिदेश/सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप संबंधित लेखाकरण नीतियों को अपनाते हुए समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

सी. मूल संस्था को आनुषंगिक संस्था में निवेश के लिए हुई लागत और अर्जन की तारीख को अनुषंगी संस्था में मूल संस्था की ईक्विटी में अंतर को वित्तीय विवरण में पूंजी रिज़र्व/गुडविल के रूप में लिया जाता है। अर्जन के बाद के लाभ/हानियों में मूल संस्था के शेयर का समायोजन, राजस्व रिज़र्व के साथ किया जाता है।

डी. परिचालन के निवल परिणाम और अनुषंगी संस्था की संपत्ति में अल्प संख्यक के हक से लाभ एवं निवल संपत्तियों का वह अंश द्योतित है जो अल्पसंख्यकों को देय है।

ई. एसोसियेटेड में निवेश का हिस्सा, एसोसियेटेड के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी लेखाकरण मानक-23

(एएस-23) समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसियेटेड में निवेश के लिए लेखांकन के अनुसार ईक्विटी पद्धति के तहत किया जाता है।

4 विदेशी विनिमय से संबंधित लेनदेन

मूल संस्था

4.1 भारतीय परिचालनों और गैर समाकलित विदेशी परिचालन के विदेशी मुद्रा लेनदेनों का लेखांकन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानक - 11 (एएस - 11) के अनुसार किया जाता है।

4.2 भारतीय परिचालनों के मामले में परिवर्तन

ए) विदेशी मुद्रा डीलर असोसिएशन आफ इंडिया (फेडाय) द्वारा अधिसूचित साप्ताहिक औसत दर (डबल्यूएआर) पर विदेशी विनिमय लेनदेन दर्ज किए जाते हैं।

बी) विदेशी मुद्रा में आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन, वर्षात पर फेडाय द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर किया जाता है।

सी) विदेशी मुद्रा में स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं और गारंटियों को वर्षात पर फेडाय द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर रखा जाता है।

डी) वित्तीय वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा में रखी गयी आस्तियों एवं देयताओं के निपटान एवं परिवर्तन से उठनेवाले विनिमय अंतर को, उसी अवधि में ही आय या व्यय के रूप में पहचाना जाता है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

ई) बकाया वायदा विनिमय दरों का प्रकटीकरण संविदागत दरों से किया जाता है तथा फेडाय की समापन दरों पर उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है एवं उसके परिणाम की पहचान, लाभ व हानि लेखे के ज़रिए की जाती है।

4.3 गैर-समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में परिवर्तन

विदेशी शाखाओं का वर्गीकरण, गैर समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और वित्तीय विवरणों का परिवर्तन निम्नप्रकार किया जाता है :

1. आकस्मिक देयताएं सहित आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन फेडाय द्वारा वर्षात में अधिसूचित दरों पर किया जाता है।
2. आय एवं व्यय का परिवर्तन फेडाय द्वारा संबंधित तिमाही के अंत पर अधिसूचित तिमाही औसत समापन दर पर किया जाता है।
3. निवल निवेशों के निपटान तक उठनेवाले सभी विनिमय अंतर को "विनिमय उतार-चढ़ाव निधि" (एफसीटीआर) नामक पृथक निधि में उपचित रखा जाता है।

5. निवेश

5.1.1 बैंक के निवेश संविभाग को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है :

- परिपक्वता तक रखे गए (एचटीएम)
- बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस)
- व्यापार के लिए रखे गए (एचएफटी)

परिपक्वता तक रोक रखने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को “एचटीएम” प्रवर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अल्पावधि के मूल्य/ब्याज दर में उतार-चढ़ाव से लाभ उठाकर व्यापार करने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को “एचएफटी” प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी प्रतिभूतियाँ जो उपर्युक्त दोनों प्रवर्गों में नहीं आती हैं, उन्हें, “एएफएस” प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

एक निवेश को उसकी खरीद / अर्जन के समय पर ही, परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध अथवा व्यापार के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तदनन्तर नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप उनका अंतरण किया जाता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग को शेरों का अंतरण, यदि कोई है, अंतरण की तारीख पर अर्जन लागत / बही मूल्य / बाजार मूल्य में से न्यूनतम मूल्य पर किया जाता है, और ऐसे अंतरण के लिए मूल्यह्रास हेतु पूर्ण प्रावधान किया जाता है।

अनुषंगियों और एसोसियेटेड्स में निवेश को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

1.1.2 एचटीएम प्रवर्ग में रखी गयी प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त लाभ को पहले लाभ व हानि लेखे में लिया जाता है और बाद में पूंजी प्रारक्षिती लेखे (कर चुकाने के बाद की राशि तथा सांविधिक रिज़र्व को अंतरित की जानेवाली वांछित राशि) में विनियोजित किया जाता है तथा हानि, यदि हो, को लाभ व हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है।

5.1.2 भारत में निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के समनुरूप निम्नानुसार किया जाता है :

ए) “एचटीएम” प्रवर्ग में प्रतिभूतियों का मूल्यांकन अर्जन की लागत पर किया जाता है सिवाय उन मामलों में जहां अंकित मूल्य से अर्जन लागत अधिक होती हो, वैसे मामले में, अंकित मूल्य पर अर्जन लागत की ऐसी अधिकता को परिपक्वता की बकाया अवधि में परिशोधित किया जाता है। अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों में, जिन्हें एचटीएम प्रवर्ग में शामिल किया गया है, निवेशों के मूल्य में, अस्थायी प्रकृति के अलावा किसी अन्य ह्रास की पहचान की जाती है और उनके लिए प्रावधान किया जाता है। ऐसे ह्रास का निर्धारण और इसके लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश हेतु अलग से किया जा रहा है। 23.08.2006 के बाद किये गये जोखिम पूंजी निधियों (वीसीएफ) के यूनितों में निवेश, 3 सालों की प्रारंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत होते हैं एवं इनका लागत पर मूल्यांकन किया जाता है।

बी) अनुषंगी संस्थाओं, संयुक्त उपक्रमों और सहयोगी संस्थाओं में निवेश का मूल्यांकन, परंपरागत लागत पर किया जाता है। प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश का मूल्यांकन, वहन लागत (अर्थात् बही मूल्य) पर किया जाता है।

सी) “एएफएस” प्रवर्ग में निवेशों का मूल्यांकन, बाजार मूल्य पर, तिमाही अंतराल पर स्क्रिपवार तथा वर्गीकरणवार किया जाता है। यदि कोई निवल मूल्यह्रास हो, तो उसे लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है, जबकि किसी निवल मूल्यवृद्धि होने पर उसकी उपेक्षा कर दी जाती है। इस प्रवर्ग में बाजार को अंकित करने के बाद वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।

डी) “एचएफटी” प्रवर्ग में रखी गई वैयक्तिक प्रतिभूतियों को दैनिक अंतराल पर बाजार को अंकित किया जाता है। निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो लाभ व हानि लेखे में उसका प्रावधान किया जाता है जबकि निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रवर्ग में वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

ए) “एएफएस” एवं “एचएफटी” प्रवर्गों में प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नवत् किया गया है :

(1) प्राइमेरी डीलर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (पीडीएआई) और फ़िक्स्ड इन्कम मनी मार्केट और डिस्ट्रिब्यूटिव एसोसिएशन आफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) / फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित किए गए अनुसार केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, मूल्य पर / वाईटीएम दरों पर किया जाता है।

(2) राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, वाईटीएम पद्धति को लागू करते हुए और पीडीएआई/एफआईएमएमडीए / एफबीआईएल द्वारा रखी गई समतुल्य परिपक्वता की केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल से 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाते हुए आवधिक रूप से किया जाता है।

(3) कोट होने पर ईक्विटी शेरों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है। कोट न होनेवाले ईक्विटी शेरों को उनके ब्रेक-अप मूल्य पर (पून्मूल्यन रिज़र्व, यदि हो, उस पर ध्यान दिए बिना), कंपनी के नवीनतम तुलनपत्र (मूल्यन की तारीख से एक वर्ष के पहले का न हो), के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। अन्यथा शेरों का मूल्यांकन प्रति कंपनी एक रुपया के अनुसार किया जाता है।

(4) कोट होने पर अधिमान्य शेरों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा समुचित वाईटीएम दरों अथवा पुनः शोधन मूल्य के आधार पर निर्धारित मूल्य, दोनों में से जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है।

(5) अग्रिमों के रूप में रहे डिबेंचरों तथा बांडों के अलावा, सभी डिबेंचरों तथा बांडों का मूल्यांकन वाईटीएम आधार पर किया जाता है।

- (6) राजकोष बिलों, जमा प्रमाण पत्रों तथा वाणिज्यिक कागजातों का मूल्यांकन उनकी रखाव लागत पर किया जाता है।
- (7) कोट होने पर म्यूचुअल फंडों की यूनिटों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा पुनः खरीद मूल्य अथवा निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) दोनों में जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है। यदि निधियां लॉक-इन अवधि में हैं, जहां पुनःखरीदी मूल्य/बाजार कोट उपलब्ध नहीं हो तो, यूनिटों का मूल्यांकन एनएवी पर अथवा लॉक-इन अवधि की समाप्ति तक की लागत पर किया जाता है।

- (8) 23.08.2006 के बाद किये गये जोखिम पूंजी निधियों (वीसीएफ)/ वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) के यूनिटों में निवेश, 3 सालों की प्रारंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत होते हैं एवं इनका लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। संवितरण की तारीख से 3 सालों के समय के बाद, यह एएफएस में परिवर्तित किया जाएगा और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार के लिए अंकित किया जाएगा।

5.1.3. विदेशी शाखाओं के निवेश के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश या मेजबान देश के दिशानिर्देश, जो भी ज्यादा कठोर हैं, का पालन किया जाता है। ऐसे देशों में स्थित शाखाओं के मामले में, जहाँ कोई दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।

5.1.4. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक निवेश (एनपीआई) की पहचान निम्नलिखित रूप में किया गया है :

ए) प्रतिभूतियाँ / गैर संचयी अधिमान शेयर जहाँ ब्याज / नियत लाभांश / किस्त (परिपक्वता संप्राप्तियाँ सहित) देय हैं और 90 दिन से ज्यादा अवधि के लिए अदत्त है।

बी) यदि जारीकर्ता द्वारा बैंक से प्राप्त कोई क्रेडिट सुविधा बैंक की बही में अनर्जक अग्रिम है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी अधिमानी शेयर सहित प्रतिभूतियों में निवेश को भी एनपीआई और इसके विपरीत माना जाएगा। हालांकि, अगर केवल अधिमान शेयर को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी की गई अन्य निष्पादित प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और उस उधारकर्ता को दी गई किसी भी अर्जक क्रेडिट सुविधाओं को एनपीए के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

सी) अन्य इक्विटी निवेशों के मामले में, जो एनपीआई के रूप में वर्गीकृत हैं, को उद्धृत होने पर शेयर बाजार मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है, यदि यह अनुद्धृत है, तो उन्हें प्रति कंपनी रु.1/- मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

डी) केन्द्रीय सरकार की गारंटी प्राप्त निवेशों के अतिदेय होने पर भी उन्हें तभी एनपीए माना जाएगा जब गारंटी लागू की जाने पर सरकार उसका निराकरण करती है।

ई) यदि ब्याज/मूल किस्त (परिपक्वता संप्राप्तियों को शामिल करते हुए) अथवा बैंक को देय अन्य कोई राशि, 90 दिनों से

अधिक के लिए अदत्त बनी रहती हो, तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत प्रतिभूतियों में निवेश को, जोकि "माने गए अग्रिमों" के रूप में हैं, को शामिल करते हुए आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के अधीन रखा जाता है।

5.1.5 प्रतिभूतियों की लागत में से दलाली/कमीशन/अंशदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन को घटा दिया जाता है। प्रतिभूतियों के अर्जन के संबंध में अदा की गयी दलाली/कमीशन/स्टॉप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है।

5.1.6 व्यापार के लिए ब्याज दर स्वैप लेनदेनों को तिमाही आधार पर बाजार को अंकित किए जाते हैं। कुल अदला-बदलियों के उचित मूल्य का आकलन, तुलन-पत्र की तारीख पर अदला-बदली करारों को समाप्त किए जाने पर प्राप्त/प्राप्य या प्रदत्त/प्रदेय राशि के आधार पर किया जाएगा। इससे होनेवाली हानियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है, जबकि लाभ यदि हो, पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

5.1.7 एक्सचेंज कारोबार विदेशी विनिमय डेरिवेटिव यानी मुद्रा वायदे का मूल्यांकन एक्सचेंज द्वारा निर्धारित मूल्यों पर किया जाता है और परिणामी लाभ और हानि की पहचान लाभ और हानि लेखे में की जाती है।

5.1.8 एफसीएनआर (बी) डॉलर जमाओं के लिए भारिबैंक के विनिमय स्वैप की सुविधा की शुरुआत में उत्पन्न होने वाले प्रीमियम / ब्याज, स्वैप अनुबंध की अवधि के दौरान खर्च के रूप में परिशोधित किया जाता है।

5.1.9 निवेश की कीमत के निर्धारण प्रत्येक वर्ग में भारित औसत कीमत पद्धति के आधार पर किया जाता है। एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत कीमत पद्धति के तहत प्राप्त अधिग्रहण कीमत के आधार पर ले लिया गया है तथा भारित औसत कीमत के अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में प्रीमियम को केवल शेष परिपक्वता अवधि हेतु परिशोधित कर दिया जाता है।

5.10 रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों के लिए लेखाकरण :

एलएएफ, परिवर्ती दर मीयादी परिचालन और एमएसएफ और मार्केट रेपो लेनदेन सहित भारिबैंक के साथ सभी प्रकार के रेपो/रिवर्स लेनदेनों का भारतीय रिजर्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार लेखांकन किया जाता है। रेपो/ रिवर्स रेपो के तहत बेची गई और खरीदी गई प्रतिभूतियों को त्रिपक्षीय रेपो के रूप में लिया जाता है। हालांकि, प्रतिभूतियों को सामान्य एकमुश्त बिक्री / खरीद लेनदेनों के मामले में अंतरित किए जाते हैं और इस प्रकार के प्रतिभूति के उतार-चढ़ाव, रेपो/रिवर्स रेपो खातों और प्रति-प्रविष्टियों के प्रयोग से परिलक्षित होता है। उपरोक्त प्रविष्टियाँ परिपक्वता की तारीख पर प्रतिवर्तित हो जाती है। मामले के आधार पर लागत एवं राजस्व को ब्याज व्यय/आय के रूप में लिया जाता है। रेपो खाते में शेष, अनुसूची 4 (उधार) के तहत वर्गीकृत है और रिवर्स रेपो खाते में शेष, अनुसूची 7 (बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि) के तहत वर्गीकृत है।

अनुषंगी कंपनियाँ :

5.2 इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

कंपनी के पास रखे सभी निवेश दीर्घकालिक निवेश हैं। अस्थायी प्रकृति के निवेशों के अलावा दीर्घकालिक निवेशों को हास के लिए प्रावधान घटाकर, लागत पर लाया गया है। कंपनी ने कोट किए गए शेयरों के बाजार मूल्य पर भरोसा करते हुए शेयरों/डिबेंचरों के मूल्य में हास को स्थायी प्रकृति के रूप में माना है तथा कोट न किए गए शेयरों के मामले में बही मूल्य/उचित मूल्य, दोनों में जो भी अधिक हो, को माना गया है।

5.3 इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड

निवेशों को चालू निवेशों और दीर्घकालिक निवेशों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग रूप से, उनके लागत अथवा बाजार मूल्य में से निम्नतर दरों पर किया गया है।

6. प्रतिभूतीकरण कंपनियों (एससी) /पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) को बेची गई वित्तीय आस्तियाँ

मूल संस्था :

6.1 एससी आरसी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में प्रतिभूतीकरण कंपनियों (एससी) /पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) द्वारा जारी की गई प्रतिभूति रसीद (एसआर) का मूल्यांकन, प्रतिभूति रसीद के प्रतिदान मूल्य या वित्तीय आस्तियों के निवल बही मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। प्रतिभूति रसीद को मूल्यांकित निम्न प्रकार किया जाता है :

ए) तुलनपत्र के दिनांक पर एससी / आरसी द्वारा घोषित निवल आस्तित्व मूल्य पर 01.04.2017 से पहले एससी / आरसी द्वारा जारी एसआर और मूल्यहास यदि हो तो, उसके लिए प्रावधान किया जाता है और मूल्य वृद्धि हो तो उसे ध्यान में नहीं लिया जाता है।

बी) दि. 01, अप्रैल 2017 के प्रभाव से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार निम्न का एस आर पर वांछित प्रावधानीकरण अधिक होगा।

(i) एससी / आरसी द्वारा घोषित निवल आस्तित्व मूल्य के संदर्भ में प्रावधान दर

(ii) अंतर्निहित ऋण पर लागू प्रावधान दर, यह मानते हुए कि बैंक की बही में ऋण कल्पित जारी रहे

6.2 आरसी को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों के मामले में, भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन तथा आय पहचान किया जाता है। यदि बिक्री का मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम है (अर्थात् प्रावधान को घटाने के बाद बही मूल्य), तो भारिबैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, कमी को लाभ/हानि खाते में नामे डाला जाएगा या रखे हुए अस्थायी प्रावधान के उपयोग से समायोजित किया जाएगा।

6.3 यदि प्राप्त नकदी (आरंभिक प्रतिफल और/या बंधक छुड़ाने के माध्यम से) आस्तित्व पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को बेचे गए एनपीए के निवल बही मूल्य से अधिक है, तो अतिरिक्त प्रावधान को लाभ व हानि लेखे में प्रत्यावर्तित किया जाता है। लाभ व हानि लेखे में प्रत्यावर्तित अतिरिक्त प्रावधान की प्रमात्रा उस सीमा तक होगी, जिसमें बेचे गए एनपीए के एनबीवी से प्राप्त अधिक नकदी तक होगी।

7. अग्रिम

मूल संस्था

7.1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप, भारत में अग्रिमों को उधारकर्तावार मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानिवाली आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

7.1.2 गैर निष्पादक अग्रिमों के लिए निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैं –

ए) अवमानक संवर्ग –

- कुल बकाया पर 15 प्रतिशत: के लिए एक सामान्य प्रावधान
- एक्सपोजर के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रावधान जो आरंभ से आरक्षित है(यानी, जहां प्रतिभूतियों का वास्तविक मूल्य आरंभ से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है)

बी) संदिग्ध संवर्ग – 1 :

- सुरक्षित भाग के लिए 25 प्रतिशत
- अरक्षित भाग के लिए 100 प्रतिशत

सी) संदिग्ध संवर्ग – 2 :

- सुरक्षित भाग के लिए 40 प्रतिशत
- अरक्षित भाग के लिए 100 प्रतिशत

डी) संदिग्ध संवर्ग – 3 और हानि अग्रिम – 100 प्रतिशत

7.1.3 भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार पुनःसंरचित मानक अग्रिम सहित सभी मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान किया गया है।

7.1.4 विदेशी शाखाओं के संबंध में, आय निर्धारण, आस्तित्व वर्गीकरण तथा ऋण हानियों के लिए स्थानीय आवश्यकताओं अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड, जो भी अधिकतर सख्त है, उसके अनुसार प्रावधान किए जाते हैं।

आगे, यदि भारिबैंक द्वारा जारी किये गए विनियमनों के अनुसार किसी भी समय बैंक की विदेशी बहियों में रही किसी आस्तित्व को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना होता है, तब बैंक द्वारा उस उधारकर्ता को प्रदान की गई सभी सुविधाओं और उधारकर्ता द्वारा जारी सभी प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीए / एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाए।

फिर भी, वसूली के रिकॉर्ड के अलावा अन्य कारणों से मेजबान देश के विनियमकों द्वारा खाता अनर्जक / हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत है, तो भारत में वित्तीय विवरणों को समेकित करते समय उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत करेंगे और और उनके लिए

यथावश्यक प्रावधान किया जाएगा; तथापि उन्हीं प्रतिपक्षियों को अन्य अधिकार क्षेत्रों (भारत को मिलाकर) में प्रदत्त अन्य ऋण एक्सपोजरों पर आस्ति वर्गीकरण, तत्संबंधित अधिकार क्षेत्रों में लागू विद्यमान दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित किया जाना जारी रहेगा।

7.1.5 प्रकटीकृत अग्रिम, गैर-निष्पादक आस्तियों, डीआईसीजीसी / ईसीजीसी / सीजीटीएसआई से प्राप्त दावों तथा लंबित समायोजन हेतु रखे, प्राप्त पुनर्भुगतान तथा विविध खातों में रखे, ब्याज लगाये जाने योग्य खातों में शेष, सहभागिता प्रमाण पत्रों एवं पुनः कटौती वाले मीयादी बिलों और मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुनः संरचित खातों के उचित मूल्य में घटाव के एवज में किए गए प्रावधानों को घटाने के बाद निवल हैं।

8 अचल आस्तियाँ / मूल्यहास

8.1 मूल संस्था :

8.1.1 परिसर एवं अन्य अचल आस्तियों को परंपरागत लागत पर माना गया है तथा पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामले में पुनर्मूल्यांकित राशि पर माना गया है।

8.1.2 भारत में भवनों (जहाँ कहीं अलग नहीं किया जा सकता है/ अलग नहीं किया गया है, ज़मीन की लागत सहित) तथा अन्य अचल आस्तियों का मूल्यहास सीधी कटौती से उन दरों पर प्रभारित किया गया है जिसमें उपरोक्त आस्तियों को प्रभारित किया गया था, को निम्नप्रकार दर्शाया जाता है:

क्रम संख्या	संपत्ति की प्रकृति	मूल्यहास दर संख्या (एसएलएम)
I	भवन	1.63%
II	अन्य अचल आस्ति	
	1. सामान्य संयंत्र व मशीनरी	4.75%
	2. फर्नीचर, फिक्सचर	6.33%
	3. विद्युत मशीनरी व फिटिंग	7.07%
	4. साइकिल	7.07%
	5. स्कूटर, मोटरसाइकिल, जीप	9.50%
	6. बैंक	11.31%
	7. सिक्का वेंडिंग मशीन	16.66%
	8. मोटर कार	20%
	9. कंप्यूटर व यूपीएस सहित डाटा प्रोसेसिंग मशीन	33.33%
	10. सेल फोन तथा ₹ 5000/- तक मूल्य के कम कीमतवाली मदें	100%

8.1.3 आईसीएआई द्वारा जारी पुनरीकृत एसस10 के अनुसार, पुनर्मूल्यांकित संघटक के संबंध में मूल्यहास, राजस्व व्यय के तहत प्रभारित किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि के विरुद्ध बराबर राशि का सीधे प्रभार किया जाएगा और राजस्व आरक्षित निधि में जमा किया जाएगा।

वर्ष के दौरान अर्जित नियत आस्तियों पर मूल्यहास, 30 सितंबर को या उसके पूर्व अर्जित आस्तियों पर निर्धारित दरों के 100 प्रतिशत दर पर तथा उसके बाद अर्जित मूर्त आस्तियों पर निर्धारित दरों के 50

प्रतिशत दर पर प्रभारित किया जाता है। बिक्री/निपटारे के वर्ष के लिए अचल आस्तियों पर मूल्यहास हेतु प्रावधान नहीं किया जाता है। उन आस्तियों के मामले में, जहां सरकार से इमदाद प्राप्त हुआ है, उसे संबंधित आस्ति खाते में जमा किया जाता है और मूल्यहास को तदनुसार प्रभारित किया जाता है।

8.1.4 पट्टे की ज़मीन पर प्रीमियम अधिग्रहण वर्ष में पूंजीकृत किया जाता है और पट्टा अवधि में परिशोधित किया जाता है।

8.1.5 विदेशी शाखाओं की आस्तियों के संबंध में मूल्यहास का प्रावधान संबंधित देशों में प्रचलित पद्धति के अनुसार किया जाता है।

8.1.6 गैर बैंकिंग आस्तियों (एनबीए) के मामले में कोई मूल्यहास प्रभारित नहीं किया जाता है।

अनुषंगी कंपनियाँ :

8.2 इंड बैंक चर्चेट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड :

अचल आस्तियों को परम्परागत लागत पर, संचित मूल्यहास और क्षति के लिए प्रावधान (यदि कोई हो) को घटा कर बताया जाता है। पट्टे पर ली गई आस्तियों (दिसंबर 1997 के पहले संविदाकृत) को पट्टा समायोजन खाते में शेष के लिए आगे समायोजित किया जाता है।

मूल्यहास

ए) पट्टे पर दी गई आस्तियों को छोड़कर अन्य आस्तियों पर

पट्टे पर दी गई आस्तियों को छोड़कर अन्य आस्तियों पर कंपनी, सीधी कटौती प्रणाली (एसएलएम) यथानुपात आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित दरों पर मूल्यहास का प्रावधान करती है। सापटवेयर लागतों को, उनके अर्जन के वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है।

बी) बन्द परिचालनों के अंतर्गत प्रदत्त पट्टेदारी आस्तियों पर :-

परिचालन बन्द करने के तहत पट्टेदारी आस्तियों पर कंपनी घटते मूल्य पद्धति पर यथानुपात आधार पर, मूल्यहास का प्रावधान करती है तथा जिस महीने में आस्ति संस्थापित की गयी है, उसे पूर्ण महीना माना जाता है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी पट्टों का लेखाकरण पर मार्गदर्शन नोट (संशोधित) के अनुसार पट्टा आस्तियों की लागत को पट्टे की अवधि के दौरान पूर्णतः परिशोधित किया जाता है। सांविधिक मूल्यहास और वार्षिक पट्टा प्रभार में अंतर का समायोजन, पट्टा समकरण के जरिए किया जाता है, जिसका समायोजन पट्टा आय के साथ किया जाता है।

इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड :

8.3 अचल संपत्तियों को लागत पर पूंजीकृत किया जाता है और लागत से मूल्यहास घटाकर दर्शाया गया है। मूल्यहास का परिकलन कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में दी गई दरों पर मूल्यहासित पद्धति से किया जाता है।

9. राजस्व अभिज्ञान

मूल संस्था

9.1.1 आय और व्यय मदों को, जब तक अन्यथा नहीं बताया जाए, सामान्यतः उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

9.1.2 गैर निष्पादक आस्तियों से आय, सरकार द्वारा गारंटीकृत आस्तियों (जहां वह 90 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय रहा हो), लाभान्श आय, बीमा दावे, जारी किये गये साख-पत्रों / गारंटियों पर कमीशन (परियोजना वित्त से संबंधित को छोड़कर अन्य), बैंक एश्यरेंस उत्पादों पर आय, धन प्रबंधन पर आय, खरीदे गए बिलों पर अतिरिक्त

ब्याज/अतिदेय प्रभार, क्रेडिट कार्डों पर वित्त प्रभार, पुनः क्षतिपूर्ति के बैंक के अधिकार पर आय, डेबिट कार्डों पर एएमसी प्रभार आदि से आय को उनकी वसूली होने पर हिसाब में लिया जाता है तथा प्राप्त लॉकर किराये को प्रोद्भूत आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

9.1.3 अतिदेय विदेशी बिलों के मामले में, ब्याज और अन्य प्रभारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाय) के दिशानिर्देशों के अनुसार क्रिस्टलाइजेशन की तारीख तक माना जाता है।

अनुषंगी कंपनियाँ :

9.2. इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

- इश्यु प्रबंधन शुल्क और अन्य प्रबंधकीय सेवाओं के लिए शुल्क – समनुदेशन पूरा होने की तारीख को मान लिया जाता है।
- वित्तीय उत्पादों के वितरण पर हमीदारी कमीशन और दलाली – अंशदान ब्यौरे प्राप्त होने पर मान लिया जाता है।
- स्टॉक ब्रोकिंग परिचालनों के अधीन दलाली को संविदा के पूरा करने पर लेखांकित किया जाता है।
- अतिदेय पट्टा किराये पर और किराया खरीद किस्तों पर ब्याज पावती आधार पर लेखांकित किया जाता है। चूंकि बही खातों में बकायी राशि के लिए पूर्णतः प्रावधान रखा गया है, प्राप्त राशि को बकाए मूलधन राशि के तहत तथा शेष, ब्याज के तहत कुछ हों तो समायोजित किया जाता है।
- लाभांश आय का अभिज्ञान तब किया जाता है, जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।
- वार्षिक रखरखाव तथा लेनदेन प्रभार को डिपाजिटरी प्रतिभागी परिचालनों के अधीन क्रमशः वार्षिक रूप में और लेनदेन समाप्ति पर लिया जाता है।

9.3. इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड :

- आय की पहचान और गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान नेशनल हाउसिंग बैंक के विवेकी मानदंडों का पालन किया जाता है।
- आवास ऋणों की पुनरदायगी, समीकृत मासिक किस्तों (ईएमआई) के जरिए, की जाती है, जिसमें मूलधन और ब्याज राशि शामिल हैं। संबंधित अर्ध-वर्ष/वर्ष के आरंभिक शेष पर प्रत्येक अर्ध-वर्ष पर ब्याज का परिकलन किया जाता है। पूरे ऋण के वितरण के बाद ईएमआई आरंभ होती हैं। ईएमआई के प्रारंभ होने के समय तक, ईएमआई-पूर्व ब्याज देय है तथा मासिक आधार पर इसका अभिज्ञान किया जाता है।

10. क्रेडिट कार्ड पुरस्कार पाइंट

कार्ड सुविधा के प्रयोग पर कार्ड सदस्यों द्वारा अर्जित पुरस्कार पाइंटों को ऐसे प्रयोग के लिए व्यय के रूप में समझा जाता है।

11 निवल लाभ/हानि

लाभ व हानि लेखे में दर्शाया गया परिणाम निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात् है

- गैर निष्पादक अग्रिमों और/या निवेशों के लिए प्रावधान
- मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान
- पुनः संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान
- अचल आस्तियों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान

- निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान
- आकस्मिकता निधि को / से अंतरण
- प्रत्यक्ष करों के लिए प्रावधान
- अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए प्रावधान
- सामान्य और/या अन्य आवश्यक प्रावधान

12 स्टाफ को सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होनेवाले लाभ

मूल संस्था

12.1.1 भविष्य निधि

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और विकल्पी भविष्य निधि अंशदान के मामले में, बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है। ऐसे निश्चित अंशदान के लिए बैंक का दायित्व सीमित है। अंशदानों को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंधन इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

12.1.2 उपदान

इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि नियमों एवं शर्तों के अनुसार उपदान देयता एक वैधानिक दायित्व है और इसका प्रावधान वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। उपदान देयता का वित्तीय बैंक द्वारा किया जाता है और इसका प्रबंधन इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

12.1.3. पेंशन

ए) पेंशन दायित्व इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम 1995 के तहत परिभाषित लाभकारी दायित्व है। यह ऐसे कर्मचारियों को, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है, जिन्होंने 31.03.2010 तक बैंक में भर्ती हुए हैं या जिन्होंने पेंशन का विकल्प दिया है।

बी) नई पेंशन योजना(एनपीएस) उन कर्मचारियों पर लागू होती है जिन्होंने बैंक में 01.04.2010 के बाद भर्ती हुए हैं और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

12.1.4. क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ

संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ जैसे अर्जित अवकाश और चिकित्सा अवकाश बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दी जाती हैं।

12.1.5. अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी यात्रा रियायत और सेवानिवृत्ति पर अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध कराये जाते हैं। समुद्रपारीय शाखाओं एवं कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति के अलावा कार्यरत कर्मचारियों से संबंधित लाभ तत्संबंधी कार्याधिकार क्षेत्रों के कानून के तहत दिए जाते हैं।

अनुषंगी कंपनियाँ

इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सेवाएं लि.

- 12.2 अल्प कालिक कर्मचारी हितों /बाध्यताओं का प्राक्कलन कर प्रावधान किया गया।

ग्रेच्युटि – ग्रेच्युटि, जोकि अर्ह कर्मचारियों को कवर करनेवाली एक परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ योजना है, के प्रति अनुषंगी का दायित्व है। योजना में सेवानिवृत्ति, नियोजन में रहते मृत्यु अथवा नियोजन समापन पर निहित कर्मचारियों को समाप्त प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन के बराबर की राशि देने का प्रावधान है। पांच वर्षों की सेवा की समाप्ति पर वेस्टिंग शुरू होती है। न्यास के रूप में स्थापित ग्रेच्युटि निधि को अनुषंगी भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ समूह ग्रेच्युटि पॉलिसी के ज़रिए वार्षिक अंशदान देती है। ग्रेच्युटि के प्रति अनुषंगी की देयता का बीमाकिक निर्धारण तुलन पत्र की तारीख पर प्रक्षेपित यूनिट जमा (पीयूसी) पद्धति का प्रयोग करते हुए किया जाता है। बीमाकिक लाभ व हानि का राजस्व में अभिज्ञान किया जाता है।

भविष्य निधि – अनुषंगी के अर्ह कर्मचारी, भविष्य निधि जोकि एक परिभाषित अंशदान योजना है के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु हकदार हैं जिसमें कवर किए गए कर्मचारी के वेतन के एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर दोनों कर्मचारी एवं अनुषंगी मासिक अंशदान देते हैं, विधि के तहत यथा निर्दिष्ट अंशदान भविष्य निधि को और भविष्य निधि प्राधिकारियों के साथ रखी गयी पेंशन निधि को अदा किए जाते हैं।

छुट्टी की भुनाई : इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्त स्टाफ़ से अन्य कर्मचारियों की छुट्टी की भुनाई की देयता के लिए, प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर न ली गई छुट्टी के दिनों के आधार पर बीमाकिक आधार पर प्रावधान किया जाता है।

इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्त पर रहे स्टाफ की सेवानिवृत्ति लाभ देयता, योग्य भविष्य निधि अंशदान के अलावा इंडियन बैंक द्वारा वहन की जाती है।

इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड :

12.3. भविष्य निधि में अंशदान, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास किए जाते हैं।

ग्रूप ग्रेच्युटि योजना के अन्तर्गत गठित न्यास द्वारा ग्रेच्युटि देयता कवर किया जाता है। न्यास ने भारतीय जीवन बीमा निगम से समूह ग्रेच्युटि पॉलिसी खरीदी है और वार्षिक प्रीमियम, न्यास के ज़रिए अदा किया जाता है।

छुट्टी की भुनाई की देयता के लिए बीमाकिक आधार पर प्रावधान किया जाता है।

13. पट्टे हेतु लेखांकन

परिचालनगत पट्टों पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टा भुगतानों को कीमत वृद्धि सहित पट्टा अवधि या आस्तिकी अवधि, भी जो कम हो, के दौरान लाभ व हानि खाते में अभिज्ञात किये जाते हैं।

14. आकस्मिक देयताएँ और प्रावधान :

14.1 आकस्मिक देयता : पहले किए गए कार्यकलापों को जिनसे वर्तमान में संभाव्य बाध्यताएँ हो सकती हैं, निम्न दशाओं में आकस्मिक देयता के रूप में पहचाने जाते हैं, जहाँ :

(ए) ऐसी बाध्यताओं के मौजूद रहने की बात पुष्टिकृत नहीं की गई है

(बी) ऐसी बाध्यताओं को निपटाने के लिए संसाधन का बहिर्गमन आवश्यक नहीं है

(सी) बाध्यताओं की राशि के लिए कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता

(डी) ऐसी राशियाँ भौतिक नहीं हैं,

विगत घटनाएँ, जिनसे वर्तमान या संभावित बाध्यताएँ हो सकती हैं, को आकस्मिक देयता के रूप में माना जाता है।

14.2 (ए) वर्तमान बाध्यताओं के संबंध में तब प्रावधान को माना जाता है, जब विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है और / या संसाधनों का बहिर्गमन संभावित है, जिनमें बहुत छोटे दावों को छोड़कर शेष मामलों में आर्थिक लाभों को त्यागना पड़ सकें।

(बी) बाजार जोखिम, देश जोखिम आदि के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार किये जाते हैं।

(सी) बैंक प्रबन्धन द्वारा अभिज्ञात किये अनुसार फ्लोटिंग प्रावधान किया जाता है।

भारिबैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार फ्लोटिंग प्रावधान का प्रयोग निम्नलिखित हेतु किया जा सकता है

(I) गैर-निष्पादक आस्तियों हेतु विशेष प्रावधान करना

(ii) गैर-निष्पादक आस्तियों की बिक्री में किसी कमी की पूर्ति करना

15. आस्तियों का अनर्जक होना :

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) के संबंध में आस्तियों की हानि यदि कोई हो, लेखा मानक 28 "आस्तियों का अनर्जक होना" के अनुरूप पहचानी जाती है और उन्हें लाभ एवं हानि लेखों में प्रभारित किया जाता है। तथापि, पुनर्मूल्यांकित आस्तिकी पर अनर्जक हानि को उस आस्तिकी के लिए रखी गयी पुनर्मूल्यांकित अधिशेष राशि के तहत अभिज्ञानित किया जाता है जबतक उसी आस्तिकी के लिए पुनर्मूल्यांकित अधिशेष राशि में रखी गयी राशि अनर्जक आस्तिकी से अधिक न हो।

16. आय पर कर :

16.1 कर हेतु प्रावधान, चालू कर तथा आस्थगित कर दोनों के लिए किया जाता है।

16.2 प्रयोज्य कर दरें, कर नियम और अनुकूल न्यायिक निर्णय / विधिक मत का उपयोग करते हुए कर प्राधिकारियों को देय आकलित राशि के आधार पर वर्तमान कर का आकलन किया जाता है।

16.3 समय के अंतर के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ और देयताएँ जोकि बाद के वर्षों में प्रत्यावर्तन की क्षमता रखती हैं, को तुलन पत्र की तारीख तक अथवा बाद में तैयार किए गए कर दरों व कर कानूनों का प्रयोग करके अभिपहचानित किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों को कर हानि के असंगत मूल्यहास को आगे बढ़ाने पर अभिपहचानित किया गया, जब असली निश्चितता हो और अन्य के संबंध में, यदि उचित निश्चितता हो कि पर्याप्त भावी कर-योग्य आय उत्पन्न होगी जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की उगाही जा सके।

17. परिचालनों को बन्द करना :

इंड बैंक मर्चेट बैंकिंग सर्विसेस लि. के संबंध में परिचालनों को बन्द करने के लिए अपनायी जानेवाली लेखांकन नीतियाँ, परिचालनों को जारी रखने के लिए अपनायी जानेवाली लेखांकन नीतियों के समनुरूप हैं।

अनुसूची –18

समेकित वित्तीय विवरणियों के लिए लेखों पर टिप्पणियां (2019–20)

1. अनुषंगियां

क्रम सं.	अनुषंगी का नाम	संस्थापना का देश	स्वामित्व का अनुपात
ए	इंडबैंक हाउसिंग लि.	भारत	51.00%
बी	इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लि.	भारत	64.84%

2. सहयोगी

क्रम सं.	सहयोगियों का नाम	शेयरधारिता का ढांचा
ए	तमिलनाडु ग्राम बैंक	35%
बी	सप्तगिरि ग्रामीण बैंक	35%
सी	पुदुचै भारतीयार ग्राम बैंक	35%

लेखा समाधान एवं समायोजन

मूल संस्था

अंतर शाखा लेखों का लेखा समाधान 31.03.2020 तक पूरा किया जा चुका है। बैंक ने विभिन्न कारगर उपायों के द्वारा पुरानी बकाया प्रविष्टियों / आईबीजीए के स्तर में कमी लाई है। शेष बकाया प्रविष्टियों के समायोजन का कार्य प्रगति पर है। प्रबन्धन के अनुसार कुल ₹ 4.86 करोड़ राशि की 5747 आईबीजीए जमा प्रविष्टियाँ जोकि 01.03.2009 के पूर्व की अवधि से संबंधित है, बकाया हैं।

31.03.2019 तक 6 महीनों से अधिक के लिए बकाया अंतर शाखा लेखों में असमाशोधित प्रविष्टियों के संबंध में निवल जमा स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है।

देय ड्राफ्ट, समाशोधन समायोजन, विविध प्राप्य, विविध जमा खाते आदि में और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों से संबंधित बैंक समाधान में पुरानी बकाया प्रविष्टियों के समुचित समायोजन के लिए नियमित पुनरीक्षा की जाती है।

कुछ शाखाओं में अनुषंगी बहियों / रजिस्ट्रों का तुलन और सामान्य बहियों के साथ लेखा समाधान प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में खातों पर उपर्युक्त विषयों का परिणामी वित्तीय प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होगा।

3. अचल आस्तियां

मूल संस्था

3.1.1 बैंक के परिसर में भूमि शामिल है तथा इसे पुनर्मूल्यांकित राशि पर लिया गया है! बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अपने परिसर को पुनर्मूल्यांकन अनुमोदित बाह्य मूल्यांककों द्वारा उचित बाजार मूल्य पर किया है। परिसर के पुनर्मूल्यांकन की राशि में रु.555.14 करोड़ की वृद्धि हुई है, जिसे "पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते" में जमा किया गया। वर्ष 2019-20 के लिए व्यय के तहत ₹110.49 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष - ₹ 85.33 करोड़) मूल्यहास हेतु प्रभारित किया गया तथा और ₹ 107.20 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष ₹ 81.55 करोड़) की पुनर्मूल्यांकित अंश पर मूल्यहास को "पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते" में समायोजित किया गया। एएस 10 मानक के अनुसार, वर्ष 2019-20 के लिए व्यय के तहत ₹ 107.20 करोड़ रुपये की आस्तियों पर मूल्यहास हेतु भी प्रभार लगाया गया। इसे राजस्व आरक्षित खाते में क्रेडिट कर पुनर्मूल्यांकन आरक्षित के विरुद्ध समायोजित किया गया।

3.1.2 परिसर में ₹3.59 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 3.59 करोड़ मूल्य की 4 संपत्तियाँ) मूल्य की 4 संपत्तियाँ हैं जिनका पुनर्मूल्यांकित बही मूल्य, निवल मूल्यहास ₹48.04 करोड़ (विगत वर्ष ₹49.22 करोड़) है जिसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया लंबित है।

3.1.3 आरक्षितियों से कमी :

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	आरक्षित निधियां	आहरित राशि		उद्देश्य
		2019-20	2018-19	
1.	पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियों	107.20	81.55	परिसर में पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यहास

4. कोविड-19 उपाय

- 4.1 दुनिया भर में कोविड-19 के प्रसार से आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई है और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ी है। इस स्थिति में, हालांकि चुनौतियां सामने आ रही हैं, लेकिन बैंक सभी मोर्चों पर इनका सामना कर रहा है। स्थिति अनिश्चित बनी हुई है और बैंक निरंतर स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है। कोविड-19 वैश्विक महामारी बैंक के परिणामों को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भविष्य के विकास पर निर्भर करेगा, जो अत्यधिक अनिश्चित हैं। बैंक के लिए प्रमुख चुनौतियां विस्तारित कार्यशील पूंजी चक्र और कम नकदी प्रवाह होगी। बैंक की पूंजी और तरलता की स्थिति मजबूत है और इस अवधि के दौरान यह बैंक के लिए केंद्र बिन्दु बना रहेगा।
- 4.2 आरबीआई ने दिनांक 27.03.2020 एवं 17.04.2020 की अधिसूचना के जरिए, कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न ऋण चुकौतियों से संबंधित अवरोधों से उबरने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं ताकि कारोबार को लाभप्रद बनाया जा सके। इन उपायों में, भुगतानों का पुनर्निर्धारण दृ मीयादी ऋण और कार्यशील पूंजी सुविधाएं, कार्यशील पूंजी वित्तपोषण को आसान बनाना, विशेष उल्लेखित खाते (एसएमए) के रूप में वर्गीकरण और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) इत्यादि शामिल हैं। तदनुसार बैंक ने निम्नलिखित प्रावधान किए हैं :
- जिन खातों में 725.99 बकाया था कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान उनके लिए 108.90 करोड़ रुपये के प्रावधान किया गया जोकि कुल बकाया का 15% था। ऐसे, खाते 29.02.2020 को स्टैंडर्ड खाते थे। ये सारे खाते 31.03.2020 को अनर्जक आस्तियां बन जाते अगर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त तिथि में डेब्ट सर्विसिंग रिलीफ की घोषणा नहीं करता।
 - उपरोक्त खातों के संबंध में, ब्याज आय कुल मिलाकर 39.46 करोड़ रु. को परिचालन लाभ में शामिल किया गया है और एक समान राशि उन आस्तियों के मुकाबले अतिरिक्त प्रावधान के रूप में रखी गई है।

4.3. कोविड-19 के आस्थगन मामलों के लिए सामान्य प्रावधान :

दिनांक 27 मार्च, 2020 और 17 अप्रैल, 2020 को जारी किए गए कोविड-19 विनियामक पैकेज से संबंधित आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार तथा भारतीय बैंक संघ के माध्यम से 6 मई, 2020 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, बैंक किश्तों के भुगतान और / या ब्याज पर अधिस्थगन प्रदान कर रहा है, जैसा लागू हो, 1 मार्च, 2020 और 31 मई, 2020 (स्थगन अवधि) के मध्य देय के लिए, पात्र उधारकर्ताओं को स्टैंडर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है, भले ही 29 फरवरी, 2020 तक अतिदेय हो। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक द्वारा अधिस्थगन अवधि, जहां भी दी गई है, को आरबीआई के आय मान्यता और परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों के तहत परिसंपत्ति वर्गीकरण के उद्देश्य से पिछले देय दिवसों की संख्या से बाहर रखा गया है। बैंक किसी निश्चित समय तक उपलब्ध सूचना के आधार पर कोविड-19 के संभावित प्रभाव के लिए 31 मार्च 2020 तक प्रावधान रखता है। बैंक द्वारा किए गए प्रावधान आरबीआई द्वारा निर्धारित मानदंडों से अधिक हैं। बैंक द्वारा किए गए ऐसे खातों और प्रावधानों का विवरण निम्नलिखित हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को
एसएमए/ अतिदेय श्रेणियों में बकाया अग्रिम, जहां कोविड-19 विनियामक पैकेज के अनुसार स्थगन / स्थगन को बढ़ाया गया था	53623.38
अग्रिम बकाया जहां संपत्ति वर्गीकरण लाभ 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाए जाते हैं	725.99
31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कोविड-19 नियामक पैकेज के पैरा 5 के अनुसार किए गए प्रावधान	148.36
31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान समायोजित किए गए प्रावधान	शून्य

5. कराधान

मूल संस्था

5.1 वर्ष के दौरान आयकर हेतु किए प्रावधान की राशि :

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2018-19
कराधान के लिए प्रावधान (आस्तितगत कर सहित आय कर)	619.37	-37.74

31.03.2020 को विवादित आयकर मांग ₹ 4129.14 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4348.52 करोड़) है, आकस्मिक देयताएँ के तहत भी शामिल किया गया जिसमें से 31.03.2020 तक विवादित आयकर का भुगतान ₹4396.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹5704.41 करोड़) है। न्यायिक उद्घोषणाओं तथा बैंकों स्वयं के मामले में अनुकूल निर्णयों के कारण कथित विवादित मांगों पर कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया।

5.2 अनुषंगी कंपनियां

5.2.1 इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लि.

- ए) इस वर्ष में कर के लिए ₹50.95 लाख (एमएटी गणना के अनुसार) का प्रावधान किया गया है।
- बी) विषयों पर न्यायिक निर्णयों और/या विधिक राय को ध्यान में रखते हुए आयकर की विवादित मांगों के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।
- सी) इस वर्ष के लिए आस्थगित कर (निवल) हेतु ₹34.15 लाख का प्रावधान है (पिछले वर्ष – ₹4.02 लाख) तथा इसे लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया गया है।
- डी) पूर्व अवधि के कर : शून्य

5.2.2 इंड बैंक हाऊसिंग लिमिटेड

- ए. भ्रामक अनिश्चितता के आधार पर अनवशोषित मूल्यहास और भावी कर-योग्य आय के विरुद्ध समंजन के लिए अगले लाभ से घाटा-पूर्ति को आस्थगित कर आस्ति के रूप में नहीं माना गया है।
- बी. आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 1999-2000 के लिए ब्याज सहित ₹4.32 करोड़ के लिए एक मांग नोटिस भेजी है। यह मांग उपचय आधार पर गैर निष्पादक आस्तियों पर आय को ध्यान में लेते हुए भेजी गई है जिसे एनएचबी के दिशानिर्देशों के अनुसार आय के रूप में पहचाना नहीं जा सकता है। कंपनी ने इस मांग के विरुद्ध विवाद करते हुए माननीय मद्रास हाई कोर्ट के समक्ष अपील दायर किया है।

6. लेखाकरण मानकों के संबंध में प्रकटीकरण

मार्च 31, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण (एस 3)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
लाभ व हानि खाते के अनुसार निवल लाभ	862.02	380.73
निम्नलिखित हेतु समायोजन		
प्रावधान व आकस्मिकताएं	5738.49	4557.48
मूल्यहास	314.00	259.29
आस्तियों की बिक्री पर हानि/(लाभ)	(0.73)	1.51
कार्यशील पूँजी परिवर्तनों के पूर्व परिचालनगत लाभ	6123.78	4500.01
परिचालनगत आस्तियों में वृद्धि / कमी		
निवेशों में कमी/(वृद्धि)	(16249.24)	6347.59
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(16625.10)	-24692.98
अन्य आस्तियों में कमी/(वृद्धि)	(1895.00)	-725.46
	(34769.34)	-19070.85

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
परिचालनगत देयताओं में वृद्धि / कमी		
जमाओं में वृद्धि	18143.60	33778.98
उधार में वृद्धि / (कमी) (पूँजी लिखत के अलावा)	8692.77	-8622.63
अन्य देयताओं में वृद्धि / (कमी)	(6920.72)	-4315.66
	19915.65	20840.69
परिचालन से सृजित निवल नकदी (ए)	(8729.91)	6269.85
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों की खरीद	(259.16)	-256.44
अचल आस्तियों की बिक्री	11.79	7.88
निवेश गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (बी)	(247.37)	-248.56
वित्तपोषण गतिविधियों से कुल नकदी प्रवाह		
प्रदत्त किया गया लाभांश	0.00	0.00
प्रदत्त लाभांश वितरण कर	0.00	0.00
उधार (पूँजी लिखत) में वृद्धि / (कमी)	0.00	1000.00
शेयर से प्राप्त पूँजी	2829.49	0.00
वित्तपोषण गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (सी)	2829.49	1000.00
लेन देन रिजर्व पर विनिमय उतार चढ़ाव का प्रभाव (डी)	56.67	72.83
नकदी और नकदी समकरणों में निवल वृद्धि / (कमी) (ए) + (बी) + (सी) + (डी)	(6091.12)	7094.12
वर्ष के प्रारंभ में नकदी व नकदी तुल्य		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1030.76	499.70
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष	10671.11	10001.90
बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	4.35	15.27
(बी) अन्य जमा खातों में	717.14	640.69
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	2200.00	0.00
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	203.66	166.39
(बी) अन्य जमा खातों में	5168.47	1609.01
मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	32.13	0.54
	20027.60	12933.50
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी तुल्य		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1006.09	1030.76
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष	4730.04	10671.11
बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	8.86	4.35
(बी) अन्य जमा खातों में	721.65	717.14
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	2100.00	2200.00
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	530.93	203.66
(बी) अन्य जमा खातों में	4830.26	5168.47
मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	8.65	32.13
	13936.48	20027.60
प्रारंभिक एवं अंतिम नकदी में अंतर एवं नकदी समकरण	(6091.12)	7094.12

7. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (एएस 10)

मूल संस्था

वर्ष के दौरान, अचल आस्तियों के पुनर्मूल्यन अंश पर मूल्यह्रास को लेखा मानक (एएस -10) में परिवर्तन का पालन करने के लिए पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान पुनर्मूल्यंकन आरक्षित को प्रभार के विरुद्ध लाभ एवं हानि खाता खातों को प्रभारित किया जाता है। इसका व्यय में ₹ 107.20 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी और निवल लाभ में ₹ 107.20 करोड़ रुपये की कमी का प्रभाव पड़ा।

8 कर्मचारी लाभ (एएस 15)

8.1.1 परिभाषित अंशदान योजनाएँ :

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुननेवालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, बैंक ने ₹0.56 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.70 करोड़) का अंशदान दिया है।

नई पेंशन योजना उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी बैंक में भर्ती 01.04.2010 के बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, बैंक ने ₹ 58.41 करोड़ (पिछले वर्ष ₹49.71 करोड़) का अंशदान दिया है।

8.1.2 परिभाषित लाभ योजनाएँ :

लेखा मानक - 15 (संशोधित) के अनुसरण में अपेक्षित लाभ एवं हानि लेखा और तुलन पत्र में मान्यता दिए गए नियोजनोत्तर लाभ और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की संक्षेप में स्थिति निम्नानुसार है : -

निम्न तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार परिभाषित लाभ पेंशन योजना और उपदान योजना का आधार निर्धारित करता है।

I. मूल बीमांकन अनुमान (भारत औसतों के रूप में व्यक्त)	31/03/2020	31/03/2019
बट्टे की दर - जी-सेक दर	पेंशन के लिए 6.89% - 15 वर्ष जी -सेक पत्र उपदान के लिए 6.82% - 10 वर्ष जी-सेक पत्र	पेंशन के लिए 7.79% - 15 वर्ष जी -सेक पत्र उपदान के लिए 7.47% - 10 वर्ष जी-सेक पत्र
वेतन बढ़ोतरी की दर	6.00% (वेतन संशोधन के लिए 0.50% के साथ)	6.00% (वेतन संशोधन के लिए 0.50% के साथ)
पदत्याग की दर	पेंशन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%	पेंशन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर *	पेंशन के लिए 8.05% और उपदान के लिए 7.74%	पेंशन के लिए 8.26% और उपदान के लिए 8.23%
प्रयुक्त तरीका	परियोजना इकाई ऋण (पीयूसी) बीमांकक तरीका	

* योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर, छुट्टी भुनाई पर लागू नहीं होगी।

भावी वेतनवृद्धियों के आकलन मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संबंधित घटक जैसे नियोजन बाजार में आपूर्ति एवं मांग को हिसाब में लेकर भारतीय बैंक संघ द्वारा अधिवर्षिता योजनाओं के निधीयन पर दिशानिर्देशों के अनुरूप किये जाते हैं। इस तरह के अनुमान बहुत दीर्घकालिक हैं और सीमित पिछले अनुभव / तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी सुझाव देते हैं कि बहुत लंबे समय में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है।

छुट्टी भुनाई की देयताएँ गैर-निधिक होते हैं।

(₹ करोड़ में)

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन - अथशेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	6520.32	6245.89	923.85	964.99	188.20	179.51
ब्याज लागत	425.49	462.66	62.84	66.44	13.93	13.20
वर्तमान सेवा लागत	96.47	89.58	46.30	41.29	20.03	22.40
विगत सेवा लागत - पहचाने गए/निहित लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत - पहचाने न गए/गैर-निहित लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	(-689.59)	-613.46	-165.24	-150.98	-17.77	-19.32
बाध्यता पर (संतुलन आंकडा) बीमांकिक हानि/(लाभ)	449.26	335.65	61.23	2.11	5.90	-7.58
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	6801.95	6520.32	928.98	923.85	210.29	188.21

(₹ करोड़ में)

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – अथशेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	6418.93	6146.80	910.66	932.55	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	508.32	496.59	64.46	71.94	0.00	0.00
अंशदान	446.42	397.58	69.64	57.53	17.77	19.32
प्रदत्त लाभ	-689.59	-613.46	-165.24	-150.98	-17.77	-19.32
योजना आस्तियों पर (संतुलन आंकड़ा) बीमाकिक लाभ / (हानि)	13.33	-8.58	16.88	-0.38	0.00	0.00
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	6697.41	6418.93	896.40	910.66	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	508.32	496.59	64.46	71.94	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर बीमाकिक लाभ (हानि)	13.33	-8.58	16.88	-0.38	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	521.65	488.01	81.34	71.56	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

V. पहचाना गया बीमाकिक लाभ/हानि	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
वर्ष के लिए बीमाकिक लाभ/(हानि) – बाध्यता	-449.25	-335.65	-24.74	-2.11	5.90	7.58
वर्ष के लिए बीमाकिक लाभ/(हानि)– डीबीओ में वित्तीय ग्रहण के कारण परिवर्तन	0.00	0.00	-36.48	0.00	0.00	0.00
वर्ष के लिए बीमाकिक लाभ/(हानि)–योजना आस्तियां	13.32	-8.58	16.88	-0.38	0.00	0.00
वर्ष के लिए कुल (लाभ) / हानि	-435.93	-344.23	-44.34	-2.49	5.90	7.58
वर्ष के दौरान पहचाने गए बीमाकिक लाभ/(हानि)	-435.93	-344.23	-44.34	-2.49	5.90	7.58
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमाकिक लाभ/(हानि)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40

(₹ करोड़ में)

VI. तुलन पत्र में पहचानी गयी राशियां और संबंधित विश्लेषण	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	6801.96	6520.32	928.98	923.85	210.29	188.21
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	6697.41	6418.93	896.40	910.66	0.00	0.00
अन्तर – तुलन पत्र में पहचानी गयी निवल (देयता)/ आस्ति	-104.55	-101.39	-32.58	-13.19	-210.29	-188.21
पहचान न की गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पहचान न की गयी विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तुलन पत्र में पहचानी गयी देयता	-104.55	-101.39	-32.58	-13.19	-210.29	-188.21

(₹ करोड़ में)

VII. लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
वर्तमान सेवा लागत	96.47	89.58	46.31	41.29	20.03	22.40
ब्याज लागत	425.49	462.66	62.84	66.44	13.93	13.20
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	-508.32	-496.58	-65.44	-71.94	0.00	0.00
निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि जो इस वर्ष में पहचानी गयी है	435.93	344.23	58.51	2.49	5.90	-7.58
इस वर्ष में पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचानी गई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	449.57	399.89	102.22	38.28	39.86	28.02

(₹ करोड़ में)

VIII. तुलन पत्र में पहचानी गयी देयताओं में परिवर्तन	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
निवल देयता का आरंभिक शेष	-101.39	-99.08	-13.19	-32.43	-188.21	-179.51
उपर्युक्तानुसार व्यय	-449.58	-399.89	-89.02	-38.28	-39.86	-28.02
प्रदत्त अंशदान	446.42	397.58	69.64	57.53	17.77	19.32
निवल देयता का अंत शेष	-104.55	-101.39	-32.58	-13.19	-210.30	-188.21

(₹ करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों/देयताओं पर अनुभव समायोजन (i) पिछले वर्ष 2015-20 – पेंशनको समाप्त वर्ष					
	31-03-2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	5306.22	5608.14	5925.15	6245.89	6520.32	6801.96
योजना आस्तियां	5215.05	5508.95	5841.36	6146.80	6418.93	6697.41
अधिशेष (घाटा)	-91.17	-99.19	-83.79	-99.09	-101.39	-104.55
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (लाभ/हानि)	-305.93	-384.40	-626.82	-704.39	-335.65	449.25
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (लाभ/हानि)	13.13	-7.61	27.73	10.93	-8.58	13.32

(₹ करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों/देयताओं पर अनुभव समायोजन (ii) पिछले वर्ष 2015-20 – उपदानको समाप्त वर्ष					
	31-03-2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	844.78	831.94	900.90	964.99	923.85	928.98
योजना आस्तियां	835.47	829.38	876.81	932.55	910.66	896.40
अधिशेष (घाटा)	-9.31	-2.56	-24.09	-32.44	-13.19	-32.58
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (लाभ/हानि)	21.09	-24.20	-87.34	-36.20	-2.11	61.22
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (लाभ/हानि)	10.61	-1.66	-1.36	22.12	-0.38	3.69

(₹ करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों / देयताओं पर अनुभव समायोजन (iii) पिछले वर्ष 2015-20 - छुट्टी मुनाईको समाप्त वर्ष					
	31-03-2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	154.58	161.63	171.21	179.51	188.21	210.29
योजना आस्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अधिशेष (घाटा)	-154.58	-161.63	-171.21	-179.51	-188.21	-210.29
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (लाभ/हानि)	-8.15	-100.37	-3.01	10.18	7.58	17.71
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (लाभ/हानि)	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

X. योजना आस्तियों के मुख्य संवर्ग (कुल योजना आस्तियों के प्रतिशत में)	2019-2020		2018-2019	
	पेंशन निधि	उपदान निधि	पेंशन निधि	उपदान निधि
भारत सरकार प्रतिभूतियाँ और राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	55.00%	0.00%	63.00%	0.00%
उच्च गुणवत्तावाले कार्पोरेट बांड / पीएसयु बांड	40.00%	0.00%	-	-
विशेष जमा योजना	1.00%	-	-	-
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ	4.00%	100.00%	37.00%	100.00%
निजी क्षेत्र के बॉण्ड	-	-	-	-
मनी मार्केट	-	-	-	-
कुल	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

(₹ करोड़ में)

XI. अगले वर्ष के दौरान अंशदान	पेंशन निधि	उपदान राशि	अर्जित छुट्टी
अगले वर्ष के दौरान अंशदान पर उद्यम का सर्वोच्च अनुमान**	1000	400	200

**अनुमान में वृद्धि इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक के सम्मेलन के कारण है

8.1.3 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों के लिए ₹3.71 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष ₹2.19 करोड़.) प्रदान / (अवलिखित) की गई तथा इसे लाभ एवं हानि लेखा में "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" शीर्षक के तहत शामिल किया गया।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों हेतु बनाए गए (अवलिखित) अतिरिक्त प्रावधानों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ	31/03/2020	31/03/2019
1	बीमारी छुट्टी	2.15	1.81
2	आकस्मिक छुट्टी	0.12	0.02
3	छुट्टी यात्रा रियायत	1.44	0.36
	कुल	3.71	2.19

सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ	अथशेष 01.04.2019	व्यय 2019-20	जोड़ 2019-20	अंतिम शेष 31.03.2020
1	बीमारी छुट्टी	6.22	0	2.16	7.38
2	आकस्मिक छुट्टी	0.59	0	0.12	0.71
3	छुट्टी यात्रा रियायत	4.63	13.59	15.74	6.78
	कुल	11.44	13.59	18.02	14.87

नोट: शामिल प्रकटीकरण में बीमांकक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की सीमा तक सीमित है।

8.2 अनुषंगी कंपनियां

8.2.1 इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड -

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना हेतु अंशदान जिसे वर्ष के लिए व्यय माना गया, निम्नप्रकार प्रस्तुत है :

₹

विवरण	2019-20	2018-19	2017-18
भविष्य निधि को नियोक्ता का अंशदान	3956245	3551012	3291972

परिभाषित लाभ योजना
I) परिभाषित लाभ बाध्यता के अथशेष व इतिशेष का लेखा समाधान

₹

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर-निधिक)	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
वर्ष के आरंभ में परिभाषित लाभ बाध्यता	10424236	8629583	7487157	6411244
वर्तमान सेवा लागत	875494	796422	346222	308077
ब्याज लागत	781818	690367	535448	488043
बीमांकिक (लाभ)/ हानि	1161862	378206	1559387	746754
प्रदत्त लाभ	(702125)	(70342)	(752593)	(466961)
निपटान लागत	-	-	-	-
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ बाध्यता	12541285	10424236	9175621	7487157

II) योजना आस्तियों के अथशेष व इतिशेष के उचित मूल्य का लेखा समाधान

₹

विवरण	उपदान (निधिक)	
	2019-20	2018-19
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	11550311	9630894
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	758843	763672
अंशदान	-	1226088
बीमांकिक (लाभ)/ हानि	-	-
प्रदत्त लाभ	(702125)	(70342)
निपटान लागत	-	-
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	11607029	11550312
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	1161862	378206

III) आस्तियों व बाध्यताओं के उचित मूल्य का लेखा समाधान

₹

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर-निधिक)	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	11607029	11550312	-	7487157
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	12541285	10424236	9175621	6411244
तुलन-पत्र में अभिज्ञात राशि	(934256)	1126076	(9175621)	1075913

IV) वर्ष के दौरान अभिज्ञात व्यय

₹

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर-निधिक)	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
वर्तमान सेवा लागत	875494	796422	346222	308077
ब्याज लागत	781818	690367	535448	488043
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	758843	763672	-	-
बीमांकिक (लाभ) / हानि	1161862	378206	1559387	746754
निवल लागत	2060331	1101323	2441057	1075913

V) बीमांकिक अनुमान

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर-निधिक)	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
मृत्यु संख्या सारणी (जीबीनि)	1994- 96	1994-96	1994-96	1994-96
	(अंतिम)	(अंतिम)	(अंतिम)	(अंतिम)
बट्टा दर (प्रतिवर्ष)	7.25%	7.5%	6.61%	8.00%
प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर (प्रतिवर्ष)	8.00%	8.00%	-	-
वेतन वृद्धि दर (प्रतिवर्ष)	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
सेवात्याग दर	1% to 3%	1% to 3%	7.00%	7.00%

मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं नियोजन बाजार में आपूर्ति और माँग सहित अन्य संबंधित घटकों को ध्यान में रखते हुए बीमांकक मूल्यांकन में वेतन में वृद्धि की दर का अनुमान लगाया गया है। प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर कतिपय लागू घटकों, मुख्यतः धारित योजना आस्तियों का सम्मिश्रण, निर्धारित जोखिमों, योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ के ऐतिहासिक परिणाम और योजना आस्तियों हेतु कंपनी की नीति को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है। इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्त स्टाफ के संबंध में सेवा निवृत्ति लाभ देयता का वहन इंडियन बैंक द्वारा किया जाएगा।

कंपनी ने वर्ष 2019-20 में उपदान देयता की ओर ₹ 20.36 लाख (पिछले वर्ष ₹13.49 लाख) का अंशदान दिया है।

8.2.2 आनुषंगी कंपनियां इंडबैंक हाउसिंग लि.

उपदान निधि की ओर कंपनी की बाध्यता एवं बीमांकक मूल्यांकन के ब्यौरे :

₹

1	कुल विगत सेवा उपदान	664,113
2	विगत सेवा उपदान बीमांकक मूल्य	686,909
3	जीवन बीमा निगम के साथ उपदान निधि	670,525
4	जीवन बीमा निगम को देय अंशदान	16384
5	वर्ष के दौरान प्रदत्त अंशदान	शून्य
6	शेष देय	16752
7	प्रदत्त जोखिम प्रीमियम एवं सेवाकर	368
8	अनुमान बट्टा दर वेतन में वृद्धि का पूर्वानुमान	7.25% प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि 7.5% प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि

9. सेगमेंट रिपोर्टिंग (एएस 17) (समेकित)

सेगमेंट रिपोर्टिंग

(₹ करोड़ में)

भाग ए व्यापार खण्ड	ट्रेडरी		कार्पोरेट/ थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
राजस्व	6 360.25	5 439.37	8 257.78	7 334.63	9 532.64	8 087.58	280.46	211.91	24 431.13	21 073.49
परिणाम	2 092.05	1 552.29	1 824.77	1 552.19	2 072.26	1 627.38	211.83	146.54	6 200.91	4 878.40
अनाबंटित व्यय									5 118.27	4 595.25
परिचालनगत लाभ									1 082.64	342.34
अल्पसंख्यक हित									0.69	0..59
अन्य अनाबंटनीय आय									399.60	59.79
आय कर									620.21	- 37.78
अपवाद स्वरूप मर्दे									0.00	0.00
निवल लाभ									861.33	380.12
अन्य जानकारी										
खण्डीय आस्तियां	91370.17	76752.91	104502.35	95302.07	117426.74	109944.91	-8280.71	323.01	305018.55	282322.89
अनाबंटित आस्तियां									5 122.41	- 1 934.62
कुल आस्तियां									310140.96	280388.27
खण्डीय देयताएं	82 590.88	68 165.37	91 493.87	88 084.96	1 03 057.81	1 01 796.48	0.00	0.00	2 77 142.56	2 58 046.81
अनाबंटित देयताएं									10 230.82	2 626.00
आरक्षित पूंजी व अधिशेष									22 767.58	19 715.46
कुल देयताएं									3 10 140.96	2 80 388.27

	भाग बी – भौगोलिक खण्ड					
	देशी		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
राजस्व	24278.49	20646.30	448.30	427.19	24726.79	21073.49
आस्तियां	300546.95	269787.46	9594.01	10600.82	310140.96	280388.28

जहां प्रत्यक्ष आबंटन संभव नहीं है, खण्डीय राजस्व और व्ययों को खण्डीय आस्तियों के आधार पर प्रभाजित किया गया है। जहाँ भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनःसमूहित किया गया है।

10. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (ए एस 18)

10.1 मूल संस्था

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

सुश्री पद्मजा चुन्दूरु	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री एम के भट्टाचार्य	कार्यपालक निदेशक (18.02.2017 के प्रभाव से)
श्री शेणॉय विश्वनाथ वी	कार्यपालक निदेशक (01.12.2018 के प्रभाव से)

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को वर्ष के दौरान ₹ 98.16 लाख के पारिश्रमिक का भुगतान किया गया (पिछले वर्ष ₹ 81.99 लाख)

10.2 अनुषंगी कंपनी :

10.2.1 इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लि.

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

(₹ लाखों में)

नाम	पद		2019-20
श्री शेष साई पीएलवीके	अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक	वेतन	16.72
		भविष्य निधि को अंशदान	0.83
श्री यू राजकुमार	उपाध्यक्ष और सीएफओ	वेतन	3.82
		भविष्य निधि को अंशदान	0.30
श्री वी बालामुरुगन	कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी	वेतन	7.32
		भविष्य निधि को अंशदान	0.76
गैर-पूर्णकालिक स्वतंत्र निदेशकों को शुल्क का भुगतान किया गया			2.20

कंपनी के अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर है तथा उपर्युक्त बैंक के सेवा नियम के अनुसार तथा कंपनी के शेयरधारकों द्वारा "पूर्णकालिक निदेशक" के रूप में नियुक्ति के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है।

कंपनी के उपाध्यक्ष और सीएफओ इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर हैं और उपर्युक्त बैंक के सेवा नियमों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है।

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी को सीधे कंपनी द्वारा भर्ती किया गया है और कंपनी द्वारा दिए गए रोजगार की पेशकश के नियमों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है।

10.2.2 इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड

कंपनी के प्रबंध निदेशक इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर है तथा वह अपना पारिश्रमिक उस कंपनी के प्रेसिडेंट के रूप में इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड से पाते हैं। अतः इस कंपनी द्वारा पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है।

10.3 अन्य संबंधित पार्टियाँ सरकार नियंत्रित उद्यम हैं और इस कारण एएस-18 के पैराग्राफ 9 के अनुसार कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। आगे, एएस-18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार बैंकर-ग्राहक संबंध के स्वरूप के लेनदेनों को प्रकट करना अपेक्षित नहीं है।

11. पट्टे (एएस 19)

11.1 मूल संस्था

- ए) पट्टे/किराए पर ली गई सम्पत्तियाँ, बैंक की इच्छानुसार नवीकृत/रद्द करने योग्य हैं।
- बी) बैंक के नाम पर लिए गए पट्टों की सहमत अवधि के साथ पट्टे की अवधि के दौरान सहमत कैलेंडर माह का लिखित नोटिस देकर पट्टे को निरस्त करने का प्रावधान है।
- सी) परिचालनगत पट्टों के लिए प्रदत्त किराये को तत्संबंधी वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में व्यय के रूप में रखा जाता है। वर्ष के दौरान स्वीकृत पट्टा किराया 225.85 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 214.63 करोड़ रुपये) है।
- डी) वित्त पट्टा

वित्त पट्टे पर प्राप्त संपत्ति में संयंत्र और उपकरण एवं भूमि शामिल हैं। पट्टों की एक प्राथमिक अवधि होती है, जो निश्चित और गैर-रद्द होती है। बैंक के पास द्वितीयक अवधि के लिए पट्टे को नवीनीकृत करने का विकल्प है।

वित्त पट्टा के तहत अर्जित आस्तियों के संबंध में न्यूनतम पट्टा किराया और न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य निम्नानुसार हैं :

विवरण	न्यूनतम पट्टा किराया		न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	
	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
1 वर्ष पूर्व देय	0	0	0	0
1 वर्ष के बाद और 5 वर्ष पूर्व देय	0	0	0	0
5 वर्ष बाद देय	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0
कम : भविष्य वित्त प्रभार				
न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	0	0	0	0

11.2 अनुषंगी कंपनियां

11.2.1 इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लि.

पट्टे पर लिए गए आस्तियों के संबंध में

पट्टे पर लिए गए आस्तियों के संबंध में, कंपनी, मूल संस्था के साथ विभिन्न कार्यालय परिसरों के लिए परिचालनात्मक पट्टे रखता है। वर्ष की समाप्ति पर, रद्द नहीं किए जा सकनेवाले परिचालनात्मक पट्टे के तहत, आवश्यक भावी न्यूनतम भुगतान निम्नवत् हैं—

(₹ लाखों में)

	31.03.2020 को	31.03.2019 को
वर्ष के लिए पट्टा भुगतान	23.24	30.67
न्यूनतम पट्टा भुगतान :		
एक साल से कम	0.00	0.00
एक साल के बाद परंतु पांच साल से अधिक नहीं	0.00	0.00
पांच साल के बाद	0.00	0.00

12. प्रति शेयर अर्जन (एएस 20)

विवरण	2019-20	2018-19
ईक्विटी शेयरधारकों हेतु कर के बाद उपलब्ध निवल लाभ (₹ लाखों में)	197.28	168.14
ईक्विटी शेयरों की संख्या	44378200	44378200
ईक्विटी शेयरों की भारित संख्या	44378200	44378200
मूल अर्जन प्रति शेयर	₹ 0.47	₹ 0.38
प्रति शेयर कम किया गया अर्जन	₹ 0.47	₹ 0.38
प्रति ईक्विटी शेयर अंकित मूल्य	₹10.00	₹10.00

13. समेकित वित्तीय विवरण (एएस 21)

समेकित वित्तीय विवरण लेखा मानक (एएस 21) के अनुसार तैयार किए गए हैं। "समेकित वित्तीय विवरण" को भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरणों और समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के समनुरूप किए गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरण, इंडियन बैंक (मूल संस्था) की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और उनकी अनुषंगी जैसे (1) इंड हाउसिंग लिमिटेड और (2) इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लि. अलेखा परीक्षित वित्तीय विवरण पर आधारित है।

31.03.2020 को समेकित आंकड़ों में तीनों सहयोगियों यथा मेसर्स तमिलनाडू ग्राम बैंक, मेसर्स सप्तगिरी ग्रामीण बैंक और पुदुवै भारितियार ग्राम बैंक के 103.95 करोड़ रुपये का अलेखा परीक्षित लाभ शामिल है।

14. आय पर करों के लिए लेखाकरण (एएस 22)

14.1 मूल संस्था

डीटीए (आस्थगित कर आस्तियाँ) / डीटीएल (आस्थगित कर देयताएँ) के मुख्य घटक निम्न प्रकार हैं :

(₹ करोड़ में)

इंडियन बैंक		31.03.2020	31.03.2019
आस्थगित कर आस्तियाँ			
1	भुगतान/क्रिस्टाइलेजेशन पर अनुमेय, देयताओं का प्रावधान	67.70	81.05
2	विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि(फसीटीआर)	109.15	131.75
3	अप्रयुक्त अवकाश के लिए प्रावधान	0	0
4	उपदान के लिए प्रावधान	0.12	0.21
5	अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	1006.58	938.55
6	पुनर्चित आस्ति, एक्यूआर, दबावग्रस्त आस्ति के लिए प्रावधान	70.66	102.88
7	स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	73.87	65.02
8	प्रधान कार्यालय खर्च के लिए प्रावधान	0.18	0.00
	कुल-डीटीए	1328.26	1319.46
आस्थगित कर देयताएँ			
1	स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	38.51	52.87
2	बट्टे खाते में डाले गए खातों के लिए प्रावधान	363.15	504.21
3	स्टाफ कल्याण प्रतिपूर्ति	4.11	5.71
4	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अधीन विशेष आरक्षितियों पर डीटीएल	178.29	247.54
	कुल - डीटीएल	584.07	810.33
	निवल डीटीए / डीटीएल	744.20	509.13

14.2 अनुषंगी कंपनियां

14.2.1 इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लि.

आस्थगित कर आस्ति/देयता के मुख्य घटक निम्न प्रकार हैं।

₹

	आस्थगित कर			
	31.3.2020 को		31.3.2019 को	
	आस्ति	देयताएं	आस्ति	देयताएं
i) मूल्यह्रास-योग्य आस्तियों में समय का अंतर		26067924		32153096
ii) अशोध्य ऋणों व एनपीए के लिए प्रावधान	61669507		71351489	
iii) अन्य	3072737		2890939	
कुल	64742244	26067924	74242428	32153096
निवल डीटीए / (डीटीएल)	38674320		42089332	

15. एएस 24 के अन्तर्गत प्रकटीकरण अपेक्षाएं – बंद परिचालन

15.1 अनुषंगी कंपनियां

15.1.1 इंडबैंक मर्चेट बैंकिंग सर्विस लि.

कंपनी ने दिसंबर 1997 से लागू हुए सेबी विनियमन के फलस्वरूप निधि आधारित क्रियाकलापों को बंद किया था और केवल शुल्क आधारित क्रियाकलापों को लेने का निर्णय लिया था। दिसंबर 1997 तक विद्यमान निधि आधारित एकस्पोज़र उनकी संविदाकृत अवधि समाप्त होने तक जारी रखे गए हैं। स्थायी जमाओं की पुनरदायगी और दावा न की गई सावधि जमाओं को आईईपीएफ में अंतरण करने के बाद कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक से एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण के रद्द किये जाने की अनुमति प्राप्त की है। अब कंपनी केवल सेबी विनियमनों द्वारा नियंत्रित है।

संसाधन आवंटन के प्रयोजनों और सेगमेंट निष्पादन का आकलन के लिए मुख्य संचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम – निदेशक मंडल) को रिपोर्ट की गई सूचना पूरी तरह से कंपनी पर केंद्रित है। इसलिए, प्रबंधन ने निष्कर्ष निकाला है कि कंपनी के पास केवल एक सेगमेंट है।

कंपनी ने दिसंबर 1997 से लागू हुए सेबी विनियमन के फलस्वरूप निधि आधारित क्रियाकलापों को बंद किया था और केवल शुल्क आधारित क्रियाकलापों को लेने का निर्णय लिया था। दिसंबर 1997 तक विद्यमान निधि आधारित एकस्पोज़र उनकी संविदाकृत अवधि समाप्त होने तक जारी रखे गए हैं। स्थायी जमाओं की पुनरदायगी और दावा न की गई सावधि जमाओं को आईईपीएफ में अंतरण करने के बाद कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक से एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण के रद्द किये जाने की अनुमति प्राप्त की है। अब कंपनी केवल सेबी विनियमनों द्वारा नियंत्रित है।

16. अनुषंगी कंपनियां

16.1 इंडबैंक मर्चेट बैंकिंग सर्विस लि.

इंडियन बैंक, मूल बैंक ने ₹ 897.48 लाख की राशि की चुकौती के लिए 3 साल की अधिस्थगन अवधि सितंबर 2013 से सितंबर 2016 तक को मुआविज़ा का अधिकार खंड के तहत 31.03.2017 को समाप्त होनेवाले वर्ष से शुरू होने वाली प्रति छमाही 75 लाख की चुकौती को अधिस्थगन/चुकौती अवधि के लिए बिना किसी ब्याज प्रभार के अनुमोदित कर दिया है। तदनुसार मूल संस्था बैंक द्वारा अनुमोदित शर्तों के अनुसार 31.03.2020 को समाप्त अर्ध वर्ष हेतु कंपनी ने इंडियन बैंक को ₹ 450 लाख चुकौती की है।

17. बैंक एश्यूरेन्स कारोबार

मूल संस्था

विभिन्न बैंक एश्यूरेन्स उत्पादों / म्युचुअल फंड की बिक्री/विपणन से, बैंक ने इस वर्ष के दौरान ₹ 20.44 करोड़ का आदत कमाया (पिछले वर्ष यह ₹ 16.92 करोड़) था।
(₹ करोड़ में)

क्रमांक	आय की प्रकृति	2019-20	2018-19
1	जीवन बीमा पालिसी बेचने के लिए	8.88	5.79
2	गैर-जीवन बीमा पालिसी बेचने के लिए	11.43	10.78
3	अन्य – म्युचुअल फंड उत्पाद बेचने के लिए	0.15	0.35
	कुल	20.44	16.92

18. अतिरिक्त प्रकटीकरण

मूल संस्था

बैंक के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बैंक द्वारा पहचान की गई एमएसएमई इकाइयों को बैंक से कोई बकाया देय नहीं है, जोकि एमएसएमई अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित समय सीमा के बाहर है और लंबित है और वर्ष के दौरान ऐसी पार्टियों के लिए मूल राशि की स्वीकृत देयताओं के विलंबित भुगतान अथवा उनपर ब्याज के कोई मामले दर्ज नहीं किए गए।

19. जहां भी आवश्यक हो, चालू वर्ष के आंकड़े के अनुरूप बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित/ पुनःवर्गीकृत किया गया है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट समेकित वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षण रिपोर्ट

सेवा में

इंडियन बैंक के सदस्य

समेकित वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षण रिपोर्ट

अभिमत

हमने इंडियन बैंक ('बैंक' / मूल बैंक' के लिए संदर्भित) और इसकी सहयोगियों (मूल बैंक, अनुषंगियों तथा सहयोगियों के लिए 'समूह' के रूप में संदर्भित) को उनके शेयरों की आय सहित, जिसमें 31 मार्च 2020 तक का समेकित तुलन-पत्र समाहित है, इस वर्ष हेतु समेकित लाभ तथा हानि खाता और सार्थक खाता नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना (यहाँ कहीं 'समेकित वित्तीय विवरण' हो के लिए संदर्भित) सहित समेकित नकदी प्रवाह विवरण और समेकित वित्तीय विवरण पर नोट का लेखा परीक्षण किया है।

हमारे मतानुसार तथा हमारी जानकारी में एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षण के सिद्धांत जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत हैं, के अनुरूप सत्य एवं निष्पक्ष दर्शाता है :

- 31 मार्च 2020 को 'समूह' के मामलों की समेकित स्थिति
- समेकित लाभ / हानि और
- समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह

अभिमत का आधार

हमने लेखापरीक्षण मानक 21 – 'समेकित वित्तीय विवरण में सहयोगियों हेतु निवेश का लेखापरीक्षण' तथा लेखा परीक्षण मानक 27 – भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'संयुक्त उपक्रम पर ब्याज की वित्तीय रिपोर्ट एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों, दिशानिर्देशों तथा निदेशों व भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य सिद्धांतों के अनुपालन में लेखापरीक्षण आयोजित किया।

इन मानकों के अंतर्गत हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षण के लिए हमारी जिम्मेदारियाँ लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ नामक अनुभाग में पूर्व विवेचित हैं। आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों संबंधी नैतिक अपेक्षाओं जोकि हमारे समेकित वित्तीय विवरण के बारे में हैं, के अनुपालन में हम इस समूह तथा इसके सहयोगियों से स्वतंत्र हैं और हम इन अपेक्षाओं संबंधी हमारी नैतिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हैं।

मामले का महत्व

1. हम संलग्न नोट सं 4.1 से 4.3 पर ध्यान आकर्षित करते हैं जो भविष्य के व्यापार और वित्तीय परिणामों तथा मौजूदा स्थिति में उसके प्रबंधन के मूल्यांकन पर कोविड-19 (COVID-19) की वजह से उत्पन्न अनिश्चितताओं के प्रभावस्वरूप स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का हिस्सा है। प्रबंधन मौजूदा अनिश्चितताओं से उत्पन्न चुनौतियों के संदर्भ में इन अनिश्चितताओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में हैं।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं है।

प्रमुख लेखापरीक्षित मामले

शाखाओं का लेखापरीक्षा

1. कोविड-19 (COVID-19) महामारी को ध्यान में रखते हुए राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा लागू किए गए लॉक डाउन एवं यात्रा पर प्रतिबंधों की वजह से बैंक की शाखा का लेखापरीक्षा एक कठिन कार्य साबित हुआ, जिसमें आवश्यक आश्वासन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य पर बहुत ध्यान देने और योजना बनाने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आईसीएआई ने लेखापरीक्षा पर कोविड-19 (COVID-19) के प्रभाव के बारे में

अपनी सलाह में स्पष्ट रूप से कहा है कि हालांकि लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली बदल सकती है, लेकिन इससे प्राप्त आश्वासन के संबंध में राय प्रकट करने में पर्याप्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

2. यात्रा प्रतिबंधों से बचाव के लिए, हमने विभिन्न शाखाओं के लिए 'रिमोट' लेखापरीक्षा तकनीक को अपनाया, जिसके द्वारा एक शाखा का लेखापरीक्षा किसी अन्य शाखा से लेखा परीक्षक द्वारा दूर से किया जा सकता है, इसके माध्यम से लेखा परीक्षक उस शाखा के खातों, दस्तावेजों आदि को देख सकता है जिस शाखा का लेखापरीक्षा किया जाना है। लेखा परीक्षक रिमोट शाखा से इन दस्तावेजों और साक्ष्यों को देखने में सक्षम थे और उन्होंने लेखापरीक्षा के विषय पर अपनी राय देने हेतु पर्याप्त लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त किए।

लेखा परीक्षित शाखाओं की संख्या में कमी :

कोविड-19 (COVID-19) महामारी को ध्यान में रखते हुए राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा लागू किए गए सख्त लॉक डाउन एवं यात्रा पर प्रतिबंधों की वजह से, भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएसयू बैंकों की शाखाओं के लेखापरीक्षा के लिए तय मानदंडों को पुनर्निर्धारित किया और 27 अप्रैल, 2020 को एक परिपत्र जारी किया जिसमें रुपये 20 करोड़ से अधिक की अग्रिम पोर्टफोलियो वाले सभी शाखाओं के अनिवार्य लेखापरीक्षा के मानदंडों को हटा दिया गया, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाता है कि लेखा परीक्षित शाखाएं बैंक के सभी वित्त पोषित और गैर-वित्तपोषित जोखिमों का कम से कम 90% कवर करती हैं। बैंक ने चालू वर्ष के लिए शाखाओं के सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए नए दिशानिर्देशों को अपनाया, जिसके परिणामस्वरूप एससीएस द्वारा लेखा परीक्षित शीर्ष 20 शाखाओं के अलावा 1324 शाखाओं का लेखापरीक्षा एसबीए द्वारा किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 के लिए 419 लेखा परीक्षित शाखाओं की संख्या में कमी आयी। पिछले वर्ष की तुलना में लेखा-परीक्षित शाखाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
शाखाओं की कुल संख्या	2886	2872
लेखा परीक्षित शाखाओं की संख्या	1349	1768
अलेखा परीक्षित शाखाओं की संख्या	1537	1107
कवर की गयी कुल अग्रिम	₹. 183963.79 करोड़	₹. 171486.91 करोड़

इसे कम करने के लिए, जोनल कंसॉलिडेशन के समय एससीए ने ऐसी शाखाओं पर विशेष ध्यान दिया, जो लेखा परीक्षित होंगे, लेकिन जैसा की ऊपर वर्णित है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र के लिए, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आश्वासन संबंधी राय देने के लिए लेखापरीक्षा के साक्ष्य प्राप्त करने में कोई कमी न हो।

कोविड रियायतों पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक..... :

परिपत्र (संख्या 1. डीओआर-सं.-बीपी-बीसी-47/21-04-048/2019.20 दिनांक - 27.03.2020; 2. डीओआर-सं.-बीपी-बीसी- 62/21-04-048/2019-20 दिनांक - 17.04.2020; 3. डीओआर-सं.-बीपी-बीसी- 63/21-04-048/2019-20 दिनांक - 17.04.2020) मार्च और अप्रैल 2020 के अंत में जारी किए गए थे, बैंक अपनी सीबीएस प्रणाली में इसे प्रभावी न बना सके। एसबीए द्वारा पात्र खातों की पहचान कर मैनुअल रूप से एमओसी जारी करने तथा और अनुगामी सत्यापन और अद्यतन की आवश्यकता है।

समेकित वित्तीय विवरण हेतु प्रबंधन तथा अभिशासकों के उत्तरदायित्व

समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन तथा भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षा के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार सहयोगियों सहित समूह के नकदी प्रभाव पर सत्य और निष्पक्ष विचार प्रदान करनेवाले इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए, के निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। समूह में शामिल कंपनियों तथा इसके सहयोगियों सहित संबंधित बोर्ड के निदेशक मण्डल का यह उत्तरदायित्व है कि समूह की आस्तियों को सुरक्षित रखने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं रोकने, उचित लेखापरीक्षा नीतियों को लागू करने, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय एवं आंकलन के लिए निर्मित तथा उपस्थित समेकित वित्तीय विवरण जो सत्य एवं निष्पक्ष विचार प्रदान करता है और भौतिक मिथ्या कथन से मुक्त है चाहे यह धोखाधड़ी के कारण हो या किसी त्रुटि के जो समेकित वित्तीय विवरण को उपस्थित करने के उद्देश्य से बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा प्रयोग में लाया गया हो, जैसा कि पूर्वकथित है, के समुचित लेखापरीक्षा रिकॉर्ड को बनाए रखने और संरचना, कार्यान्वयन तथा लेखापरीक्षा रिकॉर्ड की पर्याप्तता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप में संचालित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को बनाए रखने के लिए बैंक का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है।

समेकित वित्तीय विवरण निर्मित करने में समूह से संबंधित बोर्ड का निदेशक मण्डल एवं इसके सहयोगी समूह की क्षमता के आंकलन के लिए जिम्मेदार हैं तथा बोर्ड का निदेशक मण्डल एवं इसके सहयोगी कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने, कार्यशील संस्था के संबंध में जानकारी प्रदान करने, जैसा लागू हो, संबंधी मामले और लेखा के आधार पर कार्यशील संस्था का प्रयोग तब तक किया जाएगा जब तक कि बोर्ड का निदेशक मण्डल समूह को अलग करना या संचालन को रोकना न चाहता हो या कोई वास्तविक विकल्प न हो किन्तु ऐसा करने को बाध्य हो। समूह से संबंधित बोर्ड का निदेशक मण्डल तथा इसके सहयोगी समूह की वित्तीय रिपोर्ट प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

लेखापरीक्षा के समेकित वित्तीय विवरण के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा लक्ष्य उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि समेकित वित्तीय विवरण भौतिक त्रुटियों से पूर्णतः मुक्त हो चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही हों तथा हमारी राय सहित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रदान करना है। उचित आश्वासन उच्चकोटि का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुपालन में की गई लेखापरीक्षा त्रुटि उत्पन्न होने पर इन्हें पहचान सकेगा। धोखाधड़ी या गलतियों से त्रुटियाँ आ सकती हैं तथा एकल या सकल रूप में उपयोगकर्ताओं द्वारा इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं।

एसए के अनुपालन में हम पेशेगत निर्णय देते हैं तथा लेखापरीक्षा करते समय पेशेगत संशयात्मकता बनाए रखते हैं। हम यह भी :

- समेकित वित्तीय विवरण की भौतिक त्रुटियों चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या किसी गलतीवश, के जोखिम का आंकलन तथा पहचान करना और संरचना एवं इन जोखिमों के उत्तरदायित्व के लिए लेखापरीक्षण करना तथा हमारी राय प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित लेखासाक्ष्य प्राप्त करना। भौतिक त्रुटियों में धोखाधड़ी के कारण न पकड़ा गई गलती, भूलवश हुई त्रुटि से बड़ा जोखिम है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, साभिप्राय चूक, मिथ्या निरूपण या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा की प्रक्रियों संरचना बनाने के लिए लेखापरीक्षा के संबंध में आंतरिक नियंत्रण का जायजा लेना। हम कंपनी के उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तंत्र तथा इस नियंत्रण की अभिशासन प्रभावशीलता पर अपनी राय देने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

- लेखा अनुमानों एवं प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता तथा प्रयुक्त लेखा योजनाओं के औचित्य का मूल्यांकन करना।
- लेखा एवं प्राप्त लेखा साक्ष्यों के आधार पर प्रबंधन के कार्यशील संस्था के उपयोग के औचित्य पर निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या स्थितियों में भौतिक अनिश्चितता है जो समूह तथा इसके सहयोगियों को कार्यशील संस्था बने रहने में संदेह उत्पन्न करती हैं। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अनिश्चितता है, तो यह हमारे लिए आवश्यक है कि समेकित वित्तीय विवरण में प्रकटीकरण के संबंध में अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करें अथवा यदि प्रकटीकरण अपर्याप्त हो तो अपनी राय में परिवर्तन करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा साक्ष्यों के आधार पर होते हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएँ एवं स्थितियाँ समूह एवं इसके सहयोगियों को कार्यशील संस्था बने रहने से रोक सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय रिपोर्ट की संरचना एवं सामग्री तथा सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना और इसका भी जायजा लेना कि क्या समेकित वित्तीय रिपोर्ट अंतर्निहित लेनदेन एवं घटनाएँ जो उचित प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करती है।
- हम निदेशों, पर्यवेक्षणों तथा ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, लेखापरीक्षा के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। समेकित वित्तीय विवरणों सहित अन्य संस्थाएँ जिनका अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षण किया गया है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा दिए गए निदेशों, पर्यवेक्षणों तथा लेखापरीक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे। हम अपनी लेखापरीक्षण राय के लिए पूर्णतः उत्तरदायी हैं।

हम समेकित वित्तीय विवरण जिसके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं से संबंधित, अन्य मामलों के मध्य, योजनाबद्ध ढांचा एवं लेखापरीक्षा का समय एवं आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमी, जो हम लेखापरीक्षा के दौरान चिन्हित करते हैं, सहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा, समूह तथा अन्य ऐसी अन्य संस्थाओं के अकों को सूचित करते हैं।

हमने अभिशासकों को ऐसा विवरण भी प्रदान किया है कि हमने स्वतंत्रता संबंधी नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है तथा हम उन्हें ऐसे संबंध एवं अन्य मामले भी सूचित करते हैं, जो हमारी स्वतंत्रता से संबंधित होते हैं और सुरक्षा के संबंध में लागू होते हैं।

अभिशासकों द्वारा सूचित मामलों से हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो चालू समय के समेकित वित्तीय विवरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं और इसीलिए मुख्य लेखापरीक्षण मायने रखता है। हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में विधि अथवा नियामकों द्वारा जनता के समक्ष प्रकटीकरण से रोके जाने तक हम इन मामलों की विवेचना करते हैं अथवा कभी जब चरम परिस्थितियाँ होती हैं, हम यह निर्धारित करते हैं कि मामले का जिक्र हमारी रिपोर्ट में नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा करना जन हित में नहीं होगा, इसके विपरीत परिणाम होंगे।

अन्य मामले

बैंक में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17.03.2020 को जारी अपनी अधिसूचना संख्या डीओएस: एआरजी: सं. 6270 / 08-91-001 / 2019-20 के माध्यम से सलाह दी थी कि एससीए को वर्ष 2019-20 के लिए अपनी स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बैंक में वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रणाली तथा इसके परिचालन की प्रभावशीलता के बारे में आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता का रिपोर्ट करना चाहिए। हमें बैंक द्वारा

उनके पत्र कॉ.का / लेखा: लेखापरीक्षा / 144 / 20-21 दिनांकित 12 जून 2020 के माध्यम से सूचना दी गई है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2019-20 के लिए बैंक के लिए इसे वैकल्पिक बना दिया है और बैंक ने वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय नियंत्रण एवं इसके रिपोर्ट को लागू नहीं करने का विकल्प चुना है। इसलिए हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और इसके संचालन की प्रभावशीलता पर रिपोर्ट शामिल नहीं है।

हमने 2 अनुषंगियों के वित्तीय विवरण / वित्तीय सूचनाओं की लेखा परीक्षा नहीं की जिनकी दिनांक 31 मार्च 2020 को कुल आस्तियां रु. 4350.82 करोड़ एवं कुल राजस्व रु. 576.11 करोड़ तथा वर्ष समाप्ति की इस अंतिम तिथि को रु.3.19 करोड़ का नकदी प्रवाह है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है। समेकित वित्तीय विवरण में दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष में समूह के 3 सहयोगियों की रु. 103.95 करोड़ की आय को भी शामिल किया गया है जिनके वित्तीय विवरणों / वित्तीय सूचनाओं को हमारे द्वारा लेखापरीक्षित नहीं किया गया है। यह वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं तथा प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं और इन अनुषंगियों एवं सहयोगियों सहित राशि एवं प्रकटीकरण के संबंध में विवरणों पर दी गई हमारी राय पूर्णतः ऐसे ही अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों / सूचनाओं पर आधारित है। हमारी राय में एवं प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना व ब्योरों के अनुसार ये वित्तीय विवरण समूह के लिए नहीं हैं। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय तथा निम्न अन्य विधि एवं नियामकों की अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट अन्य लेखापरीक्षकों तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए गए वित्तीय विवरणों / वित्तीय सूचनाओं के भरोसे पर उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं है।

अन्य विधि तथा नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

हम रिपोर्ट करते हैं कि जहां तक प्रायोज्य है :

- समेकित तुलन – पत्र तथा लाभ और हानि का समेकित विवरण तथा समेकित नकदी प्रवाह का विवरण जिसे बैंकिंग नियामक अधिनियम 1949 कि धारा 29 के अनुपालन में निर्मित किए गए हैं।
- पूर्वकथित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए हमारी जानकारी एवं विश्वास में जो भी सूचना व जानकारी आवश्यक थी, हम मांग कर चुके हैं व प्राप्त कर चुके हैं।
- हमारी राय में, पूर्वकथित समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए विधि अनुसार यथोचित लेखा-बही अभी तक रखी गई है जैसा कि हमारे इन बहियों की जांच तथा अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में जाहिर होता है।
- समेकित तुलन पत्र, लाभ तथा हानि का समेकित विवरण, समेकित नकदी प्रवाह से संबन्धित रिपोर्ट, समेकित वित्तीय विवरणों को निर्मित करने के उद्देश्य से संबन्धित लेखाबहियों में अनुबंधित हैं।
- हमारी राय में, पूर्वकथित समेकित वित्तीय विवरण लागू लेखा मानकों का पालन करते हैं, जहां तक वे भारतीय रिज़र्व बैंक की लेखा नीतियों के सुसंगत हैं।

कृते एम थामस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 004408S

ए. रोजारिओ
साझेदार
(एम.सं. 021230)

कृते श्रीराममूर्ति एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं.003032S

जे ललिता
साझेदार
(एम.सं. 0201855)

कृते पी एस सुब्रमणिय अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 004104S

एस सुन्दर रामन
साझेदार
(एम.सं. 022137)

कृते रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर सं: 009073N/N500320

जयन्त ए
साझेदार
(एम.सं. 231549)

कृते के सी मेहता एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 106237W

चिराग बक्शी
साझेदार
(एम.सं. 047164)

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 23 जून, 2020

बेसल III - पिल्लर III प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार बेसल अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण

सारणी डी एफ – 1

अनुप्रयोग का क्षेत्राधिकार

बैंकिंग ग्रुप के प्रमुख का नाम, जिसपर यह ढाँचा लागू होता है : इंडियन बैंक

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण :

ए. समेकन के लिए जिन ग्रुप उपक्रमों की सूची पर विचार किया जाता है

उपक्रम का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है	क्या उपक्रम को लेखाकरण के समेकन के क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया है? (हाँ/नहीं)	समेकन के तरीके को स्पष्ट करें	क्या उपक्रम को समेकन के विनियामक क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया है? (हाँ/नहीं)	समेकन के तरीके को स्पष्ट करें	समेकन के तरीकों में अंतर के कारणों को स्पष्ट करें	यदि क्षेत्राधिकारों की पहुंच में से एक के अधीन ही समेकन किया गया है तो उसके कारणों को स्पष्ट करें
इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लि. (अनुषंगी)	हाँ	लेखाकरण मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप समेकित	हाँ	लेखाकरण मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
इंडबैंक हाउसिंग लि. (अनुषंगी)	हाँ	लेखाकरण मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप समेकित	हाँ	लेखाकरण मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
तमिलनाडु ग्राम बैंक (एसोसिएट्स)	हाँ	लेखाकरण मानक 23 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप ईक्विटी पद्धति के अंतर्गत समेकित	नहीं	लागू नहीं	एसोसिएट्स माना गया है	पूँजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए जोखिम भारत
सप्तगिरि ग्रामीण बैंक (एसोसिएट्स)	हाँ	लेखाकरण मानक 23 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप ईक्विटी पद्धति के अंतर्गत समेकित	नहीं	लागू नहीं	एसोसिएट्स माना गया है	पूँजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए जोखिम भारत
पुदुचै भारतियार ग्राम बैंक (एसोसिएट्स)	हाँ	लेखाकरण मानक 23 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप ईक्विटी पद्धति के अंतर्गत समेकित	नहीं	लागू नहीं	एसोसिएट्स माना गया है	पूँजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए जोखिम भारत

बी. ग्रूप उपक्रमों की सूची जिन पर समेकन के लिए विचार नहीं किया गया है दोनों लेखाकरण और विनियामक मानक के क्षेत्राधिकार के अधीन :

उपक्रम का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है	उपक्रम का मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारित का %	उपक्रम की पूंजीगत लिखतों में बैंक के निवेशों का विनियामक व्यवहार	कुल तुलन पत्र की आस्तियां (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में उल्लिखित रूप से)
शून्य					

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

सी) समेकन के लिए जिन ग्रूप उपक्रमों पर विचार किया गया है :

(₹ मिलियन में)

उपक्रम का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है (ऊपर (i) ए में दिखाए अनुसार)	उपक्रम के मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल तुलन पत्र की आस्तियां (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में उल्लिखित रूप से)
इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज़ लि. (भारत)	मर्चेन्ट बैंकिंग सेवाएं	443.78	742.98
इंडबैंक हाउसिंग लि. (भारत)	आवास वित्त	100.00	1,456.08

डी. सभी अनुषंगियों में पूंजीगत कमियों की कुल राशि, जिन्हें समेकन के विनियामक दायरे में नहीं लाया गया है, अर्थात्, जिनकी कटौती की गई है :

उपक्रमों का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है	उपक्रम का मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	पूँजी कमियाँ
शून्य				

ई. बीमा उपक्रमों में बैंक के कुल हितों की सकल राशि (चालू बही मूल्य), जो जोखिम भारित हैं :

बीमा उपक्रमों का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है	उपक्रम का मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का % / मतदान अधिकार का अनुपात	पूर्ण कटौती पद्धति की तुलना में जोखिम भारित पद्धति के प्रयोग से विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव
लागू नहीं				

एफ. बैंकिंग समूह के अंदर ही निधि या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं :

बैंकिंग समूह के अंदर निधि या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं नहीं हैं।

सारणी डीएफ – 2 : पूँजी पर्याप्तता

पूँजी पर्याप्तता का निर्धारण :

(ए) बैंक अप्रत्याशित हानियों के लिए पूँजी रखती है ताकि जमाकर्ताओं के हित, सामान्य ऋणदाताओं तथा अन्य पण्यधारकों को किसी भी अप्रत्याशित हानि से बचाया जा सके।

भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को न्यूनतम सामान्य ईक्विटी टियर-1 (सीईटी 1) का 7.375 प्रतिशत (जिसमें 1.875 प्रतिशत की पूँजी संरक्षण बफर शामिल है) तथा न्यूनतम सीआरएआर का 10.875 प्रतिशत रखना है। बैंक सामान्य ईक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) का 7.375 प्रतिशत से अधिक और सीआरएआर का 10.875 प्रतिशत से अधिक रख रहा है।

(बी) भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने पूँजी पर्याप्तता का निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण को अपनाया है।

- **ऋण जोखिम** : मानकीकृत दृष्टिकोण
- **बाजार जोखिम** : मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण
- **परिचालन जोखिम** : आधारभूत सूचक दृष्टिकोण

(सी) बैंक, व्यापार प्रक्षेपणों, नीतिगत दिशानिर्देशों, मैक्रो अर्थशास्त्र परिदृश्य तथा जोखिम प्रोफाइल के आधार पर अगले तीन वित्तीय वर्षों के लिए पूँजी का पूर्वानुमान लगाता है।

(डी) पिल्लर II के अधीन बैंक पूँजी का मूल्यांकन / योजना बनाते समय निम्नलिखित जोखिम को समझता है :

- | | |
|----------------------------------|---|
| ➤ ऋण केन्द्रीकरण जोखिम | ➤ विधि जोखिम |
| ➤ बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम | ➤ मानकीकरण दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम का कम मूल्यांकन |
| ➤ तरलता जोखिम | ➤ पेंशन बाध्यता जोखिम |
| ➤ प्रतिपक्षी ऋण निपटान जोखिम | ➤ तुलन पत्र से बाहर एक्सपोजर जोखिम |
| ➤ अनुपालन जोखिम | ➤ प्रौद्योगिकी जोखिम |
| ➤ साख जोखिम | ➤ आउटसोर्सिंग जोखिम |
| ➤ प्रतिमान जोखिम | ➤ मानव संसाधन जोखिम |
| ➤ देश विशेष जोखिम | ➤ अवशिष्ट जोखिम |
| ➤ मुआवजा जोखिम | ➤ रणनीतिगत जोखिम |

(ई) बैंक अपनी लाभप्रदता तथा पूँजी पर्याप्तता पर आस्ति गुणता, तरलता, ब्याज दर, डेरीवेटिव तथा फॉरेक्स की तनावग्रस्त स्थिति या तनावग्रस्त परिस्थितियों में विभिन्न जोखिम क्षेत्रों का तनाव परीक्षण आवधिक तौर पर करता है।

व्यापक तनाव परीक्षण ढाँचा बनाकर रखा गया है। बैंक, भारिबैंक द्वारा निर्धारित स्थितियों के आधार पर तथा बैंक की विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर तनाव परीक्षण त्रैमासिक अवधि में करता है। तनाव परीक्षण के परिणाम को विभिन्न शीर्षस्थ स्तरीय समितियों को प्रस्तुत किया जाता है।

बैंक, तनाव परीक्षण के अंग के रूप में निम्नलिखित जोखिमों पर असर का मूल्यांकन करता है :

- ऋण जोखिम
- बाजार जोखिम
- ऋण केन्द्रीकरण जोखिम
- चूक जोखिम
- तरलता जोखिम
- बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)
- परिचालनगत जोखिम

बैंक तिमाही आधार पर स्ट्रेस टेस्ट आयोजित कर रहा है और उसी का परिणाम बोर्ड के ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) / जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) को प्रस्तुत किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण (बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार)

(ए) ऋण जोखिम हेतु पूँजी आवश्यकताएं :

(₹ मिलियन में)

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
मानकीकृत अभिगम के अद्यधिन संविभाग	1,52,104.01	1,52,154.70
प्रतिभूतिकरण ऋण	--	--

(बी) बाज़ार जोखिम हेतु पूँजी आवश्यकताएं

मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण

(₹ मिलियन में)

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
ब्याज दर जोखिम	7770.40	7770.40
विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	63.00	63.00
ईक्विटी जोखिम	1596.14	1596.14
कुल	9429.55	9429.55

(सी) परिचालनगत जोखिम हेतु पूँजीगत आवश्यकताएं


(₹ मिलियन में)

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
मूल संकेतक अभिगम	12,025.19	12,040.06

(डी) सामान्य ईक्विटी टियर 1 (सीईटी1), टियर 1 तथा कुल पूँजी अनुपात (बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार) :

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
सामान्य ईक्विटी टियर 1 (सीईटी 1)	11.78%	12.23%
टियर 1 पूँजी पर्याप्तता अनुपात	12.08%	12.53%
कुल पूँजी पर्याप्तता अनुपात	14.12%	14.57%

संगठन की संरचना :



जोखिम प्रबंधन संरचना:

बैंक का जोखिम प्रबंधन ढाँचा, विभिन्न जोखिमों को स्पष्ट रूप से समझने, अनुशासित जोखिम मूल्यांकन और प्रक्रियाएं और निरन्तर अनुप्रवर्तन पर आधारित है। समस्त उद्यम का प्रभावोत्पादक जोखिम प्रबंधन करने के लिए एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है, जो पूरे बैंक में जोखिम एक्सपोजरों के मूल्यांकन, अनुप्रवर्तन और रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित तीन शीर्ष स्तरीय समितियों के जरिए बैंक की सभी जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है :

- आस्ति देयता समिति (आलको)
- ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)

ये समितियां बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों और समग्र दिशानिर्देशों के अंतर्गत काम करती हैं।

जोखिमों के प्रबंधन के लिए बैंक ने विभिन्न नीतियाँ निर्धारित की हैं। उद्यम-स्तर जोखिम का विश्लेषण करने तथा सभी जोखिमों को एकीकृत करने की दृष्टि से, एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति (प्रकटीकरण, प्रतिष्ठा और रणनीतिक जोखिम प्रबंधन सहित) बनायी गयी है। महत्वपूर्ण जोखिम नीतियों में ऋण जोखिम प्रबंधन नीति (ऋण नीति का एक भाग), आस्ति देयता प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन पर नीति, परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति शामिल है।

जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)/बोर्ड द्वारा सभी नीतियां वार्षिक आधार पर पुनरीक्षित की जाती हैं। जोखिम प्रबंधन संकल्पनाओं की जानकारी देने और क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं को इनके प्रति जागरूकता बनाने के उद्देश्य से सभी संबंधित नीतियां शाखाओं के बीच में परिचालित की जाती हैं तथा इसके अलावा बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

ऋण जोखिम:

प्रारंभिक चरण पर ही जोखिमों को पहचानकर उनका विश्लेषण करने, विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित कर उन्हें अनुरक्षित करने तथा बदलते जोखिम माहौल का सामना करने के लिए अन्य सुधारात्मक कदम उठाने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है।

सीमा ढाँचा:

ऋण जोखिम तथा संकीर्ण जोखिम की मात्रा को कम करने की दृष्टि से सीमा ढाँचा निम्नलिखित प्रकार के एक्सपोजर के लिए रखा गया है :

- एकल और ग्रुप ऋणकर्ता एक्सपोजर
- संवेदनशील क्षेत्र एक्सपोजर
- अप्रतिभूत एक्सपोजर
- देश-वार एक्सपोजर
- आंतरिक रेटिंग-वार एक्सपोजर
- भौगोलिक एक्सपोजर
- मियादी ऋण एक्सपोजर
- उद्योग-वार एक्सपोजर
- अंतर बैंक एक्सपोजर

इन एक्सपोजर सीमाओं को नियमित तौर पर मानिटर किया जाता है और बोर्ड की विभिन्न शीर्षस्थ स्तरीय समितियों को प्रस्तुत किया जाता है।

रेटिंग मॉडल: ऋण अनुमोदनों एवं निर्णयों के समर्थन में और संविभाग प्रबंधन, मूल्य निर्धारण और जोखिम आधारित पूंजी मापन के लिए जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सभी ऋण प्रस्तावों पर तीव्र ऋण जोखिम रेटिंग/स्कोरिंग प्रक्रिया लागू की जाती है।

ऋण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश स्तर की स्कोरिंग प्रणाली के अलावा साफ्टवेयर आधारित रेटिंग तंत्र स्थापित किया गया है। रेटिंग मॉडल के परिणाम का प्रयोग, निर्णय करने, अर्थात् ऋण संविभाग में मंजूरी प्रदान करने, मूल्य निर्धारण और अनुप्रवर्तन में किया जाता है। रेटिंग मॉडल के खरेपन की जाँच के लिए बाहरी अभिकरण द्वारा इसे वैध कराया गया है।

स्कोरिंग मॉडल: बैंक ने प्रवेश स्तर का स्कोरिंग मॉडल विकसित किया है। वैयक्तिक ऋण उत्पादों के अंतर्गत आनेवाली सभी नई मंजूरीयों पर प्रवेश स्तर का स्कोरिंग परिकलित किया जाता है। पिछले वर्ष में, रेटिंग मॉडल को नया रूप दिया गया था और बदलते समय के साथ तालमेल रखने के लिए नए मॉडल पेश किए गए थे।

उच्च मूल्य के खातों की आवधिक समीक्षा/लेखा परीक्षा के लिए ऋण पुनरीक्षण तंत्र एवं ऋण लेखा-परीक्षा प्रणाली निर्धारित की गई है जिससे बैंक में ऋण प्रशासन में गुणात्मक सुधार लाए जा सकें। इसके अलावा मानक आस्ति अनुप्रवर्तन समिति, विशेष उल्लेख खातों की समीक्षा करती है ताकि मानक आस्तियों का गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में रिसन को रोका जा सके। अनुप्रवर्तन मेकानिज्म के अंश के रूप में, जिन खातों का निवेश संवर्ग से कोटि कम कराया जाता है, उनकी पहचान कर, उनपर निकट निगरानी रखी जाती है।

खातों की रेटिंग का माइग्रेशन वार्षिक आधार पर किया जाता है। साथ ही बैंक के पोर्टफोलियों पर आधारित उद्यमों की भारित औसत रेटिंग, त्रैमासिक आधार पर की जाती है। अग्रिमों के रेटिंग वार संवितरण का विश्लेषण त्रैमासिक आधार पर किया जाता है।

उत्तम जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को अपनाते हुए कॉर्पोरेट कार्यालय के स्तर पर आनेवाले ऋण प्रस्तावों (योजनाबद्ध ऋण प्रस्तावों को छोड़कर) को जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा संवीक्षा की जाती है।

आस्ति देयता प्रबंधन:

आस्ति देयता प्रबंधन ढाँचा, बैंक को अपने तुलनपत्र में तरलता जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम का माप, मानिटर और नियंत्रण करने में सुविधा प्रदान करता है। यह बैंक को आस्ति देयता प्रबंधन हेतु उपयुक्त रणनीतियाँ उपलब्ध करने के लिए अनुमत करता है। आस्ति देयता प्रबंधन ढाँचे में निम्नलिखित प्रमुख घटक हैं।

- तरलता जोखिम प्रबंधन
- ब्याज दर जोखिम प्रबंधन
- तुलनपत्र तथा बेसल ।।। तरलता अनुपात
- तनाव परीक्षण तथा स्थिति विश्लेषण
- आकस्मिकता निधि योजना

नीचे सूचीबद्ध दो मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने एएलएम नीति निर्धारित की है:-

अल्पावधि उद्देश्य:-

- बैंक के निवल ब्याज मार्जिन को अनुकूलतम बनाना
- पर्याप्त चलनिधि प्रदान करना
- पुनः मूल्य निर्धारण जोखिम का प्रबंधन करना

दीर्घावधि उद्देश्य:

- शेयरधारकों की संपत्ति बढ़ाना

आस्ति देयता प्रबंधन का कार्य आस्ति देयता समिति (आलको) संभालती है। यह बोर्ड के दिशानिर्देश तथा पर्यवेक्षण और / या एएलएम तथा जोखिम प्रबंधन पर बोर्ड की उप-समिति के अधीन कार्य करती है। यह ब्याज दर स्थिति, चलनिधि स्थिति, जमाओं और अग्रियों दोनों के उत्पाद क्रय, आस्ति तथा देयताओं की परिवक्ता प्रोफाइलें, बैंक निधियों की माँग, बैंक के नकदी प्रवाह तथा संपूर्ण तुलनपत्र प्रबंधन की समीक्षा करने हेतु नियमित तौर पर बैठक का आयोजन करती है।

चलनिधि जोखिम दो दृष्टिकोण यथा फ्लो दृष्टिकोण तथा स्टॉक दृष्टिकोण के ज़रिए मापकर मानिटर किया जाता है। फ्लो दृष्टिकोण में नकद प्रवाह की विसंगतियों की संपूर्ण जाँच होती है तथा यह दैनंदिन आधार पर संरचित तरलता विवरणी की तैयारी से की जाती है। विभिन्न समय अंतरालों में विसंगतियों के लिए उपर्युक्त सहनशक्ति स्तर / प्रुडेंसियल सीमा का निर्धारण किया गया है। स्टॉक दृष्टिकोण के अधीन उपर्युक्त सीमाओं के साथ विभिन्न तुलनपत्र अनुपात निर्धारित किये गये हैं।

ब्याज दर जोखिम को मुद्रावार मापने तथा मानिटर करने हेतु पारंपरिक गैप दृष्टिकोण तथा गौण दृष्टिकोण दोनों का प्रयोग किया जाता है। एनआईएम पर ब्याज दर परिवर्तन के अल्प-कालीन असर आकलन “जोखिम पर अर्जन” दृष्टिकोण के ज़रिए किया जाता है जिसमें प्रतिलाभ वक्र जोखिम, आधार जोखिम तथा एंबेडेड विकल्प जोखिम को ध्यान में लिया जाता है। ईक्विटी के बाजार मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के दीर्घ-कालीन असर आकलन अवधि गौण दृष्टिकोण के ज़रिए किया जाता है। आलको द्वारा मासिक ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणी की संवीक्षा की जाती है तथा आरएमसी द्वारा त्रैमासिक ब्याज दर संवेदनशीलता की संवीक्षा की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित तथा आंतरिक रूप से परिभाषित स्ट्रेस परिदृश्यों के अनुसार चलनिधि जोखिम और ब्याज दर जोखिम के लिए नियमित अंतरालों पर स्ट्रेस परीक्षण किया जाता है। आंतरिक चलनिधि स्ट्रेस परीक्षण से प्राप्त परिणामों का प्रयोग आकस्मिकता आयोजन निधि योजना का सृजन, विभिन्न चलनिधि स्ट्रेस परिदृश्यों में करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

उपर्युक्त के अलावा बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी हाल ही के दिशानिर्देशों के अनुसार चलनिधि कवरेज अनुपात का परिकलन कर रहा है तथा अल्पावधि चलनिधि के प्रबंधन के लिए उसका जोखिम मापक औजार के रूप में प्रयोग कर रहा है। मासिक आधार पर आलको द्वारा एलसीआर विवरण की पुनरीक्षा की जाती है।

बाजार जोखिम प्रबंधन:-

बाजार में परिवर्तनीय तथ्यों में हुए परिवर्तन के कारण हानि की संभाव्यता, बाजार जोखिम होता है। अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) की परिभाषा के अनुसार “बाजार जोखिम वह जोखिम है जहाँ ईक्विटी और ब्याज दरों पर बाजार, मुद्रा विनिमय दरें और पण्य के मूल्य में उतार-चढ़ाव से “ऑन” या “ऑफ” तुलन पत्र स्थिति के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। “अतः बाजार जोखिम, बैंक की कमाई और पूंजी को होनेवाला जोखिम है जोकि ब्याज दरों के बाजार स्तर या प्रतिभूतियों, विदेशी विनिमय और ईक्विटी की कीमत में परिवर्तन तथा ऐसे परिवर्तनों में अस्थिरता से हो सकता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य, व्यापारिक इकाइयों को बाजार जोखिम एक्सपोज़र, जोखिम एक्सपोज़र की तुलना में संविभाग निष्पादन और तुलनीय न्यूनतम मानदंडों के संबंध में विश्लेषिकी से चालित

निविष्टियां प्रदान करते हुए जोखिम-समायोजित प्रतिफल की दरों को अधिक से अधिक बनाने में सहायता देना होता है। बाजार जोखिम के अन्तर्गत निम्नलिखित जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है:-

- ब्याज दर जोखिम
- विनिमय दर जोखिम
- ईक्विटी कीमत जोखिम

बाजार जोखिम, पण की कीमत तथा उतार-चढ़ाव में होनेवाले परिवर्तनों के कारण हो सकती है। तथापि, बैंक को पण्य संबंधित बाजार में कोई एक्सपोज़र नहीं है।

बैंक का बाजार जोखिम प्रबंधन (एमआरएम) ढांचा निम्नानुसार है:-

ए) जोखिम की पहचान : बाजार जोखिम का पता लगाने, मूल्यांकन एवं प्रबंधन करने के लिए एक तंत्र बनाया गया है ताकि प्रत्येक कारोबार क्रियाकलाप में जोखिम पहचान व मान्यता के विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टता मिल सके।

बी) जोखिम मापन और परिसीमाएं : बैंक इस बात को स्पष्टतया मानता है कि बाजार जोखिम के सभी पहलुओं को कोई एक जोखिम – सांख्यिकीय प्रतिबिंबित नहीं कर सकती। अतः बाजार जोखिम में जोखिम मापन की सुदृढता को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न सांख्यिकीय एवं गैर-सांख्यिकीय जोखिम उपायों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इनका अवलोकन एक साथ करने पर जोखिम के ये कदम, किसी एकल कदम की तुलना में बाजार जोखिम एक्सपोज़र की सम्यक दृष्टि प्रदान करता है। बाजार जोखिम का प्रबंधन, विभिन्न मापने के साधनों, यथा, जोखिम पर रहे मूल्य (वीएआर), जोखिम पर रहे अर्जन (ईएआर), आशोधित अवधि (एमडी), पीवी 01 सीमाएं, निवल ओवरनाइट खुली स्थिति सीमाएं (एनओओपीएल), वैयक्तिक गैप सीमा (आईजीएल) तथा संकलित गैप सीमा (एजीएल) के ज़रिए मुद्रा-वार और सूक्ष्मग्रहिता विश्लेषण के ज़रिये भी किया जाता है। अतितीव्र, परन्तु मुमकिन आघातों की परिस्थितियों में बैंक की असुरक्षा की स्थिति को मानिटर करने के लिए नियमित आधार पर तनाव परीक्षण भी किया जाता है।

सी) जोखिम मानिटरिंग : ट्रेडिंग बही के लिए विभिन्न आंतरिक और विनियामक जोखिम सीमाओं के प्रयोग से, जोकि आर्थिक परिदृश्य, व्यापार रणनीति, प्रबंधन का अनुभव और बैंक की जोखिम ग्राह्यता पर आधारित हैं, बैंक अपने जोखिम को मानिटर एवं नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि रेट स्कैन, लेनदेनों का मौजूदा बाजार दरों पर किया जाता है।

डी) जोखिम रिपोर्टिंग : मिड-ऑफिस द्वारा दैनंदिन तौर पर ट्रेशरी परिचालनों का मानिटर किया जाता है। मुख्य जोखिम अधिकारी को दैनंदिन रिपोर्ट और आलको को मासिक आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तनाव परीक्षण नीति में निर्धारित धारणाओं का अनुपालन करते हुए बाजार जोखिम के निर्धारण के लिए तनाव परीक्षण किया जाता है और तिमाही आधार पर आलको को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक बाजार जोखिम प्रबंधन नीति और तनाव परीक्षण नीति द्वारा बाजार जोखिम प्रबंधन अनुशासित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार जोखिम से युक्त विभिन्न कार्यकलापों में फैला हुआ जोखिम, बैंक की जोखिम ग्राह्यता के अन्दर ही है। उद्योग में व्याप्त उत्तम व्यवहार और भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमनों से सारी नीतियां बेंचमार्क की गई हैं। बैंक के जोखिम रिपोर्टिंग तंत्र में प्रकटीकरण और विभिन्न शीर्ष स्तर समितियों को रिपोर्ट करना शामिल है।

परिचालनगत जोखिम:-

उद्योग के प्रतिभागियों, विनियामकों और अन्य स्टेकधारकों के बीच परिचालनगत जोखिम ही तीव्र अभिरुचि का केन्द्र है। प्रभावोत्पादक अभिशासन, जोखिम कैप्चर और मूल्यांकन और परिचालनगत जोखिम के मात्रात्मक निर्धारण को सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने परिचालनगत जोखिम प्रबंधन ढाँचा (ओआरएमएफ) और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन तंत्र (ओआरएमएस) बनाया है। दैनंदिन की प्रबन्धन प्रक्रियाओं में उपयुक्त गुणात्मक एवं मात्रात्मक प्रणालियों और विभिन्न जोखिम शमन नीतियों तथा सुस्थापित आंतरिक नियंत्रण तंत्रों का प्रयोग करते हुए और विभिन्न जोखिम शमन नीतियों को अपनाते हुए परिचालनगत जोखिम का प्रबंधन सुगम रूप से किया जाता है। विभिन्न उत्पादों/प्रक्रियाओं में जोखिम बोध का समीक्षात्मक विश्लेषण किया जाता है और यथावश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

बैंक ने अपने परिचालनगत जोखिम को कैप्चर करने, मापने, मानीटर करने और व्यवस्थित करने के लिए वेब-आधारित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित की है।

परिचालनगत जोखिम को क्रेडिट स्पर्ट के विश्लेषण और परिचालनगत हानि की बारंबारता एवं गंभीरता के विश्लेषण के जरिए भी मानीटर किया जाता है।

सारणी डीएफ -3

ऋण जोखिम : सभी बैंकों हेतु सामान्य प्रकटीकरण

गुणवत्ता प्रकटीकरण :

(ए) ऋण जोखिम प्रबंधन :

ऋण जोखिम को यों परिभाषित किया गया है कि ऋणकर्ताओं या प्रतिपक्षकारों की ऋण गुणता में कमी के कारण होनेवाली हानि की संभाव्यता।

संरचना :

विभिन्न दिशानिर्देशों तथा प्रमुख उद्योग प्रथाओं के अनुपालन में, बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए एक सुव्यवस्थित अधिशासन संरचना बनाई है ताकि पर्याप्त निरीक्षण, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग हो सके। ढाँचा, निदेशकों के मंडल की जिम्मेदारी को स्थापित करती है।

बैंक ने जोखिम प्रबंधन प्रणाली पर भारिबैंक के दिशानिर्देश नोट के अनुसार बोर्ड स्तरीय उप-समिति की स्थापना की है जिसे "जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)" कहा जाता है।

जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) :

आरएमसी, बैंक द्वारा सामने की जानेवाली संपूर्ण जोखिम को मूल्यांकन करती है तथा यह प्रभावी प्रणाली की स्थापना के लिए जिम्मेवार है जिससे जोखिम को पहचानने, मापने तथा नियंत्रित करने में सहायता मिल सके और इसके द्वारा नीतियों के निपटारा रणनीति, जोखिम लेने की क्षमता तथा ऋण मानदंडों को बोर्ड के अनुमोदन के लिए संस्तुत किये जा सके।

बोर्ड ने ऋण जोखिम के संबंध में जिम्मेदारी लेने के लिए आरएमसी को अधिकार प्रत्यायोजित किया है।

समिति, ऋण जोखिम प्रबंधन का पर्यवेक्षण करती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि बैंक द्वारा सामने की जानेवाली प्रमुख ऋण जोखिम को उचित रूप से पहचाना

जाता है तथा उसका उचित रूप से प्रबंधन हो। समिति, संपूर्ण जोखिम लेने की क्षमता तथा ऋण जोखिम प्रबंधन रणनीति को अनुमोदन करती है। समिति, जोखिम प्रबंधन नीतियों, भारिबैंक द्वारा निर्धारित जोखित प्रबंधन दिशानिर्देशों से संबंधित बैंक के अनुपालन की समीक्षा करती है।

जोखिम समिति, ऋण जोखिम प्रोफाइल तथा अन्य कोई प्रमुख विकास यथा आंतरिक तथा बाह्य और संविभाग तथा बैंक पर समग्र रूप उनके असर की समीक्षा करती है।

ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)

आरएमसी, ऋण नीति तथा प्रक्रियाओं के संबंध में मुद्दों तथा ऋण जोखिम को बैंक को समृद्ध रूप से लेकर विश्लेषण, प्रबंधन तथा नियंत्रण करती है।

ऋण समीक्षा प्रबंधन समिति (एलआरएमसी)

ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के रूप में, कॉर्पोरेट कार्यालय में ऋण समीक्षा प्रबंधन समिति (एलआरएमसी) का गठन किया गया है ताकि कॉ.का: की विभिन्न समितियों तथा अंचल ऋण समितियों द्वारा मंजूर किये गये ऋण खातों की समीक्षा की जा सकें।

अतिदेय तथा क्षतिग्रस्त के परिभाषा (लेखांकन प्रयोग हेतु)

बैंक ने आय पहचान तथा आस्ति वर्गीकरण मानदंडों हेतु आरबीआई द्वारा परिभाषित किये अनुसार अतिदेय तथा क्षतिग्रस्त के लिए परिभाषाओं को अपनाया है।

बैंक की ऋण आस्तियों को वर्गीकृत करने के लिए बैंक की नीति निम्नप्रकार है :

गैर-निष्पादित आस्ति (एनपीए) : गैर-निष्पादित आस्ति (एनपीए), एक ऋण या अग्रिम है जहाँ

- मूलधन और / या ब्याज किस्त 90 दिन से अधिक समय तक बकाया रहता है,
- जब खाता "ओवर ड्राफ्ट / नकद ऋण (ओडी / सीसी) के संबंध में "नियमित नहीं है"
- जब बिल, क्रय किये गये बिल तथा भुनाये गये बिल के मामले में 90 दिन से अधिक समय के लिए अतिदेय है
- मूलधन या ब्याज की किस्त अल्प अवधि फसलों के लिए दो फसल मौसम के लिए अतिदेय रहती है
- मूलधन या ब्याज की किस्त दीर्घकालिन फसलों के लिए एक फसल मौसम के लिए अतिदेय रहता है

एक ओडी / सीसी खाते को "अनियमित" माना जाता है जब अतिदेय राशि मंजूरीकृत सीमा / आहरित सीमा से 90 दिन से अधिक समय के लिए लगातार आधिक्य रहता है। जब मूल परिचालन खाते में अतिदेय राशि मंजूरीकृत सीमा / आहरित सीमा से कम है, परंतु तुलन पत्र के दिन पर 90 दिनों के लिए लगातार कोई जमा नहीं है या उसी अवधि में नामे डाले गये ब्याज को कवर करने के लिए जमा पर्याप्त नहीं है तो इन खातों को "अनियमित" माने जाएँगे।

बैंक की गैर-निष्पादित आस्तियों को आगे तीन वर्गों में वर्गीकृत की गई है :

➤ **अवमानक आस्तियाँ :**

अवमानक आस्ति यह है जोकि 12 महीने की समान अवधि या उससे कम अवधि के लिए एनपीए के रूप में रहा हो।

➤ **संदिग्ध आस्तियाँ**

आस्ति को संदिग्ध आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब आस्ति 12 महीनों के लिए अवमनाक वर्ग में रहती है।

➤ **हानिकारक आस्ति**

हानिकारक आस्ति वह है जब बैंक द्वारा या आंतरिक या बाह्य लेखाकारों या भारिबैंक के निरीक्षण के समय पर हानि को पहचाना जाता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति :

बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन नीति (ऋण नीति का भाग) बनायी है और इसे सभी शाखाओं को परिचालित की गई है। नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिचालन प्रबंधन की प्रत्याशा के अनुरूप हैं तथा उच्च प्रबंधन की रणनीतियों को परिचालन स्तर पर सार्थक निदेशों के रूप में पहुँचाया गया है। यह नीति बृहत ऋण एक्सपोजर, ऋण संपार्श्विक हेतु मानक, फोर्टफोलियो प्रबंधन, ऋण समीक्षा तंत्र, जोखिम संकेंद्रीकरण, जोखिम निगरानी तथा मूल्यांकन, प्रावधानीकरण तथा विनियामक / विधिक अनुपालन पर विवेकी सीमाओं को निर्धारित करती है।

बैंक उन जोखिमों की पहचान करता है जो उनको प्रभावित करते हैं तथा इन जोखिमों के माप, निगरानी तथा नियंत्रण के लिए उचित तकनीकी का प्रयोग करता है।

जबकि बोर्ड / बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति नीति तैयार करती है तथा विभिन्न ऋण जोखिमों को निर्धारित करती है, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति बोर्ड / आरएमसी द्वारा अनुमोदित इन नीतियों एवं रणनीतियों को कार्यान्वित करती है, समिति ऋण जोखिम की निगरानी को बैंक व्यापक आधार पर करता है तथा जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

बैंक (क) एकल तथा सामूहिक उधारकर्ताओं हेतु एक्सपोजर सीमा निर्धारण (ख) ग्रेड सीमा रेटिंग (ग) उद्योगवार एक्सपोजर सीमा तथा (घ) पूरे अंचलों में ऋणों के भौगोलिक संवितरण के विश्लेषण द्वारा जोखिम संकेंद्रीकरण का अध्ययन करता है। सभी अंचलों को चार खंडों में वर्गीकृत किया गया है, यथा उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम।

बैंक में सभी शाखाओं/अंचल कार्यालयों के लिए

बैंक किसी भी उधारकर्ता से संबंधित ऋण जोखिम का माप करने के लिए उधारकर्ता की रेटिंग को एक महत्वपूर्ण उपकरण मानता है और तदनुसार साफ्टवेयर चालित रेटिंग/स्कोरिंग मॉडल कार्यान्वित किए गए हैं।

(बी) कुल सकल ऋण जोखिम, निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित अलग अलग से :

(₹ मिलियन में)

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर		
निधि आधारित		
ऋण एवं अग्रिम	2058897.30	2058897.32
निवेश	476960.73	476976.25
अन्य आस्तियां	303394.75	303814.29
कुल निधि आधारित	2839252.78	2839687.86
गैर निधि आधारित जिस में आकस्मिक क्रेडिट, संविदाएं तथा व्युत्पन्न शामिल हैं*	953592.73	953841.13
कुल ऋण जोखिम एक्सपोजर	3792845.51	3793528.99

*इसमें व्युत्पन्न एक्सपोजर की अनुमानित मूल राशि, गैर लाभित निधि सीमा, एलसी, स्वीकृतियां, गारंटी शामिल है।

(सी) एक्सपोजर का भौगोलिक वितरण, निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित (एकल) अलग अलग से:

(₹ मिलियन में)

भौगोलिक क्षेत्र	निधि आधारित	आकस्मिक ऋण, संविदाएं तथा व्युत्पन्न सहित गैर-निधि आधारित	कुल
ओवरसीज़	109998.80	24428.84	134427.64
देशी	2729253.98	929163.89	3658417.87
कुल	2839252.78	953592.73	3792845.51

(डी) 31.03.2020 तक एक्सपोशर का उद्योगवार वितरण (एकल – सार्वभौमिक)

(₹ मिलियन में)

क्रमांक	प्रमुख उद्योग / क्षेत्र	निधि आधारित एक्सपोजर	गैर निधि आधारित एक्सपोजर	कुल एक्सपोजर
1	रसायन एवं रसायन उत्पाद			
1.1	औषधि एवं औषधीय	3900.87	230.84	4131.70
1.2	उर्वरक	7981.30	499.80	8481.10
1.3	अन्य रसायन एवं रसायन उत्पाद	8625.45	6047.29	14672.74
2	इंजीनियरिंग			
2.1	सामान्य इंजीनियरिंग मशीनरी और माल	20695.49	20392.55	41088.04
2.2	इलेक्ट्रिकल मशीनरी और माल	5882.25	8955.20	14837.46
2.3	इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, माल और सॉफ्टवेयर	8292.02	1706.23	9998.25
3	खाद्य पदार्थ निर्माण एवं संसाधन			
3.1	खाद्य तेल एवं वनस्पति	2155.63	2353.77	4509.40
3.2	राइस मिल्स, आटा मिल्स और दाल मिल्स	13044.66	3659.38	16704.04
3.3	चीनी	8521.84	349.21	8871.05
3.4	चाय और काफी	1852.23	0.00	1852.23
3.5	अन्य खाद्य पदार्थ निर्माण एवं संसाधन	30748.45	1463.10	32211.55
4	आधारिक संरचना			
4.1	बिजली			
4.1.1	बिजली उत्पादन	75726.24	8241.71	83967.95
4.1.2	बिजली प्रसारण और वितरण	26383.59	5303.29	31686.88
4.1.3	नवीकरणीय ऊर्जा	9649.46	514.36	10163.82
4.2	परिवहन			
4.2.1	पोर्ट और सडक	57021.55	13025.96	70047.51
4.2.2	शिपिंग	1614.22	26.51	1640.73
4.2.3	लाजिस्टिक्स	4571.76	3127.06	7698.82
4.3	दूरसंचार	7776.40	22167.17	29943.57
4.4	शैक्षिक संस्था	41577.12	3020.62	44597.74
4.5	अस्पताल	13958.43	467.40	14425.83
4.6	होटल (तीन स्टार एवं उससे अधिक)	5252.10	127.98	5380.08
4.7	अन्य बुनियादी ढांचा	126490.49	7459.93	133950.41
5	वस्त्र			
5.1	सूती वस्त्र	21237.50	2798.32	24035.82
5.2	प्राकृतिक फाइबर वस्त्र	1187.84	19.17	1207.01
5.3	हथकरघा वस्त्र और खादी	2052.15	16.83	2068.98
5.4	अन्य वस्त्र	35676.33	3361.45	39037.79
6	एनबीएफसी / एचएफसी / एमएफआई			
6.1	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)	159580.73	1250.00	160830.73
6.2	सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई)	17191.78	0.00	17191.78
6.3	हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां (एचएफसी)	114158.98	0.00	114158.98
7	धातु और धातु उत्पाद			
7.1	लोहा और इस्पात	80288.02	10794.94	91082.95
7.2	अन्य धातु और धातु उत्पाद	10038.56	1024.50	11063.07
8	व्यापार			
8.1	थोक व्यापार	135582.96	26217.18	161800.14

(₹ मिलियन में)

क्रमांक	प्रमुख उद्योग / क्षेत्र	निधि आधारित एक्सपोजर	गैर निधि आधारित एक्सपोजर	कुल एक्सपोजर
8.2	खुदरा व्यापार	94461.71	2807.19	97268.90
9	ऑटोमोबाइल	14997.90	1132.67	16130.56
10	विमानन	0.00	0.00	0.00
11	पेय पदार्थ एवं तम्बाकू	2744.09	194.37	2938.46
12	सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	15677.36	3458.01	19135.37
13	कैपिटल मार्केट एक्सपोजर (सीएमई)	5551.95	202.50	5754.45
14	वाणिज्यिक रियल एस्टेट (सीआरई)	36734.21	1486.44	38220.64
15	कंस्ट्रक्शन कान्ट्राक्टर्स	46493.58	64811.33	111304.92
16	रत्न और जेवर	1442.48	11.50	1453.98
17	ग्लास और ग्लास वेयर	3318.58	4331.44	7650.03
18	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	1915.75	548.23	2463.98
19	मीडिया और मनोरंजन	4906.24	191.61	5097.85
20	खनन और उत्खनन	3370.31	4051.67	7421.98
21	कागज और कागज उत्पाद	7824.53	1183.29	9007.82
22	पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद	60495.17	23922.62	84417.79
23	मुद्रण और प्रकाशन	4600.78	353.67	4954.45
24	रबर, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	18948.70	5394.19	24342.88
25	लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	3707.16	1339.93	5047.09
26	अन्य उद्योग	93393.49	5800.82	99194.32

31 मार्च 2020 को निम्नलिखित उद्योगों में बैंक का एक्सपोजर के कुल सकल ऋण एक्सपोजर के 5 प्रतिशत से अधिक था।

क्र.सं	उद्योग का वर्गीकरण	कुल सकल ऋण एक्सपोजर का प्रतिशत
1	आधारिक संरचना	14.85%
2	एनबीएफसी / एचएफसी / एमएफआई	10.01%

(ई) अग्रिमों एवं निवेशों के अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता के अलग अलग आंकड़े

(₹ मिलियन में)

विवरण	निवेश*	अग्रिम
1 दिन	158201.90	15967.15
2-7 दिन	7769.60	24413.94
8 -14 दिन	9585.30	71870.59
15 to 30 दिन	21579.30	67490.92
31 दिन - 2 माह	12283.30	104685.46
2 माह से अधिक 3 माह तक	20972.30	99075.96
3 माह से अधिक 6 माह तक	102809.30	200670.58
6 माह से अधिक 1 वर्ष तक	97225.10	298737.29
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	122379.50	614670.99
3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	37862.60	234042.58
5 वर्ष से अधिक	219586.80	247244.67
कुल	810255.00	1978870.13

*इसमें ₹ 2161.80 मिलियन का सूचित इक्विटीयों का 50 प्रतिशत शामिल नहीं है

(₹ मिलियन में)

(एफ)	एनपीए की राशि (सकल) – (एकल सार्वभौमिक)	1,41,508.40
	➤ अवमानक	43,439.30
	➤ संदिग्ध 1	33,230.68
	➤ संदिग्ध 2	33,267.14
	➤ संदिग्ध 3	11,159.29
	➤ हानि	20,411.99
(जी)	निवल एनपीए	61,842.38
(एच)	एनपीए अनुपात	
	➤ सकल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए	6.87%
	➤ निवल अग्रिम के प्रति निवल एनपीए	3.13%
(आई)	एनपीए का आवागमन (सकल)	
	➤ अथशेष (01.04.2019)	1,33,534.52
	➤ जोड़	53,205.05
	➤ घटाव	45,231.17
	➤ अंतशेष (31.03.2020)	1,41,508.40
(जे)	एनपीए के प्रावधान का आवागमन (कुल)	
	➤ अथशेष (01.04.2019)	61,318.60
	➤ वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	42,547.70
	➤ बट्टेखाते डाली गई राशि/अधिक प्रावधानों का प्रतिलेख	28,711.56
	➤ अंतशेष (31.03.2020)	75,154.74
(के)	गैर निष्पादक निवेशों की राशि	7,713.19
(एल)	गैर निष्पादक निवेश हेतु धारित प्रावधान राशि	4,250.77
(एम)	निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों का आवागमन	
	➤ अथशेष (01.04.2019)	9,718.04
	➤ वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	4,582.85
	➤ बट्टेखाते डाली गई राशि	0.00
	➤ अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	5,723.04
	➤ अंतशेष (31.03.2020)	8,577.86

सीधे आय विवरण में प्रविष्ट बट्टाकृत राशियाँ और वसूलियाँ:

उगाही के अधीन रहे खातों में वसूलियाँ	2,146.98
ब्याज ज्ञापन एवं विधिक प्रभारों का ज्ञापन / बट्टाकृत खातों में वसूलियाँ	126.40

प्रमुख उद्योग के प्रकार—वार एनपीए राशि

(₹ मिलियन में)

उद्योग	सकल एनपीए	प्रावधान	निवल एनपीए
मूल धातु तथा धातु उत्पाद	15,918.80	11,877.59	4,041.21
बिजली को सम्मिलित कर मूलभूत संरचना	38,283.50	19,528.66	18,754.84
वस्त्र	8,026.00	2,524.92	5,501.08
सभी इंजीनियरिंग	4,830.60	3,400.03	1,430.57
कोयला एवं खनन	576.10	72.69	503.42

वर्ष के दौरान तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाली गई राशि : ₹ 25727.11 मिलियन

भौगोलिक फैलाव-वार एनपीए

(₹ मिलियन में)

	देशी	ओवरसीज	वैश्विक
एनपीए की राशि (सकल)			
➤ अव-मानक	39,697.77	3741.53	43,439.30
➤ संदिग्ध 1	33,168.96	61.72	33,230.68
➤ संदिग्ध 2	31,700.88	1566.26	33,267.14
➤ संदिग्ध 3	8,693.67	2465.62	11,159.29
➤ हानि	17,847.23	2564.77	20,411.99
कुल	1,31,108.50	10,399.89	1,41,508.40

पिछले देय ऋणों की परिपक्वता का विश्लेषण

(₹ मिलियन में)

विवरण	निवल एनपीए
1 वर्ष से कम (अवमानक)	43,439.30
1 से 2 वर्ष (डी 1)	33,230.68
2 से 3 वर्ष (डी 2 प्रथम वर्ष)	16,576.86
3 से 4 वर्ष (डी - दूसरे वर्ष)	16,690.28
4 वर्ष से अधिक	31,571.28

सारणी डीएफ -4
ऋण जोखिम : मानकीकृत अभिगम के अध्यधीन संविभागों हेतु प्रकटीकरण
गुणवत्ता प्रकटीकरण:

(ए) बेसल III ढांचे के अनुसार अर्ह एक्सपोजरों जैसे कार्पोरेट, सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम, पूंजी बाजार एक्सपोजर आदि के लिए बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित सात दर निर्धारण अभिकरणों यथा क) क्राइसिल ख) इक्रा ग) केयर और घ) इंडिया रेटिंग्स इ) ब्रिकवर्क्स एफ) एक्यूट एवं जी) इन्फोमेटिक्स द्वारा निर्दिष्ट रेटिंग का प्रयोग करता है। समुद्रपार ऋण एक्सपोजर के लिए, बैंक स्टैंडर्ड एण्ड पुअर, फिट्च & मूडीस की रेटिंग को स्वीकार करता है।

बैंक ने सभी पात्र एक्सपोजरों के लिए दोनों तुलनपत्र में और तुलनपत्र से परे, लघुकालीन या दीर्घकालीन जो भी हो, बेसल III। पूंजी विनियमनों पर भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों में अनुमत पद्धति के अनुसार उपर्युक्त अनुमोदित ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा निर्धारित रेटिंग का प्रयोग किया है।

रेटिंग अभिकरणों द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित रेटिंग को ही इस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। संबंधित रेटिंग अभिकरण की वेबसाइट में प्रकाशित मासिक बुलेटिन के अनुसार रेटिंग्स जो चालू हैं, का प्रयोग किया जाता है।

बैंक के संविभाग में होनेवाली आस्तियाँ जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष से कम है तो लघु कालीन रेटिंग जो चयनीत ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा दिया जाता है, उसे प्रासंगिक माना जाता है। बैंक के संविभाग में होनेवाली आस्तियाँ जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष से अधिक हो तो दीर्घकालीन रेटिंग जो चयनीत ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा दिया जाता है, उसे प्रासंगिक माना जाता है।

चयनित देशी ऋण अभिकरणों द्वारा जारी दीर्घ कालीन/अल्प कालीन रेटिंग को बेसल III। पूंजी विनियमनों के अधीन मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार प्रयोज्य उचित जोखिम भारिता के साथ मैप किये गये हैं।

बहुल रेटिंग मूल्यांकन का प्रयोग:

- अगर चयनित ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा दो रेटिंग उपलब्ध किये जाते हैं जिससे विभिन्न जोखिम भार का मैपिंग होता है तो उच्च जोखिम भार को लिया जाता है।
- अगर चयनीत ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा विभिन्न जोखिम भारिता के साथ तीन या अधिक रेटिंग दिये जाते हैं तो दो निम्न जोखिम भार के संबंध में रेटिंग को संदर्भित करना चाहिए तथा इनमें से अधिक वाले दो जोखिम भार को लगाना चाहिए यथा दूसरा निम्नतम जोखिम भार

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

(बी) मानकीकृत अभिगम के तहत ऋण जोखिम निवारण के बाद विभाजित कुल ऋण जोखिम एक्सपोजर एकल (सार्वभौमिक) निम्नानुसार है :

(₹ मिलियन में)

एकल (सार्वभौमिक)	बही मूल्य	जोखिम भारत कीमत / मूल्य
100% जोखिम भार के नीचे	2854385.27	600897.36
100% जोखिम भार	603284.67	397194.07
100% से अधिक जोखिम भार	335175.56	400566.14
कुल	3792845.51	1398657.56

मानकीकृत अभिगम के तहत ऋण जोखिम निवारण के बाद विभाजित कुल ऋण जोखिम एक्सपोजर(समेकित) निम्नानुसार है :

(₹ मिलियन में)

समेकित	बही मूल्य	जोखिम भारत कीमत / मूल्य
100% जोखिम भार के नीचे	2854684.26	600920.95
100% जोखिम भार	603630.49	397539.88
100% से अधिक जोखिम भार	335214.24	400662.83
कुल	3793528.99	1399123.65

सारणी डीएफ-5: ऋण जोखिम निवारण-मानकीकृत अभिगमों हेतु प्रकटीकरण
गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने (क) ऋण जोखिम निवारण तथा बेसेल III/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों की भावना को ध्यान में रखते हुए उचित संपार्श्विक की पहचान पर जागरुकता बढ़ाने तथा (ख) बेसेल III/ भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों में निर्धारित अभिगम के अनुसार पूँजी प्रभार के परिकलन में ऋण जोखिम निवारण लाभ को इष्टतम बनाने के उद्देश्य से ऋण जोखिम निवारण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति (ऋण नीति का भाग) लागू की है।

बैंक साधारणतः ऋण सहभागिता, एक्सपोजर की उच्चतम सीमा, एस्करो तंत्र, वायदा कवर, उच्चतर मार्जिन, ऋण प्रसंविदाओं, संपार्श्विक तथा बीमा कवर जैसे ऋण निवारण तकनीकों पर भरोसा करता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति (ऋण नीति का भाग) में मूल्यांकन पद्धतियों को विस्तृत रूप से बताया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, पूँजी प्रभार के अभिकलन हेतु पात्र संपार्श्विक जिसके लिए सीआरएम लाभ लिया गया है :

पूँजी प्रभार के अभिकलन के लिए सीआरएम की उपलब्धता हेतु निम्नलिखित संपार्श्विकों को पहचाना जाता है:

- बैंक के साथ जमाओं पर नकदी (जमा प्रमाणपत्रों अथवा तुलनात्मक लिखतों के साथ साथ ऋणदाता बैंक द्वारा जारी की गई सावधि जमा की रसीदों को मिलाकर) जो कि काउंटर पार्टी एक्सपोजर को प्रदान कर रहा है।
- सोना: सोना, सोना-चाँदी तथा जेवर को सम्मिलित करेगा। यद्यपि संपार्श्विक जेवर की कीमत 99.99 सुदृढता के लिए बेंचमार्क होनी चाहिए।
- केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ।
- किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र जिनमें कोई अवरुद्धता अवधि क्रियाशील नहीं है और उन्हें धारण अवधि के अंदर भुनाया जा सकता है।
- एक बीमा कंपनी जो कि बीमा क्षेत्र नियामक द्वारा विनियमित की जाती है, की घोषित सरेंडर कीमत के साथ बीमा पॉलिसियाँ।

गारंटर काउंटरपार्टी के मुख्य प्रकार और उनकी उधार पात्रता

बैंक गारंटीयों की शर्तों में ऋण सुरक्षा पर विचार करता है, जोकि प्रत्यक्ष, सुस्पष्ट, अचल और अप्रतिबंधित/शर्त रहित हों। बैंक सभी ऋण सुरक्षा को पूँजी आवश्यकता के अभिकलन के दौरान ध्यान में रखता है।

काउंटरपार्टी की तुलना में निम्नतम जोखिम भार के सहित उपक्रमों द्वारा जारी गारंटियाँ ही पूँजी प्रभार को कम करने में मुख्य भूमिका निभायेगीं। क्योंकि काउंटरपार्टी एक्सपोजर का सशुक्ति हिस्सा गारंटर के जोखिम भार को निर्दिष्ट करता है, जबकि अरक्षित हिस्सा उसमें शामिल काउंटर पार्टी के ऋण भार को बनाये रखता है।

निम्नलिखित उपक्रमों द्वारा दी गई ऋण सुरक्षा काउंटरपार्टी के रूप में पहचानी जाती है।

- शासन (केन्द्र और राज्य सरकार)
- सरकारी उपक्रम (ईसीजीसी, एनसीजीटीसी और सीजीटीएमएसई को मिलाकर)
- काउंटरपार्टी की तुलना में निम्नतम ऋण भारत बैंक

निवारण हेतु योग्य सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ आसानी से वसूली योग्य वित्तीय प्रतिभूतियाँ हैं। इस कारण से, बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त ऋण जोखिम निवारकों में ऋण संकेंद्रीकरण को हटाने के लिए वर्तमान में कोई सीमा / उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

बैंक पूँजी मूल्यांकन में व्यापक दृष्टिकोण का प्रयोग करता है। व्यापक दृष्टिकोण में संपार्श्विक को लेते समय, बैंक पूँजी पर्याप्तता प्रयोग के लिए समयोजित एक्सपोजर को प्रतिपक्षकार के लिए संपार्श्विक के असर को संतुलित कर गणना करता है। बैंक कोई भी संपार्श्विक के मूल्य को समायोजन करने के लिए संभाव्य भावी उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखकर बाजार में होनेवाले परिवर्तन में प्रतिभूति के मूल्य को कवर करता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

प्रत्येक प्रकटित अलग ऋण जोखिम संविभाग हेतु, (एकल-सार्वभौमिक / समेकित) कुल ऋण (यथा लागू तुलन-पत्र में या उसके बाहर नेटिंग के बाद) जोकि मार्जिन लागू करने के बाद योग्य वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर किया जाता है :

(₹ मिलियन में)

ऋण (एक्सपोजर) का प्रकार	अर्ह वित्तीय संपार्श्विक	गारंटियां
सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर		
निधि आधारित		
ऋण और अग्रिम	373477.27	108101.37
निवेश	0.00	29.88
अन्य आस्तियां	0.00	0.00
कुल निधि आधारित	373477.27	108131.25
गैर निधि आधारित जिसमें प्रासंगिक क्रेडिट, संविदाएं और व्युत्पन्न शामिल हैं	26217.00	4167.12
कुल	399694.27	112298.37

सारणी डीएफ – 6
प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत अभिगम हेतु प्रकटीकरण

गुणवत्ता प्रकटीकरण :	बैंक ने कोई प्रतिभूतिकरण क्रियाकलाप नहीं किया है।
मात्रात्मक प्रकटीकरण :	शून्य

सारणी डीएफ – 7
व्यापार बही (ट्रेडिंग बुक) में बाजार जोखिम
बाजार जोखिम :

बाजार के परिवर्ती तथ्यों में परिवर्तन के कारण होनेवाली हानि की संभावना बाजार जोखिम है। अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) की परिभाषा के अनुसार बाजार जोखिम "वह जोखिम है जिससे ईक्विटी और ब्याज दर बाजारों, मुद्रा विनिमय दरों और पण्यों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव के कारण "ऑन" और "ऑफ" तुलन पत्र की स्थिति प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हो जाती है।" अतः ब्याज दरों का बाजार स्तर या प्रतिभूतियों के मूल्य, विदेशी विनिमय और ईक्विटी में परिवर्तन तथा साथ ही इन परिवर्तनों की अस्थिरता के कारण बैंक की पूंजी और अर्जन को होनेवाला जोखिम, बाजार जोखिम होता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य है, व्यापारिक इकाइयों को बाजार जोखिम एक्सपोजर के संबंध में विश्लेषकों से चालित निविष्टियां प्रदान करना, जोखिम एक्सपोजर की तुलना में संविभाग निष्पादन और तुलनीय बेंचमार्क देने के जरिये जोखिम समायोजित प्रतिफल की दर को अधिक से अधिक करने में उनको सहायता प्रदान करना। बाजार जोखिम के अंतर्गत निम्नलिखित जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है :

- ब्याज दर जोखिम
- विनिमय दर जोखिम
- ईक्विटी कीमत जोखिम

पण्यों के मूल्यों में परिवर्तन एवं उतार चढ़ाव से भी बाजार जोखिम हो सकती है, यद्यपि बैंक के पण्य सम्बन्धी बाजारों में कोई निवेश नहीं है।

बैंक के बाजार जोखिम प्रबंधन (एमआरएम) का फ्रेमवर्क निम्नानुसार है:

- ए) **जोखिम की पहचान:-** बाजार जोखिम का पता लगाने, मूल्यांकन एवं प्रबंधन करने के लिए एक तंत्र बनाया गया है ताकि प्रत्येक कारोबार क्रियाकलाप में जोखिम पहचान व मान्यता के विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टता मिल सके।
- बी) **जोखिम मापन और परिसीमाएं:-** बैंक इस बात को स्पष्टतया मानता है कि बाजार जोखिम के सभी पहलुओं को कोई एक जोखिम – सांख्यिकी प्रतिबिंबित नहीं कर सकती। अतः बाजार जोखिम में जोखिम मापन की सुदृढता को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न सांख्यिकीय एवं गैर-सांख्यिकीय जोखिम उपायों का प्रयोग किया जाता है। बाजार जोखिम का प्रबंधन, विभिन्न मापने के साधनों, यथा, जोखिम पर रहे मूल्य (वीएआर), जोखिम पर रहे अर्जन, आशोधित अवधि, पीवी 01 सीमाएं, निवल ओवरनाइट खुली स्थिति सीमाएं (एनओओपीएल), वैयक्तिक गैप सीमा (आईजीएल तथा संकलित गैप सीमा (एजीएल) के जरिए मुद्रा-वार और सूक्ष्मग्रहिता विश्लेषण के जरिये भी किया जाता है। अतितीव्र, परन्तु मुमकिन आघातों की परिस्थितियों में बैंक की असुरक्षा की स्थिति को मानिटर करने के लिए नियमित आधार पर तनाव परीक्षण भी किया जाता है।

सी) **जोखिम मानिटरिंग**:- ट्रेडिंग बही के लिए विभिन्न आंतरिक और विनियामक जोखिम सीमाओं के प्रयोग से, जोकि आर्थिक परिदृश्य, व्यापार रणनीति, प्रबंधन का अनुभव और बैंक की जोखिम ग्राह्यता पर आधारित हैं, बैंक अपने जोखिम को मानिटर एवं नियंत्रित करता है। रेट स्कैन, यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि लेनदेनों का निष्पादन एवं पूनर्मूल्यन, मौजूदा बाजार दरों पर हो ।

डी) **जोखिम रिपोर्टिंग** : मिड-ऑफिस द्वारा ट्रेडरी परिचालनों को मानिटर किया जाता है और मुख्य जोखिम अधिकारी को दैनिक आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है । बाजार जोखिम के कारण उत्पन्न पूंजी प्रभार को परिकलित कर, उसकी रिपोर्ट तिमाही आधार पर आल्को और बोर्ड को प्रस्तुत की जाती है। तनाव परीक्षण नीति में निर्धारित धारणाओं का अनुपालन करते हुए बाजार जोखिम के निर्धारण के लिए तनाव परीक्षण किया जाता है और तिमाही आधार पर आल्को को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, निवेश नीति, तनाव परीक्षण और व्युत्पन्न नीति द्वारा बाजार जोखिम प्रबंधन अनुशासित है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार जोखिम से युक्त विभिन्न कार्यकलापों में फेला हुआ जोखिम, बैंक की जोखिम ग्राह्यता के अन्दर ही है। उद्योग में व्याप्त उत्तम व्यवहार और भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमनों से सारी नीतियां बेंचमार्क की गई हैं। बैंक के जोखिम रिपोर्टिंग तंत्र में प्रकटीकरण और विभिन्न शीर्ष स्तर की समितियों को रिपोर्ट करना शामिल है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

निम्न हेतु पूंजी आवश्यकताएं (एकल सार्वभौमिक / समेकित):

(₹ मिलियन में)

विवरण	समेकित
ब्याज दर जोखिम	7770.40
विदेशी विनिमय जोखिम	63.00
ईक्विटी स्थिति जोखिम	1596.14
कुल	9429.55

सारणी डीएफ – 8

परिचालनात्मक जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

परिचालनगत जोखिम को यों परिभाषित किया गया है कि अपर्याप्त या असफल आंतरिक प्रक्रिया, व्यक्ति और प्रणाली या बाह्य घटनाओं से होनेवाली हानि के कारण बननेवाली जोखिम। इस परिभाषा में विधिक जोखिम शामिल है परन्तु रणनीतिक तथा प्रतिष्ठा जोखिम शामिल नहीं है।

वर्तमान में उद्योग के प्रतिभागियों, विनियामकों और अन्य स्टेक धारकों के बीच परिचालनगत जोखिम तीव्र अभिरुचि का विषय रहा है। बैंक ने प्रभावोत्पादक अभिशासन, जोखिम कैचर और परिचालनगत जोखिम एक्सपोजर की मात्रा को नापने के लिए परिचालनगत जोखिम प्रबंधन ढांचा (ओआरएमएफ) और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन तंत्र (ओआरएमएस) निर्धारित किया है। उपयुक्त गुणात्मक एवं मात्रात्मक तरीकों का प्रयोग तथा दैनिकी की प्रबंध प्रक्रियाओं में सुस्थापित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का प्रयोग तथा दैनिकी की प्रबंध प्रक्रियाओं में सुस्थापित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का प्रयोग और विभिन्न जोखिम शमन नीतियों को अपनाने से परिचालनगत जोखिम का सुगम प्रबंधन किया जाता है। विभिन्न उत्पादों/प्रक्रियाओं में निहित जोखिम बोध का समीक्षात्मक विश्लेषण किया जाता है और आवश्यकता पडने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

बैंक ने अपने परिचालनगत जोखिम एक्सपोजर को कैचर करने, मानिटर करने, मापने और प्रबंध करने के लिए परिष्कृत वेब-आधारित परिचालनगत जोखिम प्रणाली कार्यान्वित की है। बैंक ने 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए आंतरिक हानि डाटा बेस निर्मित किया है।

वर्ष के दौरान, ऋण स्पर्ट के जरिये परिचालनगत जोखिम का मानिटरिंग और सांख्यिकीय तकनीकों के जरिये बारंबरता का विश्लेषण और परिचालनगत हानि की गंभीरता का विश्लेषण किया गया।

परिचालनगत हानि के लिए पूंजी प्रभार, मूल सूचक दृष्टिकोण के अनुसार किया गया।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

पूंजी प्रभार के परिकलन के लिए नई पूंजी पर्याप्तता ढांचे पर दिशानिर्देश में परिभाषित रूप से पिछले तीन वर्षों की औसत सकल आय को लिहाज में लिया गया है। आवश्यक पूंजी रूप 12040.06 मिलियन (समेकित) है।

सारणी डीएफ – 9
बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)
गुणात्मक प्रकटीकरण

आईआरआरबीबी इसे सूचित करता है जोकि ब्याज दरों में होनेवाले परिवर्तन से बैंक की बैंकिंग बही में संभाव्य वित्तीय असर को दर्शाता है।

ब्याज दर जोखिम को दो दृष्टिकोण के जरिए मापकर मानिटर किया जाता है:

- जोखिम पर अर्जन (पारंपरिक गैप विश्लेषण) इस दृष्टिकोण के अधीन बैंक के निवल ब्याज आय पर होनेवाली ब्याज दरों में परिवर्तन के तत्काल असर को विश्लेषण किया जाता है।
- ईक्विटी का आर्थिक मूल्य (अवधि गैप दृष्टिकोण) आस्ति तथा देयताओं की आशोधित अवधि, ईक्विटी की आशोधित अवधि को अंतिम रूप से परिकलन करने के लिए पृथक तौर पर अभिकलन किया जाता है।

इस दृष्टिकोण में प्रतिलाभ में होनेवाले निश्चित परिवर्तन के लिए प्रतिलाभ वक्र समानंतर महत्व मानकर ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का आकलन करता है। **ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर असर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 200 बीपीएस शाक के अनुसार किया जाता है।** आशोधित अवधि के परिकलन में बाजार से जुड़े प्रतिफल का प्रयोग किया जाता है।

बाजार ब्याज दरों में होनेवाले परिवर्तन से बैंक की बही पुस्तक में अर्जन तथा आर्थिक मूल्य में असर पड़ेगा। अतः इस प्रकार जटिलता तथा तुलन पत्र के उत्पाद की सीमा के कारण दोनों अर्जन तथा आर्थिक मूल्य में ब्याज दर के परिणाम को मूल्यांकित करने के लिए आई आर आर माप प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए अनुपालन किए जानेवाले तकनीक चालु तुलन पत्र से परे स्थिति के आधार पर साधारण परिपक्वता (स्थिर दर) तथा पुनर्मूल्यांकन (फ्लोटिंग दर) गैप तथा अवधि गैप के प्रयोग से लेकर और उच्च स्तर तकनीक का प्रयोग किया जाता है जिसमें आस्ति देयताओं तथा तुलन पत्र से परे मदों पर अनुमानों को शामिल किया जाता है और ये बेसिस जोखिम, अन्तर्निहित विकल्प जोखिम, प्रतिलाभ वक्र जोखिम इत्यादि के एक्सपोजर की पूर्ण सीमा तक कैचर कर सकता है।

बैंकिंग बही बुक (आईआरआरबीबी) में बैंक ब्याज दर जोखिम का विश्लेषण, वैश्विक स्थिति के लिए किया जाता है। इसे मासिक आधार पर विश्लेषण नोट आलको को प्रस्तुत किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

आईआरआरबीबी (एकल – सार्वभौमिक) गणना पद्धति के अनुसार हेतु ब्याज आधार पर रेट शाक्स हेतु, अर्जन और आर्थिक मूल्य पर प्रभाव नीचे दिए गए हैं।

- एक वर्ष की समय परिधि के लिए ब्याज दर में 25 बीपीएस की वृद्धि हेतु अर्जन पर जोखिम रुपए 5.03 मिलियन हैं।
- ईक्विटी के बाजार मूल्य में 200 बीपीएस के परिवर्तन से ब्याज दर पर असर रुपए 27088.20 मिलियन हैं।

डीएफ 10 : प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबन्धित एक्सपोजरों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम वह है जो लेनदेन की नकद प्रवाह के अंतिम निपटान के पहले व्युत्पन्न लेनदेन के प्रतिपक्षकार द्वारा की जानेवाली चूक है। बैंक व्युत्पन्न को मिलाकर दोनों निधि और गैर निधि आधारित सुविधाओं हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियत एक्सपोजर के मानदण्डों के अनुसार सीमायें निर्धारित करता है। सीमायें पूंजी निधियों के प्रतिशत के रूप में निर्धारित की जाती हैं और नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। कार्पोरेटों के लिए व्युत्पन्न का मूल्यांकन किया जाता है तथा नियमित मूल्यांकन के एक अंश के रूप में नियमित ऋण सीमा के साथ मंजूरी की जाती है। [के अपने प्रतिपक्ष ऋण एक्सपोजर हेतु आर्थिक पूंजी को निर्धारित नहीं करता है।

प्रतिपक्षी के साथ किये गये सभी व्युत्पन्न लेन-देन बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्युत्पन्न पॉलिसी के माध्यम से मूल्यांकित किये जाते हैं।

व्युत्पन्न एक्सपोजर की वर्तमान एक्सपोजर पद्धति (सीईएम) का प्रयोग करते हुए गणना की जाती है और 31.03.2020 को बकाया शेष निम्नांकित है।

(₹ मिलियन में)

व्युत्पन्न	आनुमानिक सिद्धांत	वर्तमान में ऋण की मात्रा (+एमटीएम)	वर्तमान ऋण
वायदा संविदाएं	203825.72	3434.48	7531.80
ब्याज दर अदला बदली	0.00	0.00	0.00

डी एफ-11: पूंजी की संरचना		(₹ मिलियन में)	
		संदर्भ संख्या। (डीएफ-12 के संबंध में, चरण 2)	
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत और आरक्षित निधियां			
1	सीधे जारी की गई अर्हता प्राप्त सामान्य शेयर पूंजी और संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	46,354.53	ए1+बी1
2	प्रतिधारित आय	5,567.09	बी 6
3	संचित अन्य व्यापक आय तथा (अन्य आरक्षित)	1,52,080.04	बी2+बी3+बी4+बी5+बी8(i) + बी 11 (i)
4	सीईटी 1 से धीरे-धीरे समाप्त होने के अधीन सीधे जारी की गई पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए लागू)	0.00	
सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा पूंजी डालने को 1 जनवरी 2018 तक पुराने नियम के अनुसार मान्य करना		0.00	
5	सहायक इकाइयों द्वारा जारी की गई और तीसरे पक्ष (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि) द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी	0.00	
6	विनियामक समायोजनों से पहले सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी	2,04,001.66	
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0.00	
8	गुडविल (सम्बंधित कर देयता का निवल)	0.00	
9	मॉर्टगेज-सर्विसिंग अधिकार के अलावा अमूर्त आस्तियां (सम्बंधित कर देयता का निवल)	0.00	
10	आस्थिगत कर संपत्ति	0.00	
11	नकदी-प्रवाह बचाव रिजर्व	0.00	
12	अपेक्षित हानि के लिए प्रावधानों की कमी	0.00	
13	विक्रय पर प्रतिभूतिकरण लाभ	0.00	
14	उचित मूल्य देयताओं पर निजी ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि	0.00	
15	परिभाषित-लाभ पेंशन कोष निवल संपत्ति	0.00	
16	निजी शेयर में निवेश (रिपोर्ट किए गए तुलनपत्र में यदि पहले से ही प्रदत्त पूंजी का समायोजन न किया गया हो)	0.00	
17	सामान्य इक्विटी में परस्पर क्रॉस-होलिडिंग	0.00	
18	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के पूंजी में निवेश का पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक की जारी शेयर पूंजी 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	0.00	
19	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	0.00	
20	मॉर्टगेज सर्विसिंग अधिकार (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	0.00	
21	अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न आस्थिगत कर संपत्ति (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि, सम्बंधित कर देयता का निवल)	0.00	
22	15 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि	0.00	
23	जिनमें से : वित्तीय संस्थाओं के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश	0.00	

डी एफ-11: पूंजी की संरचना			(₹ मिलियन में)
			संदर्भ संख्या। (डीएफ-12 के संबंध में, चरण 2)
24	जिनमें से : मॉर्टगेज सर्विसिंग अधिकार	0.00	
25	जिनमें से : अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न होने वाली आस्थिगत कर आस्तियां	0.00	
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26क + 26ख + 26ग + 26घ)		
26क	जिसमें से : असमेकित बीमा सहायक कंपनियों के ईक्विटी पूंजी में निवेश	0.00	
26ख	जिसमें से : असमेकित गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों के ईक्विटी पूंजी में निवेश	0.00	
26ग	जिसमें से : बैंक के साथ असमेकित प्रमुख निजी वित्तीय संस्थाओं की ईक्विटी पूंजी में कमी	0.00	
26घ	जिसमें से : अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	0.00	
	बेसल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीन राशि के सम्बंध में सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	
	जिनमें से : अन्य वित्तीय कंपनियों में कुल ईक्विटी निवेश	0.00	
27	अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 कटौती को कवर करने के लिए सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	
28	सामान्य ईक्विटी टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन	0.00	
29	सामान्य ईक्विटी टियर 1 में पूंजी (सीईटी 1)	2,04,001.66	
	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : लिखत		
30	सीधे जारी किए गए पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और सम्बंधित स्टॉक अधिशेष (31 + 32)	5000.00	
31	जिसमें से : लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देयता के रूप में वर्गीकृत (सतत गैर-संचयी अधिमानी शेयर)	0.00	
32	जिसमें से : लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देयता के रूप में वर्गीकृत (सतत ऋण लिखत)	5000.00	डी 8
33	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी से चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत	0.00	
34	सहायक कंपनियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्ष द्वारा (एटी 1 समूह में अनुमत राशि तक) धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और 5वीं पंक्ति में शामिल नहीं किए गए सीईटी 1 लिखत)	0.00	
35	जिसमें से : चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए लिखत	0.00	
36	विनियामक समायोजन करने से पूर्व अतिरिक्त टियर पूंजी 1	5000.00	
	अतिरिक्त टियर पूंजी 1 : विनियामक समायोजन		
37	निजी अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश	0.00	
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस-होल्डिंग्स	0.00	
39	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में विशेष निवेश का पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक के पास संस्था द्वारा जारी शेयर पूंजी (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि) के 10 प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व नहीं है।	0.00	

डी एफ-11: पूंजी की संरचना			(₹ मिलियन में)
			संदर्भ संख्या। (डीएफ-12 के संबंध में, चरण 2)
40	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल)	0.00	
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41 क + 41 ख)	0.00	
41क	गैर-समेकित बीमा सहायक कंपनियों के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	0.00	
41ख	बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।	0.00	
	बेसल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीनराशियों के सम्बंध में अतिरिक्त टियर 1 पर लागू किए गए विनियामक समायोजन	0.00	
	जिसमें से : एटीआई से फेस आउट किये गये	0.00	
	जिसमें से : विद्यमान समायोजन, जिनकी टियर 1 में से 50% प्रतिशत पर कटौती की गई है	0.00	
	जिसमें से : डीटीए	0.00	
42	अपर्याप्त टियर 2 के कारण कटौती को कवर करने के लिए अतिरिक्त टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	
43	अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन	0.00	
44	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी 1)	5000.00	
44क	पूंजी पर्याप्तता की गणना में प्रयुक्त अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	5000.00	
45	टियर 1 पूंजी (टी 1 = सीईटी 1 + एटी 1) (29 + 44 क)	2,09,001.66	
	टियर 2 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान		
46	सीधे जारी किए गए पात्र टियर 2 लिखत और सम्बंधित स्टॉक अधिशेष	16000.00	डी 7
47	टियर 2 से चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत	10000.00	डी 5 + डी 6
48	सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए एवं तृतीय पक्षों द्वारा धारित (राशि समूह टियर 2 में अनुमत) टियर 2 लिखत (तथा पंक्तियों 5 और 34 में शामिल नहीं किये गये सीईटी 1 और एटी 1 लिखत)	0.00	
49	जिनमें से : चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी लिखतें	0.00	
50	प्रावधान	15891.42	बी 10+ई1
51	विनियामक समायोजनों से पूर्व टियर 2 पूंजी	41891.42	
	टियर 2 पूंजी : विनियामक समायोजन		
52	निजी टियर 2 लिखत में निवेश	0.00	
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस-होल्डिंग्स	0.00	
54	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में निवेश, पात्र शॉर्टपोजिशन निवल, जहां बैंक के पास संस्थान द्वारा जारी शेयर पूंजी (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) के 10 प्रतिशत से अधिक पर स्वामित्व नहीं है।	0.00	
55	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र शॉर्टपोजिशन निवल)	0.00	

	डी एफ-11: पूंजी की संरचना		(₹ मिलियन में)
			संदर्भ संख्या। (डीएफ-12 के संबंध में, चरण 2)
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56 क + 56 ख)	0.00	
56क	जिसमें से : गैर-समेकित सहायक कंपनियों के टियर 2 पूंजी में निवेश	0.00	
56ख	जिसमें से : बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के टियर 2 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया।	0.00	
	बेसल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीन राशि के सम्बंध में टियर 2 पर लागू विनियामक समायोजन	8000.00	
	जिसमें से : टियर 2 बॉण्ड से हटाए गए	8000.00	
57	टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	8000.00	
58	टियर 2 पूंजी (टी - 2)	33891.42	
58क	पूंजी पर्याप्तता की गणना में प्रयुक्त टियर 2 पूंजी	33891.42	
58ख	टियर 2 पूंजी के रूप में मान्य एक्सेस अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	0.00	
58ग	पूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टियर 2 पूंजी (58क +58ख)	33891.42	
59	कुल पूंजी (टीसी = टी1+टी2) (45+58ग)	2,42,893.08	
60	कुल जोखिम भारित आस्तियां (60क+60ख+60ग)	16,67,493.79	
60क	जिसमें से : कुल त्रण जोखिम भारित आस्तियां	13,99,123.65	
60ख	जिसमें से : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	1,17,869.34	
60ग	जिसमें से : कुल परिचालनगत जोखिम भारित आस्तियां	1,50,500.80	
	पूंजी अनुपात		
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.23%	
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.53%	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	14.57%	
64	संस्था विशिष्ट बफर आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता और पूंजी संरक्षण और प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकताएं, जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)	7.375%	
65	जिसमें से: पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता	1.875%	
66	जिसमें से: बैंक विशिष्ट प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकता	0.00%	
67	जिसमें से जी-एसआईबी बफर आवश्यकता	0.00%	
68	बफर्स को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	6.73%	
	राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बेसल III से पृथक है)		
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से अलग है)	7.375%	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग है) सीसीबी सहित	8.875%	

	डी एफ-11: पूंजी की संरचना		(₹ मिलियन में)
			संदर्भ संख्या I (डीएफ-12 के संबंध में, चरण 2)
71	कुल राष्ट्रीय पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग है)	10.875%	
	सीमा से कम मात्रा में कटौती के लिए राशियाँ (जोखिम भार से पहले)		
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश	0.00	
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	273.79	
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल)	0.00	
75	अस्थायी अन्तर से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता का निवल)	7,480.66	
	टियर 2 में प्रावधानों को शामिल किए जाने पर लागू कैप्स		
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन प्रदत्त ऋणों के संबंध में टियर 2 में शामिल किए जाने के लिए पात्र प्रावधान (कैप को लागू करने के पहले)	15,891.42	बी 9+बी 10+ई 1
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधानों का समावेश (ऋण जोखिम आरडबल्यू के 1.25%) पर कैप	17,489.05	
78	आंतरिक मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण के अधीन जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल किए जाने के लिए पात्र प्रावधान (कैप को लागू करने के पहले)	लागू नहीं	
79	आंतरिक मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधानों को शामिल किए जाने के लिए कैप	लागू नहीं	
	फेस-आउट व्यवस्था के अधीन पूंजी लिखतें		
80	फेस-आउट व्यवस्था के तहत सीईटी 1 लिखतों पर वर्तमान कैप	0.00	
81	कैप की वजह से के सीईटी 1 से अपवर्जित राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद कैप पर अतिरिक्त)	0.00	
82	फेस-आउट व्यवस्था के तहत एटी 1 लिखतों पर वर्तमान कैप	0.00	
83	कैप के कारण एटी 1 से अपवर्जित राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद कैप पर अतिरिक्त)	0.00	
84	फेस-आउट व्यवस्था के तहत टी 2 लिखतों पर वर्तमान कैप	20%	
85	कैप की वजह से टी 2 से अपवर्जित राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद कैप पर अतिरिक्त)	8000.00	

टेम्पलेट पर नोट		
टेम्पलेट की पंक्ति संख्या	विवरण	(₹ मिलियन में)
10	संचित हानियों के साथ जुड़ी हुई आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00
	आस्थगित कर आस्तियाँ (उनको छोड़ कर जो संचित हानियों से जुड़ी हुई हैं) आस्थगित कर देयताओं का निवल	0.00
	पंक्ति 10 में वर्णित के अनुसार कुल योग	0.00
19	अगर सहायक बीमा कंपनियों में निवेश पूंजी से पूर्णतः नहीं काटा जाता है और उसके एवज में कटौती हेतु 10 प्रतिशत न्यूनतम सीमा के अंतर्गत लिहाज में लिया जाता है, तो परिणाम स्वरूप बैंक की पूंजी में वृद्धि	0.00
	जिसमें से: सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0.00
	जिसमें से: अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0.00
	जिसमें से: अतिरिक्त टियर 2 पूंजी में वृद्धि	0.00
26बी	गैर समेकित गैर वित्तीय सहायक कंपनियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश नहीं काटा जाता है और परिणामतः जोखिम भारित किया जाता है, तो	0.00
	(i) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0.00
	(ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	0.00
44ए	अन्य अतिरिक्त टियर 1 पूंजी, जिसका परिकलन पूंजी पर्याप्तता के लिए नहीं किया गया है (पंक्ति 44 में रिपोर्टित अतिरिक्त टियर 1 पूंजी और पंक्ति 44ए में रिपोर्टित अतिरिक्त अनुमेय टियर 1 पूंजी के बीच का अंतर)	0.00
	जिसमें से: अतिरिक्त अन्य टियर 1 पूंजी जिसे पंक्ति 58बी के तहत अब टियर 2 पूंजी माना गया है	0.00
50	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान	15891.42
	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियाँ	0.00
	पंक्ति 50 का कुल योग	15891.42

डीएफ 12 : पूंजी की संरचना - मिलान आवश्यकताएं – चरण 1		(₹ मिलियन में)	
		वित्तीय विवरणों के अनुसार (स्टैंडएलोन) तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे के तहत तुलन पत्र
		31.03.2020 को	31.03.2020 को
ए	पूंजी और देयताएं		
i	प्रदत्त पूंजी	6088.01	6088.01
	आरक्षितियां एवं अधिशेष	214804.68	221587.78
	कुल पूंजी	220892.69	227675.79
	अल्पसंख्यक के हित	0.00	211.70
ii	जमाराशियां	26,02,258.97	26,01,843.95
	जिसमें से: बैंकों से जमा	43,230.51	43,230.51
	जिसमें से: ग्राहकों की जमा राशि	25,59,028.46	25,58,613.44
	जिसमें से: अन्य जमा (कृपया दर्शाएँ)	0.00	0.00
iii	उधार राशियां	2,08,303.10	2,08,303.10
	भारतीय रिजर्व बैंक से	1,15,299.03	1,15,299.03
	बैंकों से	1.09	1.09
	भारत के बाहर से उधार	28,814.38	28,814.38
	अन्य संस्थाओं एवं अभिकरणों से	64,188.60	64,188.60
	जिसमें से: पूंजी लिखतें	31,000.00	31,000.00
iv	अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	63,226.99	63,375.04
	कुल देयताएँ	30,94,681.74	31,01,409.57
बी	आस्तियां		
I	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष	57,361.24	57,361.28
	बैंकों में शेष और मांग और अल्पावधि पर धनराशि	81,885.60	82,003.54
ii	निवेश :	8,12,416.88	8,18,711.56
	जिसमें से: सरकारी प्रतिभूतियों में	6,96,872.40	6,96,872.40
	जिसमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	29.88	29.88
	जिसमें से: शेयरों में	3,523.12	3,525.06
	जिसमें से: ऋणपत्र और बांड में	67,367.33	67,367.33
	जिसमें से: अनुषंगी / संयुक्त उपक्रम / सहयोगियों में	1,011.53	7,304.26
	जिसमें से: अन्य (वाणिज्यिक पत्रों, म्यूचुअल फंडों आदि) में	43,612.61	43,612.61
iii	ऋण और अग्रिम	19,78,870.11	19,78,870.13
	जिसमें से: बैंकों को ऋण और अग्रिम	24,805.72	30,275.04
	जिसमें से: ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	19,54,064.40	19,48,595.09
iv	अचल आस्तियाँ	38,957.44	38,990.79
v	अन्य आस्तियां	1,25,190.47	1,25,472.27
	जिसमें से: गुडविल और अमूर्त आस्तियां	0.00	0.00
	जिसमें से: आस्थगित कर आस्तियाँ	7,441.99	7,480.66
vi	समेकन पर गुडविल	0.00	0.00
vii	लाभ और हानि खाते में नामे शेष	0.00	0.00
	कुल आस्तियां	30,94,681.74	31,01,409.57

डीएफ 12 : पूंजी की संरचना - मिलान आवश्यकताएं – चरण 2				(₹ मिलियन में)
		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलनपत्र (एकल)	समेकन के विनियामक दायरों के अंतर्गत तुलनपत्र	संदर्भ संख्या
		31.03.2020 को	31.03.2020 को	
ए	पूँजी तथा देयताएँ			
i	प्रदत्त पूँजी	6,088.01	6,088.01	ए
	जिनमें से : सीईटी 1 के लिए पात्र राशि	6,088.01	6,088.01	ए1
	आरक्षित निधि तथा अधिशेष (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	2,14,804.68	2,21,587.78	बी
	जिनमें से			
	1. शेयर प्रिमियम	40,266.52	40,266.52	बी 1
	2. सांविधिक आरक्षितियां	46,941.98	46,941.98	बी 2
	3. आरक्षित पूंजी	3,885.52	3,885.52	बी 3
	4. विशेष आरक्षितियां	7,837.20	7,837.20	बी 4
	जिनमें से कर का निवल विशेष आरक्षितियां	7,255.20	7,255.20	बी4(i)
	5. राजस्व आरक्षितियां	74,482.93	76,690.57	बी 5
	6. लाभ एवं हानि खाता	991.63	5,567.09	बी 6
	7. अल्प संख्यक के हित	0.00	211.70	बी 7
	जिनमें से पूँजी निधि के लिए विचार किया गया	0.00	0.00	बी 7(i)
	8. पुनर्मूल्यन आरक्षित	29,878.44	29,878.44	बी 8
	पुनर्मूल्यन आरक्षित (सीईटी 1 पूंजी के अंश पर 55% छूट)	13,445.30	13,445.30	बी 8(i)
	9. उतार चढ़ाव आरक्षित निवेश	5,669.90	5,669.90	बी 9
	10. आरक्षित निवेश	477.92	477.92	बी 10
	11. फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिज़र्व (एफओआरपी)	4,372.63	4,372.63	बी 11
	जिनमें से पूंजी निधि के लिए (25% की छूट) लिया गया	3,279.47	3,279.47	बी 11(i)
	कुल पूंजी	2,20,892.69	2,27,675.79	
ii	जमा राशियां	26,02,258.97	26,01,843.95	सी
	जिनमें से : बैंकों की जमा राशियां	43,230.51	43,230.51	सी (i)
	जिनमें से : ग्राहक जमाएं	25,59,028.46	25,58,613.44	सी (ii)
	जिनमें से : अन्य जमाएं	0.00	0.00	सी (iii)
iii	उधार	2,08,303.10	2,08,303.10	डी
	भारतीय रिज़र्व बैंक से	1,15,299.03	1,15,299.03	डी 1
	बैंकों से	1.09	1.09	डी 2
	भारत के बाहर से उधार	28,814.38	28,814.38	डी 3
	अन्य संस्थाओं और एजेंसियों से	64,188.60	64,188.60	डी 4
	जिनमें से : पूंजी लिखत	31,000.00	31,000.00	डी 4(i)
	अपर टियर II लिखत (गैर बेसल III अनुपालक)	5,000.00	5,000.00	डी 5
	लोवर टियर II लिखत (गैर बेसल III अनुपालक)	5,000.00	5,000.00	डी 6
	टियर II लिखत (बेसल III के अनुरूप)	16,000.00	16,000.00	डी 7
	एटी 1 के लिए अर्ह स्थायी त्रण लिखत	5,000.00	5,000.00	डी 8
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	63,226.99	63,375.04	ई
	सामान्य प्रावधान	9,743.59	9,743.59	ई 1
	कुल	30,94,681.74	31,01,409.57	

डीएफ 12 : पूंजी की संरचना - मिलान आवश्यकताएं – चरण 2				(₹ मिलियन में)
		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलनपत्र (एकल)	समेकन के विनियामक दायरों के अंतर्गत तुलनपत्र	संदर्भ संख्या
		31.03.2020 तक	31.03.2020 तक	
बी	आस्तियां			
I.	भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकद एवं शेष	57,361.24	57,361.28	
	बैंकों के पास शेष और मांग अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	81,885.60	82,003.54	
ii	निवेश	8,12,416.88	8,18,711.56	
	जिनमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	6,96,872.40	6,96,872.40	
	जिनमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	29.88	29.88	
	जिनमें से : शेयर	3,523.12	3,525.06	
	जिनमें से : डिबेंचर एवं बांड	67,367.33	67,367.33	
	जिनमें से : अनुषंगी / संयुक्त उद्यम / सहयोगी संस्थाएं	1,011.53	7,304.26	
	जिनमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड, इत्यादि)	43,612.61	43,612.61	
iii	ऋण एवं अग्रिम	19,78,870.11	19,78,870.13	
	जिनमें से : बैंकों को ऋण और अग्रिम	24,805.72	30,275.04	
	जिनमें से : ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	19,54,064.40	19,48,595.09	
iv	अचल आस्तियां	38,957.44	38,990.79	
v	अन्य आस्तियां	1,25,190.47	1,25,472.27	
	जिनमें से : गुडविल और अमूर्त आस्तियां	0.00	0.00	
	जिनमें से			
	गुडविल	0.00	0.00	
	अन्य अमूर्त तत्व	0.00	0.00	
	आस्थगित कर देयताएं (निवल)	7,441.99	7,480.66	
vi	समेकन पर गुडविल	0.00	0.00	
vii	लाभ तथा हानि खाते में नामे शेष	0.00	0.00	
	कुल आस्तियां	30,94,681.74	31,01,409.57	

सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ हेतु प्रकटीकरण टेम्प्लेट

1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा : सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा निजी स्थानन के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई562ए01011	आईएनई562ए09055
3	लिखतों का नियंत्रण करनेवाले नियम	भारतीय कानून और विनियामक आवश्यकताओं पर लागू	भारतीय कानून और विनियामक आवश्यकताओं पर लागू
	विनियामक ट्रीटमेंट		
4	संक्रमणकालिक बेसल III नियम	सामान्य ईक्विटी टियर 1	एटी 1 बाण्ड
5	उत्तर संक्रमणकालिक बेसल III नियम	पात्र	पात्र
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल पर पात्र	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7	लिखत प्रकार	कामन शेयर	बेमियादी बाण्ड
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (31.03.2020 को रुपए मिलियन में)	6088.01	5000
9	लिखत का सममूल्य	लागू नहीं	5000
10	लेखांकन वर्गीकरण	शेयर धारक का ईक्विटी	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	भिन्न तिथि	30.03.2016
12	सतत अथवा दिनांकित	बेमियादी	बेमियादी
13	मूल परिपक्वता तिथि	लागू नहीं	बेमियादी
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता काल	लागू नहीं	हाँ
15	वैकल्पिक काल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक एवं मोचन राशि (रुपए मिलियन में)	लागू नहीं	वैकल्पिक काल दिनांक: 30.03.2021 आकस्मिक कॉल दिनांक: लागू नहीं मोचन राशि: 5000
16	अनुवर्ती काल दिनांक यदि लागू हो	लागू नहीं	लागू नहीं
	लाभांश / कूपन	लाभांश	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	लाभांश	स्थायी
18	कूपन दर अथवा कोई अन्य संबंधित सूचकांक	लागू नहीं	11.15% प्रतिवर्ष कोई संबंधित सूचकांक नहीं है
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	लागू नहीं	हाँ
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्ध विवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	पूरी तरह विवेकाधीन	पूरी तरह विवेकाधीन
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	नहीं	नहीं
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	लागू नहीं	बेसल III पर भारिबैंक के दिनांक 01.07.2015 के मास्टर परिपत्र में वर्णित पीओएनवी घटना / विशिष्ट ट्रिगर के आधार पर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं	पूर्व विनिर्दिष्ट ट्रिगर पर परिवर्तन जो 5.50% प्रतिशत के न्यूनतम आम ईक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात पर हो (31.03.2019 के पहले) या जोखिम भारित आस्तियों (आरडबल्यूए) के 6.125% प्रतिशत पर हो (31.03.2019 को या उसके बाद) जोकि बेसल III पर जारी भारिबैंक के 01.07.2015 के परिपत्र में निर्धारित किया गया है।
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं	पूर्णतः
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	परिवर्तन के समय पर मौजूदा बाजार मूल्य के आधार पर
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	विशिष्ट ट्रिगर पर अनिवार्य
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	सामान्य ईक्विटी शेयर
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें।	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	नहीं	हाँ
31	यदि अवलिखित है तो, उसके ट्रिगर	लागू नहीं	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पाइन्ट आफ नान वायबलिटी (पीओएनवी) में
32	यदि अवलिखित है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं	पूर्ण
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	स्थायी
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तो, राइट-अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार उल्लेख करें)	लागू नहीं	बैंक के लेनदारों तथा जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ और गौण कर्ज बाण्ड
36	गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	लागू नहीं
37	यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	लागू नहीं	लागू नहीं

सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ हेतु प्रकटीकरण टेम्प्लेट

1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा.सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी न्युक्तियों के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई562ए09030	आईएनई562ए09048
3	लिखतों को नियंत्रण करने वाले नियम	भारतीय विधि और विनियामक अपेक्षाओं पर लागू	भारतीय कानून और विनियामक आवश्यकताओं पर लागू
	विनियामक ट्रीटमेंट		
4	संक्रमणकालीन बेसल III नियम	टीयर-2	टीयर-2
5	उत्तर-संक्रमणकालीन बेसल III के नियम	अपात्र	अपात्र
6	एकल / समूह / समूह और एकल स्तर पर पात्र	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7	लिखत का प्रकार	ऊपरी टीयर II (श्रृंखला II)	ऊपरी टीयर II (श्रृंखला III)
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (31.03.2020 तक, रुपए लाख में)	1000	1000
9	लिखत का सम मूल्य	5000	5000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	28.06.2010	16.07.2010
12	सतत अथवा दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तारीख	28.06.2020	16.07.2025
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता कॉल	हाँ	हाँ
15	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक और मोचन राशि (रुपये मिलियन में)	वैकल्पिक कॉल दिनांक: लागू नहीं मोचन राशि:5000	वैकल्पिक कॉल दिनांक:16/07/2020 आकस्मिक कॉल दिनांक: लागू नहीं मोचन राशि: 5000
16	अनुवर्ती कॉल दिनांक, यदि लागू हो	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन/लाभांश	कूपन	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	स्थायी	स्थायी
18	कूपन दर अथवा कोई अन्य संबंधित सूचकांक	8.53 प्रतिशत	पहले 10 वर्ष के लिए 8.67 प्रतिशत अगर कॉल का प्रयोग नहीं किया गया: 9.17 प्रतिशत
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्धविवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	नहीं	हाँ 50 बीपीएस द्वारा वृद्धिशील ऋण
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	नहीं	नहीं
31	यदि अवलिखित है तो, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलिखित है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तो, राइट-अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार उल्लेख करें)	बैंक के अन्य लेनदारों तथा जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	बैंक के अन्य लेनदारों तथा जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएँ	हाँ	हाँ
37	यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	बिना हानि के अवशोषकता विशेषताएँ	बिना हानि के अवशोषकता विशेषताएँ

सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ हेतु प्रकटीकरण टेम्प्लेट

1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा.सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी न्यक्तियों के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई562ए08016	आईएनई562ए08024
3	लिखतों को नियंत्रण करने वाले नियम	भारतीय विधि और विनियामक अपेक्षाओं पर लागू	भारतीय कानून और विनियामक आवश्यकताओं पर लागू
विनियामक ट्रीटमेंट			
4	संक्रमणकालीन बेसल III नियम	टीयर-2	टीयर-2
5	उत्तर-संक्रमणकालीन बेसल III के नियम	पात्र	पात्र
6	एकल / समूह / समूह और एकल स्तर पर पात्र	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7	लिखत का प्रकार	बेसल III शिकायत टियर II बॉन्ड-शृंखला I	बेसल III शिकायत टियर II बॉन्ड-ट्रेंच ए
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (31.03.2020 तक, रुपए लाख में)	6000	2900
9	लिखत का सम मूल्य	6000	2900
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	28.07.2016	30.10.2018
12	सतत अथवा दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तारीख	28.07.2026	30.10.2018
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता कॉल	हाँ	हाँ
15	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक और मोचन राशि (रुपये मिलियन में)	वैकल्पिक कॉल दिनांक: 28.07.2021 मोचन राशि:6000	वैकल्पिक कॉल दिनांक: 30.10.2023 मोचन राशि: 2900
16	अनुवर्ती कॉल दिनांक, यदि लागू हो	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन/लाभांश	कूपन	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	स्थायी	स्थायी
18	कूपन दर अथवा कोई अन्य संबंधित सूचकांक	8.10% प्रतिवर्ष	8.90% प्रतिवर्ष
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्धविवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधिकार	पूर्ण विवेकाधिकार
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	नहीं	नहीं
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	गैर संचयी	गैर संचयी
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	हाँ	हाँ
31	यदि अवलिखित है तो, अवलेखन ट्रिगर	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार गैर-व्यवहार्यता के बिंदु पर (पीओएनवी)	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार गैर-व्यवहार्यता के बिंदु पर (पीओएनवी)
32	यदि अवलिखित है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	पूर्णतः	पूर्णतः
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	स्थायी	स्थायी
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तो, राइट-अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार उल्लेख करें)	बैंक के अन्य लेनदारों तथा जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	बैंक के अन्य लेनदारों तथा जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएँ	पूर्णतः अनुपालन	पूर्णतः अनुपालन
37	यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	लागू नहीं	लागू नहीं

सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ हेतु प्रकटीकरण टेम्प्लेट

1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा.सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी न्यक्तियों के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई562ए08032	आईएनई562ए08040
3	लिखतों को नियंत्रण करने वाले नियम	भारतीय कानून और विनियामक आवश्यकताओं पर लागू	भारतीय कानून और विनियामक आवश्यकताओं पर लागू
	विनियामक ट्रीटमेंट		
4	संक्रमणकालीन बेसल III नियम	टीयर-2	टीयर-2
5	उत्तर-संक्रमणकालीन बेसल III के नियम	पात्र	पात्र
6	एकल / समूह / समूह और एकल स्तर पर पात्र	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7	लिखत का प्रकार	बेसल III शिकायत टियर II बॉन्ड-ट्रेच बी	बेसल III शिकायत टियर II बॉन्ड-ट्रेच सी
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (31.03.2020 तक, रुपए मिलियन में)	1100	6000
9	लिखत का सम मूल्य	1100	6000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	06/11/2018	22/01/2019
12	सतत अथवा दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तारीख	06/11/2028	22/01/2019
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता कॉल	हाँ	हाँ
15	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक और मोचन राशि (रुपये मिलियन में)	वैकल्पिक कॉल दिनांक: 06/11/2023 मोचन राशि:1100	वैकल्पिक कॉल दिनांक:22/01/2024 मोचन राशि: 6000
16	अनुवर्ती कॉल दिनांक, यदि लागू हो	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन/लाभांश	कूपन	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	स्थायी	स्थायी
18	कूपन दर अथवा कोई अन्य संबंधित सूचकांक	8.85% प्रतिवर्ष	8.53% प्रतिवर्ष
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्धविवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधिकार	पूर्ण विवेकाधिकार
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	नहीं	नहीं
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	हाँ	हाँ
31	यदि अवलिखित है तो, अवलेखन ट्रिगर	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार गैर-व्यवहार्यता के बिंदु पर (पीओएनवी)	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार गैर-व्यवहार्यता के बिंदु पर (पीओएनवी)
32	यदि अवलिखित है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	पूर्णतः	पूर्णतः
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	स्थायी	स्थायी
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तो, राइट-अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार उल्लेख करें)	बैंक के अन्य लेनदारों तथा जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	बैंक के अन्य लेनदारों तथा जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएँ	पूर्णतः अनुपालन	पूर्णतः अनुपालन
37	यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	लागू नहीं	लागू नहीं

सारणी डीएफ-14 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ निम्नतर टियर II बॉन्ड के लिए शर्तें एवं निबंधन

सुरक्षा विवरण	8.67 प्रतिशत असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण अपर टियर II बॉन्ड (ऋण पूंजी लिखत) प्रत्येक 10,00,000 रुपये का वचननोट की प्रकृति में (श्रृंखला तृतीय) कुल 500 करोड़ रुपये तक)
...के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की गई	निजी नियोजन
टैक्स की स्थिति	टैक्स से छूट नहीं
निर्गम के उद्घाटन की तारीख	16 / 07 / 2010
निर्गम के बंद होने की तारीख	16 / 07 / 2010
श्रृंखला	श्रृंखला III
आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए09048
प्रति लिखत का अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000
प्रति लिखत का प्रदत्त मूल्य	रुपये 10,00,000
निर्गम का आकार	रुपय 500 करोड़
आवंटन की तिथि	16 / 07 / 2010
परिपक्वता अवधि समाप्ति की तिथि	16 / 07 / 2025
परिपक्व होने के लिए राशि	रुपय 500 करोड़
कूपन दर (निश्चित)	पहले 10 साल के लिए 8.67 प्रतिशत के दर पर। 50 बेसिस पॉइंट्स दर स्टेप अप होगा, प्रभाव में, बॉन्ड्स पर कूपन दर 11 वें वर्ष से 9.17 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी, अगर कॉल ऑप्शन आवंटन की तिथि से 10 वर्ष के अंत में बैंक द्वारा प्रयोग नहीं की जाएगी।
ब्याज की आवृत्ति	वार्षिक तथा गैर संचयी
देय ब्याज की तिथि	हर साल 16 जुलाई को
ब्याज भुगतान की पहली तिथि	16 जुलाई 2011
कॉल ऑप्शन	कॉल ऑप्शन बॉन्ड पर उपलब्ध है और आवंटन की तारीख से 10 वर्ष के अंत में बैंक द्वारा इसका प्रयोग किया जाना, अन्य शर्तों से संबंधित समय में लागू कानूनों और नियमन के अनुसार, बैंक की कॉल ऑप्शन प्रयोग के समय में और प्रयोग के बाद पूंजी पर्याप्तता स्थिति अंशतः नहीं बल्कि पूर्णतः बैंक द्वारा कॉल विकल्प का प्रयोग और प्रयोग के बाद का मामला भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगा। बैंक द्वारा कॉल विकल्प के प्रयोग के समय बैंक कम से कम 30 (तीस) दिन पहले उस तारीख को, बॉन्ड धारकों को पंजीकृत डाक / कूरियर द्वारा भेजे गए एक नोटिस के माध्यम से सूचित करेगा। बांड आवंटन की संभावित तारीख से 10 साल की चूक के बाद कॉल विकल्प के साथ संयोजन के रूप में बांड के पूरे जीवन काल के दौरान केवल एक बार प्रयोग किया जाएगा जो एक स्टेप-अप ऑप्शन कहलाएगा। स्टेप-अप 50 बीपीएस, कॉल ऑप्शन आवंटन की तिथि से 10 वर्ष के अंत में अगर बैंक द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है, तो बॉन्ड पर कूपन दर बाद के वर्षों के लिए 9.17% प्रति वर्ष के हिसाब से कूपन रेट बढ़ाया जाएगा।

निम्नतर टियर II बॉन्ड के लिए पूर्ण शर्तें एवं निबंधन

सुरक्षा विवरण	8.53 प्रतिशत असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण लोअर टियर II बॉन्ड्स 10,00,000 रुपये का वचन पत्र के श्रेणी में (ऋण पूंजी लिखत) (शृंखला II), प्रत्येक कुल 500 करोड़ रुपये तक)
....के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की गई	निजी नियोजन
टैक्स की स्थिति	टैक्स से छूट नहीं
निर्गम के उद्घाटन की तारीख	28/06/2010
निर्गम के बंद होने की तारीख	28/06/2010
शृंखला	शृंखला II
आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए09030
प्रति लिखत का अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000
प्रति लिखत का प्रदत्त मूल्य	रुपये 10,00,000
निर्गम का आकार	रुपये 500 करोड़
आवंटन की तिथि	28/06/2010
परिपक्वता अवधि समाप्ति की तिथि	28/06/2020
परिपक्व होने के लिए राशि	रुपये 500 करोड़
कूपन दर (निश्चित)	8.53 प्रतिशत
ब्याज की आवृत्ति	वार्षिक तथा गैर संचयी
देय ब्याज की तिथि	हर साल 28 जून को
ब्याज भुगतान की पहली तिथि	28 जून 2011

बेसल III के अनुरूप शर्तें एवं निबंधन टियर II बॉन्ड—सीरीज I

सुरक्षा विवरण	8.10 प्रतिशत असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण लोअर टियर II बॉन्ड्स 10,00,000 रुपये का वचन पत्र के श्रेणी में (ऋण पूंजी लिखत) (शृंखला I), प्रत्येक कुल 600 करोड़ रुपये तक)
के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की गई	निजी नियोजन
टैक्स की स्थिति	टैक्स से छूट नहीं
निर्गम के उद्घाटन की तारीख	28/07/2016
निर्गम के बंद होने की तारीख	28/07/2016
शृंखला	शृंखला I
आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए08016
प्रति लिखत का अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000
प्रति लिखत का प्रदत्त मूल्य	रुपये 10,00,000
निर्गम का आकार	रुपये 600 करोड़
आवंटन की तिथि	28/07/2016
परिपक्वता तिथि	28/07/2026
कॉल ऑप्शन	पाँच वर्षों के अंत में : 28/07/2021
परिपक्व होने के लिए राशि	रुपये 600 करोड़
कूपन दर (निश्चित)	8.10 प्रतिशत
ब्याज की आवृत्ति	वार्षिक तथा गैर संचयी
देय ब्याज की तिथि	28 जुलाई हर साल
ब्याज भुगतान की पहली तिथि	28 जुलाई 2017

बेसल III के अनुरूप शर्तें एवं निबंधन टियर II बॉन्ड-सीरीज I

सुरक्षा विवरण	8.90 प्रतिशत असुरक्षित, अपरिवर्तनीय, प्रतिदेय, बेसल III निबंधित टियर II बॉन्ड्स प्रत्येक 10 लाख रुपये के डिबेंचर के रूप में कुल रु.290 करोड़ की राशि
....के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की गई	निजी नियोजन
टैक्स की स्थिति	टैक्स से छूट नहीं
निर्गम के उद्घाटन की तारीख	26/10/2018
निर्गम के बंद होने की तारीख	26/10/2018
श्रृंखला	ट्रेंच ए
आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए08024
प्रति लिखत का अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000
प्रति लिखत का प्रदत्त मूल्य	रुपये 10,00,000
निर्गम का आकार	रुपये 200 करोड़
आवंटन की तिथि	30 / 10 / 2018
परिपक्वता अवधि समाप्ति की तिथि	30 / 10 / 2018
कॉल ऑप्शन	वर्षों के अंत में : 30/10/2023
परिपक्व होने के लिए राशि	रुपये 290 करोड़
कूपन दर (निश्चित)	8.90 प्रतिशत
ब्याज की आवृत्ति	वार्षिक तथा गैर संचयी
देय ब्याज की तिथि	हर साल 30 अक्तूबर
ब्याज भुगतान की पहली तिथि	30/10/2019
कॉल ऑप्शन	उपरोक्त शर्तों के अधीन जारीकर्ता परिपक्वता-पूर्व मोचन की तिथि(जिसकी सूचना परिपक्वता-पूर्व मोचन की नियत तिथि से (जारीकर्ता की परिपक्वता-पूर्व मोचन तिथि) होगी) 21 दिनों के भीतर ट्रस्टी को संतुष्ट करने तथा सूचना भेजने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, इन बकाया बॉन्ड्स की घोषणा कर सकता है। जारीकर्ता की घोषणा जो पूर्णतः विवेकाधीन है आबंटन की संभावित तिथि से पांचवें वर्ष की या नहीं की जा सकती है यथा पाँचवाँ कूपन या कूपन के भुगतान की तिथि के बाद(यथा पांचवें वर्ष के अंत में – 30.10.2023)

निम्नतर टियर II बॉन्ड के लिए पूर्ण शर्तें एवं निबंधन

सुरक्षा विवरण	8.85 प्रतिशत असुरक्षित, अपरिवर्तनीय, प्रतिदेय, बेसल III निबंधित टियर II बॉन्ड्स प्रत्येक 10 लाख रुपये के डिबेंचर के रूप में कुल रु.110 करोड़ की राशि
....के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की गई	निजी नियोजन
टैक्स की स्थिति	टैक्स से छूट नहीं
निर्गम के उद्घाटन की तारीख	02/11/2018
निर्गम के बंद होने की तारीख	02/11/2018
श्रृंखला	ट्रेंच बी
आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए08032
प्रति लिखत का अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000
प्रति लिखत का प्रदत्त मूल्य	रुपये 10,00,000
निर्गम का आकार	रुपये 110 करोड़

आवंटन की तिथि	06/11/2018
परिपक्वता अवधि समाप्ति की तिथि	06/11/2018
कॉल ऑप्शन	5 वर्षों के अंत में : जैसे 06/11/2023
परिपक्व होने के लिए राशि	रुपये 110 करोड़
कूपन दर (निश्चित)	8.85 प्रतिशत
ब्याज की आवृत्ति	वार्षिक तथा गैर संचयी
देय ब्याज की तिथि	हर साल 6 नवम्बर
ब्याज भुगतान की पहली तिथि	06/11/2019
कॉल ऑप्शन	उपरोक्त शर्तों के अधीन जारीकर्ता परिपक्वता-पूर्व मोचन की तिथि(जिसकी सूचना परिपक्वता-पूर्व मोचन की नियत तिथि से (जारीकर्ता की परिपक्वता-पूर्व मोचन तिथि) होगी) 21 दिनों के भीतर ट्रस्टी को संतुष्ट करने तथा सूचना भेजने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, इन बकाया बॉन्ड्स की घोषणा कर सकता है। जारीकर्ता की घोषणा जो पूर्णतः विवेकाधीन है आबंटन की संभावित तिथि से पांचवें वर्ष की या नहीं की जा सकती है यथा पाँचवाँ कूपन या कूपन के भुगतान की तिथि के बाद(यथा पांचवें वर्ष के अंत में – 06.11.2023)

बेसल III के अनुरूप शर्तें एवं निबंधन टियर II बॉन्ड-सीरीज I

सुरक्षा विवरण	8.53 प्रतिशत असुरक्षित, अपरिवर्तनीय, प्रतिदेय, बेसल III निबंधित टियर II बॉन्ड्स प्रत्येक 10 लाख रुपये के डिबेंचर के रूप में कुल रु.600 करोड़ की राशि
...के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की गई	निजी निवेश
टैक्स की स्थिति	टैक्स से छूट नहीं
निर्गम के उद्घाटन की तारीख	18/01/2019
निर्गम के बंद होने की तारीख	18/01/2019
शृंखला	ट्रेच सी
आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए8040
प्रति लिखत का अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000
प्रति लिखत का प्रदत्त मूल्य	रुपये 10,00,000
निर्गम का आकार	रुपये 600 करोड़
आवंटन की तिथि	22/01/2019
परिपक्वता अवधि समाप्ति की तिथि	22/01/2019
कॉल ऑप्शन	5 वर्षों के अंत में : जैसे 22.01.2024
परिपक्व होने के लिए राशि	रुपये 600 करोड़
कूपन दर (निश्चित)	8.53 प्रतिशत
ब्याज की आवृत्ति	वार्षिक तथा गैर संचयी
देय ब्याज की तिथि	प्रत्येक वर्ष 22 जनवरी
ब्याज भुगतान की पहली तिथि	22/01/2020
कॉल ऑप्शन	उपरोक्त शर्तों के अधीन जारीकर्ता परिपक्वता-पूर्व मोचन की तिथि(जिसकी सूचना परिपक्वता-पूर्व मोचन की नियत तिथि से (जारीकर्ता की परिपक्वता-पूर्व मोचन तिथि) होगी) 21 दिनों के भीतर ट्रस्टी को संतुष्ट करने तथा सूचना भेजने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, इन बकाया बॉन्ड्स की घोषणा कर सकता है। जारीकर्ता की घोषणा जो पूर्णतः विवेकाधीन है आबंटन की संभावित तिथि से पांचवें वर्ष की या नहीं की जा सकती है यथा पाँचवाँ कूपन या कूपन के भुगतान की तिथि के बाद(यथा पांचवें वर्ष के अंत में – 22.01.2024)

सारणी डीएफ-14 विनियामक पूंजी लिखतों की शर्तें एवं निबंधन एटी 1 बॉन्ड के लिए पूर्ण शर्तें एवं निबंधन

सुरक्षा विवरण	अरक्षित बेसल III के अनुपालन में अतिरिक्त टियर-1 की स्थायी ऋण लिखतें
के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की गई	निजी नियोजन
टैक्स की स्थिति	टैक्स से छूट नहीं
निर्गम के उद्घाटन की तारीख	30/03/2016
निर्गम के बंद होने की तारीख	30/03/2016
श्रृंखला	श्रृंखला I
आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए09055
प्रति लिखत का अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000
प्रति लिखत का प्रदत्त मूल्य	रुपये 10,00,000
मुद्रा का आकार	रुपय 500 करोड़
आवंटन की तिथि	31/03/2016
परिपक्वता अवधि समाप्ति की तिथि	स्थायी लिखतें
कूपन दर (नियत)	11.15 प्रतिशत प्रतिवर्ष
ब्याज की आवृत्ति	वार्षिक तथा गैर संचयी
देय ब्याज की तिथि	हर साल 30 मार्च को
ब्याज भुगतान की पहली तिथि	30 मार्च 2017
पुट ऑप्शन	कुछ नहीं
कॉल ऑप्शन	5 वर्ष पूरे होने के बाद ही
ट्रस्टीस	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड
ऋण रेटिंग	क्रिसिल एए + / (वॉच) दिनांक 20 दिसंबर 2019 को विकसित किया गया

सारणी डीएफ - 15: पारिश्रमिक के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताएं

..... लागू नहीं

बेसल III पर शरिबैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार यह सारणी भारत में कार्यरत सभी निजी एवं विदेशी बैंकों के लिए ही लागू है ।

सारणी डीएफ -16 : ईक्विटी – बैंकिंग बुक स्थितियों के लिए प्रकटीकरण

बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन पर विवेकपूर्ण मानदण्डों पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुपालन में खरीद के समय में ही निवेशों को व्यापार के लिए धारित (एचएफटी), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। छोटी अवधि में ही मूल रूप से बिक्री के लिए धारित निवेशों को एचएफटी प्रतिभूति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जिन प्रतिभूतियों को बैंक परिपक्वता तक धारित करने का इरादा रखता है, उन्हें एचटीएम संवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों की ईक्विटी में निवेश को एएफएस प्रतिभूति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी निवेशों को एएफएस प्रतिभूति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एचटीएम संवर्ग में धारित ईक्विटी निवेशों को अर्जन लागत पर रखा जाता है। बैंकिंग बही के अंतर्गत ईक्विटी निवेश, अनुषंगियों और सहयोगी संस्थाओं में बैंक के निवेश है। 31.03.2020 तक बैंकिंग बही के अंतर्गत ईक्विटी शेयरों में बही मूल्य रूपए 1065.03 मिलियन हैं।

अनुषंगियों में निवेश को सीईटी 1 से कम किया गया है तथा सहयोगी संस्थाओं में निवेश को 250 प्रतिशत पर जोखिम भारित किया गया है।

सारणी डीएफ 17 – लेखांकित आस्तियों की तुलना में लिवरेज प्रतिशत एक्सपोजर कदमों की तुलना का सारांश

(₹ मिलियन में)

	मद	31.03.2020
1	प्रकाशित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	31,01,409.57
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक उपक्रमों में निवेश के लिए समायोजन जिन्हें लेखांकन के प्रयोजनों के लिए समेकित किया गया है परंतु विनियामक समेकन के दायरे के बाहर है।	0.00
3	परिचालनगत लेखांकन ढांचे के अनुरूप तुलन-पत्र में पहचानी गयी प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन परंतु जो लिवरेज अनुपात एक्सपोजर कदम के दायरे से बाहर है।	0.00
4	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन।	7,531.80
5	प्रतिभूतियों के वित्तीय लेनदेनों के लिए समायोजन (अर्थात् रैपो और इसी प्रकार के रक्षित ऋण)	0.00
6	तुलन-पत्र से बाहर की मदों के लिए समायोजन (अर्थात् तुलन-पत्र के बाहर की एक्सपोजर राशियों का ऋण-समतुल्य राशियों में परिवर्तन)।	2,51,295.32
7	अन्य समायोजन	0.00
8	लिवरेज प्रतिशत एक्सपोजर	33,60,236.69

डीएफ 18 – लिवरेज प्रतिशत सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट

(₹ मिलियन में)

	मद	31-03-2020
	तुलन-पत्र में आनेवाले एक्सपोजर	समेकित
1	तुलन-पत्र में आनेवाली मदें (व्युत्पन्न और एसएफटी को छोड़कर परंतु संपार्श्विक को शामिल करते हुए)	31,01,409.57
2	(बेसल III टियर I पूंजी के निर्धारण में आस्ति राशियां घटायी गयी हैं।)	0.00
3	कुल तुलन-पत्र में आनेवाली मदें (व्युत्पन्न और एसएफटी को छोड़कर) (ऊपर 1 और 2 का योग)	31,01,409.57
	व्युत्पन्न एक्सपोजर	
4	सभी व्युत्पन्न लेनदेनों से संबंधित पुनः स्थापन लागत (अर्थात् पात्र नकदी विभिन्नता मार्जिन को घटाने के बाद)	3,434.48
5	सभी व्युत्पन्न लेनदेनों से संबंधित पीएफई के लिए एड-ऑन राशियां	4,097.33
6	परिचालनगत लेखांकन ढांचे के अनुपालन में तुलन-पत्र की आस्तियों से जहां कटौती की गई है, प्रावधान किए गए व्युत्पन्न संपार्श्विक की सकल राशि।	0.00
7	(व्युत्पन्न लेनदेनों में प्रावधान किए गए नकदी विभिन्नता मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौती)	0.00
8	(ग्राहक द्वारा क्लियर किए गए व्यापार एक्सपोजर में छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	0.00
9	लिखित ऋण व्युत्पन्न के लिए समायोजित प्रभावी नाम मात्र राशि।	0.00
10	(लिखित ऋण व्युत्पन्न के लिए समायोजित प्रभावी नाम मात्र ऑफसेट और एड-ऑन कटौतियां)	0.00
11	कुल व्युत्पन्न एक्सपोजर (ऊपर 4 से 10 का योग)	7,531.80
	प्रतिभूतियों के वित्तीयन संबंधित लेनदेन एक्सपोजर	
12	सकल एसएफटी आस्तियां (नेटिंग की पहचान रहित), बिक्री लेखांकन लेनदेनों के समायोजन के बाद)	0.00
13	(सकल एसएफटी आस्तियों में देय नकदी और प्राप्य नकदी की निवल राशियां)	0.00
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोजर	0.00
15	एजेंट लेनदेन एक्सपोजर	0.00
16	कुल प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेन एक्सपोजर (ऊपर 12 से 15 का योग)	0.00
	अन्य तुलन-पत्र से बाहर के एक्सपोजर	
17	सकल नाममात्र राशि पर तुलन पत्र से बाहर के एक्सपोजर	6,28,702.69
18	(ऋण समतुल्य राशियों में परिवर्तन हेतु समायोजन)	3,77,407.37
19	तुलन-पत्र से बाहर की मदें (ऊपर 17 और 18 का योग)	2,51,295.32
	पूंजी और कुल एक्सपोजर	
20	टियर I पूंजी	2,09,001.60
21	कुल एक्सपोजर (पंक्ति 3, 11, 16 और 19 का योग)	33,60,236.69
	लिवरेज अनुपात	
22	बेसल III लिवरेज अनुपात	6.22%

This page is intentionally left blank

DIRECTORS' REPORT 2019-20

To
The Members,
Your Directors have immense pleasure in presenting the Bank's Annual Report along with the Audited Statement of Accounts and the Cash Flow statement for the year ended 31st March 2020

FINANCIAL HIGHLIGHTS

The major highlights of your Bank's performance during FY 20 are as follows:

Resource mobilization & Advances: (₹ in Cr)

Particulars	31.03.20	31.03.19	Growth (%)
Domestic Deposits	252792	235237	7.5
Of which Current	13059	12778	2.2
Savings	76525	70681	8.3
CASA	89584	83459	7.3
CASA Mix	35.4	35.4	
Overseas Deposits	7434	6839	8.7
Global Deposits	260226	242076	7.5
Domestic Advances (Net)	189696	173820	9.1
Overseas Advances (Net)	8191	7442	10.1
Total Advances (Net)	197887	181262	9.2
Total Business	458113	423338	8.2
Total Assets	310052	281190	10.3

- Domestic CASA registered a growth of 7.3% YoY and the CASA ratio was maintained at 35.4%. In order to augment the CASA portfolio, Bank has opened 21,56,586 new CASA accounts during FY 20. Facility for online opening of Savings bank account by customers was rolled out during the year and 16,666 accounts have been opened upto 31st March 2020.
- Core Term Deposits posted a growth of 22.9% as against 13.1% in FY 19. Reliance on Bulk deposits (PDs and CDs) has declined significantly and their share to total deposits was at 4.3% as against 11.7% for the previous year.
- Priority Sector Advances was at ₹72,248 Cr as on 31st March 2020. Priority sector as a percentage to quarterly average Adjusted Net Bank Credit (ANBC) for FY 20 stood at 43.42% as against the mandatory target of 40%.
- Agriculture Credit (Priority Sector) was at ₹31,358 Cr and the percentage to quarterly average ANBC stood at 18.84% as against the mandatory target of 18.00%.
- Capital Adequacy Ratio (Basel III) was at 14.12% as at March 31, 2020 as compared to 13.21% as at March 31, 2019.

- Gross NPA was at 6.87% as on March 31, 2020 as against 7.11% as on March 31, 2019 while Net NPA was at 3.13% as on March 31, 2020 as against 3.75% as on March 31, 2019.
- Total recovery of NPAs during FY20 amounted to ₹1,494 Cr as against ₹1,808 Cr in the previous year.
- Total domestic branch network of the Bank in India increased to 2887 as on 31st March 2020. from 2872 as on 31st March 2020 Besides, the Bank has 3 overseas branches, taking the total branch network to 2890.
- Total number of ATMs & BNAs increased to 4149 as on 31st March 2020 from 3892 as on 31st March 2019, which includes 695 offsite ATMs / BNAs and 6 mobile ATMs.
- As on 31st March 2020 bank has installed passbook kiosks at 716 locations.

(₹ in Cr)

Particulars	31.03.20	31.03.19	Growth (%)
Interest Earned	21405	19185	11.6
Interest Expended	13799	12167	13.4
Net Interest Income (NII)	7606	7018	8.4
Other Income	3313	1883	75.9
Of which — Fee Income	1357	1185	14.5
Profit on sale of Investments	880	175	402.9
Recovery of bad debts	261	158	65.2
Operating Revenue (NII + Other income)	10919	8901	22.7
Operating Expenses	4421	4020	10
Of which Employee Expenses	2473	2223	11.2
Other operating Expenses	1948	1797	8.4
Operating Profit	6498	4881	33.1
Provisions	5745	4559	26
Of which Provisions for NPA	4336	3658	18.5
Provision for Standard advances	143	-6	xxx
Provision for Tax	619	-38	xxx
Net profit	753	322	133.9

INCOME AND EXPENDITURE

- During the year 2019-20, total income of the Bank increased by 17.3% to ₹24,718 Cr, with Interest Income at ₹21,405 Cr and other Income at ₹3,313 Cr
- The Bank's total expenditure increased by 12.6% to ₹18,219 Cr from ₹16,187 Cr during FY 20.
- Total operating expenses was at ₹4,421 Cr for FY 20 as compared to ₹4,020.37 Cr in FY 19.
- Operating Profit increased to ₹6498 Cr as against ₹4,881 Cr for FY 19.
- Net profit increased to ₹753 Cr as against ₹322 Cr for FY19.

KEY RATIOS FOR MAR - 20

(in %)

Parameters	Mar-20	Mar-19
Yield on Advances	8.46	8.45
Cost of Deposits	5.34	5.28
Return on Assets	0.26	0.12
Cost Income ratio	40.49	45.17
Average Business per employee (₹ in lakh)	2286.76	1917.96
Profit per employee (₹ in lakh)	4.02	1.64

NETWORTH AND CRAR:

- Networth of the Bank stood at ₹18,357 Cr as on March 31, 2020 from ₹15,754 Cr as on March 31, 2019.
- As per Basel III norms, the Capital to Risk weighted Assets Ratio (CRAR) was at 14.12% as on March 31, 2020, compared to 13.21% of March 31, 2019 and as against the requirement of 10.875%. The CET- I ratio was 11.78% as of March 31, 2020 as compared to 10.96% as of March 31, 2019 and against the minimum requirement of 7.375%. The CRAR of Tier I capital was 12.08% as of March 31, 2020 as against 11.29% as of March 31, 2019.

(in %)

BASEL III	As on	
	Mar-20	Mar-19
CET- I	11.78	10.96
Tier- I Capital	12.08	11.29
Tier-II Capital	2.04	1.92
Total	14.12	13.21

RECRUITMENT /TRAINING

- As per Government guidelines, pre-recruitment and pre-promotion trainings were offered to SC/ST employees during the process of direct recruitment and internal promotions.

CHANGES IN THE BOARD DURING THE YEAR:

All the Directors have been appointed/nominated by the Govt. of India (GOI) except Shareholder Directors.

- Shri J K Dash was RBI Nominee Director of the Bank upto 25.04.2019. Shri S K Panigrahy was nominated as RBI Nominee Director in place of Shri J K Dash vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification F No.6/3/2011-BO.1 dated 26.04.2019.
- Shri Vijay Kumar Goel, Part time Non Official Director under Chartered Accountant Category was Director of the Bank till 25.07.2019.
- Shri Amit Agrawal was Government Nominee Director of the Bank upto 24.01.2020. Shri Sanjeev Kaushik was nominated as Gol Nominee Director in place of Shri Amit Agrawal vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification F No.6/3/2012-BO.I (Vol II) dated 24.01.2020.

- The 3 year term of Shri Padmanaban Vittal Dass, Part-Time Non-Official Director of the Bank ended on 24.04.2019. He was re-nominated as Part time Non-Official Director of the Bank for a period of one year or until the amalgamation of the Bank i.e. 31.03.2020, or until further orders, whichever is earliest, vide Gol notification F.No.6/1/2018-BO.1 (Vol III) dated 21.10.2019. His term ended on 31.03.2020.
- The term of Shri M K Bhattacharya, Executive Director was extended for a period beyond 17.02.2020 till the date of his superannuation, i.e. 30.11.2020, or until further orders, whichever is earlier vide GOI notification F.No.4/5/2016-BO.I dated 18.02.2020.
- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any.
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.
- Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year ended March 31, 2020.
- Proper and sufficient care were taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India.
- The accounts have been prepared on a going concern basis.

ACKNOWLEDGEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual account for the year ended March 31, 2020.

The Board expresses its deep sense of gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and Securities & Exchange Board of India for the valuable guidance and support received from them. The Board also thanks the financial institutions and correspondent banks for their co-operation and support. The Board acknowledges the unstinted support of its customers and shareholders.

The Board places on record its appreciation for the valuable contribution made by Shri. J.K.Dash, Shri. Amit Agrawal, Shri. Vijay Kumar Goel and Shri. Padmanaban Vittal Dass who ceased to be members during the year.

The Board places on record its appreciation for the dedicated services and contribution made by members of staff for the overall performance of the Bank.

For and on behalf of Board of Directors

PADMAJA CHUNDURU
MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. Global Economy

- According to World Bank, the COVID-19 pandemic and the economic shutdown in advanced economies and other parts of the globe have disrupted billions of lives jeopardizing decades of development progress. In addition to an enormous human toll, countries are leading to the deepest global recession since the Second World War.
- In its Jun'20 edition of Global Economic Prospect, World Bank predicted that Global GDP may contract by 5.2% in 2020 while Advance economics & Emerging market and developing (EMDEs) economies may contract by 7% and 2.5% respectively in the same period.
- Many countries have avoided more adverse outcomes through sizable fiscal and monetary policy support measures. Despite these measures, per capita incomes in all EMDE regions are expected to contract in 2020, likely causing many millions to fall back into poverty.

2. Indian Economy:

- Effect of the pandemic was felt on the Indian economy too. As per the latest report of The National Statistical Office (NSO), India's real GDP growth dropped to an 11-year low of 3.1% in the Mar'20 quarter.
- Gross fixed capital formation (GCF) which reflects investment demand in the economy, contracted by 6.5% and accounted for 28.8% of GDP, the lowest since Mar'09.
- Government's final consumption expenditure (GFCE) was the only component of the economy that grew well by 13.6% during the Mar'20 quarter.
- India's merchandise exports fell sharply by 36.5% to USD 19.1 billion in May'20 while import bill declined by 51.1% Y-o-Y to USD 22.2 billion in May'20. India's Crude oil imports fell by 72% while non-oil imports declined by 43.1%.
- Due the decline in import and export, trade deficit in May'20 narrowed to USD 3.2 billion from USD 15.4 billion in the year-ago month.
- Supply chain disruption, combined with labour migration have created further hurdles in opening of the economy even gradually.
- As there has been significant slump in domestic economic activity due to the COVID19-induced lockdown that has curtailed imports, we expect that the country's current account balance may remain surplus in the next few quarters of FY21.

RBI Monetary Policy

- The Reserve Bank of India in its last meeting on 22 May'20 reduced repo rate by 40 basis points to 4% in an effort to further boost liquidity in the economy which has been struggling under the impact of COVID-19 induced countrywide lockdown.
- The RBI expects headline inflation to continue to soften and fall below its medium term target (4 % with +/- 2 % deviation) in the second half of FY21.
- Though RBI refrained from providing any figure for growth, it believed that recovery in economic activity may begin in Q3FY21 and gain momentum in Q4FY21 as supply lines are gradually restored to normalcy and demand gradually revives.

Union Budget FY 21

- Revenue deficit is targeted at 2.7% of GDP, which is higher than the revised estimate of 2.4% in FY20. Fiscal deficit is targeted at 3.5% of GDP, lower than the revised estimate of 3.8% in FY20.

Recent Initiatives by GoI

- Union Finance Ministry announced the merger of 10 public sector banks (PSBs) into four.
- Collateral free automatic loans worth ₹3 lakh Cr will be provided to MSMEs with up to ₹25 Cr outstanding and ₹100 Cr turnover. This is for 4 year tenure and is 100% guaranteed. These loans can be availed till 31st Oct'20.
- GoI has reduced TDS rates by 25%, applicable on all payments - interest, rent, brokerage, supply, etc. for the period from 14 05 2020 till 31 03 2021.
- Power Distribution companies in union territories shall be privatised in line with the Tariff Policy soon to be announced.
- Minimum threshold to initiate insolvency proceedings raised to ₹1 crore from ₹1 lakh earlier.
- Violations involving minor technical and procedural defaults have been decriminalized under Companies Act.
- Fiscal deficit limit of state has been increased from 3% to 5% of GSDP only for FY21 subject to reforms. This will provide extra resources of ₹4.28 lakh crore to the States.

Major Economic & Monetary Developments:

- In order to mitigate the adverse effects on economic activity leading to pressures on cash flows, RBI will conduct auctions of targeted term repos of up to three years tenor of appropriate sizes for a total amount of up to

₹1 lakh crore at a floating rate linked to the policy repo rate.

- As a one-time measure to help banks tide over the disruption caused by COVID-19, it has been decided to reduce the cash reserve ratio (CRR) of all banks by 100 basis points to 3.0% of net demand and time liabilities (NDTL) with effect from the reporting fortnight beginning 28 Mar'20.
- With a view to further strengthening monetary transmission, it has been decided to link pricing of loans by scheduled commercial banks for the medium enterprises also to an external benchmark effective 1st Apr'20.
- It has been decided to extend the benefit of one-time restructuring without an asset classification downgrade to standard accounts of GST registered MSMEs that were in default as on 1st Jan'20. The restructuring under the scheme has to be implemented latest by 31st Dec'20.
- The RBI shall construct and periodically publish a composite "Digital Payments Index" (DPI) to capture the extent of digitisation of payments effectively.
- The Cheque Truncation System (CTS), which is currently operational at the major clearing houses of the country, has stabilised well and it has made large efficiency gains. In view of this, a pan India CTS will be made operational by Sep'20.
- The Reserve Bank has made available the NEFT system on a 24x7 basis from Dec'19. This is expected to revolutionise the retail payments system of the country.
- In order to ensure quick and systemic responses in, the RBI has proposed to facilitate the creation of a Central Payment Fraud Registry that will track these frauds.

Major announcements with impact on growth of bank credit Moratorium on term loans and deferment of interest on working capital facilities

- RBI has permitted all commercial banks to grant moratorium on term loans and deferment of interest on working capital facilities from 01.03.2020 to 31.08.2020. This may provide continued relief to banks as their NPA levels may not increase and they were facing some challenges in actually collecting repayments from borrowers due to the lockdown. RBI has permitted all lending institutions to convert accumulated interest on working capital facilities over the deferment period (from 01.03.2020 to 31.08.2020), into a Funded Interest Term Loan (FITL), which will be repayable by 31st Mar'21 to provide relief to the borrowers who will face difficulty in servicing accumulated interest after the moratorium period.

Relief Measures to MSMEs

- Definition of MSMEs has been changed and an additional criterion, annual sales turnover size has been introduced to help them grow in size and get benefits. For MSMEs up to ₹25 crore outstanding and ₹100 crore turnover, collateral free automatic loans worth ₹3 lakh crore will be provided for tenure of 4 years and is 100% guaranteed.

These loans can be availed till 31st Oct'20. This will allow them to meet operational liabilities built up, buy raw material and restart business, which in turn will revive industries & safeguard jobs. Also the Government has decided that all tenders up to ₹200 crore should not be global tenders so as to facilitate Indian MSMEs. This will allow MSMEs a chance to supply for these big projects. Fintech will be used to enhance transaction-based lending using the data generated by the e-market. Further, all the receivables of the MSMEs from Government and CPSEs (Central Public Sector Enterprises) will be cleared within 45 days. This will help the MSMEs to access a broader market to sell their products and also improve their liquidity position.

3. BANKING SECTOR 2019-20

- SCBs deposit growth stood at 9.5% y-o-y in Mar'20 which was higher than the credit growth of 6.4% in the same period.
- The CASA ratio for SCBs stood at 42.1% on account of growth in the overall savings deposit at the end of Q4FY20. The savings deposit accounts for 32.9% share in the total deposits while current deposits account for 9.2%.

Year ahead

- Economic activities have come to a standstill since the nationwide lockdown announced in late Mar'20. With the slowing GDP growth, consumer spending has been affected across sectors. Demand revival will be a key challenge for the Government in the near term. This has also affected many businesses which are now finding difficult to survive. This in turn may affect recovery for the Banks. Unless economic growth revives, Banks may find it tough to recover their dues. Earnings are also likely to remain under pressure in FY21 unless there is an improvement in recoveries or a pick-up in GDP growth
- Banks are moving towards digital and contactless technologies.

4. DETAILED BUSINESS OVERVIEW

Resource mobilisation & Credit deployment

- Global Business reached a level of ₹466116 Cr (₹429972 Cr as on March 2019) with a growth of 8.41%. Domestic Business was ₹450273 Cr.
- Global Deposits reached ₹260226 Cr (₹242076 Cr as on March 31, 2019) with a growth of 7.50%. Domestic Deposits reached ₹252792 Cr.
- Domestic CASA Deposits reached ₹89584 Cr (₹83459 Cr as on March 31, 2019) recording a growth of 7.34%.
- Gross Advances was at ₹205890 Cr (₹187896 Cr as on March 31, 2019). Domestic Credit reached ₹197481 Cr.
- Domestic Non food credit increased to ₹196397 Cr (₹179505 Cr as on March 31, 2019)
- Global Credit-Deposit Ratio stood at 79.12% (77.62% as on March 31, 2019)

5. BRANCH NETWORK AND EXPANSION

- Bank has expanded its distribution network by 31 branches and 8 administrative offices during FY20. 16 branches were merged/closed during the FY20.
- Branch network stood at 2887 branches on 31.03.2020, comprising of 740 Rural, 833 Semi urban, 637 Urban and 677 Metropolitan branches. Besides, Bank has 3 overseas Branches Viz., Singapore, Colombo and Jaffna and an IFSC Banking Unit (IBU) at Gift City Gandhi Nagar, Ahmedabad.
- Bank has 407 branches in the 356 under banked districts identified by Reserve Bank of India. There are 450 branches in Minority concentrated Districts and 244 branches in the unbanked centres.

6. FUTURE BUSINESS PLAN OF THE BANK

Amalgamation of Allahabad Bank into Indian Bank has placed your Bank as the 7th largest Bank with more than ₹8 lakh crore business, 43,000 strong workforce and over 6000 branch network with a strong CASA base and commenced operations as merged entity from 01st April 2020.

Government of India has initiated various reform measures and structural changes including recapitalization plan and introduction of 'Enhanced Access and Services Excellence (EASE)' towards Smart and Tech-enabled banking.

The prime focus this year would be on increasing CASA, curtailing cost, increasing revenue other than from interest, accelerating recovery in respect of impaired assets and containing the level of NPA. The growth in business would culminate into improving of the bottom line.

Efficient customer service will continue to be the focus area with frequent employee and customer connects. In view of the COVID situation, aggressive promotion of digital channels will be encouraged.

Going forward, the key areas identified for thrust would also include loan growth under RAM sector with focus on higher yielding advances, soliciting high rated Corporate accounts offering good yield, conserving capital, pursuing best risk management practices, quantum jump in non-interest income, reducing operating cost, increased use of alternate channels through innovative technology offering.

7. STEPS UNDERWAY:

Organizational restructuring:

- Restructuring the Corporate Office verticals headed by General Managers to improve the control efficiency.

- Creation of additional Field General Manager Offices and Zones would help in driving the Bank's business more effectively.
- Establishing Large Corporate Branches (LCBs) and Mid Corporate Branches (MCBs) to cater to the needs of the corporate and mid corporate borrowers.
- Focus on RAM – Centralized processing units for MSME and RAM.
- Strengthening Credit Monitoring Department and Recovery Department by establishing centers at Kolkata and Chennai.

Diversifying loan book:

- Positioning for taking exposure in well rated Large & Mid corporates.

Improving efficiency:

- Rationalization of unviable and slow growth branches.
- Unlocking value in Subsidiaries of the Bank viz., Ind Bank Merchant Banking Services Ltd. and Ind Bank Housing Ltd.
- Centralization of HR/Corporate credit/Recovery verticals & Forex trade processing unit.

Others:

- Co-origination of loans in collaboration with NBFCs.
- Exploring cross sell options through tie up with Insurance companies for sale of Bancassurance products, Life & Non life.
- Ramping up MSME lending through TReDS platform
- Tie up with Builders/Vehicle dealers and Tractor manufacturers

8. DEPOSITS

TERM DEPOSITS

- Rates of interest were revised 7 times between April 2019 and March 2020
- Change in the strategy to have lesser dependence on PDs/CDs and replace it with retail deposits
- Fresh inflows of ₹40251.74 Cr during 2019-20

CASA

- A total of 2156586 new clients have been acquired in CASA and a business of ₹4076 Cr have been garnered

Details of campaigns conducted

Period	Number of days held	Current Account		Savings Bank	
		Accounts opened (No. in lakh)	Amount mobilized (₹ in Cr)	Accounts opened (No. in lakh)	Amount mobilized (₹ in Cr)
2019-20 I IB AKSHAYA 26.08.19- 30.09.19	26	0.06	135.88	2.30	316.60
2019-20 II IB VRIDDHI 02.12.19-31.12.19	36	0.06	75.30	2.54	336.31

9.AGRICULTURE :

- Total outstanding under Agriculture credit was ₹44369 Cr and has increased by ₹5364 Cr as of March 2020 from March 2019 level of ₹39005 Cr.

AGRICULTURAL DISBURSEMENT:

- Under Ground Level Credit Flow to Agriculture (GLF), Bank disbursed farm loans to the tune of ₹40511Cr during the FY 2019-20 as against an annual target of ₹22000 Cr.
- During the FY 2019-20, Bank disbursed sum of ₹19678 Cr to 26.25 lakh Small/Marginal Farmers.

SEGMENT - WISE PERFORMANCE

- Priority Sector Advances was at ₹72248.16 Cr as on 31.03.2020. Priority sector as a percentage to quarterly average Adjusted Net Bank Credit (ANBC) for 2019-20 stood at 46.57% as against the mandatory target of 40%.
- Agriculture Credit was at ₹31357.56 Cr as on 31.03.2020 and the percentage to quarterly average ANBC for 2019-20 stood at 20.38% as against the mandatory target of 18%.
- Lending to SF/MF stood at ₹14631.29 Cr as on 31.03.2020 and constituted 9.30% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) on quarterly average basis for the year 2019-20 as against the mandatory target of 8%.
- Lending to Weaker Sections stood at ₹16899 Cr as on 31.03.2020 and constituted 11.94% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) on quarterly average basis for the year 2019-20 as against the mandatory target of 10%.
- Lending to MSE-Micro Enterprises stood at ₹14880.48 Cr as on 31.03.2020 and constituted 9.22% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) on quarterly average basis for the year 2019-20 as against the mandatory target of 7.50%.
- Lending to Non-Corporate Farmers stood at ₹31846.17 Cr as on 31.03.2020 and constituted 20.81% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) on quarterly average basis for the year 2019-20 as against the mandatory target of 12.11%.

INTENSIVE FARM CREDIT CAMPAIGNS:

- In order to enhance credit flow to agriculture and strengthening relationship with the farmers, the Bank is observing "Intensive Farm Credit Campaigns", every year during Kharif and Rabi seasons to extend timely and adequate credit to farmers.
- Our Branches have observed "Intensive Farm Credit Rabi Campaign" from 15.11.2019 to 13.01.2020. and our branches have disbursed a sum of ₹5217 Cr.

JEWEL LOAN:

Jewel loan has been implemented in 2424 branches as on March 2020 against 2384 Branches in March 2019. The outstanding balance in Jewel Loan under Agriculture is ₹30357 Cr as against the March 2019 level of ₹27301Cr with an increase of ₹3056 Cr.

CREDIT FLOW TO SELF HELP GROUPS:

Self-Help Group (SHG) is a small voluntary association of poor people, preferably from the same socio-economic background. They come together for the purpose of solving their common problems through self-help and mutual help. SHG concept offers opportunity for participative decision making on conduct of meetings, thrift and credit decisions.

The outstanding credit to SHGs stood at ₹5195 Cr covering 1.70 lakh SHGs as on March 2020, as against the March 2019 level of ₹4733 Cr to 1.58 Lakh SHGs, with an increase of ₹462 Cr over March 2019. During the current financial year, the Bank had disbursed ₹4081 Cr to 1.05 Lakh SHGs.

Microsate Branches:

- To make available the benefit of SHG concept to scores of urban poor living in huts, slums and tenements and near the gullies in Metropolitan cities and Urban centers, specialized outfits that can serve as a "one stop shop", called Microsate Branches were established, for the entire financial needs of the poorer section.
- The Bank has established 39 Microsate Branches exclusively to serve the SHGs. During the financial year 2019-20, credit amounting to ₹1149 Cr has been extended to 25348 SHGs through the Microsate branches. The total outstanding advances of these Microsate Branches stood at ₹1232 Cr covering 38068 SHGs as on March 2020.
- Bank is encouraging financing through Joint Liability Groups, with a view to render credit support to those category of farmers who do not possess proper land records/not having own lands. The outstanding credit to JLGs stood at ₹186.25 Cr covering 11022 JLGs as on 31.03.2020.



Mega SHG Loan Mela was conducted by Krishnagiri Zone on 25.07.2019. District Collector, Krishnagiri, our Executive Director and FGM, Coimbatore have participated in the Mela and Disbursed Loans to SHGs.



Mega SHG Loan Mela was conducted in Coimbatore Zone on 29th July 2019

Weaker Section Advances:

Bank has been continuously surpassing the mandatory advance target set for the weaker sections which includes Small and Marginal Farmers, Artisans, Village and Cottage Industries, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Self Help Groups etc.

- Credit outstanding to Weaker Sections stood at ₹16899 Cr as at the end of March 2020, which works out to 11.94% of Quarterly average ANBC as against stipulated norm of 10%.
- Outstanding credit to SC/ST beneficiaries stood at ₹2315 crore as on 31.03.2020.

Observance of SC/ST and Minority Credit Campaigns

- Special campaigns were conducted for extending credit to Minorities and SC/STs. Outstanding position of advances to Minorities stood at ₹8511.49 Cr as on March 2020 which works out to 11.78% of total Priority Sector Advances position of the Bank as on March 2020
- During the special campaign conducted for extending credit to Minorities and SC/STs from 01.12.2019 to 31.12.2019, ₹1927 Cr was disbursed to 32476 beneficiaries.

Capacity Building Initiatives:

- Bank established RUDSETI Model Training institutes named as "Indian Bank Self Employment Training Institute (INDSETI) in twelve centers viz., Chittoor, Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Puducherry, Salem, Thiruvannamalai, Tiruvallur, Vellore and Villupuram. A total of 2442 training programmes have been conducted by the INDSETIs up to March 2020 benefitting 67626 individuals so far.
- During FY 2019-20, INDSETIs have conducted 324 training programmes and trained 8714 candidates.
- As per Ministry of Rural Development (MoRD) and National Center for Excellence of RSETIs (NACER/Bengaluru) the annual Conclave of INDSETI (RSETI) Directors, was organized at IMAGE, Chennai on 15th of November 2019. Executive Director, General Manager (RBD/FID), Smt Champakavalli, Project Director, NIRDPR/Hyderabad, Sri Pitchiah, Director/National Academy of RUDSETI/Bengaluru and Sri Vasudeva Kalkundri, Director/NACER/Bengaluru participated in the Conclave.
- Apart from the above exclusive initiatives towards capacity building, the Bank is already participating in Rural Training Centre, Karaikudi, Tamil Nadu (jointly with NABARD & IOB) and Andhra Pradesh Bankers' Institute of Rural & Entrepreneurship Development - APBIRED, Hyderabad (jointly with Government of AP, NABARD & five other Banks). These two training institutes offer wide range of skill oriented training programmes with a focus on rural population. A total of 560 training programmes have so far been conducted by RTC, Karaikudi (benefitting 14760 members - up to March 2020) and 559 Programmes by APBIRED, Hyderabad (benefitting 16164 members-up to March 2020).

Dr. APJ Abdul Kalam Skill Development Training Institute:

- Bank along with Warna Bharat Trust, a service oriented Non-Governmental Organization (NGO) in Vijayawada, Andhra Pradesh and Koneru Lakshmaiah University (KLU), an autonomous University established a "Skill Development Training Institute" by the name Dr.APJ Abdul Kalam Skill Development Training Institute at Atkur Village, Krishna District, Andhra Pradesh for training and developing people and improving the skilled man power position by imparting quality training.
- The Institute has conducted 72 programmes and trained 1620 candidates up to March 2020.



Exhibition on Products made by Trainees
INDSETI Krishnagiri during the
Mela held on 25.07.19

AWARDS & ACCOLADES

- NABARD Awarded Indian Bank "First Prize" Among Public Sector Banks For Excellence in Performance Under SHG – Bank Linkage Programme In Tamil Nadu During The Year 2018-19



The award was received by Ms Padmaja Chundurur, MD and CEO from Hon'ble Minister Shri D. Jayakumar On 13.07.2019

REGIONAL RURAL BANKS:

The Bank has three sponsored Regional Rural Banks viz, Tamilnadu Grama Bank headquartered at Salem (Tamil Nadu), Saptagiri Grameena Bank headquartered at Chittoor (Andhra Pradesh), and Pudukkottai Bharathiar Grama Bank headquartered at Pudukkottai (Union Territory of Puducherry).

In respect of three RRBs, the branch network has increased by 5 from 893 (March 2019) to 898 Branches (March 2020)

The total business of the three RRBs was ₹38917.37 Cr as of March 2020 as compared to ₹36005.19 Cr as of March 2019.

(₹ in Cr)

Details as on 31 03 2020	No. of Branches	Deposits	Advances	Business
Tamil Nadu Grama Bank	632	12463.38	12285.30	24748.68
Saptagiri Grameena Bank	223	6523.46	6158.25	12681.71
Pudukkottai Bharathiar Grama Bank	43	804.14	682.84	1486.98
Total	898	19790.98	19126.39	38917.37

All the three RRBs are profit making RRBs.

RRBs are actively participating in PMJDY, PMJJBY, PMSBY & APY programmes of Govt. of India. The three RRBs are covering 1105 SSA villages under PMJDY and have opened 8.64 lakh accounts under the scheme. The RRBs have also covered 5.77 lakh beneficiaries under PMSBY, 2.50 lakh beneficiaries under PMJJBY and 0.50 Lakh beneficiaries under APY during the year 2019-20

10. PRADHAN MANTRI JAN-DHAN YOJANA (PMJDY):

- The scheme was launched by Hon'ble Prime Minister on 28.08.2014 in New Delhi for ensuring access to financial services and timely & adequate credit to the excluded sections.

Allotment of Sub Service Areas (SSAs) by SLBCs and coverage by our Bank under PMJDY:

- Various SLBCs have allotted 2975 SSAs and 2023 urban wards to our Bank under PMJDY. All the 2975 SSAs are provided with banking services by our Bank. Of these, 2517 SSAs are provided with banking services through Bank Mitras (Business correspondents) and 458 SSAs through Brick and Mortar branches already functioning in the SSAs.

Highlights of our Bank's performance under PMJDY:

- Branches have been opening Basic Saving Bank Deposit Accounts (BSBDA) under PMJDY from 16.08.2014 as advised by DFS. As on 31.03.2020 Bank has opened 40.13 lakh BSBDA Accounts. RuPay cards have been issued to 39.72 lakh BSBDA account holders under PMJDY. Deposit mobilized in these accounts is ₹748.40 Cr.
- Sanction of Overdrafts:** Under PMJDY, our Bank has offered overdraft to 253815 eligible account holders to the tune of ₹59.86 Cr. Of which 90121 BSBDA account holders have availed the limit amounting to ₹17.95 Cr. Facility of an overdraft to every BSBDA account holder would be considered after satisfactory operation/ credit history of six months. Bank has automated the overdraft facility and made available through ATMs of our Bank to the eligible PMJDY account holders.
- Since the inception of PMJDY on 16.08.2014, Bank has opened 40.13 lakh Basic Savings Bank Deposit Accounts.
- RuPay Cards have been issued to 39.72 lakh BSBDA Account holders.
- All the SSAs allotted to the Bank are covered with either brick or mortar branch or with Bank Mitran.
- All the Bank Mitran are provided with inter operable Micro ATM devices as per the IBA standard (1.5.1)
- An average monthly transaction done per BC is more than 1096 during FY 20, which is one of the best in the industry.
- Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) inter-operability facilities are enabled in all POS machines deployed in our SSAs. All BCs are doing AEPS transactions. During the FY 2019-20, 3.11 Cr AEPS transactions (both financial and non-financial) to the tune of ₹5573.12 Cr have been done by the BCs. Customer of any Bank can transact with our Bank BC.

Performance under Jan Suraksha Yojana:

- In the second phase of PMJDY, Hon'ble Prime Minister launched three Social Security Schemes viz., Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) – a life insurance scheme, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) – an accidental insurance scheme, Atal Pension Yojana (APY) – pension scheme in May 2015 for the under privileged sections of the society. Under APY, our Bank's Persistency ratio is 66%, one of the best in the industry and is under category-A Bank. The performance of our Bank under the Schemes as on 31.03.2020 is furnished below.

Name of the Scheme	No. of customers covered
APY	812664
PMJJBY	1089946
PMSBY	2438404
Total	4341014

- In our Bank, under PMJJBY 5330 claims to the nominees of the insured to the tune of ₹106.6 Cr and under PMSBY 1288 claims to the nominees of the insured/insured to the tune of ₹24.80 Cr settled to the nominees of our Bank customers.

Performance under RuPay Insurance claims

- PMJDY account holders are being issued with RuPay debit cards having inbuilt accidental insurance cover of ₹1 lakh and life cover of ₹30,000 for the customers who opened accounts between 15.08.2014 to 26.01.2015. Under RuPay Accidental insurance claim 183 claims and under RuPay life insurance, 121 claims settled to the nominees of our Bank customers.

Payment of pension under Social Security Scheme in Tamil Nadu:

- In the state of Tamil Nadu, under Social Security Scheme, Old Age pension is being paid to beneficiaries, in the villages covered under Financial Inclusion; through Bank accounts using Information and Communication Technology (ICT) based Smart Card enabled Business Correspondent (BC) Model, since July 2012. As on date pension is disbursed to 6.08 lakh beneficiaries every month through our Bank Mitras in Tamil Nadu.

PFRDA awards:

- **Makers Of Excellence (ME) 3.0** (21st October - 21st November 2019) conducted exclusively for Executive Directors of banks: Our Bank has sourced 76,251 APY accounts with an achievement of 361% against the target of 20,000 APY accounts and emerged No. 1 among major banks.
- **Leadership Capital 2.0** (6th January – 6th February 2020) conducted exclusively for MD & CEOs of banks: Our Bank has sourced 36,498 APY accounts with an achievement of 182% against the target of 20,000 APY accounts and stood 1st among major banks.
- **“Outperformer”** award for Nodal office of the Bank (GM – RBD&FID) for achieving Q3 target.

11. CREDIT FLOW TO MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSME)

- A Department exclusively for MSME is in place which takes care of entire MSME portfolio to accelerate growth in MSME sector by providing focussed attention. Bank is having 14 MSME CPUs which has helped in improving TAT and appraisal mechanism with 12 Ind MSME Branches catering exclusively to MSMEs, 76 Specialized MSME Branches in which more than 60% of advances are to MSMEs & 500 MSME Focus branches to garner more MSME business for the Bank.
- Bank's exposure to MSMEs grew by 12.59% from ₹33046 Cr to ₹37208 Cr during 2019-20.
- Bank's exposure to Micro & Small Enterprises grew by 8.87% and 8.70% each respectively during FY 20. Medium Enterprises grew by 42%.
- Bank has surpassed in sub target of lending to Micro enterprises.
- Lending to Micro Enterprises has increased in number by 124210 i.e 16.70% increase during the financial year.
- 4207 MSMEs benefitted under Stand up India Scheme to the tune of ₹923 Cr from our Bank over a period of three years. – Stand-Up India scheme is for promoting entrepreneurship among SC/ST and Women entrepreneurs.
- Bank along with SIDBI and four Public Sector Banks invested in a fintech company and developed Contactless Banking platform – PSBLOANSIN59MINUTES.com. This enables the MSMEs to submit their loan application and get approval within 59 minutes, on line without any manual intervention. Bank has accorded on-line approvals 277 accounts and regular sanctions through this platform to 115 beneficiaries amounting to ₹102 Cr during the financial year.

- Bank has designed Structured Loan products to suit the needs of MSMEs including Doctors, Contractors, Traders etc. During 2019-20, seven such products were introduced viz.,

- IB Pure Jal Dhara - For setting of RO Water Kiosks by Micro & Small Entrepreneurs / Enterprises
- IND SME E-Vaahan – For purchase of electric vehicle by MSMEs for their business purpose.
- IND SME Ease - Working capital loan for MSMEs, where the assessment is based on turnover reported in GST returns
- IND Surya Shakti - For setting up of Solar Power plant by MSMEs for captive purpose
- IB Standby WC facility – Credit facility to meet the liquidity crisis faced by MSMEs due to delayed receivables
- Corporate Loans to Medium Enterprises – To improve NWC and / or for any bankable purpose aimed at business development.
- Covid Emergency Loans to MSMEs – In the wake of Covid-19 pandemic, to extend a helping hand to the MSMEs, bank launched Covid Emergency Loans to address the cash flow deficit for meeting overheads like Salary, electricity charges etc.

- Bank is actively participating in all the three TReDS platform (RXIL, Invoicemart & M1xchange) actively. Till 31.03.2020, an universe of 86 corporate buyers have been approved for discounting bills by the Bank. During the financial year 2019-20, 3910 bills were discounted for ₹547 Cr through the TReDS Platform

● Credit Flow to NBFCs

- During 2019-20, an amount of ₹6880 Cr has been sanctioned for acquiring assets under Direct Assignment (MSME pooled assets) from NBFCs.
- An amount of ₹960 Cr sanctioned to 5 NBFC / MFIs for on-lending to MSMEs.
- MSME Clusters: Bank has 27 cluster specific schemes spreading across various zones contributing to our MSME portfolio, with a sanctioned limit of ₹1672 Cr under the Cluster specific schemes to name a few,

- Textile cluster at Ichalkaranji
- Ceramic cluster at Morvi, Ahmedabad
- MSME cluster at Padi, Chennai
- Textile manufacturing & wholesale trading cluster at Surat
- Automobile cluster at Hosur
- Hosiery cluster at Ludhiana
- Cycle parts and auto parts cluster at Ludhiana
- Light engineering goods / Readymade garments cluster at Karnal etc.

MUDRA SCHEME

- As against the target of ₹3400 Crs (including Regional Rural Banks) allocated under Mudra Scheme, Bank sanctioned an amount of ₹3459 Cr, registering an achievement of 101.73%.
- Under Mudra Scheme, Bank extends loans upto a limit of ₹10 lakhs to various manufacturing, service activities including weaving, transport, retail trade, small business and Agriculture allied activities viz., Pisciculture, beekeeping, poultry, livestock, rearing, dairy, fishery, agri clinics, agri business Centers, Food and Agro processing etc.
- Implemented Interest subvention Scheme for incremental growth in MSMEs, announced by Government of India.
- To ease the stress faced by MSME borrowers in serving the loan interest/ instalment due to internal/external reasons, a liberalized Restructuring Policy for MSMEs has been implemented. In line with RBI's notification dated 01.01.2019 and 17.02.2020, 54167 MSME accounts amounting to ₹2065 Cr which were in stress have been restructured.
- With effect from 01.10.2019, loans extended to Micro and Small Enterprises are linked to Repo Rate. Till 31.03.2020, 12233 accounts for ₹1854 Cr were sanctioned with Repo Linked ROI.



Bank has been conferred with award “Gold Trophy in Micro Lending” in the 7th MSME National Excellence Awards and Summit – 2019 conducted by ASSOCHAM for the year 2019. Trophy presented by Hon'ble Union Minister for MSME, Shri Nitin Gadkari and received by Shri M Karthikeyan, FGM, Delhi



Launch of New MSME Product: "IB - Pure Jal Dhara" by Shri Nitin Gadkari, Hon'ble Union Minister for Road Transportation and Highways and MSME in the presence of Ms Padmaja Chunduru, MD and CEO.

12. CORPORATE CREDIT

Corporate Credit of the Bank stood at ₹ 77948 Cr constituting 39 % of the overall credit of the bank. During the year, Bank added several new clients to its fold like Afcons Infrastructure Ltd., Chattisgarh Civil Supplies Corporation, Embassy Industrial Parks, Kerala Financial Corporation, Sobha Ltd., Shaporji Pallanji Financial Service Ltd. and Uflex Ltd



M/s Lakshmi Machine Works Ltd, Coimbatore: Bank is a proud partner to India's Leading textile machinery manufacturer and one among the three globally that produce the entire range of spinning machinery in the 'Manchester of South India' – Coimbatore.

13. RETAIL ASSETS

Harmonization of Products under Retail Assets:

- To make Retail Loan Products more competitive, market friendly, to be in tune with the ever changing market dynamics without compromising the asset quality, Bank has analysed the Pricing pattern & various charges incorporated under Retail Loan Products of both Indian Bank and e-Allahabad Bank and arrived to have common pricing and charges under Retail Products for the merged entity with effect from 01.04.2020.

Launch of COVID salary loan and COVID Pension loan for existing as well as new customer:

- COVID-19 pandemic has sparked the economic uncertainty in the country. The outbreak is impacting Indian Economy across all sectors. Hence in order to overcome the difficulties faced by the customers, Bank has proposed two new products under Retail Asset Segment

- **IB COVID-19 EMERGENCY SALARY LOAN (IBCESL)**
- **IB COVID-19 EMERGENCY PENSION LOAN (IBCEPL)**

Loan Originating System-LOS

- In order to have a uniform Appraisal, to improve our TAT and Compliance of extant guidelines issued by our bank anEnd to End Automation-Loan Origination System in collaboration with M/s SysarcInformatics Limited is under development and testing.

Business Enablers:

- Retail Portfolio stood at ₹38143.90 Cr as on 31.03.2020
- During FY 2019-20, sanctions accorded in 319210 accounts amounting to ₹18388.70 Cr.
- With effect from 01.10.2019, Rate of interest of all retail products except JL/Loan against liquid securities and education loans have been linked to External Benchmark rate (Repo Rate).
- Under Repo Rate till -31.03.2020, 44573 fresh accounts were sanctioned to the tune of ₹4358.95 Cr.
- Under PMAY 5684 sanctions have made during FY 2019-20 amounting to ₹1074.02 Cr and subsidy amounting to ₹88.54 Cr has been received for 4163 accounts.

Campaign conducted during the period and its impact.

Bank observed "Home Loan Campaign" attached with Festival Season Offers (till MCLR rates) wherein Zones were advised to focus on various aspects such as:

- Meet the builders at their site /office.
- Speed up the process on more project approvals.
- Focus on obtaining more proposals from the/existing /new projects.
- Publicity in project sites and branches.

DSA/HLC Performance: Bank has empanelled Direct Selling Agent(DSA) And Home Loan Counsellors (HLC) for providing leads. 5217 Home Loan were sanctioned to the tune of ₹ 1332.40 Cr from 01-04-2019 to 31-03-2020 through leads generated by these DSAs/HLCs.

Performance under Retail Sector

(₹ in Cr)

Particulars	As on 31.03.2018	As on 31.03.2019	As on 31.03.2020	% of growth over March-19
Home Loan	14253.43	18192.81	22493.47	23.64%
<i>of which Home Loan Retail</i>	<i>13971.42</i>	<i>17379.81</i>	<i>20212.05</i>	
Home loan Pooled Assets	282.01	813.00	2281.42	
Mortgage Loan	2644.68	3158.01	3702.15	17.23%
Vehicle Loan	1466.32	1752.43	1807.78	3.16%
Salary Loan	1504.68	2047.91	2095.45	2.32%
Pension Loan	470.11	523.45	575.93	10.03%
Education Loan	3722.13	3480.93	3503.91	0.66%
Jewel Loan (Non Priority)		665.95	1134.48	70.36%
Loan on Deposits	2738.51	1951.90	2436.98	24.85%
NSC/Others		937.92	393.75	-58.02%
TOTAL	26799.86	32711.31	38143.90	16.61%

Home Loan constitutes 58.97% of Total Retail Assets. Of which Pooled Assets contributes 10.14%.

SOVEREIGN GOLD BONDS (SGB)

An amount of ₹ 38.97 Cr was collected in 10 weekly tranches during the FY 2019-20 as follows:

Series	Issue Period	Amount (in Cr)
1	June 03-07 2019	5.60
2	July 08-12 2019	3.43
3	August 05-09 2019	5.58
4	September 09-13 2019	3.27
5	October 07-11 2019	2.14
6	October 21-25 2019	3.78
7	December 02-06 2019	5.39
8	January 13-17 2020	2.70
9	February 03-07 2020	1.80
10	March 02-06 2020	5.28
	TOTAL	38.97

SUKANYA SAMRIDDHI SCHEME

3669 new accounts were opened during the FY 2019-20, taking the total number of accounts to 12639. The amount collected during FY2019-20 was ₹30.01 Cr and the cumulative amount collected was ₹95.27 Cr.

PUBLIC PROVIDENT FUND

The cumulative collection under PPF accounts rose by ₹202.21 Cr during the financial year 2019-20 and the cumulative balance in PPF accounts was ₹1716.79 Cr from 43393 accounts.

BANCASSURANCE AND MUTUAL FUND BUSINESS

Bank has Corporate Agency Arrangement (CAA) with United India Insurance Co. Ltd (UIIC), Chola MS General Insurance Co Ltd for Non-Life / General and Max Bupa Health Insurance Co Ltd for Standalone Health Insurance. LIC of India, Aditya Birla Sunlife Insurance Co Ltd (ABSLI), SBI Life Insurance Co Ltd for Life Insurance Business. For Mutual Fund distribution, Bank has tie-up arrangement with UTI Asset Management Co. Ltd, Reliance Nippon Asset Management Co. Ltd, SBI Funds Management Pvt. Ltd. TATA Asset Management Ltd and DSP Mutual Fund.

- **IB Jeevan Kalyan and Jeevan Varishta** through LIC of India covering death due to any reasons
- **IB Chhatra** through UIIC covering death due to accidents
- **Arogya Raksha** through UIIC extending Group Medclaim Insurance for account holders
- **IB Yatra Suraksha** through UIIC extending Group Travel insurance for domestic travel other than by air
- **IB Griha Jeevan** through LIC of India and IB Home Suraksha through Kotak Life covering Home Loan borrowers
- **IB Jeevan Vidya** through LIC of India and IB Vidyarthi Suraksha through PNB Met Life covering Education loan student borrowers.

14. CREDIT MONITORING CELL

Initiatives taken to improve Asset Quality

Maintaining asset quality is the key to profitability. Bank has implemented the following monitoring tools to maintain asset quality. They may be broadly classified as Scrutiny of sanction, Periodical review of accounts, Monitoring through daily signals from EWS (Early Warning Signal) software, Monthly CRM (Credit Relationship Manager) reports, Follow-up of SMAs (Special Mention Account)

Scrutiny of sanctions

- Mechanism of scrutinizing High Value sanctions. Any errors or omissions can be rectified in the initial phase of the loans. Similarly sanctioning of other loans are scrutinised at Zonal / FGM Offices and necessary corrective actions taken.
- Helps in ensuring asset quality in the initial stage itself.

Periodical review of accounts:

- Review is done through Loan Review Mechanism.

- In addition to financial ratios, operations of the account, parameters like industry level peer comparison, change in management, movement of rating, share price fluctuation, market information etc. are also reviewed.
- To identify loans which develop credit weaknesses and to suggest necessary corrective measures

Monitoring through daily signals from EWS software

- A robust daily monitoring mechanism.
- All the alerts generated are analysed without any time delay.
- Immediate measures to rectify / recover / exit options are suggested
- Alerts which are serious in nature are analysed for Red flagging and fraud examination

CRM reports

- CRM report is a vital source of signals for EWS alerts.
- Helps in early detection of stress.
- Monthly CRM report is used as an effective monitoring tool for ensuring compliance of sanction terms, studying financial parameters and strengthening asset quality.

Follow-up of SMA accounts

Following monitoring measures have been implemented for minimising fresh NPA slippages.

- Scheduling the Monitoring by the branches (first 10 days, Next 10 days, Last 10 days of the month)
- Nodal officers for follow-up of SMA0 accounts at branch level.
- Guardian officers for follow-up at CO/FGMO /ZO s
- Follow up of CIF based accounts and Group accounts
- Providing Data Enablers to field functionaries for ready reference
- Utilizing Services of BCs/ SHGs/ NGOs/ local leader's/ Government officials etc. effectively for SMA recovery
- Conducting exclusive recovery camps for SMA accounts at cluster level.
- Periodical review of likely NPA slippage% (for curtailing annual slippage to less than 2%)
- Focus on Upgradation of fresh NPAs before quarter/ year end by making an ABC analysis of borrowers and implementing specific strategies.

15.ASSET QUALITY MANAGEMENT

- Bank deployed prudent credit monitoring tools successfully, with continuous and consistent focus on quality of assets, following a system-driven identification of NPA accounts (Non Performing Assets) approach since June 2011. Monthly flagging of NPAs is in effect from February 2016.
- Timely actions for recovery/ upgradation of fresh NPA accounts are under taken and stressed accounts are regularly followed up to minimize the slippages by identifying and monitoring Special Mention Accounts (SMA).
- Bank recorded good performance in recovery and reduction of fresh NPA during FY2019-20. Various recovery mechanisms like Lok Adalat, Negotiated Settlements through One Time Settlement (OTS) and recovery measures through DRT / SARFAESI/NCLT have resulted in improved recovery performance. Zones/Branches are aggressively implementing all recovery measures including classification of the accounts as willful defaulter/non-cooperative borrower, invocation of personal guarantee, filing of Petition under Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) before National Company Law Tribunal (NCLT), Transfer of pledge of shares, etc
- Under the SARFAESI Act, during the year, 1613 properties with reserve price amount of ₹2307.45 Cr brought for sale and 191 properties sold with sale price of ₹105.44 Cr. Through Private Treaty mode 15 properties were sold with sale price of ₹23.20 Cr.
- Bank actively participated in all National Lok Adalat conducted by NALSA during the year and also organized various Lok Adalat at Mandal Level. A total number of 37225 pre litigation accounts were referred to Lok Adalat involving an amount of ₹1130.04 Cr. 2936 accounts were settled with settlement amount of ₹35.34 Cr and spot recovery to the tune of ₹6.30 Cr was made.
- In the intensive recovery camps involving door to door campaign held periodically during the year ended 31.03.2020 by all the branches across the country on cluster basis, cash recovery to the tune of ₹395.67 Cr was made.
- In respect of Bad Debts and Written off (Technically Written off) accounts, an amount of ₹227.33 Cr was recovered during the year.
- In line with the changing economic scenario, Recovery Policy of the Bank has been fine tuned and frontline

officials sensitised for improving recovery performance. To enable end- to-end tracking and also to simplify the OTS process, Online OTS software application has been introduced to handle proposals upto ₹1 Cr. Besides, during the visit of officials from Recovery Department to Zones, the importance of reduction in provision by way of increasing recovery and upgradation in FreshNPAs/Doubtful accounts was emphasized

16.RISK MANAGEMENT

Bank's risk management framework is based on a clear understanding of various risks, disciplined risk assessment and measurement procedures and continuous monitoring. An independent Risk Management Department is functioning for effective Enterprise-Wide Risk Management and is responsible for assessment, monitoring and reporting of risk exposures across the bank. All the risks which the Bank is exposed to are managed through the following three Committees viz,

- **Asset Liability Committee (ALCO)**
- **Credit Risk Management Committee (CRMC)**
- **Operational Risk Management Committee (ORMC).**

These committees work within the overall guidelines and policies approved by the Board and Risk Management Committee of the Board.

Bank has put in place various policies to manage the risks. To analyze the enterprise-wide risk and with the objective of integrating all the risks of the Bank, an Integrated Risk Management policy (including Disclosure Policy, Reputational risk management Policy and Strategic Risk management Policy) has also been put in place. The important risk policies comprise of Credit Risk Management Policy, Asset Liability Management Policy, Loan Policy, Policy on Market Risk Management, Operational Risk Management Policy, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy (including Stress Testing Policy), Collateral Management Policy,.

All the policies are reviewed at a minimum on an annual basis by Risk Management Committee (RMC)/Board. In order to disseminate the risk management concepts and also to sensitize the field level functionaries, the relevant policies were circulated to the branches, in addition to imparting training at the Bank's training establishments.

Management of risk on an ongoing basis is carried out by compiling Risk profiles for Credit risk, Liquidity risk, Market risk and Operational risk on a quarterly basis and assessing the variation in direction and magnitude of the parameters set for each risk.

Credit Risk:

Risk Management Systems are in place to identify and analyze the risks at an early stage and manage them by setting and monitoring prudential limits besides taking other corrective measures to face the changing risk environment through credit risk management framework that allows credit risk to be tracked, managed and overseen in a timely and efficient manner

Asset Liability Management:

Asset Liability Management allows the Bank to measure and monitor risk exposures which may arise both from liquidity and interest rate risk on its balance sheet. This allows the Bank to provide suitable strategies for asset liability management.

Market Risk Management:

Market risk is the possibility of loss caused by changes in the market variables. The Bank for International Settlements (BIS) defines Market risk as "the risk due to which the value of 'on' or 'off' balance sheet positions will be adversely affected by movements in equity and interest rate markets, currency exchange rates and commodity prices". Thus, Market Risk is the risk to the Bank's earnings and capital due to changes in the market level of interest rates or prices of securities, foreign exchange and equities, as well as the volatilities of those changes. The objective of market risk management is to assist the business units in maximizing the risk adjusted rate of return by providing analytics driven inputs regarding market risk exposures, portfolio performance vis-à-vis risk exposures and comparable benchmarks.

Operational Risk:

Operational risk is now the focus of intense interest among industry participants, regulators and other stake holders. The Bank has put in place Operational Risk Management Framework (ORMF) and Operational Risk Management Systems (ORMS) to ensure effective governance, risk capture and assessment and quantification of operational risk exposure. Operational risk is well managed by using appropriate qualitative and quantitative methods and established internal control systems in day to day management processes and adopting various risk mitigating strategies. The risk perceptions in various products/processes are critically analysed and corrective actions if required, are initiated.

Operational risk is also monitored through analysis of credit spurt and analysis of frequency and severity of operational losses.

Bank has put in place frameworks for Risk Control Self Assessment (RCSA) and Key Risk Indicators (KRIs). Risk and control self-assessment is used to identify key operational risk and assess the degree of effectiveness of the internal controls. Bank has been taking steps to strengthen the RCSA and KRI by reviewing and improving the coverage area for management of Operational risk.

Basel III Capital Regulations:

The Bank has fairly high level of Common Equity Tier 1 Capital and also has headroom available for raising all forms of capital in case of need. The Bank has adopted RBI guidelines on the Basel III capital regulations with effect from April 1, 2013. To

ensure smooth transition to full Basel III, appropriate transitional arrangements have been made for full implementation as on September 30, 2020.

The Basel III capital rules also require an enhanced set of disclosures on the components of Capital Adequacy Ratio (CAR) which are published on quarterly basis on Bank's website. Bank is also disclosing leverage ratio and Liquidity Coverage Ratio (LCR).

17.HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM)

Manpower Position

The position of manpower in the Bank as on 31.03.2020 is as follows:

CATEGORY	TOTAL	OBC	SC	ST	MALE	FEMALE
OFFICERS	10407	3090	2184	822	7290	3117
CLERKS	7196	2455	1436	287	4067	3129
SUB STAFF	977	274	345	54	809	168
FULL TIME SWEEPERS	21	3	17	0	11	10
TOTAL*	18601	5822	3982	1163	12177	6424

(* Domestic excluding Part Time Sweeper)

Recruitment Drive

During the year, recruitment in the Bank is as follows:

Scale	Number
Officer Specialist Scale 4	2
Officer Specialist Scale 3	14
Officer Specialist Scale 2	24
Officer Specialist Scale 1	4
Clerks	256
Sub-staff	10

Welfare measures for SC/ST/OBC/PWD employees

As per Government of India's guidelines, reservations are provided to Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), Other Backward Classes (OBCs) and Persons with Disability (PWD) candidates in Direct Recruitment. Reservations for SC/STs in Promotions are provided as per Government guidelines.

The SC/ST Welfare Cell/Reservation Cell at CO/HRM ensures prompt disposal of grievances / representations (if any) of SC/ST employees. A General Manager is functioning as Chief Liaison Officer (CLO) to look after the interest of employees belonging to SC/ST and another GM is functioning as CLO for OBC employees.

Upgradation of Skills

The Bank's training infrastructure constitutes the State-of-the-art Training College at "Indian Bank Management Academy for Growth and Excellence" (IMAGE) and nine Staff Training Centers across the country enabling the staff and the officers to upgrade their skills.

During the year 10987 Officers, 5678 Clerks and 294 Sub-staff members were trained through internal training system. Also 382 officers and Executives attended various training programmes at external institutions.

Industrial Relations

The Top Management of the Bank interacts with the leaders of Employees' Unions, Officers' Associations and their response is positive resulting in desired growth in business and cordial Industrial Relations.

The following policies/schemes were reviewed/ formulated for the benefit of employees.

- Approval of 7 policies as part of HR Policies for the amalgamated entity.
- Approval of 6 Staff Loan Policies for the amalgamated entity.
- Approval of Policy on prevention of Sexual harassment of Women at Workplace for the amalgamated entity.
- Approval of 19 Staff Benefit Schemes for the amalgamated entity.
- Promotion Policy revision in line with government guidelines
- Introduction of Group life insurance scheme for amalgamated entity.

SAP

SAP HR software is being put to use for HR related activities. Focus is now on centralizing all HR activities. Centralised Biometric attendance system is in place. As a measure of extending technological advancement to the entire workforce and in aiming to achieve a paperless processing of HR related issues, a cohesive web-site for Human Resources Management through Intranet has been hosted. A slew of measures have been initiated to facilitate quicker disposal of HR matters – relating to both serving and retired staff.

Staff Welfare Measures

The Central Welfare Committee of the Bank constantly reviews the welfare schemes available to the employees and improvements are being made based on their recommendations. At present Bank is contributing ₹20 Cr towards staff welfare schemes annually.

18. CUSTOMER SERVICE

Customer Service is the backbone of any service industry, especially banking. With the entry of small payment banks and

various local area banks, the competition in the banking industry is very high now and there is huge pressure on the part of the PSBs to retain/improve their market share. Only by improving the customer service and making innovations in technology products, banks can achieve this goal/survive in the industry.

Modes of Grievance redressal:

- Complaint register maintained at all the branches.
- Complaint cum suggestion box made available in the banking hall of all the branches.
- Integrated Call centre available 24X7 with Toll free number 180042500000.
- Customers can lodge complaint through e-mail marked to any of the mail IDs viz: **nodalofficer@indianbank.co.in;** **customercomplaints@indianbank.co.in**
- All complaints received through all the modes by Branches/Zones/CO and not resolved within 24 hours shall be registered in the Standardised Public Grievance Redress System (SPGRS), an in-house software developed with a flow of several unique features.

Appointment of Internal Ombudsman;

- As per the directions of Reserve Bank of India, an Internal Ombudsman has been appointed with effect from 17.02.2016 to strengthen the Internal Grievance Redressal Mechanism and to ensure that grievances are settled in order to strengthen customer confidence.
- All complaints where the resolution is either negative or partially negative are internally escalated to the Internal Ombudsman of the Bank for necessary action as per the Scheme.

Initiatives taken to improve the customer service

- E Lounges opened at various centres to reduce the transaction time/foot fall in branches besides Passbook kiosk / BNA where the volume of transaction is very high.
- Instructed branches to open special counters for senior citizens where the number of pensioners is more.
- Introduced several new technology products to do transactions without visiting the branches and arranged technology awareness campaign at selected centres to educate the customers.
- Displayed Comprehensive notice board at all branches furnishing the vital information to the customers.
- Conducting Staff Meeting and Joint Customer Service Committee Meetings every month to exhibit the grievances from customers of all walks of life.
- All the complaints are taken up with the Branch/Zone/Project office for redressal. Nearly one third of the complaints are redressed within 24 hours (open and close category) while many of other complaints are

redressed within an average Turn-around Time (TAT) of about 5 days against the maximum TAT of 21 days allowed as per SPGRS.

- An executive session dedicated in all the training programs / workshops at our training centres for improving the customer service and handling the customer complaints.
- Incognito visits, a technique used by regulatory bodies like RBI are used to verify the level of customer service, display of various mandatory notices, attitude of the staff, customer friendliness, adherence to the time norms and overall customer satisfaction.

Customers' Day:

To have an update on the customer expectations/feedback and to have an interaction with the customers, Bank celebrated Customers' Day uniformly at all the branches across the Globe on 21.08.2019. The feedback / suggestions received from the customers was taken up with the branches / Zones / User Departments for implementing the same as per the feasibility and norms.



Customers day celebration at Ahmedabad Main Branch



Customers Day celebration at Visakhapatnam Zone

Regulatory Meetings/Notes:

- Regulatory/Mandatory Meetings relating to Customer Service were held as per the schedule.
- Review of Customer Service is placed to the Customer Service Committee of the Board as per calendar of Reviews.

Regulatory Authority - Observations:

- No awards have been passed by the Banking Ombudsman other than some directions issued.

RIGHT TO INFORMATION (RTI) Act 2005

- A separate desk attached to Customer Service Cell at Corporate Office is handling the applications, first appeals/second appeals received by the Bank under the RTI Act. Since its inception, Bank has been adopting a single window approach as suggested by the Parliamentary Committee on implementation of RTI Act. Online facility for filing of RTI application is also made available (Indian Bank being the first among the PSB to introduce this facility)
- All the Applications are disposed within the stipulated time period
- No awards against the bank in the year 2019-20

19. FOREX BUSINESS

- Turnover in Foreign Exchange business of the Bank amounted to ₹30155.80 Cr during the year. Of this, export and other inward remittances amounted to ₹11103.74 Cr, while imports and other outward remittances amounted to ₹19052.06 Cr.
- During the year, the total turnover in the interbank forex market amounted to ₹505604.15 Cr.
- 81 branches of the Bank are authorised to handle forex business. The Bank has Correspondent Arrangements across the globe.
- FCNR/NRE Deposits: Non Resident Indian (NRI) Deposits recorded a growth of 6.05% per cent at ₹10229.54 Cr for 2019-20 as compared to ₹9646.33 Cr in the previous financial year.

REMITTANCES

- Enterprise Remittances Scheme from Singapore offers instant credit to customer accounts in India with rupee equivalent of the foreign remittances within minutes of receipt at Singapore Branch and an SMS message is forwarded to the remitter at Singapore informing the credit. The facility is available on all days of the week.

- Other remittance facilities offered by the Bank for NRIs include Xpress Money, Money Gram, Western Union Money Transfer, Ria Money Transfer, besides normal SWIFT based Money Transfer across the globe.
- Electronic Funds Transfer arrangement is in place with Exchange Houses viz., UAE Exchange Centre WLL–Kuwait, Al Zaman Exchange WLL – Qatar, GCC Exchange – Dubai, Belhasa Global Exchange – Dubai, Al Dar For Exchange – Qatar. Remittance arrangement with M/s Al Rajhi Bank, Saudi Arabia is in place.

INTERNATIONAL OPERATIONS

- Bank has three foreign branches located at Singapore, Colombo and Jaffna. In the month of December, 2019 Bank had commenced its operations at IFSC Banking Unit (IBU) at Gandhi Nagar, Gujarat. Total Deposits and Advances (gross) of the foreign branches (including IBU) as on March 31 2020 was ₹7433.64 Cr and ₹8448.95 Cr respectively.
- Singapore branch established in 1941 has carved a niche by offering a variety of banking services using the latest technology and enjoys enormous goodwill and customer loyalty. The branch is presently maintaining its business in two accounting units - Domestic Banking Unit (DBU) for Singapore Dollar business and Asian Currency Unit (ACU) for business in currencies other than Singapore Dollar.
- Colombo branch established in the year 1932 has active market presence extending trade finance. The Foreign Currency Banking Unit (FCBU), Colombo is engaged in offshore banking operations.
- Jaffna branch reopened in 2011 plays a crucial role in the economic development of Jaffna Region.
- IFSC Banking Unit (IBU), Gift City situated at Gandhi Nagar, Gujarat commenced its operations in December 2019.

20. TECHNOLOGY AND DIGITAL INITIATIVES:

Bank in order to strengthen Digital delivery channels and to enhance customer experience launched several products. This enabled the Bank to improve the transactions through digital channels which increased by 16 % to reach a level of 45% of total transactions.

Customer Centric Digital products

1. Bank enabled 100% of ATM to accept EMV cards for additional security and reduced card skimming. 100% debit cards migrated to EMV chip cards.
2. **NCMC Cards (National Common Mobility Cards):** Bank implemented One Nation One Card launched by Honorable Prime Minister of India under Contactless Smart Card Technology and Dual Interface Card can be used as Normal Debit Card for all ATM, Pos and e-Com transactions as well as Offline Wallet for all Tap and Go payments like Metro Stations, Parking, Toll, Retail etc.

3. **RUPAY SELECT CARD:** Premium Debit Card with inbuilt feature of offers and discounts on wellness related services to the card holders.
4. **RUPAY WOMEN DEBIT CARD** - RuPay Platinum Debit Cards issued for IB Surabhi Accounts.
5. **NCMC compliant RUPAY contactless card** - RuPay platinum debit cards with contactless interface for tap and go payment facility of upto `2000 without PIN.
6. **IB DIGI Debit Card** - RuPay Classic Debit Cards issued for IB-Digi accounts opened through online mode.
7. **MasterCard Shop perks Cash back program-** Facility to earn cash back on transactions made on MasterCard Debit Cards
8. **Internet Banking** facility was revamped with additional features ;
 - **Net EASE:** Facilitating ease of customer operations under single Net Banking portal.
 - **Online nomination facility:** Customers can now make nominations for their deposits using the Internet Banking Services of the bank.
 - **PPF Account opening:** Customer can open PPF Account through Internet Banking without visiting branch.
 - **UPI 2.0:** Customers can link Overdraft Account to UPI, Issue Mandate and Apply for shares.
 - **NEFT 24x7:** Online money transfer through NEFT (National Electronic Fund Transfer) round the clock 24x7.
 - **IndPay limit:** Fund transfer limit in Mobile Banking (IndPay) enhanced from `50000 to `200000.
 - **NPS Contribution:** Customer can do contribution to NPS through Internet Banking.
 - **Email ID update:** Facility given to customer's to update/change of Email ID online through Internet Banking.

9. IndPay Mobile Application:

- **Account statement through Email:** Customers can subscribe for getting account statement through email in IndPay Application.
- In order to enhance customer's user experience in mobile app, additional regional languages Marathi, Gujarati and Malayalam has been introduced.

10. IND ADVANTAGE

- A loyalty program was launched to offer value additions to every customer.
- Earn IndAdvantage points on transactions made through Debit Card, Internet Banking and Mobile Banking.
- IndAdvantage points can be redeemed for exciting offers on products and services across categories such as – airline tickets, movie tickets, hotel bookings, mobile/DTH recharge, merchandise, more.

Credit Card:

- **Preapproved Credit Cards:** Platinum credit cards are issued to standard home loan borrowers with a default limit of Rs.1.00 lakh. Maximum limit of the card restricted to 10% of the sanctioned Home Loan limit.
- **Online application for credit cards:** Provision to apply new credit card will be enabled in banks website for Indian Bank customers. Customers will be able to apply credit cards by mentioning Indian bank account number.

Merchant Acquisition Products:

- **BHIM Aadhaar Pay:** In order to promote Digital Merchant Acquisition and to popularize the merchant payment mode among customers Biometric Finger Print Scanner Device for Bhim Aadhaar Pay were supplied at Nil Cost
- **IB Collect Plus:** A product for enabling customers with software for collecting their collections through Payment gateway. This enables the merchants without software support also to avail the payment platform. Earlier IB Collect is provided only for the merchants with software support. This facility has been extended to various Government Departments, Educational Institutions and Universities as follows :
 - ❖ Chennai Metropolitan Development Agency
 - ❖ IIT Madras Fee Collection
 - ❖ Anna University Fee Collection
 - ❖ National Board of Examination, Delhi
 - ❖ Nalanda Open University
 - ❖ Vellore Institute of Technology
 - ❖ SRM University
 - ❖ Madras University
- **V Collect Plus:** An enhancement for the existing product V Collect with value additions like Validation of inward remittance, Status response of successful credit for each transaction sent to the customer's server on real time basis, MIS reports sent through automated email to customer's mail on T+1 day basis. Some of our customers wherein V Collect Plus has been onboarded are as follows:
 - ❖ Tamilnadu Cements (TANCEM)
 - ❖ Karnataka Examination Authority(KEA)
 - ❖ Tamilnadu Real Estate Regulation Authority (TNRERA)
 - ❖ Metal Scrap Trading Corporation(MSTC), Kolkata
 - ❖ Registrar Court of Small Cases Payments of Madras High Court
 - ❖ GITAM University
 - ❖ Bar Council Of Tamil Nadu
- **Centralized Payment Management System (CPMS):** Centralized payment platform for corporate and Institutions for enabling bulk payment like salary, etc., using non-PFMS platform.

- **FASTag:** As stipulated by the Government of India, National Electronic Toll Collection (NETC) of NPCI enabled toll collection electronically at toll plaza while vehicle is in motion, through RFID based technology standard. Our Bank has enabled issuance of FASTag through Bank's website (online mode) to facilitate our customers avail the service.

Other Digital Initiatives :

Implementation of Digital District –Karaikal:

- As per Government guidelines, Karaikal District in UT of Puducherry has been identified as Pilot District for achieving 100% Digital enablement.
- To achieve this, Our bank has enabled Digital payment channels like Internet Banking, Mobile Banking and BHIM UPI for all the customers and payment receipt channels like QR code/Bhim Aadhaar Pay for all the merchants.

Digital Campaign for Staff Enrolment in Digital Channels:

- In order to create awareness about the Digital products among staff members an exclusive Digital Campaign for our Staffs on digital products viz. Internet Banking, Mobile banking, UPI, Credit Card, Debit Card usage in POS / e-Com was conducted from 1st July 2019 to 15th July 2019.

Mandate Collect


- ECS mandate for utility payments
- Collecting Bills/Charges by User Institutions holding account with our bank from the customers holding account with our bank/other bank.

UPI Collect

- A solution for the merchants for collection of payment for fees and other charges through UPI mode integrated with the institution/organisation's mobile/ web-based app.
- Bank will develop a generic API for any merchants and provide the API for integration with the Institution's Fee/Billing Collection System (FCS) with Bank's UPI system.



Cash @ POS launch in Vasanth & Co, T.Nagar.



Meeting with Traders Union for On-boarding merchants on Digital Channels



Launch of V-Collect Plus



Digital Campaign in Karaikal District

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS):

Business Dashboard using Power BI

- To provide interactive visualizations and business intelligence capabilities with a Simple interface for end users to create their own reports and dashboards, MIS has developed business dashboard using PowerBI. Dashboards and reports developed can be accessed through web browser or by downloading Power BI application from Apple App Store/ Google Play store

Data Analytics

- To identify and analyze behavioral data and patterns according to our Bank's requirements, Data analytics techniques are used to enhance productivity and business gain.

Awards & Accolades FY 19-20 (Digital related):

- Technology Senate' award from Indian Express Group for the product "VCollect Plus" for enabling collection through Cash / Cheque at any branch or NEFT / RTGS through any Bank.
- MeitY Award for Digital Payments under Mid Size Bank category for the highest digital transactions



21. INFORMATION SYSTEMS SECURITY

- Bank's Information System & Security processes have been certified with ISO 27001:2013 standard. The certification adds credibility, a testimonial for the reliability of the Bank's information security system and reassures the clients that the Bank's information security is of high quality. The Standard also lays emphasis on measuring and evaluating the performance of Information Security Management System (ISMS). Also, the certified security standard has additional controls in cryptography security development, security testing, supplier relationship etc. Information Systems Security Policies as per ISO 27001:2013 Standards were formulated and put in place to secure the Information Systems of our Bank.
- The recertification audit for ISO 27001 certification has been successfully conducted during February 2018 to ascertain compliance on certified security environments. Recertification has been issued till February 2021. In addition surveillance audit also has been completed for the year 2020 to ascertain the continued compliance of the ISMS of the Bank with the ISO 27001 Standards.

RBI Guidelines on Cyber Security Framework in Banks

- Bank has put in place a Cyber Security Policy in terms of RBI circular dated 2nd June 2016 on Cyber Security Framework in Banks elucidating the strategy containing an appropriate approach to combat cyber threats given the level of complexity of business and acceptable levels of risk duly approved by the Board.
- The main objectives of the policy are to enhance the resilience of the bank by improving the current defenses in addressing cyber risks and ensure adequate cyber security preparedness on a continuous basis, provide guidance and direction to the bank in combating cyber threats, given the level of complexity of business and acceptable level of risks and to enable the staff, vendors, contractors and other stakeholders to gain awareness and fulfill their responsibilities to protect the information assets with which they are entrusted.
- A Cyber Crisis Management Plan (CCMP) has also been formulated and put in place mainly focusing on incident handling process of cyber incidents. Both the Cyber Security Policy and CCMP have been reviewed and renewed after incorporating the best practices.

Information Security solutions to protect customer information

- Bank has already put in place a Cyber Security Operation Centre (C-SOC) which consists of various leading security solutions. Bank has a dedicated team under Chief Information Security Officer (CISO) to monitor the security operations.
- A dedicated IT Infra Security Team is also formed under Information Technology Department to look after the implementation of various cyber security solutions. The solutions are designed to protect the data, network and servers in a proactive way.
- The existing SOC has been reinforced with additional Security Solutions deploying State of the art technologies in order to transform the existing SOC to Cyber SOC to have additional layers of security to strengthen the cyber security resilience and posture of the Bank.
- Bank has taken further steps to make the employees and customers aware of the cyber threats and counter measures. Various steps have been taken to educate them on countering social engineering and phishing attacks.
- Bank has developed and put in place a Business Continuity Plan during the time of COVID-19 pandemic.

- As part of the plan, bank has provided a secured remote connectivity to its employees/vendors to enable them to work from their home.

22. PREMISES

- Bank owns 149 properties in India and 2 properties in Singapore
- Bank has put in place uniform policies for Premises Expenditure, Purchase Contracts, Printing and Stationery, Air-Conditioning, Automobiles, Telephone / Cell Phone and has adopted the same at all branches / Zones
- As the part of the green initiatives, all payments to vendors, suppliers etc are made through electronic channels, viz., direct credit / NEFT / RTGS (only under exceptional circumstances, payment is made by way of cheque)

GREEN INITIATIVES

Solar Power and LED lighting

- Harnessing of Solar power to Corporate Office is under Green Building (Gold Rating Status). Bank has joined hands with other entity to form Green India by adopting alternative source of energy.
- Expanding the Solar Power Plant installation network in Bank's own building, wherever technically feasible, to reduce the annual overall expenditure on energy consumption by about 4 to 5 percent.
- In Chennai, 14 numbers of own buildings, roof top solar power plant was installed.
- Adopting new technological products in the illumination systems by using LED lamps in the interior lighting systems
- New branches have been illuminated by installing LED Lamps. Existing branches are being replaced with LED lighting in a phased manner. Presently 1317 branches and 24 Offices are have been provided with LED lighting.

Other Green Initiatives

- Energy Audit is been conducted periodically for branches and offices.
- Provision of timers for auto cut off of Air Conditioners installed at branches and Offices, installation of harmonic filters and usage of Star rated electrical appliances have considerably reduced the consumption of electricity.

23. STATUS OF IND AS IMPLEMENTATION

- Bank has appointed M/s Deloitte Haskins & Sells LLP as consultant for smooth implementation of Ind AS and the implementation is in progress.
- As per the directions of RBI vide their letter DBR.BP.BC.No.76/21.07.001/2015-16 dated 11.02.2016, Banks shall comply with Ind AS for standalone and consolidated financial statements for accounting periods beginning from April 1, 2018 onwards with comparative figures for the preceding period ending March 31, 2018
- Earlier, RBI had advised the Banks to prepare Proforma Financial Statements as per Ind As for the half year ended 30.09.2016 with transition date as 01.04.2016 and the same was prepared and submitted to RBI. Similarly proforma Ind As financials for the quarter ended 30.06.2017 was also submitted to RBI.
- Subsequently, RBI has advised that Banks shall submit proforma Ind AS financial statement for every quarter starting from quarter ending 30th June 2018 onwards. Bank is complying with the same.
- As per RBI notification DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated 22.03.2019, Ind AS implementation has been deferred till further notice. However, quarterly submission of proforma Ind AS financials is being continued.

24. INTERNAL CONTROLS

- During the year Risk Based Internal Audit (RBIA) was carried out in 2024 branches.
- 600 branches have been covered under concurrent audit, covering 55.15 percent of total domestic deposits and 71.10 percent of domestic advances as on 31.03.2020. Overall, 62.13 percent of domestic business was covered under Concurrent Audit.
- Risk Based Concurrent Audit is in vogue from 01.04.2013.
- Revenue Audit covering 2803 branches with business exposure of ₹10 Cr and above was carried out to identify leakage of income, if any, in addition to RBIA and Concurrent Audit.
- Management Audit of 50 Zonal Offices was conducted during the year under review and followed up for compliance.
- Information System (IS) Audit of Information & Communication Technology (ICT) Infrastructure – CBS application suite, data centre and CBS project office was carried out by an external audit firm during the period of review. Special Audit of ATM switch was conducted by external auditors in order to ensure control effectiveness of customer facing applications.
- Offsite monitoring activities were carried out in the Bank on a two tier setup at Corporate Office and Zonal Office to sensitize the branches for corrective action on a daily basis.

- Separate program for inspectors was conducted during the year to make them familiar with the latest developments and to develop their reporting skills.
- The Anti Fraud Cell functions under Inspection Department with the predominant responsibility of coordinating all activities relating to fraud, comprising, classification, reporting, investigation, monitoring and follow up, closure, surveillance for fraud prevention, pooling of fraud data and analysis of the data for systematic improvements.

25. COMPLIANCE

Bank's Compliance Policy has been duly approved by the Board. In accordance with the Reserve Bank of India guidelines, an independent Compliance Department headed by a Deputy General Manager has been set up in the Bank. The Department monitors adherence to various statutory and regulatory guidelines governing the Bank's functioning such as:

- Various legislations viz., Banking Regulation Act, Reserve Bank of India Act, Foreign Exchange Management Act, Prevention of Money Laundering Act etc.
- Regulatory guidelines issued by Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Agency etc.
- Voluntary standards and codes prescribed by Industry Associations such as Indian Banks' Association, Foreign Exchange Dealers' Association of India, Fixed Income Money Market Dealers Association etc., and
- Bank's internal policies, codes of conduct, guidelines etc. issued by way of Circulars, Manuals etc.

26. VIGILANCE

Vigilance department is responsible for vigilance administration of the Bank. The Department is guided by Central Vigilance Commission (CVC)/DFS and RBI guidelines on Vigilance Administration. It is the single point of contact for consultations with CVC on vigilance matters. The Department is headed by Chief Vigilance Officer (CVO) appointed by Government of India on the recommendations of CVC. CVO is the nodal Officer to liaise with RBI/CBI/CVC/ Government in respect of vigilance-related matters in the Bank.

All officers of the rank of Assistant General Manager (AGM) and above come within the jurisdiction of CVC in the matter of disciplinary proceedings. CVO tenders advice as to the nature of disciplinary proceedings in respect of Officers below the rank of AGM. CVC tenders the stage advices (vigilance cases) in respect of officers in scale V and above and also in composite cases. CVO ensures adherence of Commission's guidelines in respect of vigilance cases.

The Department is functioning in a proactive manner, with a focus on preventive vigilance initiatives within the Bank, disposing of all vigilance disciplinary cases in line with the CVC's guidelines. Investigations of vigilance complaints and frauds are undertaken through Vigilance Officers located in the various Zonal offices of the Bank.

Training programmes conducted

Three exclusive in-house training programs were held for the Presenting Officers/Inquiring Authorities, Vigilance Officers and Disciplinary Authorities/Deputy Zonal Managers during the year covering all the aspects of vigilance and importance of preventive vigilance.

Vigilance Awareness Week 2019

Vigilance Awareness Week was observed from 28.10.2019 to 02.11.2019. The theme of the programme is "Integrity- A way of life". Every rural and semi-urban branch organized "Awareness Gram Sabhas" to sensitize the masses on the need to eradicate corruption and build New India. Grievance redressal options available to the public was explained in such gatherings. The Integrity Pledge as set by the commission was administered to citizens / Organisations. The Integrity pledge was administered en masse to the participants of the Gram Sabha meet.

As per the advice of the Central Vigilance Commission, outreach activities were organised in many metropolitan/urban and semi-urban centres across the country. Guest lectures, debates, panel discussions, elocution and essay competitions were organised in select colleges and schools (for students of class IX & above) located in Chennai, Coimbatore, Guntur, Madurai, Puducherry, Salem, Tiruchirapalli and Tirunelveli (8 centres) allotted by CVC for spreading the theme of the Vigilance Awareness Week extensively.

Various topics relating to corruption and its ill effects, importance of morals and values, honesty and integrity, ethics, transparency in governance and on how to lead a life that combines righteousness and Integrity was disseminated through these outreach activities to sensitize all and in particular the younger generation.

Human Chains, Walkathons, Cycle rallies were conducted by the Bank at Chennai, Kumbakonam, Coimbatore and Tiruchirapalli apart from holding various Folk arts at several rural/semi urban centres PAN-INDIA during the Vigilance Awareness Week.

Chairman, Advisory Board for Banking and Financial Frauds (ABB&FF) had delivered a special lecture on "Vigilance Administration in Financial Sector" at Corporate Office as part of VAW 2019. CVOs, General Managers and guests from other public sector banks participated in the event. Executives

and Branch Managers from Chennai city branches of our Bank had also participated in the event.

27. SECURITY

The objective of Security Management is to provide a safe and secure work environment for the Staff and Customers alike and to protect the assets of the organisation from external aggression. The objective is augmented by integration of technology with human analytics to ensure heightened security network. Incorporation of technological advancement in the field of Physical Security has proved to be more reliable, efficient and cost effective than traditional means of security.

- Banking being a cash rich industry has always been a lucrative target for assailants who adopt new and sophisticated techniques to further their malafide motives. Their acts vary from restrained midnight attempts to more blatant daredevilry viz; train heist, Armed daylight Dacoity etc. It calls for a dynamic active Security Solution as against passive security measures.
- The onerous task of securing our assets is a collective responsibility of all the stakeholders. Towards this end, Branches are now equipped with State of the art Burglar and Fire Alarm systems, HD DVR / NVR based CCTV solutions with emergency communication linkage with designated officials for immediate response.
- Fire being identified as one of the major threat to Branch / Offices, Vital installations like Servers are provided with Automatic (Modular) Clean Agent based Fire Extinguishers to avert / mitigate fire hazards. Fire and Mock evacuation drills are being conducted once in a year in all High rise buildings owned by the Bank and once in two years in all Currency chests as per RBI guidelines.
- Cash is identified to be the most vulnerable while on the move. Hence, in addition to the physical security, GPS based Tracking devices have been installed in all our Cash Vans. The movements of Cash Vans are tracked real time at multiple levels from the respective Currency Chests, Branches and the Zonal Offices.
- Considering the vulnerability of ATM centres, 24 x 7 Electronic Surveillance (E-Surveillance) has been implemented in our Bank Owned ATMs across the country.
- Though electronic security is reliable and effective, it is required to be placed under periodic review to ensure serviceability and functionality. In order to overcome redundancy and obsolescence of security gadgets leading to untoward incidents, review of the existing security systems and procedures are periodically undertaken by the Department headed by Chief Security

Officer at Corporate Office. The latest security systems, devices and mechanisms available in the market are comprehensively studied, assessed for performance and systems upgraded / replaced / introduced as per feasibility with the approval of Top Management. Additionally, recommendations and guidelines on security arrangements in Banks / ATMs / Currency Chests as and when prescribed by IBA and RBI are also being implemented.

- Security Management is a part of Operational Risk Management. Unlike 'Financial Risks' the physical risks to Bank's assets can be protected by effective security systems. Security Management performce is required to be dynamic and should evolve with emerging trends. The need for Risk assessment and its revision is imminent. Hence, based on threat perception and prevalent security scenario, comprehensive evaluation is carried out once in three years. Branches are classified based on security risk and additional security measures initiated based on assesment.
- The department is duly supported at the field level by Security Officers (Ex Servicemen) at respective Zones who are crucial in ensuring that the guidelines / instructions / policy of the Bank are implemented at the Branches, ATMs and Currency Chests. Deficiencies / Shortcomings observed during the inspection are followed up for rectification to strengthen the security aspects of the Branch / ATM with the objective of preventing untoward incidents.
- In order to ensure Security measures are intact and Staff are aware of the Security precautions, Zonal Security Officers conduct Security inspection of all Branches / ATMs once a year and upload the reports in the Online - In House Module designed at various levels – Branch, Zonal Office & Corporate Office. The Currency Chests being a High risk entity, are inspected on a quarterly basis and timely rectification of observations ensured.
- Electrical Audit of all Branches / Administrative Offices are conducted once a year and observations of the report are rectified at the Branch level with the concurrence of the respective zonal offices. In House module has been designed which can be accessed at all levels to comprehend the level of compliance.
- With a view to keep the Security Officers abreast on the latest technological advancement, updates on Security and to review the performance during the preceding period, Annual Training of Security officers is carried out once a year. The best practices derived during the training are taken for implementation in their respective Zones. LIVE firing practice is conducted for armed guards, every year.

- Security Aspects highlighted during the State Level, District Level Security Committee and Standing Security Committee Meetings are disseminated to respective Zones .
- Precaution and Prevention - is the crux around which our Security Department is established. Bank has adhered to Asset Protection Measures and followed procedural safe guards during cash remittance for safety of Bank's assets. Security Officers of our beloved Bank being Veterans from the elite Armed Forces are protecting the interests of the Bank as their prime concern.

28. AMALGAMATION OF ALLAHABAD BANK INTO INDIAN BANK

Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance (MoF), Government of India (GOI) vide their letter no. F. No. 7/93/2019-BOA.I dated 30th August 2019, communicated that the Alternative Mechanism (AM) after consultation with the Reserve Bank of India (RBI) decided that Indian Bank and Allahabad Bank to consider amalgamation of Allahabad Bank into Indian Bank.

Notification of Government of India:

The Gazette of India, Extraordinary vide notification G.S.R. 156(E) dated 04.03.2020 approved the amalgamation of Allahabad Bank (Transferor Bank) into Indian Bank (Transferee Bank). As per this, the amalgamated Bank came into being from 1st April 2020.

Rationale for amalgamation

The growth in the Indian economy with doubling in size in the last six years to \$ 2.8 trillion in FY2019 led to a massive expansion in the banking space in terms of business as well as the number of banks. To be more efficient in the changing environment, banks in the public sector space need to be bigger to meet the credit needs of a growing economy, absorb shocks and have the capacity to raise resources from the market without depending on the government.

Further, going ahead, to meet the financing needs of the Government's envisioned \$ 5 trillion economy, a strong and resilient banking system is imperative. Public Sector Banks which command more than 70% of the market share should be strengthened to meet the credit demands of the growing economy.

Indian Bank has been performing well with a sound capital base and recording profit continuously. Allahabad Bank was put under Prompt Corrective Action in January 2018 restricting its lending capabilities. The Bank came out of PCA in February 2019.

The rationale for amalgamation is based on five broad themes:

- Larger Balance sheet size & optimized capital utilisation.
- Wider Geographic reach leading to deeper penetration.
- Access to larger talent pool.
- Sharing and scale of product capabilities and platforms with greater cross sell across segments.
- Increase in operational & process efficiencies through scale benefits and elimination of duplication.

The amalgamation would enable creation of a bank with significant scale and capability to compete effectively. Indian Bank with its pan India presence has higher concentration in Southern part of India with 60.8% of the total branch network, while Allahabad Bank has 70.3% of its Branch network in Central and Eastern region. With the amalgamation, the combined entity has 6101 branches with scope for improving in the western region of Gujarat & Maharashtra.

Further, the combined entity is supported by the micro level touch points viz., 9128 Business correspondents. This will help the Bank to make further inroads contributing to the financial inclusion in the Rural/Semi urban areas.

Brief History of Allahabad Bank & Indian Bank:

The amalgamation of Allahabad Bank into Indian Bank is integration of 2 banks with rich & historic lineage and culture. While Allahabad Bank is the oldest public sector bank – (155 years) set up as a joint stock company by a group of Europeans in 1865 at Allahabad, Indian Bank was born out of Swadeshi movement in 1907 (113 years).

Indian Bank:

- Headquartered in Chennai, Bank came out with its Initial Public Offer in 2007.
- Profit making bank since 2002.
- Having branches in 3 Overseas centres of Singapore, Colombo & Jaffna.
- Sound capital base with higher CRAR of 14.12% as on 31.03.2020.

Allahabad Bank

- In 1923, the Head Office of the Bank shifted to Kolkata on Business considerations.
- Came out with Initial Public Offer (IPO), of 10 crores share of face value of ₹10 each reducing Government shareholding to 71.16% in October 2002.
- In April 2005, follow on Public Offer (FPO) of 10 crores equity shares of face value of Rs.10 each with a premium of ₹72 was made, reducing Government shareholding to 55.23%.

- Bank initiated the process of transformation with the project “Navodaya”.

Amalgamation Process

Taking cue from the seamless integration that can be seen in the confluence of the holy rivers with different characteristics, the amalgamation process was aptly named as **“Project Sangam”**.



“Project Sangam is about a new bright future for all of us, with new colleagues within the Bank to move with, and new customers to serve” – Ms Padmaja Chunduru, MD&CEO, Indian Bank.



“Project Sangam is the coming together of two banks with rich legacies, unique strengths and with deep contribution to our nation’s growth”- Mr K Ramachandran, Executive Director, Allahabad Bank.

Project initiatives

- More than 20 Integration committees were formed and critical steps have been taken for seamless integration on “Day 1” - 01.04.2020.
- Integration Management consultants, IT Consultants and technical advisors are engaged for this project.

Communication with Customers/ Employees

- MD & CEO, Indian Bank visited Allahabad Bank Head Office
- Executives and Officers of two Banks visited each other’s Corporate/Head Office to have better understanding towards harmonisation/adopting best practices.
- MD & CEO also met Chief Secretary and other top Government officials of Uttar Pradesh.



● MD & CEO along with ED, Allahabad Bank met the Hon’ble Chief Minister of Uttar Pradesh and apprised contribution made by two Banks in UP and also the

developments made in amalgamation process.



● MD & CEO along with ED, Allahabad Bank visited the historic branch of Allahabad Bank – Allahabad Branch

Town Hall Meetings

Town hall meetings conducted in Chennai, Vijayawada, Kolkata, Hyderabad, Allahabad & Lucknow.

Ms. Padmaja Chunduru, MD & CEO stressed the need of enthusiastic participation of the employees for the positive outlook of the amalgamated entity. It was also assured that customers will continue to be the focal point for both the entities and solicited their continued patronage

Glimpses from Town Hall Meetings



Team Building

- Common Workshop designed to develop team spirit among Executives, Officers & staff of both Banks.
- Three Workshops conducted in Kolkata, Lucknow and Chennai for Zonal Managers of both the Banks



- Faculty members and Deputy Zonal Heads from both the banks have been trained on the harmonized products, processes, policies, IT, etc. and they are named as Change Agents at the apex/Zonal level.

- They, in turn, trained the designated Officers (Integration Champions) at branches.

Change Agents / Integration Champions

- Training programme for Change Agents – 'Train the Trainer' was conducted through VC on 16th and 17th March 2020.
- These Change Agents and Operational Experts form part of the Zonal Control rooms in all the Zones of the amalgamated entity and also at Corporate Office. They are guiding the branches and frontline staff for smooth and uninterrupted flow of service to customers.
- In addition to Change Agents, a team of IT Officers is in place to supplement as Integration Champions for IT integration and they are supporting field functionaries.

Portal for employees "IB-AB Parivaar"

- IB-AB Parivaar - A staff Portal was created for employees of both the Banks to air their concerns/ doubts.
- Queries were responded at the earliest possible time
- Best suggestions were rewarded with merit certificate – IB-AB Sangam Puraskar

Portal for customers of IB-AB

- The online 'Customer Portal' with FAQs was launched on both the banks' websites.
- Timely responses are being given by departments.

Culture Survey

- Culture Survey was conducted for the employees of both the Banks
- More than 15000 employees participated.
- The survey was done to analyse the cultural traits of both the Banks and define the future cultural strength of the amalgamated entity.
- The positive aspects of the findings are properly directed towards achieving the larger objectives by creating a unified team-based culture.

Change management survey

- Feedback survey was conducted to understand the gaps in sharing the information with field level functionaries, knowledge about the new products and services, awareness about the change in policies and circulars, FAQs, handling of clients and transaction of both the banks etc. The survey was prepared by M/s Deloitte in consultation with IMO and it was conducted for Branch Managers and Zonal Managers of both the banks.

- The response of the survey has been captured and M/s Deloitte is analyzing the responses to identify the Gaps if any.

Ind Guru

In view of Covid-19 lockdown and for improving the knowledge/skill level, Learning Management System (LMS), 'Ind Guru', an e-learning platform for all the employees of the Bank was launched on 24.04.2020 and has gone live successfully on 22.05.2020. The tech-driven platform which is aimed at capacity building of HR in the Bank, offers – access to on-demand, anytime, anywhere learning (through we portal as well as mobile app), self-placed learning, content across divisions to ensure cross-functional learning and skill development.

New Organizational Structure

- Organizational restructuring has been carried out for increasing the efficiency and better management of the verticals and manpower:
- Risk and control functions strengthened with addition of new departments headed by General Managers for KYC/AML, Credit Review Corporate Strategy and Business Process Reengineering & investor relations.
- 14 Field General Managers and 78 Zones to drive the business of branches having pan India presence.
- Large Corporate Branches (LCBs) and Mid Corporate Branches (MCBs) to cater to the needs of the Corporate and Mid Corporate borrowers.
- Existing concept of processing centers viz., Customer Acquisition Processing Centres (CAPC), RMPCs and Kisan Pragati Kendras (KPKs) in e-ABs will be adopted in the amalgamated entity.
- A broad roadmap drawn up for rationalization of Administrative Offices like FGMOs, ZOs, Inspection Centres, Service Branches, SAM branches and Corporate Branches.

29. DIRECT MARKETING:

Brand Management on Social Media

- Indian Bank's Official Facebook, Twitter, YouTube, Instagram and LinkedIn handles were managed and product promotion and information dissemination was done on it.
- Complaints / queries in respect of Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn/complaints/queries were managed timely.

- Specific content was developed and promoted on our social media channels related to field activities, commemorative days, occasions and bank's achievements.
- Interactive Gifs and video Posts were created for Instagram, Facebook story post and Festival wishes.
- Bank's Official Facebook Page, namely '@MyIndianBank' made over 1545 posts and added over 549122 likes during FY 20.
- Bank's Official Twitter Channel '@MyIndianBank' made over 632 tweets during FY 20.
- Bank's Official YouTube Channel 'Indian Bank' added 17 videos this year. It has overall 7932 subscribers and 20.14 lakhs of views.
- Bank's Official Instagram Channel '@MyIndianBank' made 1625 posts and nearly 33665 users
- Bank's Official LinkedIn channel 'IndianBank' made 338 posts and 7501 followers.

Engagement Contests on Facebook, Instagram & Twitter pages

The objective of these contests is to promote and build awareness about Indian Bank and engage more people on our social media pages. Facebook, Twitter and Instagram pages were used extensively. 9 campaigns/ contests were conducted during World Book Day, Mother's Day, Diwali, Christmas, and as the launch of ind advantegs. Over 18 lakh impressions were clocked during these promotions.

Indian Bank's Official News letter-“Ind Navya”

“IND NAVYA” is the monthly e-newsletter that keeps our existing and prospective customers up to date with bank's customer-centric initiatives like launch of new products and services, features, promotional offers, campaigns, achievements, network expansion, events, government directives, etc. It is available on website and is sent via emails to customers as well. 12 editions were releases during this year more than 1.8 Cr emails were sent.

Website Management

Over 60 images were uploaded on our website, with necessary changes in template to make it more accessible and comprehensive.

Introduction of IVR facility on Call Centre:

IVR facility on our Toll-free no: 1800 425 00000 was introduced with Balance Enquiry, Last 5 Transactions and Cheque Stop

Bank's Loyalty Programme:

- Ind Advantage – Bank's first Loyalty Programme was officially launched on 13.09.19. Under this new Programme, our customers can now earn reward points for transactions on 3 channels namely Debit Card, Net Banking and Mobile Banking. The points thus earned can be redeemed for vouchers or kind on a reward website (www.indadvantage.com) or mobile app or in real-time against bills at select merchant establishments. During FY20, over 100 Cr points were awarded for more than 12 Cr transactions. 31% growth in spends was registered during the last quarter.

Improving Image, Publicity and Visibility

- Created and Uploaded soft copies of Dangers, Banners, Posters, etc. for field-level functionaries located at Branches, Zonal Offices and other offices
- Advertisements(Ads) on Radio and TV
- Out-of-home Ads.: showcasing our products using tri vision honardings, digital signage panels and asd at bus shrlters
- PrintAds:

Details of Marketing Campaigns:

- Lead Generation Campaign for IB Digi on Cricbuzz
- Cash Rewards Campaign on IB Debit Card
- Cashback Campaign on IB Debit Card on BookMyShow
- Lead Generation for Home Loan and Vehicle Loan on DailyhuntApp .

30. CORPORATE COMMUNICATION INITIATIVES

External Communication

- During 2019 -20, Bank focused on various activities to reach out to customers with customer centric products, educating various schemes of Government, achievements and welfare for the general public.
- Bank's 113th Foundation day at IMAG, Chennai. duly participated by staff members and coustmers
- Bank has organised several press conferences/meets, special interviews on various occasions including launch of new technology products, Melas, Financial results and important events like Vigilance Awareness Week, Swachh Bharat Drive etc. More than 80 Press releases of the Bank's various events were covered by the Media / Press pan India.
- Bank had been widely covered by ET Now, BTVi, CNBC TV 18 group, Thanthi TV, Sun TV, Puthiyathalaimurai TV, News 7, News 18, The Hindu, The Times of India,

Business Line, The Economic Times, Business Standard, The Financial Express, Hindustan Times, The New Indian Express, Daily Thanthi, Dainik Bhaskar, Rajasthan Patrika, Dina Mani, etc during various occasions such as Press Meet for declaration of the Financial Results, Launch of technology products, Loan Melas, Swachh Bharat Pakhwada, Pan-India Blood/Organ Donation Camps, 113th Foundation Day Celebrations etc.

- Outdoor campaigns were accelerated through advertisements at Chennai / Madurai / Pune / Tirupati railway stations Mobile charging units at 26 railway stations at Chennai & suburbs, busbay pillars at CMBT Bus terminus and Bus shelters at Chennai.
- Outdoor advertisement campaign done at major 10 Delhi Metro Stations. Similarly, passenger trolley branding / Hoardings were put up in Chennai airport / railway stations at Chennai and Madurai.
- Advertisements were released in various dailies during the Independence day, Republic day, Diwali and other important occasions.
- A new mnemonic was designed to mark Bank's 113th year of service to the nation.

Internal Communication

Information on various events of the Bank like birthday celebrations, CSR programmes, Parliamentary Committee visits, Women's Day, etc were disseminated to employees through Helpdesk. Banners were also displayed to make employees aware about various National and International Days like World Environment Day, International Day of Yoga, Blood Donor Day, May Day, Mother's Day etc.

31. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

- Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives of the Bank extended beyond banking and lead it to honor ethical values and respect people, communities and the natural environment.
- As a strong Corporate, Bank is taking up various initiatives for the benefit of the society with the commitment to serve the people of India. Proud of its humanitarian services, Bank has achieved many accolades in recent past to touch many lives and bring in positive change.
- Bank as a responsible Corporate Citizen worked to reach out to the needy and marginalized population through various contributions:
 - Women Empowerment: Donation of sanitary napkin vending machine and incinerator to Quaid-E-Millath Women's College, Egmore, Chennai.
 - Inclusive Growth: Sponsorship towards infrastructure development at Thaa Madi Trust, an Old Age Home at Salem (₹14.5 lakhs)

- Green Initiative: Sponsorship towards water conservation works under Government of India – Jal Shakti Abhiyan programme by DRDA, Villupuram District.(₹7 lakhs)
- Financial Literacy & Enhancing vocational skills: Contribution towards construction of INDSETI building at Vellore. (₹10 lakhs)

CSR Highlights:

Swachhata Hi Seva

The Bank has launched Signature Campaign against use of Single-Use Plastic as part of Swachhata Hi Seva. Ms. Padmaja Chunduru, MD & CEO inaugurated the Signature Campaign at Corporate Office.



“No to Single Use Plastic” campaign at various colleges by the Bank



Bank has conducted a Walkathon for creating awareness against Single Use Plastic among public at Mylapore, Chennai



Celebration of International Day of Yoga on 21st June 2019 at Govt Arts College for Men, Nandanam.

Yoga Day Celebrations (Pan-India)



Kannagi Nagar Government school



Juvenile home for girls, Kellyes



Mumbai



Tiruvarur



Ludhiana



Coimbatore



Donated Blood donation Cots to Stanley Government Medical College and Royapettah Government Hospital Blood Banks



Organised Blood Donation Camp on 14th June 2019 on the occasion of World Blood Donor Day. 115 employees participated and donated blood voluntarily to Stanley Government Medical College and Royapettah Government Hospital Blood Banks.



Sree Saastha Engineering College, Chennai



VIT University, Chennai



Anand Institute of Higher Technology, Chennai



As a part of creating a clean and green environment, tree plantation drive was conducted at YMCA College of Physical Education, Nandanam, Chennai.



150th birth anniversary celebrations of Mahatma Gandhi, Indian Bank donated the outdoor play equipments to Thakkar Bapa Nursery and Primary School, Chennai.



As part of Covid-19 awareness measures, Do's and Don'ts banners were placed in Kannagi Nagar and Arundathi Nagar. Masks and Sanitisers were distributed to the residents.



Donated Chairs to Nimmadhi War Widows Old Age Home, Chennai on Kargil Vijay Diwas



Donation to Udhavum Ullangal, a Public Charitable Trust, Nandanam, Chennai for celebrating Anandha Deepavali for the benefit of underprivileged children




Contribution to Vellore district Collectorate's CSR fund for infrastructure development of Colleges / schools and betterment of non-profit organizations




Supported Govt Law college, Salem for procuring furniture for the benefit of teachers and students.



Financial assistance extended as beneficiary contribution to Tiruvannamalai Municipal Administration for construction of 125 toilets under Individual Household Latrine Scheme at Tiruvannamalai.



Supported District Minerals and Mines Foundation (DMF) Trust, Cuddalore to erect 12 hoardings on ill-effects of illegal mining at prominent public places in Cuddalore



Supported Tirunelveli District Collectorate to purchase 10 e-rickshaws with manual hydraulic lifting for waste management



Amaravati Zone has distributed books to poor children of Govt. Girls High School at Chowthra, Guntur



Sapling plantation drive held at Laxmi Nagar high school by Shri Sashi Bhusan Dash, Deputy Zonal Manager, Branch Manager and staff of Jharpada Branch



Mr. Tanmoy Dey Sarkar, Zonal Manager, Guwahati is handing over the amount contributed by Indian Bank Team Guwahati for flood relief to Hon'ble Chief Minister of Assam Shri Sarbananda Sonowal

Contribution to CM's COVID-19 Relief Fund



Ms Padmaja Chundurur, MD & CEO, Indian Bank handed over a cheque to Chief Secretary, Govt of Tamil Nadu



Handed over a cheque to Hon'ble CM of Uttar Pradesh, by FGM e-AB, and Zonal Manager, Indian Bank, Lucknow



A cheque handed over to Hon'ble CM of Jharkhand, by Field General Manager (eAB) and Zonal Managers of Indian Bank and eAB, Ranchi.



Handed over a cheque to Chief Secretary, Odisha by Zonal Managers of Indian Bank and eAB, Bhubaneswar



Cheque handed over to Hon'ble CM of Madhya Pradesh by Zonal Manager, Bhopal



Demand Draft handed over to Chief Secretary, Government of Karnataka by Zonal Managers of Indian Bank and e-ALB, Bengaluru.



Zonal Manager, Amaravati has handed over a Demand Draft to the Hon'ble CM of Andhra Pradesh



Zonal Managers of Indian Bank and eALB, Patna handing over a cheque to Deputy CM, Bihar



Zonal Manager, Indian Bank, Chandigarh handing over cheque to Hon'ble CM of Haryana

35. SPORTS



Indian bank sports committee successfully conducted summer coaching camp for young children from 10th to 24th May 2019 in Cricket and Volleyball. Nearly 250 boys and girls were benefitted.



Our Bank has selected 40 students (boys and girls) from two schools in Chennai and coaching them in their school grounds by our Indian bank players



Our Bank conducted a State Level Chess tournament for Visually Challenged for Indian Bank Trophy at Image on 21st and 22nd December 2019.



Indian Bank Cricket team won the SICCIL Trophy beating DSS Club in the finals. (After 30 years). (On the way to finals Indian Bank beat AG's Office in Quarter Finals and ICF in Semi Finals). Indian Bank Cricket team promoted to Second Division Tamilnadu Cricket League Championship conducted by TNCA.



Indian Bank Basketball team is one of the most Glamorous Teams from Chennai. Has several Trophy Triumphs to its credit. Indian Bank Basketball team emerged victorious in the Tamilnadu Senior State Basketball Championship for Men and qualified for the Federation Cup Basketball tournament.

Two of our Basketball players have found place in the Senior Indian Team which won Gold Medal in 13th South Asian Federation Games held at Kathmandu, Nepal.

Our Bank Basketball players Shri Muin Bek, Shri R.Hariram, Shri Baladhaneswar, Shri Genib Benny and Shri A.Surya represented the Tamilnadu Senior State Basketball team and won silver medal in the 70th Senior National Basketball Championship held at Ludhiana, Punjab from 21st to 28th December 2019.



Indian Bank Volleyball team a most popular team in our country has won many State level and All India level tournaments.

Two of our Volleyball players have found place in the Senior Indian Team which won Gold Medal in 13th South Asian Federation Games held at Kathmandu, Nepal.

Indian Bank Volleyball Players Shri L.M.Manoj, K.Surya Prakash, Mohan Kumar and Midhun Kumar represented Tamilnadu Senior State and secured Silver Medal in the 32nd Federation Cup Volleyball Championship conducted by Volleyball Federation of India held at Amritsar, Punjab from 27th September to 3rd October 2019.

Implementation of Official Language

- Bank is actively implementing the Official Language Policy of the Government of India based on the Official Language Act, 1963 and Official Language Rules, 1976. Based on the Annual Program released every year by the Official Language Department, Ministry of Home Affairs, Government of India, activities related to the Official Language implementation of the Bank is prepared and it is sent to Zonal Offices for necessary action. A Master Circular is also issued every year in this regard.
- Understanding the need and effectiveness of the Swachh Bharat Abhiyan, with the aim of spreading awareness on cleanliness, a pictorial desk calendar for the year 2020, incorporating the views of Mahatma Gandhi on cleanliness, has been prepared in Hindi.
- The Quarterly Hindi Magazine “Ind – Chhavi” is being published by Corporate Office. Quarterly / Half yearly Hindi Magazines are published by the Zonal Offices also with special emphasis on the Banking Topics along with other essential subjects.
- As part of 'Hindi Month Celebrations – 2019', 10 Hindi competitions were organized for staff members in our Corporate Office from 19.08.2019 to 13.09.2019 and 3 Hindi competitions were conducted for children of staff members on 01.09.2019. Hindi Day, Hindi week etc were also organized at Zonal Offices.
- An exclusive Hindi web-page in our Bank's Web-site was inaugurated on 23.09.2019 by our MD & CEO during the valedictory function of Hindi Month 2019. Top executives of our bank also graced the Occasion.



MD & CEO, Ms. Padmaja Chundurur unveiling the Hindi webpage

- The “Banker - Grahak Samvad” book was released on 23.09.2019 during the valedictory function of Hindi Month 2019.
- Bank's website is fully bilingual. Bank's Mobile App – “Ind-Pay” is available in six languages (Hindi, English,

Tamil, Marathi, Malayalam and Gujarati). All the required forms and formats are available in bilingual / trilingual form. Banners, posters and pamphlets etc. are made bilingual / trilingual.

- An all-India Inter-Bank Hindi Essay Writing Competition on the "Importance of Amalgamation of Banks in Indian Economy" was organized by our Bank during November-December 2019.
- The Bank organized an All-India Hindi Seminar on the "Importance of Amalgamation of Banks in Indian Economy" on 27th December, 2019 at Kolkata. A compilation of the best 24 entries received was published in a book form and released during the course of the seminar.



Ms Anuradha Mitra, Secretary, Department of Official Language, Government of India addressing the gathering

- Hindi words are being displayed on the helpdesk, which to learn Hindi.
- During the year 2019, 33 staff members have passed the Prabodh, Praveen and Pragya examinations conducted by Hindi Teaching Scheme, Government of India.
- Special emphasis on training staff members through Hindi workshops. Hindi workshops are being organized regularly at IMAGE, Staff Training Centers and various Zonal Offices with special attention to practical training. A total of 48 Hindi workshops were organized during the year in which a total of 535 staff members including 315 officers and 220 clerks were trained.
- A workshop was organized for Executives at IMAGE on 07.11.2019 on the topics “Small notings in Hindi” and “Conversational Hindi”, in which a total of 19 Executives from Corporate Office, Zonal Offices and Branches participated.

- Official Language inspections of branches are being done regularly and staff members are also given desk training to ensure the implementation of Official Language.
- The Official Language Implementation Committee meetings are organized regularly in Corporate Office and Zonal offices of the bank.
- Selective offices of the Bank have been entrusted with the responsibility of management the Town Official Language Implementation Committees by the Government of India, which are being handled with full commitment:
- The Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) Chennai (Bank & Fis.) was awarded the third prize under Regional Official Language Award by the Regional Implementation Office (South-West) for the excellent implementation of Official Language.
- In addition Zonal Offices of Madurai, Pondicherry, Hubli, Mumbai, Kolkata, and Chennai North have been

awarded by TOLICs for outstanding contribution towards implementation of Official Language at their respective Offices.

- A 'Official Language awareness programme' and 'Hindi Sangeet Sandhya' were organized under the aegis of TOLIC (Banks/FIs), jointly with Indian Bank on the occasion of World Hindi Day on 10.01.2020 at Corporate Office, Chennai.
- Under the aegis of TOLIC, Chennai (Banks & Fis), Reserve Bank of India, Chennai organized a Seminar on the topic – "Various aspects of Banking" on 29.05.2019, which was presided over by our Managing Director and Chief Executive Officer, Ms. Padmaja Chunduru.
- The "Chennai Bharathi" magazine published by Chennai TOLIC (Banks/FIs) was released.
- Meetings of TOLIC (Banks/FIs), Chennai are being held regularly.

Business Responsibility Report – 2019-20

Section A: General Information about the Company

1. Corporate Identity Number: (CIN) of the Company	NotApplicable
2. Name of the Company	Indian Bank
3. Registered Address	66, Rajaji Salai, Chennai 600 001
4. Website	www.indianbank.in
5. Email	indmail@indianbank.co.in
6. Financial Year Reported	2019-20
7. Sectors that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	Banking & Financial Services
8. List of 3 key products/services that the manufacturers provides (as in Balance Sheet)	Deposit Products, Loan Products and Remittances etc.
9. Total number of locations where: business activity takes is undertaken by the Company No of Locations I. National II. International	2887 as on 31.03.2020 3 (Singapore, Colombo, Jaffna)
10. Markets served by the Company-Local/State/National/International	The Bank has branches in 29 states and 6 UTs and International presence in Singapore and Sri Lanka

Section B: Financial Details of the Company

1) Paid up Capital (INR)	₹ 608.80 crore		
2) Total Turn Over (INR)/Revenue	₹ 4,66,116.00 Crores (Total Business)		
3) Total profit After Tax(INR)	₹753.00 Crores		
4) Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of Profit after Tax (%)	CSR spending is not mandatory for PSBs. However, Bank has spent ₹ 1,62,89,000/-		
5) List of the activities in which expenditure on 4 above has been incurred	Sl. No.	CSR activity	Amount (₹)
	1.	Inclusive Growth	1,05,08,000/-
	2.	Green Initiatives and Environment Sustainability	47,25,000/-
	3.	Gender Equality and Women Empowerment	43,000/-
	4.	Enhancing vocational skills and Financial Skills	10,13,000/-
	Total		1,62,89,000/-

C: Other Details

1. Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies	Yes a. Indbank Merchant Banking Services Ltd. b. Indbank Housing Ltd
2. Do the subsidiaries implement : BR initiatives of the parent company If YES, then indicate the number of such subsidiaries.	M/s IndBank Merchant Banking Services Limited does not participate in the BR initiatives of the Bank and is independently taking BR initiatives.
3. Do any other entity/ entities (e.g., suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? (Less than 30%, 30% - 60%, more than 60%)	No

Section D: BR Information
1. Details of Director/ Directors responsible to BR
I. Details of the Director/ Directors responsible for implementation of the BR policy/policies

DIN Number	07561455
Name	Shri. V.V.Shenoy
Designation	Executive Director

II. Details of the BR head – as below

S. No	Particulars	Details
1	DIN No (if applicable)	NA
2	Name	Shri Sudhakara Rao K S
3	Designation	General Manager
4	Telephone No.	044 - 28134566
5	e-mail-id	Sudhakar.rao@indianbank.co.in

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy / Policies: (Reply in Y / N)

Sl No.	Questions	Business Ethics	Product Responsibility	Well being of Employees	Stakeholder Engagement	Human Rights	Environment	Public Policy	Inclusive growth	Customer relations
1	Do you have a policy/policies for	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3	Does the policy confirm to any national / international standards? If yes, specify? *(50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4	Has the policy been approved by the Board? If yes, has it been signed by MD / Owner / CEO / appropriate Board Director	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5	Does the company have a specified committee of the Board / Director / Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6	Indicate the link for the policy to be viewed online?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
7	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8	Does the company have in-house structure to implement the policy / policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9	Does the company have grievance redressal mechanism related address stakeholders' grievances related to the policy / policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10	Has the company carried out independent audit / evaluation of the working of this policy by internal or external agencies?	N	N	N	N	N	N	N	N	N

2a. If the answer to S. No. 1 against any principle is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

Sl No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	The company has not understood the Principles	▲								
2	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3	The company does not have financial or manpower resources available for the task						NA			
4	It is planned to be done within next 6 months									
5	It is planned to be done within next 1 year									
6	Any other reason (Please specify)									▲

3. Governance related to BR

<ul style="list-style-type: none"> Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the company 	<ul style="list-style-type: none"> As the Business Responsibility encompasses a whole spectrum of Banking, Department relevant Policies are framed/ renewed individually and approval of Board obtained.
<ul style="list-style-type: none"> Does the company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published? 	<ul style="list-style-type: none"> Would be made available in due course on website.

Section E: Principle-wise-performance
Principle 1: Business should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

<p>1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Does it extend to the group/ Joint Venture/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ Others?</p>	<ul style="list-style-type: none"> In February 2006, Reserve Bank of India set up the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) as an independent autonomous watchdog to ensure that customers get fair treatment in their dealings with Banks. The BCSBI has published the "Code of Banks' Commitments to Customers-January 2018" and "Code of Commitment to Micro and Small Enterprises – August 2015" which set out minimum standards of banking practice and benchmarks in customer service for banks to follow. Bank is a member of BCSBI and has therefore, voluntarily adopted the above Codes as its Fair Practice Code in dealing with its customers. Code of commitment to customers has been placed to the Customer Service Committee of the Board for adoption. Complete copy of the Code is available at www.indianbank.in
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ● "Citizens' Charter of Indian Bank" provides key information on various facilities/services provided to customers in the branches of the Bank ● The Code together with the Citizens' Charter will ensure high standards of accountability, responsibility and transparency in the Bank's dealings with customers.
<p>2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management?</p> <p>If so, provide details thereof, in about 50 words or so.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● CO: Customer Service Cell deals with Customer grievance redressal. ● Bank has introduced Standardised Public Grievance Redressal System (SPGRS). All the complaints received through all modes and pending unresolved for more than 24 hours are entered in SPGRS. Customers also can lodge online complaints through SPGRS. ● As per the Policy on Customer Grievances Redressal and compensation to customers for deficiency in services, Bank has adopted a maximum timeframe of 21 days for redressing customer grievances. ● However most of the grievances are redressed within an average time of 5-7 days.
No. of complaints pending at the beginning of the year	5493
No. of complaints received during the year	429068
No. of complaints redressed during the year	418385
No. of complaints pending during the year	16176
% age of complaints resolved	96.27%

Principle 2 : Business should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

<p>1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.</p>	<p>Indian Bank offers the following financial services which has incorporated social concerns and opportunities</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Self Help Groups (SHGs) ➤ Financial Literacy Centres (FLCs) ➤ Indian Bank Self Employment Training Institutes (INDSETIs) <p>During 2019-20, Our credit division has sanctioned Rs. 39.8 crore towards Renewable energy projects including Wind / Solar / Biomass which can strengthen the Green Energy.</p> <ol style="list-style-type: none"> Provision of energy efficient LED fixtures. Provision of Roof top solar panels in Bank's own buildings. Sewage Treatment Plant at Corporate Office.
---	---

<p>2. For each such product, provide in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional):</p> <p>i) Reduction during sourcing/ production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain?</p> <p>ii) Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since previous year?</p>	<p>i. With the introduction of LED fixtures, the power consumption from lighting was brought down to almost 40% wherever installed.</p> <p>ii. With the implementation of Roof top solar panels at Corporate Office, Head Office and 7 branches in Chennai, there was a saving of about Rs.41.00 lakh from the electricity bill with total production of 5.25 lakh units till the year ending 31.03.2020.</p> <p>iii. Through STP, the sewage water was circulated and about 17,000 liters of water per day is recycled, thereby a saving of Rs.5.60 lakh p a towards water charges.</p>
<p>3. Does the company have proceedings in place for sustainable sourcing (including transportation)</p> <p>i) If yes, What percentage of your inputs was sourced sustainability?</p> <p>Also provide details thereof in about 50 words or so</p>	<p>NA</p> <p>NA</p> <p>All are financial products aiming to teach the entire operational area.</p>
<p>4. Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work?</p> <p>If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?</p>	<p>Yes</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Preferably, the materials are sourced from nearby vendors to reduce the transportation cost and time lag.
<p>5. Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5%-10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.</p>	<p>Yes, at Corporate Office, Royapettah</p> <p><5%</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sewage Treatment Plant is provided at Corporate Office, Royapettah with an output of 17,000 liters / day.

Principle 3 : Business should promote the well-being of all employees.

<p>1. Please indicate the Total number of employees</p>	<p>18796(18691*)</p>
<p>2. Please indicate the Total number of employees hired on temporary/ contractual/ casual basis</p>	<p>20 (on contract basis)</p>
<p>3. Please indicate the number of permanent women employees</p>	<p>6509 (6442*)</p>
<p>4. Please indicate the permanent number of employees with permanent disabilities</p>	<p>372</p>
<p>5. Do you have an employee association that is recognized by the management</p>	<p>Yes</p>
<p>6. What is the percentage of your employees is members of this recognized employees association</p>	<p>Officers:87.38 % Award Staff: 74.08 %</p>

7. Please indicate the Number of complaints relating to child labor, forced labor, involuntary labor, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year	Complaints	Child labour	Forced labour	Involuntary labour	Sexual harassment	
	Number received	0	0	0	1	
	Number Pending	0	0	0	0	
8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?	Officers	85%	Clerks	77%	Substaff	30%

*-Domestic excluding part time sweepers

Principle 4 : Business should respect the interests of and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.

1. Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/ No	Yes <ul style="list-style-type: none"> Shareholders are classified into different categories viz. Government, Foreign Institutional Investors, Financial Institutions, Insurance Companies, Mutual Funds, Banks, Individuals etc
2. Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders	Yes <ul style="list-style-type: none"> Indian Bank has identified the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders which include Small and Marginal Farmers Tenant and Leased Farmers, landless Labourers and Rural Women. They are provided with special credit facilities like Kissan Credit Card, Agri. Jewel Loan, Self Help Groups, Joint Liability Group, Mudra loans etc.
3. Are there any special initiative taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	<ul style="list-style-type: none"> Indian Bank has taken steps to provide banking facilities to the financially excluded people under PMJDY Indian Bank has provided financial counseling to 5.12 lakh individuals up to March 2020 through 19 FLCs since inception. Indian Bank has established 12 RSETIs in the name of Indian Bank Self Employment Training Institutes (INDSETIs) and imparted self employment trainings to 67626 individuals through 2442 batches up to March 2020, cumulatively since inception.

Principle 5 : Businesses should respect and promote human rights

1. Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/ suppliers/ Contractors/NGOs/Others?	Yes <ul style="list-style-type: none"> Bank does not have a separate Human Rights Policy. However, these aspects are covered under Human Resources Policies and Practices of the Bank.
2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?	<p>No. of complaints pending at the beginning of the year – NIL</p> <p>No. of complaints received during the year – 27</p> <p>No. of complaints redressed during the year – 27</p> <p>No. of complaints pending at end of the year – NIL</p> <p>Percentage of complaints resolved – 100%</p>

Principle 6 : Business should respect, protect and make efforts to restore the environment.

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/ Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ others.	Yes
2. Does the Company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. if yes, please give hyperlink for webpage etc	<ul style="list-style-type: none"> ● Gardens / green spots are maintained at prime locations. ● Bank has planted tree saplings pan India to address the issue of greenery & global warming.
3. Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N	Yes
4. Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance is filed?	Given the nature of business, Bank does not have a Clean Development Mechanism.
5. Has the company undertaken any other initiative on – clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc	<p>YES PREMISES:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● As the part of the green initiatives, all payments to vendors, suppliers etc are made through electronic channels, viz., direct credit / NEFT / RTGS (only under exceptional circumstances, payment by way of cheque is made) ● Introduction of Solar Power and LED lights at Bank owned premises ● Bank owns 149 properties in India and 2 properties in Singapore. ● Bank has put in place uniform policies for Premises Expenditure , Purchases Contracts, Printing and Stationery, Air-Conditioning, Auto mobiles, Telephone / Cell Phone and has adopted the same at all branches / Zones <p>GREEN INITIATIVES:</p> <p>A. Solar Power and LED lighting</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Harnessing of Solar power to Corporate Office, this is already under Green Building (Gold Rating Status). By adopting alternatives sources of energy, as a public Sector Bank the Bank has joined hands with other entity to form Green India. ● Expanding the Solar Power Plant installation network in Bank's own building, wherever technically feasible, to reduce the annual overall expenditure on Energy consumption by about 4 to 5 percent. ● Adopting new technological products in the illumination systems by using LED lamps in the interior lighting systems ● New branches illuminated with LED lighting only. ● Lighting in existing branches being replaced in a phased manner. Presently 1050 branches / Offices are provided with LED lighting. <p>B. OTHER GREEN INITIATIVES</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Conduct of Energy Audits periodically for branches and offices. ● Provision of timers for auto cut off of Air Conditioners installed at branches and Offices, installations of harmonic filters and usage of Star rated electrical appliances have considerably reduced the consumption of electricity.
6. Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?	NA
7. Number of show cause/legal notices received from CPCB/SPCB which are pending(i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year	NIL

Principle 7 : Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with:	YES IBA, NIBM, IIBF, IBPS
2. Have you advocated /lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration. Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others).	The Bank from time to time has advocated the policies to policymakers and policy-making associations, for sustainable development of the banking industry.

Principle 8 : Businesses should support inclusive growth and equitable development

1. Does the company have specified programmes/initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle8? If yes details thereof	<p>Indian Bank has taken up capacity building initiatives through Financial Literacy Centres at Chittoor, Machilipatnam, (Andhra Pradesh), Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Salem, Thiruvannamalai, Tiruvallur, Vellore and Villupuram (Tamil Nadu), Kollam, Chadayamangalam and Parassala (Kerala), Puducherry (UT of Puducherry). Urban Financial Literacy Centres have been established in Chennai, Delhi and Mumbai for the benefit of migratory workers and slum dwellers as part of Bank's initiatives in financial inclusion. A total of 5.12 lakh individuals were provided financial counseling through these 19 FLCs.</p> <p>Indian Bank has established RSETIs in the name of Indian Bank Self Employment Training Institutes (INDSETIs) in twelve centres viz. Chittoor, Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Puducherry, Salem, Tiruvannamalai, Tiruvallur, Vellore and Villupuram. So far a total of 67626 candidates were given self employment training in 2442 Batches through these INDSETIs since inception. During 2019-20, 324 training programmes have been conducted and training imparted to 8714 candidates.</p> <p>Indian Bank is implementing Financial Inclusion Plan with a vision to provide basic banking facilities to the unbanked segments of the society across the country. Indian Bank has so far extended banking facilities to 2975 SSAs PAN India through various delivery channels. Basic Savings Bank Deposit Accounts/PMJDY accounts have been opened for 40.13 lakh customers in the villages covered under financial inclusion and Overdraft facilities to the extent of Rs.17.95 crore have also been extended to the account holders.</p>
2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/government structures/any other organization?	Bank has set up a Trust by name "Indian Bank Trust for Rural Development" (IBTRD) for imparting training to the poor and downtrodden people and conducts various training programmes.
3. Have you done any impact assessment of your initiative?	<p>Impact and effectiveness of INDSETIs is monitored based on the annual grading exercise undertaken by the monitoring cell for RSETIs for getting proper feedback and initiate steps for further strengthening of INDSETIs.</p> <p>During the year 2018-19, out of 12, eleven institutes have obtained AA grades, and one BB grade. The grading for 2019-20 is yet to be done</p>
4. What is your company's direct contribution to community development projects- Amount in INR and the details of the projects undertaken	During the year 2018-19, the Trust (IBTRD) has spent about an amount of ₹ 4.51 crore towards Community Development activities through INDSETIs and FLCs by way of capacity building initiatives.
5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.	Systematic follow-up and counseling services are being undertaken by our INDSETIs to facilitate the trained candidates to adopt self employment activities. Specific efforts are also made for credit linkage of the trainees with neighbouring bank branches to enable the candidates to stand on their own legs.

SUBSIDIARIES

- The Bank has two subsidiaries viz., Ind Bank Merchant Banking Services Ltd and Ind Bank Housing Ltd.

REGIONAL RURAL BANKS

- The Bank has three sponsored Regional Rural Banks viz, Saptagiri Grameena Bank headquartered at Chittoor (Andhra Pradesh), Tamil Nadu Grama Bank; headquartered at Salem (Tamil Nadu) and Pudukai Bharathiar Grama Bank headquartered at Puducherry (UT of Puducherry)
- The bank network of the three RRBs increased by 344 Branches during the year from 554 as of March 2019 to 898 Branches as of March 2020. As per the road map for amalgamation announced by GOI on 07.06.2018, Indian Bank was given the Sponsor Bank responsibility for the amalgamated entity in the State of Tamil Nadu. Accordingly Pandian Grama Bank (sponsored by IOB) and Pallavan Grama Bank (sponsored by Indian Bank) were amalgamated (339 Branches of Erstwhile Pandian Grama Bank and 291 Erstwhile Pallavan Grama Bank Branches) into a single entity (GoI Gazette notification dated 28.01.2019) viz., Tamil Nadu Grama Bank, with Indian Bank as Sponsor Bank, w.e.f. 01.04.2019.

- The total business of the three RRBs was 38943.27 crores as of March 2020 as compared to Rs.23161.35 Crs as of March 2019
- Saptagiri Grameena Bank has 223 Branches with Total Business of Rs.12682.22 Crores. (Deposits Rs.6523.46 crore and Advances Rs.6158.76 crore)
- Tamil Nadu Grama Bank has 632 Branches with Total Business of Rs.24774.08 Crores. (Deposits Rs.12463.38 crore and Advances Rs.12310.70 crore)
- Pudukai Bharathiar Grama Bank has 43 Branches with Total Business of Rs.1486.97 Crores. (Deposits Rs.804.13 crore and Advances Rs.682.84 crore)
- TNGB is having CRAR of 14.36, SGB is having CRAR of 14.07 and PBGB is having CRAR of 12.10
- All the three RRBs are profit making RRBs.
- RRBs are actively participating in PMJDY, PMJJBY, PMSBY and APY programmes of Govt of India. The three RRBs are covering 1210 SSA villages under PMJDY and have opened 14.33 lakh accounts under the scheme. The RRBs have also covered 1.50 lakh beneficiaries under PMSBY, 0.77 lakh beneficiaries under PMJJBY and 40594 under APY Scheme

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner

1. What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year	3.73%
2. Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No./N.A/ Remarks (additional information)	NA
3. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about words or so	No shareholder has filed any suit against the bank during the year
4. Did your company carry out any consumer survey/consumer satisfaction trends?	Yes

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE 2019-20

1. Bank's Philosophy on Corporate Governance

Corporate Governance is by itself a process by which the entities are controlled and guided to enhance their wealth generating capacity in an ethical manner. It acts as a catalyst between Management, Board, shareholders and other stakeholders to achieve the set goals of the organization while abiding the law of the land in conducting its day to day business in a most efficient, transparent and ethical way with an ultimate objective of maximizing shareholders' wealth on a sustainable basis besides monitoring the performance. It is the evolution of a system by which the values, principles, policies and procedures are ingrained and manifested in the system in the most effective way.

In the pursuit of excellence, the Bank endeavors highest standard of Corporate Governance and committed to its responsibilities which is based on total commitment to ethical practices in the conduct of business while striving hard to enhance all stakeholders' value by mutual dialogue, respect, clear goals and decisive leadership. The Bank considers itself as a trustee of all the stakeholders and acknowledges its responsibility towards them by creating and safeguarding their wealth, attained through sound corporate strategies, proactive business plans, policies and procedures to satisfy the ethical and legal responsibilities. Bank's corporate governance principles are firmly rooted for generating profitable growth with high level degree of disclosure policies adhering to the governance standards.

2. Composition of Board of Directors

The Board of Directors comprises of three Whole Time Directors and six Non Executive / Independent Directors.

Particulars of Board of Directors as on 31st March 2020 are as under:

No.	Name of Director	Designation	Nature of Directorship	Details of Directorship in other listed entities other than Indian Bank	Date of Appointment
1.	Ms Padmaja Chunduru	MD & CEO	Executive		19.09.2018
2.	Shri M K Bhattacharya	Executive Director	Executive		16.02.2017
3.	Shri V V Shenoy	Executive Director	Executive	Nominee Director in 1. Indbank Merchant Banking Services Ltd and 2. Ind Bank Housing Ltd	20.09.2018
4.	Shri Sanjeev Kaushik	Govt. Nominee Director	Non-Executive		24.01.2020
5.	Shri S K Panigrahy	RBI Nominee Director	Non-Executive		26.04.2019
6.	Shri Salil Kumar Jha	Part-Time Non-Official Director	Non-Executive		27.12.2017
7.	Shri Padmanaban Vittal Dass	Part-Time Non-Official Director	Non-Executive		21.10.2019
8.	Shri Vinod Kumar Nagar	Shareholder Director	Non-Executive	Non-Executive Independent Director in Rico Auto Industries Ltd and Member in Audit Committee	01.07.2017
9.	Dr. Bharath Krishna Sankar	Shareholder Director	Non-Executive		21.12.2017

All the Directors have been appointed/nominated by the Govt. of India (GOI) except Shareholder Directors.

Shri J K Dash was RBI Nominee Director of the Bank upto 25.04.2019. Shri S K Panigrahy was nominated as RBI Nominee Director in place of Shri J K Dash vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification F No.6/3/2011-BO.I dated 26.04.2019.

Shri Vijay Kumar Goel, Part time Non Official Director under Chartered Accountant Category was Director of the Bank till 25.07.2019.

Shri Amit Agrawal was Government Nominee Director of the Bank upto 24.01.2020. Shri Sanjeev Kaushik was nominated as Govt Nominee Director in place of Shri Amit Agrawal vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification F No.6/3/2012-BO.I (Vol II) dated 24.01.2020.

The 3 year term of Shri Padmanaban Vittal Dass, Part-Time Non-Official Director of the Bank ended on 24.04.2019. He was re-nominated as Part time Non-Official Director of the Bank for a period of one year or until the amalgamation of the Bank i.e. 31.03.2020, or until further orders, whichever is earliest, vide Gol notification F.No.6/1/2018-BO.I (Vol III) dated 21.10.2019. His term ended on 31.03.2020.

The term of Shri M K Bhattacharya, Executive Director was extended for a period beyond 17.02.2020 till the date of his superannuation, i.e. 30.11.2020, or until further orders, whichever is earlier vide Gol notification F.No.4/5/2016-BO.I dated 18.02.2020.

List of Core Skills / Experience / Competencies identified by the Board:

The directors of the Bank have the following core skills / experience/ competencies for the Bank to function effectively;

Accountancy & Audit	Banking	Finance
Risk Management	Human Resources	Treasury & International Operations
Credit Management	Information Technology	Economics

Confirmation with respect to independent directors:

The Directors nominated by the Government of India and the Shareholder Directors have confirmed that they meet the criteria of independence laid down under the Listing Regulations and they are independent of management.

The Board also confirms that the independent directors of the Bank fulfills the conditions specified in the Listing Regulations and are independent of the management.

A certificate has been received from Mr V Suresh, (FCS No.2969 & CP No.6032) Practising Company Secretary that none of the Directors on Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of Bank by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs or any such Statutory Authority.

Resignation of independent directors:

During the year 2019-20, no independent director has resigned before the expiry of his tenure.

Profile of Directors:

Ms Padmaja Chunduru, aged 58 years assumed charge as Managing Director & CEO of Indian Bank on 21st September 2018. Prior to this, she was Deputy Managing Director (DMD)(Global Markets), State Bank of India, Corporate Center, Mumbai. A Post Graduate in Commerce from Andhra University and CAIIB, Ms Padmaja Chunduru joined SBI in 1984 as a Probationary Officer. In a career spanning more than 3 decades, with postings in India and USA, she gained rich experience in Corporate Lending, Credit management, Retail operations, Digital Banking, Treasury and International operations. As DMD, Ms Padmaja Chunduru headed the Global Markets and Digital Banking verticals in SBI. Prior to assuming the role of DMD, she was the Country Head of the Bank in USA between September 2014 and August 2017. During this tenure, she handled the responsibilities of designing and overseeing strategic planning, business activity, risk management and compliance in the US Offices of SBI in New York, Chicago and Los Angeles. She was instrumental in driving local US business through both syndicated and bilateral loans to US Corporates. She maintained good relationship with FRB, FDIC and State Regulators. Mrs Padmaja Chunduru was also Vice-Chair of Board of Directors and Chair of EC of SBI (California), a US-based subsidiary bank of SBI. She headed the combined US Ops Risk Committee constituted under Dodd Frank Act. She was on the Banking committee of USIBC and a member of the Board of Trustees of the International Bankers Association New York, Asia Society New York and the Pacific Rim Bankers Group, San Francisco. Earlier, Ms Padmaja Chunduru was General Manager of

Corporate Accounts Group in SBI between October 2012 and August 2014, when she established the CAG-BKC office of SBI. She played a key role in establishing and managing relationships with large India conglomerates. She was responsible for the underwriting of new loans, maintenance of asset quality and compliance with regulatory guidelines. Prior to this, she was DGM, Mid-Corporate Group from October 2008 till September 2012 and headed the Diamond branch and later, the Commercial branch in Mumbai. In her first overseas stint, Ms Padmaja Chunduru joined SBI Los Angeles Agency, in USA, in September 2001 as Vice President (Credit & Operations) and completed the assignment in February 2006 as its CEO. During this tenure, she led the business growth, management and operations of the federally regulated Agency in California. She holds 5000 equity share of the bank.

Shri M K Bhattacharya aged 59 years, was appointed as the Executive Director of Indian Bank on February 16, 2017 for a period of 3 years. His term as Executive Director of Indian bank has been extended by Govt of India upto 30.11.2020. He holds M.Com and CAIIB. He is an Associate Member of Institute of Cost & Works Accountant (AICWA).

He joined State Bank Group as Probationary Officer in 1985 and was posted to State Bank of Mysore and had a stint there at various levels up to Assistant General Manager. He was promoted to DGM Cadre in 2010 and moved to State Bank of Hyderabad. On promotion to GM Cadre in 2013, he moved to State Bank of Travancore (SBT) and held various assignments and got promoted to Chief General Manager in 2016. During

his stay at State Bank group, he headed the branches at various scales and is having wide experience as Branch Head (22 years), Regional Head (1 year) and Module Head (3 years) spanning across India. While serving in SBT, he had also played role as Chief Risk Officer of the Bank and engaged in other assignments viz., General Manager Business Strategy, Retail Banking, NRI Banking, Controlling foreign offices of the Bank. He holds 3000 equity share of the bank.

Shri V V Shenoy aged 58 years assumed charge as Executive Director of the Bank on 01.12.2018. He is a Commerce Graduate from Mumbai University. He joined as Probationary Officer in Union Bank of India on 17th January, 1985. He is an Associate Member of Indian Institute of Bankers and successfully underwent one year Management Education Programme conducted internally by the Union Bank of India and is a career banker for over 35 years. He had worked in Branches in Rural, Semi Urban, Urban and Metro centres as well as Administrative Offices in different geographies as Branch, Saral, Regional and Vertical Head. He worked in different verticals like Credit, Vigilance, Transaction Banking, Credit Policy and MSME, Large Corporate as well as Chairman's Secretariat. He was a Core member in Verticalisation and Centralisation of Credit functions. He was also a Nominee Director on the Board of Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India. He holds 5000 equity share of the bank.

Shri Sanjeev Kaushik, aged 51 years was nominated as Govt of India Nominee Director of the Bank from 24.01.2020. He completed MBA from London Business School and a Mechanical Engineer from BITS Pilani. He is currently posted as Additional Secretary, Dept. of Financial Services, Ministry of Finance, New Delhi. Prior to this, he was Principal Secretary, Finance of Kerala State, where he was also concurrently serving as full-time Chairman & MD of Kerala Financial Corporation & Dy. CEO of Kerala Infrastructure Investment Fund In the year 2018, he was appointed Whole Time Member of SEBI on the strength of more than 27 years of experience in the financial sector – both in Indian Public Financial Institutions as well as in Global Capital Markets. He recently led Kerala to become the first State to issue a Masala Bond listed on LSE and SGX. From 2015-18, he was CMD of the India Infrastructure Finance Company, New Delhi and was also CEO of Industrial Finance Co. of India, having joined these institutions after a stint at the Ministry of Finance as Director for Capital Markets in the Department of Economic Affairs from 2011-15 He has had a rich stint of 12 years in global investment banking as Managing Director of Equities at HSBC and as MD of Lehman Brothers in Mumbai. Prior to that, he worked in Capital Markets at Bank of America Securities in London after completing his MBA in 1999. He has been Chairman of the Stockholding Corporation of India, Chairman of the Infrastructure Company of India UK Ltd in London, Governor on the Board of MDI, Gurgaon and Chairman of Infrastructure Asset Mgt Co. Ltd. amongst various Board positions held by him In the State of Kerala, Shri Sanjeev Kaushik has earlier served in various capacities such as Secretary for Ports and CEO of the Vizhinjam Intl' Port, where he was responsible for setting up an international seaport. He was District Collector of Palakkad and also Founding Director, who established the national business school, IIM Kozhikode. He does not hold any share of the bank.

Shri S. K. Panigrahy, aged 56 years was nominated as RBI Nominee Director of the Bank from 26.04.2019. He joined RBI in January 1989 and has served for more than 30 years in different capacities in Kolkata, Kanpur and Mumbai (Central Office). He has also served on a foreign deputation in Central Bank of Oman, (in Muscat, Sultanate of Oman) in a senior position during 2006 to 2010, handling banking policy and supervision. He holds a Master's Degree in Physics and a PG Diploma in Management (Finance). He is also a Certified Associate of the Indian Institute of Banking & Finance (CAIIB). In his RBI career, Shri S. K. Panigrahy has long experience in bank and NBFC supervision areas with interests in data analytics and risk management with major part of posting in Central Office of Department of Banking Supervision. Currently, Shri S. K. Panigrahy is posted at RBI, Ahmedabad as Regional Director for the State of Gujarat and UTs of Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli. He does not hold any share of the bank.

Shri Salil Kumar Jha, aged 66 years, was nominated as Part-time Non-official Director on the bank of the Bank by Government of India with effect from December 27, 2017. He is a Mechanical Engineer (Topper & gold Medalist) from NIT Jamshedpur and completed his MBA from FMS, Delhi. He is the former Managing Director of Hindustan Aeronautics Ltd., a Navratna PSU & biggest Defence Company of India. He was also a part time Chairman / Director of Five Joint Ventures of HAL. Prior to joining HAL, he also worked with Engineers India Ltd., & NTPC. He was instrumental in setting up a state of art Strategic Electronic Factory at Kasargod, Kerala. He formed strategic ties with global defence players to bring in latest cutting edge technologies to India. R&D centres under him developed a number of new systems and filed record number of patents. New Markets were also explored during his tenure. His policies like migrating from in-house manufacturing to outsourcing and moving from Transfer of Technology to risk sharing partnerships increased the general productivity and profitability of the organization. Divisions under him received the Raksha Mantri Award for best performing division among all PSUs & Ordnance Factories under Ministry of Defence twice. He does not hold any share of the bank.

Shri Padmanaban Vittal Dass, aged 70 years, was renominated as a Part-time Non-official Director on the Board of the Bank by Government of India for a period of one year or until the amalgamation of the Bank i.e. 31.03.2020 or until further orders, whichever is earliest, vide Gol Notification dated 21.10.2019. He was Part-time Non-official Director of the Bank from 25.04.2016 to 24.04.2019. Born at Kumbakonam, Tamil Nadu, on 2nd May 1950, he had his initial education at Kumbakonam and Thiruvaidaimarudur and pursued UG and Post Graduation in Economics at St Joseph's College, Trichy (Madras University). He did LL.B from Gujarat University later on, while in Indian Revenue Service (IRS). He joined IRS (Customs and Central Excise) in 1974 as Assistant Collector. He was in the services of Government of India between July 22, 1974 and May 31, 2010. At the time of retirement in 2010, he was a Member (Personnel and Vigilance), Central Board of Excise and Customs /Special Secretary, Ministry of Finance, Govt of India. While in service, he had worked in different parts of the country in Customs, Central Excise, Service Tax, in various wings like, Anti Smuggling Intelligence, Investigation

Administration and Vigilance in the field offices as well as in the Head Quarters offices. He received The President of India Award for Specially Distinguished Record of Service, on the Republic Day of 1991. He has visited various Customs formations abroad for familiarisation on Anti Smuggling Risk management, etc. From 2011 to 2016, he was an interview panel member with the UPSC for the Civil Services and also with the Staff Selection Commission. He is also an Advocate of the Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry. Currently he is functioning as Independent External Monitor for Chennai Petroleum Corporation and Unique Identification Authority of India (UIDAI). He does not hold any share of the bank.

Shri Vinod Kumar Nagar, aged 68 years, was re-elected as a Shareholder Director of Indian Bank for a period of 3 years from July 01, 2017. He is a retired Executive Director of Syndicate Bank. He is a B. TEXT, Post Graduate Diploma holder in Marketing and Sales Management and also MBA. He was a career banker with more than 25 years banking experience. Prior to joining Syndicate Bank, he worked in Punjab National Bank as Chief General Manager, New Delhi. He had worked continuously in No.1 position as Regional Manager, RRB Chairman and as Zonal Manager for several years. He was the member of all important committees of the Punjab National Bank such as Credit Committee, Investment Committee, Human Resources Management Committee and Steering Committee for CBS implementation and Apex level compromise committee. Consolidation of RRBs in various states took place under his supervision. He was also a member of various important committees such as Sub-Committee on Financial Inclusion in IBA, Thorat Committee on RRB's functioning, RBI empowered Committee on SME for Punjab State, Apex Committee formed by Ministry of Finance to review the efficacy of revised procedure in Non-Civil Ministries/Departments, Standing Committee formed by

Ministry of Finance to review the handling of Government Transactions by banks accredited to Civil Ministries / Departments, etc. His tenure has ended on 30.06.2020. He holds 107 equity shares of the bank.

Dr Bharath Krishna Sankar, aged 55 years, was elected as a Shareholder Director of Indian Bank for a period of 3 years from December 21, 2017. He is a Post Graduate in Commerce, a national gold medalist (topper in both Inter and Final) in Chartered Accountancy and an Associate of the Institute of Cost and Management Accountants of India. His doctoral thesis is on "Determinants of entrepreneurship and its impact on MSME sector sustainability in Madurai District". He has rich experience in Business Management, Finance, HR & Training. He holds 200 equity shares of the bank.

Shri K. Ramachandran, aged 58 years, had assumed office as Executive Director of Indian Bank on 1st April, 2020, subsequent to Amalgamation of Allahabad Bank into Indian Bank. He has taken charge as Executive Director of Allahabad Bank with effect from 26th December 2018. He is a Post Graduate in Science with Post Graduate Diploma in Computer Application. He joined Corporation Bank as Probationary Officer in May 1985 and had worked in Branches, Corporate Office and other Controlling Offices. He was part of the core team involved in the design, development and implementation of the total Branch Automation, Internet Banking and Mobile Banking application of Corporation Bank. As Asst. General Manager, Priority Sector he had implemented the voice enabled Point of Transaction, Hand Held Terminals used by Business Correspondents. Shri Ramachandran held independent charge of Alternate Channels, Credit Monitoring verticals and had headed Thane Zone of Corporation Bank. On elevation to General Manager Cadre, he was heading Chennai Circle of Corporation Bank from April 2016. He does not hold any share of the bank.

Details of Attendance of the Directors at the Board Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Ms Padmaja Chunduru	01.04.2019 – 31.03.2020	17	16
2.	Shri M K Bhattacharya	01.04.2019 – 31.03.2020	17	16
3.	Shri V V Shenoy	01.04.2019 – 31.03.2020	17	17
4.	Shri Amit Agrawal	01.04.2019 – 24.01.2020	10	3
5.	Shri Sanjeev Kaushik	24.01.2020 – 31.03.2020	7	4
6.	Shri J K Dash	01.04.2019 – 25.04.2019	Nil	Nil
7.	Shri S K Panigrahy	26.04.2019 – 31.03.2020	17	14
8.	Shri Vijay Kumar Goel	01.04.2019 – 25.07.2019	2	2
9.	Shri Padmanaban Vittal Dass	01.04.2019 – 24.04.2019 21.10.2019 – 31.03.2020	Nil 11	Nil 11
10.	Shri Sail Kumar Jha	01.04.2019 – 31.03.2020	17	15
11.	Shri Vinod Kumar Nagar	01.04.2019 – 31.03.2020	17	17
12.	Dr. Bharath Krishna Sankar	01.04.2019 – 31.03.2020	17	16

There is no inter se relationship between the directors of the Bank.

The details of familiarization programmes imparted to independent directors are disclosed in Banks website at the link-
<https://www.indian-bank.com/wp-content/uploads/2018/04/Merged-Familiarisation-programs.pdf>.

Board Meetings: During the financial year 2019-20, seventeen (17) Board Meetings were held vis-à-vis the statutory stipulation of minimum of six (6) meetings in a year under the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as detailed below;

14/05/2019	28/06/2019	05/08/2019	30/08/2019	30/08/2019*	18/09/2019
23/10/2019	27/11/2019	23/12/2019	24/01/2020	14/02/2020*	14/02/2020
28/02/2020	05/03/2020	12/03/2020	17/03/2020	27/03/2020	

* Sequestered Board Meeting on Customer Service.

3. Committees of the Board

The Board has constituted the following committees which provide specific and focused governance in important functional areas and to oversee the affairs of the Bank

Sl. No.	Name of the Committee
1.	Management Committee
2.	Audit Committee of the Board
3.	Risk Management Committee
4.	IT Strategy Committee
5.	Customer Service Committee
6.	Committee of Directors (Vigilance)
7.	Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds)
8.	Share Transfer Committee
9.	Stakeholders Relationship Committee
10.	H R Committee
11.	Committee for monitoring of Recovery
12.	Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases
13.	Review Committee for Wilful Defaulters
14.	Review Committee for Non Co-operative Borrowers
15.	Credit Approval Committee
16.	Expenditure Approval Committee
17.	Nomination and Remuneration Committee
18.	Board Committee for Performance Evaluation

1) Management Committee:

The Management Committee was constituted on September 8, 1990 and exercises such powers of the Board, as may be delegated to it by the Board with the approval of the Central Government after consultation with Reserve Bank of India. The Management Committee may exercise all the powers vested in the Board in respect of:

- Sanctioning of credit proposals (funded and non-funded);
- Loans compromise/write-off proposals;
- Proposals for approval of capital and revenue expenditure;
- Proposals relating to acquisition and hiring of premises including deviation from norms for acquisition and hiring of premises;
- Filing of suits/appeals, defending them etc.;
- Investments in Government and other approved securities, shares and debentures of companies including underwriting;
- Donations and
- Any other matter referred to the Management Committee by the Board

Details of Attendance of the Directors at the Management Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Ms Padmaja Chunduru - Chairperson	01.04.2019 – 31.03.2020	17	16
2.	Shri M K Bhattacharya	01.04.2019 – 31.03.2020	17	15
3.	Shri V V Shenoy	01.04.2019 – 31.03.2020	17	17
4.	Shri J K Dash	01.04.2019 – 25.04.2019	0	0
5.	Shri S K Panigrahy	26.04.2019 – 31.03.2020	17	15
6.	Shri Padmanaban Vittal Dass	01.04.2019 – 24.04.2019 01.11.2019 – 31.03.2020	0 9	0 9
7.	Shri Vinod Kumar Nagar	01.04.2019 – 07.07.2019	2	2
8.	Shri Salil Kumar Jha	08.07.2019 – 31.03.2020	15	13

2) Audit Committee:

The Audit Committee was constituted on October 13, 1995 and its terms of reference include the following:

- Provide direction as also oversee the total audit function of the Bank which impact the organization, operationalisation and quality control of internal audit and inspection in the Bank and follow-up on the statutory/external audit of the Bank and inspections of the Reserve Bank of India.
- Review the internal inspection/audit function in the Bank, with specific focus on the follow-up on inter-branch adjustment accounts, unreconciled long outstanding entries in Inter-Bank accounts and nostro accounts, arrears in balancing of books at various branches, frauds and house-keeping.
- Review quarterly reports from the Compliance officers appointed in the Bank
- Follow-up on all the issues raised in the Long form Audit Report and interact with the external auditors before the finalization of the annual/semi-annual financial accounts and reports.
- Regular review of accounts, accounting policies, disclosures.
- Review of the major accounting entries based on exercise of judgment by management and review of significant adjustments arising out of audit.
- Qualifications in the draft audit report.
- Establishing and reviewing the scope of the independent audit including the observations of the auditors and review of the quarterly, half-yearly and annual financial statements before submission to the Board.
- Post audit discussions with the auditors to ascertain any area of concern.
- Establishing the scope and frequency of internal audit, reviewing the findings of the internal auditors and ensuring the adequacy of internal control systems.
- Compliance with Accounting Standards and Accounting Policies of the Bank.
- Compliance with stock exchange requirements concerning financial statements, to the extent applicable.
- Oversee related party transactions i.e., transactions of the Bank of material nature, with promoters or management, their subsidiaries or relatives etc., that may have potential conflict with the interests of the Bank at large and
- Such other matters as may from time to time be required by any statutory, contractual or other regulatory requirements

Details of Attendance of the Directors at the Audit Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Dr Bharath Krishna Sankar – Chairman	01.04.2019 – 31.03.2020	13	13
2.	Shri V V Shenoy	01.04.2019 – 31.03.2020	13	13
3.	Shri M K Bhattacharya (Invitee)	01.04.2019 – 31.03.2020	13	11
4.	Shri Amit Agrawal	01.04.2019 – 24.01.2020	9	1
5.	Shri Sanjeev Kaushik	24.01.2020 – 31.03.2020	4	3
6.	Shri J K Dash	01.04.2019 – 25.04.2019	0	0
7.	Shri S K Panigrahy	26.04.2019 – 31.03.2020	13	10
8.	Shri Salil Kumar Jha	01.04.2019 – 07.07.2019	2	2
9.	Shri Vinod Kumar Nagar	08.07.2019 – 31.03.2020	11	10

3) Risk Management Committee:

Risk Management Committee was constituted on January 18, 2003. The functions of the Risk Management Committee include the following:

- To devise the policy and strategy for integrated risk management containing various risk exposures of the Bank including the Credit Risk.
- To co-ordinate between the Credit Risk Management Committee (CRMC), the asset Liability Management Committee (ALMC) and Operational Risk Management Committee (ORMC) and other risk committees of the Bank.
- The responsibility of the Committee include:
 - Setting policies and guidelines for market risk measurement, management and reporting
 - Ensuring that market risk management processes (including people, systems, operations, limits and controls) satisfy Bank's policy
 - Reviewing and approving market risk limits, including triggers or stop-losses for traded and accrual portfolios.
 - Appointment of qualified and competent staff, ensuring posting of qualified and competent staff and of independent market risk manager/s etc.

Details of Attendance of the Directors at the Risk Management Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Ms Padmaja Chunduru – Chairperson	01.04.2019 – 31.03.2020	8	7
2.	Shri M K Bhattacharya	01.04.2019 – 31.03.2020	8	8
3.	Shri V V Shenoy	01.04.2019 – 31.03.2020	8	7
4.	Shri Vijay Kumar Goel	01.04.2019 – 25.07.2019	1	1
5.	Shri Vinod Kumar Nagar	01.04.2019 – 31.03.2020	8	8
6.	Shri Padmanaban Vittal Dass	01.11.2019 – 31.03.2020	6	6

4) IT Strategy Committee:

- IT Strategy Committee has been set up to look into the technological upgradation requirements of the Bank and recommend a strategic plan with clearly defined milestones.

Details of Attendance of the Directors at the IT Strategy Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Ms Padmaja Chunduru	01.04.2019 – 31.03.2020	6	5
2.	Shri M K Bhattacharya	01.04.2019 – 31.03.2020	6	6
3.	Shri V V Shenoy	01.04.2019 – 31.03.2020	6	6
4.	Shri Amit Agrawal	01.04.2019 – 24.01.2020	4	0
5.	Shri Sanjeev Kaushik	24.01.2020 – 31.03.2020	2	2
6.	Dr. Bharath Krishna Sankar	01.04.2019 – 31.03.2020	6	5
7.	Shri Salil Kumar Jha – Chairman	01.04.2019 – 31.03.2020	6	5

5) Customer Service Committee:

The Customer Service Committee was constituted on August 24, 2004. The functions of the Customer Service Committee include the following:

- To look into the simplification of procedures and practices with a view to safeguarding the interest of common persons
- To review the systems in place for providing service to the customers and
- To review the regulations and procedures prescribed by Reserve Bank of India that have an effect impinge on customer service of banks.

Details of Attendance of the Directors at the Customer Service Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Ms Padmaja Chunduru – Chairperson	01.04.2019 – 31.03.2020	4	3
2.	Shri M K Bhattacharya	01.04.2019 – 31.03.2020	4	4
3.	Shri V V Shenoy	01.04.2019 – 31.03.2020	4	3
4.	Shri Vijay Kumar Goel	01.04.2019 – 25.07.2019	1	1
5.	Shri Vinod Kumar Nagar	01.04.2019 – 31.03.2020	4	4
6.	Shri Salil Kumar Jha	01.04.2019 – 31.03.2020	4	4
7.	Shri Padmanaban Vittal Dass	01.11.2019 – 31.03.2020	2	2

6) Committee of Directors (Vigilance):

The Vigilance Committee was constituted on January 12, 1991. The Vigilance Committee meets once in a quarter to review any outstanding disciplinary cases and departmental enquiries.

Details of Attendance of the Directors at the Vigilance Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Ms Padmaja Chunduru – Chairperson	01.04.2019 – 31.03.2020	4	4
2.	Shri M K Bhattacharya	01.04.2019 – 31.03.2020	4	4
3.	Shri V V Shenoy	01.04.2019 – 31.03.2020	4	4
4.	Shri Amit Agrawal	01.04.2019 – 24.01.2020	3	0
5.	Shri Sanjeev Kaushik	24.01.2020 – 31.03.2020	1	0
6.	Shri J K Dash	01.04.2019 – 25.04.2019	0	0
7.	Shri S K Panigrahy	26.04.2019 – 31.03.2020	4	4

7) Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds):

The Committee was constituted on January 31, 2004 for monitoring frauds of ₹1 crore and above.

Details of Attendance of the Directors at the Special Committee Meetings (Monitoring of Large Value Frauds)

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Ms Padmaja Chunduru – Chairperson	01.04.2019 – 31.03.2020	3	3
2.	Shri M K Bhattacharya	01.04.2019 – 31.03.2020	3	3
3.	Shri V V Shenoy	01.04.2019 – 31.03.2020	3	3
4.	Shri Vijay Kumar Goel	01.04.2019 – 25.07.2019	1	1
5.	Shri Salil Kumar Jha	01.04.2019 – 31.03.2020	3	2
6.	Shri Vinod Kumar Nagar	08.07.2019 – 31.03.2020	2	2
7.	Shri Padmanaban Vittal Dass	01.11.2019 – 31.03.2020	1	1

8) Share Transfer Committee:

Pursuant to Regulation No.2A of Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, the Share Transfer Committee of the Bank was constituted on March 13, 2007.

Details of Attendance of the Directors at the Share Transfer Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Shri V V Shenoy - Chairman	01.04.2019 – 31.03.2020	1	1
2.	Shri M K Bhattacharya	01.04.2019 – 31.03.2020	1	1
3.	Shri Vinod Kumar Nagar	01.04.2019 – 31.03.2020	1	1
4.	Dr. Bharath Krishna Sankar	01.04.2019 – 31.03.2020	1	1

9) Stakeholders Relationship Committee:

In accordance with SEBI (LODR) Regulation, the Committee was constituted with effect from November 23, 2006 to carry out such functions that are required for the redressal of Shareholders' and investors' complaints, including but not limited to transfer of shares, non-receipt of dividends, Annual Report and any other grievance that a shareholder or investor of the Bank may have against the Bank.

Details of Attendance of the Directors at the Stakeholders Relationship Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1	Shri Vinod Kumar Nagar - Chairman	01.04.2019 – 31.03.2020	3	3
2	Shri M K Bhattacharya	01.04.2019 – 31.03.2020	3	3
3.	Shri V V Shenoy	01.04.2019 – 31.03.2020	3	3
4.	Shri Vijay Kumar Goel	01.04.2019 – 25.07.2019	0	0
5.	Shri Padmanaban Vittal Dass	01.11.2019 – 31.03.2020	2	2

10)HR Committee :

HR Committee of the Board was constituted on June 29, 2012 to discuss and decide upon critical issues in HR every quarter.

Details of Attendance of the Directors at the HR Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Ms Padmaja Chunduru – Chairperson	01.04.2019 – 31.03.2020	6	6
2.	Shri M K Bhattacharya	01.04.2019 – 31.03.2020	6	6
3.	Shri V V Shenoy	01.04.2019 – 31.03.2020	6	6
4.	Shri Amit Agrawal	01.04.2019 – 24.01.2020	5	0
5.	Shri Sanjeev Kaushik	24.01.2020 – 31.03.2020	1	0
6.	Shri Padmanaban Vittal Dass	01.04.2019 – 24.04.2019	0	0
7.	Dr. Bharath Krishna Sankar	01.04.2019 – 31.03.2020	6	6
8.	Shri Salil Kumar Jha	01.04.2019 – 31.03.2020	6	4

11) Committee for Monitoring of Recovery

The Committee for Monitoring of Recovery was constituted on 18.12.2012 by the Bank for the purpose of monitoring the progress made by the Bank in NPA recovery and to review the functioning of various Committees such as SAC, Assets Sale Committee and other field level functionaries in the Bank.

Details of Attendance of the Directors at the Committee for Monitoring of Recovery Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Ms Padmaja Chunduru – Chairperson	01.04.2019 – 31.03.2020	4	3
2.	Shri M K Bhattacharya	01.04.2019 – 31.03.2020	4	4
3.	Shri V V Shenoy	01.04.2019 – 31.03.2020	4	4
4.	Shri Amit Agrawal	01.04.2019 – 24.01.2020	3	0
5.	Shri Sanjeev Kaushik	24.01.2020 – 31.03.2020	1	1
6.	Shri Padmanaban Vittal Dass	01.04.2019 – 24.04.2019	0	0
		01.11.2019 – 31.03.2020	2	2
7.	Shri Vijay Kumar Goel	01.04.2019 – 25.07.2019	1	1
8.	Shri Salil Kumar Jha	01.04.2019 – 31.03.2020	4	4

12) Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases :

The Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases was constituted on 15.12.2014 one level above the authority of Chairman & Managing Director of the Bank whose decision is appealed against. Members of the Committee are:

1. Shri Vinod Kumar Nagar
2. Dr Bharath Krishna Sankar
3. Shri Salil Kumar Jha

There was no meeting of the Committee held during 2019-20.

13) Review Committee for Wilful Defaulters :

The Review Committee for Wilful Defaulters was constituted on 23.01.2015. The committee will review the orders of the Screening Committee identifying borrowers as wilful defaulters.

Details of Attendance of the Directors at the Review Committee for Wilful Defaulters Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Ms Padmaja Chunduru – Chairperson	01.04.2019 – 31.03.2020	1	1
2.	Shri Vijay Kumar Goel	01.04.2019 – 25.07.2019	0	0
3.	Shri Vinod Kumar Nagar	18.09.2019 – 31.03.2020	1	1
4.	Shri Salil Kumar Jha	18.09.2019 – 31.03.2020	1	1

14) Review Committee for Non Co-operative Borrowers :

The Review Committee for Non-Cooperative Borrowers was constituted on 23.01.2015 to review / confirm the orders of the Screening Committee for Non-Cooperative Borrowers classifying the borrower as Non-Cooperative Borrower as per RBI guidelines. The following are the members of the Committee.

Details of Attendance of the Directors at the Review Committee for Non co-operative Borrowers

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Ms Padmaja Chunduru – Chairperson	01.04.2019 – 31.03.2020	1	1
2.	Shri Vijay Kumar Goel	01.04.2019 – 25.07.2019	0	0
3.	Shri Vinod Kumar Nagar	01.04.2019 – 31.03.2020	1	1
4.	Shri Salil Kumar Jha	18.09.2019 – 31.03.2020	1	1

15) Credit Approval Committee of the Board :

The Credit Approval Committee was constituted on 04.04.2012 by the Bank as per the Government of India Notification S.O.2736(E) dated 05.12.2011 to be a sanctioning body below MCB to exercise such powers delegated to it by Board with regard to credit proposals / compromise proposals / write off proposals within the framework spelt out by Government of India. The Committee consists of the following Members :

- (1) Managing Director & Chief Executive Officer
- (2) Executive Directors
- (3) The General Manager or Department Head, in charge of Credit*
- (4) The General Manager or Department Head in charge of Treasury and Investment
- (5) General Manager or Department Head, as the case may be, in charge of Finance / Accounts
- (6) CRO and CCO are attendees.

*As different General Managers / Department Heads are dealing with Credit Proposals, the General Manager / Department Head concerned shall be a member of the Committee for the respective proposal.

The Credit Approval Committee of the Board met 15 times during the year 2019-20.

16) Expenditure Approval Committee :

The Expenditure Approval Committee was formed to get the benefits of Committee approach with the following members.

- (1) Managing Director & Chief Executive Officer.
- (2) Executive Directors
- (3) General Managers in charge of Treasury / Expenditure / HRM / TMD
- (4) General Manager / Department Head (proposing the expenditure)
- (5) Chief Compliance Officer

The Expenditure Approval Committee met 13 times during the year 2019-20. The committee was merged with in Credit Approval Committee vide approval dated 7.4.2020.

17) Nomination and Remuneration Committee

Nomination and Remuneration Committee was constituted in the Bank on 27.11.2019 for determining the 'Fit and Proper' status of persons to be elected as Shareholder Director on the Board.

The following are the members of the Committee:

- a) Shri Salil Kumar Jha – Chairman of the Committee
- b) Shri Padmanaban Vittal Dass
- c) Dr Bharath Krishna Sankar

There was no meeting of the committee held during the year 2019-20.

18) Board Committee for Performance Evaluation

The committee was constituted on 27.11.2019 for approval of KRAs of GMs and EDs and to set up KRAs of MD&CEO for recommending to Board.

Details of Attendance of the Directors at the Board Committee for Performance Evaluation

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Dr Bharath Krishna Sankar – Chairman	27.11.2019 – 31.03.2020	1	1
2.	Shri Amit Agrawal	01.04.2019 – 24.01.2020	1	1
3.	Shri Sanjeev Kaushik	24.01.2020 – 31.03.2020	0	0
4.	Shri Vinod Kumar Nagar	27.11.2019 – 31.03.2020	1	1

4. General Body Meetings

The details of the last three Annual General Meetings (AGM) of shareholders of the Bank are as follows:

Annual General Meeting	Day & Date	Time	Venue
Eleventh	Monday June 12, 2017	10.30 a.m.	IMAGE, MRC Nagar Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028
Twelfth	Thursday June 28, 2018	10.30 a.m.	IMAGE, MRC Nagar Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028
Thirteenth	Thursday June 27, 2019	10.30 a.m.	IMAGE, MRC Nagar Raja Annamalaipuram Chennai 600 028

While no special resolution was passed at the 12th Annual General Meeting and 13th Annual General Meeting, the following special resolutions were passed at the 11th Annual General Meeting and the Extraordinary General Meeting of the Bank held during the year 2017-18;

- In the Eleventh Annual General Meeting held on June 12, 2017, a resolution approving issue of further 4.75 crore equity shares of face value of Rs.10/- each by way of Follow-on Public Offer / Rights Issue / QIP / Preferential Issue and / or Private Placement to be decided by the Bank was passed as special resolution.
- During the year 2017-18, an Extra-ordinary General Meeting was held on January 31, 2018 at IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600028 at 10.30 a.m. wherein a resolution approving raising of equity capital upto Rs.7000 crore (including premium) in one or more tranches in the current or subsequent financial years based on the requirement through Further Public Offer / Private Placement / Rights Issue / QIP / Preferential Issue / Institutional Placement Programme to be decided by the Bank was passed as special resolution.
- A special resolution approving raising equity capital upto a 7000 crore (including premium) in one or more tranches in the current or subsequent years based on the requirement through FPO / Private Placement / QIP/Rights Issue / Preferential Issue / Employees share Purchase Plan was passed through postal ballot on March 27, 2019.
- A special resolution approving the preferential allotment of equity shares aggregating to Rs.2534 crore to Government of India, the Promoter of the Bank was passed through postal ballot on November 13, 2019.

M/s S N Ananthasubramanian & Co, Practising company Secretaries acted as Scrutiniser for the postal ballot process.

5. Disclosures

- The Bank is complying with the requirements on related party transactions (RPT) as stipulated by Reserve Bank of India from time to time. Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transactions with its Promoters / Directors, Management, their subsidiaries, or relatives etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. Bank has formulated a policy on materiality of RPT and on dealing with RPTs, which is ported in Bank's website at the link - <https://www.indian-bank.com/departments/investors-service/>.
- Bank has formulated a 'Policy for determining material subsidiary' and the same is disclosed in Bank's website, viz., <https://www.indian-bank.com/departments/investors-service/>. The Bank is having two listed subsidiary companies viz., M/s Indbank Merchant Banking Services Limited and M/s Ind Bank Housing Limited and both are not 'material subsidiary companies'.
- The Managing Director & CEO and Executive Directors are being paid remuneration and reimbursement of their travelling and halting expenses as per the rules framed by Government of India in this regard and the details of remuneration paid to them are disclosed under Schedule 18 to the Audited Financial Statements of the Bank. The Officer Employee Director and Workmen Employee Directors are being paid remuneration and reimbursement of their travelling and halting expenses as per the terms of Bipartite Settlement with the Association / Union. The Non-Executive / Part-time Non-Official Directors / Shareholder Directors are not being paid any other remuneration, except Sitting Fees for attending the meetings of the Board / Committee as per the guidelines of Government of India at ₹ 40,000/- and ₹20,000/- per Board Meeting and Committee Meeting and additional fees of ₹10,000/- and ₹5,000/- to chairman of the respective meeting. The remuneration including travelling and halting expenses to them is being paid as decided by the Central Government in consultation with RBI from time to time in terms of Clause 17 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 / 1980.
- There was no commodity price risks and commodity hedging activities during the year 2019-20.
- During the year 2019-20, Bank raised an amount of ₹295.48 crore under Indian Bank Employee Share Purchase Scheme (ESPS). Government of India has infused capital of ₹2,534 crore in the Bank by way of preferential allotment of equity shares in accordance with SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018. Bank raised the above capital funds to meet the capital requirement, to support its growth plans and for general corporate purposes. The funds so raised have been fully utilized for the

- purpose as stated in the Postal Ballot Notices.
- f) During the year 2019-20, Board has not declined any recommendation of any committee of the Board which is mandatorily required .
- g) The constitution of the Bank's Board, Audit Committee and other committees of the Board and remuneration to the Directors, Board / Committee procedures / Related Party Transactions etc are governed under the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulations Act, 1949, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended and guidelines issued by Reserve Bank of India and Government of India from time to time and to that extent some of the provisions of the Regulations 15 to 27 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 are not compatible / applicable.
- h) As a part of Corporate Governance and towards achieving greater transparency, 'Whistle Blower Policy' has been formulated and put in place by the Bank and in terms of which a mechanism has been established for staff members to report to the management concerns

I) Mandatory and Discretionary requirements:

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges. The extent of implementation of discretionary requirements is furnished as under:

Requirement	Compliance
A. Board: A non-executive Chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	Not applicable
B. Shareholder rights: A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	The half-yearly results had been published in the newspapers, uploaded in Bank's website and on the websites of the stock exchanges.
C. Modified Opinion(s) in audit report: The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	The audit report on the financial statements of the Bank for 2019-20 has unmodified opinion.
D. Separate posts of Chairperson and Chief Executive Officer: The listed entity may appoint separate persons to the post of chairperson and managing director or chief executive officer.	Appointment of Chairman is to be made by Government of India
E. Reporting of internal auditor: The internal auditor may report directly to the audit committee	The concurrent auditors / inspectors of branches reports are consolidated and placed before the audit committee by the Bank periodically.

6. Means of Communication

Information relating to Bank will be mainly issued through the Annual Report which includes the Directors' Report, Auditors' Report, Cash Flow Statements, Consolidated Audited Accounts etc. The shareholders will also be intimated on the quarterly, half yearly and annual performance through publication in newspapers, intimation to Stock Exchanges (NSE & BSE), press release, presentation, email wherever possible, which is also available on the website of the Bank. The Bank issues press release on various operational matters such as revision in interest rates, launching of new products, opening of new branches etc. which are also available on the website of the Bank (www.indianbank.in).

The Bank has published its quarterly / half-yearly / annual financial results in one national (English) and one vernacular (Tamil) newspaper as detailed below as per the terms stipulated in Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, in addition to other newspapers. The details of such publications made during the year 2019-20 are as under:

Quarter / Half-year / Year ended	Newspaper	Date of publication
31.03.2019	Business Standard (English & Hindi) Financial Express (English), Jansata (Hindi) Dinamani (Tamil)	15.05.2019
30.06.2019	Business Standard (English & Hindi) Dinamani (Tamil)	06.08.2019
30.09.2019	Business Standard (English & Hindi) Financial Express (English), Jansata (Hindi) Dinamani (Tamil)	24.10.2019
31.12.2019	Financial Express (English) Jansata (Hindi) Dinamani (Tamil)	25.01.2020

The results are also available on the website of the Bank at the link - <https://www.indian-bank.com/departments/financial-results/>. The Bank has also notified the Stock Exchanges (NSE and BSE) various price sensitive information during the year.

7. General Shareholder Information

Board Meeting for considering accounts of Indian bank and declaration of dividend	June 23, 2020
Date, Time and venue of AGM	August 07, 2020, 11.00 a.m. Through Video Conference/Other Audio Visual Means Deemed Venue : Indian Bank corporate Office Chennai - 600001
Financial Year	2019-20
Book closure dates	August 04, 2020 to August 07, 2020
Dividend for 2019-20	NIL*
Last date of receipt of proxy forms	Not applicable
Date of payment of Dividend	Not applicable

* RBI vide circular dated 17/04/2020 has advised that all commercial banks shall not make any further dividend payout until further instructions.

a. Listing on Stock Exchanges –

The Equity Shares of the Bank are listed with the National Stock Exchange of India Limited (Address: Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, C-1, Block "G", Bandra (East), Mumbai – 400 051) and the BSE Limited (Address: P J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001) with effect from March 01, 2007. The Scrip codes of the respective Stock Exchange are as under:

No.	Stock Exchange	Stock	Scrip Code
1.	N S E	Equity	INDIANB
2.	B S E	Equity	INDIANB / 532814

The Bank has paid the listing fees for the year 2019-20 to the stock exchanges.

b. Compliance Officer(s):

Shri P A Krishnan, General Manager has been designated as Compliance Officer from June 28, 2016 for complying with various provisions of SEBI and other statutory authorities. Shri Bimal Shah, Company Secretary has been designated as the Compliance Officer from 01.07.2017 for complying with various provisions of SEBI (LODR) Regulations and Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges.

c. Share Transfer & Redressal of Investors' Grievances:

The Bank has appointed M/s Cameo Corporate Services Limited, Chennai, as the Share Transfer Agent for recording of shareholders' requests for transfer / transmission of shares, resolution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of shares. For the convenience of investors, grievances / complaints from them are also accepted at the Bank's Corporate Office in Chennai.

The investors may lodge their requests / complaints either with the Share Transfer Agent or with the Bank at the following addresses:

Cameo Corporate Services Limited Unit: Indian Bank Subramanian Building 1, Club House Road Chennai – 600 002. Tel: (91 44) 28460718 Fax: (91 44) 28460129 Email: investor@cameoindia.com	Company Secretary Indian Bank, Corporate Office Investor Services Cell 254-260, Avvai Shanmugam Salai Royapettah, Chennai - 600 014. Telephone : (91 44) 28134076 Fax : (91 44) 28134075 Email: investors@indianbank.co.in
---	---

Number of Complaints received, resolved and pending:

The details of complaints received and resolved during 2019-20 and pending as on 31.03.2020 are as follows:

Pending as on 01.04.2019	Received from 01.04.2019 to 31.03.2020	Resolved	Pending as on 31.03.2020
0	27	27	0

d. Shareholding pattern as on 31.03.2020:
List of shareholders holding shares 1% and above as on 31.03.2020:


No.	Names of Shareholders	No. of shares held	% to total holding
1.	Government of India	50,80,80,023	83.46%
2.	HDFC Trustee Company Limited	2,15,70,299	3.54%
3.	Life Insurance Corporation of India	90,80,184	1.49

Total foreign holding as on 31.3.2020:

No.	Category of Shareholders	No. of shares held	% to total holding
1.	Foreign Institutional Investors	24,44,029	0.40%
2.	Foreign Portfolio Investors	1,42,73,159	2.34%
3.	Non Resident Indians	8,93,361	0.15%
	Total	1,76,10,549	2.89%

Distribution of shareholdings as on 31.03.2020:Category wise:
Category wise:

No.	Category	No. of Shares held	Amount (₹)	% of Shareholding
1.	Government of India	50,80,80,023	508,08,00,230	83.46%
2.	Banks & Financial Institutions (Central / State Institutions)	96,44,583	9,64,45,830	1.59%
3.	Mutual Funds & UTI	2,86,26,587	28,62,65,870	4.70%
4.	Bodies Corporate	3708667	37086670	0.61%
5.	FII's / FPI's / NRIs	1,76,10,549	17,61,05,490	2.89%
6.	Resident Holdings, etc.	4,11,30,171	41,13,01,710	6.75%
	TOTAL	60,88,00,580	608,80,05,800	100.00%




Value wise:

Shareholding of Nominal value	Shareholders		Shares	
	Nos.	%	₹	%
Upto 5000	96184	85.16	122916170	2.02
5001 – 10000	9059	8.02	73644110	1.21
10001 – 20000	4778	4.23	71313930	1.17
20001 – 30000	1224	1.08	31096340	0.51
30001 – 40000	516	0.46	18590390	0.31
40001 – 50000	400	0.35	19098900	0.31
50001 – 100000	443	0.39	31347630	0.51
100001 & above	348	0.31	5719998330	93.96
TOTAL	112952	100.00	6088005800	100.00

Monthly High and low quotation and volume of shares:

Month	N S E			B S E			Total Volume (Nos. in lacs)
	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos. in lacs)	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos. in lacs)	
April 2019	288.00	243.00	328.45	287.95	243.40	17.22	345.67
May 2019	285.10	224.35	428.43	289.00	224.60	28.24	456.67
June 2019	292.70	249.55	369.94	292.35	249.80	21.79	391.73
July 2019	264.50	179.30	146.79	264.30	170.10	23.20	169.99
August 2019	207.50	155.05	237.41	207.60	160.20	15.13	252.54
September 2019	192.00	124.25	251.32	194.80	124.30	17.54	268.86
October 2019	148.70	108.00	371.98	148.50	105.10	20.40	392.38
November 2019	139.65	112.55	397.95	139.60	112.75	21.99	419.94
December 2019	130.35	100.50	314.62	130.00	100.60	19.00	333.62
January 2020	109.70	97.25	418.95	110.25	86.00	24.47	443.42
February 2020	104.95	71.05	232.22	104.95	71.25	15.44	247.66
March 2020	76.30	41.55	335.32	77.10	41.70	21.26	356.58

Equity Performance in comparison with NSE Nifty 50 during the year 2019-20


e. Dematerialization of Shares

The shares of the Bank are compulsorily traded in dematerialized form and the Bank has entered into agreements with the National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and the ISIN is INE562A01011. As on March 31, 2020 the details of equity shares held in dematerialised and physical form were as under.

No.	Form	No. of shares	
1.	Physical		1058
2.	D-Mat - with NSDL	87856867	608799522
	with CDSL	520942655	
	TOTAL		608800580

There was no outstanding Global Depository Receipts or American Depository Receipts or warrants or any convertible instruments as on March 31, 2020.

f. The Bank has raised Non-convertible bonds from time to time and the details of such bonds outstanding as on March 31, 2020 are as under:

Series	Date of allotment	Size (Rs. in crore)	Tenor (in months)	Coupon (%)	Redemption Date	CRISIL rating	CARE rating	ICRA rating
Tier II	28.06.2010	500.00	120	8.53	28.06.2020	AAA		AA+
Tier II	16.07.2010	500.00	180	8.67	16.07.2025*	AAA		
Additional Tier I – Basel III compliant	30.03.2016	500.00	Perpetual#	11.15	-	AA+	AA+	
Tier II	28.07.2016	600.00	120	8.10	28.07.2026\$	AAA	AAA	
Tier II	30.10.2018	290.00	120	8.90	30.10.2028@	AAA	AAA	
Tier II	06.11.2018	110.00	120	8.85	06.11.2028**	AAA	AAA	
Tier II	22.01.2019	600.00	120	8.53	22.01.2029##	AAA	AAA	

* Call option available on 16.07.2020. # First call option available on 30.03.2021 & there after every coupon date.

\$ Call option available on 28.07.2021. @ Call option available on 30.10.2023

** Call option available on 06.11.2023 ## Call option available on 22.01.2024

There was no revision in ratings during the year 2019-20. But the outlook was revised from 'stable' to 'Rating watch with developing implications'. The funds raised through Tier II Bonds were utilized for Banks growth and for its regular Business activities.

Bond Trustee to the Issue:

- i. The Bank has appointed M/s IDBI Trusteeship Services Limited, Mumbai as Bond Trustees to Tier II Bonds issued on June 28, 2010 and July 16, 2010, to safeguard and to protect the interests of the investors of the Bonds. Address of the Trustees to the Issue is – M/s IDBI Trusteeship Services Limited, Ground Floor, Asian Building, No.17 R, Kamani Marg, Ballard Estate, Fort, Mumbai - 400 001.
- ii. The Bank has appointed M/s Axis Trustee Services Limited, Mumbai as Bond Trustees to Additional Tier I Bonds issued on March 30, 2016, Tier II bonds issued on July 28, 2016, 30.10.2018, 6.11.2018 and 22.01.2019 to safeguard and to protect the interests of the investors of the Bonds. Address of the Trustee to the Issue is – M/s Axis Trustee Services Limited, Ground Floor, Axis House, Bombay Dyeing Mills Compound, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400 025.

The rating for the certificate of deposits – Ind A1+ by India Ratings and Research Pvt Ltd.

g. Shares in Suspense Account

In compliance of the requirement stipulated in Regulation 39 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank is keeping the shares issued pursuant to the Initial Public Offer, which remain unclaimed despite the best efforts of the Bank and the Share Transfer Agent in a Suspense Account opened for this purpose. The details of such shares lying in the Suspense Account are as under:

Particulars	No. of shareholders	Shares outstanding
Outstanding at the beginning of the year	21	3584
No. of shareholders approached for transfer	0	0
No. of shareholders to whom shares were transferred	0	0
Outstanding at the end of the year	21	3584

h. Unclaimed Dividend

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, which has come into force on October 16, 2006, has inserted a new section 10 B in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, which provides as under:

1. Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration, if any shareholder has not encashed / claimed the dividend, such amounts lying in the bank current account, have to be transferred to a separate account styled "Unpaid Dividend of Indian Bank for the year....."
2. Any money transferred to the Unpaid Dividend account, which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under sub-section 205C of the Companies Act, 1956.

Accordingly, the unpaid dividends of previous years have been transferred to Unpaid Dividend accounts of Indian Bank and hence, such monies remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund. Accordingly, the unclaimed dividend amounts of a ₹12.01 lakhs pertaining to the year 2011-12 was transferred to Investor Education and Protection Fund during the year 2019-20.

The details of such Unpaid Dividend accounts of earlier years from 2012-13 to 2016-17 and the due dates for transfer to IEPF are as under:

Sl. No.	Details of Unpaid Dividend	Balance as on 31.03.2020 (₹)	Due Date of Transfer to IEPF
1.	Dividend 2012-13	13,84,132	August 2020
2.	Interim Dividend 2013-14	9,52,668	February 2021
3.	Final Dividend 2013-14	5,44,589	August 2021
4.	Dividend 2014-15	9,45,609	August 2022
5.	Dividend 2015-16	5,17,428	August 2023
6.	Dividend 2016-17	21,56,970	August 2024

Such of those shareholders / investors, who are yet to encash their Dividend Warrants / Refund Orders, are requested to approach Investor Services Cell of the Bank at its Corporate Office, Chennai or the Bank's Share Transfer Agent with their updated Client Master List / bank mandate before the due date(s) for transfer to enable the Bank to credit their bank accounts with the dividend / refund amounts.

i. Compliance with SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.

In pursuance of the above Regulations, the Bank has formulated Code of Conduct for Prevention of Insider Trading for Designated Employees and Directors for dealing in securities of the Bank. Various forms have been designed to receive periodical information from the Designated Employees and Directors of the Bank, as required in terms of these Regulations. Further, the Trading Window for dealing in shares of the Bank was closed for the Directors and Designated Employees of the Bank as per the following details during the year 2019-20:

Dates of closure of Trading Window	Purpose of Closure
From 04.04.2019 to 16.05.2019	Declaration of Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2019.
From 01.07.2019 to 07.08.2019	Declaration of Financial Results for the quarter ended June 30, 2019.
From 30.09.2019 to 25.10.2019	Declaration of Financial Results for the quarter / half-year ended September 30, 2019.
From 31.12.2019 to 26.01.2020	Declaration of Financial Results for the quarter / nine months ended December 31, 2019.

j. Code of Conduct

The Bank has framed the Code of Conduct applicable to Board of Directors and Senior Management Personnel and the same has been adopted by the Board of Directors at its meeting held on March 29, 2007 and subsequently amended and approved by the Board of Directors on December 23, 2008 and the same has also been put on the Bank's website viz., <https://www.indian-bank.com/wp-content/uploads/2018/03/codeofconduct-2.pdf>

Declaration

The Board Members and Senior Management have affirmed compliance to the Code of Conduct.

For Indian Bank

Padmaja Chunduru
Managing Director & CEO

Place : Chennai
 Date : June 29, 2020

Form No. MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT
For the Financial Year 2019-20

To,
The Members,
INDIAN BANK

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Indian Bank (hereinafter called the Bank)**. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the **Indian Bank** books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, the explanations and clarifications given to us and the representations made by the Management and considering the relaxations granted by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India warranted due to the spread of the COVID-19 pandemic. We hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended 31st March 2020, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by **Indian Bank** ("the Bank") for the financial year ended on 31st March 2020 according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder; - The IEPF related provisions are applicable.
- (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; **(Not applicable to the Bank during the audit period)**
- (v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-
 - (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

- (b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
- © The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 as amended in 2018;
- (d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999 and The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;
- (e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008; **(Not applicable to the Bank during the audit period)**
- (f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client; **(Not applicable)**
- (g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; **(Not applicable to the Bank during the audit period)**
- (h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998; **(Not applicable to the Bank during the audit period)**

Other Laws specifically applicable to this Bank is as follows:

- (vi) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970
- (vii) The Banking Regulations Act, 1949

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India. **(NOT APPLICABLE)**
- (ii) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

As per Regulation 15(2) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, for other listed entities which are not companies, but body corporate are subject to regulations under other statutes, the provisions of corporate governance as specified in Regulations 17 to 27 and 46(2) (b) to (i) and Paras C, D and E of Schedule V shall apply to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines or directives issued by the relevant authorities.

The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is not registered under the Companies Act, 1956/2013.

The constitution of the Bank's Board, Audit Committee and other Committees of the Board and remuneration to the Directors, Board / Committee procedures / Related Party Transactions etc., are governed under the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulations Act, 1949, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended and guidelines issued by Reserve Bank of India and Government of India from time to time and to that extent some of the provisions of the Regulations 15 to 27 are not compliant/ applicable.

During the period under review the listed entity has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to the following observation:

With respect to the composition of Board, vacancies exist under Section 9 (3) (e)(f) & (g) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit report

- (i) The Bank has issued 11,72,65,954 equity shares of Rs.10/- each to Government of India on preferential basis on 03.12.2019.
- (ii) The Bank implemented an Employee Share Purchase Scheme and allotted 1,12,42,975 new equity shares having face value of Rs.10/- each at a discount of 25% on the floor price of Rs.262.82 per share on 22.05.2019.

Place : Chennai
Date : June 18, 2020

**For V Suresh Associates
Practicing Company Secretaries**

V Suresh
Senior Partner
FCS No. 2969
C.P.No. 6032
Peer Review Cert. No. : 667/2020
UDIN: F002969B000428086

To

**The Board of Directors
Indian Bank**

CEO & CFO Certificate under Regulation 17(8) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

This is to certify that

- (a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement of Indian Bank for the year 2019-20 and that to the best of our knowledge and belief:
- (i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - (ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- (b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- (c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- (d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee
- (i) significant changes in internal control over financial reporting during the year.
 - (ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - (iii) instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

(P A Krishnan)
General Manager & CFO

(Padmaja Chunduru)
Managing Director & CEO

Place : Chennai
Date : June 23, 2020

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To

The Members of Indian Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by INDIAN BANK for the year ended on March 31, 2020 as stipulated in Chapter IV of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 pursuant to the Listing Agreement of the said Bank with the Stock Exchanges.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the provisions as specified in Chapter IV of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 pursuant to the Listing Agreement of the said Bank with Stock Exchanges to the extent these do not violate the Banking Regulation Act, 1949 and the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended, in respect of appointment of Directors.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For M THOMAS & CO
Chartered Accountants
FR No.004408S

A ROZARIO
Partner
(M No. 021230)

For P S SUBRAMANIA IYER & CO
Chartered Accountants
FR No.004104S

S SUNDARA RAMAN
Partner
(M No. 022137)

For K C Mehta and Co
Chartered Accountants
FR No: 106237W

CHIRAG BAKSHI
Partner
(M No. 47164)

For SRIRAMAMURTHY & CO
Chartered Accountants
FR No. 003032S

J LALITHA
Partner
(M.No. 0201855)

For RAVI RAJAN & CO LLP
Chartered Accountants
FR No.009073N/N500320

JAYANTH A
Partner
(M.No. 231549)

Place : Chennai
Date : June 23, 2020

**BALANCE SHEET,
PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND SCHEDULES**

BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2020

(₹ in Thousands)

PARTICULARS	Schedule No.	As on 31.03.2020	As on 31.03.2019
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	608 80 06	480 29 17
Reserves and Surplus	2	21480 46 80	18908 40 00
Deposits	3	260225 89 70	242075 94 68
Borrowings	4	20830 30 96	12137 54 29
Other Liabilities & Provisions	5	6322 69 92	6463 09 23
TOTAL		309468 17 44	280065 27 37
ASSETS			
Cash & Balances with R B I	6	5736 12 43	11701 86 43
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	8188 55 97	8318 51 54
Investments	8	81241 68 80	64992 17 42
Advances	9	197887 01 15	181261 91 24
Fixed Assets	10	3895 74 42	3961 40 48
Other Assets	11	12519 04 67	9829 40 26
TOTAL		309468 17 44	280065 27 37
Contingent Liabilities	12	42576 86 28	36194 10 92
Bills for Collection	-	5994 96 94	5394 56 36

Ms. PADMAJA CHUNDURU
MANAGING DIRECTOR & CEO

M K BHATTACHARYA
EXECUTIVE DIRECTOR

SHENOY VISHWANATH V
EXECUTIVE DIRECTOR

K RAMACHANDRAN
EXECUTIVE DIRECTOR

DIRECTORS

SANJEEV KAUSHIK
GOVERNMENT NOMINEE DIRECTOR

S K PANIGRAHY
RBI NOMINEE DIRECTOR

SALIL KUMAR JHA
EXECUTIVE DIRECTOR

Dr. BHARATH KRISHNA SANKAR
SHAREHOLDER DIRECTOR

VINOD KUMAR NAGAR
SHAREHOLDER DIRECTOR

STATUTORY CENTRAL AUDITORS

For M THOMAS & CO
Chartered Accountants
FR No. 00408S

For P S SUBRAMANIA IYER & CO
Chartered Accountants
FR No. 004104S

For K C MEHTA AND CO
Chartered Accountants
FR No. 106237W

A ROZARIO
Partner
(M. No.21230)

S SUNDARA RAMAN
Partner
(M. No. 022137)

CHIRAG BAKSHI
Partner
(M No. 047164)

For RAVI RAJAN & CO LLP
Chartered Accountants
FR No. 009073N / N500320

For SRIRAMAMURTHY & CO
Chartered Accountants
FR No: 003032S

JAYANTH. A
Partner
(M No. 231549)

J LALITHA
Partner
(M No. 0201855)

Place : Chennai
Date : 23.06.2020

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2020

(₹ in Thousands)

PARTICULARS	Schedule No.	Y E 31.03.2020	Y E 31.03.2019
I. INCOME			
Interest earned	13	21404 96 92	19184 81 28
Other Income	14	3312 46 43	1882 88 96
TOTAL		24717 43 35	21067 70 24
II. EXPENDITURE			
Interest expended	15	13798 55 31	12166 71 97
Operating expenses	16	4420 83 92	4020 36 66
Provisions & Contingencies	-	5744 68 30	4558 66 40
TOTAL		23964 07 53	20745 75 03
III. PROFIT/LOSS			
Net Profit/Loss(-) for the year		753 35 82	321 95 21
Profit/Loss(-) Brought forward		99 15 45	98 15 24
TOTAL		852 51 27	420 10 45
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to :			
Statutory Reserves		188 34 00	80 50 00
Capital Reserves		152 15 00	40 79 00
Special Reserves u/s 36(1)(viii)			12 00 00
Revenue Reserves			1 00 00
Staff Welfare Fund		15 00 00	9 66 00
Investment Fluctuation Reserve		389 99 00	177 00 00
Investment Reserve		7 87 00	
Equity Dividend			
Dividend Distribution Tax			
Bal. carried over to Balance Sheet		99 16 27	99 15 45
TOTAL		852 51 27	420 10 45
Earnings Per Share in Rs. (basic & diluted)		14.33	6.70

Ms. PADMAJA CHUNDURU
 MANAGING DIRECTOR & CEO

M K BHATTACHARYA
 EXECUTIVE DIRECTOR

SHENOY VISHWANATH V
 EXECUTIVE DIRECTOR

K RAMACHANDRAN
 EXECUTIVE DIRECTOR

DIRECTORS
SANJEEV KAUSHIK
 GOVERNMENT NOMINEE DIRECTOR

S K PANIGRAHY
 RBI NOMINEE DIRECTOR

SALIL KUMAR JHA
 EXECUTIVE DIRECTOR

Dr. BHARATH KRISHNA SANKAR
 SHAREHOLDER DIRECTOR

VINOD KUMAR NAGAR
 SHAREHOLDER DIRECTOR

STATUTORY CENTRAL AUDITORS
For M THOMAS & CO
 Chartered Accountants
 FR No. 00408S

For P S SUBRAMANIA IYER & CO
 Chartered Accountants
 FR No. 004104S

For K C MEHTA AND CO
 Chartered Accountants
 FR No. 106237W

A ROZARIO
 Partner
 (M. No.21230)

S SUNDARA RAMAN
 Partner
 (M. No. 022137)

CHIRAG BAKSHI
 Partner
 (M No. 047164)

For RAVI RAJAN & CO LLP
 Chartered Accountants
 FR No. 009073N / N500320

For SRIRAMAMURTHY & CO
 Chartered Accountants
 FR No: 003032S

JAYANTH. A
 Partner
 (M No. 231549)

J LALITHA
 Partner
 (M No. 0201855)

 Place : Chennai
 Date : 23.06.2020

(₹ in Thousands)

SCHEDULE 1 - CAPITAL

PARTICULARS	As on 31.03.2020	As on 31.03.2019
I. Authorised Capital		
300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each	3000 00 00	3000 00 00
II. Issued, Subscribed and Paid up:		
Equity Shares:		
a. 50,80,80,023 Equity shares of Rs.10/- each held by Government of India (P.Y.-39,13,69,637 Equity shares of Rs. 10/- each)	508 08 00	391 36 97
b. 10,07,20,557 Equity shares of Rs.10/- each held by Public (P.Y. 8,89,22,014 Equity shares of Rs.10/- each)	100 72 06	88 92 20
Total	608 80 06	480 29 17

SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

(₹ in Thousands)

	PARTICULARS	As on 31.03.2020	As on 31.03.2019
I.	STATUTORY RESERVES		
	a. Opening Balance	4505 85 81	4425 35 81
	b. Additions during the year	188 34 00	80 50 00
	TOTAL I	4694 19 81	4505 85 81
II.	CAPITAL RESERVES		
A	Revaluation Reserve		
	a. Opening Balance	3095 03 91	2621 44 09
	b. Additions during the year		555 14 76
	c. Deductions during the year	107 19 49	81 54 94
	TOTAL (A)	2987 84 42	3095 03 91
B	Others		
	a) Opening Balance	236 40 24	195 61 24
	b) Additions during the year	152 15 00	40 79 00
	TOTAL (B)	388 55 24	236 40 24
	TOTAL II (A + B)	3376 39 66	3331 44 15
III.	SHARE PREMIUM		
	a) Opening Balance	1325 67 33	1325 67 33
	b) Additions during the year	2700 97 90	0
	TOTAL III	4026 65 23	1325 67 33
IV.	REVENUE AND OTHER RESERVES		
	A) Revenue Reserve :		
	Opening Balance	8265 03 80	8182 48 86
	Tfrd from Profit & Loss a/c		13 00 00
	Tfrd from revaluation reserve	107 19 49	81 54 94
	Deductions during the year	923 94 00	12 00 00
	TOTAL (A)	7448 29 29	8265 03 80
	B) Special Reserve u/s 36(1)(viii) of IT Act		
	Opening Balance	725 52 00	713 52 00
	Additions during the year		12 00 00
	TOTAL (B)	725 52 00	725 52 00
	C) Special Reserve u/s 36(1)(viii a) of IT Act		
	Opening Balance	58 20 00	58 20 00
	D) Investment Fluctuation Reserve/Investment Reserves		
	Opening Balance	216 92 22	39 92 22
	Additions during the year	397 86 01	177 00 00
	TOTAL (D)	614 78 23	216 92 22
	E) Foreign Currency Translation Reserve		
	Opening Balance	380 59 24	307 75 87
	Additions during the year	56 67 07	72 83 37
	Deduction during the year	0	0
	TOTAL (E)	437 26 31	380 59 24
	TOTAL IV (A + B + C + D + E)	9284 05 83	9646 27 26
V.	PROFIT & LOSS ACCOUNT		
	Opening Balance	99 15 45	98 15 24
	Additions during the year	82	1 00 21
	TOTAL V	99 16 27	99 15 45
	TOTAL (I+II+III+IV+V)	21480 46 80	18908 40 00

SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ in Thousands)

PARTICULARS	As on 31.03.2020	As on 31.03.2019
A. I. DEMAND DEPOSITS		
i) From Banks	211 10 71	63 76 92
ii) From Others	13337 91 83	13191 9558
TOTAL	13549 02 54	13255 72 50
II. SAVINGS BANK DEPOSITS	76609 10 59	70766 06 31
III. TERM DEPOSITS		
i) From Banks	4111 94 38	3665 43 86
ii) From Others	165955 82 19	154388 72 01
TOTAL	170067 76 57	158054 15 87
B. TOTAL (I+II+III)	260225 89 70	242075 94 68
i) Deposits of branches in India	252792 25 88	235236 97 55
ii) Deposits of branches outside India	7433 63 82	6838 97 13
TOTAL	260225 89 70	242075 94 68

SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ in Thousands)

PARTICULARS	As on 31.03.2020	As on 31.03.2019
I. BORROWINGS IN INDIA		
i) Reserve Bank of India	11529 90 30	6395 31 77
ii) Other Banks	10 88	4 91
iii) Other Institutions and Agencies *	6418 86 00	3791 56 42
TOTAL	17948 87 18	10186 93 10
II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA **	2881 43 78	1950 61 19
TOTAL (I+II)	20830 30 96	12137 54 29
Secured Borrowings included above	11529 90 00	6395 31 77

* includes Tier II Capital - Subordinated debt of ₹2600 00 00 (P.Y. ₹2600 00 00) and Tier I Capital - Perpetual Debt Instrument of ₹500 00 00 (P.Y. ₹500 00 00)

** Includes pipeline and un-adjusted items in Nostro Mirror Balances

SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ in Thousands)

PARTICULARS	As on 31.03.2020	As on 31.03.2019
I. Bills Payable	494 00 20	598 15 01
II. Inter Office Adjustments(Net)		546 05 08
III. Interest Accrued	845 32 77	698 75 96
IV. Others(including Provisions) *	4983 36 95	4620 13 18
TOTAL	6322 69 92	6463 09 23

* includes Contingent Provisions against Standard Assets of ₹ 9610829 (P.Y - ₹ 816 72 59)

SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ in Thousands)

PARTICULARS	As on 31.03.2020	As on 31.03.2019
I. Cash in hand (including foreign currency notes)	1006 08 85	1030 75 47
II. Balances with Reserve Bank of India in Current Account	4730 03 58	10671 10 96
TOTAL (I+II)	5736 12 43	11701 86 43

SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE (₹ in Thousands)

PARTICULARS	As on 31.03.2020	As on 31.03.2019
I. IN INDIA		
i) Balances with Banks		
a) in Current Account	5 35 06	2 80 27
b) in Other Deposit Accounts	713 36 57	711 45 75
TOTAL (i)	718 71 63	714 26 02
ii) Money at Call and Short Notice (with Banks)	2100 00 01	2200 00 00
TOTAL (ii)	2100 00 01	2200 00 00
TOTAL (i + ii)	2818 71 64	2914 26 02
II. OUTSIDE INDIA		
i) in Current Accounts	530 92 57	203 65 53
ii) in other Deposit Accounts	4830 26 44	5168 47 18
iii) Money at Call and Short Notice	8 65 32	32 12 81
TOTAL (i + ii + iii)	5369 84 33	5404 25 52
GRAND TOTAL (I +II)	8188 55 97	8318 51 54

SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

(₹ in Thousands)

PARTICULARS	As on 31.03.2020	As on 31.03.2019
I. INVESTMENTS IN INDIA		
Gross Investments	80353 56 34	64153 14 96
Less : Provision for Depreciation & NPI	1282 86 31	1035 06 38
Net Investments	79070 70 03	63118 08 58
i) Government Securities	67537 87 44	51918 69 34
ii) Other approved Securities	2 98 83	5 23 16
iii) Shares	351 87 70	505 23 38
iv) Debentures and bonds	6715 54 67	7400 95 19
v) Subsidiaries and/or joint ventures (including Associates)	101 15 25	87 01 37
vi) Others	4361 26 14	3200 96 14
TOTAL	79070 70 03	63118 08 58
II. INVESTMENT OUTSIDE INDIA		
Gross Investments	2268 26 80	1963 62 97
Less Provision for Depreciation & NPI	97 28 03	89 54 13
Net Investments	2170 98 77	1874 08 84
i) Government Securities (including local authorities)	2149 36 57	1853 17 45
ii) Other investments		
(a) Shares	43 53	52 13
(b) Debt Securities	21 18 67	20 39 26
TOTAL	2170 98 77	1874 08 84
NET GRAND TOTAL (A+B)	81241 68 80	64992 17 42

SCHEDULE 9 - ADVANCES

(₹ in Thousands)

PARTICULARS	As on 31.03.2020	As on 31.03.2019
i) Bills purchased and discounted	1453 59 19	1659 79 76
ii) Cash Credit, Overdrafts and loans repayable on demand	99136 74 77	95636 68 55
iii) Term Loans	97296 67 19	83965 42 93
TOTAL	197887 01 15	181261 91 24
i) Secured by tangible assets (includes advance against bookdebts)	161337 53 81	151802 66 57
ii) Covered by bank/Government guarantee	4056 48 84	4831 37 08
iii) Unsecured	32492 98 50	24627 87 59
TOTAL	197887 01 15	181261 91 24
I. ADVANCES IN INDIA		
i) Priority Sector	90415 78 93	65506 83 93
ii) Public Sector	17991 68 34	21587 22 91
iii) Banks	772 90 59	0
iv) Others	80515 67 81	86725 50 68
TOTAL	189696 05 67	173819 57 52
II. ADVANCES OUTSIDE INDIA		
i) Dues from Banks	2254 59 78	1721 43 74
ii) Dues from others		
a) Bills Purchased and discounted	970 27 17	1255 90 78
b) Syndicated loans	3355 58 88	3066 33 78
c) Others	1610 49 65	1398 65 42
TOTAL	8190 95 48	7442 33 72
GRAND TOTAL (I+II)	197887 01 15	181261 91 24

SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(₹ in Thousands)

	PARTICULARS	As on 31.03.2020	As on 31.03.2019
I.	PREMISES (Incl. Revalued Premises)		
	At cost/revaluation as per the last Balance Sheet	3762 94 58	3240 58 48
	Additions/Adjustments during the year	3 63 15	526 71 71
	Sub Total	3766 57 73	3767 30 19
	Deductions during the year	0	6 34
	Sub Total	3766 57 73	3767 23 85
	Depreciation to date	832 07 90	719 53 04
	TOTAL	2934 49 83	3047 70 81
II.	LEASED ASSETS		
	At cost/revaluation as per the last Balance Sheet	244 97 37	209 99 14
	Additions/Adjustments during the year		30 68 96
	Sub Total	244 97 37	240 68 10
	Deductions during the year	0	0
	Sub Total	244 97 37	240 68 10
	Depreciation to date	4 52 05	4 31 21
	TOTAL	240 45 32	236 36 89
III.	BUILDINGS UNDER CONSTRUCTION	78 25	76 44
IV.	OTHER FIXED ASSETS (including Furniture and Fixtures)		
	At cost as per last Balance Sheet	2056 01 96	1880 96 95
	Additions/Adjustments during the year	255 42 34	253 93 14
	Sub Total	2311 44 30	2134 90 09
	Deductions during the year	51 56 44	78 88 13
	Sub Total	2259 87 86	2056 01 96
	Depreciation to date	1539 86 84	1379 45 62
	TOTAL	720 01 02	676 56 34
	TOTAL (I+II+III)	3895 74 42	3961 40 48

SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(₹ in Thousands)

PARTICULARS	As on 31.03.2020	As on 31.03.2019
I. Inter Office Adjustment (net)	2044 28 71	0
II. Interest Accrued	1283 47 23	1171 28 62
III. Tax paid in advance/tax deducted at source (net)	4356 23 89	4086 06 21
IV. Stationery and Stamps	17 56 30	15 61 75
V. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	20 26 11	20 26 11
VI. Others*	4797 22 43	4536 17 57
TOTAL	12519 04 67	9829 40 26
* includes RIDF/SIDBI/RHDF/NHB Deposits held under HTM Category	284 72 93	339 41 29

SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(₹ in Thousands)

PARTICULARS	As on 31.03.2020	As on 31.03.2019
I. Claims against the bank not acknowledged as debts*	651 26 63	527 15 12
II. Liability for partly paid investments	400 32 98	3 63 76
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	20382 57 13	12986 41 52
IV. Guarantee given on behalf of constituents*		
a) In India	8930 01 79	8415 28 89
b) Outside India	382 63 47	371 45 82
V. Acceptance, Endorsements and other obligations*	6401 33 66	7249 18 12
VI. Other items for which the bank is contingently liable	5428 70 62	6640 97 69
TOTAL	42576 86 28	36194 10 92

* Contingent Liability has been considered net of margin

SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(₹ in Thousands)

PARTICULARS	Y E 31.03.2020	Y E 31.03.2019
I. Interest/Discount on Advances/Bills	15933 04 15	13983 87 20
II. Income on Investments	5278 82 36	5043 42 20
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter Bank funds	177 42 66	139 52 40
IV. Others	15 67 75	17 99 48
TOTAL	21404 96 92	19184 81 28

SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(₹ in Thousands)

PARTICULARS	Y E 31.03.2020	Y E 31.03.2019
I. Commission, Exchange and Brokerage	338 66 77	325 26 20
II. Profit on Sale of Investments	934 93 94	235 66 56
Less: Loss on Sale of Investments	55 20 58	60 18 45
Net	879 73 36	175 48 11
III. Profit on revaluation of Investments	0	0
Less: Loss on revaluation of Investments	0	0
Net	0	0
IV. Profit on sale of land, buildings and other assets *	3 13 61	1 91 35
Less: Loss on Sale of Land, Bldgs. & Other Assets *	2 40 22	3 42 45
Net	73 39	-1 51 10
V. Profit on exchange transactions (Net)	202 05 96	173 40 70
VI. Income earned by way of dividends, etc., from Subsidiaries/Companies and/or Joint ventures abroad/in India	12 69 28	12 44 69
VII. Miscellaneous Income	1878 57 67	1197 80 36
TOTAL	3312 46 43	1882 88 96

* Amount relates to Safe, Furniture, Vehicle & Machinery

SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

(₹ in Thousands)

PARTICULARS	Y E 31.03.2020	Y E 31.03.2019
I. Interest on deposits	12996 10 31	11230 34 56
II. Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank borrowings	757 94 57	841 31 93
III. Others	44 50 43	95 05 48
TOTAL	13798 55 31	12166 71 97

SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(₹ in Thousands)

PARTICULARS	Y E 31.03.2020	Y E 31.03.2019
I. Payments to and provisions for employees	2472 96 30	2222 87 25
II. Rent, Taxes and Lighting	317 91 89	298 40 91
III. Printing and Stationery	30 54 18	30 61 11
IV. Advertisement and Publicity	8 83 46	9 03 98
V. Depreciation on Bank's property	313 63 06	258 96 55
VI. Directors' fees allowance and expenses	89 93	1 11 94
VII. Auditors' fees and expenses(including branch auditors)	34 18 00	41 59 53
VIII Law Charges	8 58 34	5 39 84
IX. Postage, Telegrams and Telephones	51 66 96	64 01 15
X. Repairs and Maintenance	93 72 73	95 03 41
XI. Insurance	286 90 24	256 33 87
XII. Other Expenditure	800 98 83	736 97 13
TOTAL	4420 83 92	4020 36 67

SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared by following the going concern concept on historical cost convention unless otherwise stated. They conform to generally accepted accounting principles in India, which comprises statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India guidelines, accounting standards / guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the practices prevalent in the Banking Industry in India. In respect of foreign branches as per statutory provisions and practices prevailing in the respective countries

2. USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions for considering the reported assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of financial statements and the income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

3. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

Foreign Currency transactions of Indian operations and non-integral foreign operations are accounted for as per Accounting Standard-11 (AS-11) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

3.1 Translation in respect of Indian operations

- Foreign exchange transactions are recorded at the Weekly Average Rate (WAR) notified by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI).
- Foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
- Acceptances, endorsements and other obligations and guarantees in foreign currency are carried at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
- Exchange differences arising on settlement and translation of foreign currency assets and liabilities at the end of the financial year are recognized as income or expenses in the period in which they arise.
- Outstanding forward exchange contracts are disclosed at the Contracted rates, and revalued at FEDAI closing rates, and the resultant effect is recognized in the Profit and Loss account.

3.2 Translation in respect of non-integral foreign operations.

Foreign branches are classified as non-integral foreign operations and the financial statements are translated as follows:

- Assets and liabilities including contingent liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.

- Income and expenses are translated at the Quarterly Average Closing rate notified by FEDAI at the end of the respective quarter.
- All resulting exchange differences are accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" (FCTR) till the disposal of the net investments.

4. INVESTMENTS

4.1 The entire investment portfolio of the Bank is classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.

- Held To Maturity (HTM)
- Available For Sale (AFS)
- Held For Trading (HFT)

The securities acquired with the intention to be held till maturity are classified under "HTM" category. The securities acquired with the intention to trade by taking advantage of short-term price / interest movements are classified as "HFT". All other securities which do not fall under any of the two categories are classified under "AFS" category.

An investment is classified as Held to Maturity, Available for Sale or Held for Trading at the time of its purchase/acquisition and subsequent shifting is done in conformity with the Regulatory guidelines. Transfer of scrips, if any, from one category to another is done at the lowest of acquisition cost/book value/market value on the date of transfer and depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

Investment in Subsidiaries and Associates are classified as Held to Maturity.

4.2 Profit on sale of securities under HTM category is first taken to Profit and Loss account and thereafter appropriated to Capital Reserve account (net of taxes and amount required to be transferred to statutory reserves) and loss, if any, charged to Profit & Loss account.

4.3 Investments in India are valued in accordance with RBI guidelines, as under:

- a) Securities in HTM category are valued at acquisition cost except where the acquisition cost is higher than the face value, in which case, such excess of acquisition cost over the face value is amortised over the remaining period of maturity. Any diminution, other than temporary, in value of investments in subsidiaries/joint ventures/ Associates which are included under HTM category is recognized and provided. Such diminution is being determined and provided for each investment individually. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) / Alternate Investment Fund (AIF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost.

- b) Investment in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates are valued at historical cost. Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) are valued at carrying cost (i.e. Book value).
- c) Investments in AFS category are marked to market, scrip-wise and classification wise, at quarterly intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.
- d) The individual scrips in the HFT category are marked to market at daily intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The Book Value of the individual securities in this category does not undergo any change.
- e) Securities in AFS and HFT categories are valued as under:
- Central Government Securities are valued at prices / YTM rates as announced by Primary Dealers' Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) / Financial Benchmark India Pvt.Ltd.(FBIL).
 - State Government and Other approved securities are valued applying the YTM method by marking up 25 basis points above the yields of the Central Government Securities of equivalent maturity put out by PDAI / FIMMDA / FBIL periodically.
 - Equity shares are valued at market price, if quoted. Unquoted equity shares are valued at break-up value (without considering revaluation reserves if any) as per the company's latest balance sheet (not more than one year prior to the date of valuation). Otherwise, the shares are valued at Re. 1 per company.
 - Preference shares are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of the value determined based on the appropriate YTM rates or redemption value.
 - All debentures/bonds, other than those which are in the nature of advances, are valued on the YTM basis.
 - Treasury bills, Certificate of deposits and Commercial papers are valued at carrying cost.
 - Units of Mutual Funds are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of repurchase price or Net Asset Value (NAV). In case of funds with a lock-in period, where repurchase price / market quote is not available, units are valued at NAV, else valued at cost till the end of the lock-in period.
- Investment in units of Venture Capital funds (VCF) / Alternate Investment Fund (AIF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost. After period of 3 years from the date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.
 - In respect of investment at Overseas branches, RBI guidelines or those of the host countries whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of RBI are followed.
- 4.4 Non-performing investment (NPI) are identified as stated below, as per guidelines issued by RBI.
- Securities/Non-cumulative Preference shares where interest/fixed dividend/installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
 - If any credit facility availed by the issuer from the Bank is a Non-performing advance investment in any of the securities including preference shares issued by the same issuer is also treated as NPI and vice-versa. However, if only the preference shares are classified as NPI, the investments in any of the other performing securities issued by the same issuer may not be classified as NPI and any performing credit facilities granted to that borrower need not be treated as NPA.
 - Investments backed by guarantee of the Central Government though overdue are treated as Non Performing Asset (NPA) only when the Government repudiates its guarantee when invoked.
 - Investment in State Government guaranteed securities, including those in the nature of 'deemed advances', are subjected to asset classification and provisioning as per prudential norms if interest/ installment of principal (including maturity proceeds) or any other amount due to the Bank remains unpaid for more than 90 days.
 - Equity investment classified as NPI should be valued at market value, if quoted, and in case where equity is not quoted it should be valued Re1
- 4.5 Brokerages / Commission / incentive received on subscriptions are deducted from the cost of securities. Brokerage / Commission / Stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses.
- 4.6 Interest Rate Swap transactions for trading is marked to market at quarterly intervals. The fair value of the total swaps is computed on the basis of the amount that

would be received/ receivable or paid/ payable on termination of the swap agreements as on the balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for, while the profit, if any, is ignored.

4.7 Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

4.8 Premium/interest arising at the inception of forward exchange swap facility of RBI for FCNR (B) dollar deposits is amortized as expense over the period of the swap contract.

4.9 Cost of investments is determined based on the Weighted Average Cost method in each category. Investments classified under HTM are carried at acquisition cost as arrived under Weighted Average Cost method and in case the weighted average cost is more than the face value, the premium is amortised over the remaining period of maturity.

- Accounting for Repo/Reverse Repo transactions:

All types of repo/reverse repo transactions with RBI including LAF, variable rate term operations, Long Term Repo Operations (LTRO), MSF and also Market Repo transactions are accounted as per RBI guidelines.

- The securities sold and purchased under Repo/Reverse Repo are accounted as Triparty Repo wherein securities are transferred as in the case of normal outright sale/purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as Interest expenditure / income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified under Schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified under Schedule 7 (Balance with Banks and Money at Call & Short Notice).

5. FINANCIAL ASSETS SOLD TO RECONSTRUCTION COMPANIES (RC)

5.1 Security Receipts (SR) issued by SCs/RCs in respect of financial assets sold to them is recognized at lower of redemption value of SRs and Net Book Value of financial assets. SRs are valued at

(a) SRs issued by SCs/RCs prior to 01.04.2017 at Net Asset Value declared by SCs/RCs on the Balance Sheet date and depreciation, if any, is provided for and appreciation is ignored.

(b) As per amended guidelines issued by RBI with effect from April, 01, 2017, provisioning requirement on SRs will be higher of

(i) provisioning rate in terms of Net Asset Value declared by the SCs/RCs

(ii) provisioning rate as applicable to the underlying loans, assuming that the loans notionally continued in the books of the bank

5.2 In case of financial assets sold to RC, the valuation and income recognition is being done as per RBI Guidelines. If the sale is for value lower than the Net Book Value (NBV) (i.e, book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit and Loss account or met out of utilisation of Floating provision held, as per extant RBI guidelines

If the cash received (by way of initial consideration and / or redemption of security receipts) is higher than the Net Book value of the Non Performing Asset (NPA) sold to RC, then excess provision is reversed to the Profit and Loss account. The quantum of excess provision reversed to profit and loss account is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the NPA sold.

6 ADVANCES

6.1 In accordance with the prudential norms issued by RBI, advances in India are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss assets borrower-wise.

6.2 Provisions are made for non performing advances as under:

a) Sub Standard:

i) A general provision of 15% on the total outstanding

ii) Additional provision of 10% for exposure which are unsecured ab-initio (ie., where realizable value of securities is not more than 10% ab-initio)

b) Doubtful category-1

i) 25 % for Secured portion.

ii) 100% for Unsecured portion.

c) Doubtful Category – 2

i) 40 % for Secured portion.

ii) 100% for Unsecured portion.

d) Doubtful category-3 and Loss advances – 100 %.

- Provision is made for standard advances including Restructured / Rescheduled standard advances as per RBI directives.

- In respect of foreign branches, income recognition, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirement or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.

Further, if an asset in the overseas books of the Bank requires to be classified as NPA at any point of time in terms of regulations issued by Reserve Bank of India, then all the facilities granted by the bank to the borrower and investment in all the securities issued by the borrower will be classified as NPAs/NPIs.

However, accounts classified as Non-performing/ Impaired assets (NPAs) by host regulators for

reasons other than record of recovery, would be classified as NPAs at the time of consolidating financial statements in India and provided for, as required; whereas asset classification of other credit exposures to the same counterparties in other jurisdictions (including India) will continue to be governed by the extant guidelines in the respective jurisdictions.

- Advances disclosed are net of provisions made for non-performing assets, DICGC/ ECGC/ CGTMSE claims received and held pending adjustment, repayments received and kept in sundries account, participation certificates, usance bills rediscounted and provision in lieu of diminution in the fair value of restructured accounts classified as standard assets.

7. FIXED ASSETS / DEPRECIATION

- 7.1. Premises and other fixed assets are stated at historical cost and at the revalued amount in respect of assets revalued.
- 7.2. Depreciation on buildings (including cost of land wherever inseparable/ not segregated) and other fixed assets in India is provided for on the straight-line method at the same rates in which the said assets were charged, as specified below:

SL. No.	Nature of Asset	Rate of Depreciation (SLM)
I	Buildings	1.63%
II	Other Fixed Assets	
	• General Plant and Machinery	4.75%
	• Furniture, Fixtures	6.33%
	• Electrical Machinery and Fittings	7.07%
	• Cycles	7.07%
	• Scooters, Motor Cycles, Jeeps	9.50%
	• Vans	11.31%
	• Coin Vending Machine	16.66%
	• Motor cars	20.00%
	• Data processing machines including computers and UPS	33.33%
	• Cell Phones and on small value items costing upto ₹ 5000/-	100.00%

- 7.3. Depreciation relating to revalued component is charged under revenue expenditure and an equivalent amount will be charged straight away against revaluation reserve and credited to the revenue reserve, as per revised AS 10 issued by ICAI.

Depreciation on fixed assets acquired and put in to use on or before 30th September is charged at 100% of the prescribed rates and at 50% of the prescribed rates on the fixed assets acquired and put in to use thereafter. No

depreciation on the fixed assets is provided for in the year of sale / disposal. In respect of Assets where subsidy is received from Government, the same is credited to the respective asset account and depreciation has been charged accordingly.

- 7.4. Premium on leasehold land is capitalized in the year of acquisition and amortized over the period of lease.
- 7.5. Depreciation in respect of fixed assets at foreign branches is provided as per the practice prevailing in the respective countries.
- 7.6. In respect of Non Banking Assets, no depreciation is charged.

8. REVENUE RECOGNITION

- 8.1 Income and expenditure are generally accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.
- 8.2 Income from non-performing assets, Central Government guaranteed assets (where it is overdue beyond 90 days), dividend income, insurance claims, commission on letters of credit/ guarantees issued (other than those relating to project finance), income from Bancassurance products, income from wealth management, additional interest/ overdue charges on bills purchased, finance charges on credit cards, income on Bank's right to recompense, AMC charges on debit cards are accounted for on realisation basis and locker rent received is accounted on accrual basis.
- 8.3 In case of overdue foreign bills, interest and other charges are recognised till the date of crystallisation as per FEDAI guidelines.

9. CREDIT CARD REWARD POINTS

Reward points earned by card members on use of Card facility is recognized as expenditure on such use.

10. NET PROFIT / LOSS

The result disclosed in the Profit and Loss Account is after considering:

- Provision for Non-Performing Advances and / or Investments.
- General provision on Standard Advances
- Provision for Restructured Advances
- Provision for Depreciation on Fixed Assets
- Provision for Depreciation on Investments
- Transfer to/ from Contingency Fund
- Provision for direct taxes
- Provision for Unhedged Foreign Currency Exposure
- Usual or/and other necessary provisions

11. STAFF RETIREMENT BENEFITS

i) PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays

fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust.

ii) **GRATUITY**

Gratuity liability is a statutory obligation as per Indian Bank Employees' Gratuity Fund Rules and Regulations and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the Bank and is managed by Indian Bank Employees' Gratuity Fund Trust.

iii) **PENSION**

- Pension liability is a defined benefit obligation under Indian Bank (Employees) Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension.
- New Pension Scheme (NPS) which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

iv) **COMPENSATED ABSENCES**

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and Sick Leave are provided for based on actuarial valuation.

v) **OTHER EMPLOYEE BENEFITS**

Other Employee benefits such as Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation. In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

12. ACCOUNTING FOR LEASES

Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognized in the Profit and Loss Account over the lease term or life whichever is lower.

13. CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS

13.1 Contingent liability: Past events leading to, possible or present obligations are recognised as contingent liability in the following instances where:

- (a) The existence of such obligations has not been confirmed

- (b) no outflow of resources are required to settle such obligations
- (c) a reliable estimate of the amount of the obligations cannot be made
- (d) such amounts are not material

13.2 (a) Provision is recognized in case of present obligations where a reliable estimate can be made and/or where there are probable outflow of resources embodying foregoing of economic benefits to settle the obligations, excluding frivolous claims.

- (b) Provision for Market Risk, Country Risk, etc., are made in terms of extant instructions of RBI.
- (c) Floating provision as identified by the Bank Management is provided for.

Floating provision may be utilized as per extant RBI guidelines, for -

- (i) Making specific provisions for non-performing assets;
- (ii) Meeting any shortfall in sale of non-performing assets.

14. IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses, if any, on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss Account in accordance with the Accounting Standard 28 "Impairment of Assets". However, an impairment loss on a revalued asset is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset.

15. TAXES ON INCOME

15.1 Provision for tax is made for both Current Tax and Deferred Tax.

15.2 Current tax is measured at the amount expected to be paid to the taxation authorities, using the applicable tax rates, tax laws and favourable judicial pronouncements / legal opinion.

15.3 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognised using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognised unless there is "virtual certainty" that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realised.

SCHEDULE 18 - NOTES ON ACCOUNTS

1. CAPITAL

(Amount ₹ in crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
i) Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	11.78	10.96
ii) Tier I Capital ratio (%)	12.08	11.29
iii) Tier II Capital ratio(%)	2.04	1.92
iv) Total Capital ratio (CRAR) (%)	14.12	13.21
v) Percentage of the Shareholding of the Government of India in public sector banks	83.46	81.49
vi) Amount of equity capital raised	0.00	0.00
vii) Amount Additional Tier 1 capital raised; of which Perpetual Non-cumulative Preference Shares (PNCPS) Perpetual Debt Instruments (PDI):	NIL	NIL
viii) Amount of Additional Tier 2 capital raised ; of which Debt capital instrument: Preference Share Capital Instruments:[Perpetual Cumulative Preference Shares(PCPS)/Redeemable Non-Cumulative Preference Shares(RNCPS)/Redeemable Cumulative Preference Shares(RCPS)]	NIL	1000.00 NIL NIL NIL NIL NIL

2. INVESTMENTS

2.1. In accordance with the RBI guidelines, the Bank's domestic investment portfolio has been classified into three categories. The figures as at 31.03.2020 are given hereunder:

(Amount ₹ in crore)

Classification	31/03/2020		31/03/2019	
	Amount	%	Amount	%
Held to Maturity -HTM *	46772.80	58.21	38498.87	60.01
Available for Sale –AFS	33580.78	41.79	25532.13	39.80
Held for Trading – HFT	0.00	0.00	122.15	0.19
Gross Total	80353.56	100%	64153.15	100.00

*Domestic SLR securities in HTM category as a percentage of Net Demand and Time Liabilities works out to 17.08% against a stipulated maximum level of 19.50% (previous year works out to 15.43% as against a stipulated maximum level of 19.50%).

2.2. Investments

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2019-20	2018-19
(1) Value of Investments		
(i) Gross value of investments		
(a) In India	80353.56	64153.15
(b) Outside India	2268.27	1963.63
(ii) Provisions for Depreciation & NPI		
(a) In India	1282.86	1035.06
(b) Outside India	97.28	89.54

(iii) Net value of Investments		
(a) In India	79070.70	63118.09
(b) Outside India	2170.99	1874.09
(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments & NPI		
(i) Opening Balance	1035.06	509.78
(ii) Add: Provisions made during the year	821.55	1128.59
(iii) Less: Write-off/ Write back of excess provisions during the year	573.75	603.31
(iv) Closing Balance	1282.86#	1035.06#

#Provision has not been made on shares issued in lieu of FITL for which Bank has not booked any income and holds an equivalent amount of interest realizable.

2.2.1 REPO Transactions (in face value terms):

(Amount ₹ in crore)

Type	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2020
Securities sold under repo				
I. Government securities	0.00	8478.21	2157.96	8426.32
ii. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
Securities purchased under reverse repo				
I. Government securities	0.00	4800.00	515.19	2100.00
ii. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2.2 NON-SLR INVESTMENT PORTFOLIO (Domestic)

i) Issuer Composition of Non SLR Investments:

(Amount ₹ in crore)

No.	ISSUER	AMOUNT	EXTENT OF PRIVATE PLACEMENT	EXTENT OF "BELOW INVESTMENT GRADE" SECURITIES	EXTENT OF "UNRATED" SECURITIES	EXTENT OF "UNLISTED" SECURITIES
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PSU	5976.76	4917.49	0.00	175.00	0.00
2	FIs	3616.74	1675.83	204.61		12.42
3	Banks	3505.46	963.72	0.00		0.00
4	Private Corporates	2132.54	2095.67	243.69	0.00	34.29
5	Subsidiaries/Joint Ventures	106.50	106.50	0.00	0.00	27.63
6	Others	5.60	5.60	0.00	0.00	
7	Provision held towards depreciation & NPI	-1279.76	NIL	NIL	NIL	NIL
	Total	14063.84	9764.81	448.30	175.00	74.34

ii) Non Performing Non-SLR Investments

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2019-20	2018-19
Opening Balance	412.77	337.15
Additions during the year since 1 st April	363.40	75.72
Reduction during the above period	4.86	0.10
Closing Balance	771.32	412.77
Total Provisions held	425.08	63.26

2.2.3 Sale and Transfers to / from HTM Category:

The value of sales and transfers of securities to / from HTM category did not exceed 5 per cent of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year as per RBI guidelines.

- Profit on account of sale of securities from HTM category amounting to Rs 271.10 crores (previous year Rs 83.60 crores) has been taken to Profit and Loss Account and thereafter an amount of Rs 152.15 Crores (previous year Rs 41.00 crores) was transferred to Capital Reserve Account (net of taxes and amount required to be transferred to statutory reserves).

- Shifting of securities

(i) In the beginning of the year, the Bank shifted

SLR securities for Book Value of Rs 4678.48 crores which has resulted in no additional provision & Non-SLR VCF securities for Book Value of Rs 3.48 crores with a depreciation provision of Rs 0.38 Crs from HTM category to AFS category and

SLR securities for Book Value of Rs 7396.21 crores from AFS category to HTM category which has resulted in adjustment of provision held against depreciation for Rs 143.63 crores to reduce the book value to the market value.

(ii) In case of securities classified under HTM category, if acquisition cost is more than the face value, the premium is amortized over the remaining period to maturity. For the Financial Year 2019-20, a sum of Rs 90.58 crores (previous year Rs 97.18 crores) has been amortized and the same is reflected as a deduction from 'Income on Investments'.

3. DERIVATIVES
3.1 Forward Rate Agreements / Interest Rate Swaps (IRS)

The Bank has not entered into Derivative contracts of the nature of Forward Rate Agreements / Interest Rate Swaps (IRS) to hedge on balance sheet assets during the financial year 2019-2020.

(Amount ₹ in crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
i) The notional Principal of Swap agreement	0.00	0.00
ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreement.	NIL	NIL
iii) Collateral required by the bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv) Concentration of Credit Risk arising from the swaps	0.00	0.00
v) The fair value of swap book	0.00	0.00

3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

The Bank has not contracted any exchange traded interest derivatives during the current year and in the previous year.

SI No	Particulars	2019-20	2018-19
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)		
	a)		
	b)		
	c)	225	NIL
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 st March 2019 (instrument-wise)		
	a)		
	b)		
	c)	NIL	NIL
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)		
	a)		
	b)		
	c)	NIL	NIL
iv)	Mark-to-Market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective": (instrument-wise)		
	a)		
	b)		
	c)	NIL	NIL

3.3 Disclosures on Risk Exposure in Derivatives

3.3.1 Qualitative Disclosures:

Bank's policy permits hedging of asset as well as liability using IRS. The hedging transactions are to be accounted on an accrual basis. Swaps, which hedge interest bearing asset / liability, are accounted for as the asset or liability hedged. Outstanding swap contracts are marked to market.

All swap deals shall be based on the guidelines of International Swaps Dealers' Association. Bank has adequate control systems and also internal approvals prior to concluding transactions. There exists a clear functional segregation between (i) trading (Dealing) (ii) back office (settlement, monitoring and control) and (iii) accounting sections.

In the derivatives segment, the bank's policy permits doing proprietary trading in Overnight Index Swaps (OIS). The activities in this segment are governed by the Derivatives Policy approved by the Bank's Board.

The gain or loss in OIS transactions is booked in the Profit and Loss account on the maturity or unwinding of the deal whichever is earlier. For the purpose of valuation of outstanding OIS deals, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the swap as on the balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for while the profits, if any, are ignored.

Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

3.3.2 Quantitative Disclosures

The Bank is active in the following products under derivatives:-

- Overnight Index Swaps (OIS)
- Currency Futures

The outstanding OIS position as on 31st March 2020 was Rs Nil Crores (previous year Rs 25.00 Crores).

Outstanding position in Currency futures as on 31.03.2020 is Rs NIL Crores and previous year was Rs Nil Crores.

(Amount ₹ in crore)

Sl. No.	Particulars	2019-20		2018-19	
		Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
1	Derivatives (Notional Principal Amount)	0.00	0.00	0.00	25.00
	a) For hedging				
	b) For trading	0.00	0.00	0.00	25.00
2	Marked to Market Positions(1)				
	a) Asset (+)	0.00	0.00	0.00	0.09
	b) Liability (-)	0.00	0.00	0.00	-0.31
3	Credit Exposure(2)	0.00	0.00	0.00	0.25
4	Likely impact on one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	a) On hedging derivatives	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) On trading derivatives	0.00	0.00	0.00	0.01
5	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	a) On hedging				
	Maximum	0.00	0.00	0.00	0.00
	Minimum	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) On Trading				
	Maximum	0.00	2.47	0.00	0.013
	Minimum	0.00	1.23	0.00	0.012

4. ASSETS QUALITY
4.1.1 Non-Performing Assets

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2019-20	2018-19
(I) Net NPAs to Net Advances (%)	3.13	3.75
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
(a) Opening Balance	13353.45	11990.14
(b) Additions during the year	5320.50	6444.96
(c) Reductions during the year	4523.11	5081.65
(d) Closing Balance	14150.84	13353.45
(iii) Movement of Net NPAs		
(a) Opening Balance	6793.11	5959.56
(b) Additions during the year	3778.48	4419.80
(c) Reductions during the year	4387.35	3586.25
(d) Closing Balance	6184.24	6793.11
(iv) Movement of Provision for NPAs (excluding provisions on standard assets and Floating Provisions)		
(a) Opening Balance	6131.86	5498.23
(b) Provisions made during the year	4254.77	3594.47
(c) Write-off / Write - back of excess provisions	2871.16	2960.84
(d) Closing Balance	7515.47	6131.86

4.1.2 ..Disclosure on Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs (Vide RBI Circular DBR.BP.BC No.63/21.04.018/2016-17 dated 18.04.2017)

SI No.	Particulars	₹ in thousands
1	Gross NPAs as on March 31, 2019 as reported by the Bank*	133534519
2	Gross NPAs as on March 31, 2019 as assessed by RBI	135374519
3	Divergence in Gross NPAs (2-1)	1840000
4	Net NPAs as on March 31, 2019 as reported by the Bank	67931144
5	Net NPAs as on March 31, 2019 as assessed by RBI	59731144
6	Divergence in Net NPAs (5-4)	-8200000
7	Provisions for NPAs as on March 31, 2019 as reported by the Bank	61318592
8	Provisions for NPAs as on March 31, 2019 as assessed by RBI	71358592
9	Divergence in Provisioning (8-7)	10040000
10	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2019	3219521#
11	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2019 after taking into account the divergence provisioning	-3332101#
	*March 31, 2019 is the close of the reference period in respect of which divergences were assessed	

#After considering impact of DTA

4.1.3 Details of Resolution Plans implemented during the year 2019-20 in terms of RBI circular no DBR no BP.BC. 45 / 21.04.048/2018-19 dated 7th June 2019 : NIL

Resolution period extended in any accounts as provided in para 3&4 of RBI circular No.DOR No.DP.BC.62/21.04.48/2019-20 dated 17.04.2020 : NIL

4.2.1 Disclosure of Restructured Accounts - as on 31-03-2020

SI No	Type of Restructuring	Under CDR Mechanism						Under SME Debt Restructuring						Others						Total		
		Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	
1	Restructured Accounts as on April 1 of FY 2019 (opening figure) *	1	0	5	0	6	24339	253	349	6	24947	5897	1059	1525	22	8503	30237	1312	1879	28	33456	
2	Fresh restructuring during Apr-Mar 2020	0.00	0.00	447.33	0	447.33	995.30	37.67	66.76	0.36	1100.09	1613.66	275.97	1883.86	106.64	3880.13	2608.97	313.63	2397.95	107.00	5427.55	
3	Upgradation to restructured standard category during Apr-Mar 2020	0.00	0.00	1.04	0	1.04	0.79	0.06	0.14	0.02	1.01	17.99	6.37	18.88	0.00	43.05	18.78	6.44	19.86	0.02	45.10	
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	0	0	0	0	0	46	-41	-5	0	0	64	-41	-23	0	0	110	-82	-28	0	0	
5	Downgradations of restructured accounts during Apr-Mar 2020	0.00	0.00	-80.28	80.28	0.00	-213.96	92.83	120.47	0.41	-0.25	-427.48	24.52	366.12	37.10	0.26	-641.44	117.35	406.30	117.79	0.00	
6	Write-offs of restructured accounts during Apr-Mar 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.19	0.06	0.13	0.00	-11.22	-542	-242	-6	-1019	-2875	-281	-278	-9	-3443		
7	Restructured Accounts as on Mar 31 st , 2020 (closing figure) *	1	0	4	1	6	38693	5785	731	8	46217	7818	941	2180	40	10979	47512	6726	2915	49	57202	
		0.00	0.00	387.37	77.65	465.02	1745.14	262.95	173.41	1.44	2182.93	1096.88	202.62	1668.53	143.29	3111.31	2842.01	465.57	2229.31	222.38	5759.27	
21	Provision thereon	0.00	0.00	0.85	0.00	0.85	0.99	2.80	0.16	0.00	3.95	1.84	0.01	12.15	0.00	14.00	2.83	2.81	13.16	0.00	18.80	

* Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable)

S No. 2 includes Rs. 1385.34 cr of fresh restructuring and further debits / disbursements to existing restructured account as on 31.03.2020 - Rs.252.75 cr
 S No.6 includes fresh write off Rs.308.01 cr and closer/ sale to ARC - Rs. 448.94 cr decrease in balance - Rs185.64cr

4.2.2 MSME DISCLOSURE

Based on RBI Circular DBR No: BP.BC 18/21.04.048/2018-19 dated January 1, 2019 and BP.BC.34/21.04.048/2019-20 dated 11.02.2020 the Bank has restructured MSME accounts as detailed below:

No. of accounts Restructured	Balance outstanding in these accounts as on 31.03.2020 (Rs in Cr.)
54167	2065.00
Of which slipped to NPA	
6456	212.00

Standard asset provision required for these accounts as per above RBI circular 0.25 % + Additional provision of 5%=5.25% i.e., 1853.00 * 5.25% = Rs 97.00 Crores

4.3 Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

4.3.1. Details of Sales

(Amount ₹ in crore)

Items	2019-20	2018-19
(i) No. of Accounts	NIL	28482
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	NIL	130.02
(iii) Aggregate consideration	NIL	256.62
(iv) Additional consideration realised in respect of accounts transferred in earlier years	NIL	--
(v) Aggregate gain/ loss over net book value	NIL	126.60

4.3.2 Book Value of Security Receipt (without netting hived off provision)

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2019-20	2018-19
(i) Backed by NPAs sold by the bank as underlying	2336.73	2427.60
(ii) Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non banking financial companies as underlying	NIL	NIL
Total	2336.73	2427.60

(Amount ₹ in crore)

	Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
(i)	Book Value of SRs backed by NPAs sold by the Bank as underlying	2106.98	228.57	1.17
	Provision held against (i)	421.79	8.10	0.00
(ii)	Book Value of SRs backed by NPAs sold by other Banks/ financial institutions/ Non banking financial companies as underlying	0.00	0.00	0.00
	Provision held against (ii)	0.00	0.00	0.00
	Total (i)+(ii)	2106.98	228.57	1.17

4.3.3 Details of non-performing financial assets purchased /sold
A. Details of non-performing financial assets purchased:

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2019-20	2018-19
1. (a) No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
(b) Aggregate outstanding	NIL	NIL
2. (a) Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
(b) Aggregate outstanding	NIL	NIL

B. Details of non-performing financial assets sold

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2019-20	2018-19
1. No. of accounts sold	NIL	28482
2. Aggregate Outstanding	NIL	726.51
3. Aggregate consideration received	NIL	256.62

4.3.4. Provision on Standard Assets

(Amount ₹ in crore)

	2019-20	2018-19
Provisions towards Standard Assets	961.08	821.97

4.3.5. The spread of COVID-19 across the globe has resulted in declined economic activity and increased volatility in financial markets. In this situation, though the challenges continue to unfold, the Bank is gearing itself on all fronts to meet the same. The situation continues to be uncertain and the Bank is evaluating the situation on an ongoing basis. The extent to which the COVID-19 pandemic will impact the Bank's results will depend on future developments, which are highly uncertain. Major challenges for the Bank would be from extended working capital cycle and reduced cash flows. The Bank's capital and liquidity position is strong and would continue to be the focus area for the Bank during this period.

4.3.6. RBI vide Notifications dated 27.03.2020 and 17.04.2020 has announced measures to mitigate the burden of debt servicing brought about by disruptions on account of COVID-19 pandemic and to ensure the continuity of viable businesses. The measures, inter alia, included Rescheduling of Payments -Term Loans and Working Capital Facilities, Easing of Working Capital Financing, Classification as Special Mention Account (SMA) and Non-Performing Asset (NPA) et c. Accordingly the Bank has made the following provisions: -

- Provision @15% aggregating to Rs. 108.90 Crore against the accounts with outstanding of Rs. 725.99 Crores which were standard as on 29.02.2020 but would have slipped to NPA/Sub-standard category as on 31.03.2020 had the RBI debt servicing relief as above not been reckoned.
- In respect of above accounts, interest income aggregating Rs. 39.46 Crore has been reckoned in operating profit and an equal amount has been made as additional provision against those Assets.

4.3.7 General Provision for COVID-19 Deferment cases:

In accordance with the RBI guidelines relating to COVID-19 Regulatory Package dated 27th March, 2020 and 17th April, 2020, and clarification issued by RBI through Indian Bankers Association, dated 6th May 2020 the Bank is granting moratorium on the payment of installments and / or interest, as applicable, falling due between 1st March, 2020 and 31st May, 2020 ('moratorium period') to eligible borrowers classified as Standard, even if overdue, as on 29th February, 2020. In accordance with RBI guidelines, the moratorium period, wherever granted, is excluded by the Bank from the number of days past-due for the purpose of asset classification under RBI's Income Recognition and Asset Classification norms. The Bank holds provisions as at 31st March 2020 against the potential impact of COVID-19 based on the information available up to a point in time. The provisions held by the Bank are higher than the RBI prescribed norms. Following are the details of such accounts and provisions made by the Bank:

(in crore)

Particulars	As at 31st March, 2020
Advances outstanding in SMA/overdue categories, where the moratorium/ deferment was extended as per COVID-19 Regulatory Package	53623.38
Advances outstanding where asset classification benefits is extended up to 31st March, 2020	725.99
Provisions made as per para 5 of the COVID-19 Regulatory Package for the financial year ended 31st March, 2020	148.36
Provisions adjusted during the financial year ended 31st March, 2020	NIL

5. Business Ratios

Particulars	2019-20	2018-19
(I) Interest Income as a percentage to Working Funds	7.26	7.32
(ii) Non-Interest Income as a percentage to Working Funds	1.12	0.72
(iii) Operating Profit as a percentage to Working Funds	2.20	1.86
(iv) Return on Assets (%)	0.26	0.12
(v) Business (Deposits plus Advances) per employee (₹ Crore)	24.62	21.74
(vi) Profit per employee (₹ Crore)	0.04	0.02

6. Asset Liability Management

(Amount ₹ in crore)

	1 day	2-7 days	8-14 days	15 to 30 days	31 days to 2 months	2 months to 3 months	Over 3 months to 6 months	Over 6 months to 1 year	Over 1 year to 3 years	Over 3 years to 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	1272.33	8088.41	6221.92	10289.06	11987.31	11884.20	33480.14	48837.36	59251.50	18645.53	50268.15	260225.90
Borrowings	379.11	3328.10	99.16	7.57	825.55	1189.35	1319.58	2556.40	10125.49	1000.00	0.00	20830.31
Investments*	15820.19	776.96	958.53	2157.93	1228.33	2097.23	10280.93	9722.51	12237.95	3786.26	21958.68	81025.50
Advances	1596.72	2441.39	7187.06	6749.09	10468.55	9907.60	20067.06	29873.73	61467.1	23404.26	24724.47	197887.01
*Excludes 50% of listed equities of ₹ 216.08 Crore of which												
Foreign Currency Liabilities	587.33	636.29	101.62	1083.23	1344.65	1239.50	1777.33	1571.02	2795.07	903.77	636.54	12676.35
Foreign Currency Assets	836.91	528.82	613.66	1521.78	824.22	1114.93	1531.32	1702.67	1135.29	1082.69	187.58	11079.87

7. Exposures

7.1 Exposure to Real Estate Sector

(Amount ₹ in crore)

Category	31.03.2020	31.03.2019
A) Direct Exposure		
(i) Residential Mortgages -	21438.09	18913.15
Out of which individual housing loans eligible for being included under priority sector	9051.73	7105.15
(ii) Commercial Real Estate -	3822.07	5853.39
(iii) Investment in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures	NIL	NIL
a) Residential	NIL	NIL
b) Commercial Real Estate	NIL	NIL
B) Indirect Exposure		
Fund based and Non-fund based exposure on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Corporation (HFCs)	11842.40	9164.02
Total Exposure to Real Estate Sector	37102.56	33931.64

7.2 Exposure to Capital Market

(Amount ₹ in crore)

Items	31.03.2020	31.03.2019
(i) Direct investment		
a) In Equity shares,	448.41	546.74
b) In Bonds / Convertible Debentures	68.71	68.71
d) In Units of Equity- Oriented Mutual Funds the corpus of which is not exclusively invested in Corporate Debt;	NIL	NIL
(ii) Advances against Shares/Bonds/Debentures or other Securities or on clean basis to individuals for investment in Equity shares (including IPOs/ESOPs) Convertible Bonds, Convertible Debentures, and units of Equity Oriented Mutual Funds;	NIL	NIL
(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	18.03	18.17
(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover advances;	NIL	369.95
(v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	20.25	30.75
(vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	NIL	NIL
(vii) Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	NIL	NIL
(viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	NIL	NIL
(ix) Financing to stockbrokers for margin trading	NIL	NIL
(x) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered);	20.05	22.51
Total Exposure to Capital Market	575.45	1056.83

7.3 Risk Category-wise Country Exposure

(Amount ₹ in crore)

Risk category**	Exposure (Net) as at 31.03.2020	Provision held as at 31.03.2020	Exposure (Net) as at 31.03.2019	Provision held as at 31.03.2019
Insignificant	5333.55	3.18	8085.75	4.32
Low	4290.33		3545.75	
Moderate	117.79		135.98	
High	0.11		0.00	
Very High	0.00		0.00	
Restricted	0.00		0.00	
Off-credit	0.00		0.00	
Total	9741.78	3.18	11767.48	4.32

**As per the updated country risk classification by the ECGC as on 31.03.2020

COUNTRY RISK MANAGEMENT:

The Bank has analyzed its net funded exposure to various countries as on 31.03.2020 and such exposure to countries other than Singapore is well within the stipulation of 1% of the total assets of the Bank. In respect of Singapore, which is classified under "Insignificant" risk category by ECGC Ltd, a provision of 3.18 Cr (Previous year 4.32 Cr for 'Insignificant' risk category) is available.

7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) if any, exceeded by the Bank (Amount ₹ in crore)

Borrower Name	Additional Exposure	Total Highest Exposure	Percentage of additional exposure	Percentage of Total Exposure
-----	-----	NIL	-----	-----

7.5 Unsecured Advances

Out of the total unsecured advances, advances secured by intangible securities such as rights, licenses, authority, etc. charged to the bank as collateral in respect of projects (including infrastructure projects) is NIL. Estimated total value of such intangible collateral is NIL

7.6 Provision for Income Tax for the year

(Amount ₹ in crore)

	2019-2020	2018-19
Provision for Taxation (IncomeTax including Deferred Tax)	619.37	-37.74

The disputed income tax demand paid as at 31.03.2020 was .4129.14 Crores (previous year .4348.52 Crores). The same has also been included under contingent liabilities of 4396.00 Crores (previous year .5704.41 Crores) relating to disputed tax matters as at 31.03.2020. No provision is considered necessary for the said disputed demands on account of judicial pronouncements and favorable decisions in Banks' own case.

8 Disclosure of Penalties imposed by RBI

- During the year RBI has imposed of Rs. 16.82 lakhs (155 entries) (Previous Year ending 2018-19 9.07 lakhs, 114 entries) for shortages, forgeries in soiled notes remittances and delayed / wrong reporting in ICCOMS / non adherence to RBI guidelines by the currency Chest operations.
- Penalty of Rs.50.00 lakhs imposed for Violation of RBI Master Directions on Frauds – Reporting within 21 days from the date of detection. Bank's submission that the time required for obtention of records from various sources, scrutiny/analysis of the cases by Competent Authority not considered.
- Penalty of Rs.25.00 lakhs imposed for Violation of RBI guidelines while opening of SB accounts of a Society (Srijan)
- Penalty of Rs.50.00 lakhs imposed for Non Adherence with directions KYC/AML norms . Neither Risk Categorization not done nor periodical review not carried out
- Penalty of Rs.50.00 lakhs imposed for violation of RBI directions relating to Inflation in Balance Sheet figures – Window dressing of Balance Sheet 2018 – Transfer of undisbursed portion of the loans to the borrowers' deposit accounts and reversed the same immediately post reference date (March 2018) in 898 accounts involving an amount of Rs.508.28 crores

- f) Penalty of Rs.8.00 lakhs with regard to certain irregularities found in the inspection relating to Debenture Trustee inspections conducted by SEBI Officials covering the period from September 2013 to March 2018. The penalty was paid to SEBI on 06.06.2019 and the corrective measures pointed out by SEBI has been taken by then CO: Credit Department (Debenture Trustee Portfolio was under CO: Credit Department during the SEBI Adjudication Proceedings).

Disclosure of Penalties imposed by GOI

GOI, Ministry of Finance, CBIC has levied Delayed Penal Interest for delay in remittance of GST collections for the period from 01.01.2018 to 30.06.2019 for Rs.8,63,280/- vide letter dated 25.09.2019 which is paid on 04.12.2019 vide DD favouring Pay & Accounts Officer, CBEC, New Delhi

Similar Penal interest was levied on delayed remittance of online collection of customs for the period from 2014-15 to 2016-17 for Rs.9,97,034/-. Various representation for waiver of penal interest was made to CBIC department and finally payment is made on 11.10.2019 vide DD favouring Pay & Accounts officer, CBEC, New Delhi for Rs.997034/- as per the demand notice dated 04.09.2019.

Internal Audit was conducted for PPF Accounts for the period from April 1997 to March 2010 by GOI in 2015. In the Audit report, delayed remittances were observed and delayed penal interest of Rs.10,09,856/- was levied. Various representations were made to Chief Controller of Accounts for waiver which were not considered. Payment was finally made on 28.01.2020 PAO(Secretariat), Ministry of Finance. New Delhi., on receipt of demand notice dated 10.01.2020.

8.1 Fixed Assets

- 8.1.1 The premises of the Bank include land and building are stated at revalued amount. The Bank revalued its premises in the financial year 2018-19 at fair market value determined by the approved external valuers. There is an increase of Rs.555.14 Crore in the amount of revaluation of premises, which has been credited to "Revaluation Reserve Account". For the year 2019-20, depreciation amounting to Rs.110.49 crores (Previous Year Rs.85.33 crore) was charged under expenditure and depreciation on revalued portion amounting to Rs.107.20 Crore (previous year Rs. 81.55 crore) is adjusted against the "Revaluation Reserve account". As per AS 10 Standard, depreciation on revalued assets amounting to Rs. 107.20 crores was also charged under expenditure for the year 2019-20. The same was adjusted against Revaluation Reserve to the credit of Revenue Reserve A/c.
- 8.1.2 Premises include 4 properties costing Rs.3.59 crores (Previous year 4 properties costing Rs. 3.59 crores) having revalued book value, net of depreciation at Rs.48.04 Crore (Previous year Rs.49.22 crore) for which registration formalities are pending.

9. DISCLOSURES IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS (AS):
9.1 Cash Flow Statement (AS 3) :

Cash Flow statement for the Year Ended March 31,2020		
	Year ended 31.03.2020	Year ended 31.03.2019
	(₹ in '000)	(₹ in '000)
Net Profit as per Profit and Loss Account	7533582	3219521
Adjustments for :		
Provisions and Contingencies	57446829	45586640
Depreciation	3136306	2589654
Loss/(profit) on sale of land and buildings	(7339)	15110
Income taxes paid	(7900000)	(6990000)
Operating Profit before working Capital Changes	60209379	44420925
Increase/Decrease in Operating Assets		
Increase / (Decrease) in Investments	(162495137)	64055923
Increase/(Decrease) in advances	(166250991)	(246929839)
Increase / (Decrease) in other assets	(18996441)	(7274087)
	(347742569)	(190148003)
Increase/Decrease in Operating Liabilities		
Increase/(Decrease) in Deposits	181499502	337817251
Increase/(Decrease) in Borrowings (other than Capital Instruments)	86927667	(86226278)
Increase/(Decrease) in other liabilities	(68240159)	(43182435)
	200187010	208408538
Net cash generated from operations (A)	(87346180)	62681460
Cash flow from investing activities		
Purchase of fixed assets	(2590730)	(2563497)
Sale of fixed assets	118368	79616
Net cash generated from Investing Activities (B)	(2472362)	(2483881)
Cash flow from Financing activities		
Payment of dividend	0	0
Payment of distribution tax	0	0
Increase/(decrease) in borrowings (Capital instruments)	0	10000000
Capital Received towards Share	28294878	0
Net cash generated from financing activities (C)	28294878	10000000
Effect of Exchange Fluctuation on Translation Reserve (D)	566707	728337
Net increase/(Decrease) in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)+(D)	(60956957)	70925916
cash and cash equivalents at the beginning of the year		
cash in hand (including foreign currency notes)	10307547	4996962
Balances with Reserve Bank of India - in current Account	106711096	100019040
Balances with Banks		
(a) in current Accounts	28027	150145
(b) in other deposit accounts	7114575	6352354
Money at Call and short notice with Banks	22000000	0
Balances with Banks outside India		
(a) in current Accounts	2036553	1663853
(b) in other deposit accounts	51684718	16090078
Money at call and short notice	321281	5449
	200203797	129277881

	Year ended 31.03.2020	Year ended 31.03.2019
	(₹ in '000)	(₹ in '000)
Cash & Cash equivalents at the end of the year		
cash in hand (including foreign currency notes)	10060885	10307547
Balances with Reserve Bank of India - in current Account	47300358	106711096
Balances with Banks		
(a) in current Accounts	53506	28027
(b) in other deposit accounts	7133657	7114575
Money at Call and short notice with Banks	21000001	22000000
Balances with Banks outside India		
(a) in current Accounts	5309257	2036553
(b) in other deposit accounts	48302644	51684718
Money at call and short notice	86532	321281
	139246840	200203797

9.2 Property, Plant and Equipment (AS-10)

During the year, the depreciation on revalued portion of the fixed assets is charged to profit and loss account as against charge to revaluation reserves during the previous financial years to comply with the change in Accounting Standard (AS-10). This has the effect of increase in the expenses by Rs.107.20 crore and lowering the net profit by Rs.107.20 crore.

9.3 EMPLOYEE BENEFITS (AS 15)

9.3.1 Defined Contribution Plans:

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust. During the financial year 2019-20, the Bank has contributed 0.56 crores (previous year Rs.0.70 crores).

New Pension Scheme (NPS) is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account. During the financial year 2019-20, the Bank has contributed 58.41 crores (previous year 49.71 crores).

9.3.2 Defined Benefit Plans:

The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognised in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised) are as under:

The following table sets out the basis of the Defined Benefit Pension Plan and Gratuity Plan as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank

PRINCIPAL ACTUARIAL ASSUMPTIONS [Expressed as weighted averages]	31/03/2020	31/03/2019
Discount Rate	6.89% for Pension – 15 year G-Sec Paper	7.79% for Pension – 15 year G-Sec Paper
-G-Sec Rate	6.82% for Gratuity – 10 year G-Sec Paper	7.47% for Gratuity – 10 year G-Sec Paper
Salary escalation rate	6.00% (includes 0.50% for wage revision)	6.00% (includes 0.50% for wage revision)
Attrition rate	1.00% for Pension and 2.00% for Service Employees	1.00% for Pension and 2.00% for Service Employees
Expected rate of return on Plan Assets *	8.05% for Pension and 7.74% for Gratuity	8.26% for Pension and 8.23% for Gratuity
Method used	Projected Unit Credit (PUC) actuarial Method	

* Expected Rate of return on Plan Assets not applicable for Leave encashment..

The estimates of future salary increases are considered taking into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market and in tandem with Funding Guidelines for Superannuation Schemes communicated by IBA. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible.

The liabilities of leave encashment are unfunded.

(Amount ₹ in crore)

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund		Gratuity Fund		Leave Encashment	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
PVO as at the beginning of the year	6520.32	6245.89	923.85	964.99	188.20	179.51
Interest Cost	425.49	462.66	62.84	66.44	13.93	13.20
Current service cost	96.47	89.58	46.31	41.29	20.03	22.40
Past service cost – recognized / vested benefits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Past service cost – unrecognized / non-vested benefits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Benefits paid	-689.59	-613.46	-165.24	-150.98	-17.77	-19.32
Actuarial loss/(gain) on obligation (balancing figure)	449.26	335.65	61.23	2.11	5.90	-7.58
PVO as at the end of the year	6801.95	6520.32	928.98	923.85	210.29	188.21

(Amount ₹ in crore)

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS -RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund		Gratuity Fund		Leave Encashment	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	6418.93	6146.80	923.85	932.55	0.00	0.00
Expected return on plan assets	508.32	496.59	65.44	71.94	0.00	0.00
Contributions	446.42	397.58	69.64	57.53	17.77	19.32
Benefits paid	-689.59	-613.46	-165.24	-150.98	-17.77	-19.32
Actuarial gain/(loss) on plan assets	13.33	-8.58	2.71	-0.38	0.00	0.00
Fair value of plan assets as at the end of the year	6697.41	6418.93	896.40	910.66	0.00	0.00

(Amount ₹ in crore)

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund		Gratuity Fund		Leave Encashment	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
Expected return on plan assets	508.32	496.59	65.44	71.94	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) on plan assets	13.33	-8.58	2.71	-0.38	0.00	0.00
Actual return on plan assets	521.65	488.01	68.15	71.56	0.00	0.00

(Amount ₹ in crore)

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNISED	Pension Fund		Gratuity Fund		Leave Encashment	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	-449.25	-335.65	-24.74	-2.11	5.90	7.58
Actuarial gain / (loss) for the year – due to financial assumption changes in DBO	0.00	0.00	-36.48	0.00	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	13.32	-8.58	2.71	-0.38	0.00	0.00
Total gain / (loss) for the year	-435.93	-344.23	-58.51	-2.49	5.90	7.58
Actuarial gain/(loss) recognised in the year	-435.93	-344.23	-58.51	-2.49	5.90	7.58
Unrecognised actuarial gain / (loss) at the end of the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40

(Amount ₹ in crore)

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund		Gratuity Fund		Leave Encashment	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
Present value of the obligation	6801.96	6520.32	928.98	923.85	210.29	188.21
Fair value of plan assets	6697.41	6418.93	896.40	910.66	0.00	0.00
Difference - Net (Liability) / Asset recognized in Balance Sheet	-104.55	-101.39	-32.58	-13.19	-210.29	-188.21
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Liability recognised in the balance sheet	-104.55	-101.39	-32.58	-13.19	-210.29	-188.21

(Amount ₹ in crore)

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund		Gratuity Fund		Leave Encashment	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
Current service cost	96.47	89.58	46.31	41.29	20.03	22.40
Interest Cost	425.49	462.66	62.84	66.44	13.93	13.20
Expected return on plan assets	-508.32	-496.58	-65.44	-71.94	0.00	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	435.93	344.23	58.51	2.49	5.90	-7.58
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expenses recognised in the statement of profit and loss	449.57	399.89	102.22	38.28	39.86	28.02

(Amount ₹ in crore)

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund		Gratuity Fund		Leave Encashment	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
Opening net liability	-101.39	-99.08	-13.19	-32.43	-188.21	-179.51
Expense as above	-449.58	-399.89	-89.02	-38.28	-39.86	-28.02
Contribution paid	446.42	397.58	69.64	57.53	17.77	19.32
Closing net liability	-104.55	-101.39	-32.58	-13.19	-210.30	-188.21

(Amount ₹ in crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (ii) Previous Years 2015-20 - Pension	Year Ended					
	31-03-2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020
Present Value of obligation	5306.22	5608.14	5925.15	6245.89	6520.32	6801.96
Plan Assets	5215.05	5508.95	5841.36	6146.80	6418.93	6697.41
Surplus/ (Deficit)	-91.17	-99.19	-83.79	-99.09	-101.39	-104.55
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	-305.93	-384.40	-626.82	-704.39	-335.65	-449.25
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	13.13	-7.61	27.73	10.93	-8.58	13.32

(Amount ₹ in crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (iii) Previous Years 2015-20 - Gratuity	Year Ended					
	31-03-2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020
Present Value of obligation	844.78	831.94	900.90	964.99	923.85	928.98
Plan Assets	835.47	829.38	876.81	932.55	910.66	896.40
Surplus/ (Deficit)	-9.31	-2.56	-24.09	-32.44	-13.19	-32.58
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	21.09	-24.20	-87.34	-36.20	-2.11	-61.22
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	10.61	-1.66	-1.36	22.12	-0.38	2.71

(Amount ₹ in crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (iii) Previous Years 2015-20- Leave Encashment	Year Ended					
	31-03-2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020
Present Value of obligation	154.58	161.63	171.21	179.51	188.21	210.29
Plan Assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus/ (Deficit)	-154.58	-161.63	-171.21	-179.51	-188.21	-210.29
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	-8.15	-100.37	-3.01	10.18	7.58	17.71
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X. MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	2019-2020		2018-2019	
	Pension Fund	Gratuity Fund	Pension Fund	Gratuity Fund
Government of India Securities and State Government Securities	55.00%	0.00%	63.00%	0.00%
High Quality Corporate Bonds /PSU BONDS	40.00%	0.00%		
Special Deposit Scheme	1.00%	-	-	-
Funds managed by Insurer	4.00%	100.00%	37.00%	100.00%
Private Sector Bonds	-	-	-	-
Money Market	-	-	-	-
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

(Amount ₹ in crore)

XI. CONTRIBUTION DURING NEXT YEAR**	Pension Fund	Gratuity Fund	Earned Leave
Enterprises best estimate of contribution during next year	1000	400	200

** The increase in the estimate is on account of merger of Allahabad Bank with Indian Bank.

9.3.3 Other Long Term Employee Benefits

Amount of Rs.3.71 crore (previous year Rs. 2.19 crore) has been provided towards Long Term Employee Benefits as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank and is included under the head "Payments to and Provisions for Employees" in Profit and Loss Account.

Details of additional Provisions made / (written back) for various long Term Employee Benefits during the year:

(Amount ₹ in crore)

No.	Long Term Employee Benefits	31/03/2020	31/03/2019
1.	Sick Leave	1.44	1.81
2.	Casual Leave	0.12	0.02
3.	Leave Travel Concession	2.15	0.36
	Total	3.71	2.19

No.	Long Term Employee Benefits	Opening Balance 01.04.2019	Expenditure 2019-20	Addition 2019-20	Closing Balance 31.03.2020
1	Sick Leave	5.94	0	1.44	7.38
2	Casual Leave	0.59	0	0.12	0.71
3	Leave Travel Concession	4.63	13.59	15.74	6.78
	Total	11.16	13.59	17.30	14.87

Note:

Disclosures included are limited to the extent of information provided by the Actuary.

9.4 SEGMENT REPORTING (AS 17)

(Amount ₹ in crore)

Part A Business Segments	Treasury		Corporate/ Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking operations		Total	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
Revenue	6360.25	5439.37	8257.78	7334.63	9532.64	8087.58	271.11	202.27	24421.78	21063.86
Result	2092.05	1552.29	1824.77	1552.19	2072.26	1627.37	216.16	144.91	6205.24	4876.78
Unallocated expenses									5128.16	4596.40
Operating Profit									1372.73	284.21
Minority Interest									0.00	0.00
Other unallocable income									295.65	3.84
Income Taxes									(619.37)	37.74
Exceptional Item									0.00	0.00
Net Profit									753.36	321.95
Other information										
Segment Assets	91370.17	76752.91	104502.35	95302.07	117426.74	109944.91	0.00	0.00	313299.26	281999.89
Unallocated assets									(3831.09)	(1934.62)
Total assets									309468.17	280065.27
Segment Liabilities	82590.87	68165.37	91493.87	88084.96	103057.81	101796.48	0.00	0.00	277142.55	258046.81
Unallocated liabilities									10236.35	2629.77
Capital, Reserves & Surplus									22089.27	19388.69
Total liabilities									309468.17	280065.27

	Part B Geographic Segments					
	Domestic		International		Total	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
Revenue	24269.13	20640.51	448.30	427.19	24717.43	21067.70
Assets	299875.18	269464.45	9592.99	10600.82	309468.17	280065.27

Segment Revenue and expenses have been apportioned on the basis of segment assets, wherever direct allocation is not possible. Previous year figures were re-grouped wherever necessary.

9.5 RELATED PARTY DISCLOSURES (AS 18)

Names of the Related Parties and their relationship with the Bank :

a) Subsidiaries :

- i. Ind Bank Housing Ltd.
- ii. Indbank Merchant Banking Services Ltd.

b) Associates : (Regional Rural Banks)

- i) Tamilnadu Grama Bank
- ii) Saptagiri Grameena Bank
- iii) Pudukkottai Bharathiar Grama Bank

c) Key Managerial Personnel:

Ms. Padmaja Chunduru	Managing Director & Chief Executive Officer (Wef 21.09.2018)
Shri M K Bhattacharya	Executive Director (w.e.f. 18.02.2017)
Shri Shenoy Vishwanath V	Executive Director (w e f 01.12.2018)

d) Shareholding of non-executive Directors:

Sl No.	Name of the non-executive Director	No. of equity shares held
1.	Shri Vinod Kumar Nagar	107
2.	Dr. Bharath Krishna Sankar	200
	TOTAL	307

Related Party transactions are as under:

a) Remuneration paid to Key Management Personnel during the year ₹ 98.16 lakhs (Previous-year ₹81.99 lakhs)

	2019-2020	2018-19
Shri Subramania Kumar Salary & Emoluments Paid	₹2.00 lakhs	₹11.45 lakhs
Ms. Padmaja Chunduru Salary & Emoluments Paid (01.04.2019 to 31.03.2020)	₹31.70 lakhs	₹17.11 lakhs
Shri . A. S. Rajeev ED Salary & Emoluments Paid (01.04.2018 to 30.11.2018)	₹2.66 lakhs	₹18.54 lakhs
Shri M K Bhattacharaya ED Salary & Emoluments Paid (01.04.2019 to 31.03.2020)	₹28.52 lakhs	₹26.32 lakhs
Shri Shenoy Vishwanath V Salary & Emoluments Paid (01.04.2019 to 31.03.2020)	₹27.28 lakhs	₹8.57 lakhs
Shri. Mahesh Kumar Jain, MD & CEO Salary & Emoluments Paid (01.04.17 to 03.04.17)	₹6.00 lakhs	₹0.00 lakhs

Parties with whom transactions were entered during the year

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State-controlled Enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

9.6 Leases (AS 19)

- a) The properties taken on lease / rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank.
- b) The leases entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the currency of lease period by giving agreed calendar month notice in writing.
- c) Lease rent paid for operating leases are recognized as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates. The lease rent recognized during the year is Rs.225.85 Crores (Previous year ₹214.63 Crores).

d) Finance Lease

An asset acquired on finance lease comprises land and building. The leases have a primary period, which is fixed and non-cancellable. The Bank has an option to renew the lease for a secondary period.

The minimum lease rentals and the present value of minimum lease payments in respect of assets acquired under finance lease are as follows:

Particulars	Minimum lease payments		Present value of minimum lease payments	
	As at 31 st March 2020	As at 31 st March 2019	As at 31 st March 2020	As at 31 st March 2019
Payable not later than 1 Year	0	0	0	0
Payable later than 1 year and not later than 5years	0	0	0	0
Payable later than 5 Years	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Less:Future finance charges				
Present value of minimum lease payments	0	0	0	0

9.7 Earnings Per Share (AS 20)

Particulars	2019-20	2018-19
Net Profit after tax available for equity shareholders (₹ Crore)	753.36	321.95
Number of Equity Shares	608800580	480291651
Weighted Number of equity shares	608800580	480291651
Basic Earning Per Share	₹ 14.33	₹ 6.70
Diluted Earning Per Share	₹ 14.33	₹ 6.70
Nominal value per Equity Share	₹ 10.00	₹ 10.00

Note: During the Financial year 2018-19, Bank's Board has approved to issue 4 crore equity shares to its employees under Employees Share Purchase Scheme in multiple tranches upto 31.03.2021 with a discount upto a maximum of 25%. Necessary approval from SEBI / Stock exchanges for the issue has been received.

9.8 ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS 22)

The major components of Deferred Tax Assets (DTA) / Deferred Tax Liabilities (DTL) are: (₹ in Crore)

Components		31.03.2020	31.03.2019
Deferred Tax Assets			
1	Liabilities provision allowable on payment /crystallisation	67.70	81.05
2	FCTR (Foreign Currency Translation Reserve)	109.15	131.75
3	Provision for unutilized leave	0.00	0.00
4	Provision for GRATUITY	0.12	0.21
5	Provision for bad debts	1006.58	938.55
6	Provision for restructured assts, AQR, S4A, Stressed Assets	70.66	102.88
7	Depreciation on Fixed Assets	73.87	65.02
8	Provision for Head Office Expenses	0.18	0.00
	Total DTA	1328.26	1319.46
Deferred Tax Liabilities			
1	Depreciation on Fixed Assets	38.51	52.87
2	Provision for written off accounts	363.15	504.21
3	Staff welfare retrieval	4.11	5.71
4	Special Reserves U/s.36(1)(viii) of Income Tax Act 1961	178.29	247.54
	Total DTL	584.07	810.33
	Net DTA / (DTL)	744.20	509.13

10.1 Provisions and Contingencies

(Amount ₹ in crore)

Break-up of Provisions & Contingencies shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account			2019-20	2018-19
i) Provision for depreciation on investments			391.30	1035.18
ii) Provision towards NPA			4335.84	3615.90
iii) Provision made towards Income Tax			619.37	-37.74
iv) Other Provisions and contingencies with details			398.17	-54.68
Particulars	2019-20	2018-19		
1. Standard Advances	142.94	-5.93		
2. Restructured Advances:	-47.75	-46.59		
3. Others	302.98	-2.16		
Total			5744.68	4558.66

10.2 Floating Provisions:

(Amount ₹ in crore)

Floating Provisions Account		2019-20	2018-19
(a) Opening balance in the floating provisions account		46.76	46.76
(b) The quantum of floating provisions made in the accounting year		0.00	0.00
(c) Amount of draw down made during the accounting year		0.00	0.00
(d) Closing Balance in the floating provisions account		46.76	46.76

10.3 Draw Down from Reserves:

(Amount ₹ in crore)

Sl. No.	Reserves	Amount Drawn		Purpose
		2019-20	2018-19	
1.	Revaluation Reserve	107.20	81.55	Depreciation on revalued portion on Premises*

* For the year 2019-2020, the amount was credited to Revenue Reserve A/c as per the provisions of AS10 Standards

10.4 Customer Complaints :
A. Customer Complaints

	2019-20	2018-19
(a) No. of complaints pending at the beginning of the year	87	275
(b) No. of complaints received during the year	17496	39802
(c) No. of complaints redressed during the year	17388	39990
(d) No. of complaints pending at the end of the year	195	87

B. Credit Card

	2019-20	2018-19
(a) No. of complaints pending at the beginning of the year	07	23
(b) No. of complaints received during the year	949	1295
(c) No. of complaints redressed during the year	953	1311
(d) No. of complaints pending at the end of the year	3	07

C. ATM Complaints

	Total	Of which acquirer	Total	Of which acquirer
	2019-20		2018-19	
(a) No. of complaints pending at the beginning of the year	4540	639	2647	609
(b) No. of complaints received during the year	311951	26876	275907	56255
(c) No. of complaints redressed during the year	314150	27176	274014	56225
(d) No. of complaints pending at the end of the year	2341	339	4540	639

D. E- BANKING COMPLAINTS**

	Current Year 2019-20	Previous Year 2018-19
(a) No. Complaints pending at the beginning of the quarter	859	0
(b) No of complaints received during the quarter	99032	27681
(c) No. of complaints redressed during the quarter	86254	26822
(d) No. of complaints pending at the end of the quarter	13637	859

****This portal opened exclusively for digital channel complaints w.e.f. 01.07.2018**

10.4.1 Awards passed by the Banking ombudsman and implemented by the Bank is as follows :

	2019-20	2018-19
(a) Unimplemented awards at the beginning of the year	NIL	NIL
(b) Awards passed by Banking Ombudsman during the year	NIL	NIL
(c) Awards implemented during the year	NIL	NIL
(d) Unimplemented award at the end of the year	NIL	NIL

10.4.2 CLASSIFICATION OF COMPLAINTS DURING YEAR ENDED 31.03.2020 COMPARED TO THE PREVIOUS YEARS

Sl.No	Classification	Complaints received during the quarter ended									
		31.03.2019		30.06.2019		30.09.2019		31.12.2019		31.03.2020	
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
1	Advances	187	1.7	141	2.6	237	4.8	173	5.6	205	5.2
2	ATM	1955	17.8	1277	22.9	1249	25.3	656	21.4	1061	26.8
3	Credit Card	31	0.3	11	0.2	20	0.4	24	0.8	51	1.3
4	Customer Services	368	3.3	182	3.3	199	4.0	169	5.5	256	6.5
5	Demat	0	0.00	1	0.1	2	0.1	7	0.2	18	0.4
6	Deposits	395	3.6	283	5.2	363	7.4	328	10.7	390	9.8
7	General Banking	344	3.1	266	4.7	238	4.8	163	5.3	201	5.2
8	Govt. Schemes	29	0.2	18	0.3	29	0.6	14	0.5	53	1.3
9	Miscellaneous	787	7.2	522	9.4	501	10.2	248	8.1	341	8.6
10	NRI Services	1	0.1	4	0.1	3	0.1	2	0.1	9	0.2
11	Remittances	296	2.7	163	2.9	175	3.6	111	3.6	189	4.9
12	Technology	6579	60.0	2685	48.3	1907	38.7	1174	38.2	1177	29.8
	TOTAL	10972	100	5553	100	4923	100	3069	100	3951	100

10.5 Letter of comfort issued by the Bank:

During the year ended 31.03.2020, branches in India have not issued any letter of comfort for financing of imports. Outstanding as on 31.03.2019 is NIL. Hence no financial impact on outstanding LOC/LOU

During the year ended 31.03.2020, Letter of Comfort issued by our foreign branches (Singapore and Colombo) is NIL and Outstanding as on 31.03.2020 is NIL

In view of the Letter of Responsibility given by the Bank to the Monetary Authority of Singapore, the Bank continues to maintain deposits from FCNR (B) resources to the extent of USD 43.00 Mio (equivalent to INR 325.36 crore) with Singapore Branch to meet the minimum Net Adjusted Capital funds requirement of the Branch.

We have issued LOU for Sri Lankan branches favoring Central Bank of Sri Lanka (CBSL) as per the mandatory requirement of CBSL. We do not anticipate any financial impact in immediate near future on account of LOU issued

10.6 Provision Coverage Ratio (PCR)

Non Performing Loan Provisioning Coverage Ratio is 73.05% (previous year 65.72%).

10.7 BANCASSURANCE BUSINESS

During the current year, the Bank has earned commission, etc, to the extent of Rs.20.44 Crore on sale/marketing of various Bancassurance products/Mutual Funds (previous year Rs.16.92 Crore). (Amount ₹ in crore)

Sr. No.	Nature of Income	2019-20	2018-19
1	For Selling Life Insurance Policies	8.88	5.79
2	For selling Non-life insurance policies	11.43	10.78
3	Others - For selling Mutual Fund Products	0.15	0.35
	Total	20.44	16.92

10.8 Indian Bank Trust for Rural Development

Indian Bank Trust for Rural Development has been set up by the Bank on 22.09.2008 to exclusively focus on rural development and accomplish better results by coordinating with various other players / agencies who are also engaged in the development of rural areas.

Under the Trust, Indian Bank Self Employment Training Institutes (INDSETIs) have been established in 12 centers, viz. Chittoor (in Andhra Pradesh), Puducherry (in UT of Puducherry), Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Salem, Thiruvannamalai, Tiruvallur, Vellore and Villupuram (in Tamil Nadu) to impart skill oriented training to rural unemployed youth, to enable them to either self / wage employed as per the directions of Ministry of Rural Development, Govt. of India.

Financial Literacy Centres (FLCs) have also been established under the Trust in 19 places viz. Chittoor, Machilipatnam (in Andhra Pradesh), Kollam, Chadayamangalam, Parassala (in Kerala), Puducherry (in UT of Puducherry), Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Salem, Thiruvannamalai, Tiruvallur, Vellore, Villupuram (in Tamil Nadu) and Urban FLCs in Chennai, Delhi and Mumbai to provide financial literacy and counseling services to the general public to assist the banks in financial inclusion project.

The books of account of the Trust are being subjected to audit, independently by the Chartered Accountants appointed by the Trust

PROVISIONAL INCOME AND EXPENDITURE OF IBTRD FOR THE YEAR 2019-2020 *

(Amount in ₹)

Details of Receipts		
Contributions received from Bank		26500000.00
Building Fund received from Bank		2000000.00
Bank interest earned		5070188.00
Training cost reimbursement received from various agencies		18137982.00
Unspent amount recredited by INDSETIs against advance paid for the month of March 2019 credited back on 30.04.2019 & 10.04.2019 by INDSETIs Expenditure incurred during the year		969412.00
Total Income		52677582.00
Details of Expenditure		
Expenditure incurred during the year		48737054.00
Excess of Receipts over payments		3940528.00
Closing Balance:		
Bank Balance as on 31.03.2020 (including Rs.20 lakhs of Building Fund received from Bank on 31.03.2020)		9864134.00
Fixed Deposits		112000000.00
Corpus fund		86000000.00
Building fund		26000000.00
* Figures are subject to change on final audit of Trust.		

10.9 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs (As compiled by the Bank)
10.9.1 Concentration of Deposits

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2019-20	2018-19
Total Deposits of twenty largest depositors (domestic only)	21720.38	25544.24
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to total Deposits of the Bank	8.60 %	10.86%

10.9.2 Concentration of Advances

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2019-20	2018-19
Total Advances to twenty largest borrowers	27031.80	22841.02
Percentage of Advances of twenty largest borrowers to total Advances of the Bank	13.13%	11.00%

10.9.3 Concentration of Exposures

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2019-20	2018-19
Total Exposures to twenty largest borrowers/customers	34923.40	31501.36
Percentage of Exposures of twenty largest borrowers/ customers to Total Exposures of the Bank on borrowers/ customers	11.96%	12.09%

10.9.4 Concentration of NPAs

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2019-20	2018-19
Total Exposures to top four NPA accounts	2869.17	2273.25

10.10 Sector-wise Advances

(Amount ₹ in crore)

Sl. No.	Sector	2019-20			2018-19		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	Priority Sector						
1.	Agriculture and allied activities	44869.06	1083.67	2.42	40050.12	885.99	2.21
2.	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	11805.40	1368.11	11.59	10903.39	1055.31	9.68
3.	Services	25570.39	1186.75	4.64	19098.41	830.51	4.35
4.	Personal loans	13203.29	691.22	5.24	10017.28	657.15	6.56
	Sub-total (A)	95448.14	4329.75	4.54	80069.20	3428.96	4.28
B	Non Priority Sector						
1.	Agriculture and allied activities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Industry	97945.82	9597.84	9.80	96848.11	9738.26	10.06
3.	Services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Personal loans	12495.77	223.25	1.79	10978.75	186.23	1.70
	Sub-total (B)	110441.59	9821.09	8.89	107826.86	9924.49	9.21
	Total (A+B)	205889.73	14150.84	6.87	187896.06	13353.45	7.11

10.11 Movement of NPAs/Technical Write-off
10.11.1 Movement of NPAs

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2019-20	2018-19
Gross NPAs as on 1st April of 2019 (Opening Balance)	13353.45	11990.14
Additions (Fresh NPAs) during the year	5320.50	6444.96
Sub-total (A)	18673.95	18435.10
Less :		
(I) Upgradations	308.82	441.19
(ii) Amount assigned to ARC	0.00	359.20
(iii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	1182.68	1407.43
(iv) Technical/Prudential Write-offs	2572.71	2352.74
(v) Write-offs other than those under (iv) above	458.90	521.09
Sub-total (B)	4523.11	5081.65
Gross NPAs as on 31st March 2020 (closing balance (A-B))	14150.84	13353.45

10.11.2 Technical / Prudential Write-off

Particulars	2019-20	2018-19
Opening Balance of Technical / Prudential written-off accounts as at 01st April, 2019	6463.84	4687.32
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year	2572.71	2352.74
Sub-total (A)	9036.35	7040.06
Less: Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year (B)	238.77	576.22
Closing bal as at 31st March, 2020(A-B)	8797.58	6463.84

10.11.3 In accordance with Asset Quality Review (AQR) undertaken by RBI, the Bank has made additional provisions during the year, on certain accounts, as advised by RBI .: NIL

10.11.4 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2019-20	2018-19
Total Assets	9592.99	10600.82
Total NPAs	1039.99	616.50
Gross NPA	586.41	197.35
Net NPA	352.57	88.47
Total Revenue	131.14	159.93

10.12 Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

10.13 Disclosures relating to Securitization: NIL
10.14 Credit Default Swaps: Nil
10.15 Equity:

As per last year observation by the Auditor on M/s Electrosteel Steels Limited, Treasury branch has received 26,31,591 shares with FV of Rs 10/- per share and accounted for the same in the FY2019-20.

10.16 Intra Group Exposures: (Amount ₹ in crore)

Particulars	2019-20	2018-19
Total amount of intra group exposure	985.25	586.38
Total amount of top 20 intra group exposure	985.25	586.38
Percentage of intra group exposure to total exposure of the bank on borrowers/customers	0.34%	0.22%
Details of breach of limit on intra group exposures and regulatory action there on, if any	NIL	NIL

10.17 Contingent liabilities include an A/c M/s Nimbus Communications Ltd., Guarantees were issued by Consortium Banks favouring BCCI. BCCI filed suit against Consortium Banks claiming guarantee liability. In the suit, conditional leave to defend was granted on making payment of 400 crores, wherein our Bank share is 100 crore. Remittance of our Bank's share of 100 crore was made with the Prothonotary and Senior Master of the Hon'ble High Court of Bombay. The summary suit is pending adjudication before Hon'ble High Court of Bombay.

For this claim against the Bank by BCCI, Bank is having a sum of Rs.32.44 crore as provision under the head 'Provision for Other Contingencies' after taking into consideration a sum of Rs.72.31 crore held as security – margin money as on 31.03.2020

10.18 Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) (Amount ₹ in crore)

Particulars	2019-20	2018-2019
Opening balance of amounts transferred to DEAF as on 01.04.2019	762.84	684.27
Add : Amounts transferred to DEAF during the year 2019-2020	130.46	95.98
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims during the year 2019-2020	9.15	17.41
Closing balance of amounts transferred to DEAF up to 31.03.2020(1+2+3)	884.15	762.84

10.19 Foreign Currency Exposure:

The Bank has in place a policy on managing credit risk arising out of unhedged foreign currency exposures of its borrowers. Where there is no natural hedge, forward cover is suggested to customers in respect of import/export transactions. The forward cover will act as Unhedged risk mitigation on exchange risk. While sanctioning the facilities, bank is ensuring that all the exposures (fund based and non fund based including Letter of Comfort / Letter of Undertaking) in foreign currencies are covered by forward cover. Request for considering waiver of forward cover if any is considered only at corporate office level. While reviewing the borrowal accounts hedged and unhedged exposure are captured and impact is analyzed in credit proposals.

The Bank has provided a provision of Rs 8.82 crores and Capital of 41.07 crores for the year ended 31st March 2020 on Unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI Circular dated January 15, 2014

10.20 Frauds reported during the year:

The Bank has reported 226 cases of fraud amounting to Rs.2252.10 crores during the year 2019-20 as per the details furnished below:

Type of fraud	No. of cases	Amount in crores
Advance related	58	2213.39
Non-advance related	168	38.71
Total	226	2252.10

The Bank has reported 168 cases of non advance related frauds amounting to Rs.38.71 crores during the year 2019-20.

Upto 31.03.2020, 916 cases (cumulative) relating to non-advance related frauds are pending involving amount of Rs.170.13 crores and the Bank carries a provision of Rs.45.51 crores against the same after taking into account recoveries made.

11. Qualitative Note on Liquidity Coverage Ratio (LCR):

	(Rs in Crore)	Current Year								Previous year	
		Jun Q1*	2019-20	Sep Q2*	2019-20	Dec Q3*	2019-20	Mar Q4**	2019-20	Mar Q4*	2018-19
		Total UnWeighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total UnWeighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total UnWeighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total UnWeighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total UnWeighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)	0.00	45821.10	0.00	52479.74	0.00	59351.44	0.00	61929.24	0.00	44051.84
Cash Outflows											
2	Retail deposits and deposits from Small business customers, of which:	103721.54	10056.35	105855.88	10278.02	109002.99	10572.64	109093.05	10449.53	102063.09	9916.11
(i)	Stable Deposits	6316.04	315.80	6151.38	307.57	6553.24	327.66	9195.57	459.78	5804.08	290.20
(ii)	Less Stable deposits	97405.50	9740.55	99704.50	9970.45	102449.75	10244.98	99897.48	9989.75	96259.02	9625.90
3	Unsecured wholesale funding	75079.48	34721.81	77664.31	35773.21	85015.93	38374.12	83760.87	37031.83	71407.61	32032.99
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non operational deposits (all counterparties)	74697.88	34340.22	77358.06	35466.95	84926.00	38284.19	83488.30	36759.26	71147.28	31772.67
(iii)	Unsecured debt	381.60	381.60	306.26	306.26	89.93	89.93	272.57	272.57	260.33	260.33
4	Secured wholesale funding		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5	Additional requirements, of which	31242.85	3540.44	31338.89	3572.73	33152.92	3187.33	33306.51	3302.79	30801.33	4058.62
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	37.82	37.82	79.00	79.00	43.27	43.27	42.82	42.82	110.06	110.06
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	31205.03	3502.63	31259.89	3493.73	33109.66	3144.06	33263.69	3259.98	30691.27	3948.56
6	Other contractual funding obligations	1173.26	1173.26	1544.16	1544.16	1733.70	1733.70	1803.98	1803.98	1971.22	1971.22
7	Other contingent funding obligations	19120.92	573.63	18799.66	563.99	19416.02	582.48	19916.59	597.50	20650.53	619.52
8	TOTAL CASH OUTFLOWS		50065.49		51732.11		54450.27		53185.64		48598.46
Cash Inflows											
			Total Adjusted Value (₹)		Total Adjusted Value (₹)		Total Adjusted Value (₹)		Total Adjusted Value (₹)		Total Adjusted Value (₹)
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	214.93	0.00	416.59	0.00	507.43	0.00	804.36	0.00	935.44	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	11344.93	6150.32	10106.45	5359.66	10663.50	5835.10	11395.30	6208.36	12892.90	7134.24
11	Other cash inflows	7406.98	7406.98	5512.46	5512.46	5543.04	5543.04	5043.28	5043.28	4669.10	4669.10
12	TOTAL CASH INFLOWS	18966.84	13557.30	16035.49	10872.11	16713.96	11378.14	17242.94	11251.64	18497.45	11803.34
21	TOTAL HQLA		45821.10		52479.74		59351.44		61929.24		44051.84
22	TOTAL NET CASH OUTFLOWS		36508.19		40860.00		43072.13		41934.00		36795.12
23	LIQUIDITY COVERAGE RATIO(%)		125.51%		128.44%		137.80%		147.68%		119.72%

* LCR is based on Daily average

11.2 Liquidity Coverage Ratio

The LCR is designed to promote short-term resilience of a bank's liquidity risk profile by ensuring that it has sufficient high quality liquid resources to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. As per the RBI guidelines minimum requirement of LCR for FY 2019-20 on a daily basis is 100%. The methodology for estimating the LCR is based on RBI guidelines.

The LCR is calculated by dividing the amount of high quality liquid unencumbered assets (HQLA) by the estimated net outflows over a stressed 30 calendar day period. The net cash outflows are calculated by applying RBI prescribed outflow factors to the various categories of liabilities (deposits, unsecured and secured wholesale borrowings), as well as to undrawn commitments and derivatives-related exposures, partially offset by inflows from assets maturing within 30 days.

The bank during the quarter ended March 31, 2020 had maintained average HQLA (after haircut) of Rs. 61929.24 Crores as against the average liquidity requirement of Rs. 41934.00 Crores at a minimum LCR requirement of 100%. HQLA primarily included government securities in excess of minimum Statutory Liquidity Ratio (SLR), the extent allowed under the Marginal Standing Facility (MSF) and the Facility to Avail Liquidity for LCR (FALLCR). Additionally cash, balances in excess of cash reserve requirement with RBI and the overseas central banks form part of level 1 HQLA. The Daily average LCR of the Indian bank for the quarter ended March 31, 2020 was 147.68%.

The main drivers of LCR of the bank are sufficient high quality liquid assets (HQLAs) to meet liquidity needs of the bank at all times. The weighted cash outflows are primarily driven by unsecured wholesale funding which contributed 69.63% of the total weighted cash outflows. Retail deposits including deposits from small business customers contributed 19.65% of the total weighted cash outflows. The other contingent funding obligations primarily include bank guarantees (BGs) and letters of credit (LCs) issued on behalf of the Bank's clients.

Bank has one significant counterparty in the deposits as on 31.03.2020. The largest depositor contributed 1.18% of total deposits. The total contribution of the top 20 largest domestic depositors as on 31.03.2020 is 8.35% of the total deposits. The significant domestic product / instruments include Savings deposit, Current deposit and Term deposits which are 24.68%, 4.21% and 52.64% of bank's total liability respectively, the funding from which are widely spread and cannot create concentration risk for the bank.

Bank's Liquidity is managed by the Asset Liability Management Committee (ALCO) and contingency funding plan is in place based on the quarterly stress testing results.

12. MISCELLANEOUS

12.1 Reconciliation and Adjustments

- 12.1.1** Reconciliation of Inter Branch Account is completed up to 31.03.2020. The Bank through various effective steps has achieved reduction in the old outstanding entries in IBGA. Adjustments of the remaining outstanding entries are in progress. As per the Management, 5747 IBGA credit entries aggregating to Rs. 4.86 crores are outstanding pertaining to period before 01.03.2009.
- 12.1.2** In view of the net credit position in respect of un-reconciled entries in the Inter Branch Account outstanding for more than 6 months as on 31.03.2020, no provision is required.
- 12.1.3** Old outstanding entries, in drafts payable, clearing adjustment, sundries receivable, sundry deposit accounts, etc. and in bank reconciliation relating to Reserve Bank of India and other banks are being regularly reviewed for appropriate adjustments.
- 12.1.4** Balancing of subsidiary / ledgers, registers and reconciliation with general ledgers are in progress at some branches. In the opinion of the management, consequential financial impact of the above on the accounts will not be significant
- 12.1.5** As per information available with the Bank, there is no outstanding dues payable by the Bank to MSME units identified by the Bank, which is pending beyond the time limit prescribed under MSMED Act, 2006 and there have been no reported cases of accepted liability of delayed payments of principal amount or interest thereon for such parties during the year.
- 13. Previous year's figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary, to conform to current year's figures.**

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To
The Members of Indian Bank
Report on Audit of the Standalone Financial Statements
Opinion

- We have audited the standalone financial statements of INDIAN Bank ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2020, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included returns for the year ended on that date of 20 branches and 1 Treasury branch audited by us and 1328 branches audited by statutory branch auditor. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also included in the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and Statement of Cash Flows are the returns from 1537 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 10.83 percent of advances, 5.87% of exposure, 26.52 per cent of deposits, 34.76 per cent of interest income and 31.90 per cent of interest expenses.
- In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:
 - the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2020;
 - the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit/loss (as applicable); and
 - the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

- We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

- We draw attention to the attached Note Nos 4.3.5 to 4.3.7 forming part of standalone financial statement on the impact of uncertainties caused by Covid19 on the future business and financial results and Management's assessment of the same in the prevailing situation. The Management is in the process of evaluating the effect of the uncertainties on an on going basis with reference to challenges under the prevailing uncertainties.

Key Audit Matters

- Audit of Branches:** The lock down and restrictions on travel imposed by the State and Central Governments in view of the pandemic caused by Covid 19, branch audit of the bank proved to be a major task requiring lot of attention and planning to ensure sufficient audit evidence is obtained to provide necessary assurance. Further ICAI in their advisories on impact of covid on Audit has clearly stipulated that though the methodology of audit may change, the same will not have any adverse impact on obtaining sufficient audit evidence in forming an assurance opinion.

To overcome travel restrictions, we adopted 'remote' audit of various branches by which audit of a branch could be done from another branch by the auditors remotely where the Auditor could visit and view the accounts, documents etc. of the branch to be audited. The auditors were able to view these documents and evidence from the remote branch and obtained sufficient audit evidence to form an audit opinion.

6. Reduction in number of Audited Branches

In view of pandemic caused by Covid 19 and the strict lockdown and travel restrictions imposed by the Government, RBI revisited the

criteria fixed for Audit of Branches of PSU Banks and came out with a circular dated 27th April 2020 removing the criteria of compulsory audit of all branches with advance of above Rs 20 crores but ensuring that audited branches cover at least 90% of all funded and non funded exposures of the Bank. The Bank adopted the new guidelines for statutory audit of branches for the current year which resulted in 1324 number of branches getting audited by SBAs apart from the top twenty branches audited by SCAs which in effect resulted in reduction of 419 number of audited branches for the year 2019-20 as compared to the previous year. The Break up details of the branches audited as

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Total No of branches	2886	2872
No.of Branches audited	1349	1768
No of unaudited branches	1537	1107
Total Advances Covered	₹183963.79 cr	₹171486.91 cr

compared to previous year are as stated below To overcome this, the SCAs at the time of zonal consolidation gave special attention on such branches which would have got audited but for the circular, issued by RBI as stated above to ensure that there is no deficiency in obtaining audit evidence to form an assurance opinion

7. RBI's circulars dated....on Covid concessions:

The circulars (nos. 1. DOR.No.BP.BC.47/21.04.048/2019-20 dated 27.03.2020 2. DOR. No.BP. BC.62/21.04.048/2019-20 DATED 17.04.2020 3. DOR.No.BP.BC.63/21.04.048/2019-20 DATED 17.04.2020) were issued in late March and April 2020, bank could not give effect to this in their CBS system. This necessitated identification of eligible accounts and issue of MOCs manually by the SBAs and consequent verification and updation.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements.

The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

- Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it

exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation. transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

9. Report on Internal financial control in the Bank The Reserve Bank of India vide Notification No DOS:ARG: No 6270/08.91.001/2019-20 dated 17/03/2020 had advised that SCAs should report in their

independent Audit Report for the 2019-20 about the adequacy of internal control system with reference to financial statements in the Bank and its operating effectiveness. We have been informed by the Bank vide their letter CO/Accounts: Audit/144/20-21 dated 12th June 2020 that RBI has made it optional for the Bank for the year 2019-20 and that the Bank has opted not to implement the financial controls and the report thereon for the year 2019-20. Hence our audit report does not include report on the adequacy of internal financial control over financial statements and its operating effectiveness.

10. We did not audit the financial statements / information of 1541 (number) branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of ₹12290.92 crore as at 31st March 2020 and total revenue of ₹ 3216.96 crore for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditor.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

11. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
12. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 5 to 7 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

- a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
- b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
- c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the

13. We further report that:

- a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us
- b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;
- c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- d) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For M THOMAS & CO
Chartered Accountants
FR No.004408S

A ROZARIO
Partner
(M No. 021230)

For P S SUBRAMANIA IYER & CO
Chartered Accountants
FR No.004104S

S SUNDARA RAMAN
Partner
(M No. 022137)

For K C Mehta and Co
Chartered Accountants
FR No: 106237W

CHIRAG BAKSHI
Partner
(M No. 47164)

For SRIRAMAMURTHY & CO
Chartered Accountants
FR No. 003032S

J LALITHA
Partner
(M.No. 0201855)

For RAVI RAJAN & CO LLP
Chartered Accountants
FR No.009073N/N500320

JAYANTHA
Partner
(M.No. 231549)

Place : Chennai
Date : 23rd June, 2020

This page is intentionally left blank

**CONSOLIDATED BALANCE SHEET,
PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND SCHEDULES**

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2020

(₹ in Crore)

PARTICULARS	Schedule No.	As on 31.03.2020	As on 31.03.2019
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	608.80	480.29
Reserves and Surplus	2	22158.78	19235.17
Minority Interest	2A	21.17	20.46
Deposits	3	260184.39	242040.80
Borrowings	4	20830.31	12137.54
Other Liabilities & Provisions	5	6337.50	6474.02
TOTAL		310140.96	280388.28
ASSETS			
Cash & Balances with Reserve Bank of India	6	5736.12	11701.87
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	8200.35	8325.74
Investments	8	81871.16	65271.55
Advances	9	197887.01	181261.91
Fixed Assets	10	3899.08	3964.99
Other Assets	11	12547.24	9862.22
TOTAL		310140.96	280388.28
Contingent Liabilities	12	42601.71	36219.00
Bills for Collection	-	5994.97	5394.56

Ms. PADMAJA CHUNDURU
MANAGING DIRECTOR & CEO

M K BHATTACHARYA
EXECUTIVE DIRECTOR

SHENOY VISHWANATH V
EXECUTIVE DIRECTOR

K RAMACHANDRAN
EXECUTIVE DIRECTOR

DIRECTORS

SANJEEV KAUSHIK
GOVERNMENT NOMINEE DIRECTOR

S K PANIGRAHY
RBI NOMINEE DIRECTOR

SALIL KUMAR JHA
EXECUTIVE DIRECTOR

Dr. BHARATH KRISHNA SANKAR
SHAREHOLDER DIRECTOR

VINOD KUMAR NAGAR
SHAREHOLDER DIRECTOR

STATUTORY CENTRAL AUDITORS

For M THOMAS & CO
Chartered Accountants
FR No. 00408S

For P S SUBRAMANIA IYER & CO
Chartered Accountants
FR No. 004104S

For K C MEHTA AND CO
Chartered Accountants
FR No. 106237W

A ROZARIO
Partner
(M. No.21230)

S SUNDARA RAMAN
Partner
(M. No. 022137)

CHIRAG BAKSHI
Partner
(M No. 047164)

For RAVI RAJAN & CO LLP
Chartered Accountants
FR No. 009073N / N500320

For SRIRAMAMURTHY & CO
Chartered Accountants
FR No: 003032S

JAYANTH. A
Partner
(M No. 231549)

J LALITHA
Partner
(M No. 0201855)

Place : Chennai
Date : 23.06.2020

CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2020 (₹ in Crore)

PARTICULARS	Schedule No.	Y.E. 31.03.2020	Y.E. 31.03.2019
I. INCOME			
Interest earned	13	21401.28	19182.06
Other Income	14	3325.50	1891.44
TOTAL		24726.78	21073.50
II. EXPENDITURE			
Interest expended	15	13797.51	12166.75
Operating expenses	16	4432.70	4028.34
Provisions & Contingencies	-	5738.49	4557.48
TOTAL		23968.70	20752.57
III. Consolidated Profit/(loss) for the year attributable to the group		758.08	320.93
Share of earnings in Associates		103.95	59.79
Less : Minority Interest		0.69	0.59
		861.34	380.13
Profit/(Loss) brought forward		448.73	389.55
Total Net Profit		1310.07	769.68
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to :			
Statutory Reserves		188.34	80.50
Capital Reserves- Others		152.16	40.79
Spl.Reserve u/s 36(1)(viii) of I T Act 1961		0.00	12.00
Investment Fluctuation Reserve		389.99	177.00
Revenue Reserves		0.00	1.00
Staff Welfare Fund		15.00	9.66
Investment Reserve		7.87	0.00
Proposed Equity Dividend		0.00	0.00
Proposed Preference Dividend		0.00	0.00
Dividend Distribution Tax		0.00	0.00
Balance carried over to consolidated Balance Sheet		556.71	448.73
Total Appropriations		1310.07	769.68
Earnings per Share in Rs. (Basic & diluted)	18	16.38	7.91

Ms. PADMAJA CHUNDURU
MANAGING DIRECTOR & CEO

M K BHATTACHARYA
EXECUTIVE DIRECTOR

SHENOY VISHWANATH V
EXECUTIVE DIRECTOR

K RAMACHANDRAN
EXECUTIVE DIRECTOR

DIRECTORS

SANJEEV KAUSHIK
GOVERNMENT NOMINEE DIRECTOR

S K PANIGRAHY
RBI NOMINEE DIRECTOR

SALIL KUMAR JHA
EXECUTIVE DIRECTOR

Dr. BHARATH KRISHNA SANKAR
SHAREHOLDER DIRECTOR

VINOD KUMAR NAGAR
SHAREHOLDER DIRECTOR

STATUTORY CENTRAL AUDITORS

For M THOMAS & CO
Chartered Accountants
FR No. 00408S

For P S SUBRAMANIA IYER & CO
Chartered Accountants
FR No. 004104S

For K C MEHTA AND CO
Chartered Accountants
FR No. 106237W

A ROZARIO
Partner
(M. No.21230)

S SUNDARA RAMAN
Partner
(M. No. 022137)

CHIRAG BAKSHI
Partner
(M No. 047164)

For RAVI RAJAN & CO LLP
Chartered Accountants
FR No. 009073N / N500320

For SRIRAMAMURTHY & CO
Chartered Accountants
FR No: 003032S

JAYANTH. A
Partner
(M No. 231549)

J LALITHA
Partner
(M No. 0201855)

Place : Chennai
Date : 23.06.2020

SCHEDULE 1 - CAPITAL

(₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2020	As on 31.03.2019
I. Authorised Capital		
300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each	3000.00	3000.00
II. Issued, Subscribed and Paid up:		
a. 50,80,80,023 Equity shares of Rs.10/- each held by Central Government (P.Y.-39,13,69,637 Equity shares of Rs. 10/- each)	508.08	391.37
b. 10,07,20,557 Equity Shares of Rs.10/- each held by Public (P.Y. - 8,89,22,014 Equity shares of Rs.10/- each)	100.72	88.92
Total	608.80	480.29

SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

(₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2020	As on 31.03.2019
Statutory Reserves	4694.20	4505.86
Capital Reserves-Revaluation	2987.84	3095.05
Capital Reserve -Others	388.55	236.40
Share Premium	4026.65	1325.67
Investment Reserve	614.79	216.92
Revenue and other Reserves	7669.06	8242.23
Spl. Reserve u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act	725.52	725.52
Spl. Reserve u/s 36(1)(viii a) of Income Tax Act	58.20	58.20
Foreign Currency Translation Reserve	437.26	380.59
Profit & Loss account	556.71	448.73
Total	22158.78	19235.17

SCHEDULE 2A - MINORITY INTEREST

(₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2020	As on 31.03.2019
Minority interest on the date on which the parent-subsidiary relationship came into existence	3.27	3.27
Subsequent increase/decrease	17.90	17.19
Minority interest on the date of balance sheet	21.17	20.46

SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2020	As on 31.03.2019
A.I. Demand Deposits		
(i) From Banks	211.11	63.77
(ii) From others	13334.92	13191.62
II. Savings Bank Deposits	76609.11	70766.06
III. Term Deposits		
(i) From Banks	4111.94	3665.44
(ii) From others	165917.32	154353.91
Total A (I,II & III)	260184.39	242040.80
(i) Deposits of branches in India	252750.76	235201.82
(ii) Deposits of branches outside India	7433.64	6838.98
Total B (i & ii)	260184.39	242040.80

SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2020	As on 31.03.2019
I. Borrowings in India		
(I) RBI	11529.90	6395.32
(ii) Other Banks	0.11	0.05
(iii) Other Institutions and Agencies	6418.86	3791.56
II. Borrowings outside India	2881.44	1950.61
Total (I & II)	20830.31	12137.54
Secured borrowings included in I & II above	5500.00	6395.32

SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2020	As on 31.03.2019
I. Bills Payable	494.00	598.15
II. Inter-Office adjustments(net)	0.00	546.05
III. Interest Accrued	845.33	698.76
IV. Others(including provisions)	4998.17	4631.06
Total	6337.50	6474.02

SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2020	As on 31.03.2019
I. Cash in hand (including foreign currency notes)	1006.09	1030.76
II. Balances with Reserve Bank of India -		
(i) in Current Account	4730.04	10671.11
(ii) in Other Accounts	0.00	0.00
Total (I & II)	5736.13	11701.87

SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE (₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2020	As on 31.03.2019
I. In India		
(i) Balances with Banks		
(a) in Current Accounts	8.86	4.34
(b) in Other Deposit Accounts	721.65	717.14
(ii) Money at call and short notice		
(a) with Banks	2100.00	2200.00
(b) with other institutions	0.00	0.00
Total I (i & ii)	2830.51	2921.48
II. Outside India		
(i) in Current Account	530.93	203.66
(ii) in Other Deposit Accounts	4830.26	5168.47
(iii) Money at call and short notice	8.65	32.13
Total II	5369.84	5404.26
Grand Total (I & II)	8200.35	8325.74

SCHEDULE 8 - INVESTMENT (₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2020	As on 31.03.2019
I. INVESTMENTS IN INDIA		
Gross Investments	80991.01	64444.16
Less Provision for Depreciation & NPI	1290.84	1046.70
	79700.16	63397.46
i) Government Securities	67537.87	51918.69
ii) Other approved Securities	2.99	5.23
iii) Shares	352.07	505.70
iv) Debentures and bonds	6715.55	7400.95
v) Investment in Associates	730.43	365.92
vi) Others	4361.26	3200.97
TOTAL	79700.17	63397.46
II. INVESTMENT OUTSIDE INDIA		
Gross Investments	2268.27	1963.63
Less Provision for Depreciation & NPI	97.28	89.54
	2170.99	1874.09
i) Government Securities (including local authorities)	2149.37	1853.18
ii) Investment in Associates	0.00	0.00
iii) Other investments (to be specified)	0.00	0.00
(a) Shares	0.44	0.52
(b) Debt Securities	21.19	20.39
TOTAL	2170.99	1874.09
GRAND TOTAL (I & II)	81871.16	65271.55

SCHEDULE 9 - ADVANCES

(₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2020	As on 31.03.2019
A. (i) Bills Purchased and discounted	1453.59	1659.80
(ii) Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	99136.75	95636.69
(iii) Term Loans	97296.67	83965.43
(iv) Others	0.00	0.00
Total (A)	197887.01	181261.92
B. (i) Secured by tangible assets (includes advances against book debts)	161337.54	151588.47
(ii) Covered by Bank / Government Guarantees	4056.49	4831.37
(iii) Unsecured	32492.99	24842.07
Total (B)	197887.01	181261.91
C. I. Advances in India		
(i) Priority Sector	90415.79	65506.84
(ii) Public Sector	17991.68	21587.23
(iii) Banks	772.91	0.00
(iv) Others	80515.68	86725.51
Total (C-I)	189696.06	173819.58
C. II. Advances outside India		
(i) Due from Banks	2254.60	1721.44
(ii) Due from Others	0.00	0.00
(a) Bills Purchased & discounted	970.27	1255.91
(b) Syndicated Loans	3355.59	3066.34
(c) Others	1610.50	1398.64
Total (C-II)	8190.95	7442.33
Total (C-I+C-II)	197887.01	181261.91

SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2020	As on 31.03.2019
I. Premises		
At cost/revaluation as per last Balance Sheet	3767.79	3455.42
Additions / adjustments during the year	3.63	557.41
Deductions during the year	0.00	0.06
Depreciation to date	834.04	725.73
Net Value	2937.38	3287.04
IA. Premises under Construction	0.78	0.76
II. Other Fixed Assets (including furniture & fixtures)		
At cost as per last Balance Sheet	2060.62	1885.69
Additions during the year	255.51	254.02
Deductions during the year	51.77	79.08
Depreciation to date	1543.89	1383.44
Net Value	720.46	677.19
IIA. Leased Assets		
At cost as per last Balance Sheet	262.37	17.39
Additions during the year	0.00	0.00
Deductions during the year including provisions	0.00	0.00
Depreciation to date	21.91	17.39
Net Value	240.45	0.00
Total (I, IA, II, & IIA)	3899.08	3964.99

SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2020	As on 31.03.2019
I. Inter Office Adjustment (net)	2044.29	0.00
II. Interest accrued	1284.83	1173.36
III. Tax paid in advance/tax deducted at source	4374.34	4103.63
IV. Stationery and stamps	17.62	15.67
V. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	20.26	20.26
VI. Deferred Tax assets (Net)	748.07	1323.66
VII. Others	4057.84	3225.64
Total	12547.24	9862.22

SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2020	As on 31.03.2019
I. Claims against the Bank not acknowledged as debts (Net)	651.27	527.15
II. Liability for partly paid Investments	400.33	3.64
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	20382.57	12986.42
IV. Guarantees given on behalf of constituents		
(a) In India	8930.02	8415.29
(b) Outside India	382.63	371.46
V. Acceptances, endorsements and other obligations	6401.34	7249.18
VI. Other items for which the bank is contingently liable	5453.55	6665.86
Total	42601.71	36219.00

SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(₹ in Crore)

PARTICULARS	Y E 31.03.2020	Y E 31.03.2019
I. Interest/discount on advances/bills	15933.12	13982.41
II. Income on Investments	5275.06	5042.13
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	177.43	139.52
IV. Others	15.68	18.00
Total	21401.28	19182.06

SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(₹ in Crore)

PARTICULARS	Y E 31.03.2020	Y E 31.03.2019
I. Commission , exchange and brokerage	338.67	325.26
II. Profit on sale of Investments (net)	879.73	175.48
III Profit on Revaluation of Investments (net)	0.00	0.00
IV. Profit on sale of land, buildings and other assets (net)	0.73	-1.51
V. Profit on exchange transactions (net)	202.06	173.41
VI. a) Lease finance / Hire Purchase income	0.07	0.08
b) Income earned by way of dividends etc. from companies and/ or joint ventures abroad/ in India	12.69	12.45
VII. Miscellaneous Income	1891.54	1206.27
Total	3325.50	1891.44

SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

(₹ in Crore)

PARTICULARS	Y E 31.03.2020	Y E 31.03.2019
I. Interest on deposits	12993.56	11230.35
II. Interest on Reserve Bank of India/inter-bank borrowings	757.95	841.32
III. Others	46.00	95.08
Total	13797.51	12166.75

SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(₹ in Crore)

PARTICULARS	Y E 31.03.2020	Y E 31.03.2019
I. Payments to and provisions for employees	2478.34	2227.54
II. Rent, taxes and lighting	318.12	298.60
III. Printing and stationery	30.62	30.69
IV. Advertisement and publicity	8.88	9.09
V. (a) Depreciation on Bank's property other than Leased Assets	313.94	259.21
(b) Depreciation on Leased Assets	0.07	0.08
VI. Directors' fees, allowances and expenses	0.94	1.17
VII. Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fees and expenses)	34.29	41.71
VIII. Law charges	8.62	5.43
IX. Postage, telegrams, telephones, etc.	51.78	64.18
X. Repairs and maintenance	93.96	95.21
XI. Insurance	286.91	256.35
XII. Other expenditure	806.24	739.08
Total	4432.70	4028.34

SCHEDULE - 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Consolidated Accounts 2019-20)

1. ACCOUNTING CONVENTION:

The financial statements are prepared by following the going concern concept on historical cost convention unless otherwise stated. They conform to generally accepted accounting principles in India, which comprises statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India guidelines, accounting standards / guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the practices prevalent in the Banking Industry in India. In respect of foreign branches as per statutory provisions and practices prevailing in the respective countries.

2. USE OF ESTIMATES :

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions for considering the reported assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of financial statements and the income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

3. CONSOLIDATION PROCEDURE :

- Consolidated financial statements of the "Bank" (parent and its subsidiaries) have been prepared on the basis of audited financial statements of Indian Bank (parent) and audited financial statements of its subsidiaries viz. (1) Ind Bank Housing Ltd, (2) Indbank Merchant Banking Services Ltd. after eliminating intra group transactions and unrealized profit/losses and making necessary adjustments. The financial statements of the subsidiaries are drawn up to the same reporting date of the parent.
- The Subsidiaries and Associates follow Accounting Policies as prescribed by the respective regulatory authorities and as per statutory requirements. In view of such diverse accounting policies required to be followed, the consolidated financial statements have been prepared by adopting the respective accounting policies of the mandated / statutory requirements.
- The difference between the cost to the parent of its investment in subsidiary entity and the parent's portion of its equity in the subsidiary with reference to the date of acquisition is recognized in the consolidated financial statement as Capital Reserve/Goodwill. The parent's share in the post acquisition profits/losses is adjusted against the Revenue Reserve.

- The minority interests in the net result of the operation and the asset of the subsidiary, represent that part of profit and the net asset attributable to the minorities.
- Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard -23 (AS - 23) - "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by ICAI based on the audited Financial Statements of the Associates.

4. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE : PARENT:

- Foreign Currency transactions of Indian operations and non-integral foreign operations are accounted for as per Accounting Standard-11 (AS-11) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
- Translation in respect of Indian operations:
 - Foreign exchange transactions are recorded at the Weekly Average Rate (WAR) notified by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI).
 - Foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
 - Acceptances, endorsements and other obligations and guarantees in foreign currency are carried at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
 - Exchange differences arising on settlement and translation of foreign currency assets and liabilities at the end of the financial year are recognized as income or expenses in the period in which they arise.
 - Outstanding forward exchange contracts are disclosed at the Contracted rates, and revalued at FEDAI closing rates, and the resultant effect is recognized in the Profit and Loss account.
- Translation in respect of non-integral foreign operations :
Foreign branches are classified as non-integral foreign operations and the financial statements are translated as follows:
 - Assets and liabilities including contingent liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
 - Income and expenses are translated at the Quarterly Average Closing rate notified by FEDAI at the end of the respective quarter.

3. All resulting exchange differences are accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" (FCTR) till the disposal of the net investments.

5. INVESTMENTS

PARENT:

- 5.1.1 The entire investment portfolio of the Bank is classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.

- Held To Maturity (HTM)
- Available For Sale (AFS)
- Held For Trading (HFT)

The securities acquired with the intention to be held till maturity are classified under "**HTM**" category. The securities acquired with the intention to trade by taking advantage of short-term price / interest movements are classified as "**HFT**". All other securities which do not fall under any of the two categories are classified under "**AFS**" category.

An investment is classified as Held to Maturity, Available for Sale or Held for Trading at the time of its purchase/acquisition and subsequent shifting is done in conformity with the Regulatory guidelines. Transfer of scrips, if any, from one category to another is done at the lowest of acquisition cost/book value/market value on the date of transfer and depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

Investment in Subsidiaries and Associates are classified as Held to Maturity.

Profit on sale of securities under HTM category is first taken to Profit and Loss account and thereafter appropriated to Capital Reserve account (net of taxes and amount required to be transferred to statutory reserves) and loss, if any, charged to Profit & Loss account.

- 5.1.2 Investments in India are valued in accordance with RBI guidelines, as under:

- a) Securities in **HTM** category are valued at acquisition cost except where the acquisition cost is higher than the face value, in which case, such excess of acquisition cost over the face value is amortised over the remaining period of maturity. Any diminution, other than temporary, in value of investments in subsidiaries/joint ventures/Associates which are included under HTM category is recognized and provided. Such diminution is being determined and provided for each investment individually. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) / Alternate Investment Fund (AIF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost.
- b) Investment in Subsidiaries, Joint Ventures and

Associates are valued at historical cost. Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) are valued at carrying cost (i.e. Book value).

- c) Investments in **AFS** category are marked to market, scrip-wise and classification wise, at quarterly intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.

- d) The individual scrips in the **HFT** category are marked to market at daily intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The Book Value of the individual securities in this category does not undergo any change.

- a) Securities in **AFS** and **HFT** categories are valued as under:

- i. Central Government Securities are valued at prices / YTM rates as announced by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA)/ Financial Benchmark India Private Ltd (FBIL).
- ii. State Government and Other approved securities are valued applying the YTM method by marking up 25 basis points above the yields of the Central Government Securities of equivalent maturity put out by PDAI / FIMMDA/ FBIL periodically.
- iii. Equity shares are valued at market price, if quoted. Unquoted equity shares are valued at break-up value (without considering revaluation reserves if any) as per the company's latest balance sheet (not more than one year prior to the date of valuation). Otherwise, the shares are valued at Re. 1 per company.
- iv. Preference shares are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of the value determined based on the appropriate YTM rates or redemption value.
- v. All debentures/bonds, other than those which are in the nature of advances, are valued on the YTM basis.
- vi. Treasury bills, Certificate of deposits and Commercial papers are valued at carrying cost.
- vii. Units of Mutual Funds are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of repurchase price or Net Asset Value (NAV). In case of funds with a lock-in period, where repurchase price / market quote is not available, units are valued at NAV, else valued at cost till the end of the lock-in period.
- viii. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) / Alternate Investment Fund (AIF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost. After

period of 3 years from the date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

- 5.1.3 In respect of investment at Overseas branches, RBI guidelines or those of the host countries whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of RBI are followed.
- 5.1.4 Non-performing investment (NPI) are identified as stated below, as per guidelines issued by RBI.
- Securities/Non-cumulative Preference shares where interest/fixed dividend/installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
 - If any credit facility availed by the issuer from the Bank is a Non-performing advance in the books of the bank, investment in any of the securities including preference shares issued by the same issuer would also be treated as NPI and vice-versa. However, if only the preference shares are classified as NPA, the investments in any of the other performing securities issued by the same issuer may not be classified as NPI and any performing credit facilities granted to that borrower need not be treated as NPA.
 - In case of other equity investments, classified as NPI, shares are valued at market price, if quoted and in case it is not quoted, they are valued at Re.1 per company.
 - Investments backed by guarantee of the Central Government though overdue are treated as Non Performing Asset (NPA) only when the Government repudiates its guarantee when invoked.
 - Investment in State Government guaranteed securities, including those in the nature of 'deemed advances', are subjected to asset classification and provisioning as per prudential norms if interest/ installment of principal (including maturity proceeds) or any other amount due to the Bank remains unpaid for more than 90 days.
- 5.1.5 Brokerages / Commission / incentive received on subscriptions are deducted from the cost of securities. Brokerage / Commission / Stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses.
- 5.1.6 Interest Rate Swap transactions for trading is marked to market at quarterly intervals. The fair value of the total swaps is computed on the basis of the amount that would be received/ receivable or paid/ payable on termination of the swap agreements as on the balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for, while the profit, if any, is ignored
- 5.1.7 Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.
- 5.1.8 Premium/interest arising at the inception of forward exchange swap facility of RBI for FCNR (B) dollar

deposits is amortized as expense over the period of the swap contract.

- 5.1.9 Cost of investments is determined based on the Weighted Average Cost method in each category. Investments classified under HTM are carried at acquisition cost as arrived under Weighted Average Cost method and in case the weighted average cost is more than the face value, the premium is amortised over the remaining period of maturity.

- 5.1.10 Accounting for Repo/Reverse Repo transactions:

All types of repo/reverse repo transactions with RBI including LAF, variable rate term operations, Long term Repo operations (LTRO) and MSF and also Market Repo transactions are accounted as per RBI guidelines. The securities sold and purchased under Repo/Reverse Repo are accounted as Triparty Repo wherein securities are transferred as in the case of normal outright sale/purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as Interest expenditure / income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified under Schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified under Schedule 7 (Balance with Banks and Money at Call & Short Notice)

SUBSIDIARY COMPANIES:

5.2 Indbank Merchant Banking Services Ltd:

The investments held by the Company are all long term investments. Long term investments are carried at cost less provision for diminution, other than temporary in nature. The Company has reckoned diminution in value of shares /debentures as permanent in nature by relying on market value of quoted shares and book value / fair value whichever is higher in respect of unquoted shares.

5.3 Ind Bank Housing Ltd

Investments are classified into current investments and long term investments. Investments are valued at lower of cost or market value for each investment individually as per NHB guidelines in force.

6. FINANCIAL ASSETS SOLD TO SECURITISATION COMPANIES (SC) / RECONSTRUCTION COMPANIES (RC)

Parent:

- 6.1 Security Receipts (SR) issued by SCs/RCs in respect of financial assets sold to them is recognized at lower of redemption value of SRs and Net Book Value of financial assets. SRs are valued at:
- SRs issued by SCs/RCs prior to 01.04.2017 at Net Asset Value declared by SCs/RCs on the Balance Sheet date and depreciation, if any, is provided for and appreciation is ignored.
 - As per amended guidelines issued by RBI with effect from April,01,2017, provisioning requirement on SRs will be higher of

- (i) provisioning rate in terms of Net Asset Value declared by the SCs/RCs
- (ii) provisioning rate as applicable to the underlying loans, assuming that the loans notionally continued in the books of the bank

6.2 In case of financial assets sold to RC, the valuation and income recognition is being done as per RBI Guidelines. If the sale is for value lower than the Net Book Value (NBV) (i.e, book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit and Loss account or met out of utilisation of Floating provision held, as per extant RBI guidelines.

6.3 If the cash received (by way of initial consideration and /or redemption of security receipts) is higher than the Net Book Value of the Non Performing Asset (NPA) sold to RC, then excess provision is reversed to the Profit and Loss account. The quantum of excess provision reversed to Profit and Loss account is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the NPA sold.

7 ADVANCES

Parent:

7.1.1 In accordance with the prudential norms issued by RBI, advances in India are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss assets borrower-wise.

7.1.2 Provisions are made for non performing advances as under:

a) Sub Standard:

- i) A general provision of 15% on the total outstanding
- ii) Additional provision of 10% for exposure which are unsecured ab-initio (ie., where realizable value of securities is not more than 10% ab-initio)

b) Doubtful category-1

- i) 25 % for Secured portion.
- ii) 100% for Unsecured portion.

c) Doubtful Category – 2

- i) 40 % for Secured portion.
- ii) 100% for Unsecured portion.

d) Doubtful category-3 and Loss advances – 100%.

7.1.3 Provision is made for standard advances including Restructured / Rescheduled standard advances as per RBI directives.

7.1.4 In respect of foreign branches, income recognition, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirement or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.

Further, if an asset in the overseas books of the Bank requires to be classified as NPA at any point of time in terms of regulations issued by Reserve Bank of India,

then all the facilities granted by the bank to the borrower and investment in all the securities issued by the borrower will be classified as NPAs/NPIs.

However, accounts classified as Non-performing/ Impaired assets (NPAs) by host regulators for reasons other than record of recovery, would be classified as NPAs at the time of consolidating financial statements in India and provided for, as required; whereas asset classification of other credit exposures to the same counterparties in other jurisdictions (including India) will continue to be governed by the extant guidelines in the respective jurisdictions.

7.1.5 Advances disclosed are net of provisions made for non-performing assets, DICGC/ ECGC/ CGTMSE claims received and held pending adjustment, repayments received and kept in sundries account, participation certificates, usance bills rediscounted and provision in lieu of diminution in the fair value of restructured accounts classified as standard assets.

8. FIXED ASSETS / DEPRECIATION

8.1 Parent:

8.1.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost and at the revalued amount in respect of assets revalued.

8.1.2 Depreciation on buildings (including cost of land wherever inseparable/ not segregated) and other fixed assets in India is provided for on the straight-line method at the same rates in which the said assets were charged, as specified below:

Sl. No	Nature of Asset	Rate of Depn (SLM)
I	Buildings	1.63%
II	Other Fixed Assets	
	1. General Plant and Machinery	4.75%
	2. Furniture, Fixtures	6.33%
	3. Electrical Machinery and Fittings	7.07%
	4. Cycles	7.07%
	5. Scooters, Motor Cycles, Jeeps	9.50%
	6. Vans	11.31%
	7. Coin Vending Machine	16.66%
	8. Motor cars	20.00%
	9. Data processing machines including computers and UPS	33.33%
	10. Cell Phones and on small value items costing upto ₹ 5000/-	100.00%

8.1.3. Depreciation relating to revalued component is charged under revenue expenditure and an equivalent amount will be charged straightway against revaluation reserve and credited to the revenue reserve, as per revised AS 10 issued by ICAI.

Depreciation on fixed assets acquired and put in to use on or before 30th September is charged at 100% of the

prescribed rates and at 50% of the prescribed rates on the fixed assets acquired and put in to use thereafter. No depreciation on the fixed assets is provided for in the year of sale / disposal. In respect of Assets where subsidy is received from Government, the same is credited to the respective asset account and depreciation has been charged accordingly.

- 8.1.4 Premium on leasehold land is capitalised in the year of acquisition and amortized over the period of lease.
- 8.1.5 Depreciation in respect of fixed assets at foreign branches is provided as per the practice prevailing in the respective countries.
- 8.1.6 In respect of Non Banking Assets, no depreciation is charged.

Subsidiary Companies :

8.2 Indbank Merchant Banking Services Ltd :

Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation & provision for impairment (if Any). Leased assets (Contracted prior to December 1997) are further adjusted for the balance in Lease adjustment account.

DEPRECIATION

- a) On Assets other than given on lease:
In respect of assets other than assets given on lease, the company provides depreciation on the assets on the Straight Line Method (SLM) based on the useful life of the asset as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013, on pro-rata basis. Software costs are amortised on SLM over a period of three years, from the year of acquisition.
- b) On Assets given on lease under discontinuing operations:
In respect of Assets given on lease under discontinuing operation, the Company provides depreciation on the assets in the WDV method on pro-rata basis, the month in which the assets are installed taken as full month. The cost of the Assets given on lease are amortised fully during the Lease period. {In accordance with the Guidance note on Accounting for Leases (revised) issued by the ICAI}. The difference between the statutory depreciation and the annual lease charge is adjusted through the Lease Equalisation, which is adjusted with the lease income.

Indbank Housing Ltd :

- 8.3 Fixed Assets are capitalized at cost and or stated at cost less deprecation. Depreciation is calculated on written down value method at the rates prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013.

9. REVENUE RECOGNITION

Parent :

- 9.1.1 Income and expenditure are generally accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.
- 9.1.2 Income from non-performing assets, Central Government guaranteed assets (where it is overdue

beyond 90 days), dividend income, insurance claims, commission on letters of credit/ guarantees issued (other than those relating to project finance), income from Bancassurance products, income from wealth management, additional interest/ overdue charges on bills purchased, finance charges on credit cards, income on Bank's right to recompense, AMC charges on debit cards are accounted for on realisation and Locker Rent received is accounted on accrual basis.

- 9.1.3 In case of overdue foreign bills, interest and other charges are recognised till the date of crystallisation as per FEDAI guidelines.

Subsidiary Companies:

9.2 Indbank Merchant Banking Services Ltd

- a. Issue Management Fee and fees for other managerial services - Considered on the completion of assignment.
- b. Underwriting Commission and brokerage on distribution of financial products – Considered on receipt of subscription particulars.
- c. Brokerages under stock broking operations are accounted on completion of contract.
- d. Interest on overdue lease rentals and hire purchase instalments (Discontinued operations) are accounted for on receipt basis. Since the outstanding amount is fully provided for in the books of accounts, the amounts received are adjusted towards the principal outstanding and balance, if any, towards interest.
- e. Dividend income is recognized when the right to receive is established.
- f. Annual Maintenance and transaction charges under depository participant operations are considered yearly and on completion of transactions respectively.

9.3 Indbank Housing Ltd:

- a. The Company follows National Housing Bank's Prudential Norms for recognition of Income and Provisioning for Non Performing Assets.
- b. Repayment of housing loans is by way of Equated Monthly Instalments (EMIs) comprising of principal and interest. Interest is calculated every half year on the opening balance at the beginning of the respective half year/ year. EMI commences once the entire loan is disbursed. Pending commencement of EMI, pre-EMI interest payable is recognized every month

10. CREDIT CARD REWARD POINTS

Reward points earned by card members on use of Card facility is recognized as expenditure on such use.

11. NET PROFIT / LOSS

The result disclosed in the Profit and Loss Account is after considering:

- Provision for Non-Performing Advances and / or Investments.
- General provision on Standard Advances

- Provision for Restructured Advances
- Provision for Depreciation on Fixed Assets
- Provision for Depreciation on Investments
- Transfer to/ from Contingency Fund
- Provision for direct taxes
- Provision for Unhedged Foreign Currency Exposure
- Usual or/and other necessary provisions

12. STAFF RETIREMENT BENEFITS

Parent:

12.1.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust.

12.1.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation as per Indian Bank Employees' Gratuity Fund Rules and Regulations and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the Bank and is managed by Indian Bank Employees' Gratuity Fund Trust.

12.1.3 PENSION

- a) Pension liability is a defined benefit obligation under Indian Bank (Employees) Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension.
- b) New Pension Scheme (NPS) which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

12.1.4 COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and Sick Leave are provided for based on actuarial valuation.

12.1.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation. In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other

than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

Subsidiary Companies:

Indbank Merchant Banking Services Ltd

12.2 Short Term employee benefits / obligations are estimated and provided for.

Gratuity – The Subsidiary has an obligation towards gratuity, a defined benefit retirement plan covering eligible employees. The plan provides for a lumpsum payment to vested employees at retirement, death while in employment or on termination of employment of an amount equivalent to 15 days salary payable for each completed year of service. Vesting occurs upon completion of five years of service. Annual contribution is made to gratuity fund established as a Trust through a Group Gratuity Policy with Life Insurance Corporation of India. The Company's liability towards Gratuity is actuarially determined as at balance sheet date using the Projected Unit Credit (PUC) method. Actuarial gains and losses are recognized in revenue.

Provident Fund – The eligible employees are entitled to receive benefits under Provident Fund, a defined contribution plan in which both employees and the employer make monthly contributions at a specified percentage of the covered employees salary, the contributions as specified under the law are paid to the Provident Fund and Pension Fund with Provident Fund Authorities.

Leave encashment – The eligible Leave encashment liability to the employees other than those deputed by Indian Bank has been provided for on the basis of actuarial valuation based on number of days unutilised leave as at each balance sheet date.

The retirement benefit liability to staff on deputation from Parent is borne by the Parent except eligible Provident Fund contribution.

Ind bank Housing Ltd:

12.3 Contribution to Provident Funds is made to the Regional Provident Fund Commissioner.

The Gratuity liability is covered by Trust formed under the Group Gratuity Scheme. The trust has purchased a Group Gratuity policy from LIC and the annual premium is paid through the Trust.

Liability for leave encashment is provided for on actuarial basis.

13. ACCOUNTING FOR LEASES

Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognized in the Profit and Loss Account over the lease term or life whichever is lower.

14. CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS

14.1 Contingent liability: Past events leading to, possible or present obligations are recognised as contingent liability in the following instances where:

- (a) The existence of such obligations has not been confirmed
 - (b) no outflow of resources are required to settle such obligations
 - (c) a reliable estimate of the amount of the obligations cannot be made
 - (d) such amounts are not material
- 14.2 (a) Provision is recognized in case of present obligations where a reliable estimate can be made and/or where there are probable outflow of resources embodying foregoing of economic benefits to settle the obligations, excluding frivolous claims.
- (b) Provision for Market Risk, Country Risk, etc., are made in terms of extant instructions of RBI.
 - (c) Floating provision as identified by the Bank Management is provided for.

Floating provision may be utilized as per extant RBI guidelines, for -

- (i) Making specific provisions for non-performing assets;
- (ii) Meeting any shortfall in sale of non-performing assets.

15. IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses, if any, on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit

and Loss Account in accordance with the Accounting Standard 28 "Impairment of Assets". However, an impairment loss on a revalued asset is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset.

16. TAXES ON INCOME

- 16.1 Provision for tax is made for both Current Tax and Deferred Tax.
- 16.2 Current tax is measured at the amount expected to be paid to the taxation authorities, using the applicable tax rates, tax laws and favourable judicial pronouncements / legal opinion.
- 16.3 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognised using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognised unless there is "virtual certainty" that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

17. Discontinuing Operations

In respect of Indbank Merchant Banking Services Ltd accounting policies adopted for discontinued operations are in line with the accounting policies adopted for continuing operations.

SCHEDULE 18

NOTES ON ACCOUNTS TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (2019-20)

1. SUBSIDIARIES:

Sl.No.	Name of the Subsidiary	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
a	Ind Bank Housing Ltd	India	51.00%
b	Indbank Merchant Banking Services Ltd	India	64.84%

2. ASSOCIATES:

Sl.No.	Name of the Associate	Shareholding Pattern
a	Tamilnadu Grama Bank	35%
b	Saptagiri Grameena Bank	35%
c	Puduvai Bharathiar Grama Bank	35%

RECONCILIATION AND ADJUSTMENTS

PARENT:

Reconciliation of Inter Branch Account is completed up to 31.03.2020. The Bank through various effective steps has achieved reduction in the old outstanding entries in IBGA. Adjustment of the remaining outstanding entries is in progress. As per the Management, 5747 IBGA credit entries aggregating to Rs.4.86 crores are outstanding, pertaining to the period before 01/03/2009.

In view of the net credit position in respect of unreconciled entries in the Inter Branch Account outstanding for more than 6 months as on 31.03.2020, no provision is required.

Old outstanding entries in drafts payable, clearing adjustment, sundries receivable, sundry deposit accounts, etc. and in bank reconciliation relating to Reserve Bank of India and other banks are being regularly reviewed for appropriate adjustments.

Balancing of subsidiary ledgers / registers and reconciliation with general ledgers are in progress at some branches. In the opinion of the management, consequential financial impact of the above on the accounts will not be significant.

3. FIXED ASSETS

PARENT

3.1.1 The premises of the Bank include land and are stated at revalued amount. The Bank revalued its premises in the financial year 2018-19 at fair market value determined by the approved external valuers. There is an increase of Rs.555.14 Crore in the amount of revaluation of premises, which has been credited to "Revaluation Reserve Account". For the year 2019-20, depreciation amounting to Rs.110.49 crores (Previous Year Rs.85.33 crore) was charged under expenditure and depreciation on revalued portion amounting to Rs.107.20 Crore (previous year Rs.81.55 crore) is adjusted against the "Revaluation Reserve account". As per AS 10 Standard, depreciation on revalued assets amounting to Rs.107.20 cr. was also charged under expenditure for the year 2019-20. The same was adjusted against Revaluation Reserve to the credit of Revenue Reserve A/c.

3.1.2 2 Premises include 4 properties costing Rs.3.59 crores (Previous year – 4 properties costing Rs. 3.59 crores) having revalued book value, net of depreciation at Rs.48.04 crore (Previous year – Rs.49.22 crore) for which registration formalities are pending.

3.1.3 Draw Down from Reserves:

(₹ in crore)

Sl. No.	Reserves	Amount drawn		Purpose
		2019-20	2018-19	
1.	Revaluation Reserve	107.20	81.55	Depreciation on revalued portion on Premises

4. COVID 19 measures

4.1 The spread of COVID-19 across the globe has resulted in declined economic activity and increased volatility in financial markets. In this situation, though the challenges continue to unfold, the Bank is gearing itself on all fronts to meet the same. The situation continues to be uncertain and the Bank is evaluating the situation on an ongoing basis. The extent to which the COVID-19 pandemic will impact the Bank's results will depend on future developments, which are highly uncertain. Major challenges for the Bank would be from extended working capital cycle and reduced cash flows. The Bank's capital and liquidity position is strong and would continue to be the focus area for the Bank during this period.

4.2 RBI vide Notifications dated 27.03.2020 and 17.04.2020 has announced measures to mitigate the burden of debt servicing brought about by disruptions on account of COVID-19 pandemic and to ensure the continuity of viable businesses. The measures, inter alia, included Rescheduling of Payments -Term Loans and Working Capital Facilities, Easing of Working Capital Financing, Classification as Special Mention Account (SMA) and Non-Performing Asset (NPA) etc. Accordingly the Bank has made the following provisions: -

- Provision @15% aggregating to Rs. 108.90 Crore against the accounts with outstanding of Rs. 725.99 Crores which were standard as on 29.02.2020 but would have slipped to NPA/Sub-standard category as on 31.03.2020 had the RBI debt servicing relief as above not been reckoned.
- In respect of above accounts, interest income aggregating Rs. 39.46 Crore has been reckoned in operating profit and an equal amount has been made as additional provision against those Assets.

4.3. General Provision for COVID-19 Deferment cases:

In accordance with the RBI guidelines relating to COVID-19 Regulatory Package dated 27th March, 2020 and 17th April, 2020, and clarification issued by RBI through Indian Bankers Association, dated 6th May 2020 the Bank is granting moratorium on the payment of installments and / or interest, as applicable, falling due between 1st March, 2020 and 31st May, 2020 ('moratorium period') to eligible borrowers classified as Standard, even if overdue, as on 29th February, 2020. In accordance with RBI guidelines, the moratorium period, wherever granted, is excluded by the Bank from the number of days past-due for the purpose of asset classification under RBI's Income Recognition and Asset Classification norms. The Bank holds provisions as at 31st March 2020 against the potential impact of COVID-19 based on the information available up to a point in time. The provisions held by the Bank are higher than the RBI prescribed norms. Following are the details of such accounts and provisions made by the Bank:

(₹ in crore)

Particulars	As at 31 st March, 2020
Advances outstanding in SMA/overdue categories, where the moratorium/deferment was extended as per COVID-19 Regulatory Package	53623.38
Advances outstanding where asset classification benefits are extended up to 31 st March, 2020	725.99
Provisions made as per para 5 of the COVID-19 Regulatory Package for the financial year ended 31 st March, 2020	148.36
Provisions adjusted during the financial year ended 31 st March, 2020	NIL

5. TAXATION

PARENT

5.1 Amount of Provision made for Income Tax during the year:

(Amount ₹ in crore)

	2019-20	2018-19
Provision for Taxation (Income Tax including Deferred Tax)	619.37	-37.74

The disputed income tax demand paid as at 31.03.2020 was ₹4129.14 Crores (previous year ₹4348.52 Crores). The same has also been included under contingent liabilities of ₹4396.00 Crores (previous year ₹5704.41 Crores) relating to disputed tax matters as at 31.03.2020. No provision is considered necessary for the said disputed demands on account of judicial pronouncements and favorable decisions in Banks' own case.

5.2 SUBSIDIARY COMPANIES

5.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

- A net provision of Rs.50.95 lakhs for tax has been made in the year.
- No provision is made for the disputed demands of income tax keeping in view the judicial pronouncements and/or legal opinion on the issues.
- The provision for deferred tax (net) for the year is Rs.34.15 lakhs (Previous year- Rs.4.02 lakhs) which has been charged to profit & loss account
- Prior period taxes : Nil

5.2.2 INDBANK HOUSING LTD

- The unabsorbed depreciation and carry forward losses eligible for set-off against future taxable income have not been considered for deferred tax asset on the ground of virtual uncertainty.
- The Income Tax Department has sent a demand notice for ₹ 4.32 crores for the assessment year 1999-2000 including interest. The demand is raised by considering the income on non-performing assets on accrual basis which, as per the NHB directives, could not be recognised as income. The Company has contested the demand and the matter is pending before the Hon'ble Madras High Court.

6. DISCLOSURES IN RESPECT OF ACCOUNTING STANDARDS

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2020 (AS 3)

	Year ended 31.03.2020 (₹ in Crore)	Year ended 31.03.2019 (₹ in Crore)
Net Profit as per Profit and Loss Account	862.02	380.73
Adjustments for :		
Provisions and Contingencies	5738.49	4557.48
Depreciation	314.00	259.29
Loss/(profit) on sale of land and buildings	(0.73)	1.51
Operating Profit before working Capital Changes	6123.78	4500.01

	Year ended 31.03.2020	Year ended 31.03.2019
Increase / Decrease in Operating Assets		
(Increase) / Decrease in Investments	(16249.24)	6347.59
(Increase) / Decrease in advances	(16625.10)	-24692.98
(Increase) / Decrease in other assets	(1895.00)	-1424.46
	(34769.34)	-19070.85
Increase / Decrease in Operating Liabilities		
Increase / (Decrease) in Deposits	18143.60	33778.98
Increase / (Decrease) in Borrowings (Other than Capital Instruments)	8692.77	-8622.63
Increase / (Decrease) in other liabilities	(6920.72)	-4315.66
	19915.65	20840.69
Net cash generated from operations (A)	(8729.91)	6269.85
Cash flow from investing activities		
Purchase of fixed assets	(259.16)	-256.44
Sale of fixed assets	11.79	7.88
Net cash generated from Investing Activities (B)	(247.37)	-248.56
Cash flow from Financing activities		
Payment of dividend	0.00	0.00
Payment of distribution tax	0.00	0.00
Increase / (Decrease) in borrowings (capital instruments)	0.00	1000.00
Capital Received towards Share	2829.49	0.00
Net cash generated from financing activities (C)	2829.49	1000.00
Effect of Exchange Fluctuation on translation Reserve (D)	56.67	72.83
Net increase/(Decrease) in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)+(D)	(6091.12)	7094.12
cash and cash equivalents at the beginning of the year		
cash in hand (including foreign currency notes)	1030.76	499.70
Balances with Reserve Bank of India - in current Account	10671.11	10001.90
Balances with Banks		
(a) in current Accounts	4.35	15.27
(b) in other deposit accounts	717.14	640.69
Money at Call and short notice with Banks	2200.00	0.00
Balances with Banks outside India		
(a) in current Accounts	203.66	166.39
(b) in other deposit accounts	5168.47	1609.01
Money at call and short notice	32.13	0.54
	20027.60	12933.50
Cash & Cash equivalents at the end of the year		
cash in hand (including foreign currency notes)	1006.09	1030.76
Balances with Reserve Bank of India - in current Account	4730.04	10671.11
Balances with Banks		
(a) in current Accounts	8.86	4.35
(b) in other deposit accounts	721.65	717.14
Money at Call and short notice with Banks	2100.00	2200.00
Balances with Banks outside India		
(a) in current Accounts	530.93	203.66
(b) in other deposit accounts	4830.26	5168.47
Money at call and short notice	8.65	32.13
	13936.48	20027.60
Difference in Opening and closing cash and cash equivalents	(6091.12)	7094.12

7. Property, Plant and Equipment (AS 10)

PARENT

During the year, the depreciation on revalued portion of the fixed assets is charged to profit and loss account as against charge to revaluation reserves during the previous financial years to comply with the change in Accounting Standard (AS-10). This has the effect of increase in the expenses by Rs.107.20 Crore and lowering the net profit by Rs.107.20 Crore.

8. EMPLOYEE BENEFITS (AS 15)

8.1.1 Defined Contribution Plans:

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust. During the financial year 2019-20, the Bank has contributed Rs.0.56 crores (previous year Rs.0.70 crores).

New Pension Scheme (NPS) is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account. During the financial year 2019-20, the Bank has contributed ₹ 58.41 crores (previous year ₹ 49.71 crores).

8.1.2 Defined Benefit Plans:

The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognised in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised) are as under:

The following table sets out the basis of the Defined Benefit Pension Plan and Gratuity Plan as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank

I. PRINCIPAL ACTUARIAL ASSUMPTIONS [Expressed as weighted averages]	31/03/2020	31/03/2019
Discount Rate	6.89% for Pension – 15 year G-Sec Paper	7.79% for Pension – 15 year G-Sec Paper
-G-Sec Rate	6.82% for Gratuity – 10 year G-Sec Paper	7.47% for Gratuity – 10 year G-Sec Paper
Salary escalation rate	6.00% (includes 0.50% for wage revision)	6.00% (includes 0.50% for wage revision)
Attrition rate	1.00% for Pension and 2.00% for Service Employees	1.00% for Pension and 2.00% for Service Employees
Expected rate of return on Plan Assets *	8.05% for Pension and 7.74% for Gratuity	8.26% for Pension and 8.23% for Gratuity
Method used	Projected Unit Credit (PUC) actuarial Method	

* Expected Rate of return on Plan Assets not applicable for Leave encashment.

The estimates of future salary increases are considered taking into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market and in tandem with Funding Guidelines for Superannuation Schemes communicated by IBA. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible.

The liabilities of leave encashment are unfunded.

(Amount ₹ in crore)

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
PVO as at the beginning of the year	6520.32	6245.89	923.85	964.99	188.20	179.51
Interest Cost	425.49	462.66	62.84	66.44	13.93	13.20
Current service cost	96.47	89.58	46.31	41.29	20.03	22.40
Past service cost – recognized / vested benefits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Past service cost – unrecognized / non-vested benefits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Benefits paid	-689.59	-613.46	-165.24	-150.98	-17.77	-19.32
Actuarial loss/(gain) on obligation	449.26	335.65	61.22	2.11	5.90	-7.58
PVO as at the end of the year	6801.95	6520.32	928.98	923.85	210.29	188.21

(Amount ₹ in crore)

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	6418.93	6146.80	910.66	932.55	0.00	0.00
Expected return on plan assets	508.32	496.59	65.44	71.94	0.00	0.00
Contributions	446.42	397.58	69.64	57.53	17.77	19.32
Benefits paid	-689.59	-613.46	-165.24	-150.98	-17.77	-19.32
Actuarial gain/(loss) on plan assets	13.33	-8.58	2.71	-0.38	0.00	0.00
Fair value of plan assets as at the end of the year	6697.41	6418.93	896.40	910.66	0.00	0.00

(Amount ₹ in crore)

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
Expected return on plan assets	508.32	496.59	65.44	71.94	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) on plan assets	13.33	-8.58	2.71	-0.38	0.00	0.00
Actual return on plan assets	521.65	488.01	68.15	71.56	0.00	0.00

(Amount ₹ in crore)

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNISED	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	-449.25	-335.65	-24.74	-2.11	5.90	7.58
Actuarial gain / (loss) for the year – due to financial assumption changes in DBO	0.00	0.00	-36.48	0.00	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	13.32	-8.58	2.71	-0.38	0.00	0.00
Total gain / (loss) for the year	-435.93	-344.23	-58.51	-2.49	5.90	7.58
Actuarial gain/(loss) recognised in the year	-435.93	-344.23	-58.51	-2.49	5.90	7.58
Unrecognised actuarial gain / (loss) at the end of the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40

(Amount ₹ in crore)

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
Present value of the obligation	6801.96	6520.32	928.98	923.85	210.29	188.21
Fair value of plan assets	6697.41	6418.93	896.40	910.66	0.00	0.00
Difference - Net (Liability) / Asset recognized in Balance Sheet	-104.55	-101.39	-32.58	-13.19	-210.29	-188.21
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Liability recognised in the balance sheet	-104.55	-101.39	-32.58	-13.19	-210.29	-188.21

(Amount ₹ in crore)

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
Current service cost	96.47	89.58	46.31	41.29	20.03	22.40
Interest Cost	425.49	462.66	62.84	66.44	13.93	13.20
Expected return on plan assets	-508.32	-496.58	-65.44	-71.94	0.00	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	435.93	344.23	58.51	2.49	5.90	-7.58
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expenses recognised in the statement of profit and loss	449.57	399.89	102.22	38.28	39.86	28.02

(Amount ₹ in crore)

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
Opening net liability	-101.39	-99.08	-13.19	-32.43	-188.21	-179.51
Expense as above	-449.58	-399.89	-89.02	-38.28	-39.86	-28.02
Contribution paid	446.42	397.58	69.64	57.53	17.77	19.32
Closing net liability	-104.55	-101.39	-32.58	-13.19	-210.30	-188.21

(Amount ₹ in crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (i) Previous Years 2015-20 - Pension	Year Ended					
	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020
Present Value of obligation	5306.22	5608.14	5925.15	6245.89	6520.32	6801.96
Plan Assets	5215.05	5508.95	5841.36	6146.80	6418.93	6697.41
Surplus/ (Deficit)	-91.17	-99.19	-83.79	-99.09	-101.39	-104.55
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	-305.93	-384.40	-626.82	-704.39	-335.65	449.25
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	13.13	-7.61	27.73	10.93	-8.58	13.32

(Amount ₹ in crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (ii) Previous Years 2015-20 - Gratuity	Year Ended					
	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020
Present Value of obligation	844.78	831.94	900.90	964.99	923.85	928.98
Plan Assets	835.47	829.38	876.81	932.55	910.66	896.40
Surplus/ (Deficit)	-9.31	-2.56	-24.09	-32.44	-13.19	-32.58
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	21.09	-24.20	-87.34	-36.20	-2.11	-61.22
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	10.61	-1.66	-1.36	22.12	-0.38	-2.71

(Amount ₹ in crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (iii) Previous Years 2015-20- Leave Encashment	Year Ended					
	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020
Present Value of obligation	154.58	161.63	171.21	179.51	188.21	210.29
Plan Assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus/ (Deficit)	-154.58	-161.63	-171.21	-179.51	-188.21	-210.29
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	-8.15	-100.37	-3.01	10.18	7.58	17.71
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X. MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	2019-2020		2018-2019	
	Pension Fund	Gratuity Fund	Pension Fund	Gratuity Fund
Government of India Securities and State Government Securities	55.00%	0.00%	63.00%	0.00%
High Quality Corporate Bonds /PSU BONDS	40.00%	0.00%		
Special Deposit Scheme	1.00%	-	-	-
Funds managed by Insurer	4.00%	100.00%	37.00%	100.00%
Private Sector Bonds	-	-	-	-
Money Market	-	-	-	-
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

(₹ in Crore)

XI. CONTRIBUTION DURING NEXT YEAR**	Pension Fund	Gratuity Fund	Earned Leave
Enterprise's best estimate of contribution during next year	1000	400	200

** The increase in the estimate is on account of merger of Allahabad Bank with Indian Bank.

8.1.3 Other Long Term Employee Benefits

Amount of Rs.3.71 crore (previous year Rs.2.19 crore) has been provided towards Long Term Employee Benefits as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank and is included under the head "Payments to and Provisions for Employees" in Profit and Loss Account.

Details of additional Provisions made / (written back) for various long Term Employee Benefits during the year: (₹ in Crore)

No.	Long Term Employee Benefits	31/03/2020	31/03/2019
1	Sick Leave	1.44	1.81
2	Casual Leave	0.12	0.02
3	Leave Travel Concession	2.15	0.36
	Total	3.71	2.19

No.	Long Term Employee Benefits	Opening balance 01.04.2019	Expenditure 2019-20	Addition 2019-20	Closing Balance 31.03.2020
1	Sick Leave	5.94	0	1.44	7.38
2	Casual Leave	0.59	0	0.12	0.71
3	Leave Travel Concession	4.63	13.59	15.74	6.78
	Total	11.16	13.59	17.30	14.87

Note: Disclosures included are limited to the extent of information provided by the Actuary

8.2 SUBSIDIARY COMPANIES

8.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Defined Contribution Plan

Contribution to Defined Contribution Plan, recognized as expense for the year are as under:

₹

Details	2019-20	2018-19	2017-18
Employer's contribution to Provident Fund	3956245	3551012	3291972

Defined Benefit Plan
I) Reconciliation of opening and closing balances of Defined benefit obligation

₹

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
Defined benefit obligation at the beginning of the year	10424236	8629583	7487157	6411244
Current service cost	875494	796422	346222	308077
Interest cost	781818	690367	535448	488043
Actuarial (gain)/ loss	1161862	378206	1559387	746754
Benefits paid	(702125)	(70342)	(752593)	(466961)
Settlement cost	-	-	-	-
Defined benefit obligation at the year end	12541285	10424236	9175621	7487157

II) Reconciliation of opening and closing balances of fair value of plan assets

₹

Details	Gratuity (Funded)	
	2019-20	2018-19
Fair value of plan assets at the beginning of the year	11550311	9630894
Expected return on plan assets	758843	763672
Contributions-	-	1226088
Actuarial (gain)/ loss	-	-
Benefits paid	(702125)	(70342)
Settlement cost	-	-
Fair value of plan assets at year end	11607029	11550312
Actual return on plan assets	1161862	378206

III) Reconciliation of fair value of assets and obligations

₹

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
Fair value of plan assets	11607029	11550312	-	7487157
Present value of obligation	12541285	10424236	9175621	6411244
Amount recognized in Balance Sheet	(934256)	1126076	(9175621)	1075913

IV) Expense recognized during the year

₹

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
Current Service Cost	875494	796422	346222	308077
Interest Cost	781818	690367	535448	488043
Expected return on plan assets	758843	763672	-	-
Actuarial (gain) / loss	1161862	378206	1559387	746754
Net Cost	2060331	1101323	2441057	1075913

V) Actuarial assumptions

₹

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
Mortality Table (LIC)	1994- 96 (Ultimate)	1994-96 (Ultimate)	1994-96 (Ultimate)	1994-96 (Ultimate)
Discount rate (per annum)	7.25%	7.5%	6.61%	8.00%
Expected rate of return (per annum)	8.00%	8.00%	-	-
Rate of escalation of salary (per annum)	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
Attrition Rate	1% to 3%	1% to 3%	7.00%	7.00%

The estimates of rate of escalation in salary considered in actuarial valuation, take into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors including supply and demand in the employment market. The expected rate of return is determined considering several applicable factors, mainly the composition of plan assets held, assessed risks, historical results of return on plan assets and the company's policy for plan assets management. The retirement benefit liability in respect of staff on deputation from Indian Bank is borne by Indian Bank.

The company has contributed Rs.20.36 Lakhs (previous year- Rs.13.49 lakhs) towards Gratuity liability in the year 2019-20.

8.2.2 SUBSIDIARY COMPANIES

INDBANK HOUSING LTD

₹

Company's obligation towards Gratuity Fund and details of actuarial valuation:

1	Total past service gratuity	664,113
2	Actuarial value past service gratuity	686,909
3	Gratuity Fund with LIC	670,525
4	Contribution payable to LIC	16384
5	Contribution paid during the year	NIL
6	Balance payable	16752
7	Risk premium and service tax paid	368
8	Assumptions	
	Discounting rate	7.25% p.a. compound
	Projections of salary increase	7.5% p.a. compound

9. SEGMENT REPORTING (CONSOLIDATED) (AS 17)

(₹ in Crore)

Part A Business Segments	Treasury		Corporate/ Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking operations		Total	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
Revenue	6 360.25	5 439.37	8 257.78	7 334.63	9 532.64	8 087.58	280.46	202.27	24 431.13	21063.85
Result	2 092.05	1 552.29	1 824.77	1 552.19	2 072.26	1 627.38	211.83	144.90	6 200.91	4876.76
Unallocated expenses									5 118.27	4 595.25
Operating profit									1 082.64	342.34
Minority interest									0.69	0.59
Other unallocable income									399.60	59.79
Income Taxes									620.21	- 37.78
Exceptional Item									0.00	0.00
Net Profit									861.33	380.12
Other information										
Segment Assets	91370.17	76752.91	104502.35	95302.07	117426.74	109944.91	-8280.71	0.00	3 05 018.55	2 81 999.88
Unallocated assets									5 122.41	- 1611.60
Total assets									310140.96	280388.28
Segment Liabilities	82 590.88	68 165.37	91 493.87	88 084.96	1 03 057.81	1 01 796.48	0.00	0.00	2 77 142.56	2 58 046.81
Unallocated liabilities									10 230.82	2 626.01
Capital reserves & Surplus									22 767.58	19 715.46
Total liabilities									3 10 140.96	2 80 388.28

Part B Geographic Segments						
	Domestic		International		Total	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
Revenue	24278.49	20646.30	448.30	427.19	24726.79	21073.49
Assets	300546.95	269787.46	9594.01	10600.82	310140.96	280388.28

Segment Revenue and expenses have been apportioned on the basis of segment assets, wherever direct allocation is not possible.

Previous year figures were re-grouped wherever necessary

10. RELATED PARTY DISCLOSURES (AS 18)

10.1 PARENT

Key Managerial Personnel:

Smt.Padmaja Chundururu Managing Director & Chief Executive Officer (w.e.f. 21.09.2018)

Shri. M K Bhattacharya Executive Director (w.e.f. 18.02.2017)

Shri Shenoy Viswanath V Executive Director (w.e.f. 01.12.2018)

Remuneration paid to Key Management Personnel during the year ₹ 98.16 lakhs (Previous year - ₹ 81.99 lakhs)

10.2 SUBSIDIARY COMPANIES

10.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Key Managerial Personnel:

Managerial Remuneration:

Name	Designation		2019-20
Mr.SeshaSai P L V K	President & Whole Time Director	Salary	16.72
		Contribution to PF	0.83
Mr. U.Rajkumar	Vice President & CFO	Salary	3.82
		Contribution to PF	0.30
Mr.V.Balamurugan	Company Secretary & Compliance Officer	Salary	7.32
		Contribution to PF	0.76
Sitting fees paid to Non-whole time independent directors			2.20

President and Whole Time Director of the Company is on deputation from Indian Bank and the remuneration is in accordance with the service rules of the said Bank and also in terms of appointment as 'Whole Time Director' by the shareholders of the Company.

Vice President & CFO of the Company is on deputation from Indian Bank and the remuneration is in accordance with the service rules of the said Bank.

Company Secretary & Compliance Officer has been recruited directly by the company and the remuneration is in accordance with the terms of offer of employment given by the company.

10.2.2 IND BANK HOUSING LTD.

Managing Director of the Company is on deputation from Indian Bank and is drawing remuneration from Ind Bank Merchant Banking Services Ltd. as President of that Company. Hence no remuneration is paid by this Company.

10.3 Other related parties are State controlled Enterprises and hence no disclosures are required as per paragraph 9 of AS 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of banker-customer relationship are not required to be disclosed.

11. LEASES (AS 19)

11.1 PARENT

- The properties taken on lease / rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank.
- The leases entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the currency of lease period by giving agreed calendar month notice in writing.
- Lease rent paid for operating leases are recognized as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates. The lease rent recognized during the year is ₹ 225.85 Crores (Previous year ₹214.63 Crore).
- Finance Lease

An asset acquired on finance lease comprises plant and equipment and land. The leases have a primary period, which is fixed and non-cancellable. The Bank has an option to renew the lease for a secondary period.

The minimum lease rentals and the present value of minimum lease payments in respect of assets acquired under finance lease are as follows:

Particulars	Minimum lease payments		Present value of minimum lease payments	
	As at 31 st March 2020	As at 31 st March 2019	As at 31 st March 2020	As at 31 st March 2019
Payable not later than 1 Year	0	0	0	0
Payable later than 1 year and not later than 5years	0	0	0	0
Payable later than 5 Years	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Less:Future finance charges				
Present value of minimum lease payments	0	0	0	0

11.2 SUBSIDIARY COMPANIES

11.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

In case of assets taken on lease;

The company has operating leases for office premises at various locations with the Parent. The future minimum payments required under non-cancellable operating leases at year-end are as follows:

(₹ in lakhs)

	As on 31.03.2020	As on 31.03.2019
Lease payments for the year	23.24	30.67
Minimum Lease payments:		
Not later than one year	0.00	0.00
Later than one year but not later than five years	0.00	0.00
Later than five years	0.00	0.00

12. EARNINGS PER SHARE (AS 20)

Particulars	2019-20	2018-19
Net Profit after tax available for equity shareholders (₹ Lakhs)	197.28	168.14
Number of Equity Shares	44378200	44378200
Weighted Number of equity shares	44378200	44378200
Basic Earning Per Share	₹0.47	₹ 0.38
Diluted Earning Per Share	₹0.47	₹ 0.38
Nominal value per Equity Share	₹10.00	₹10.00

13. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT (AS 21)

The consolidated financial statements are prepared in accordance with the Accounting Standard (AS 21), "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the guidelines issued by the Reserve Bank of India on preparation of Consolidated Financial Statements.

The consolidated financial statements are based on the audited financial statements of Indian Bank (parent) and audited financial statements of its subsidiaries, viz., (1) Indbank Housing Ltd. and (2) Indbank Merchant Banking Services Ltd.

Consolidated figures as on 31.03.2020 includes ₹103.95 crores being share in the unaudited profit of three Associates viz, M/s Tamilnadu Grama Bank, M/s Saphthagiri Grameena Bank and Pudukkottai Bharathiar Grama Bank.

14. ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS 22)

14.1 PARENT

The major components of Deferred Tax Assets (DTA) / Deferred Tax Liabilities (DTL) are:

(₹ in Crore)

Indian Bank		31.03.2020	31.03.2019
Deferred Tax Assets			
1	Liabilities provision allowable on payment /crystallisation	67.70	81.05
2	FCTR (Foreign Currency Translation Reserve)	109.15	131.75
3	Provision for unutilized leave	0.00	0.00
4	Provision for GRATUITY	0.12	0.21
5	Provision for bad debts	1006.58	938.55
6	Provision for restructured assts, AQR, S4A, Stressed Assets	70.66	102.88
7	Depreciation on Fixed Assets	73.87	65.02
8	Provision for Head Office Expenses	0.18	0.00
Total DTA		1328.26	1319.46
Deferred Tax Liabilities			
1	Depreciation on Fixed Assets	38.51	52.87
2	Provision for written off accounts	363.15	504.21
3	Staff welfare retrieval	4.11	5.71
4	Special Reserves U/s.36(1)(viii) of Income Tax Act 1961	178.29	247.54
Total DTL		584.07	810.33
Net DTA / (DTL)		744.20	509.13

14.2 SUBSIDIARY COMPANIES

14.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD :

The major components of deferred tax asset/liability are as below:

₹

	Deferred Tax			
	As on 31.03.2020		As on 31.03.2019	
	Asset	Liability	Asset	Liability
i) Timing difference in depreciable assets		26067924		32153096
ii) Provision for Bad debts and NPAs	61669507		71351489	
iii) Others	3072737		2890939	
Total	64742244	26067924	74242428	32153096
NET DTA / (DTL)	38674320		42089332	

15. DISCLOSURE REQUIREMENTS UNDER AS 24-DISCONTINUED OPERATIONS

15.1 SUBSIDIARY COMPANIES

15.1.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

The Company had discontinued fund-based activities consequent to SEBI regulations coming into force with effect from December 1997 and had decided to undertake only fee-based activities. The existing fund based exposures as on December 1997 are continued to run down to their contracted period. The Company had obtained cancellation of registration as NBFC from RBI consequent to repayment of fixed deposits and transfer of unclaimed fixed deposits to IEPF. The Company is now governed only by SEBI regulations.

Information reported to the Chief Operating Decision Maker (CODM - Board of Directors) for the purposes of resource allocation and assessment of segment performance focuses on the Company as a whole. Hence, the management has concluded that the Company has only one segment.

The Company had discontinued fund-based activities consequent to SEBI regulations coming into force with effect from December 1997 and had decided to undertake only fee-based activities. The existing fund based exposures as on December 1997 are continued to run down to their contracted period. The Company had obtained cancellation of registration as NBFC from RBI consequent to repayment of fixed deposits and transfer of unclaimed fixed deposits to an escrow account with a nationalized bank for repayment as and when claimed. The Company is now governed only by SEBI regulations.

16. SUBSIDIARY COMPANIES

16.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Indian Bank, the parent Bank, had approved a moratorium period of 3 years from September 2013 to September 2016 for repayment of the amount of Rs. 897.48 lakhs payable to them under the Right of Recompense clause with repayment of Rs. 75 lakhs per half year to commence from the half year ending 31.03.2017 without any interest charge for the period of moratorium/repayment. Accordingly, the company has repaid Rs.450 lakhs to Indian Bank upto the half year ended 31.03.2020 as per the terms approved by the parent bank

17. BANCASSURANCE BUSINESS

PARENT

During the current year, the Bank has earned commission, etc, to the extent of ₹ 20.44 Crore on sale / marketing of various Bancassurance products / Mutual Funds (previous year ₹ 16.92 Crore).

(Amount ₹ in crore)

Sl.No.	Nature of Income	2019-20	2018-19
1	For selling Life Insurance Policies	8.88	5.79
2	For selling Non-life Insurance Policies	11.43	10.78
3	Others – For selling Mutual Fund Products	0.15	0.35
	Total	20.44	16.92

18. ADDITIONAL DISCLOSURES

PARENT :

As per information available with the Bank, there are no outstanding dues payable by the Bank to MSME units identified by the Bank, which is pending beyond the time limit prescribed under MSMED Act, 2006 and there have been no reported cases of accepted liability of delayed payments of principal amount or interest thereon for such parties during the year.

19. Previous year's figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary, to conform to current year's figures.

Independent Auditors' Report on the Consolidated Financial Statements

To

The Members of Indian Bank

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Indian Bank (hereinafter referred to as the "Bank / parent") and its subsidiaries including the share of earnings of its associates (the parent and its subsidiaries & associates together referred to as "the Group"), which comprise the consolidated Balance Sheet as at March 31, 2020, the consolidated statement of Profit and Loss and the consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the consolidated financial statements").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- of the consolidated state of affairs of the Group as at March 31, 2020,
- of consolidated profit/loss, and
- its consolidated cash flows for the year then ended.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the provisions of Accounting Standard 21 – "Accounting for investment in Associates in consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 27 – Financial Reporting of Interest in Joint Venture" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, Sec 29 of Banking Regulation Act, 1949, the circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time ("RBI Guidelines") and other accounting principles generally accepted in India.

Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group and its associates and in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in India in terms of the Code of Ethics issued by ICAI and the relevant guidelines issued by Reserve Bank of India and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

1. We draw attention to the attached Note nos 4.1 to 4.3 forming part of Consolidated financial statement on the impact of uncertainties caused by covid19 on the future business and financial results and Management's assessment of the same in the prevailing situation. The Management is in the process of evaluating the effect of the uncertainties on an on going basis with reference to challenges under the prevailing uncertainties.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Key Audit Matters

Audit of Branches

1. The lock down and restrictions on travel imposed by the State and Central Governments in view of the pandemic caused by Covid 19, branch audit of the bank proved to be a major task requiring lot of attention and planning to ensure sufficient audit evidence is obtained to provide necessary assurance. Further ICAI in their advisories on impact of covid on Audit has clearly stipulated that though the methodology of audit may change, the same will not have any adverse impact on obtaining sufficient audit evidence in forming an assurance opinion.
2. To overcome travel restrictions, we adopted 'remote' audit of various branches by which audit of a branch could be done from another branch by the auditors remotely where the Auditor could visit and view the accounts, documents etc of the branch to be audited. The auditors were able to view these documents and evidence from the remote branch and obtained sufficient audit evidence to form an audit opinion.

Reduction in number of audited branches:

In view of pandemic caused by Covid 19 and the strict lockdown and travel restrictions imposed by the Government, RBI revisited the criteria fixed for Audit of Branches of PSU Banks and came out with a circular dated 27th April 2020 removing the criteria of compulsory audit of all branches with advance of above Rs 20 crores but ensuring that audited branches cover at least 90% of all funded and non funded exposures of the Bank. The Bank adopted the new guidelines for statutory audit of branches for the current year which resulted in 1324 number of branches getting audited by SBAs apart from the top twenty branches audited by SCAs which in effect resulted in reduction of 419 number of audited branches for the year 2019-20 as compared to the previous year . The Break up details of the branches audited as compared to previous year are as stated below :

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Total No of branches	2886	2872
No. of Branches audited	1349	1768
No of unaudited branches	1537	1107
Total of Advances Covered	₹183963.79 cr	₹171486.91 cr

To overcome this , the SCAs at the time of zonal consolidation gave special attention on such branches which would have got audited but for the circular, issued by RBI as stated above to ensure that there is no deficiency in obtaining audit evidence to form an assurance opinion

RBI's circulars on Covid concessions:

The circulars (nos. 1. DOR.No.BP.BC.47/21.04.048/2019-20 dated 27.03.2020 2. DOR. No.BP. BC.62/21.04.048/2019-20 dated 17.04.2020 3. DOR.No.BP.BC.63/21.04.048/2019-20 dated 17.04.2020) were issued in late March and April 2020, bank could not give effect to this in their CBS system. This

necessitated identification of eligible accounts and issue of MOCs manually by the SBAs and consequent verification and updation.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group including its associates in accordance with accounting principles generally accepted in India. The respective Board of Directors of the Companies included in the group and of its associates are responsible for maintenance of adequate accounting records for safeguarding the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities, the selection and application of appropriate accounting policies, making judgements and estimates that are reasonable and prudent, and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring adequacy and completeness of accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of presentation of the consolidated financial statements by the Directors of the Bank, as aforesaid.

In preparing the consolidated financial statements, the respective Board of Directors of the Group and of its associates are responsible for assessing the ability of the Group and of its associates to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The respective Board of Directors of the the Group and of its associates are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group and of its associates.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit.

We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to

fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. We are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group and its associates to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group and its associates to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group and its associates to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance of the group and such other entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate

with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

Report on Internal financial control in the Bank

The Reserve Bank of India vide Notification No DOS:ARG: No 6270/08.91.001/2019-20 dated 17/03/2020 had advised that SCAs should report in their independent Audit Report for the 2019-20 about the adequacy of internal control system with reference to financial statements in the Bank and its operating effectiveness. We have been informed by the Bank vide their letter CO/Accounts: Audit/144/20-21 dated 12th June 2020 that RBI has made it optional for the Bank for the year 2019-20 and that the Bank has opted not to implement the financial controls and the report thereon for the year 2019-20. Hence our audit report does not include report on the adequacy of internal financial control over financial statements and its operating effectiveness.

We did not audit the financial statements / financial information of 2 subsidiaries whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs.4350.82 crore as at 31st March, 2020, total revenues of Rs.576.11 crore and net cash flows amounting to Rs.3.19 crore for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements. The consolidated financial statements also include the Group's share of earnings of Rs. 103.95 crore for the year ended 31st March, 2020, as considered in the consolidated financial statements, in respect of 3 associates, whose financial statements / financial information have not been

audited by us. These financial statements are unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the Statement, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries and associates, is based solely on such unaudited financial statements/ financial information. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these financial statements are not material to the Group. Our opinion on the consolidated financial statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements / financial information certified by the Management.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

We report, to the extent applicable, that:

- The consolidated Balance Sheet and the Consolidated Statement of Profit and Loss and the Consolidated Cash Flow Statement have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
- We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit of the aforesaid consolidated financial statements.
- In our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation of the aforesaid consolidated financial statements have been kept so far as it appears from our examination of those books and the reports of the other auditors.
- The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Statement of Profit and Loss and the Consolidated Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account maintained for the purpose of preparation of the consolidated financial statements.
- In our opinion, the aforesaid consolidated financial statements comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For M THOMAS & CO
Chartered Accountants
FR No.004408S

A ROZARIO
Partner
(M No. 021230)

For P S SUBRAMANIA IYER & CO
Chartered Accountants
FR No.004104S

S SUNDARA RAMAN
Partner
(M No. 022137)

For K C Mehta and Co
Chartered Accountants
FR No: 106237W

CHIRAG BAKSHI
Partner
(M No. 47164)

For SRIRAMAMURTHY & CO
Chartered Accountants
FR No. 003032S

J LALITHA
Partner
(M.No. 0201855)

For RAVI RAJAN & CO LLP
Chartered Accountants
FR No.009073N/N500320

JAYANTH A
Partner
(M.No. 231549)

Place : Chennai
Date : June 23, 2020

Basel III-Pillar III Disclosures

March 31,2020

ADDITIONAL DISCLOSURES IN TERMS OF COMPLIANCE OF BASEL III REQUIREMENTS AS STIPULATED BY RBI

Table DF – 1

Scope of Application

Name of the head of the banking group to which the framework applies: Indian Bank

(i) Qualitative Disclosures:

a. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
IndBank Merchant Banking Services Ltd. (Subsidiary)	Yes	Consolidated in accordance with Accounting Standard 21- Consolidated Financial Statement	Yes	Consolidated in accordance with Accounting Standard 21- Consolidated Financial Statement	Not Applicable	Not Applicable
Ind Bank Housing Ltd. (Subsidiary)	Yes	Consolidated in accordance with Accounting Standard 21- Consolidated Financial Statement	Yes	Consolidated in accordance with Accounting Standard 21- Consolidated Financial Statement	Not Applicable	Not Applicable
Tamil Nadu Grama Bank (Associates)	Yes	Consolidated under Equity Method in accordance with Accounting Standard 23- Consolidated Financial Statement	No	Not Applicable	Treated as associates	Risk weighted for capital adequacy purposes
Saptagiri Grameena Bank (Associates)	Yes	Consolidated under Equity Method in accordance with Accounting Standard 23- Consolidated Financial Statement	No	Not Applicable	Treated as associates	Risk weighted for capital adequacy purposes
Puduvai Bharathiar Grama Bank (Associates)	Yes	Consolidated under Equity Method in accordance with Accounting Standard 23- Consolidated Financial Statement	No	Not Applicable	Treated as associates	Risk weighted for capital adequacy purposes

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation:

Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NIL					

(ii) Quantitative Disclosures:
c. List of group entities considered for consolidation:

(₹ in Million)

Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
IndBank Merchant Banking Services Ltd (India)	Merchant Banking services	443.78	742.98
Ind Bank Housing Ltd (India)	Housing Finance	100.00	1,456.08

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

Name of the subsidiaries / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
NIL				

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

Name of the insurance entities / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
NOT APPLICABLE				

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital with in the banking group:

There is no restriction or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group.

Table DF - 2 : Capital Adequacy

Assessment of Capital Adequacy:

- (a) Bank maintains capital to protect the interest of depositors, general creditors and stake holders against any unforeseen losses

As per the RBI guidelines, Banks have to maintain a Minimum Common Equity Tier 1 (CET 1) of 7.375% (including Capital Conservation Buffer of 1.875%) and minimum CRAR of 10.875%. Bank maintains Common Equity Tier 1 (CET 1) of more than 7.375% and CRAR of more than 10.875%.

- (b) In line with RBI guidelines, Bank has adopted following risk management approaches for assessing the capital adequacy:

- **Credit Risk:** Standardised Approach
- **Market Risk:** Standardised Duration Approach
- **Operational Risk:** Basic Indicator Approach

- (c) Bank projects capital for the next 3 financial years based on business projections, policy guidelines, macro-economic scenarios, risk appetite etc

- (d) Under Pillar II, Bank considers following risks while assessing / planning capital:

- | | |
|--|--|
| ➤ Credit Concentration Risk | ➤ Legal Risk |
| ➤ Interest Rate Risk in the Banking Book | ➤ Underestimation of Credit Risk under Standardised Approach |
| ➤ Liquidity Risk | ➤ Pension Obligation Risk |
| ➤ Counterparty Credit Settlement Risk | ➤ Off-Balance sheet exposure Risk |
| ➤ Compliance Risk | ➤ Technology Risk |
| ➤ Reputational Risk | ➤ Outsourcing Risk |
| ➤ Model Risk | ➤ Human Resources Risk |
| ➤ Country Risk | ➤ Residual Risk |
| ➤ Compensation Risk | ➤ Strategic Risk |

- (e) Bank also periodically undertakes stress testing in various risk areas to assess the impact of stressed scenario or plausible events on asset quality, liquidity, interest rate, derivatives and forex on its profitability and capital adequacy.

A comprehensive stress testing framework is put in place. Bank conducts stress test on quarterly basis based on scenarios prescribed by RBI as well as bank specific scenarios. The Stress test results are placed to various apex level committees.

The Bank assesses the impact of the following risks, as part of Stress Test:

- Credit Risk
- Market Risk
- Credit Concentration Risk
- Default Risk
- Liquidity Risk
- Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)
- Operational Risk

Bank is conducting the Stress Test on quarterly basis and the result of the same is placed to Credit Risk Management Committee (CRMC)/Risk Management Committee (RMC) of the Board

Quantitative disclosures (as per Basel III guidelines)

(a) Capital requirements for credit risk:

(₹ in Million)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Portfolios subject to standardized approach	1,52,104.01	1,52,154.70
Securitization exposures	--	--

b) Capital requirements for market risk:

Standardized duration approach

(₹ in Million)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Interest Rate Risk	7770.40	7770.40
Foreign Exchange Risk (including gold)	63.00	63.00
Equity Risk	1596.14	1596.14
Total	9429.55	9429.55


(c) Capital requirements for operational risk:

(₹ in Million)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Basic Indicator Approach	12,025.19	12,040.06

(d) Common Equity Tier 1 (CET 1), Tier 1 and Total capital ratio (as per Basel III guidelines):

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Common Equity Tier 1 (CET 1),	11.78%	12.23%
Tier 1 Capital Adequacy Ratio	12.08%	12.53%
Total Capital Adequacy Ratio	14.12%	14.57%

Organisation Structure:


Risk Management Architecture:

The Bank's risk management framework is based on clear understanding of various risks, disciplined risk assessment and measurement procedures and continuous monitoring. An independent Risk Management Department is functioning for effective Enterprise-Wide Risk Management and responsible for assessment, monitoring and reporting of risk exposures across the bank. All the risks the Bank is exposed to, are managed through following three committees viz.,

- (i) Asset Liability Committee (ALCO)
- (ii) Credit Risk Management Committee (CRMC)
- (iii) Operational Risk Management Committee (ORMC)

These committees work within the overall guidelines and policies approved by the Board.

The Bank has put in place various policies to manage the risks. To analyze the enterprise-wide risk and with the objective of integrating all the risks of the Bank, an Integrated Risk Management policy (including Disclosure, Reputational & Strategic Risk Management) has also been put in place. The important risk policies comprise of Credit Risk Management Policy (part of Credit Policy), Asset Liability Management Policy, Policy on Market Risk Management, Operational Risk Management Policy, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy,

All the policies are reviewed at a minimum on annual basis by Risk Management Committee (RMC)/ Board. In order to disseminate the risk management concepts and also to sensitize the field level functionaries, the relevant policies are circulated to the branches, in addition to imparting training at the Bank's training establishments.

Credit Risk:

Risk Management Systems are in place to identify and analyze the risks at the early stage and manage them by setting and monitoring prudential limits besides taking other corrective measures to face the changing risk environment.

Limit Framework:

In order to limit the magnitude of credit risk and concentration risk, a limit framework has been laid down for following type of exposures:

- Single and group borrower exposure
- sensitive sector exposure
- unsecured exposure
- country-wise exposure
- Internal rating wise exposure
- Geographical exposure
- Term loan exposure
- Industry - wise exposure
- Interbank exposure

These exposure limits are monitored on regular basis and placed to various apex level committees of the Board.

Rating Model: All credit proposals are subject to a rigorous credit risk rating/scoring process to support credit decision making as well as to enhance risk management capabilities for portfolio management, pricing and risk based capital measurement.

Software driven rating mechanism is in place to assign the rating to ensure credit quality besides an entry level scoring system. The output of the rating models is used in decision making i.e. sanction, pricing and monitoring of credit portfolio. In order to ensure robustness of the rating models, the rating models have been subjected to validation by an external agency.

Scoring model: The Bank has developed entry level scoring models. All the fresh sanctions coming under personal loan products are subjected to entry level scoring. In the previous year, the rating models were revamped and new models were introduced to keep pace with changing times.

Loan review mechanism and Credit audit system are in place for the periodical review/audit of the large value accounts and bring about qualitative improvements in credit administration of the Bank. In addition, Standard Assets Monitoring Committee reviews the Special Mention Accounts periodically to initiate timely action to prevent slippage of standard assets to non performing assets. As a part of monitoring mechanism, accounts which are downgraded from investment category are identified and monitored closely.

Migration analysis of ratings is done on annual basis. Also weighted average rating of industry-wise portfolio of the Bank is done on quarterly basis. Analysis of rating wise distribution of advances is also carried out on quarterly basis.

Adopting best risk management practices, credit proposals (except schematic loan proposals) coming under sanctioning powers of Corporate Office are scrutinised by the Risk Management Department.

Asset Liability Management:

Asset Liability Management framework facilitates bank to measure, monitor and control liquidity risk and interest rate risk on its balance sheet. This helps in providing suitable strategies for asset liability management. The asset liability management framework consists of the following key components

- Liquidity risk management
- Interest rate risk management
- Balance sheet and Basel III liquidity ratios
- Stress Testing and scenario analysis
- Contingency funding plan

Bank has set in place ALM policy to achieve two primary objectives as listed below:

Short Term Objective:

- To optimize the Net Interest Margin (NIM) of the Bank

- To provide adequate liquidity
- To manage re-pricing risk

Long Term Objective:

- To maximize the shareholder's wealth

Asset Liability Management is the function of Asset Liability Committee (ALCO). It operates under the guidance and supervision of the Board and/or Sub-Committee of Board on Risk Management. It meets at regular intervals to review the interest rate scenario, liquidity position, product pricing for both deposits and advances, maturity profile of the assets and liabilities, demand for Bank funds, cash flows of the Bank and overall Balance Sheet Management.

Liquidity risk is measured and monitored through two approaches-Flow approach and Stock approach. Flow approach involves comprehensive tracking of cash flow mismatches and is done through preparation of Structural liquidity statement on a daily basis. Appropriate tolerance levels/prudential limits have been stipulated for mismatches in different time buckets. Under Stock Approach various balance sheet ratios are prescribed with appropriate limits. The compliance of ratios to the prescribed limits ensures that the Bank has managed its liquidity through appropriate diversification and kept it within the sustainable limit.

For measurement and monitoring of Interest rate risk, currency wise, both Traditional gap approach and Duration gap approaches are followed. The short-term impact of interest rate movements on NIM is worked out through "Earnings at Risk" approach taking into consideration Yield curve risk, Basis risk and Embedded Options Risk. The long-term impact of interest rate movements on Market Value of Equity is also worked out through Duration Gap approach. The monthly interest rate sensitivity statement is reviewed by ALCO and Quarterly interest rate sensitivity is reviewed by RMC.

Stress testing of liquidity risk and interest rate risk is conducted on regular interval as per the RBI defined and internally defined stress scenarios. The results from internal Liquidity stress testing are used to draw contingency funding plan under different liquidity stress scenarios.

In addition to the above, bank is computing Liquidity Coverage Ratio (LCR) as per latest guidelines issued by RBI and is using it as a risk measurement tool to manage short term liquidity. On a monthly basis LCR statement is reviewed by ALCO.

Market Risk Management:

Market risk is the possibility of loss caused by adverse movements in the market variables. The Bank for International Settlements (BIS) defines market risk as "the risk that the value of 'on' or 'off' balance sheet positions will be adversely affected by movements in equity and interest rate markets, currency exchange rates and commodity prices". Thus, Market Risk is the risk to the bank's earnings and capital due to

changes in the market level of interest rates or prices of securities, foreign exchange and equities, as well as the volatilities of those changes. The objective of market risk management is to assist the business units in maximizing the risk adjusted return by providing analytics driven inputs regarding market risk exposures, portfolio performance vis-à-vis risk exposures and comparable benchmarks. Following risks are managed under Market Risk.

- Interest Rate Risk
- Exchange Rate Risk
- Equity Price Risk

The market risk may also arise from changes in commodity prices and volatility. However, Bank does not have any exposure to commodity related markets.

Market Risk Management (MRM) Framework of the bank is as follows:

- Risk Identification:** Setting a framework for identifying, assessing and managing market risk in order to provide clarity on various dimensions of risk identification and recognition to each of the business functions.
- Risk Measurement and Limits:** Bank recognizes that no single risk statistic can reflect all aspects of market risk. Therefore, various statistical and non-statistical risk measures are used to enhance the stability of risk measurement of market risk. Together, these risk measures provide a more comprehensive view of market risk exposure than any single measure. Market risk is managed with various metrics viz. Value at Risk (VaR), Earnings at Risk (EaR), Modified duration (MD), PV01 Limits, Net Overnight Open Position Limits (NOOPL), Individual Gap Limit (IGL) and Aggregate Gap Limit (AGL) currency wise and also through sensitivity analysis. Stress testing is also conducted on a regular basis to monitor the vulnerability of the bank to extreme but plausible unfavourable shocks.
- Risk Monitoring:** Bank monitors and controls its risk, using various internal and regulatory risk limits for trading book which are set based on economic scenario, business strategy, management experience and Bank's risk appetite. Rate scan is carried out to ensure that transactions are carried out at prevailing market rates.
- Risk Reporting:** Mid Office monitors treasury operations on day to day basis. A daily report is placed to Chief Risk Officer and on monthly basis to ALCO. Stress testing is done for assessing market risk as per framework prescribed in Stress Test Policy and reported to ALCO on Quarterly basis.

Market risk management is governed by comprehensive board approved Policy on Market Risk Management and Stress Testing Policy to ensure that the risks spread across

different activities carrying an underlying market risk are within the stipulated risk appetite of the bank. All the policies are benchmarked with industry-best practices and RBI regulations. The risk reporting mechanism in the Bank comprises disclosures and reporting to the various apex level committees.

Operational Risk:

Operational risk is now on the focus of intense interest among industry participants, regulators and other stake holders. The bank has put in place Operational Risk Management Framework (ORMF) and Operational Risk Management systems (ORMS) to ensure effective governance, risk capture and assessment and quantification of operational risk. Operational risk is well managed by using appropriate qualitative & quantitative methods and established internal control systems in day to day management processes and adopting various risk mitigating strategies. The risk perceptions in various products / processes are critically analysed and corrective actions if required, are initiated.

Bank has implemented a web-based Operational Risk Management System to capture, measure, monitor and manage its operational risk.

Operational risk is also monitored through analysis of credit spurt and analysis of frequency and severity of operational losses.

Table DF-3

Credit Risk: General disclosures for all banks

Qualitative Disclosures:

(a) Credit Risk Management:

Credit risk is defined as the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counterparties.

Architecture:

In adherence with various guidelines and leading industry practices, the Bank has set up a robust governance structure for the management of credit risk, ensuring an adequate oversight, monitoring and reporting. The framework establishes the responsibilities of the board of directors.

The Bank has established a Board level sub-committee known as 'Risk Management Committee (RMC)' constituted in terms of RBI guidance note on Risk Management system.

Risk Management Committee (RMC):

The RMC evaluates overall risks faced by the Bank and is responsible for the establishment of an effective system to identify, measure, monitor and control risk and recommend to the Board for its approval, clear policies, strategy, risk appetite and credit standards.

The Board has delegated authority to the RMC for credit risk related responsibilities.

The committee oversees credit risk management and ensures that the principal credit risks facing the Bank have been properly identified and are being appropriately managed. The committee approves and periodically reviews the overall risk appetite and credit risk management strategy. The committee reviews the risk management policies, the Bank's compliance with risk management guidelines stipulated by the RBI.

The risk committee also reviews credit risk profile and any major development, internal and external, and their impact on portfolio and as a whole on the bank

Credit Risk Management Committee (CRMC):

CRMC deals with the issues relating to credit policy and procedures, and analyzes, manages and controls credit risk on a bank wide basis.

Loan Review Management Committee: (LRMC):

As a part of Credit risk management process, Loan Review Management Committee (LRMC), at Corporate Office, has been constituted to undertake review of borrowal accounts sanctioned by various Committees at CO and Zonal Credit Committee.

Definitions of past due and impaired (for accounting purpose)

Bank has adopted the definitions of the past due and impaired (for accounting purposes) as defined by RBI for Income Recognition and Asset Classification norms.

The policy of the bank for classifying bank's loan assets is as under:

Non Performing Asset (NPA): A non performing asset (NPA) is a loan or an advance where:

- Interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- The account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC)
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops

An OD/CC account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power for more than 90 days. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

Non Performing Assets of the Bank is further classified in to three categories as under:

➤ **Sub standard Assets**

A sub standard asset is one which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months.

➤ **Doubtful Assets**

An asset would be classified as doubtful if it has remained in the sub standard category for 12 months.

➤ **Loss Assets**

A loss asset is one where loss has been identified by the bank or by internal or external auditors or the RBI inspection.

Credit Risk Management Policy: The Bank has put in place the Credit Risk Management Policy (part of Credit Policy) and the same has been circulated to all the branches. The main objective of the policy is to ensure that the operations are in line with the expectation of the management and the strategies of the top management are translated into meaningful directions to the operational level. The Policy stipulates prudential limits on large credit exposures,

standards for loan collateral, portfolio management, loan review mechanism, risk concentrations, risk monitoring and evaluation, provisioning and regulatory / legal compliance.

The Bank identifies the risks to which it is exposed and applies suitable techniques to measure, monitor and control these risks.

While the Board / Risk Management Committee of the Board devises the policy and fixes various credit risk exposures, Credit Risk Management Committee implements these policies and strategies approved by the Board / RMC, monitors credit risks on a bank wide basis and ensures compliance of risk limits.

The Bank studies the concentration risk by (a) fixing exposure limits for single and group borrowers (b) rating grade limits (c) industry wise exposure limits and (d) analyzing the geographical distribution of credit across the Zones. All the Zones are categorized under four segments namely North, South, East and West.

Bank considers rating of a borrower as an important tool to measure the credit risk associated with any borrower and accordingly implemented rating software.

(b) Total gross credit risk exposures, Fund Based and Non-fund based separately.

(₹ in Million)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Gross Credit Risk Exposures		
Fund Based		
Loans and Advances	2058897.30	2058897.32
Investments	476960.73	476976.25
Other Assets	303394.75	303814.29
Total Fund Based	2839252.78	2839687.86
Non Fund Based including contingent credit, contracts and derivatives*	953592.73	953841.13
Total Credit Risk Exposure	3792845.51	3793528.99

*includes notional principles of derivatives exposures, fund based unavailed limits, LC, acceptances & Guarantees.

(c) Geographic distribution of credit risk exposures Fund based and Non-fund based (solo) separately

(₹ in Million)

Geographical Region	Fund Based	Non Fund Based including contingent credit, contracts and derivatives	Total
Overseas	109998.80	24428.84	134427.64
Domestic	2729253.98	929163.89	3658417.87
Total	2839252.78	953592.73	3792845.51

(d) Industry-wise distribution of exposures (Solo) as on 31-03-2020

(₹ in Million)

S.No.	Major Industries / Sectors	FB Exposure	NFB Exposure	Total Exposure
1	Chemicals & Chemical Products			
1.1	Drugs and Pharmaceuticals	3900.87	230.84	4131.70
1.2	Fertilizers	7981.30	499.80	8481.10
1.3	Other Chemicals & Chemical Products	8625.45	6047.29	14672.74
2	Engineering			
2.1	General Engineering Machinery and Goods	20695.49	20392.55	41088.04
2.2	Electrical Machinery and Goods	5882.25	8955.20	14837.46
2.3	Electronic Machinery, Goods and Software	8292.02	1706.23	9998.25
3	Food Manufacturing and Processing			
3.1	Edible oil and Vanaspati	2155.63	2353.77	4509.40
3.2	Rice Mills, Flour Mills and Dal Mills	13044.66	3659.38	16704.04
3.3	Sugar	8521.84	349.21	8871.05
3.4	Tea and Coffee	1852.23	0.00	1852.23
3.5	Other Food Manufacturing and Processing	30748.45	1463.10	32211.55
4	Infrastructure			
4.1	Power			
4.1.1	Power Generation	75726.24	8241.71	83967.95
4.1.2	Power Transmission and Distribution	26383.59	5303.29	31686.88
4.1.3	Renewable Energy	9649.46	514.36	10163.82
4.2	Transport			
4.2.1	Ports and Roads	57021.55	13025.96	70047.51
4.2.2	Shipping	1614.22	26.51	1640.73
4.2.3	Logistics	4571.76	3127.06	7698.82
4.3	Telecommunication	7776.40	22167.17	29943.57
4.4	Educational Institution	41577.12	3020.62	44597.74
4.5	Hospital	13958.43	467.40	14425.83
4.6	Hotels (Three Star and above)	5252.10	127.98	5380.08
4.7	Other Infrastructure	126490.49	7459.93	133950.41
5	Textiles			
5.1	Cotton Textile	21237.50	2798.32	24035.82
5.2	Natural Fibre Textile	1187.84	19.17	1207.01
5.3	Handloom Textile and Khadi	2052.15	16.83	2068.98
5.4	Other Textile	35676.33	3361.45	39037.79
6	NBFC/HFC/MFI			
6.1	Non Banking Financial Companies (NBFC)	159580.73	1250.00	160830.73
6.2	Micro Finance Institutions (MFI)	17191.78	0.00	17191.78
6.3	Housing Finance Companies (HFC)	114158.98	0.00	114158.98
7	Metal and Metal Products			
7.1	Iron and Steel	80288.021	10794.94	91082.95
7.2	Other Metals and Metal Products	10038.56	1024.50	11063.07
8	Trade			
8.1	Wholesale Trade	135582.96	26217.18	161800.14

(₹ in Million)

S.No.	Major Industries / Sectors	FB Exposure	NFB Exposure	Total Exposure
8.2	Retail Trade	94461.71	2807.19	97268.90
9	Automobiles	14997.90	1132.67	16130.56
10	Aviation	0.00	0.00	0.00
11	Beverages and Tobacco	2744.09	194.37	2938.46
12	Cement and Cement Products	15677.36	3458.01	19135.37
13	Capital Market Exposure (CME)	5551.95	202.50	5754.45
14	Commercial Real Estate (CRE)	36734.21	1486.44	38220.64
15	Construction Contractors	46493.58	64811.33	111304.92
16	Gems and Jewellery	1442.48	11.50	1453.98
17	Glass and Glass Ware	3318.58	4331.44	7650.03
18	Leather and Leather Products	1915.75	548.23	2463.98
19	Media and Entertainment	4906.24	191.61	5097.85
20	Mining and Quarrying	3370.31	4051.67	7421.98
21	Paper and Paper Products	7824.53	1183.29	9007.82
22	Petroleum and Petroleum Products	60495.17	23922.62	84417.79
23	Printing and Publishing	4600.78	353.67	4954.45
24	Rubber, Plastic and their Products	18948.70	5394.19	24342.88
25	Wood and Wood Products	3707.16	1339.93	5047.09
26	Other Industries	93393.49	5800.82	99194.32

As on 31-03-2020, the Bank's exposure to the industries stated below was more than 5% of the total gross credit exposure

SI.No	Industry Classification	Percentage of the total gross credit exposure
1	NBFC	14.85%
2	NBFC/HFC/MFI	10.01%

(e) Residual contractual maturity break-up of advances and investments

(₹ in Million)

	Investments*	Advances
1 day	158201.90	15967.15
2-7 days	7769.60	24413.94
8 -14 days	9585.30	71870.59
15 to 30 days	21579.30	67490.92
31 days to 2 months	12283.30	104685.46
2 months to 3 months	20972.30	99075.96
Over 3 months to 6 months	102809.30	200670.58
Over 6 months to 1 year	97225.10	298737.29
Over 1 year to 3 years	122379.50	614670.99
Over 3 years to 5 years	37862.60	234042.58
Over 5 years	219586.80	247244.67
Total	810255.00	1978870.13

* Excludes 50% of listed equities of ₹ 2161.80 million

(₹ in Million)

(f)	Amount of NPAs (Gross) – (Solo-Global)	1,41,508.40
	➤ Substandard	43,439.30
	➤ Doubtful 1	33,230.68
	➤ Doubtful 2	33,267.14
	➤ Doubtful 3	11,159.29
	➤ Loss	20,411.99
(g)	Net NPAs	61,842.38
(h)	NPA Ratios	
	➤ Gross NPAs to gross advances	6.87%
	➤ Net NPAs to net advances	3.13%
(i)	Movement of NPAs (Gross)	
	➤ Opening Balance (01.04.2019)	1,33,534.52
	➤ Additions	53,205.05
	➤ Reductions	45,231.17
	➤ Closing Balance (31.03.2020)	1,41,508.40
(j)	Movement of provisions for NPAs	
	➤ Opening Balance (01.04.2019)	61,318.60
	➤ Provisions made during the period	42,547.70
	➤ Write Off / Write-back of excess provisions	28,711.56
	➤ Closing balance (31.03.2020)	75,154.74
(k)	Amount of Non-Performing investments	7,713.19
(l)	Amount of Provisions held for non-performing investments	4,250.77
(m)	Movement of provisions for depreciation on investments	
	➤ Opening balance (01.04.2019)	9,718.04
	➤ Provisions made during the period	4,582.85
	➤ Write-off	0.00
	➤ Write-back of excess provisions	5,723.04
	➤ Closing balance (31.03.2020)	8,577.86

Write off and recoveries that have been booked directly to the income statement:

Recovery in Accounts under collection	2,146.98
Memorandum of Interest / Legal charges / Recovery in written off accounts	126.40

Amount of NPA by Major Industry type

(₹ in Million)

Industry	Gross NPA	Provision	Net NPA
Basic Metal and metal products	15,918.80	11,877.59	4,041.21
Infrastructure including Power	38,283.50	19,528.66	18,754.84
Textiles	8,026.00	2,524.92	5,501.08
All engineering	4,830.60	3,400.03	1,430.57
Coal and mining	576.10	72.69	503.42

Technical write off during the year: ₹ 25727.11 million

Geography-wise NPA

(₹ in Million)

	Domestic	Overseas	Global
Amount of NPAs (Gross)			
➤ Substandard	39,697.77	3741.53	43,439.30
➤ Doubtful 1	33,168.96	61.72	33,230.68
➤ Doubtful 2	31,700.88	1566.26	33,267.14
➤ Doubtful 3	8,693.67	2465.62	11,159.29
➤ Loss	17,847.23	2564.77	20,411.99
Total	1,31,108.50	10,399.89	1,41,508.40

Analysis of ageing of past-due loans

(₹ in Million)

Details	Gross NPA
Less than 1 year (Sub Standard)	43,439.30
1-2 Years (D1)	33,230.68
2-3 Years (D2- 1 st Year)	16,576.86
3-4 Years (D2- 2 nd Year)	16,690.28
More than 4 years	31,571.28

Table DF – 4
Credit Risk: disclosures for portfolios subject to the standardized approach
Qualitative Disclosures:

(a) The Bank uses ratings assigned by the seven Rating Agencies approved by the Reserve Bank of India namely a) CRISIL, b) ICRA, c) CARE, d) India Ratings, e) BRICKWORKS f) Acuite and g) INFOMERICS for the eligible exposures such as Corporate, Public Sector Enterprises, Capital Market Exposures etc. according to the Basel III framework. For overseas credit exposure, bank accepts rating of Standard & Poor, Fitch, Moody's.

The Bank has used the solicited ratings assigned by the above approved credit rating agencies for all eligible exposures, both on balance sheet and off balance sheet, whether short term or long term, in the manner permitted in the RBI guidelines on Basel III capital regulations.

Ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only ratings which are in force as per monthly bulletin published in the website of the concerned rating agencies are taken into account.

For assets in the Bank's portfolio that have contractual maturity up to one year, short term ratings accorded by the chosen credit rating agencies are considered relevant. For other assets, which have a contractual maturity of more than one year, long term ratings accorded by the chosen credit rating agencies are considered relevant.

Long term/short term ratings issued by the chosen domestic credit rating agencies have been mapped to the appropriate risk weights applicable as per the standardised approach under Basel III capital regulations.

Use of multiple rating assessment:

- If there are two ratings accorded by chosen credit rating agencies that map into different risk weights, the higher risk weight are applied
- If there are three or more ratings accorded by chosen credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights should be referred to and the higher of those two risk weights should be applied. i.e., the second lowest risk weight

Quantitative Disclosures:

(b) The total credit risk exposure (Solo-Global) bifurcated after the credit risk mitigation under Standardized Approach is as under:
 (₹ in Million)

Solo (Global)	Book Value	Risk Weighted value
Below 100% Risk weight	2854385.27	600897.36
100% Risk weight	603284.67	397194.07
Above 100% Risk weight	335175.56	400566.14
Total	3792845.51	1398657.56

The total credit risk exposure (Consolidated) bifurcated after the credit risk mitigation under Standardized Approach is as under:
 (₹ in Million)

Consolidated	Book Value	Risk Weighted value
Below 100% Risk weight	2854684.26	600920.95
100% Risk weight	603630.49	397539.88
Above 100% Risk weight	335214.24	400662.83
Total	3793528.99	1399123.65

Table DF-5 :Credit Risk Mitigation: disclosures for standardized approaches

Qualitative Disclosures

The Bank has put in place Credit Risk Mitigation & Collateral Management Policy (part of Credit Policy) with the primary objective of a) Mitigation of credit risks & enhancing awareness on identification of appropriate collateral taking into account the spirit of Basel III / RBI guidelines and (b) Optimizing the benefit of credit risk mitigation in computation of capital charge as per approaches laid down in Basel III / RBI guidelines.

The Bank generally relies on Risk Mitigation techniques like Loan participation, Ceiling on Exposures, Escrow mechanism, Forward cover, higher margins, loan covenants, Collateral and insurance cover.

Valuation methodologies are detailed in the Credit Risk Management Policy.(part of Credit Policy).

Eligible collateral for which CRM benefit taken for Computation of Capital Charge as per RBI guidelines :

The following collaterals are recognized for availing CRM benefit for Computation of Capital Charge:

- Cash (as well as certificates of deposit or comparable instruments, including fixed deposit receipts, issued by the lending bank) on deposit with the bank, which is incurring the counterparty exposure.
- Gold: Gold would include both bullion and jewellery. However, the value of the collateralized jewellery should be benchmarked to 99.99 purity.
- Securities issued by Central and State Governments
- Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates provided no lock-in period is operational and if they can be encashed within the holding period
- Life insurance policies with a declared surrender value of an insurance company which is regulated by an insurance sector regulator

Main types of guarantor counterparty and their creditworthiness

The Bank considers credit protection in terms of the guarantees which are direct, explicit, irrevocable and unconditional. The bank takes into account such credit protection in calculating capital requirements

Only guarantees issued by entities with a lower risk weight than the counterparty will lead to reduced capital charges, since the protected portion of the counterparty exposure is assigned the risk weight of the guarantor, whereas the uncovered portion retains the risk weight of the underlying counterparty

Credit protection given by the following entities is recognised as counterparty Guarantor:

- Sovereigns (Central and State Governments)
- Sovereign entities (including ECGC and CGTMSE)
- Banks with a lower risk weight than the counterparty

All types of securities eligible for mitigation are easily realizable financial securities. Hence, presently no limit / ceiling has been prescribed to address the concentration risk in credit risk mitigants recognized by the Bank.

The Bank uses the comprehensive approach in capital assessment. In the comprehensive approach, when taking collateral, the Bank calculates the adjusted exposure to a counterparty for capital adequacy purposes by netting off the effects of that collateral. The Bank adjusts the value of any collateral by a haircut to take into account possible future fluctuations in the value of the security occasioned by market movements

Quantitative Disclosures

For each separately disclosed credit risk portfolio (Solo-Global / Consolidated), the total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts:

(₹ in Million)

Type of Exposure	Eligible financial Collateral	Guarantees
Gross Credit Risk Exposures		
Fund Based		
Loans and Advances	373477.27	108101.37
Investments	0.00	29.88
Other Assets	0.00	0.00
Total Fund Based	373477.27	108131.25
Non Fund Based including contingent credit, contracts and derivatives	26217.00	4167.12
Total	399694.27	112298.37

Table DF – 6

Securitization: disclosure for standardized approach

Qualitative Disclosures: The Bank has not undertaken any securitization activity.
Quantitative Disclosures: NIL

Table DF – 7

Market risk in trading book

Market Risk :

Market risk is the possibility of loss caused by changes in the market variables. The Bank for International Settlements (BIS) defines market risk as "the risk that the value of 'on' or 'off' balance sheet positions will be adversely affected by movements in equity and interest rate markets, currency exchange rates and commodity prices". Thus, Market Risk is the risk to the bank's earnings and capital due to changes in the market level of interest rates or prices of securities, foreign exchange and equities, as well as the volatilities of those changes. The objective of market risk management is to assist the business units in maximizing the risk adjusted rate of return by providing analytics driven inputs regarding market risk exposures, portfolio performance vis-à-vis risk exposures and comparable benchmarks. Following risks are managed under Market Risk.

- Interest Rate Risk
- Exchange Rate Risk
- Equity Price Risk

The market risk may also arise from changes in commodity prices and volatility. However, Bank does not have any exposure to commodity related markets.

Market Risk Management (MRM) Framework of the bank is as follows:

- a) **Risk Identification:** Setting a framework for identifying, assessing and managing market risk in order to provide clarity on various dimensions of risk identification and recognition to each of the business functions.
- b) **Risk Measurement and Limits:** Bank recognizes that no single risk statistic can reflect all aspects of market risk. Therefore various statistical and non-statistical risk measures are used to enhance the stability of risk measurement of market risk. Market risk is managed with various metrics viz. Value at Risk (VaR), Earnings at Risk, Modified duration, PV01 Limits, Net Overnight Open Position Limits (NOOPL), Individual Gap Limit (IGL) and Aggregate Gap Limit (AGL) currency wise and also through sensitivity analysis. Stress testing is also conducted on a regular basis to monitor the vulnerability of the bank to extreme but plausible unfavorable shocks.

- c) **Risk Monitoring:** Bank monitors and controls its risk, using various internal and regulatory risk limits for trading book which are set based on economic scenario, business strategy, management experience and Bank's risk appetite. Rate scan is carried out to ensure that transactions are executed and revalued at prevailing market rates.
- d) **Risk Reporting:** Monitoring of Treasury operations is done by Mid Office and a daily report is put up to Chief Risk Officer. Capital charge on account of Market Risk is computed and reported to ALCO and Board on quarterly basis. Stress testing is done for assessing market risk by following assumptions prescribed in Stress Testing Policy and reported to ALCO on Quarterly basis.

Market risk management is governed by comprehensive board approved market risk management policy, Integrated Treasury Management Policy, Stress testing and Derivative Policy to ensure that the risks spread across different activities carrying an underlying market risk are within the stipulated risk appetite of the bank. All the policies are benchmarked with industry-best practices and RBI regulations. The risk reporting mechanism in the Bank comprises disclosures and reporting to the various apex level committees.

Quantitative Disclosures:

The capital requirements (Solo-Global / Consolidated) for:

(₹ in Million)

Particulars	Consolidated
Interest rate risk	7770.40
Foreign exchange risk	63.00
Equity position risk	1596.14
Total	9429.55

Table DF – 8

Operational Risk

Qualitative Disclosures

Operational risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. This definition includes legal risk, but excludes strategic and reputational risk.

Operational risk is now on the focus of intense interest among industry participants, regulators and other stake holders. The bank has put in place Operational Risk Management Frame work (ORMF) and Operational Risk Management systems (ORMS) to ensure effective governance, risk capture and assessment and quantification of operational risk exposure. Operational risk is well managed by using appropriate qualitative & quantitative methods and established internal control systems in day to day management processes and adopting various risk mitigating strategies. The risk perceptions in various products / processes are critically analysed and corrective actions if required, are initiated.

Bank has implemented a sophisticated web-based Operational Risk Management System to capture, measure, monitor and manage its operational risk exposure. Bank has built up internal loss data base for more than 10 years.

During the year, monitoring of operational risk through credit spurt and Analysis of frequency & severity of operational loss through statistical technique have been done

Capital charge for Operational Risk is computed as per the Basic Indicator Approach.

Quantitative Disclosures

The average of the gross income, as defined in the Basel III Capital regulations, for the previous 3 years i.e. is considered for computing the capital charge. The required capital is ₹ 12040.06Million (Consolidated).

Table DF – 9
Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)
Qualitative Disclosures:

IRRBB refers to the potential adverse financial impact on the Bank's banking book from changes in interest rates.

The interest rate risk is measured and monitored through two approaches:

(i) Earning at Risk (Traditional Gap Analysis) : The immediate impact of the changes in the interest rates on net interest income of the bank is analyzed under this approach.

(ii) Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis): Modified duration of assets and liabilities is computed separately to finally arrive at the modified duration of equity.

This approach assesses impact on economic value of equity by assuming parallel shift in the yield curve for a given change in the yield. Impact on the Economic Value of Equity is also analyzed for a 200 bps rate shock as required by RBI. Market linked yields are used in the calculation of the Modified Duration.

The changes in market interest rates have earnings and economic value impacts on the bank's banking book. Thus, given the complexity and range of balance sheet products, IRR measurement systems are used that assess the effects of the rate changes on both earnings and economic value. Techniques followed are simple maturity (fixed rate) and repricing (floating rate) gaps and duration gaps based on current on-and-off-balance sheet positions, to a little higher technique that incorporate assumptions on behavioural pattern of assets, liabilities and off-balance sheet items and can easily capture the full range of exposures against basis risk, embedded option risk, yield curve risk, etc.

The analysis of bank's Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) is done for Global position. Analysis note on the same on a monthly basis is placed to ALCO.

Quantitative Disclosures:

The impact on earnings and economic value based on interest rate shocks according to IRRBB (Solo-Global) computation methodology are given below:-

- i) Earnings at Risk for 25 bps interest rate shock as on for one year time horizon is ₹5.03 Million
- ii) Change in Economic Value of Equity for 200 bps interest rate shock is ₹27088.20 Million

DF-10: General Disclosure for exposures related to Counterparty Credit Risk:

Counterparty Credit Risk is the risk that the counterparty to a derivative transaction can default before the final settlement of the transaction's cash flow. The Bank sets limits as per the norms on exposure stipulated by RBI for both fund and non fund based facilities including derivatives. Limits are set as a percentage of the capital funds and are monitored on regular basis. For corporates the derivatives limits are assessed and sanctioned in conjunction with regular credit limit as part of regular appraisal.

All the Derivative transactions with the Counterparty are evaluated as per Board approved Derivative Policy of the Bank.

The derivative exposure calculated using Current Exposure Method (CEM) and outstanding as on is given below:

(₹ in Million)

Derivatives	Notional Principle	Current Credit Exposure (+ve MTM)	Current Exposure
Forward Contracts	203825.72	3434.48	7531.80
Interest Rate Swaps	0.00	0.00	0.00

DF-11: Composition of Capital			(₹ in Million)
			Ref No. with respect to DF-12 : Step 2
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	46,354.53	A1+B1
2	Retained earnings	5,567.09	B6
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	1,52,080.04	B2+B3+B4+B5+B8(i)+B11(i)
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0.00	
Public sector capital injections grandfathered until January 1, 2018			0.00
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	2,04,001.66	
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7	Prudential valuation adjustments	0.00	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0.00	
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	0.00	
10	Deferred tax assets	0.00	
11	Cash-flow hedge reserve	0.00	
12	Shortfall of provisions to expected losses	0.00	
13	Securitisation gain on sale	0.00	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0.00	
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00	
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	0.00	
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	0.00	
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0.00	
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	0.00	
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0.00	
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	0.00	
22	Amount exceeding the 15% threshold	0.00	
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	0.00	

DF-11: Composition of Capital			(₹ in Million)
			Ref No. with respect to DF-12 : Step 2
24	of which: mortgage servicing rights	0.00	
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0.00	
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)		
26a	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	0.00	
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	0.00	
	Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	0.00	
	of which: Total equity investment in other financial subsidiaries	0.00	
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0.00	
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	0.00	
29	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	2,04,001.66	
	Additional Tier 1 capital: instruments		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	5000.00	
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	5000.00	D8
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0.00	
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0.00	
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	5000.00	
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments		
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0.00	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0.00	
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00	

DF-11: Composition of Capital			(₹ in Million)
			Ref No. with respect to DF-12 : Step 2
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00	
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	0.00	
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	
	Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	0.00	
	of which: Phase out form AT1	0.00	
	of which: existing adjustments which are deducted from Tier 1 at 50%	0.00	
	of which: DTA	0.00	
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	0.00	
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	0.00	
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	5000.00	
44a	Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy	5000.00	
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)	2,09,001.66	
	Tier 2 capital: instruments and provisions		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	16000.00	D7
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	10000.00	D5+D6
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0.00	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	
50	Provisions	15891.42	B9+B10+E1
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	41891.42	
	Tier 2 capital: regulatory adjustments		
52	Investments in own Tier 2 instruments	0.00	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	0.00	
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0.00	
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00	

DF-11: Composition of Capital			(₹ in Million)
			Ref No. with respect to DF-12 : Step 2
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	0.00	
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	0.00	
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	8000.00	
	of which: Phase out from Tier 2 Bonds	8000.00	
57	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	8000.00	
58	Tier 2 capital (T2)	33891.42	
58a	Tier 2 capital reckoned for capital adequacy	33891.42	
58b	Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital	0.00	
58c	Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a + 58b)	33891.42	
59	Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)	2,42,893.08	
60	Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	16,67,493.79	
60a	of which: total credit risk weighted assets	13,99,123.65	
60b	of which: total market risk weighted assets	1,17,869.34	
60c	of which: total operational risk weighted assets	1,50,500.80	
	Capital ratios		
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	12.23%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	12.53%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	14.57%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	7.375%	
65	of which: capital conservation buffer requirement	1.875%	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0.00%	
67	of which: G-SIB buffer requirement	0.00%	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	6.73%	
	National minima (if different from Basel III)		
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.375%	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum) Including CCB	8.875%	

DF-11: Composition of Capital			(₹ in million)
			Ref No. (with respect to DF-12 ; Step 2)
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	10.875%	
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	0.00	
73	Significant investments in the common stock of financial entities	273.79	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0.00	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	7,480.66	
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	15,891.42	B9+B10+E1
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach (1.25% of Credit Risk RWA)	17,489.05	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	Not Applicable	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	Not Applicable	
Capital instruments subject to phase-out arrangements			
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	0.00	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	0.00	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00	
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	20%	
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	8000.00	

Notes to the Template		
Row No. of the template	Particular	(₹ in million)
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	0.00
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	0.00
	Total as indicated in row 10	0.00
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	0.00
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Tier 2 capital	0.00
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	0.00
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	0.00
	(ii) Increase in risk weighted assets	0.00
44a	Excess Additional Tier 1 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Additional Tier 1 capital as reported in row 44 and admissible Additional Tier 1 capital as reported in 44a)	0.00
	of which: Excess Additional Tier 1 capital which is considered as Tier 2 capital under row 58b	0.00
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	15891.42
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	0.00
	Total of row 50	15891.42

DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements - STEP 1		(₹ in Million)	
		Balance sheet as in financial statements (stand alone)	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on 31.03.2020	As on 31.03.2020
A	Capital & Liabilities		
i	Paid-up Capital	6088.01	6088.01
	Reserves & Surplus	214804.68	221587.78
	Total Capital	220892.69	227675.79
	Minority Interest	0.00	211.70
ii	Deposits	26,02,258.97	26,01,843.95
	of which: Deposits from banks	43,230.51	43,230.51
	of which: Customer deposits	25,59,028.46	25,58,613.44
	of which: Other deposits (pl. specify)	0.00	0.00
iii	Borrowings	2,08,303.10	2,08,303.10
	From RBI	1,15,299.03	1,15,299.03
	From banks	1.09	1.09
	borrowings outside India	28,814.38	28,814.38
	From other institutions & agencies	64,188.60	64,188.60
	of which: Capital instruments	31,000.00	31,000.00
iv	Other liabilities & provisions	63,226.99	63,375.04
	Total Liabilities	30,94,681.74	31,01,409.57
B	Assets		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	57,361.24	57,361.28
	Balance with banks and money at call and short notice	81,885.60	82,003.54
ii	Investments:	8,12,416.88	8,18,711.56
	of which: Government securities	6,96,872.40	6,96,872.40
	of which: Other approved securities	29.88	29.88
	of which: Shares	3,523.12	3,525.06
	of which: Debentures & Bonds	67,367.33	67,367.33
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	1,011.53	7,304.26
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	43,612.61	43,612.61
iii	Loans and advances	19,78,870.11	19,78,870.13
	of which: Loans and advances to banks	24,805.72	30,275.04
	of which: Loans and advances to customers	19,54,064.40	19,48,595.09
iv	Fixed assets	38,957.44	38,990.79
v	Other assets	1,25,190.47	1,25,472.27
	of which: Goodwill and intangible assets	0.00	0.00
	of which: Deferred tax assets	7,441.99	7,480.66
vi	Goodwill on consolidation	0.00	0.00
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0.00	0.00
	Total Assets	30,94,681.74	31,01,409.57

DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements-STEP 2				(₹ in Million)
		Balance sheet as in financial statements (stand alone)	Balance sheet under regulatory scope of consolidation	Ref. No.
		As on 31.03.2020	As on 31.03.2020	
A	Capital & Liabilities			
i	Paid-up Capital	6,088.01	6,088.01	A
	of which: Amount eligible for CET1	6,088.01	6,088.01	A1
	Reserves & Surplus (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	2,14,804.68	2,21,587.78	B
	of which			
	1.Share Premium	40,266.52	40,266.52	B1
	2.Statutory Reserves	46,941.98	46,941.98	B2
	3.Capital Reserves	3,885.52	3,885.52	B3
	4.Special Reserves	7,837.20	7,837.20	B4
	of which special reserve net of Tax	7,255.20	7,255.20	B4(i)
	5.Revenue Reserves	74,482.93	76,690.57	B5
	6.Profit and Loss account	991.63	5,567.09	B6
	7.Minority Interest	0.00	211.70	B7
	Of which considered for Capital funds	0.00	0.00	B7(i)
	8.Revaluation Reserve	29,878.44	29,878.44	B8
	Revaluation Reserve (Part of CET 1 capital @ discount of 55%)	13,445.30	13,445.30	B8 (i)
	9.Investment Fluctuation Reserve	5,669.90	5,669.90	B9
	10.Investment Reserve	477.92	477.92	B10
	11.Foreign Currency Translation Reserve (FCTR)	4,372.63	4,372.63	B11
	of which considered for Capital funds (at 25% discount)	3,279.47	3,279.47	B11(i)
	Total Capital	2,20,892.69	2,27,675.79	
ii	Deposits	26,02,258.97	26,01,843.95	C
	of which: Deposits from banks	43,230.51	43,230.51	C(i)
	of which: Customer deposits	25,59,028.46	25,58,613.44	C(ii)
	of which: Other deposits	0.00	0.00	C(iii)
iii	Borrowings	2,08,303.10	2,08,303.10	D
	From RBI	1,15,299.03	1,15,299.03	D1
	From banks	1.09	1.09	D2
	borrowings outside India	28,814.38	28,814.38	D3
	From other institutions & agencies	64,188.60	64,188.60	D4
	of which: Capital instruments	31,000.00	31,000.00	D4(i)
	Upper Tier II Instruments (Non Basel III Compliant)	5,000.00	5,000.00	D5
	Lower Tier II Instruments (Non Basel III Compliant)	5,000.00	5,000.00	D6
	Tier II Instruments (Basel III Complaint)	16,000.00	16,000.00	D7
	Perpetual Debt Instruments qualifying for AT 1	5,000.00	5,000.00	D8
iv	Other liabilities & provisions	63,226.99	63,375.04	E
	General Provisions	9,743.59	9,743.59	E1
	Total	30,94,681.74	31,01,409.57	

DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements-STEP 2				(₹ in Million)
		Balance sheet as in financial statements (stand alone)	Balance sheet under regulatory scope of consolidation	Reference No.
		As on 31.03.2020	As on 31.03.2020	
B	Assets			
i.	Cash and balances with Reserve Bank of India	57,361.24	57,361.28	
	Balance with banks and money at call and short notice	81,885.60	82,003.54	
ii	Investments	8,12,416.88	8,18,711.56	
	of which: Government securities	6,96,872.40	6,96,872.40	
	of which: Other approved securities	29.88	29.88	
	of which: Shares	3,523.12	3,525.06	
	of which: Debentures & Bonds	67,367.33	67,367.33	
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	1,011.53	7,304.26	
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	43,612.61	43,612.61	
iii	Loans and advances	19,78,870.11	19,78,870.13	
	of which: Loans and advances to banks	24,805.72	30,275.04	
	of which: Loans and advances to customers	19,54,064.40	19,48,595.09	
iv	Fixed assets	38,957.44	38,990.79	
v	Other assets	1,25,190.47	1,25,472.27	
	of which: Goodwill and intangible assets	0.00	0.00	
	Out of which:			
	Goodwill	0.00	0.00	
	Other intangibles	0.00	0.00	
	Deferred tax assets (net)	7,441.99	7,480.66	
vi	Goodwill on consolidation	0.00	0.00	
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0.00	0.00	
	Total Assets	30,94,681.74	31,01,409.57	

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer	Indian Bank	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE562A01011	INE562A09055
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian Laws and regulatory requirements	Applicable Indian Laws and regulatory requirements
	Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1	AT 1 bonds
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Group & Solo	Group & Solo
7	Instrument type	Common Shares	Perpetual bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of 31.03.2020)	6088.01	5000.00
9	Par value of instrument	Not Applicable	5000.00
10	Accounting classification	Share holder's equity	Borrowings
11	Original date of issuance	various dates	30.03.2016
12	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual
13	Original maturity date	Not Applicable	Perpetual
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not Applicable	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹ In Millions)	Not Applicable	Optional Call date: 30.03.2021 Contingent Call dates: Not applicable Redemption amount:5000
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Dividend	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Dividend	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Not Applicable	11.15% p.a No related index
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary	Fully discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Not Applicable	Convertible at specific trigger / PONV event as described in RBI Mastercircular on Basel III dated 01.07.2015
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable	Conversion at pre-specified at minimum Common Equity Tier I capital ratio of 5.50% (before 31.03.2019) or 6.125% of Risk weighted Assets (RWAs) (on or after 31.03.2019) as prescribed in Master circular on Basel III dated 01.07.2015
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable	Fully
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable	Based on market price prevailing at the time of conversion
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable	Mandatory on specific trigger
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable	Common equity shares
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable	Not Applicable
30	Write-down feature	No	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable	At Point of Non Viability (PONV) as set by RBI
32	If write-down, full or partial	Not Applicable	Full
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify other instrument type immediately senior to instrument)	Not Applicable	Subordinated to the claims of creditors and depositors of the Bank and subordinate debt bonds
36	Non-compliant transitioned features	No	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable	Not Applicable

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer	Indian Bank	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE562A09030	INE562A09048
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian Laws and regulatory requirements	Applicable Indian Laws and regulatory requirements
	Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/group & solo	Group & Solo	Group & Solo
7	Instrument type	Lower Tier II (series II)	Upper Tier II (series III)
8	Amount recognised in regulatory capital Rs. in million, as of 31.03.2020)	1000	1000
9	Par value of instrument	5000	5000
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	28/06/2010	16/07/2010
12	Perpetual or dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	28/06/2020	16/07/2025
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹In Millions)	Call Option Date: Not Applicable Redemption Amount: 5000	Optional Call date:16/07/2020 Contingent Call dates: Not applicable Redemption amount:5000
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.53% pa	8.67% pa for first 10 years, If call not exercised: 9.17%
19	Existence of a dividend stopper	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	Yes step up by 50bps
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable	Not Applicable
30	Write-down feature	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	No loss absorbency features	No loss absorbency features

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer	Indian Bank	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE562A08016	INE562A08024
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian Laws and regulatory requirements	Applicable Indian Laws and regulatory requirements
	Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible	Eligible
6	Eligible at solo/group/group & solo	Group & Solo	Group & Solo
7	Instrument type	Basel III compliant Tier II Bond – Series I	Basel III compliant Tier II Bond – Tranche A
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of 31.03.2020)	6000	2900
9	Par value of instrument	6000	2900
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	28/07/2016	30/10/2018
12	Perpetual or dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	28/07/2026	30/10/2028
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹In Millions)	Call Option Date:28/07/2021 Redemption amount:6000	Call Option Date:30/10/2023 Redemption Amount: 2900
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.10% pa	8.90% pa
19	Existence of a dividend stopper	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary	Fully discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	At Point of Non Viability (PONV) as set by RBI	At Point of Non Viability (PONV) as set by RBI
32	If write-down, full or partial	Full	Full
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Fully Compliant	Fully Compliant
37	If yes, specify non-compliant features	Not applicable	Not applicable

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer	Indian Bank	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE562A08032	INE562A08040
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian Laws and regulatory requirements	Applicable Indian Laws and regulatory requirements
	Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible	Eligible
6	Eligible at solo/group/group & solo	Group & Solo	Group & Solo
7	Instrument type	Basel III compliant Tier II Bond – Tranche B	Basel III compliant Tier II Bond – Tranche C
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of 31.03.2020)	1100	6000
9	Par value of instrument	1100	6000
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	06/11/2018	22/01/2019
12	Perpetual or dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	06/11/2028	22/01/2029
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹In Millions)	Call Option Date: 06/11/2023 Redemption amount:1100	Call Option Date: 22/01/2024 Redemption amount:6000
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.85% pa	8.53% pa
19	Existence of a dividend stopper	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary	Fully discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	At Point of Non Viability (PONV) as set by RBI	At Point of Non Viability (PONV) as set by RBI
32	If write-down, full or partial	Full	Full
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Fully Compliant	Fully Compliant
37	If yes, specify non-compliant features	Not applicable	Not applicable

Table DF-14: Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments
Terms and conditions for Upper Tier II Bond

Security Description	8.67% Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier II Bonds (Debt Capital Instruments) in the nature of Promissory Notes (Series III) of Rs. 10,00,000 each aggregating to Rs.500 Crore)
Security offered through	Private Placement
Tax status	Not exempted from Tax
Date of opening of the issue	16/07/2010
Date of closing of the issue	16/07/2010
Series	Series III
ISIN Code	INE562A09048
Face Value per instrument	Rs.10,00,000
Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
Issue Size	Rs.500 Crore
Date of allotment	16/07/2010
Date of maturity	16/07/2025
Amount to be matured	Rs.500 Crore
Coupon rate (fixed)	8.67% for the first 10 years. The rate will be stepped up by 50 basis points, in effect, the coupon rate on Bonds shall be 9.17% p.a from 11th year onwards, if call option not exercised by the Bank at the end of the 10th year from the date of allotment
Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
Interest due dates	16th July every year
First Interest Payment date	16th July 2011
Call Option	Call Option is available on bonds which may be exercised by the Bank at the end of 10th year from the date of allotment, subject to prior approval of RBI and in accordance with the applicable laws and regulation in effect at the time relating to among other things, Capital adequacy position of the Bank both at the time of and after exercise of the Call option, in whole but not in part. In case of exercise of Call option by the Bank, the Bank shall notify its intention to do so through a notice sent by registered post/ courier to the Bond holders, at least 30(thirty) days prior to the due date. The bonds shall have a step-up options which shall be exercised only once during the whole life of the bonds, in conjunction with the Call option, after the lapse of 10 years from the deemed date of allotment. The step-up shall be 50 bps, in effect, the coupon rate on bonds shall be stepped up to 9.17% p.a for subsequent years if call option is not exercised by the bank at the end of 10th year from the date of allotment.

Terms and conditions for Lower Tier II Bond

Security Description	8.53% Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Lower Tier II Bonds (Debt Capital Instruments) in the nature of Promissory Notes (Series II) of Rs.10,00,000 each aggregating to Rs.500 Crore)
Security offered through	Private Placement
Tax status	Not exempted from Tax
Date of opening of the issue	28/06/2010
Date of closing of the issue	28/06/2010
Series	Series II
ISIN Code	INE562A09030
Face Value per instrument	Rs.10,00,000
Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
Issue Size	Rs.500 Crore
Date of allotment	28/06/2010
Date of maturity	28/06/2020
Amount to be matured	Rs.500 Crore
Coupon rate (fixed)	8.53%
Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
Interest due dates	28th June every year
First Interest Payment date	28th June 2011

Terms and conditions for Basel III compliant Tier II Bond - Series I

Security Description	8.10% Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier II Bonds (Debt Capital Instruments) in the nature of Promissory Notes (Series I) of Rs.10,00,000 each aggregating to Rs.600 Crore)
Security offered through	Private Placement
Tax status	Not exempted from Tax
Date of opening of the issue	28/07/2016
Date of closing of the issue	28/07/2016
Series	Series I
ISIN Code	INE562A08016
Face Value per instrument	Rs.10,00,000
Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
Issue Size	Rs.600 Crore
Date of allotment	28/07/2016
Date of maturity	28/07/2026
Call Option	At the end of 5 years ie:28/07/2021
Amount to be matured	Rs.600 Crore
Coupon rate (fixed)	8.10%
Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
Interest due dates	28th July every year
First Interest Payment date	28th July 2017

Terms and conditions for Basel III compliant Tier II Bond - Series I

Security Description	8.90% Unsecured, Non-Convertible, Redeemable, Basel-III Compliant Tier II Bonds in the nature of Debentures of 10 Lakhs each aggregating to Rs.290 Crore)
Security offered through	Private Placement
Tax status	Not exempted from Tax
Date of opening of the issue	26/10/2018
Date of closing of the issue	26/10/2018
Series	Tranche A
ISIN Code	INE562A08024
Face Value per instrument	Rs.10,00,000
Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
Issue Size	Rs.290 Crore
Date of allotment	30/10/2018
Date of maturity	30/10/2028
Call Option	At the end of 5 years i.e.: 30/10/2023
Amount to be matured	Rs.290 Crore
Coupon rate (fixed)	8.90%
Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
Interest due dates	30th Oct every year
First Interest Payment date	30/10/2019
Call Option	<p>The Issuer may at its sole discretion, subject to above conditions for call having been satisfied and having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Issuer Call (which notice, shall specify the date fixed for exercise of the Issuer Call (the "Issuer Call Date"), may exercise a call on the outstanding Bonds.</p> <p>The Issuer Call, which is discretionary, may or may not be exercised on the fifth anniversary from the Deemed Date of Allotment, i.e. the fifth Coupon or on coupon payment date thereafter (i.e. At the end of the 5th year – 30.10.2023)</p>

Terms and conditions for Basel III compliant Tier II Bond - Series I

Security Description	8.85% Unsecured, Non-Convertible, Redeemable, Basel-III Compliant Tier II Bonds in the nature of Debentures of 10 Lakhs each aggregating to Rs 110 Crore)
Security offered through	Private Placement
Tax status	Not exempted from Tax
Date of opening of the issue	02/11/2018
Date of closing of the issue	02/11/2018
Series	Tranche B
ISIN Code	INE562A08032
Face Value per instrument	Rs.10,00,000
Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
Issue Size	Rs.110 Crore

Date of allotment	06/11/2018
Date of maturity	06/11/2028
Call Option	At the end of 5 years i.e.: 06/11/2023
Amount to be matured	Rs 110 Crore
Coupon rate (fixed)	8.85%
Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
Interest due dates	6th November every year
First Interest Payment date	06/11/2019
Call Option	<p>The Issuer may at its sole discretion, subject to above conditions for call having been satisfied and having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Issuer Call (which notice, shall specify the date fixed for exercise of the Issuer Call (the "Issuer Call Date")), may exercise a call on the outstanding Bonds.</p> <p>The Issuer Call, which is discretionary, may or may not be exercised on the fifth anniversary from the Deemed Date of Allotment, i.e. the fifth Coupon or on coupon payment date thereafter (i.e. At the end of the 5th year – 06.11.2023)</p>

Terms and conditions for Basel III compliant Tier II Bond - Series I

Security Description	8.53% Unsecured, Non-Convertible, Redeemable, Basel-III Compliant Tier II Bonds in the nature of Debentures of 10 Lakhs each aggregating to Rs.600 Crore)
Security offered through	Private Placement
Tax status	Not exempted from Tax
Date of opening of the issue	18-01-2019
Date of closing of the issue	18-01-2019
Series	Tranche C
ISIN Code	INE562A08040
Face Value per instrument	Rs.10,00,000
Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
Issue Size	Rs.600 Crore
Date of allotment	22-01-2019
Date of maturity	22-01-2029
Call Option	At the end of 5 years i.e: 22-01-2024
Amount to be matured	Rs.600 Crore
Coupon rate (fixed)	8.53%
Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
Interest due dates	22nd January every year
First Interest Payment date	22-01-2020
Call Option	<p>The Issuer may at its sole discretion, subject to above conditions for call having been satisfied and having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Issuer Call (which notice, shall specify the date fixed for exercise of the Issuer Call (the "Issuer Call Date")), may exercise a call on the outstanding Bonds.</p> <p>The Issuer Call, which is discretionary, may or may not be exercised on the fifth anniversary from the Deemed Date of Allotment, i.e. the fifth Coupon or on coupon payment date thereafter (i.e. At the end of the 5th year – 22.01.2024)</p>

Table DF-14: Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments
Terms and conditions for AT 1 Bonds

Security Description	Unsecured BASEL III Compliant Additional Tier-1 Perpetual Debt Instruments
Security offered through	Private Placement
Tax status	Not exempted from Tax
Date of opening of the issue	30/03/2016
Date of closing of the issue	30/03/2016
Series	Series I
ISIN Code	INE562A09055
Face Value per instrument	Rs. 10,00,000
Paid up value per instrument	Rs. 10,00,000
Issue Size	Rs. 500 Crore
Date of allotment	31/03/2016
Date of maturity	Perpetual instruments
Coupon rate (fixed)	11.15% p.a.
Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
Interest due dates	30th March every year
First Interest Payment date	30th March 2017
Put option	None
Call Option	Only after completing 5 years.
Trustees	Axis Trustee Services Limited
Credit Rating	CRISIL AA+/(Watch) Developing dated 20th December 2019

Table DF-15: Disclosure Requirements for Remuneration
 ----- Not applicable -----

As per RBI Master Circular on Basel III, this table is only applicable to all private sector and foreign banks operating in India.

Table DF-16: Equities-Disclosure for Banking Book Positions

Investments are classified at the time of purchase into Held for trade (HFT), Available for Sale (AFS) and Held to Maturity (HTM) categories in line with the RBI master circular on Prudential Norms for classification, valuation and operation of investments portfolio by Banks. Investments that are held principally for sale within a short period are classified as HFT securities. Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified under the HTM category. Investments in the equity of subsidiaries/joint ventures are categorized as HTM in accordance with the RBI guidelines. All other investments are classified as AFS securities.

Equity investments under the HTM category are carried at acquisition cost. Equity investments under the banking book are the Bank's investments in subsidiaries and associates. As on 31.03.2020, Book value of equity shares under Banking book is ₹1065.03 million.

Investments in subsidiaries have been reduced from CET 1 and investments in associates have been risk weighted at 250%

Table DF 17- Summary comparison of accounting assets vs. leverage ratio exposure measure

(₹ in Million)

	Item	31.03.2020
1	Total consolidated assets as per published financial Statement	3101409.57
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	0.00
3	Adjustment for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	0.00
4	Adjustments for derivative financial instruments	7531.80
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	0.00
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	251295.32
7	Other adjustments	0.00
8	Leverage ratio exposure	3360236.69

DF 18 – Leverage ratio common disclosure template

(₹ in Million)

	Item	31-03-2020
	On-balance sheet exposures	Consolidated
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	3101409.57
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	0.00
3	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	3101409.57
	Derivative exposures	
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	3434.48
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	4097.33
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	0.00
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	0.00
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	0.00
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	0.00
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	0.00
11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	7531.80
	Securities financing transaction exposures	
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	0.00
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	0.00
14	CCR exposure for SFT assets	0.00
15	Agent transaction exposures	0.00
16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	0.00
	Other off-balance sheet exposures	
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	628702.69
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	377407.37
19	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	251295.32
	Capital and total exposures	
20	Tier 1 capital	209001.60
21	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	3360236.69
	Leverage ratio	
22	Basel III leverage ratio	6.22%



Indian Bank is a proud winner of the DIGIDHAN Mission Digital Payments awards 2018-19 initiated by Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), Government of India for its outstanding performance in Digital Payments Category A, Rs.10-50 Crores (160.82% of the target). Shri. M K Bhattacharya, Executive Director, Indian Bank and Shri. S Rengarajan, General Manager (DBD), Indian Bank received the prestigious award from Shri. Ravi Shankar Prasad, Hon'ble Union Minister for Electronics and Information Technology at New Delhi on October 21, 2019.



Indian Bank celebrated Customers' Day on 21st August 2019 at all the branches throughout the globe to have an updation of customer expectations/feedback. Shri. V.V. Shenoy, Executive Director attended the Customers' Day celebrations organized by Corporate Branch, Chennai. Shri. K. Chandra Reddy, FGM – Chennai, Shri. P. Subramanian, ZM – Chennai South and Shri. Pradeep Pilankar, BM – Corporate Branch, Chennai also participated in the event.



Indian Bank extended doorstep banking services to customers across the country through its Business Correspondents (BCs) and Mobile ATMs during Covid-19 outbreak, keeping the social distancing norms in place.



हमें इन योजनाओं के सहयोग में गर्व है / We are proud to be associated with



इंडियन बैंक  Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

कॉर्पोरेट कार्यालय / Corporate Office :
254-260, अव्वै शण्मुगम सालै / Avvai Shanmugam Salai,
रायपेट्टा / Royapettah, चेन्ने / Chennai - 600 014

1800 425 00 000 / 1800 572 20 00

www.indianbank.in

Follow us on :     